



## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन  
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र



बिहार सरकार  
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन  
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

बिहार सरकार  
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या—2

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi
<b>अध्याय-I</b>		
<b>परिचय</b>		
बजट की रूपरेखा	<b>1.1</b>	1
राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग	<b>1.2</b>	1
सतत् बचतें	<b>1.3</b>	2
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधियाँ	<b>1.4</b>	2
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	<b>1.5</b>	2
लेखापरीक्षा का आयोजना एवं संचालन	<b>1.6</b>	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता	<b>1.7</b>	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों (प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं) के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	<b>1.8</b>	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई	<b>1.9</b>	5
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली	<b>1.10</b>	6
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति	<b>1.11</b>	6
<b>अध्याय-II</b>		
<b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>समाज कल्याण विभाग</b>		
समेकित बाल विकास सेवाएँ	<b>2.1</b>	7
<b>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</b>		
बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन	<b>2.2</b>	40
<b>ग्रामीण कार्य विभाग</b>		
मुख्यमंत्री ग्राम सङ्कर योजना	<b>2.3</b>	75
<b>अध्याय-III</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>कृषि विभाग</b>		
राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लेखापरीक्षा	<b>3.1</b>	91

विवरण	संदर्भ	
	कंडिकाएँ	पृष्ठ/ अभियुक्तियाँ
<b>शिक्षा विभाग</b>		
मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की लेखापरीक्षा	3.2	115
<b>गृह (पुलिस) विभाग</b>		
"पुलिस बल आधुनिकीकरण" की लेखापरीक्षा	3.3	140
<b>शिक्षा विभाग</b>		
माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	3.4	158
कपटपूर्ण भुगतान/दुर्विनियोजन/हानियाँ	3.5	
<b>स्वास्थ्य विभाग</b>		
कपटपूर्ण निकासी	3.5.1	171
<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>		
सरकारी राशि का दुर्विनियोजन	3.5.2	172
<b>पर्यावरण एवं वन विभाग तथा जल संसाधन विभाग</b>		
नदी तट में वन /भूमि की हानि	3.5.3	174
<b>उद्योग विभाग</b>		
ब्याज की हानि	3.5.4	175
<b>पर्यावरण एवं वन विभाग</b>		
सरकार को हानि	3.5.5	176
अधिक भुगतान/निष्फल व्यय	3.6	
<b>स्वास्थ्य विभाग</b>		
आधिक्य एवं परिहार्य भुगतान	3.6.1	177
परिहार्य/निशफल व्यय	3.7	
<b>जल संसाधन विभाग</b>		
परिहार्य व्यय	3.7.1	179
निष्फल व्यय	3.7.2	180
<b>पथ निर्माण विभाग</b>		
पथ कार्य हेतु राजकोष पर अतिरिक्त भार	3.7.3	181
<b>लघु जल संसाधन विभाग</b>		
पाईन सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार पर निष्फल व्यय	3.7.4	183
परिहार्य व्यय	3.7.5	184
असमायोजित अग्रिम	3.8	
<b>शिक्षा विभाग</b>		
असमायोजित अग्रिम	3.8.1	186

विवरण		संदर्भ	
	कंडिकाएँ	पृष्ठ/ अभियुक्तियाँ	
<b>परिशिष्ट</b>			
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी	<b>1.7</b>	189
1.2	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं का विभिन्न प्रकारों के अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	<b>1.7</b>	190
1.3	राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति को दर्शाती विवरणी	<b>1.11</b>	191
2.1.1	(i) नमूना जाँचित जिलों में सामान्य अवयव के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी	<b>2.1.9</b>	192
	(ii) नमूना जाँचित जिलों में पूरक पोषण कार्यक्रम अवयव के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी		
2.1.2	पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) एवं सामान्य अवयव के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि के उपयोग को दर्शाती विवरणी	<b>2.1.9.3</b>	193
2.1.3	राज्य में गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्लयू.बी. एन.पी.) के अन्तर्गत खाद्यान्न के आवंटन एवं उपयोगिता को दर्शाती विवरणी	<b>2.1.11.1</b>	194
2.1.4	गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत नमूना जाँचित जिलों में चावल की अधिप्राप्ति को दर्शाती विवरणी	<b>2.1.11.1</b>	195
2.1.5	राज्य में प्रशिक्षण प्रदान करने की विवरणी जॉब प्रशिक्षण रिफेसर प्रशिक्षण इंडक्शन प्रशिक्षण	<b>2.1.12</b>	196
2.1.6	आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण में कमी को दर्शाती विवरणी	<b>2.1.12.1</b>	197
2.1.7	स्थीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत् बल की स्थिति की विवरणी	<b>2.1.12.2</b>	198
2.2.1	वार्षिक कार्य योजना में लक्ष्य निर्धारण करने की विवरणी	<b>2.2.7.2</b>	199
	(i) बसावटों के आच्छादन हेतु लक्ष्य निर्धारण		
	(ii) गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के आच्छादन हेतु लक्ष्य निर्धारण		
	(iii) पेयजल स्रोतों का जल गुणवत्ता जाँच		
	(iv) 0 से 50 प्रतिशत आच्छादित जनसंख्या वाले बसावट		
	(v) अनुसूचित जाति बाहुल्य बसावट		
	(vi) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसावट		

विवरण	संदर्भ	
	कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
2.2.2 वर्ष 2011–16 के दौरान विद्यालयों एवं अँगनबाड़ियों के आच्छादन हेतु योजनाओं के स्वीकृति से संबंधित विवरणी	<b>2.2.10</b>	201
2.2.3 बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्थिति	<b>2.2.11.1</b>	202
2.2.4 भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण अपूर्ण बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं का व्यौरा	<b>2.2.11.1</b>	203
2.2.5 कुल रूपांकण अवधि में जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर कार्य के किर्यान्वित करने के कारण अपूर्ण बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं का विवरण	<b>2.2.11.1</b>	203
2.2.6 वर्ष 2001 के जनसंख्या के आधार पर ली गई योजनाओं से संबंधित विवरणी	<b>2.2.11.2</b>	204
2.2.7 40 या 46 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) के आधार पर ली गई योजनाओं से संबंधित विवरणी	<b>2.2.11.2</b>	206
2.2.8 कुल रूपांकण माँग के 50 प्रतिशत से कम पर आँकी गई जलाशयों की क्षमता से संबंधित विवरणी	<b>2.2.11.2</b>	208
2.2.9 पाईप जलापूर्ति योजना के कार्य आदेश देने में प्रक्रियागत विलंब से संबंधित विवरणी	<b>2.2.11.2</b>	210
2.2.10 उच्च स्तरीय जलाशयों के दर में भिन्नता से संबंधित विवरणी	<b>2.2.11.2</b>	213
2.2.11 वालू मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की स्थिति	<b>2.2.11.3</b>	214
2.2.12 नई मिनी पाईप जलापूर्ति योजना में कुंजी यंत्र एवं संयंत्र और मुख्य व्यक्तियों की स्थिति	<b>2.2.11.3</b>	215
2.2.13 नई मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण में हस्तगत स्थल से संबंधित विस्तृत विवरणी	<b>2.2.11.3</b>	216
2.2.14 वर्ष 2011–16 के दौरान संचालन एवं रख-रखाव योजनाओं से संबंधित विवरणी	<b>2.2.12.2</b>	217
2.3.1 सम्पर्कता प्रदान करने के लिए अयोग्य गाँवों के चयन की विवरणी	<b>2.3.7.2</b>	218
2.3.2 सी.एन.सी.पी.एल. से बाहर रखे गये कार्यान्वित सड़कों से संबंधित विवरणी	<b>2.3.7.2</b>	219
2.3.3 अस्वीकार्य सड़क परियोजनाओं का चयन	<b>2.3.7.2</b>	220
2.3.4 मु.मं.ग्रा.स.यो. अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के कारण राज्य पर परिहार्य भार	<b>2.3.7.2</b>	221
2.3.5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण को दर्शाती विवरणी	<b>2.3.8.1</b>	222
2.3.6 विलंब से पूर्ण कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति की कम वसूली	<b>2.3.9.4</b>	223

विवरण		संदर्भ	
		कंडिकाएँ	पृष्ठ/ अभियुक्तियाँ
2.3.7	श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई राशि को दर्शाती विवरणी	<b>2.3.9.5</b>	224
2.3.8	वर्ष 2011–16 के दौरान एम.एम.जी.एस.वाई. सड़कों का अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने को दर्शाती विवरणी	<b>2.3.9.6</b>	225
2.3.9	लाभार्थी सर्वेक्षण किये गये 12 सड़कों के ब्यौरा को दर्शाती विवरणी	<b>2.3.11</b>	226
3.1.1	वर्ष 2011–16 के दौरान अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, केन्द्रांश एवं राज्यांश, की विमुक्ति, विविध आय एवं ब्याज, व्यय एवं बचत को दर्शाती विवरणी	<b>3.1.4</b>	227
3.1.2	वर्ष 2011–16 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि की विलंबित विमुक्ति की विवरणी	<b>3.1.4.1</b>	228
3.1.3	विभागीय अग्रिम का ब्यौरा	<b>3.1.4.2</b>	229
3.1.4	वर्ष 2011–16 के दौरान एन.एच.एम. के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ	<b>3.1.5</b>	230
3.2.1	मध्याह्न भोजन निधि का आवंटन/विमुक्ति, व्यय एवं अवशेष	<b>3.2.5</b>	231
3.2.2	मध्याह्न भोजन निधि का घटक—वार व्यय	<b>3.2.5</b>	232
3.2.3	कम उपस्थिति के लिये वसूलनीय राशि	<b>3.2.5.6</b>	233
3.2.4	विद्यालयों की सूची जहाँ रसोई घर में मध्याह्न भोजन तैयार नहीं किया गया था	<b>3.2.6.1</b>	234
3.2.5	नमूना—जाँचित जिलों में मध्याह्न भोजन में संलग्न गैर—सरकारी संगठनों का विवरण	<b>3.2.7.2</b>	235
3.3.1	उपकरणों की अधिप्राप्ति में आधिक्य व्यय की विवरणी	<b>3.3.6</b>	236
3.3.2	एम.पी.एफ. के तहत वर्ष 2011–16 के दौरान निर्माण कार्य का वित्तीय विवरणी	<b>3.3.6.1</b>	237
3.3.3	वार्षिक कार्य योजना के संबंध में वर्ष 2011–16 के दौरान कम अधिप्राप्ति	<b>3.3.6.2</b>	237
3.3.4	नमूना—जाँचित जिलों में वाहनों की स्थिति	<b>3.3.6.2</b>	238
3.3.5	एफ.एस.एल. पटना में उपकरण की उपलब्धता	<b>3.3.6.4</b>	240
3.4.1	दस जिलों में चयनित 78 माध्यमिक विद्यालयों के नाम	<b>3.4.2</b>	241
3.4.2	नमूना—जाँचित जिलों में प्राप्त निधि एवं उसके विरुद्ध व्यय की विवरणी	<b>3.4.3.2</b>	243
3.4.3	कुल माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को दर्शाती विवरणी	<b>3.4.3.3</b>	243
3.4.4	नमूना—जाँचित जिलों में छात्रों की संख्या पर उपलब्ध एक वर्ग कक्ष/शिक्षक से संबंधित विवरणी	<b>3.4.3.3</b>	244
3.4.5	माध्यमिक विद्यालय के रूप में उत्क्रमित विद्यालयों में आधारभूत संरचना एवं मानव बल की अनुपलब्धता से संबंधित विवरणी	<b>3.4.3.3</b>	245

विवरण		संदर्भ	
		कंडिकाएँ	पृष्ठ/ अभियुक्तियाँ
3.4.6	नमूना—जाँचित विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की संख्या (सेवा—कालीन प्रशिक्षण )	3.4.3.3	245
3.4.7	नमूना—जाँचित जिलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या	3.4.3.4	246
3.4.8	राज्य, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की संख्या को दर्शाती विवरणी	3.4.3.5	246
3.5.1	नि.एवं व्य.पदा., अ.श.चि., बैंको, को.पदा. तथा जि.भ. नि.पदा. के लापरवाही को दर्शाती विवरणी	3.5.1	247
3.5.2 (i)	आहरित राशि परंतु कपटपूर्ण तरीके से दूसरों के खातों में जमा की गई राशि को दर्शाती विवरणी	3.5.1	249
(ii)	आहरित राशि परंतु कपटपूर्ण तरीके से दूसरों के खातों में जमा की गई राशि को दर्शाती विवरणी	3.5.1	249
(iii)	आहरित राशि परंतु कपटपूर्ण तरीके से दूसरों के खातों में जमा की गई राशि को दर्शाती विवरणी	3.5.1	250
(iv)	आहरित राशि परंतु कपटपूर्ण तरीके से दूसरों के खातों में जमा की गई राशि को दर्शाती विवरणी	3.5.1	254
3.5.3 (i)	कोषागार से आहरित राशि जिसे ज्ञात नहीं किया जा सका को दर्शाती विवरणी	3.5.1	257
(ii)	कोषागार से आहरित राशि जिसे ज्ञात नहीं किया जा सका को दर्शाती विवरणी	3.5.1	258
3.5.4 (i)	आहारित विपत्र एवं रोकड़—बही में वितरित दर्शायी गई लेकिन अभिश्रव/वेतन नामावली का साक्ष्य अभिलेख में न होने को दर्शाती विवरणी	3.5.1	259
(ii)	आकस्मिकता पंजी के अनुसार लेकिन बिना अभिश्रव के भुगतान की दर्शाती विवरणी	3.5.1	259
(iii)	बिना साक्ष्य के भुगतान को दर्शाती विवरणी	3.5.1	260
3.5.5	बाढ़ राहत हेतु कर्मचारियों/निजी ऐजेंसी को दिये गये अग्रिम के साथ सामायोजन एवं शेष को दर्शाती विवरणी	3.5.2	261
3.6.1	वर्ष 2012–13 से वर्ष 2013–14 के अवधि के दौरान औषधियों के क्रय पर आधिक्य भुगतान को दर्शाती विवरणी	3.6.1	262
3.6.2	वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 के अवधि के दौरान औषधियों के क्रय पर परिहार्य भुगतान को दर्शाती विवरणी	3.6.1	263
3.7.1	“बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (बा.नि.प्र.), खगड़िया सं.—2 के अधीन चन्हा नदी के दाहिने किनारे पर मिटटी तटबंध” का एकरारनामा एवं भुगतान को दर्शाती विवरणी	3.7.2	264
3.7.2	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (बा.नि.प्र.), खगड़िया संख्या—2 के अंतर्गत चन्हा नदी के दाहिने किनारे पर नौ बाढ़ प्रतिरोधक जलद्वार संरचना के निर्माण पर एकरारनामा एवं भुगतान को दर्शाती विवरणी	3.7.2	265

विवरण	संदर्भ	
	कंडिकाएँ	पृष्ठ/ अभियुक्तियाँ
3.7.3 50 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार और नवीकरण में परिहार्य व्यय का विस्तृत विवरणी	3.7.5	266
3.7.4 11 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार और नवीकरण में परिहार्य व्यय का विस्तृत विवरणी	3.7.5	268
3.8.1 (i) लंबित अग्रिमों की विवरणी (वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा) (31/8/2016 तक)	3.8.1	270
(ii) लंबित अग्रिमों की विवरणी जो वी.कुँ.सिं.वि. द्वारा पटना विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मियों को दिया गया (31/8/2016 तक)	3.8.1	271
(iii) लंबित अग्रिमों की विवरणी जो वी.कुँ.सिं.वि. द्वारा मगध विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मियों को दिया गया (31/8/2016 तक)	3.8.1	272
(iv) लंबित अग्रिमों की विवरणी जो वी.कुँ.सिं.वि. द्वारा बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मियों को दिया गया (31/8/2016 तक)	3.8.1	275
(v) लंबित अग्रिमों की विवरणी जो वी.कुँ.सिं.वि. द्वारा राज्य के बाहर के शिक्षण कर्मी एवं प्राइवेट पार्टी को दिया गया (31/8/2016 तक)	3.8.1	276
3.8.2 वी.कुँ.सि.वि. द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के उम्र के विश्लेषण को दर्शाती विवरणी (31/8/2016 तक)	3.8.1	278
3.8.3 लंबित अग्रिमों की विवरण (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा) (31/8/2016 तक)	3.8.1	279
3.8.4 ल.ना.मि.वि. के द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के उम्र के विश्लेषण को दर्शाती विवरणी (31/8/2016 तक)	3.8.1	281

## प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत किया जाता है।
3. इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।
4. प्रतिवेदन में वैसे मामले भी शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2015–16 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ—साथ वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2015–16 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार शामिल किया गया है।
5. भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।

विहंगावलोकन

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलत हैं: प्रथम अध्याय में राज्य की वित्तीय स्थिति, योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलत है। इस प्रतिवेदन के अध्याय दो में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अध्याय तीन में विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा जिसमें तीन योजनाओं की लेखापरीक्षा, एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा तथा प्रारूप कंडिकाएँ सम्मिलत है। इस प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के जाँच परिणम सम्मिलत हैं, जिनका कुल मौद्रिक मूल्य ₹3,033.44 करोड़ है।

लेखापरीक्षा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग हेतु विहित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की गई है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन सांख्यिकीय नमूना प्रणाली के साथ-साथ जोखिम आधारित विवेकपूर्ण नमूना के आधार पर किया गया है। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अंगीकृत विवेकपूर्ण नमूना के आधार पर किया गया है। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अंगीकृत विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रक्रिया को दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा अनुशंसाएँ सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई है। मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

### 1. कार्यक्रमों/कार्य-कलापों/विभागों का लेखापरीक्षा

#### (i) समेकित बाल विकास सेवाएँ की निष्पादन लेखापरीक्षा

समेकित बाल विकास सेवाएँ के निष्पादन लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि समाज कल्याण विभाग, द्वारा समेकित बाल विकास सेवाओं के कार्यान्वयन के दौरान न तो कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गयी थी और न ही अल्पवजनी बच्चों की व्यापकता, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया के मामले और शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने से संबंधित कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता के साथ काफी हृद तक समझौता किया गया था क्योंकि कि शौचालयों, पेयजल, रसोईघर एवं बर्तन जैसी मूलभूत सुविधाएँ वहां उपलब्ध नहीं थी तथा राज्य में 72 प्रतिशत कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास अपना भवन नहीं था।

आँगनबाड़ी भवनों के निर्माण एवं उन्नयन हेतु निधि उपलब्ध रहने के बावजूद, विभाग ने वर्ष 2014–15 तक निधि के आहरण हेतु बजट शीर्ष का निर्धारण नहीं किया था। अतः, परिणामस्वरूप विमुक्त राशि कोषागार से आहरित नहीं की जा सकी।

अधिकांश नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों में निर्धारित दिनों तक पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा, रेफरल तथा दवाई कीट लाभुकों को प्रदान नहीं किया गया था। राज्य में पूरक पोषण की गुणवत्ता/पोषण मूल्य एवं विनिर्दिष्ट मानकों को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित जाँच खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था।

समेकित बाल विकास सेवाएँ के क्षेत्रीय पदाधिकारियों जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों, महिला पर्यवेक्षिकाओं और आँगनबाड़ी सेविकाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बसावट के पहचान हेतु कराये गए सूक्ष्म सवेक्षण अपर्याप्त थे और आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान नहीं की जा सकी।

अनुश्रवण में कमी ने योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया क्योंकि 25 आँगनबाड़ी केन्द्र बंद पाये गये थे जबकि 195 आँगनबाड़ी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन में से 22 आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चे उपस्थित नहीं थे।

कुल मिलाकर, विभाग के द्वारा केवल 76 प्रतिशत स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र का ही संचालन किया जा सका। आगे, माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के निर्देश के बावजूद कि प्रत्येक बसावट में एक कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्र होना चाहिए और आई.सी.डी.एस. सेवाएँ छ: साल की उम्र तक के सभी बच्चों और सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान किया जाना चाहिए, आई.सी.डी.एस. सेवाएँ मात्र 44 से 46 प्रतिशत योग्य बच्चों, 55 से 58 प्रतिशत योग्य गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं और 10 से 20 प्रतिशत किशोरियों तक पहुँचाई गई, इस प्रकार आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत सेवाओं के व्यापिकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

(कंडिका 2.1)

**(ii) बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निष्पादन लेखापरीक्षा**

राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.का.) इंगित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका तथा आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह संदूषण से प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2011–16 के दौरान वे या तो स्वीकृत योजना से आच्छादित नहीं थे या स्वीकृत योजनाँ अपूर्ण थी। परिणामस्वरूप, ₹609 करोड़ व्यय के बावजूद 4.67 लाख आर्सेनिक, 16.51 लाख फ्लोराईड एवं 79.06 लाख लौह प्रभावित जनसंख्या सुरक्षित पेयजल से वंचित रहा। कार्यक्रम के असफलता का मुख्य कारण आयोजना में कमी, कमजोर वित्तीय स्थिति तथा कार्यान्वयन में कमी था।

विभाग ने वर्ष 2011–16 के दौरान पाईप जलापूर्ति योजनाओं (पाईप.जला.यो.) के द्वारा बसावटों के आच्छादन हेतु बढ़ावा देने के लिए किसी रूपरेखा को विकसित नहीं किया। परिणामस्वरूप, बिहार पाईप जलापूर्ति से बसावटों के आच्छादन (छ: प्रतिशत) में पड़ोसी राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय औसत (41 प्रतिशत) से काफी पीछे है। परिणामस्वरूप 94 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी चापाकलों पर निर्भर था।

हालांकि, ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु जनसंख्या का रूपांकन वर्ष 2011 के नवीनतम जनगणना के आधार पर प्राक्कलन तैयार कर किया जाना था, छ: नमूना-जाँचित जिलों में मात्र 61 पाईप जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन में जनसंख्या का रूपांकन वर्ष 2001 के जनगणना के आधार पर किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग पूरे 30 वर्ष के रूपांकित अवधि हेतु निर्दिष्ट जनसंख्या के लिए आवश्यक जल की माँग को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो सकता है।

विभाग द्वारा अवर प्रमंडल स्तर पर एक भी जल जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं की गई थी। शत प्रतिशत स्रोतों का दो बार जैविक एवं एक बार रासायनिक जाँच के मानक के विरुद्ध जल गुणवत्ता की जाँच केवल आठ से 16 प्रतिशत कार्यशील स्रोतों का किया गया था। इस प्रकार, अधिकांश बसावट पीने का असुरक्षित जल का उपयोग करने के लिए बाध्य था। इस प्रकार, राज्य में अधिकांश बसावटों को असुरक्षित पीने के पानी के सहारे छोड़ दिया गया था।

(कंडिका 2.2)

**(iii) मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क क योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा**

मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क योजना (एम.एम.जी.एस.वाई.) का कार्यान्वयन संपर्कविहीन गाँवों के विश्वसनीय आँकड़ों के बिना किया गया था, क्योंकि 500 से 999 आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाले संपर्कविहीन गाँवों की व्यापक नई सम्पर्क प्राथमिकता सूची

न तो तैयार की गई थी और न ही उसका पालन किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹1,398.16 करोड़ के व्यय के बावजूद 183 गाँव संपर्कविहीन रह गये जबकि योजना के अन्तर्गत अपात्र गाँवों को भी सम्पर्कता प्रदान की गई।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मार्च 2016 तक चयनित पात्र गाँवों को सम्पर्कता प्रदान नहीं किया गया क्योंकि कार्य अपूर्ण रह गये थे या संवेदकों द्वारा छोड़ दिये गये थे।

गाइड लाईन में, निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण का पालन नहीं किया गया था तथा मार्च 2016 तक मोबाइल क्वालिटी मॉनिटरिंग इकाइयों के 25 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन लंबित था। जिसके फलस्वरूप, विभाग द्वारा कार्यान्वयन किये गये सड़क कार्यों की गुणवत्ता तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

हालांकि, वर्ष 2014–15 तक निर्मित सड़कों में अनुरक्षण का कार्य किया जाना था, 78 प्रतिशत सड़कों में यह नहीं किया गया।

इस प्रकार, राज्य में योजना का एक दशक पूर्ण होने के बावजूद भी 500 से 999 की जनसंख्या वाले सभी संपर्कविहीन गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने का इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

(कांडिका 2.3)

## 2. अनुपालन लेखापरीक्षा

### (i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लेखापरीक्षा

प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप क्षेत्र आधारित भिन्न कार्यनीतियाँ जिसमें अनुसंधान, तकनीक संवर्द्धन, विस्तार, कटाई पश्चात् प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन सम्मिलित हैं, के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) शुरू किया गया था।

राज्य में परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी के बिना राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) को कार्यान्वित किया। वार्षिक कार्य योजना में जिलों के अनेक फसलों के सामर्थ्य तथा प्राथमिकता को ध्यान में नहीं रखा गया।

एन.एच.एम. के तहत् नए बागों का क्षेत्र विस्तार के लिए अनुदान की स्वीकृति, वृक्षारोपण स्थल, कलस्टर दृष्टिकोण के अंगीकरण की आवश्यकता और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी की उपयुक्ता का आकलन किये बिना किया गया था।

एन.एच.एम. निधि से स्थापित बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ सितम्बर 2013 से अकार्यरत थे। कटाई पश्च प्रबन्धन के अंतर्गत पहल जैसे—बागवानी उत्पादन की विपणनता विस्तार, भण्डार सुविधाओं को उत्पन्न करना और ग्रामीण बाजार आदि राज्य की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने लिए पर्याप्त नहीं थी।

वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य में जैविक खेती के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र विस्तार मात्र सात प्रतिशत था जो कि नाममात्र था, जबकि इस दौरान राज्य में जैविक प्रमाणीकरण का कुछ भी कार्य नहीं किया गया था।

(कांडिका 3.1)

## (ii) मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की लेखापरीक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के नामांकन प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने और पोषण स्तर में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) का शुभारंभ (अगस्त 1995) किया गया।

मध्याह्न भोजन योजना का संचालन, राज्य की आवश्यकता को सही ढँग से संबोधित नहीं कर सका क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कम बच्चों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिससे 33 से 57 प्रतिशत नामांकित बच्चे मध्याह्न भोजन से वंचित रह गये थे।

कई मामलों में आवंटित खाद्यान्न का उठाव जिला स्तर पर राज्य से नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, नमूना-जाँचित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन को अनिवार्य दिनों की तुलना में कम दिनों तक परोसा गया था।

रसोईघर के उचित शेड के अभाव में मध्याह्न भोजन विद्यालयों के वर्गकक्षों एवं गलियारों में तैयार किये जाते थे। मध्याह्न भोजन के जिला कार्यालयों में स्वच्छ औसत गुणवत्ता वाले खाद्यान्न के उपयोग से संबोधित अभिलेख संधारित नहीं थे। आगे, बच्चों को वितरित किये जाने वाले गुणवत्तायुक्त भोजन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य में खाद्यान्न के जाँच हेतु कोई संस्थान उपलब्ध नहीं था।

योजना का अप्र्याप्त अनुश्रवण, योजना के कार्यान्वयन में एक मुख्य अवरोध था क्योंकि प्र्याप्त संख्या में राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तर पर संचालन-सह-अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई थी। इसके अलावे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखण्ड संशाधन सेवी द्वारा भी विद्यालयों में निर्धारित संख्या में अनुश्रवण नहीं किया गया था।

(कांडिका 3.2)

## (iii) पुलिस बल आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा

राज्य पुलिस बल की क्षमता निर्माण में वृद्धि के लिए वर्ष 1969-70 से पुलिस बल आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) योजना, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।

पिछले साढ़े चार दशक से पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित रहने के बावजूद, वर्तमान में भी राज्य, कानून और व्यवस्था के लिए केंद्रीय बलों पर निर्भर था। यह स्थिति वार्षिक कार्य योजना की तैयारी में पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य पुलिस बल की आवश्यकता को चिह्नित एवं मूल्यांकित न कर पाने के कारण था। इसके अलावा, वार्षिक कार्य योजना जिलों से प्राप्त इनपुट पर भी आधारित नहीं था।

आगे, विभाग द्वारा एम.पी.एफ. निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बलों के लिए इमारतों, हथियारों और वाहनों की कमी थी। योजना के फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला घटक उपेक्षित बने रहे, क्योंकि वर्ष 2011-16 के दौरान उनमें सुधार के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराया गया था और दो वर्षों से पुराने मामले विश्लेषण के लिए लंबित थे।

अधिप्राप्ति प्रक्रिया भी विवेकहीन/देरी के निर्णय से प्रभावित रहा तथा योजना के अन्तर्गत विहित अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(कांडिका 3.3)

#### (iv) माध्यमिक शिक्षा योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2010 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित माध्यमिक शिक्षा योजना निष्पादन लेखापरीक्षा के स्वीकृत अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के प्रगति को अँकने के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि शिक्षा विभाग द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुशंसाओं के अनुरूप कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

शिक्षा विभाग द्वारा न तो माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना में सुधार किया गया और न ही वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन लागू किया गया। परिणामतः 22 प्रतिशत नमूना—जाँचित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा हेतु वर्गकक्ष नहीं थे एवं छः से 33 प्रतिशत प्रावधानित बजट बिना खर्च किये रह गए।

शिक्षा विभाग ने किसी भी माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। नमूना—जाँचित जिलों में कम्प्यूटर शिक्षा 1,667 विद्यालयों में से केवल 210 विद्यालयों में उपलब्ध कराया गया था।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण पद्धति विभाग द्वारा अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका था क्योंकि नमूना—जाँचित जिलों में वर्ष 2011–14 के दौरान जिले के अधिकारियों द्वारा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था जबकि वर्ष 2015–16 के दौरान केवल तीन प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण किया गया था।

इसके अलावा, शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के अपने संकल्प को कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.4)

#### (v) प्रारूप कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा ने संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को पाया, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में उत्पन्न कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष (12 कंडिकाओं) को प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख अवलोकन नियमों एवं विनियमों के गैर—अनुपालन, औचित्य के विरुद्ध लेखापरीक्षा तथा बिना पर्याप्त औचित्य के व्यय के मामले एवं दृष्टिचूक/शासकीय विफलता से संबंधित है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोधगया (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेरकी और खजवटी), पालीगंज (पटना) तथा सहदेई बुर्जुग (वैशाली) के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों, असैनिक शल्य चिकित्सकों और कोषागारों द्वारा अनुश्रवण के अभाव, लापरवाही एवं विहित नियमों के अनुपालन एवं नियंत्रण में विफलता ने ₹1.66 करोड़ की अवैध निकासियों को सहायतित किया। इसके अलावा, ₹9.03 करोड़ के व्यय के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

(कंडिका 3.5.1)

- आंतरिक नियंत्रण की कमी के साथ—साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी पतरघट (सहरसा) व जिला प्रशासन, सहरसा की ओर से वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में की गयी लापरवाही के फलस्वरूप ₹81.57 लाख की सरकारी राशि का दुर्विनियोजन हुआ।

(कंडिका 3.5.2)

- नदी तट में वन/भूमि के कटाव के विरुद्ध ससमय उपाय नहीं होने तथा पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की लापरवाही के कारण लगभग

₹621.47 करोड़ की लागत की वाल्मीकी व्याघ्र रिजर्व, बेतिया में वन एवं भूमि संपदा का कटाव हुआ।

(कांडिका 3.5.3)

- उद्योग विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के विपरीत आधारभूत विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा ₹308.96 करोड़ की राशि को 161 दिनों तक राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता से बाहर रखा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹5.45 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(कांडिका 3.5.4)

- वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आवश्यकता का आकलन किये बिना पॉपलर पौधों की अधिप्राप्ति, आयोजना में कमी तथा बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान के बिना अधिप्राप्ति के फलस्वरूप सरकार को ₹चार करोड़ की हानि हुई।

(कांडिका 3.5.5)

- छ: चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के अधीक्षकों द्वारा दर अनुबंधों की शर्तों को लागू किए जाने में विफलता एवं स्थानिक निविदा द्वारा किए जा रहे क्रियों में जाँच –शुल्कों की कटौती के प्रावधानों के नहीं रहने के कारण ₹71.89 लाख का आधिक्य एवं ₹73.69 लाख परिहार्य भुगतान हुआ।

(कांडिका 3.6.1)

- कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर द्वारा उच्च क्षमता संबंध से आवासीय कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति के निर्णय तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थिर निम्न क्षमता दरों से वसूली के परिणामस्वरूप बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹22.11 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(कांडिका 3.7.1)

- कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, खगड़िया सं.-2 के द्वारा भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य की शुरूआत एवं बीच में रुकावट के परिणामस्वरूप अधूरे कार्य पर ₹14.13 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, साथ ही योजना के अन्तर्गत अभीष्ट लाभ से भी वंचित रहे।

(कांडिका 3.7.2)

- पथ निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व कार्य आवंटन के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा वित्तीय मूल्य के ऊपरी सीमा से अधिक के एकरारनामा के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹3.24 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा जिसके विरुद्ध विभाग ने संवेदक को ₹2.34 करोड़ का भुगतान पूर्व में ही कर दिया था।

(कांडिका 3.7.3)

- तकनीकी सलाहकार समिति तथा अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया द्वारा बिना उचित सर्वेक्षण, आयोजना एवं स्थल निरीक्षण के त्रुटिपूर्ण डिजाईन की अनुशंसा के परिणामस्वरूप पाईन सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार पर ₹2.33 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कांडिका 3.7.4)

- बिहार लोक कार्य विभागीय संहिता के विरुद्ध मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग (उत्तर), मुजफ्फरपुर के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी द्वारा प्राथमिक एकरारनामा में पूर्व में सम्मिलित मद के लिये अधिक दर पर अनुपूरक एकरारनामा के कार्यान्वयन के फलस्वरूप ₹1.92 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.7.5)

- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के पालन में विफलता, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण का अभाव, कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं अक्रियाशीलता के कारण 115 व्यक्तियों के विरुद्ध ₹1.88 करोड़ की असमायोजित अग्रिम एक से 44 वर्षों की अवधि तक पड़ी रही।

(कंडिका 3.8.1)

# अध्याय I

## परिचय

## अध्याय-I

### परिचय

#### 1.1 बजट की रूपरेखा

राज्य में 44 विभाग एवं 47 स्वायत्त निकाय (स्वा.नि.) हैं। वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान तथा उसके विरुद्ध वास्तविक व्यय तालिका सं.-1.1 में दी गई है

#### तालिका सं.-1.1

#### वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
<b>राजस्व व्यय</b>										
सामान्य सेवाएँ	18505.11	17729.72	22192.64	18645.11	25469.15	22018.47	28155.44	26408.18	30258.64	27972.30
सामाजिक सेवाएँ	20862.15	18728.78	25632.67	23107.37	32004.63	26394.85	43617.60	31712.71	38084.12	35943.04
आधिक सेवाएँ	10562.18	10037.82	13129.83	12709.96	15779.73	14060.06	19988.27	14445.05	22860.81	19696.39
सहायक अनुदान एवं सहायता	4.12	3.17	4.12	3.71	4.12	3.85	4.12	4.04	4.54	4.21
<b>कुल(1)</b>	<b>49933.56</b>	<b>46499.49</b>	<b>60959.26</b>	<b>54466.15</b>	<b>73257.63</b>	<b>62477.23</b>	<b>91765.43</b>	<b>72569.98</b>	<b>91208.11</b>	<b>83615.94</b>
<b>पूँजीगत व्यय</b>										
पूँजीगत परिव्यय	15392.31	8852.01	17727.56	9584.52	18830.30	14001.00	25120.74	18150.41	29477.21	23966.02
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1036.60	1906.08	1260.71	2085.95	1394.38	807.38	406.49	368.71	728.93	621.23
लोक ऋण का प्रतिदान	2907.89	2922.46	3054.48	3069.96	3238.73	3119.56	3562.90	3608.95	3895.28	4124.85
आकस्मिक निधि	0	800.00	0	2250.00	0	1450.43	0	1650.00	0	4477.41
लोक लेखा संवितरण	5819.74	21393.22	7108.79	24798.82	7019.00	29452.57	12143.96	39200.48	14136.34	45922.84
अंतिम रोकड़ शेष	0	1509.45	0	3715.58	0	6156.39	0	6337.11	98.43	11716.72
<b>कुल (2)</b>	<b>25156.54</b>	<b>37383.22</b>	<b>29151.54</b>	<b>45504.83</b>	<b>30482.41</b>	<b>54987.33</b>	<b>41234.09</b>	<b>69315.66</b>	<b>48336.19</b>	<b>90829.07</b>
<b>सकल योग (1+2)</b>	<b>75090.10</b>	<b>83882.71</b>	<b>90110.80</b>	<b>99970.98</b>	<b>103740.04</b>	<b>117464.56</b>	<b>132999.52</b>	<b>141885.64</b>	<b>139544.30</b>	<b>174445.01</b>

(स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण सूचना)

#### 1.2 राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग

वर्ष 2015–16 में ₹1,53,258.99 करोड़ के कुल बजट के विरुद्ध कुल व्यय (दत्तमत एवं भारित) ₹1,13,298.77 करोड़ था। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य का (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम मिलाकर) कुल व्यय ₹57,257.58 करोड़ से ₹1,08,203.19 करोड़ तक बढ़ गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय 80 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2011–12 में ₹46,499.49 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹83,615.94 करोड़ हुआ। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय 59 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹34,013 करोड़ से ₹53,965 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय 171 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ ₹8,852 करोड़ से ₹23,966 करोड़ हुआ।

वर्ष 2011–16 के दौरान कुल व्यय का 77 से 82 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय का था एवं कुल व्यय का 14 से 22 प्रतिशत हिस्सा पूँजीगत व्यय का था। इस दौरान, कुल व्यय 17.80 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर से बढ़ा, जबकि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्ति 17.46 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा।

### 1.3 सतत बचतें

10 मामलों के प्रत्येक में सतत बचतें ₹70 करोड़ से ज्यादा थीं और पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल अनुदान का 11 से 69 प्रतिशत के बीच थीं को तालिका सं.-1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका सं.-1.2

#### वर्ष 2011–16 के दौरान सतत बचतों वाले अनुदान की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान के नाम एवं संख्या	बचत की राशि एवं प्रतिशतता									
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
<b>राजस्व—दत्तमत</b>											
		राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
1	2—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	210.59	43.22	426.49	44.31	607.69	62.55	211.60	32.11	188.32	31.37
2	12—वित्त विभाग	122.72	43.27	223.31	31.97	106.32	27.48	124.99	45.19	116.02	45.17
3	20—स्वास्थ्य विभाग	528.85	21.52	569.78	22.26	623.24	22.30	914.11	21.60	964.06	21.44
4	27—विधि विभाग	148.50	26.19	151.31	26.11	141.61	22.78	179.09	26.60	146.64	22.14
5	40—राजस्व एवं भूमि—सुधार विभाग	148.70	24.05	72.52	14.96	132.67	21.20	224.14	31.73	238.37	32.74
6	41—पथ निर्माण विभाग	120.06	18.44	109.32	16.45	413.22	32.96	359.65	28.57	117.63	11.39
7	50—लघु जल संसाधन विभाग	291.77	50.39	92.81	25.99	668.14	66.10	375.42	57.59	359.97	51.86
	<b>कुल</b>	<b>1571.19</b>		<b>1645.54</b>		<b>2692.89</b>		<b>2389.00</b>		<b>2131.01</b>	
<b>पूँजीगत—दत्तमत</b>											
8	3—भवन निर्माण विभाग	292.26	57.49	722.07	69.33	659.52	40.88	1719.79	60.50	1347.14	45.12
9	36—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	137.81	31.09	265.47	50.66	97.55	13.62	601.57	40.46	432.15	35.84
10	49—जल संसाधन विभाग	625.86	25.65	672.73	27.47	1853.56	53.61	1262.62	50.27	251.54	14.48
11	50—लघु जल संसाधन विभाग	110.50	42.42	127.24	43.26	108.10	35.51	181.00	50.03	122.14	37.85
	<b>कुल</b>	<b>1166.43</b>		<b>1787.51</b>		<b>2718.73</b>		<b>3764.98</b>		<b>2152.97</b>	
	<b>सकल योग</b>	<b>2737.62</b>		<b>3433.05</b>		<b>5411.62</b>		<b>6153.98</b>		<b>4283.98</b>	

(झोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

### 1.4 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधियां

वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार ने राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹792.71 करोड़ का स्थानांतरण किया। चूंकि इन निधियों को राज्य बजट/राज्य कोषागार के माध्यम से परिचालित नहीं किया गया था, ये राज्य के लेखे में प्रतिबिंबित नहीं हुए।

### 1.5 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2011–12 में ₹9,882.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹19,565.60 करोड़ हो गया जिसे चार्ट सं.-1.1 में दर्शाया गया है।

### चार्ट सं.-1.1 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान



(स्रोत: संबंधित वर्ष के लिए राज्य के वित्त लेखे)

#### 1.6 लेखापरीक्षा का आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि का, उनके कार्यकलापों की नाजुकता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों के प्रति रवैया एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के जोखिम आकलन के साथ शुरू होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारम्बरता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा परिणामों को निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर कार्यालय अध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ निर्गत किया जाता है कि इसके जवाब एक महीने के अन्दर सौंपे जाएँ। जवाब प्राप्ति उपरांत, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो निपटा दिए जाते हैं या अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समावेश के लिए प्रसंस्कृत की जाती है जिसे भारतीय संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत बिहार राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2015–16 में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के कार्यालय द्वारा राज्य के 893 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और 10 स्वायत्त निकाय का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। इसके अलावे, तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तीन विषयक लेखापरीक्षा और एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा भी किए गए।

#### 1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार लेन-देनों के नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं और निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव का सत्यापन करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा


निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं इत्यादि का पता लगने पर कार्य स्थल पर सुलझाया नहीं जाता है तो ये नि.प्र. लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं प्रतिलिपि अगले उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है।

इन नि.प्र. कि प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्चाधिकारियों को अपना अनुपालन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को देना होता है। गम्भीर अनियमितताएँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के कार्यालय द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को भेजे जाने वाले लंबित नि.प्र. की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्षों के जानकारी में भी लायी जाती है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 26 बैठकें हुई जिनमें केवल 470 कंडिकाओं का निपटारा किया गया।

सितम्बर 2015 तक 38 विभागों से संबंधित 2,820 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2016<sup>1</sup> की समाप्ति पर 5,713 नि.प्र.<sup>2</sup> जिसमें 33,712 कंडिकाओं<sup>3</sup> में शामिल ₹1,81,557.58 करोड़<sup>4</sup> के वित्तीय मूल्यांकन लंबित थे।

**चार्ट सं.-1.2  
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन / कंडिकाएँ**



(स्रोत:- इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

इन 5,713 नि.प्र. एवं 33,712 कंडिकाओं के लंबित मामलों की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-1.1 एवं अनियमितताओं के प्रकार परिशिष्ट-1.2 में वर्णित है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा लंबित नि.प्र. में संकलित अवलोकनों पर तय समय में कार्रवाई करने में असफल रहने के कारण उत्तरदायित्व का ह्वास हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार मामलों में रुचि ले ताकि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आवश्यक एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

<sup>1</sup> सम्मिलित नि.प्र. एवं कंडिकाएँ को 30 सितम्बर 2015 तक निर्गत किया गया तथा 31 मार्च 2016 तक लंबित रहा

<sup>2</sup> आर्थिक प्रक्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)-1,627, सामान्य प्रक्षेत्र-747, सामाजिक प्रक्षेत्र-3,339 और कुल-5,713

<sup>3</sup> आर्थिक प्रक्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)-9624, सामान्य प्रक्षेत्र-3921, सामाजिक प्रक्षेत्र-20,167 और कुल 33,712

<sup>4</sup> आर्थिक प्रक्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)-₹78,425.40 करोड़, सामान्य प्रक्षेत्र-₹12,165.59 करोड़, सामाजिक प्रक्षेत्र-₹90,966.59 करोड़ और कुल-₹1,81,557.58 करोड़

### 1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों (प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं) के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिसका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के क्रियाकलापों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा एवं कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त अनुशंसाएँ देने तथा नागरिकों को बेहतर सेवा देने पर विशेष ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों के लिए आवश्यक है कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं प्रारूप कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया छह सप्ताह के अंदर प्रेषित करें। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था कि इन कंडिकाओं के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो कि राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, में सम्मिलित होने की संभावना के मद्देनजर प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित किया जाना बांछनीय होगा। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप प्रतिवेदन एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक करने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंधित प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए तीन निष्पादन लेखापरीक्षा, तीन योजना लेखापरीक्षा, एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा और 12 कंडिकाओं को संबंधित प्रधान सचिवों/सचिवों को अग्रेषित किया गया था। सरकार/विभाग सभी निष्पादन लेखापरीक्षा, योजना विषयक लेखापरीक्षा, अनुवर्ती लेखापरीक्षा एवं आठ का जवाब प्रारूप कंडिकाओं हेतु अनुवर्ती प्राप्त किया गया है।

### 1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियम के अनुसार प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, चाहे लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जाँच की गई हो या नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर की गई या प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई का वर्णन प्रस्तुत करने थे।

31 मार्च 2015 की अवधि तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर 30 सितम्बर 2016 तक कृत-कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की वस्तुस्थिति तालिका सं.-1.3 में दी गई है।

तालिका सं.-1.3

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय कृत-कार्रवाई की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	30 सितम्बर 2016 तक लंबित (कंडिकाओं की संख्या)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण का दिनांक	कृत-कार्रवाई की प्राप्ति की नियत तिथि
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र	2012-13	5	15/7/2014	15/9/2014
	2013-14	4	6/4/2015	6/6/2015
	2014-15	10	18/3/2016	18/5/2016
राज्य वित्त	2012-13	34	21/2/2014	21/4/2016
	2013-14	32	6/4/2015	6/6/2015
	2014-15	31	18/3/2016	18/5/2016

(स्रोत: इस कार्यालय के लोक लेखा समिति अनुभाग से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

### 1.10 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

राज्य सरकार के विभागों के लेखे के नमूना जाँच के दौरान ज्ञात हुए वैसे लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनमें वसूली होनी है, विभिन्न विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की पुष्टि एवं लेखापरीक्षा को अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जानकारी देने के लिए प्रेषित की गयी।

कुल मिलाकर 13 मामलों में ₹131.55 लाख की वसूली को चिह्नित (वर्ष 2015–16) किया गया। जबकि, वर्ष 2015–16 के दौरान कुल चार मामलों में ₹3.64 लाख की वसूली की गई जिसका विवरण तालिका सं. 1.4 में दी गई है।

#### तालिका—1.4

लेखापरीक्षा के द्वारा चिह्नित वसूली जिसे विभाग के द्वारा स्वीकार/वसूल किया गया  
(₹ लाख में)

प्रक्षेत्रों के नाम	वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा में चिह्नित वसूली एवं जिसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया		वर्ष 2015–16 के दौरान की गई वसूली		विभाग	किए गए वसूली के विवरण
	मामलों की संख्या	राशि सम्मिलित	मामलों की संख्या	राशि सम्मिलित		
सामान्य प्रक्षेत्र	01	0.68	01	0.68	गृह	उच्च दर पर क्रय (0.58)
सामाजिक प्रक्षेत्र	08	76.95	01	2.93	स्वास्थ्य	स्वस्च्छता में दोहरा भुगतान
			01	0.02	स्वास्थ्य	आधिकर्य भुगतान
आर्थिक प्रक्षेत्र	4	53.92	01	0.01	पर्यावरण एवं वन	आधिकर्य भुगतान

(नोट: इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

### 1.11 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन देनों, परिचालन संबंधी गतिविधि एवं लेखे, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। राज्य में पाँच स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है जिसमें तीन का नवनीकरण नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा सौंपें जाने की स्थिति, लेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने एवं विधान सभा में रखे जाने का विवरण (परिशिष्ट—1.3) में दर्शाया गया है।

वर्ष 2015–16 के लिए तीन स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा सौंपें जाने की अनवीकरण के कारण और दो स्वायत्त निकाय का वार्षिक लेखा प्राप्त नहीं होने के कारण, वर्ष 2015–16 के दौरान पाँच स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा नहीं किए गए तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को निर्गत नहीं किया गया (परिशिष्ट—1.3)

## अध्याय II

# निष्पादन लेखापरीक्षा

**अध्याय-II**  
**निष्पादन लेखापरीक्षा**  
**समाज कल्याण विभाग**

**2.1 समेकित बाल विकास सेवाएँ**

**कार्यकारी सारांश**

**परिचय**

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) युवा बच्चों में कुपोषण, असामान्य विकास, रुग्णता और मृत्यु दर के दुष्क्र को तोड़ने की चुनौती के लिए भारत का एक प्रयास है। यह एक व्यापक ढंग से छः साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के पारस्परिक जरूरतों को लक्षित करता है।

(कंडिका-2.1.1)

**शिशु/मातृ मृत्यु दर**

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा अल्पवजनी बच्चों के व्यापकता की पहचान, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया के मामले और शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर संबंधित कोई भी बेंचमार्क बिहार में निर्धारित नहीं किया गया था। इसलिए आई.सी.डी.एस. के कार्यान्वयन से प्राप्त फलाफल को आँका नहीं जा सका।

(कंडिका-2.1.11.3)

**आई.सी.डी.एस. का सर्वव्यापीकरण**

माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने निर्देश दिया कि प्रत्येक बसावट में एक कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्र होना चाहिए और आई.सी.डी.एस. सेवाएँ छः साल की उम्र तक के सभी बच्चों और सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान किया जाना चाहिए। आदेश के बावजूद आई.सी.डी.एस. सेवाएँ मात्र 44 से 46 प्रतिशत योग्य बच्चों, 55 से 58 प्रतिशत योग्य गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं और 10 से 20 प्रतिशत किशोरियों तक पहुँचाई गई वयोंकि समाज कल्याण विभाग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्रों की विशेष आवश्यकता के बारे में बताया।

(कंडिका-2.1.7.3)

**योजना**

मिशन अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किया गया, जबकि वार्षिक योजना जिला/परियोजना कार्यालयों/आँगनबाड़ी केन्द्रों से जानकारी प्राप्त किए बिना राज्य स्तर पर तैयार किया गया था। विभाग ने कुपोषित बच्चों के आँकड़ों को संधारित नहीं किया था। परिमाणामस्वरूप, किसी भी वार्षिक योजना में अल्पवजनी/ कुपोषित बच्चों की व्यापकता, विद्यालय पूर्व शिक्षा से बाहर के बच्चों की संख्या, एनीमिया के मामले जैसे कार्यक्रम कार्यान्वयन में प्रचलित वर्तमान अंतराल का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(कंडिका-2.1.8.1 तथा 2.1.8.2)

**वित्तीय प्रबंधन**

आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा विलंब से निधियों की विमुक्ति के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक किसी भी वर्ष में विभाग पूरी राशि को खर्च नहीं कर सका।

परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत वर्ष 2013–14 और वर्ष 2015–16 की चौथी तिमाही के दौरान, इसके बाद का किस्त जारी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निदेशालय द्वारा भारत सरकार को गलत व्यय विवरणी और उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया था, परिणामस्वरूप बैंक खाते में संधारित ₹14.50 करोड़ व्यय के रूप में दर्शाया गया।

(कंडिकाएँ—2.1.9 तथा 2.1.9.2)

### आँगनबाड़ी केन्द्रों की कमी

बिहार के 503 ग्रामीण परियोजना कार्यालयों में 1,12,272 पंचायत वार्ड के विरुद्ध मात्र 84,098 ग्रामीण आँगनबाड़ी केन्द्र थे जिसके फलस्वरूप 28,174 (25 प्रतिशत) ग्रामीण वार्ड बिना किसी आँगनबाड़ी केन्द्र के थे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2014 में स्वीकृत 21,366 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं 1,675 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों को मार्च 2016 तक कार्यशील नहीं किया गया था क्योंकि विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों की आबादी को चिह्नित नहीं किया था जो कि आँगनबाड़ी केन्द्र को शुरू करने की पूर्व शर्त थी।

(कंडिकाएँ—2.1.7.2 एवं 2.1.7.3)

### आधारभूत संरचना का विकास

राज्य में क्रियाशील 86,752 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से केवल 24,515 आँगनबाड़ी केन्द्र (28 प्रतिशत) सरकारी भवनों में चल रहे थे, जबकि शेष 62,237 आँगनबाड़ी केन्द्र या तो किराये के घरों में या अन्य स्थानों जैसे पंचायत, कार्यालय सामुदायिक भवन, खुले स्थान आदि पर चल रहे थे। नमूना—जाँचित 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय, पीने के पानी, इनडोर/आउटडोर गतिविधियों, भोजन तैयार करने और परोसने के लिए पर्याप्त बर्टन जैसी सुविधाओं की कमी थी। आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं उन्नयन हेतु निधि की उपलब्धता के बावजूद विभाग ने निधि की निकासी हेतु वर्ष 2014–15 तक बजट शीर्ष को निर्धारित नहीं किया। अतः विमुक्त राशि की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। बजट शीर्ष के निर्धारण में विलम्ब के कारण 2,915 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं 4,405 आँगनबाड़ी केन्द्रों के उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–15 के दौरान विमुक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया जा सका।

(कंडिकाएँ—2.1.10, 2.1.10.1 तथा 2.1.10.2)

### योजना के छः सेवाओं का कार्यान्वयन

किसी भी नमूना—जाँचित 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण कार्यक्रम लक्षित 300 दिनों तक प्रदान नहीं किया गया था। राज्य में पूरक पोषण की गुणवत्ता/पोषण मूल्य एवं विनिर्दिष्ट मानकों को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित जाँच खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं किया जा सका था क्योंकि कार्यशील 86,752 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से रसोईघर और सुरक्षित पानी की सुविधा क्रमशः केवल 29,495 (34 प्रतिशत) एवं 29,643 (34 प्रतिशत) में ही उपलब्ध थी। राज्य में सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में सस्ते दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं किया गया था। किसी भी नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्र में दवाई किट्स/प्री स्कूल किट्स उपलब्ध नहीं था। आई.सी.डी.एस. में किसी भी स्तर पर टीकाकरण से संबंधित आँकड़े संधारित नहीं किए गए थे। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को प्रा.स्वा.केन्द्र/अस्पताल में रेफर नहीं किया गया था।

(कंडिकाएँ—2.1.11, 2.1.11.1 तथा 2.1.11.2)

### अनुश्रवण के लिए संस्थागत व्यवस्था


आई.सी.डी.एस. के अनुश्रवण हेतु बिहार सरकार ने राज्य मिशन संचालन समूह तथा राज्य प्राधिकृत कार्यक्रम समिति का गठन नहीं किया। बाल विकास एवं पोषण प्रणाली के देख-रेख के लिए बिहार समेकित बाल विकास समिति का गठन दिसम्बर 2015 में किया गया था। हालांकि, समिति के शासी निकाय का गठन अभी भी किया जाना है (अगस्त 2016)। राज्य एवं आठ नमूना-जाँचित जिलों में अनुश्रवण समिति की बैठक अबतक नहीं बुलाई गई थी (अगस्त 2016), अतः योजना का अनुश्रवण अपर्याप्त था।

(कंडिकाएँ—2.1.14, तथा 2.1.14.1)

#### 2.1.1 परिचय

भारत सरकार के द्वारा बच्चों में कुपोषण, असामान्य विकास, रूग्णता एवं मृत्यु दर से मुकाबला करने एवं गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों<sup>5</sup> के पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु छ: सेवाओं (पूरक पोषण कार्यक्रम, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवा, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा पोषण एंव स्वास्थ्य शिक्षा) का एक पैकेज समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) योजना के रूप में एक प्रमुख कार्यक्रम वर्ष 1975 में शुरू किया गया। इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–2017) के दौरान मिशन मोड में लागू किया जाना था। आई.सी.डी.एस. योजना का उद्देश्य नीचे चार्ट सं.-2.1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं.- 2.1.1  
आई.सी.डी.एस. का उद्देश्य



बिहार में इस योजना की शुरुआत वर्ष 1975 में दो परियोजना कार्यालयों के अन्तर्गत 277 ओंगनबाड़ी केन्द्रों के साथ की गई एवं मार्च 2016 तक इसे 544 परियोजना

<sup>5</sup> इस स्तर पर, बालिकाएँ यौवनावस्था की सीमा पर खड़ी होती हैं। यह बचपन और नारित्व के मध्य का समय होता है।


कार्यालयों तथा स्वीकृत 1,14,718 आँगनबाड़ी केन्द्र अन्तर्गत क्रियाशील 86,752 आँगनबाड़ी केन्द्रों तक विस्तारित किया गया।

### 2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, निदेशक, आई.सी.डी.एस. राज्य स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन पदाधिकारी हैं। जिला स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन एवं समन्वय जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डी.पी.ओ.) आई.सी.डी.एस. द्वारा किया जाता है जबकि प्रखण्ड स्तर पर परियोजना कार्यालय का प्रमुख बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) होता है, जिसे महिला पर्यवेक्षिकाओं (एल.एस.) से सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, गाँव/बसावट स्तर पर आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र इस योजना की कार्यान्वयन इकाइयाँ हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चार्ट सं.-2.1.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं.- 2.1.2

संगठनात्मक चार्ट



### 2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित एवं मूल्यांकित करने के लिए था कि क्या:

- छ: वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं किशोरियों हेतु विनिर्दिष्ट छ: सेवाओं को समाविष्ट करने के लिए समुचित योजना बनाई गई थी;
- आवंटित एवं विमुक्त निधि समुचित थी एवं उनका विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए मितव्ययिता एवं दक्षता के साथ उपयोग किया गया था;

- प्रदान की जाने वाली सेवाओं को समाविष्ट करने के लिए आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ पर्याप्त थी;
- योजना में विनिर्दिष्ट छ: सेवाओं का कार्यान्वयन प्रभावी एवं दक्ष रूप से किया गया था;
- सेवाओं के प्रभावी वितरण हेतु इस योजना के तहत मानव बल की तैनाती एवं प्रशिक्षण पर्याप्त था;
- इस योजना के परिणाम का आकलन करने के लिए अल्पवजन में कमी, एनीमिया, आई.एम.आर., एम.एम.आर. आदि जैसे अभीष्ट संकेतों को प्राप्त करने हेतु बैंचमार्क का स्पष्ट निर्धारण किया गया था; एवं
- अनुश्रवण एवं समीक्षा की प्रणाली व्यवस्थित एवं प्रभावी थी।

#### **2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड**

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाए गए मानदंड निम्नलिखित थे:

- आई.सी.डी.एस. के कार्यान्वयन के लिए योजना की मार्गदर्शिका एवं फ्रेमवर्क;
- बिहार वित्तीय नियमावली 2005 एवं बिहार कोषागार संहिता 2011; तथा
- भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित निर्गत निदेश/परिपत्र।

#### **2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि**

समाज कल्याण विभाग सचिवालय, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, 38 में से 10 डी.पी.ओ., 39 सी.डी.पी.ओ. (नमूना—जाँचित जिलों के 149 सी.डी.पी.ओ. में से) तथा प्रत्येक सी.डी.पी.ओ. कार्यालय के अन्तर्गत 15 औंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन करते हुए कुल 585 औंगनबाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की अप्रैल से जुलाई 2016 के दौरान नमूना जाँच करते हुए आई.सी.डी.एस. योजना का वर्ष 2011–16 तक की अवधि का निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया। जिलों अर्थात् डी.पी.ओ. का चयन 'प्रोवेवलिटि प्रोपोशनेट टू साईज विदाउट रिप्लेसमेंट' (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.आर.) विधि से जबकि सी.डी.पी.ओ. और औंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन 'सिम्प्ल रैण्डम सैम्प्लिंग विदाउट रिप्लेसमेंट' (एस.आर.एस.डब्ल्यू.आर.) की विधि से किया गया।

लेखापरीक्षा क्रियाविधि में दस्तावेज विवेचना, लेखापरीक्षा पृच्छाओं पर जवाब, प्रश्नावलियों के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण, प्रपत्र तथा संयुक्त भौतिक निरीक्षण के साथ—साथ लाभार्थी सर्वेक्षण सम्मिलत थे।

सी.डी.पी.ओ. के प्रत्येक नमूना—जाँचित कार्यालयों के पाँच औंगनबाड़ी केन्द्रों में आई.सी.डी.एस. कर्मियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस योजना के कार्यान्वयन के परिणाम को चिह्नित करने हेतु प्रत्येक परियोजना कार्यालय के अन्तर्गत पाँच लाभार्थियों का भी सर्वेक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा कथन उपरोक्त इकाइयों के लेखापरीक्षा के दौरान संग्रहित सूचनाओं एवं औंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारंभ में प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के साथ मार्च 2016 में अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी, जहाँ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड एवं क्रियाविधि पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा के अंत में प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के साथ नवम्बर 2016 में बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया था।

एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर दिए गए जवाब/मंतव्यों को उचित जगहों पर सम्मिलित किया गया है।

### 2.1.6 पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2002–07 की अवधि के लिए आई.सी.डी.एस. पर निष्पादन लेखापरीक्षा का निष्कर्ष भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) की कंडिका 3.2 में सम्मिलित किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में प्रकाशित मुख्य कमियाँ यथा आँगनबाड़ी केन्द्रों के प्रचालन में विफलता, अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ एवं योजना का विस्तार, वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान भी दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें अनुगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

### 2.1.7 आई.सी.डी.एस. सेवाओं का सर्वव्यापीकरण

#### 2.1.7.1 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पालन करने में पाई गई कमियाँ

माननीय उच्चतम न्यायालय ने आई.सी.डी.एस. के सर्वव्यापीकरण का आदेश (नवम्बर 2001, अप्रैल 2004, एवं अक्टूबर 2004) दिया तथा यह निर्देशित किया कि प्रत्येक बसावट में एक कार्यशील आई.सी.डी.एस. केन्द्र (आँगनबाड़ी) होना चाहिए तथा आई.सी.डी.एस. के तहत् छ: साल के उम्र तक के सभी बच्चों एवं सभी गर्भवती एवं नर्सिंग माताओं को शामिल किया जाना चाहिए। तत्पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को दिसम्बर 2008 तक प्रत्येक बसावट में आँगनबाड़ी केन्द्र को स्वीकृत एवं कार्यशील करने एवं प्राथमिकता के आधार पर आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों/बसावटों को चिह्नित करने का आदेश (दिसम्बर 2006) दिया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन के लिए भारत सरकार ने आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जनसंख्या प्रतिमानक को संशोधित (अप्रैल 2007) किया (400–800 की जनसंख्या के लिए एक आँगनबाड़ी केन्द्र एवं 150–400 की जनसंख्या के लिए एक मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र)। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को संशोधित जनसंख्या प्रतिमानक के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल बसावटों को चिह्नित करने हेतु सूक्ष्म स्तर पर सर्वेक्षण करने एवं 15 मई 2007 तक अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रेषित करने का निदेश दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय तथा भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में पाई गई कमियों को निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित किया गया है:

#### 2.1.7.2 आँगनबाड़ी केन्द्रों की कमी

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षण पूर्ण किए बिना ही समाज कल्याण विभाग ने भारत सरकार को 5,440 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं 5,440 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की अनुमानित आवश्यकता को सूचित किया था (अक्टूबर 2007)। भारत सरकार के निदेशानुसार, संशोधित जनसंख्या प्रतिमानक के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल बसावटों को चिह्नित करने के स्थान पर, समाज कल्याण विभाग ने बाद में विभिन्न मानदण्डों यथा—शून्य से छ: वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या (वर्ष 2011, जनगणना के अनुसार) तथा आँगनबाड़ी क्षेत्र के साथ संलग्न पंचायत वार्ड की सीमाओं के आधार पर, दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2013 के बीच तीन बार आँगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता को निर्धारित किया एवं भारत सरकार को अग्रसारित किया। हालांकि, वार्ड की सीमाओं पर आधारित नवीनतम संशोधित प्रस्ताव में शहरी परियोजना कार्यालयों की आवश्यकता को शामिल नहीं किया गया था।

तदनुसार, भारत सरकार ने राज्य के लिए, फरवरी 2009 में 5,440 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं 5,440 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा नवम्बर 2014 में 21,366 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं 1,675 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत किया। हालांकि, यह पाया गया कि नवम्बर 2014 में स्वीकृत कोई भी आँगनबाड़ी केन्द्र लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2016) तक कार्यशील नहीं था क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय बहुल आबादी वाले बसावटों को चिह्नित नहीं किया था, जो कि नये आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए एक पूर्व शर्त थी।

सूक्ष्म स्तर के सर्वेक्षण के अभाव में राज्य में अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण में विभाग विफल रहा।

इसके अतिरिक्त, समाज कल्याण विभाग द्वारा अपनाये गये मानदंड के अनुसार, बिहार के 503 ग्रामीण परियोजनाओं के 1,12,272 पंचायत वार्ड में केवल 84,098 ग्रामीण आँगनबाड़ी केन्द्र थे, परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के 28,174 (25 प्रतिशत) पंचायत वार्ड बिना आँगनबाड़ी केन्द्र के थे। अतः, सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षण के अभाव में राज्य में अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की वास्तविक आवश्यकताओं को आँकने में समाज कल्याण विभाग विफल रहा।

### 2.1.7.3 योग्य लाभार्थियों तक आई.सी.डी.एस. सेवाओं का नहीं पहुँचना

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार, समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला/परियोजना अधिकारियों को एक आँगनबाड़ी केन्द्र के तहत 80 बच्चों, 16 गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं एवं तीन किशोरियों के प्रचलित प्रतिमानक के बदले एक आँगनबाड़ी केन्द्र के सीमा-क्षेत्र के अन्तर्गत के सभी योग्य बच्चों (छ: माह से छ: वर्ष) एवं गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं तक आई.सी.डी.एस. सेवाओं को पहुँचाने का आदेश दिया (नवम्बर 2010)। विभाग ने आँगनबाड़ी केन्द्रवार सभी लाभार्थियों की सूची जमा करने का भी आदेश दिया जिससे आवश्यक निधि के आवंटन हेतु कार्रवाई की जा सके।

नमूना—जाँचित जिलों में संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि आँगनबाड़ी केन्द्रों ने आई.सी.डी.एस. सेवाओं को सभी योग्य लाभार्थियों तक नहीं पहुँचाया था एवं 80 बच्चों, 16 गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं एवं तीन किशोरियों के मानदंड को ही जारी रखा। सी.डी.पी.ओ. ने भी अतिरिक्त निधि के आवंटन हेतु निदेशालय को आँगनबाड़ी केन्द्रों के कुल योग्य लाभार्थियों की सूची नहीं प्रदान की।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, राज्य में इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं के लिए योग्य लाभार्थियों को तालिका सं.— 2.1.1 में दर्शाया गया है:

**तालिका सं.—2.1.1  
राज्य में इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों के ब्यौरे**

अवधि	बच्चे (छ: माह से छ: वर्ष)		गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताएं		किशोरियाँ		( संख्या लाख में )
	जनसंख्या	आच्छादन (प्रतिशतता)	जनसंख्या	आच्छादन (प्रतिशतता)	जनसंख्या	आच्छादन (प्रतिशतता)	
अनुपलब्ध							
2012-13	110.08	48.58 (44)	17.52	10.09 (58)	49.21	9.83 (20)	
2013-14	111.77	49.66 (44)	18.21	10.50 (58)	49.83	9.81 (20)	
2014-15	99.45	45.27 (46)	17.17	9.52 (55)	53.03	9.12 (17)	
2015-16	100.73	44.98 (45)	16.94	9.52 (56)	50.75	4.88 (10)	

(स्रोत: निदेशालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका सं.-2.1.1 से स्पष्ट था कि राज्य में वर्ष 2012–16 के दौरान आई.सी.डी.एस. के तहत् केवल 44 से 46 प्रतिशत योग्य बच्चे, 55 से 58 प्रतिशत योग्य गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 10 से 20 प्रतिशत किशोरियाँ ही शामिल थीं।

इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विभाग की विफलता के कारण योग्य आबादी का बड़ा हिस्सा इस योजना के लाभ से विचित रहा। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने (नवम्बर 2016) कम आच्छादन का कारण डी.पी.ओ. एवं सी.डी.पी.ओ. कार्यालयों में कर्मियों की कमी एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता को बतलाया।

#### 2.1.7.4 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों/बसावटों को चिह्नित नहीं किया जाना

आई.सी.डी.एस., निदेशालय के साथ-साथ नमूना-जाँचित डी.पी.ओ. के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि किसी भी आँगनबाड़ी केन्द्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति टोलों/बसावटों को चिह्नित नहीं किया गया था क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसावटों को चिह्नित करने हेतु सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षण नहीं किया। अतः, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के बावजूद भी इस योजना के तहत् सेवाओं के लिए समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता नहीं दी गई।

यह पूछे जाने पर, समाज कल्याण विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) एवं कहा कि:

- योजना के सर्वव्यापीकरण का कार्य प्रगति पर था; तथा
- लाभार्थियों के कम आच्छादन के विषय में सभी सी.डी.पी.ओ. को सभी योग्य लाभार्थियों को शामिल करने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि राज्य की सघन जनसंख्या एवं शामिल करने योग्य विस्तृत क्षेत्र के कारण सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षण नहीं किया जा सका।

हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल आबादी को चिह्नित करने में समाज कल्याण विभाग की विफलता के कारण नवम्बर 2014 में स्वीकृत 21,366 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं 1,675 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों को कार्यशील नहीं किए जाने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया था।

#### अनुशंसाएँ

समाज कल्याण विभाग को चाहिए कि:

- प्रत्येक बसावट में आँगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता को निर्धारित करने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पूरी तरह पालन करें;
- समाज के कमज़ोर तबके के बसावटों को चिह्नित करें; एवं
- आई.सी.डी.एस. योजना के सर्वव्यापीकरण की दिशा में कार्य करें।

#### 2.1.8 योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस के कार्यान्वयन से संबंधित जारी निदेशों में परिकल्पना की गई थी कि इस योजना के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु स्थानीय रूप से प्रासंगिक रणनीतियों पर आधारित योजना आवश्यक है। समाज कल्याण विभाग ने आई.सी.डी.एस. के माध्यम से राज्य की आवश्यकताओं

को पूरा करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (ए.पी.आई.पी.) तैयार किया। हालांकि, योजना में निम्नलिखित कमियां पाई गईः

### 2.1.8.1 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में कमी

सर्वेक्षण, कार्यान्वयन तंत्र में विद्यमान अंतराल के आँकनें हेतु मूलभूत आवश्यकता है। आई.सी.डी.एस. योजना प्रक्रिया में आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा लाभार्थियों का सर्वेक्षण शामिल है। समाज कल्याण विभाग के निदेशानुसार, आँगनबाड़ी सेविकाओं को विहित प्रपत्र में अपने सीमा-क्षेत्र के अन्तर्गत योग्य लाभार्थियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए। तैयार सूची को महिला पर्यवेक्षिकाओं (20 प्रतिशत इन्द्राज) तथा सी.डी.पी.ओ. (तीन प्रतिशत इन्द्राज) द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए एवं उसके बाद संबंधित पंचायत द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

नमूना—जाँचित 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि योग्य लाभार्थियों के परिवारों के सर्वेक्षण हेतु समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र सेविकाओं द्वारा समुचित रूप से नहीं भरा गया था यथा उम्र, जन्मतिथि, क्षेत्र में आगमन एवं बहिर्गमन तिथि, विकलांगता का प्रकार इत्यादि विभिन्न कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे। अपर्याप्त सर्वेक्षण के लिए सेविकाओं को प्रशिक्षण का अभाव को जिम्मेवार बताया गया। इसके अतिरिक्त, महिला पर्यवेक्षिकाओं तथा सी.डी.पी.ओ. द्वारा क्रमशः 525 तथा 560 आँगनबाड़ी केन्द्रों में योग्य लाभार्थियों से संबंधित इन्द्राज को सत्यापित नहीं किया था। इसके अलावे, आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा तैयार सूची को अनुमोदनार्थ संबंधित पंचायत को अनुमोदन हेतु समर्पित नहीं किया गया था।

पूछे जाने पर, समाज कल्याण विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि लाभार्थियों का चयन गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों (बी.पी.एल.) की सूची से तैयार की जा रही थी। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने भी आँगनबाड़ी सेविकाओं में प्रशिक्षण के अभाव को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा कि आँगनबाड़ी सेविकाएँ बोझ तले दबी थीं और आश्वस्त किया कि आँगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जायेगा।

अतः, समाज कल्याण द्वारा अप्रशिक्षित आँगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से कराया गया सर्वेक्षण अपूर्ण था तथा जो राज्य में लाभार्थियों की पूर्ण एवं वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

### 2.1.8.2 परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार नहीं किया जाना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार, राज्यों द्वारा पूरे मिशन अवधि के लिए एक योजना (अर्थात् परिप्रेक्ष्य योजना) के साथ-साथ वार्षिक योजना (अर्थात् वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना या ए.पी.आई.पी.) तैयार किया जाना अपेक्षित था, जो संसाधन उपलब्धता तथा प्राथमिकता निर्धारण पर आधारित होती। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विभाग को आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु चार वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने का निदेश दिया (दिसम्बर 2012)।

यह पाया गया कि राज्य द्वारा पूरे मिशन अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना के साथ-साथ आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु चार वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किया गया था। हालांकि, समाज कल्याण विभाग ने राज्य की आवश्यकताओं के लिए वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार किया था।

समाज कल्याण विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2016) और कहा कि आनेवाले चार वर्षों के लिए परिप्रेक्ष्य योजना का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

समुचित प्रशिक्षण के अभाव में सेविकाओं द्वारा किया गया सर्वेक्षण अपर्याप्त था एवं लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता था।

समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधनों तथा उनकी प्राथमिकता के आधार पर उपयोग को सुनिश्चित करते हुए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किया गया।

परिप्रेक्ष्य योजना के अभाव में, समाज कल्याण विभाग संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं प्राथमिकता निर्धारण में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु परिप्रेक्ष्य योजना के अभाव, वर्षों में लाभार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के समरूप आधारभूत संरचनाओं यथा भवन, उपकरण इत्यादि की आवश्यकता को आँका नहीं जा सका।

### 2.1.8.3 वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार करना


विकेन्द्रीकृत योजना पद्धति से जिसके अन्तर्गत जिला एवं प्रखंड के कर्मचारी तथा लाईन विभागों के अन्य प्रमुख हितधारकों विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल एवं स्वच्छता एवं पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) से परामर्श कर संबंधित योजनाबद्ध क्रिया-कलापों को इन विभागों के सहयोग से वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं को तैयार करना है। विभिन्न स्तरों पर, योजना दलों का गठन, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के स्पष्ट सीमांकन के साथ किया जाना था। आगे, ए.पी.आई.पी. की तैयारी की प्रक्रिया का प्रारम्भ अक्टूबर माह से किया जाना चाहिए था जिससे कि भारत सरकार को प्रारूप ए.पी.आई.पी. दिसम्बर के अंत तक उपलब्ध कराया जा सके।

हालांकि यह पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान ए.पी.आई.पी. तैयार की गई जिसमें निम्नलिखित कमियाँ थीं:

- हालांकि, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए वार्षिक सर्वेक्षण किया गया था लेकिन ए.पी.आई.पी. को तैयार किए जाने में उनके आँकड़ों का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि सर्वेक्षण अपर्याप्त था एवं जिलों/परियोजना द्वारा भी ए.पी.आई.पी. बनाई नहीं गई थी। इस प्रकार, जिला एवं प्रखंड कर्मियों से जानकारी प्राप्त किए बिना राज्य द्वारा स्वयं ही योजनाएँ तैयार की गई। आगे, वर्ष 2015–16 के ए.पी.आई.पी. में, लाभार्थियों की संख्या (1.51 करोड़) का प्रस्ताव जो कि जनसंख्या अनुमान पर आधारित थी, को भारत सरकार ने अधिक मानते हुए निरस्त कर दिया और इसे बढ़ा-चढ़ा हुआ बताया। बाद में, 88.96 लाख लाभार्थियों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी पाया गया कि वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 के ए.पी.आई.पी. में स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या यथावत् थी।
- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वेक्षण और आँकड़ों का संग्रहण अधूरा किया गया था जिससे कुपोषित बच्चों/विद्यालय पूर्व शिक्षा से बाहर के बच्चों, एनीमिया के मामलों इत्यादि से संबंधित आँकड़े समाज कल्याण विभाग के पास किसी भी स्तर पर नहीं था। अतः, किसी भी ए.पी.आई.पी. में कार्यक्रम कार्यान्वयन की खामियाँ यथा अल्ववजनी बच्चों/कुपोषित बच्चों की व्यापकता, विद्यालय पूर्व शिक्षा के बाहर के बच्चों की संख्या एवं एनीमिया के मामलों का आकलन नहीं किया गया था।
- किसी भी नमूना-जाँचित जिले में ए.पी.आई.पी. तैयार करने हेतु योजना दल तथा अन्य लाईन विभागों के प्रमुख कार्यक्रम कर्मियों को सन्निहित कर कोर दल का गठन नहीं किया गया था। अतः उनके इनपुट के अभाव में, किसी भी वर्ष संरचनात्मक सुविधाओं जैसे भवन, पेयजल सुविधाओं, प्रसाधनों, रसोईघरों इत्यादि की कमी को दूर करने हेतु योजना में समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया था।
- राज्य स्तर पर योजना समिति के गठन में विलंब के कारण किसी भी वर्ष योजना को समय पर भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित नहीं किया गया था। वर्ष 2011–16 के दौरान योजनाओं को भेजने में 50 से 282 दिनों का विलम्ब हुआ जैसा कि चार्ट सं.-2.1.3 में दर्शाया गया है:

## चार्ट सं.-2.1.3

ए.पी.आई.पी को भेजने में विलम्ब (दिनों में)



(स्रोतः आई.सी.डी.एस., निदेशालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना को भेजने में विलम्ब के फलस्वरूप कार्यक्रम में तेजी लाने के ए.पी.आई.पी. के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

- वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में कार्यशील ऑगनबाड़ी केन्द्रों के आँकड़े तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थे क्योंकि वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 के वार्षिक योजनाओं में कुल स्वीकृत 91,677 ऑगनबाड़ी केन्द्रों (अक्टूबर 2014 तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत) को कार्यशील दर्शाया गया था जबकि, मात्र 86,752 ऑगनबाड़ी केन्द्र ही मार्च 2016 तक कार्यशील थे।

जवाब में, समाज कल्याण विभाग ने लेखापरीक्षा मतंव्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि चालू वर्ष के ए.पी.आई.पी. को भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप तैयार किया गया है। बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा बतलाया गया (नवम्बर 2016) कि राज्य स्तर पर रिक्तियों के कारण, योजना समिति समय पर गठित नहीं की जा सकी।

योजना प्रक्रिया में उपर वर्णित कमियों के फलस्वरूप राज्य में आई.सी.डी.एस. के लिए अवास्तविक, तथ्यात्मक रूप से गलत एवं अपूर्ण योजनाएँ तैयार हुईं।

**अनुशंसा**

लाभार्थियों की पहचान हेतु आई.सी.डी.एस. के निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए एवं संसाधनों की उपलब्धता का इष्टतम उपयोग एवं लाभार्थियों की विनिर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुकूल योजना तैयार किया जाना चाहिए।


**2.1.9 वित्तीय प्रबंधन**

समेकित बाल विकास सेवाएँ एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच निधियों का अनुपात पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए 50 : 50, स्थापना हेतु सामान्य अवयव के लिए 90 : 10 (वर्ष 2015–16 में संशोधित कर 60 : 40 कर दिया गया) एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं नवीकरण के लिए 75 : 25 है। भारत सरकार के निदेशानुसार, राज्य को प्रत्येक तिमाही के बाद वाले महीने की 15वीं


तारीख तक त्रैमासिक व्यय विवरण (एस.ओ.ई.) एवं पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक वार्षिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र के माध्यम से वास्तविक व्यय की जानकारी दी जानी चाहिए थी।

वर्ष 2011–16 के दौरान भारत सरकार/बिहार सरकार के द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम एवं सामान्य अवयव में आवंटन एवं उसके विरुद्ध किए गए व्यय की विवरणी चार्ट सं.-2.1.4 एवं 2.1.5 में दी गई हैं:

**चार्ट सं.-2.1.4**  
वर्ष 2011–16 की अवधि में पूरक पोषण कार्यक्रम के मद में आवंटन एवं व्यय



**चार्ट सं.-2.1.5**  
सामान्य अवयव मद में वर्ष 2011–16 के दौरान आवंटन एवं व्यय अवधि



(स्रोत: आई.सी.डी.एस. निदेशालय का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन)

चार्ट सं.-2.1.4 एवं 2.1.5 से, यह स्पष्ट था कि वर्ष 2011–16 के दौरान दोनों अवयवों के लिए विमुक्त राशि किसी भी वर्ष पूर्ण रूप से व्यय नहीं की जा सकी। केन्द्रांश की राशि पूरक पोषण कार्यक्रम में बजट प्रावधान से 31 प्रतिशत कम और सामान्य अवयव विमुक्त किया।

में 14 प्रतिशत कम विमुक्त की गई थी। समाज कल्याण विभाग द्वारा निधि कम विमुक्त किए जाने का मुख्य कारण भारत सरकार से केन्द्रांश मद में कम निधि का प्राप्त होना था। भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त किए जाने का मुख्य कारण अव्ययित शेष, व्यय विवरणी एवं ए.पी.आई.पी. को देरी से प्रेषित किया जाना था। विमुक्त निधि से कम व्यय किए जाने का मुख्य कारण समाज कल्याण विभाग एवं आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निधि का देरी से विमुक्त (अर्थात् निधि को वर्ष के अंत में विमुक्त) किया जाना था। आगे, नमूना-जाँचित जिलों में वर्ष 2011–16 के दौरान सामान्य निधि में 12 प्रतिशत एवं पूरक पोषण कार्यक्रम निधि में 13 प्रतिशत अव्ययित रही (परिशिष्ट-2.1.1)। योजना के वित्तीय प्रबंधन में पायी गई कमियों का वर्णन नीचे किया गया है:

#### **2.1.9.1 बैंक खाते में सरकारी राशि का संचयन**

बिहार कोषागार संहिता 2011, वित्त विभाग की सहमति के बिना कोई भी बैंक खाते खोलना तथा माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदान के व्यपगत होने से रोकने के लिए सरकारी राशि का आहरण एवं बैंक खाता में उनका संचयन निषिद्ध करता है।

हालांकि, यह पाया गया कि निदेशालय कार्यालय में वित्त विभाग की सहमति के बिना 13 खाते संचालित थे, जबकि नमूना-जाँचित इकाइयों में दो से आठ खाते संचालित थे जिनमें 31 मार्च 2016 को आई.सी.डी.एस. योजना से संबंधित ₹133.60 करोड़ की भारी सरकारी राशि उपलब्ध थी। इस राशि में, ₹18.71 लाख शामिल था जो नमूना-जाँचित जिलों में संचालित 37 खातों में से वैसे आठ खातों में रखे गए थे जो एक से आठ वर्षों तक निष्क्रिय था।

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, ने बहिर्गमन सम्मेलन (नवम्बर 2016) में इन कमियों के लिए पेशेवर लेखा अधिकारियों के अभाव को बताते हुए आश्वस्त किया कि निकट भविष्य में इसे न्यूनतम किया जाएगा। हालांकि, वित्त विभाग की सहमति के बिना बैंक खाते खोलने से संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया।

#### **2.1.9.2 व्यय विवरणी को गलत प्रतिवेदित किया जाना**

आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा भारत सरकार को वर्ष 2012–13 के दौरान सामान्य अवयव के लिए ₹540.10 करोड़ का व्यय विवरणी भेजा गया था। अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि इस राशि में से ₹14.50 करोड़ बैंक में अव्यवहृत पड़े थे परन्तु इसे व्यय प्रतिवेदित किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन में, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा बतलाया गया (नवम्बर 2016) कि लेखा पदाधिकारियों जैसे पेशेवरों के अभाव में ऐसी गलतियाँ हुईं।

#### **2.1.9.3 निधियों की कम प्राप्ति**

यह पाया गया कि पूरक पोषण कार्यक्रम अवयव में वर्ष 2011–14 के दौरान ₹20.04 करोड़ से ₹54.55 करोड़ के बीच और सामान्य अवयव में वर्ष 2012–13 और वर्ष 2014–15 में क्रमशः ₹59.22 करोड़ एवं ₹80.41 करोड़ के अधिक बचत के कारण आगे के वर्षों में भारत सरकार ने अपने अंश में कटौती कर दिया (परिशिष्ट-2.1.2)। इसके अतिरिक्त, सामान्य अवयव में वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2015–16 के तृतीय तिमाहियों में अव्यवहृत शेष के कारण संबंधित वर्षों की चतुर्थ तिमाहियों में भारत सरकार ने अपना अंश विमुक्त नहीं किया।

#### 2.1.9.4 रोकड़—बही का अनियमित संधारण

रोकड़—बही का संधारण पूर्व के अंतशेष को बिना अग्रेसित किये हुए किया गया और बैंक के साथ समाशोधन नहीं किया गया था।

चार नमूना—जाँचित कार्यालयों<sup>6</sup> में संधारित रोकड़—बही की संवीक्षा में पाया गया कि विभिन्न अवसरों पर रोकड़—बही में पूर्व के असमायोजित अग्रिम सहित अंतशेष को नजरअंदाज करते हुए बैंक में उपलब्ध राशि को प्रारंभिक शेष के रूप में लेते हुए रोकड़—बही को फिर से प्रारंभ किया गया था। इन मामलों में, ₹7.56 करोड़ के पूर्व अंतशेष की अनदेखी की गयी और यह राशि नए प्रारंभिक शेष का भाग नहीं रहा। व्यौरे निम्नवत् थे:

- आई.सी.डी.एस. निदेशालय के रोकड़—बही में 9 मार्च 2014 को ₹46.60 करोड़ की (पुराने मद के रूप में दर्शायी गयी) राशि अंतशेष का एक हिस्सा थी। तदुपरान्त रोकड़—बही की प्रविष्टियों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि जनवरी 2015 में पुराने मद में केवल ₹40.40 करोड़ दिखलाया गया था जबकि शेष ₹6.20 करोड़ का कोई समायोजन नहीं किया गया था।
- 10 जून 2013 को ₹16.60 लाख की राशि निविदा शुल्क के रूप में प्राप्त हुई जो 9 मार्च 2014 तक अंतशेष के रूप में रोकड़—बही का हिस्सा था। तत्पश्चात्, 21/1/2015 तक रोकड़—बही में अंतशेष का विवरण तैयार नहीं किया गया एवं 22/1/2015 से बिना किसी कारण के ₹16.60 लाख की राशि रोकड़—बही से बाहर हो गयी।
- इसी प्रकार, नमूना—जाँचित पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) एवं हरनौत (नालंदा) परियोजनाओं में बिना किसी कारण के प्रारंभिक शेष को क्रमशः ₹85.32 लाख (30/9/2011) एवं ₹22.79 लाख (11/3/2014) कम कर दिया गया।
- नमूना—जाँचित रामगढ़ परियोजना में 2/9/2011 को रोकड़—बही और बैंक विवरणी के शेष में ₹10.85 लाख का अंतर पाया गया जो 8/1/2015 तक बरकरार रहा। बाद में बिना किसी कारण को दर्शाते हुए ₹10.85 लाख के अंतर को छोड़ दिया गया और 9/1/2015 से बैंक विवरणी के आधार पर रोकड़—बही प्रारंभ कर दिया गया।

उपरोक्त गंभीर अनियमितताएँ नियंत्री अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण में कमी को दर्शाती हैं।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने रोकड़—बही की विसंगतियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ये विसंगतियाँ बैंक से समाशोधन नहीं करने और लेखाओं के संधारण में पेशेवर रूख नहीं अपनाए जाने के कारण हुई। आगे, निदेशक, आई.सी.डी.एस. द्वारा बतलाया गया (दिसंबर 2016) कि क्रमिक रूप से ₹6.20 करोड़ की राशि व्यय होने के कारण पुराने मद की राशि घटकर ₹40.40 करोड़ हो गयी तथा निविदा शुल्क की राशि को बाद में 22 जनवरी 2015 से पुराने मद में शामिल कर लिया गया था।

निदेशक, आई.सी.डी.एस. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रोकड़—बही में ऐसी किसी भी राशि को शामिल नहीं किया गया था एवं लेखापरीक्षा को समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

#### अनुशंसा

भारत सरकार से निधि की कम विमुक्ति एवं अव्ययित शेष से बचने हेतु विभाग को निधि का ससमय आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। रोकड़—बही का समुचित संधारण

<sup>6</sup> आई.सी.डी.एस. निदेशालय, सी.डी.पी.ओ.—रामगढ़, सी.डी.पी.ओ.—हरनौत, सी.डी.पी.ओ.—पकड़ीदयाल

होना चाहिए एवं रोकड़–बही में पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए।

### 2.1.10 आधारभूत सुविधाएँ

आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रतिमानकों (मार्च 2011) के अनुसार, आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों/महिलाओं के बैठने के लिए अलग कमरा, पृथक रसोईघर, खाद्य सामग्रियों के लिए भंडारगृह, बच्चों के अनुकूल शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए जगह (इनडोर और आउटडोर गतिविधियों) एवं सुरक्षित पेयजल सुविधा निश्चित रूप से होना चाहिए।

निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि राज्य के कुल 86,752 कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों (84,098 ग्रामीण आँगनबाड़ी केन्द्र एवं 2,654 शहरी आँगनबाड़ी केन्द्र) में से केवल 24,515 आँगनबाड़ी केन्द्र (28 प्रतिशत) सरकारी भवन में अवस्थित थे जबकि शेष 62,237 आँगनबाड़ी केन्द्र या तो किरायें के भवनों में थे या अन्य जगह जैसे पंचायत सामुदायिक भवन या खुले जगहों इत्यादि पर संचालित थे।




(उचकागाँव, गोपालगंज में बगीचे में चलता हुआ आँगनबाड़ी केन्द्र)

आगे, नमूना–जाँचित 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि किसी भी आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों एवं महिलाओं के बैठने के लिए पृथक कमरा नहीं था।

नमूना–जाँचित 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों में अन्य आवश्यक सुविधाएँ यथा रसोईगृह, शौचालय, पेयजल, बच्चों के खेलने के लिए जगह की उपलब्धता को चार्ट सं.– 2.1.6 में दिखलाया गया है:

**चार्ट सं.-2.1.6**  
नमूना-जाँचित 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

नमूना-जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास आधारभूत संरचनाओं जैसे कि रसोईघर, शौचालय, पेयजल, इनडोर एवं आउटडोर गतिविधियों के लिए जगह इत्यादि की कमी थी।



(स्रोत:- आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदत्त सूचना)

यह पाया गया कि 585 नमूना-जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों में से केवल तीन केन्द्रों में उपरोक्त सभी सुविधाएँ उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त, खाना बनाने एवं परोसने के लिए 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से क्रमशः 450 एवं 327 आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास बर्तन पर्याप्त नहीं थे। आँगनबाड़ी केन्द्रों के आधारभूत संरचना में पाई गई कमियों के कारण को निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

#### 2.1.10.1 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में विलंब

भारत सरकार ने 2,915 आँगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 2013–14 में ₹49.19 करोड़ (प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए ₹4.50 लाख) एवं 4,405 आँगनबाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के लिए वर्ष 2013–15 में ₹18.39 करोड़ (प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए ₹1.00 लाख) विमुक्त किया। निर्माण कार्य मनरेगा योजना के सहयोग से किया जाना था और निर्माण/उन्नयन की निधि का उपयोग, उसकी विमुक्ति के छः माह के भीतर कर लिया जाना था।

यह पाया गया कि बजट प्रावधान करने के लिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण और उन्नयन के लिए बजट शीर्ष वर्ष 2014–15 तक नहीं बनाया गया था और इसलिए विमुक्त निधि को कोषागार से आहरित नहीं किया जा सका। बाद में, वर्ष 2015–16 में बजट शीर्ष को अंतिम रूप देने के बाद आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं उन्नयन हेतु भारत सरकार के अंश के रूप में ₹64.41 करोड़ और बिहार सरकार के अंश के रूप में ₹30.40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। इसी दौरान, भारत सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए मार्गदर्शिका को अधिसूचित (अगस्त 2015) किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण के लिए मनरेगा निधि से ₹5.00 लाख और समाज कल्याण विभाग से ₹2.00 लाख आहरित किया जाना था। तदनुसार, निदेशालय ने मार्च 2016 में 2,915 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए ₹58.30 करोड़ और 3,066 आँगनबाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के लिए ₹25.47 करोड़ जिलों को विमुक्त किया। हालांकि, नवम्बर 2016 तक विमुक्त निधि का उपयोग जिलों के द्वारा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, नवम्बर 2016 तक जिलों द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्तावित निर्माण एवं उन्नयन कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

समाज कल्याण विभाग ने अंतिम रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) कि बजट शीर्ष को बनाने में विफलता के कारण निदेशालय को निधि की विमुक्ति में विलंब हुआ।

### 2.1.10.2 आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपकरण की उपलब्धता

योजना के फ्रेमवर्क के मुताबिक, प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में, बच्चे/व्यस्क, सामान्य या कुपोषित, को निर्धारित करने के लिए एक तौल मशीन निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पानी उबालने हेतु बर्टन एवं वाटर फिल्टर को अधिप्राप्ति करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2014)। यह पाया गया कि निदेशक, आई.सी.डी.एस. ने उपरोक्त उपकरणों के क्रय हेतु बाल कुपोषण मुक्त बिहार कैपेन<sup>7</sup> के तहत डी.एफ.आई.डी.<sup>8</sup> की निधि से आँगनबाड़ी केन्द्रों को ₹51.86 करोड़ प्रदान किया (जुलाई 2014–जुलाई 2015) जिसे तालिका सं.–2.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका सं.–2.1.2

आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों के नाम एवं दर

क्र. सं.	उपकरण का नाम	दर/प्रति इकाई (₹)	आँगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई निधि
1	वयस्क तौल मशीन	703	82,793 आँगनबाड़ी केन्द्रों को ₹21.86 करोड़
2	बच्चा तौल मशीन	807	
3	सॉल्टर तौल मशीन	880	
4	इंच टेप	50	
5	वृद्धि अनुश्रवण चार्ट	200	
6	वाटर फिल्टर	1,500	
7	पानी उबालने हेतु बर्टन	1,000	
8	ईधन	1,125	

(स्रोत: आई.सी.डी.एस., निदेशालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

निदेशक, आई.सी.डी.एस. ने आँगनबाड़ी केन्द्रों को अनुज्ञितिधारी विक्रेता से तौल मशीन एवं आई.एस.आई. या आई.एस.–7402 प्रमाणक वाटर फिल्टर क्रय करने का निदेश दिया (नवम्बर तथा दिसंबर 2014)। तदनुसार, निदेशालय ने आँगनबाड़ी केन्द्रों के बैंक खातों में ₹46.89 करोड़ तथा सी.डी.पी.ओ. के बैंक खातों में ₹4.97 करोड़ स्थानान्तरित किया (जुलाई 2015)।

अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि उपरोक्त उपकरणों की अधिप्राप्ति में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः

#### निविदा प्रक्रिया के बिना क्रय

आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा निजी रूप से क्रय किये जाने के कारण, अधिप्राप्ति के लिए न तो निविदा प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया गया और न ही कोई कोटेशन आमंत्रित किया गया। अतः, थोक क्रय का लाभ, जिससे लागत में कमी लाई जा सकती थी, प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों से बिना गारंटी/वारंटी उपबंध तथा वार्षिक रख–रखाब अनुबंध को सुनिश्चित किये बिना उपकरणों का क्रय किया गया।

<sup>7</sup> मानव विकास में पोषण के महत्व को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने अगस्त 15, 2014 को उच्च स्तर के बाल कुपोषण के निराकरण एवं तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए वर्ष 2017 तक इसे 30 प्रतिशत के नीचे लाने हेतु बाल कुपोषण मुक्त बिहार या चाईल्ड मालन्यूट्रिशन फ्री बिहार को औपचारिक रूप से प्रारम्भ किया।

<sup>8</sup> डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलॉपमेंट, ब्रिटिश सरकार।

### अपेक्षित विशिष्टिकरण को सुनिश्चित किये बिना क्रय

एक सौ पंचानवें आँगनबाड़ी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि तौल मशीनें विहार सरकार के माप एवं तौल विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं थीं। इसी प्रकार, वाटर फिल्टर आई.एस.आई./आई.एस.-7402 प्रमाणित नहीं थे। यहाँ तक की अभिश्रव पर उपकरणों का ब्रांड का नाम दर्ज नहीं था।

### उबला हुआ एवं फिल्टर पानी लाभार्थियों को देना सुनिश्चित नहीं किया जाना

बाल कुपोषण मुक्त बिहार के अंतर्गत बच्चों को उबला हुआ एवं फिल्टर पानी उपलब्ध कराने हेतु सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों को वाटर फिल्टर एवं स्टील कंटेनर की लागत के साथ केवल तीन माह के ईंधन के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, यह पाया गया कि ईंधन की निधि के अभाव में लाभार्थियों को उबला हुआ पानी उपलब्ध नहीं कराया गया।

इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 91 वाटर फिल्टर, 64 वयस्क तौल मशीनें एवं 49 बच्चा तौल मशीनें खराब थीं। अतः, गारंटी/वारंटी उपबन्ध/वार्षिक रख—रखाव अनुबन्ध के बिना क्रय करने के कारण आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपकरण खराब पड़े हुए थे।

समाज कल्याण विभाग ने जवाब में कहा (नवम्बर 2016) कि सभी संबंधित उपकरणों का विशिष्टिकरण अनुमोदित था एवं मानक स्तर के उपकरण के क्रय हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे। हालांकि जवाब लेखापरीक्षा के इस कथन पर मौन था कि उपकरण का क्रय गुणवत्ता एवं विशिष्टिकरण को ध्यान में रखे बिना किया गया था।

अतः, विभाग राज्य में न तो पर्याप्त आँगनबाड़ी केन्द्र उपलब्ध करा सका और न ही निर्मित आँगनबाड़ी केन्द्रों में निर्धारित सुविधा/उपकरण उपलब्ध करा सका।

### 2.1.10.3 संयुक्त भौतिक सत्यापन एवं लाभार्थी सर्वेक्षण


आई.सी.डी.एस. के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने 10 चयनित जिलों के नमूना—जाँचित 39 आई.सी.डी.एस. परियोजना कार्यालयों की पर्यवेक्षिकाओं/आँगनबाड़ी सेविकाओं के साथ 195 आँगनबाड़ी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया।

भौतिक सत्यापन के दौरान, 25 आँगनबाड़ी केन्द्र बंद पाये गये एवं शेष 170 में से 22 आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चे उपस्थित नहीं थे।

भौतिक सत्यापन के दौरान 170 आँगनबाड़ी केन्द्रों में पाये गये शौचालय, बच्चा तौल मशीन, वयस्क तौल मशीन, वाटर फिल्टर एवं टेक होम राशन (टी.एच.आर.) तौल मशीन की स्थिति चार्ट सं.—2.1.7 में दर्शायी गई है:

चार्ट सं.—2.1.7

आधारभूत संरचना एवं उपकरण की उपलब्धता



इसके अतिरिक्त, पीने के पानी की सुविधा केवल 26 औंगनबाड़ी केन्द्रों में ही उपलब्ध थी एवं बच्चों का वृद्धि चार्ट केवल सात औंगनबाड़ी केन्द्रों में संघारित था। बिना उचित संरचना के संचालित दो औंगनबाड़ी केन्द्रों का फोटोग्राफ नीचे दिया गया है:



शौचालय रसोइंघर पानी की सुविधा के बिना शौचालय रसोइंघर पानी की सुविधा के बिना अस्थाई झोपड़ी में संचालित औंगनबाड़ी अस्थाई झोपड़ी में संचालित औंगनबाड़ी केन्द्र (पूर्वी घंपारण में हरसिंहि प्रखंड)




भाथर अस्थाई नालन्दा के मिनी औंगनबाड़ी केन्द्र मियावीघा, हिलसा, नालन्दा के औंगनबाड़ी केन्द्र में खराब वाटर फिल्टर में खराब तौल मशीन

जवाब में, समाज कल्याण विभाग ने आश्वासन दिया (नवम्बर 2016) कि भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों की छानबीन की जायेगी तथा सुधारात्मक एवं दंडात्मक उपाय किया जाएगा।

#### 2.1.10.4 लाभार्थी सर्वेक्षण का परिणाम

इसी प्रकार, लेखापरीक्षा दल ने 195 लाभुकों/अभिभावकों (प्रत्येक परियोजना कार्यालय से बेतरतीव ढँग से चयनित पाँच) से उनकी जागरूकता एवं औंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा उन्हें/उनमें आश्रितों को दी जाने वाली सेवाओं के प्रभाव को जानने के लिए बातचीत की तथा उनके द्वारा दिये गये प्रतिक्रिया को लिखित में दर्ज किया गया। सभी सर्वेक्षित लाभार्थी आई.सी.डी.एस. की सेवाओं के बारे में अनभिज्ञ थे। लाभार्थियों द्वारा प्रश्नों के दिये गये प्रतिक्रिया को चार्ट सं-2.1.8 में दर्शाया गया है:

**चार्ट सं.-2.1.8**  
लाभार्थी सर्वेक्षण का निष्कर्ष



लाभार्थी भी प्रतिक्रिया



चार्ट सं.-2.1.8 से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक लाभार्थी आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सेवाओं से असंतुष्ट थे।

जवाब, में विभाग ने लाभार्थी सर्वेक्षण की प्रशंसा करते हुए कहा कि कर्मियों की कमी एक गंभीर समस्या है एवं नियुक्ति के लिए बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है।

### अनुशंसा

प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र को भवन के साथ-साथ मूलभूत सुविधा तथा आवश्यक उपकरण, बर्तन इत्यादि सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि लाभार्थियों को इस योजना का अभीष्ट लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

### 2.1.11 योजना के अन्तर्गत सेवाओं का कार्यान्वयन

आई.सी.डी.एस. का उद्देश्य छ: वर्ष तक के बच्चों, स्तनपान कराने वाली/गर्भवती महिलाओं इत्यादि को पूरक पोषण कार्यक्रम, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य-जाँच, रेफरल सेवाओं, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा एवं पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा जैसी छ: सेवाओं के पैकेज के माध्यम से पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना था। बिहार में शून्य से छ: आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या करीब 191 लाख है जो राज्य की कुल आबादी का 18.3 प्रतिशत है (जनगणना-2011)। ये बच्चे राज्य के भावी मानव संसाधन हैं।

इन छ: सेवाओं के कार्यान्वयन में कमियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

#### 2.1.11.1 पूरक पोषण कार्यक्रम

पूरक पोषण कार्यक्रम आई.सी.डी.एस. का एक प्रमुख अवयव है क्योंकि आँगनबाड़ी केन्द्र, जो इस योजना की कार्यान्वयन इकाई हैं, के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए यह प्रवेश द्वार है। प्रतिमानक के अनुसार, पूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को एक माह में 25 दिन पका हुआ भोजन (तीन से छ: वर्ष आयु वर्ग के बच्चे एवं किशोरियों को) एवं टेक होम राशन (छ: माह से तीन वर्ष आयु वर्ग के बच्चे एवं गर्भवती/नर्सिंग माताओं को) उपलब्ध कराना था। प्रति लाभार्थी भोज्य पदार्थों

की लागत (अनाज के लिए बी.पी.एल. दर), परिवहन, भोजन तैयार करने, सूक्ष्म पोषण सुदृढ़ीकरण, क्रियाविधि एवं भंडारण लागत पर आधारित है। पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अनाज को, गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) के तहत उपलब्ध कराया जाता था। पूरक पोषण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कमियों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

### लक्षित दिनों तक भोजन उपलब्ध कराने में विफलता

प्रतिमानक के अनुसार, पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को एक माह में 25 दिन (अर्थात् एक वर्ष में 300 दिन) पकाया हुआ भोजन (तीन से छः वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं किशोरियों को) एवं टेक होम राशन (छः माह से तीन वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती/नर्सिंग माताओं को) उपलब्ध कराना था।

नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2015–16 में किसी भी आँगनबाड़ी केन्द्र ने 300 दिन पूरक पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया। नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों में वर्ष 2011–16 के दौरान पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत आहार उपलब्ध कराने की स्थिति को तालिका सं.—2.1.3 में दर्शाया गया है:

### तालिका सं.—2.1.3

#### नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान पूरक पोषण कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध कराये गये पूरक आहार का विवरण

वर्ष	नमूना—जाँचित कार्यरत आँगनबाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या	पूरक पोषाहार 100 दिनों से कम उपलब्ध कराया गया	पूरक पोषाहार 101 से 150 दिनों तक उपलब्ध कराया गया	पूरक पोषाहार 151 से 200 दिनों तक उपलब्ध कराया गया	पूरक पोषाहार 201 से 250 दिनों तक उपलब्ध कराया गया	पूरक पोषाहार 251 से 300 दिनों तक उपलब्ध कराया गया
2011-12	525	0	13	37	226	249 (43)
2012-13	527	0	0	35	208	284 (54)
2013-14	530	12	0	17	201	300 (57)
2014-15	537	3	15	59	183	277 (52)
2015-16	581	31	29	182	260	79 (14)

(स्रोत: नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका सं.—2.1.3 से स्पष्ट था कि वर्ष 2015–16 के दौरान 250 दिनों से अधिक तक पूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत आहार केवल 14 प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्रों में ही उपलब्ध कराया गया जबकि शेष वर्षों में इसे 43 से 57 प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराया गया था। आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान दो नमूना जाँचित जिलों (कटिहार एवं बक्सर) के किसी भी आँगनबाड़ी केन्द्र में किसी भी वर्ष 300 दिनों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आहार उपलब्ध नहीं कराया गया था।

पूछे जाने पर, समाज कल्याण विभाग ने टिप्पणियों को स्वीकारते हुए जवाब दिया (नवम्बर 2016) कि कभी—कभी विलम्ब से आवंटन की प्राप्ति और तत्पश्चात् कोषागार एवं बैंक से आवंटित राशि को निकालने में विलंब के कारण पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आहार प्रभावित हुआ।

### पूरक आहार प्रदान करने के लिए अल्पवजनी/कुपोषित बच्चों की पहचान

पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए पोषण एवं खिलाने के संशोधित प्रतिमानक (फरवरी 2009) के अनुसार, टी.एच.आर. के रूप में राज्य के छः माह से तीन वर्ष आयु वर्ग के अति अल्प वजनी बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में माइक्रो न्यूट्रीयेन्ट फोर्टीफायड आहार/या अधिक उर्जा वाले आहार के रूप में 800 कैलोरी उर्जा एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन वाला पूरक आहार प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, टी.एच.आर. के रूप में तीन से छः वर्ष आयु वर्ग के अति अल्पवजनी वाले बच्चों को माइक्रो न्यूट्रीयेन्ट फोर्टीफायड आहार और या अधिक उर्जा वाला आहार के रूप में 300 कैलोरी उर्जा और 8–10 ग्राम प्रोटीन (500 कैलोरी उर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन के अतिरिक्त) प्रदान किया जाना चाहिए।

कुपोषण समकालीन भारत के स्थायी पहेलियों में से एक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर वर्ष 2013–14 में किये गये रैपिड सर्वे औन चाइल्ड (आर.एस.ओ.सी.) नामक एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में यह देखा गया कि अल्पवजनी एवं छोटे कद (अर्थात् उम्र के अनुसार कद का न होना) के बच्चों का अनुपात क्रमशः 29 प्रतिशत एवं 39 प्रतिशत था। बिहार में स्थिति बदतर है क्योंकि अल्पवजनी एवं छोटे कद के बच्चों का अनुपात क्रमशः 37 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत था। (स्रोत: महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में किये गये सर्वेक्षण)

नमूना—जाँचित जिलों में यह पाया गया कि आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा प्रशिक्षण के अभाव एवं आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा अपर्याप्त आँकड़ा संग्रहण के कारण तीन से छः वर्ष के आयु के बच्चे को न तो चिह्नित किया गया और न ही इन्हें पूरक आहार के रूप में अतिरिक्त कैलोरी एवं प्रोटीन दिया गया। आगे यह पाया गया कि निदेशालय ने प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में छः माह से तीन वर्ष के 12 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त कैलोरी उपलब्ध कराने के लिए निधि विमुक्त किया था। तदनुसार, आँगनबाड़ी केन्द्रों ने उन्हें टी.एच.आर. उपलब्ध कराया। हालांकि, आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास कोई भी अभिलेख यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं था कि लाभुक बच्चे वास्तविक रूप में कुपोषित थे।

समाज कल्याण विभाग ने कुपोषित बच्चों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी का जवाब देने के बदले पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत खिलाने के मानक को दुहराया (नवम्बर 2016) कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त कैलोरी एवं प्रोटीन प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि कुपोषित बच्चों की पहचान एवं शामिल करने हेतु अनुदेश जारी किए जायेंगे एवं इसके लिए आँगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।



पूर्णियाँ जिला के बैसी प्रखड़ के आँगनबाड़ी केन्द्रों के कुपोषित बच्चे (आँगनबाड़ी केन्द्र, पुन्डालया उत्तर भाग संख्या-28 और आँगनबाड़ी केन्द्र बजरडीह संख्या-30)

## खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता को बनाये रखना

भारत सरकार के आदेश (फरवरी 2009) के अनुसार, खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफ.एन.बी.) के सहयोग से राज्य को खाद्य सुरक्षा के प्रतिमानक के साथ–साथ पूरक पोषक अवयव के सदर्भ में पूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पोषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आहार की सतत् गुणवत्ता एवं पोषण मूल्य को सुनिश्चित करने हेतु पूरक पोषण को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं समेकित खाद्य कानून में विहित मानक के साथ मेल खाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विहित मानकों का पालन किया गया है एवं पूरक पोषण में गुणवत्ता एवं पोषण मूल्य सन्तुष्टि है, एफ.एन.बी. को राज्य के सहयोग से सावधिक जाँच करना चाहिए। गर्म पके भोजन के मामले में, पर्याप्त स्वच्छता के साथ समुचित रसोईघर एवं शुद्ध पीने के पानी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राज्य में पूरक पोषाहार के गुणवत्ता जाँच हेतु कोई भी तंत्र नहीं था।

ऐसा पाया गया कि विहित मानकों का पालन एवं पूरक पोषण में गुणवत्ता एवं पोषण मूल्य सन्तुष्टि होना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग द्वारा एफ.एन.बी. के सहयोग से कोई जाँच नहीं किया गया। इसके अलावा, स्वच्छता एवं सुरक्षा से समझौता किया गया क्योंकि 86,752 कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों में से केवल 34 प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास ही रसोईघर एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने स्वीकार किया (नवम्बर 2016) कि राज्य में पूरक पोषाहार की गुणवत्ता जाँच के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं था। आगे यह कहा गया कि पोषण सलाहकारों की माँग राज्य सरकार से की गई है जिन्हें अभी तक उपलब्ध कराया जाना बाकी है। अतः, यह स्पष्ट था कि आँगनबाड़ी केन्द्रों में बिना गुणवत्ता एवं पोषण मूल्य को सुनिश्चित किए ही पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा था।

### गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम

डब्ल्यू.बी.एन.पी. का कार्यान्वयन सभी परियोजना कार्यालयों में नहीं हो पाया था। जिसके फलस्वरूप, खाद्यान्न की खरीद खुले बाजार से उच्च दर पर की जा रही थी।

भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण प्रदान करने हेतु गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) के अंतर्गत खाद्यान्न जैसे कि गेहूँ चावल मोटे अनाज यथा बाजरा, ज्वार, मक्का एवं रागी बी.पी.एल. दर पर उपलब्ध कराया जाता है। डब्ल्यू.बी.एन.पी. का उद्देश्य पूरक पोषण के अधिप्राप्ति मूल्य को कम करना एवं लाभुकों के लिए अच्छी गुणवत्ता का सुबह का नाश्ता तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। समाज कल्याण विभाग ने डब्ल्यू.बी.एन.पी. के कार्यान्वयन को 18 परियोजना कार्यालयों में वर्ष 2011–12 की चतुर्थ तिमाही से शुरू किया (सितम्बर 2011) एवं बाद में (नवम्बर 2012) राज्य के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों को इस योजना में शामिल किया। हालांकि, अभी राज्य के 544 परियोजना कार्यालयों में से केवल 197 में ही डब्ल्यू.बी.एन.पी. योजना का कार्यान्वयन हो रहा था। इस कार्यक्रम के तहत् निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थीं:

- खाद्यान्नों का कम उपयोग:** डब्ल्यू.बी.एन.पी. के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग को वर्ष 2011–16 के दौरान भारत सरकार से 4,55,231 मैट्रिक टन चावल तथा 4,752 मैट्रिक टन गेहूँ की प्राप्ति हुई। इसमें से, निदेशालय द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों को केवल 2,88,974 मैट्रिक टन चावल एवं 579 मैट्रिक टन गेहूँ पुनर्अवंटित किया जा सका। हालांकि, केवल 1,70,874 मैट्रिक टन चावल तथा 456 मैट्रिक टन गेहूँ का ही उपयोग हो सका। अतः, वर्ष 2011–16 के दौरान ₹162.44 करोड़ मूल्य के 2,84,357 मैट्रिक टन चावल एवं 4296 मैट्रिक टन गेहूँ (अर्थात् आवंटन का क्रमशः 63 एवं 90 प्रतिशत) का उठाव नहीं किया गया (**परिशास्त 2.1.3**) तथा भारत सरकार को प्रत्यर्पित मान लिया गया। यह भी पाया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों से

ज्यादा के लिए माँग करने के कारण तथा बाद में कम आँगनबाड़ी केन्द्रों को खाद्यान्न का पुनर्आवंटन करने के फलस्वरूप आवंटित खाद्यान्न अनुपयोगित रह गया।

- **परिहार्य व्यय:** डब्ल्यू.बी.एन.पी. को नमूना—जाँचित सात जिलों<sup>9</sup> में लागू नहीं किया गया था। फलस्वरूप, खाद्यान्न (अर्थात् चावल) खुले बाजार से उच्च दर पर क्रय किए गए। यह पाया गया कि इन नमूना—जाँचित जिलों के आँगनबाड़ी केन्द्रों ने 1,58,490 मैट्रिक टन चावल की खरीद खुले बाजार से की, जिसके कारण ₹182.28 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (परिशिष्ट-2.1.4)।

पूछे जाने पर, समाज कल्याण विभाग ने स्वीकार किया (नवम्बर 2016) कि समय पर खाद्यान्न की अनुपलब्धता एवं निधि की कमी जैसी खामियों के साथ डब्ल्यू.बी.एन.पी. 197 परियोजना कार्यालयों में चल रहा था। आगे, यह भी बताया गया कि राज्य खाद्य निगम (एस.एफ.सी.) द्वारा समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में विफलता के कारण खाद्यान्न की खरीद खुले बाजार से की गयी। समाज कल्याण विभाग का खुले बाजार से क्रय से संबंधित जवाब तथ्यों के अनुकूल नहीं था क्योंकि उन जिलों में जहाँ खरीद की गयी थी वे डब्ल्यू.बी.एन.पी. के अंतर्गत शामिल नहीं थे। इसके अतिरिक्त, समाज कल्याण विभाग ने इस कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू करने हेतु कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं किया था।

#### पौष्टिक मिश्रित आहार

संशोधित पोषक एवं आहार प्रतिमानक (2009) में विहित भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, रूचिकर टी.एच.आर. इस तरह लाभुकों (बच्चा, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताओं इत्यादि) को दिया जाना चाहिए एवं इसे ऐसे भोजन के रूप में देखा जाना चाहिए जो केवल उनके खाने के लिए बना हो न कि पूरे परिवार के लिए। बाद में, समाज कल्याण विभाग ने पौष्टिक आहार का वितरण 44 परियोजना कार्यालयों में शुरू करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2012)।

हालांकि, तीन परियोजनाओं में प्रायोगिक तौर पर पौष्टिक मिश्रित आहार को उपलब्ध करवाने हेतु एक एन.जी.ओ. से जुलाई 2015 में एकरारनामा किया गया। इसमें से केवल दो परियोजनाओं में एन.जी.ओ. द्वारा पौष्टिक आहार का वितरण (दिसम्बर 2015) शुरू किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने कहा कि अभी तक लाभुकों को पौष्टिक मिश्रित आहार स्वीकार्य नहीं कराया जा सका है, हालांकि इसे और अधिक स्वीकार्य एवं स्वादिष्ट बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

अतः, समाज कल्याण विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण, राज्य के 544 परियोजनाओं में से 542 परियोजनाओं में अभी तक पौष्टिक मिश्रित आहार का वितरण सुनिश्चित किया जाना बाकी था।

#### अनुशंसार्थ

##### समाज कल्याण विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आहार को लक्षित दिनों तक उपलब्ध कराया जाए;
- पूरक आहार उपलब्ध करवाने हेतु कुपोषित/अल्पवजनी बच्चों को चिह्नित किया जाए;

<sup>9</sup>

पूर्वी चम्पारण, किशनगंज, गोपालगंज, बक्सर, नालन्दा, पश्चिम चम्पारण एवं सहरसा

- डब्ल्यू.बी.एन.पी. को पूरे राज्य में कार्यन्वयन किया जाए जिससे पूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जा सके; तथा
- पौष्टिक मिश्रित आहार के वितरण में शामिल एजेंसियों को पूरे राज्य में इसके कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावित किया जाये।

### 2.1.11.2 प्रतिरक्षण

आई.सी.डी.एस. दिशानिर्देशानुसार, छ: वर्ष से नीचे के बच्चों को पोलियो, डिथीरिया, कुकुरखांसी, टेटनस, क्षय रोग एवं खसरा जैसे रोगों से बचाने के लिए प्रतिरक्षित किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से गर्भवती महिलाओं को भी मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए टेटनस के विरुद्ध प्रतिरक्षित किया जाना है। इस हेतु, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.) से उचित समन्वय स्थापित किया जाना था।

यह पाया गया कि आई.सी.डी.एस. में किसी भी स्तर पर प्रतिरक्षण से संबंधित ऑकड़े को संधारित नहीं किया जा रहा था। हालांकि, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रेन (वर्ष 2013–14) के ऑकड़ों के अनुसार 12 महीने से 23 महीने के उम्र समूह के 12 प्रतिशत बच्चे का कोई भी टीकाकरण नहीं हो पाया था जबकि पूरे भारत में यह सात प्रतिशत था। इसके अलावा, राज्य में डिथीरिया, कुकुरखांसी एवं टेटनस (डी.पी.टी.) के टीकाकरण में डी.पी.टी.–2 से डी.पी.टी.–3 में नौ प्रतिशत की कमी तथा ओरल पोलियो टीका (ओ.पी.भी.) के टीकाकरण में ओ.पी.भी.–2 से ओ.पी.भी.–3 में 10 प्रतिशत की कमी थी। चूंकि आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा ऑकड़े संधारित नहीं किये गये थे, अतः टीकाकरण से वंचितों की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

बहिगर्भन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने इस कमी हेतु आँगनबाड़ी सेविकाओं में प्रशिक्षण की कमी, अपर्याप्त शिक्षा एवं काम के बोझ को जिम्मेवार ठहराया (नवम्बर 2016)।

अतः, राज्य में सभी बच्चों के टीकाकरण से संबंधित सूचना आई.सी.डी.एस. के अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

### अनुशंसा

सार्वभौमिक प्रतिरक्षण की प्राप्ति एवं टीकाकरण में छूटे हुए बच्चों को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिरक्षण से संबंधित ऑकड़े प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों पर अच्छी तरह से संधारित की जानी चाहिए।

### 2.1.11.3 स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ

स्वास्थ्य जाँच के अन्तर्गत गर्भवती माताओं के प्रसवपूर्व देखभाल, नर्सिंग माताओं एवं नवजात बच्चों की प्रसव उपरान्त देखभाल एवं छ: वर्ष तक के बच्चों, विशेष रूप से जन्मजात दोष वाले अथवा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की देखभाल शामिल है। स्वास्थ्य जाँच घटक के अन्तर्गत, हर आँगनबाड़ी केन्द्र को जच्चा-बच्चा

मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) एवं शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) को देश में स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली की युणिक्ता के माप के रूप में उपयोग किया जाता है। एम.एम.आर. निर्दिष्ट समयावधि के दौरान मातृ मृत्यु एवं उसी अवधि में प्रति 1,00,000 जीवित जन्म का अनुपात है। गर्भवस्था या प्रसव होने के 42 घंटे के अन्दर महिला की मृत्यु हो जाने को मातृ मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति 1000 जीवित जन्म के अनुपात में एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या आई.एम.आर. के रूप में परिभाषित किया जाता है। मातृ मृत्यु का मुख्य कारण यथोचित चिकित्सा देख-रेख का अभाव और अपर्याप्त पोषण है, जबकि आई.एम.आर. का मुख्य कारण जन्म के समय कम वजन एवं कृपोषण है। भारत के महानिबंधक के नमूना पंजीकरण प्रणाली के पास उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार, विहार आई.एम.आर. एवं एम.एम.आर. के राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं।

ऑकड़ों की तुलना	आई.एम.आर. (वर्ष 2014) प्रति हजार	एम.एम.आर. (वर्ष 2010–12) प्रति लाख
विहार	42	219
भारत	39	178

(स्रोत: — नमूना पंजीकरण प्रणाली, भारत के महानिबंधक)

संरक्षण कार्ड, छ: वर्ष तक के बच्चों का विकास चार्ट जैसी सेवा प्रदान करने से संबंधित बुनियादी अभिलेख संधारित करना था। आँगनबाड़ी सेविकाओं को अतिकुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित नर्सिंग माताओं को इलाज के लिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में रेफर भी करना था। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र को प्रतिवर्ष प्रथमोपचार उपकरण एवं दवाओं सहित सामान्य बीमारियाँ जैसे, बुखार, सर्दी, खाँसी, कीटाणु प्रकोप इत्यादि को नियन्त्रित करने के लिए मूलभूत दवाओं तथा एक दवाई—किट उपलब्ध कराया जाना था। आई.सी.डी.एस. के स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाओं के अन्तर्गत पाई गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित है:

आँगनबाड़ी केन्द्रों ने प्रसवपूर्व/ प्रसवोत्तर कार्ड जैसे मूल अभिलेखों को संधारित नहीं किया था अतः स्वास्थ्य जाँच के तहत उपलब्धियों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- नमूना जाँचित 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 428 में सेवा प्रदान करने संबंधी बुनियादी अभिलेख जैसे जच्चा—बच्चा कार्ड संधारित नहीं किया गया था, जबकि 519 आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों का वृद्धि चार्ट संधारित नहीं था।
- अल्पवजनी बच्चों, गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं में खून की कमी को चिह्नित करने के लिए बिहार में आई.एम.आर. तथा एम.एम.आर. को कम करने हेतु कोई मानदंड उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- पाँच सौ पच्चासी आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 562 में, अतिकुपोषित बच्चे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में इलाज हेतु रेफर नहीं किए गए थे। हालांकि, इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा कुपोषित बच्चों से संबंधित कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।
- बिहार सरकार ने वर्ष 2011–16 के दौरान दवाई—किट हेतु नमूना—जाँचित नौ जिलों (कटिहार को छोड़कर) को ₹1.36 करोड़ प्रदान किया। इसमें से, ₹1.03 करोड़ (76 प्रतिशत) सात जिलों<sup>10</sup> में व्यपगत/प्रत्यर्पित कर दिया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि दवाई—किट की उपलब्धता एवं उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। आगे यह भी अश्वासन दिया गया कि आँगनबाड़ी सेविकाओं को कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उन्हें रेफरल प्रणाली से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।

#### अनुशंसाएँ

समाज कल्याण विभाग को चाहिए कि:

- अल्पवजनी बच्चों, गर्भवती/स्तनपान करानेवाली माताओं में एनीमिया के मामलों की पहचान बिहार में आई.एम.आर. एवं एम.एम.आर. के कमी के लिए मानदंड का निर्धारण करें;
- प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र को प्रति वर्ष दवाई—किट प्रदान किया जाए; तथा
- अति कुपोषित बच्चों/गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं की पहचान करते हुए नजदीक के चिकित्सा केन्द्र/पोषण पुनर्वास केन्द्र रेफर किया जाए।

#### 2.1.11.4 विद्यालय पूर्व शिक्षा

विद्यालय पूर्व शिक्षा आई.सी.डी.एस. का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और इसे कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है। विद्यालय पूर्व शिक्षा का उद्देश्य आनंदपूर्ण खेल विधि के माध्यम से सतत क्रियाकलाप प्रदान करना है जो बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के

<sup>10</sup> बक्सर, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, किशनगंज, कैमूर, नालन्दा, पूर्णियाँ

लिए तैयार करने में सहायता करता हो। जैसा कि आई.सी.डी.एस. मार्गदर्शिका में परिकल्पना की गई है, विद्यालय पूर्व शिक्षा छः साल तक के बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है।

नमूना-जाँचित 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों में, वर्ष 2015–16 के दौरान तीन साल से छः साल के 55,842 उपलब्ध बच्चों में से केवल 22,640 (40 प्रतिशत) बच्चों का नामांकन विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए किया गया था। आनंदपूर्ण खेल विधि के रूप में लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास एक विद्यालय पूर्व शिक्षा किट, जिसमें कठपुतलियाँ/गुड़िया, मुलायम खिलौने, नाट्यपूर्ण खेल हेतु शीशे एवं रंगमंच सामग्री, बनाने वाले ब्लॉक, मोटी एवं धागा, मेमोरी गेम इत्यादि होना चाहिए। प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र को प्रत्येक वर्ष विद्यालय पूर्व शिक्षा किट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आई.सी.डी.एस. निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र को केवल एक ही बार विद्यालय पूर्व शिक्षा किट उपलब्ध कराया गया था। विद्यालय पूर्व शिक्षा किट की आपूर्ति का आदेश मार्च 2011 में दिया गया जिसके विरुद्ध आपूर्ति मार्च 2016 तक जारी थी। हालांकि, नमूना-जाँचित 585 आँगनबाड़ी केन्द्रों में किसी भी केन्द्र के पास विद्यालय पूर्व शिक्षा किट उपलब्ध नहीं था।

जवाब, में समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2016) कि पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट ज्यूरीडिक्शन केस (सी.डब्ल्यू.जे.सी.) के कारण, वर्ष 2011 में शुरू किये गये अधिप्राप्ति प्रक्रिया को वर्ष 2014 में पुनः आरंभ किया गया।

इस प्रकार, विद्यालय पूर्व शिक्षा के अंतर्गत अपर्याप्त नामांकन, छात्रों के नियमित विद्यालय में नामांकन की तैयारी हेतु आवश्यक विद्यालय पूर्व शिक्षा किट की कमी के कारण विद्यालय पूर्व शिक्षा का कार्यान्वयन असंतोषजनक रहा।

### अनुशंसारें

**समाज कल्याण विभाग को चाहिए कि:**

- विद्यालय पूर्व शिक्षा के लक्षित आयुवर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि हेतु कदम उठाया जाए; तथा
- लक्षित बच्चों को नियमित विद्यालय हेतु तैयार करने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों को और अधिक विद्यालय पूर्व शिक्षा किट उपलब्ध कराया जाए।

### 2.1.11.5 पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

पोषण स्वास्थ्य एवं शिक्षा, आई.सी.डी.एस. का एक मुख्य घटक है और इसका दीर्घकालीन लक्ष्य महिलाओं, मुख्यतः 15 से 45 वर्ष के आयु समूह की महिलाओं, का क्षमता संवर्धन करना है जिससे वे अपने साथ-साथ अपने परिवार एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास की जरूरतों की देखभाल कर सकें। इस घटक के तहत पायी गयी कमियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गयी है:

#### ग्राम पोषण परामर्श एवं बाल देखभाल सत्र

आई.सी.डी.एस. फ्रेमवर्क चार से पाँच आँगनबाड़ी केन्द्रों के समूह में बाल देखभाल, खान-पान एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा अल्पपोषित बच्चों के त्वरित पुनर्वास सुनिश्चित करने, परिवारों को पुनर्वास सतत करने में सक्षम बनाने तथा समुदाय में भावी अल्प पोषण को रोकने के लिए ग्राम पोषण परामर्श एवं बाल देखभाल सत्र (स्नेह शिविर) का आयोजन अनुबंधित करता है। यह शुरूआत आवश्यकता आधारित है और जहां पूरक पोषण कार्यक्रम के प्रावधानों से अतिरिक्त निधियों को लिया जा सकता है।

संवीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013–14 (₹8.92 करोड़) एवं वर्ष 2014–15 (₹2.23 करोड़) के ए.पी.आई.पी. में निधि की स्थीकृति के बावजूद राज्य द्वारा इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई और नमूना–जाँचित जिलों में स्नेह–शिविर का आयोजन नहीं किया गया था।

पूछे जाने पर, समाज कल्याण विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि शिविरों का आयोजन निधि की उपलब्धता के अनुरूप था। विभाग का जवाब अवलोकित तथ्यों के विपरीत था।

#### प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख एवं शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियाँ

प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख एवं शिक्षा कार्यक्रम (ई.सी.सी.ई.) के अंतर्गत गतिविधियाँ आई.सी.डी.एस. फ्रेमवर्क यह उपबंधित करता है कि विस्तृत रूप से बच्चों के देखभाल की जरूरत, पोषण, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ति तथा माता–पिता को परामर्श देने की आवश्यकता को संबोधित करते हुए बच्चों के सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करे तथा उनकी देखभाल एवं शिक्षा के अविभाज्य प्रकृति को प्रतिबिंबित करे। ई.सी.सी.ई के अन्तर्गत, राज्य ई.सी.सी.ई. परिषद् का गठन किया जाना था एवं उसके बाद परिषद् द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना था। इसके अलावा, बच्चों की उनके उम्र के आधार पर देखभाल एवं विकास करने के लिए समुदाय एवं माता–पिता को शिक्षित करने हेतु महीने में एक दिन ई.सी.सी.ई. दिवस आयोजित करनी थी।

किसी भी नमूना–जाँचित जिले में ई.सी.सी.ई. की गतिविधियाँ शुरू नहीं की जा सकी थी।

यह पाया गया कि ई.सी.सी.ई. दिवस के आयोजन हेतु वर्ष 2013–15 के ए.पी.आई.पी. में एवं ई.सी.सी.ई. के गतिविधियों हेतु वर्ष 2015–16 के ए.पी.आई.पी. में भारत सरकार के द्वारा बजट अनुमोदित किया गया था। बिहार ई.सी.सी.ई. परिषद् एवं इसकी कार्यकारिणी समिति का गठन भी क्रमशः मई एवं जुलाई 2015 में किया गया था। हालांकि, फिर भी बच्चों के पूर्व देखभाल हेतु पाठ्यक्रम को परिषद् के द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था क्योंकि पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए प्रायोगिक अध्ययन के निष्कर्ष को परिषद् के समक्ष आजतक (अक्टूबर 2016) प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके आगे, किसी भी नमूना–जाँचित जिलों में भी ई.सी.सी.ई. दिवस आयोजित नहीं की गई थी।

जवाब में समाज कल्याण विभाग ने बतलाया (नवम्बर 2016) कि ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतु राज्य ई.सी.सी.ई. परिषद् के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। आगे, यह भी कहा गया कि वर्ष 2013–15 के ए.पी.आई.पी. के अनुमोदित बजट की देर से विमुक्ति तथा डी.पी.ओ., सी.डी.पी.ओ., महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं ऑगनबाड़ी सेविकाओं के लिए ई.सी.सी.ई. पर प्रशिक्षण आयोजित करने में विफलता के कारण पाठ्यक्रम को अब भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

इस प्रकार, आई.सी.डी.एस. के इस घटक के विहित लक्ष्य को राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका।

#### अनुशंसा

राज्य के द्वारा तुरंत स्नेह–शिविर का आयोजन शुरू किया जाना चाहिए तथा स्वास्थ्य देखभाल के लिए माता–पिता एवं समुदाय को शिक्षित करने हेतु ई.सी.सी.ई. गतिविधियों को शुरू करना चाहिए।

#### 2.1.12 प्रशिक्षण

आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि सेवाओं के प्रदान करने के स्तर में सुधार लाकर अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की दक्षता पर कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति निर्भर करती है। आई.सी.डी.एस. के तहत् पूरे राज्य में

जन सहयोग एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.), मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों (एम.एल.टी.सी.) और आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (ए.डब्ल्यू.टी.सी.) के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत सरकार ने राज्य की आवश्यकता के अनुसार आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं तथा पर्यवेक्षिकाओं को प्रशिक्षण देने हेतु तीन मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं 144 आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्वीकृति दी थी।

यह पाया गया कि पूरे राज्य में मार्च 2016 तक स्वीकृत 144 आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों एवं तीन मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के विरुद्ध 66 आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत थे जबकि राज्य में एन.आई.पी.सी.डी. को अब तक संचालित किया जाना बाकी था।

### **जॉब प्रशिक्षण**

प्रत्येक कर्मी को आरंभिक आबंध/नियुक्ति के समय जॉब प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि मार्च 2011 तक में राज्य में 167 सी.डी.पी.ओ. बिना किसी प्रकार के जॉब प्रशिक्षण प्राप्त किए कार्यरत थीं। आगे, मार्च 2016 तक भी सी.डी.पी.ओ. को जॉब प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। यह भी ज्ञात हुआ कि मार्च 2016 तक 1,194 पर्यवेक्षिकाएँ एवं 15,064 आँगनबाड़ी सेविकाएँ अप्रशिक्षित थीं (*परिशिष्ट 2.1.5*)।

### **रिफ्रेसर प्रशिक्षण**

प्रत्येक आई.सी.डी.एस. कर्मी को दो वर्षों में एक बार रिफ्रेसर प्रशिक्षण दिया जाना था। इस प्रकार, कार्यरत कर्मियों में से आधे कर्मियों को प्रत्येक वर्ष यह प्रशिक्षण दिया जाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह उद्घाटित गया कि किसी भी पर्यवेक्षिका को वर्ष 2012–15 के दौरान रिफ्रेसर प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2015–16 के दौरान क्रमशः 17 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत कार्यरत बल को रिफ्रेसर प्रशिक्षण दिया गया था। आगे, 18 से 30 प्रतिशत आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं 15 से 24 प्रतिशत आँगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया था (*परिशिष्ट 2.1.5*)।

### **इंडक्शन प्रशिक्षण**

प्रत्येक कर्मी को आरंभिक आबंध/नियुक्ति के समय इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाना था। संवीक्षा में यह उद्घाटित गया कि वर्ष 2011–12 में 1,695 पर्यवेक्षिकाओं, वर्ष 2011–16 के दौरान 23,676 आँगनबाड़ी सेविकाओं तथा वर्ष 2013–16 के दौरान 2,775 आँगनबाड़ी सहायिकाओं का चयन किया गया था। हालांकि, अग्रिम पंक्ति के किसी भी कर्मी को इंडक्शन प्रशिक्षण वर्ष 2011–16 के दौरान नहीं दिया गया था (*परिशिष्ट 2.1.5*)।

#### **2.1.12.1 आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र**

आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए होते हैं। भारत सरकार ने अप्रैल 2009 में प्रति वर्ष 348 प्रशिक्षण दिवस का प्रतिमानक निर्धारित किया जिसे वर्ष 2014–15 में घटाकर 300 दिन कर दिया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2011–16 के दौरान आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों में भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिमानक से काफी कम प्रशिक्षण दिया गया था और नमूना–जाँचित जिलों में किसी भी आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा 300 दिनों तक भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और एक वर्ष में यह कमी 289 दिनों तक रही थी (*परिशिष्ट 2.1.6*)। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रत्येक जिला में प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण नहीं हुआ था। प्रशिक्षणार्थियों को अन्य जिले में प्रशिक्षण

हेतु नामित किये जाने के कारण, प्रशिक्षण स्लॉट खाली रह गये थे क्योंकि प्रशिक्षणार्थी सुदूर औंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र पर भाग लेने के इच्छुक नहीं थे।

जवाब में, समाज कल्याण विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि भारत सरकार द्वारा राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना (एस.टी.आर.ए.पी.) को देरी से स्वीकृत किया जाना रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्ति में कमी के लिए जिम्मेवार था। आगे यह भी कहा गया कि औंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को कम संख्या में चुने जाने के कारण, योजनानुसार जॉब/ओरिएंटेशन कोर्स आयोजित नहीं किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चयनित 15,064 औंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को अभी भी प्रशिक्षण दिया जाना बाकी था (मार्च 2016)। विभाग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय कर्मियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि के बिना, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

### 2.1.12.2 मानवबल प्रबंधन

राज्य में सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण आई.सी.डी.एस. सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित एवं योग्य कर्मियों की पूरी संख्या में उपलब्धता एक पूर्व शर्त है।

यह पाया गया कि विभिन्न संवर्गों में राज्य में पाँच से 24 प्रतिशत एवं नमूना—जाँचित जिलों में सात से 30 प्रतिशत रिक्तियाँ थीं (**परिशिष्ट 2.1.7**)। आगे, समाज कल्याण विभाग ने 180 औंगनबाड़ी केन्द्रों से ज्यादा वाले परियोजना कार्यालयों में स्वीकृत अतिरिक्त सी.डी.पी.ओ. की संख्या को 68 से बढ़ाकर 328 करने का निर्णय लिया (वर्ष 2014–15 के ए.पी.आई.पी. में)। यह भी पाया गया कि पूर्व स्वीकृत अतिरिक्त सी.डी.पी.ओ. के 68 पदों को भी अभी तक (मार्च 2016) नहीं भरा जा सका था। अतः भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 की ए.पी.आई.पी. को स्वीकृत करने के दौरान, विद्यमान रिक्तियों को तीन माह के भीतर भरे जाने हेतु दिए गए अनुदेश (दिसम्बर 2015) के बावजूद रिक्तियाँ अभी भी थीं।

जवाब में, समाज कल्याण विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि सभी स्तरों पर रिक्तियों को भरने हेतु प्रयास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

इस प्रकार, सेवाओं को प्रदान करने के लिए मानव बल की तैनाती एवं प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं थे।

### अनुशंसा

**रिक्त पदों को भरने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।**

### 2.1.13 बैंचमार्क तय नहीं किया गया

आई.सी.डी.एस. के कार्यान्वयन हेतु व्यापक फ्रेमवर्क में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक उपलब्धियों के कुछ प्रमुख संकेतक निर्धारित किए गए। प्रमुख संकेतकों में अन्य बातों के साथ, अल्पवजन प्रसार में कमी (वर्तमान स्थिति से 10 प्रतिशत) शिशु एवं युवा बच्चे को खिलाने में बेहतरी (75 प्रतिशत बच्चों को छः महीने के लिए केवल स्तनपान), एनीमिया में कमी (पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के मामले में 20 प्रतिशत), स्वास्थ्य के माध्यम से आई.एम.आर. एवं एम.एम.आर. में कमी एवं जन्मजात अल्पवजनी बच्चों के मामलों में कमी (दस प्रतिशत) शामिल थे।

यह पाया गया कि विभिन्न ए.पी.आई.पी. में राज्य द्वारा निर्दिष्ट संकेतकों को प्राप्त करने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अलावा अल्पवजनी बच्चों की कुल संख्या, वैसे बच्चे जो जन्म से छः माह तक केवल स्तनपान कर रहे थे एवं बच्चों/गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के मामले से संबंधित वर्तमान स्थिति की जानकारी आई.सी.डी.एस. निदेशालय/जिलों के अभिलेखों में दर्ज नहीं थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि ए.पी.आई.पी. में वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण किया गया था और इस प्रयोजन की उपलब्धि निधि की उपलब्धता पर आधारित थी। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि किसी भी ए.पी.आई.पी. में वार्षिक लक्ष्य का उल्लेख नहीं था।

### अनुशंसा

**ए.पी.आई.पी.** में वार्षिक बैंचमार्क निर्धारण किया जाना चाहिए था और योजना के फ्रेमवर्क के अनुसार बारहवीं योजना तक के प्रमुख संकेतकों को पूरा करने के लिए आवश्यक गतिविधियों की शुरुआत की जानी चाहिए।

#### 2.1.14 राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्था का अभाव

योजना के फ्रेमवर्क के अनुसार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य आई.सी.डी.एस. मिशन बच्चों के विकास एवं पोषण व्यवस्था, नीतिगत मामलों पर विचार इत्यादि की देख-रेख के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य मिशन संचालन समूह (एस.एम.एस.जी.) राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में निर्देश देने, नीतिगत मामले एवं मार्गदर्शन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य समर्थ कार्यक्रम समिति (एस.ई.पी.सी.) राज्य में आई.सी.डी.एस. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं योजना हेतु शीर्ष तकनीकी निकाय होगा। आई.सी.डी.एस. मिशन के तहत कार्य, मिशन निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य बाल विकास सोसायटी (एस.सी.डी.एस.) के माध्यम से किया जाएगा। एस.सी.डी.एस. में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शासी निकाय एवं विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति होनी चाहिए।

यह पाया गया कि राज्य स्तर पर न तो आई.सी.डी.एस. मिशन और न ही एस.एम.एस. जी./एस.ई.पी.सी. गठित किया गया था। बिहार समेकित बाल विकास सोसायटी (बी.आई.सी.डी.एस.) दिसम्बर 2015 में गठित की गई लेकिन शासी निकाय का गठन अभी तक नहीं हुआ था।

अतः, सोसायटी सौंपे गये उत्तरदायित्व, जैसे ए.पी.आई.पी. का अनुसोदन/आई.सी.डी.एस. मिशन के लिए दीर्घकालिक रोडमैप, ए.पी.आई.पी. के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं बच्चों से संबंधित परिणामों की उपलब्धि इत्यादि को पूरा नहीं कर सका।

#### 2.1.14.1 अनुश्रवण एवं समीक्षा

आई.सी.डी.एस. मिशन फ्रेमवर्क केन्द्र स्तर से आँगनबाड़ी स्तर तक पाँच स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा तंत्र उपबंधित है। राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति (एस.एल.एम.आर.सी.) के द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा। समिति को योजना की समग्र प्रगति का अनुश्रवण एवं समीक्षा करना था। इसी प्रकार, आई.सी.डी.एस. को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति (डी.एल.एम.आर.सी.), अनुमंडलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय निगरानी समिति (बी.एल.एम.सी.) एवं सदस्य ग्राम पंचायत/वार्ड (महिला सदस्य को तरजीह) की अध्यक्षता में आँगनबाड़ी स्तर निगरानी एवं सहायता समिति (ए.एल.एम.एस.सी.) के द्वारा अनुश्रवण करना था।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के माध्यम से भी अनुश्रवण करना था जिसमें आँगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मुख्य संकेतकों मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम.पी.आर.) अपलोड किया जाना था। इसके अलावा, आँगनबाड़ी केन्द्रों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई.सी.डी.एस. के पदाधिकारियों (राज्य सचिव से लेकर पर्यवेक्षिका तक) के नियमित निरीक्षण के माध्यम से निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना था।

यह पाया गया कि यद्यपि राज्य स्तर पर एस.एल.एम.आर.सी. का गठन किया गया था (दिसम्बर 2015) लेकिन इसकी बैठक अबतक आयोजित नहीं की गई थी।

नमूना—जाँचित जिलों में से दो जिलों (सहरसा एवं पूर्वी चम्पारण) में डी.एल.एम.आर.सी. का गठन किया गया था, लेकिन दोनों जिलों में केवल दो बैठकें (अप्रैल 2013 तक) आयोजित की गई थीं। इसके अलावे, किसी भी नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्र में ए.एल.एम.एस.सी. का गठन नहीं किया गया था। अनुश्रवण की कमी ने आँगनबाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों को प्रभावित किया था क्योंकि 195 आँगनबाड़ी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान 25 आँगनबाड़ी केन्द्र बंद पाए गए तथा 22 आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चे उपस्थित नहीं थे।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2012–16 के दौरान, एम.आई.एस. में आँकड़े अपलोड करने वाले आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या एवं कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में भिन्नता थी। आँगनबाड़ी केन्द्रों के गलत प्रतिवेदन के कारण, निदेशालय के पास प्रमुख संकेतकों की संबंधित वास्तविक प्रगति की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

#### 2.1.14.2 समेकित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (आई.पी.एम.एस.)

पर्यवेक्षी पदाधिकारियों के द्वारा आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं अन्य आई.सी.डी.एस. कर्मियों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए समेकित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (आई.पी.एम.एस.) का विचार वर्ष 2014–15 के ए.पी.आई.पी. में प्रतिपादित किया गया। आई.पी.एम.एस. के अन्तर्गत, वेब आधारित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण के लिए प्रत्येक महिला पर्यवेक्षिका एवं आँगनबाड़ी सेविका को टेबलेट/मोबाईल सेट उपलब्ध करवाना था। आई.पी.एम.एस. का कार्यान्वयन करने के लिए, राज्य के सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को ₹2.30 करोड़ की निधि विमुक्त की गयी (अप्रैल 2015) जिससे राज्य के सभी सी.डी.पी.ओ. एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को ₹6000 प्रति टेबलेट की दर से मोबाईल/टेबलेट उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रायोगिक तौर पर चार केन्द्रित जिलों (मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज) के डी.पी.ओ. को ₹3.39 करोड़ की निधि भी सभी आँगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाईल सेट (प्रति सेट ₹3500 की दर से) उपलब्ध कराने के लिए विमुक्त की गई।

हालांकि, विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण, आजतक न तो मोबाईल सेट/टेबलेट ही खरीदे गए थे और न ही किसी भी नमूना—जाँचित जिलों में आई.पी.एम.एस. शुरू किया जा सका। विमुक्ति आदेश (अप्रैल 2015) में, सूचित किया गया था कि विक्रेताओं के चयन के बाद निदेशालय द्वारा जल्द ही क्रय संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किया जाएगा। लेकिन निदेशालय द्वारा उक्त निर्देश सितम्बर 2015 में, अर्थात् निधि के विमुक्त होने के पाँच माह बाद बिना किसी विक्रेता के चयन के निर्गत किया गया था। पुनः, सचिव, समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह निर्देश दिया गया (अक्टूबर 2015) कि मोबाईल सेट/टेबलेट का खरीद कैप मोड में वैसे एजेंसी से किया जाए जो आवश्यक विशिष्टिकरण के मोबाईल सेट/टेबलेट को विहित दर पर पूरे राज्य में आपूर्ति करने हेतु सहमत है। हालांकि, एजेंसी का अबतक चयन किया जाना बाकी है।

जवाब में, समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि मोबाईल सेट/टेबलेट का दर तय कर लिया गया है एवं जिलों को जल्द ही सिम उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अतः, विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण समिति का नहीं होना, त्रुटिपूर्ण एम.आई.एस. एवं आई.पी.एम.एस. शुरू करने में विफलता ने योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण को प्रभावित किया।

#### 2.1.15 निष्कर्ष

समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार में अल्पवजनी बच्चों के व्यापकता की पहचान, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली माताओं में एनीमिया के मामले और शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर संबंधित कोई भी बैचमार्क निर्धारित नहीं किया गया था। इसलिए, समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) के कार्यान्वयन से प्राप्त फलाफल को आँका नहीं जा सका।

माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने निर्देश दिया कि प्रत्येक बसावट में एक कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्र होना चाहिए और आई.सी.डी.एस. सेवाएं छः साल की उम्र तक के सभी बच्चों और सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान किया जाना चाहिए। आदेश के बावजूद आई.सी.डी.एस. योजना मात्र 44 से 46 प्रतिशत योग्य बच्चों, 55 से 58 प्रतिशत योग्य गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं और 10 से 20 प्रतिशत किशोरियों तक पहुँचाई गई क्योंकि समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्रों की विशेष आवश्यकता के बारे में बताने में असफल रहा।

बिहार के 503 ग्रामीण परियोजना कार्यालयों में 1,12,272 पंचायत वार्ड के विरुद्ध मात्र 84,098 ग्रामीण आँगनबाड़ी केन्द्र थे। इसके अतिरिक्त, नवम्बर 2014 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 21,366 आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों को मार्च 2016 तक कार्यशील नहीं किया गया था क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों की जनसंख्या को चिह्नित नहीं किया था।

राज्य में, 72 प्रतिशत कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास अपना भवन नहीं था। नमूना-जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता के साथ काफी हद तक समझौता किया गया था क्योंकि शौचालयों, पेयजल, रसोईघर एवं बर्तन जैसी मूलभूत सुविधाएँ वहां उपलब्ध नहीं थीं।

आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निधि का विलंब से विमुक्त किए जाने के फलस्वरूप, विभाग द्वारा वर्ष 2011 से वर्ष 2016 के दौरान किसी भी वर्ष विमुक्त राशि को पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2015–16 में आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही के दौरान उत्तरवर्ती किस्त विमुक्त नहीं किया गया। आँगनबाड़ी भवनों के निर्माण एवं उन्नयन हेतु निधि उपलब्ध रहने के बावजूद, विभाग ने वर्ष 2014–15 तक निधि के आहरण हेतु बजट शीर्ष का निर्धारण नहीं किया था। अतः, विमुक्त निधि कोषागार से आहरित नहीं की जा सकी।

किसी भी नमूना-जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण कार्यक्रम लक्षित 300 दिनों तक प्रदान नहीं किया गया। राज्य में पूरक पोषण की गुणवत्ता/पोषण मूल्य एवं विनिर्दिष्ट मानकों को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित जाँच खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं किया जा सका था क्योंकि केवल 34 प्रतिशत कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों में ही रसोईघर और सुरक्षित पानी की सुविधा उपलब्ध थी। राज्य में सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में सस्ते दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) का कार्यान्वयन नहीं किया गया था। किसी भी नमूना-जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्र में दवाई किट्स/प्री स्कूल किट्स उपलब्ध नहीं था। आई.सी.डी.एस. में किसी भी स्तर पर प्रतिरक्षण से संबंधित आँकड़े संधारित नहीं किए गए थे।

समेकित बाल विकास सेवाएं के क्षेत्रीय पदाधिकारियों जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों, महिला पर्यवेक्षिकाओं और आँगनबाड़ी सेविकाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बसाबट के पहचान हेतु कराये गए सूक्ष्म सर्वेक्षण अपर्याप्त थे और आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान नहीं की जा सकी।

राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के लिए निर्धारित अनुश्रवण असंतोषजनक था क्योंकि राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति की बैठक कभी नहीं हुई जबकि जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन केवल दो नमूना-जाँचित जिलों में किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण स्पष्ट था, क्योंकि 25 आँगनबाड़ी केन्द्र बंद पाये गये थे जबकि 22 आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चे उपस्थित नहीं थे।

## लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

### 2.2 बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन

#### कार्यकारी सारांश

##### परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) भारत सरकार (भा.स.) का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम है एवं भारत निर्माण का एक प्रमुख अवयव है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को स्थायी रूप से पीने, खाना बनाने एवं अन्य घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त एवं सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है।

(कंडिका-2.2.1)

##### योजना की उपलब्धि

अप्रैल 2011 में राज्य के 69 प्रतिशत बसावटें पेयजल सुविधा से पूर्णतः आच्छादित थी। हालांकि, मार्च 2016 में पूर्णतः आच्छादित बसावटों का प्रतिशत घटकर 54 प्रतिशत हो गया था। इसका मुख्य कारण, विभाग द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सेवा स्तर को 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) बढ़ाने से संबंधित संरचना निर्माण नहीं किया जाना एवं अकार्यरत चापाकलों के रख-रखाव में कमी थी।

(कंडिका-2.2.6)

वर्ष 2011–16 के दौरान, आर्सेनिक, फलोराईड एवं आयरन से संदूषित सभी जनसंख्या को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया था क्योंकि या तो वे स्वीकृत योजनाओं से आच्छादित नहीं थे या स्वीकृत योजनायें पूर्ण नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप, ₹609 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद 4.67 लाख आर्सेनिक, 16.51 लाख फलोराईड एवं 79.06 लाख लौह प्रभावित जनसंख्या स्वच्छ पेयजल से अभी तक वंचित रह गये। मार्च 2015 के सर्वेक्षण के दौरान, महावीर कैंसर संस्थान एवं शोध केन्द्र, बिहार, पटना द्वारा बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड के सिमरी एवं तिलक राय का हाता में अत्यधिक आर्सेनिक युक्त पेयजल के उपयोग के कारण आर्सेनिकोसिस, हार्मोन का असंतुलन एवं कुछ कैंसर की घटनायें पाई गई थी।

(कंडिका-2.2.9.1, 2.2.9.2 एवं 2.2.9.3)

##### योजना

वर्ष 2011–16 के दौरान, नमूना-जाँचित जिलों में ग्रामीण जल स्वच्छता समिति गठित नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप, जल स्रोतों की उपलब्धता एवं लोगों के पसंद के अनुसार आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना एवं जिला जल सुरक्षा योजना का निर्माण नहीं किया गया था। बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन द्वारा बसावटों में जल सुविधाओं का उप-लक्ष्य एवं प्राथमिकता उपलब्ध कराने हेतु व्यापक जल सुरक्षा योजना का भी निर्माण नहीं किया गया था। निधि की उपलब्धता के बावजूद भी, वार्षिक कार्य योजना में, आंशिक रूप से आच्छादित, गुणवत्ता प्रभावित, अनु.जाति/अनु. जनजाति बहुल बसावटों एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के समय-सीमा की प्राथमिकता दिए बिना ही लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। परिणामस्वरूप, ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली के लिए योजनाओं के निर्माण में उपभोक्ताओं की वरीयता, सुग्राह्यता, विश्वसनीयता, संवहनीयता, सुविधा एवं समता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया था।

(कंडिका-2.2.7.1 एवं 2.2.7.2)

### वित्तीय प्रबंधन

विभाग द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान किसी भी वित्तीय वर्ष में समस्त निधि का उपयोग नहीं किया गया था। जिसके कारण 5,222 में से 4,119 (79 प्रतिशत) स्वीकृत पाईप जल वितरण योजनाएँ अपूर्ण थीं। आगे, भारत सरकार को विलंब से निधि की माँग का प्रस्ताव समर्पित करने एवं राज्यांश मद में कम विमुक्ति के मामलें देखे गए थे। जिसके परिणामस्वरूप, राज्य को ₹278.20 करोड़ के केन्द्रांश से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका-2.2.8 एवं 2.2.8.1)

### जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, सभी बसावटों में पाईप जलापूर्ति योजना पर जोर दिया गया था। हालांकि, विभाग जनवरी 2017 तक ग्रामीण बसावटों को पाईप जलापूर्ति योजना (पाईप.जला.यो.) से आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए कोई भी आधारभूत संरचना विकसित नहीं किया और 79 प्रतिशत संस्वीकृत पाईप.जला.यो. को भी पूर्ण करने में विफल रहा। जिसके कारण, विभाग द्वारा दिसम्बर 2016 तक, केवल छः प्रतिशत जनसंख्या को पाईप जलापूर्ति उपलब्ध कराया जा सका और 94 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी चापाकलों पर निर्भर है।

ग्रामीण पाईप.जला.यो. के कार्यान्वयन में जनसंख्या की गणना का आकलन जनगणना 2011 के अनुसार किया जाना था, हालांकि, छः नमूना-जाँचित जिलों में 61 पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में जनसंख्या की गणना जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी। परिणामस्वरूप, विभाग अनुमानित जनसंख्या को 30 वर्ष के पूर्ण रूपांकित अवधि हेतु अपेक्षित जल माँग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सके।

इस प्रकार, रा.ग्रा.पे.ज.का. के साथ ही साथ सरकार के सात निश्चय (प्रत्येक घर को वर्ष 2020–21 तक एक नल जल संयोजन देना) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए चापाकल पर निर्भरता को कम करने के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए बिहार सरकार को सशक्त प्रयास की शुरुआत करने की आवश्यकता है।

(कंडिका-2.2.11, 2.2.11.1 एवं 2.2.11.2)

### जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी

विभाग द्वारा अवर प्रमंडल स्तर पर एक भी जल जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं की गई थी। शत प्रतिशत स्रोतों का दो बार जीवाणु एवं एक बार रासायनिक जाँच के मानक के विरुद्ध जल गुणवत्ता की जाँच केवल आठ से 16 प्रतिशत कार्यशील स्रोतों का किया गया था। इस प्रकार, अधिकांश बसावट पीने का असुरक्षित जल का उपयोग करने के लिए बाध्य थे।

(कंडिका-2.2.14.4)

### 2.2.1 परिचय


राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) भारत सरकार का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम है एवं भारत निर्माण का एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों, परिवारों और व्यक्तियों को चापाकलों, पाईप जलापूर्ति इत्यादि द्वारा सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना, स्वजलधारा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी को विलय कर प्रारंभ (2009) किया गया था। इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण बसावटों सहित ऐसे बसावटों जो खराब जल गुणवत्ता से प्रभावित हैं को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, पेयजल स्रोतों एवं प्रणालियों के संपोषणीयता उपायों, विद्यमान ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव, सहायक गतिविधियाँ यथा जल स्वच्छता एवं सहायता संगठन (ज.स्व. एवं स.संगठन), जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि.ज. एवं स्व.मिशन), प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्रणाली) और जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता था।

### 2.2.2 संगठनात्मक संरचना

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो.स्वा.अभि.वि.) उत्तरदायी था। लो.स्वा.अभि.वि. की संगठनात्मक संरचना चार्ट सं-2.2.1 में दी गई है।

चार्ट सं.-2.2.1

#### संगठनात्मक संरचना



(झोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. कार्यक्रम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। बि.रा.ज. एवं स्व. मिशन की स्थापना नीति-निर्देश, विभिन्न विभागों से समन्वयन, लेखाओं का संधारण और भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन एवं कार्यक्रम के प्रबंधन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु किया गया था। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा किया जाता है सभी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का अनुमोदन करता है, जबकि अभियंता प्रमुख विभाग के तकनीकी प्रमुख थे।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जाँच करना था कि :

- समुदाय आधारित जलापूर्ति प्रणाली की योजना बनाते समय जल की सुग्राह्यता, विश्वसनीयता, संवहनीयता, सुविधा, समता एवं उपभोक्ताओं की वरीयता सुनिश्चित की गई थी;
- राज्य द्वारा आवंटन के अनुरूप निधि प्राप्त किया गया था तथा कार्यान्वयन ऐंजेसियों द्वारा दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से व्यय किया गया;
- सभी बसावटों/परिवारों, विद्यालयों एवं आँगनबाड़ियों तक पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल का पहुँच था;
- पंचायती राज संस्थाएँ एवं स्थानीय समुदायों को अपने गाँवों में पेयजल स्रोतों एवं प्रणालियों को प्रबंधन के योग्य बनाने हेतु प्रभावी सहायक गतिविधियाँ चलाई जा रहा थी; और
- पारदर्शिता एवं निर्णय लेने में सुगम्यता लाने हेतु ऑन लाईन सूचना प्रेषण तत्र सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध था।

### 2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे :

- रा.ग्रा.पे.ज.का. दिशानिर्देश 2010 एवं 2013;
- समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली (रा.ग्रा.पे.ज.का. प्रतिवेदन, स्रोत: डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.इन्डियावाटर.गौभ.ईन);
- बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता (बि.लो.नि.वि.स.) और बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता (बि.लो.नि.ले.स.); और
- विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए केन्द्रीय भू–जल बोर्ड प्रतिवेदन, संबद्ध परिपत्र, अनुदेश अधिसूचना इत्यादि।

### 2.2.5 क्षेत्र एवं क्रियाविधि

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के वर्ष 2011–16 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से नवम्बर 2016 के दौरान 38 जिलों के अंतर्गत नमूना जाँच हेतु चयनित <sup>11</sup> जिलों के 12<sup>12</sup> लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के अभिलेखों का किया गया था। नमूना जाँच हेतु जिलों का चयन प्रोवेविलिटी प्रोपोर्शनल टू साईज विदाउट रिप्लेसमेन्ट (प्रो.प्रो.टू.साईज वि.रिप्ले.) विधि के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त चार<sup>13</sup> मुख्य अभियंता (मु.अभि.) कार्यालय में से दो (पटना एवं भागलपुर), 14 अधीक्षण अभियंता (अधी.अभि.) में से चार एवं अभियंता प्रमुख (अभि.प्र.) कार्यालय का नमूना जाँच भी किया गया था। इसके अलावा, निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अप्रैल 2011 के अनुसार, (राज्य के 74,378 में से) 22,149 पूर्ण आच्छादित एवं (राज्य के 33,264 में से) 8,676

<sup>11</sup> भागलपुर दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, पटना, रोहतास, सारण, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण।

<sup>12</sup> बैतिया, भागलपुर पूर्व, भागलपुर पश्चिम, छपरा, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, पटना पूर्व एवं पटना पश्चिम, सासाराम, सुपौल एवं वैशाली।

<sup>13</sup> भागलपुर, दरभंगा, सारण एवं सासाराम।

आंशिक पेयजल आच्छादित बसावटों जिसमें 281 आर्सेनिक, 1,093 फ्लोराईड एवं 2,896 लौह प्रभावित बसावटों शामिल था।

लेखापरीक्षा क्रियाविधि में अभिलेखों की जाँच, प्रश्नावली निर्गत करना, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत ज्ञापन पर विभाग के उत्तर पर विचार और विभाग के कर्मियों के साथ निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन इत्यादि शामिल था। निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्रियाविधि, कार्यक्षेत्र, आच्छादन इत्यादि को बताने के लिए तथा विभाग के विचारों को प्राप्त करने के लिए अंतर्गमन सम्मेलन अप्रैल 2016 में लो.स्वा.अभि.वि. के प्रधान सचिव के साथ आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा के अंत में, प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. के साथ नवम्बर 2016 में बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया था और लेखापरीक्षा आपत्ति पर उनके जवाब/विचारों को उचित जगह पर प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।


### 2.2.6 योजना की उपलब्धि

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को संपोषणीय आधार पर पीने, खाना पकाने एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त एवं सुरक्षित जल उपलब्ध कराना था। इस लक्ष्य को ग्यारहवें योजना अवधि अर्थात् मार्च 2012 तक प्राप्त करना था जिसे पुनः बारहवें योजना अवधि अर्थात् 2017 तक 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) के बढ़े हुए पेयजलापूर्ति मानक के साथ प्राप्त करने हेतु विस्तारित किया गया।

मार्च 2011 के अनुसार, बिहार में जल सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर कोई बसावट अनाच्छादित नहीं था। बिहार में वर्ष 2011–12 और वर्ष 2015–16 के बीच बसावटों के आच्छादन की स्थिति चार्ट सं.-2.2.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं.- 2.2.2

बिहार में वर्ष 2011–16 की अवधि में बसावटों के आच्छादन की स्थिति



पूर्णतः आच्छादित बसावटों वर्ष 2011 में 69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016 में 54 प्रतिशत हो गया।

चार्ट सं.-2.2.2 से इंगित होता है कि वर्ष 2011 में पूर्णतः आच्छादित बसावटों (यथा बसावटों के सभी जनसंख्या के पास पर्याप्त पेयजल संसाधन का होना) का प्रतिशत 69 से वर्ष 2016 में घटकर 54 प्रतिशत हो गया था। इसका मुख्य कारण बारहवें पंचवर्षीय योजना के तहत सेवा स्तर में 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन वृद्धि की कार्य योजना विभाग द्वारा तैयार नहीं करने और अकार्यशील चापाकलों की रख-रखाव का अभाव था। इसके अतिरिक्त, मार्च 2016 के अनुसार, तीन प्रतिशत गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (यथा आर्सेनिक, फ्लोराईड और लौह संदूषण से प्रभावित बसावटों) अनाच्छादित

था क्योंकि गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के आच्छादन हेतु 10 बहु-ग्रामीण एवं 919 मिनि पाईप जलापूर्ति योजना पूर्ण नहीं हो पाया था। अतः, प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को वर्ष 2017 तक पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की लक्ष्य संभव प्रतीत नहीं होता है।

इसके अलावा, कमजोर योजना, अनुपयुक्त वित्तीय प्रबंधन एवं अपूर्ण/योजना के विलंब से कार्यान्वयन से संबंधित मामलों को अनुगामी कंडिकाओं में चर्चा किया गया है:

### 2.2.7 योजना

#### 2.2.7.1 जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं किया गया था

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (ग्रा.ज. एवं स्व.स.) द्वारा ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं (ग्रा.ज.सु.यो.) को बनाना था। लोक इच्छा के आधार पर जल स्रोतों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के विवरण को ग्रा.ज.सु.यो. में शामिल करना था। ग्रा.ज.सु.यो. को संतुलित करते हुए जिला स्तर पर जिला जल सुरक्षा योजना (जि.ज.सु.यो.) तैयार करना था। राज्य स्तर पर, प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित विस्तृत लक्ष्य के अनुरूप पंचवर्षीय व्यापक जल सुरक्षा योजना (व्या.ज.सु.यो.) तैयार करना था एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिकताएँ एवं उप-लक्ष्य निर्धारित करना था।

बसावटों में जल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु न ही जमीनी स्तर पर आवश्यकताओं का आकलन किया गया और न ही जल सुविधाओं की प्राथमिकताएँ एवं उप-लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विस्तृत दीर्घकालीन योजना तैयार की गई।

विभाग द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि ग्रा.ज.स्व.स. का गठन नहीं किया गया था। जिसके कारण, वर्ष 2011–16 के दौरान, ग्रा.ज.सु.यो. एवं जि.ज.सु.यो. को तैयारी नहीं की गई। उपरोक्त वर्णित जमीनी स्तर के योजनाओं के अभाव में लोगों के पसंद के अनुसार जल स्रोतों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आकलन पर विचार नहीं किया गया। राज्य स्तर पर भी, बसावटों में जल व्यवस्था के लिए उप-लक्ष्य एवं प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए व्या.ज.सु.यो. की तैयारी नहीं की गई थी।

इस प्रकार, बसावटों में जल सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए न ही जमीनी स्तर की आवश्यकताओं का आकलन और न ही विस्तृत दीर्घकालीन योजनाएँ ही तैयार की गई थीं।

#### 2.2.7.2 वार्षिक कार्य योजना

मार्गदर्शिका के अनुसार, राज्य को प्रत्येक वर्ष सहभागिता पद्धति से वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) तैयार करना चाहिए। योजना के अंतर्गत सभी आच्छादित बसावटों के शून्य से शत प्रतिशत के नीचे जनसंख्या और विद्यमान एवं नया चिह्नित गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को पेयजल योजनाओं से आच्छादित करना था। योजना बनाते समय ऐसे बसावटों के आच्छादन को प्राथमिकता देना था जिसके केवल शून्य से 50 प्रतिशत जनसंख्या पेयजल योजनाओं से आच्छादित था। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता प्रभावित, एस.सी./एस.टी. एवं अल्प संख्यक बसावटों को भी योजना में प्राथमिकता देना था। साथ ही, सभी पेयजल स्रोतों को प्रत्येक वर्ष कम-से-कम दो बार जीवाणु संदूषण एवं एक बार रासायनिक संदूषण जाँच होना था।

वर्ष 2011–16 के दौरान, विभाग ने वा.का.यो. को प्रति वर्ष तैयार किया एवं भारत सरकार को समर्पित किया। अनुमोदित लक्ष्य को समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (स.प्र.सू.प्र.) में अपलोड किया गया था। बि.रा.ज. एवं स्व. मिशन द्वारा संधारित वा.का.यो. के अभिलेख के संवीक्षा एवं समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली में अपलोड किए गए लक्ष्य एवं उपलब्धि के विश्लेषण से निम्न बिन्दुरूप उद्घाटित हुए:

- निधि के उपलब्धता के बावजूद वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग केवल 12 से 82 प्रतिशत आंशिक आच्छादित बसावटों (यथा बसावट के कुछ जनसंख्या जिसके पास पर्याप्त पेयजल स्रोत नहीं था) के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया था (*परिशिष्ट-2.2.1(i)*)। अतः, वर्ष 2011–16 के दौरान रा.ग्रा.पे.ज.का. के अन्तर्गत 18 प्रतिशत से 88 प्रतिशत आंशिक आच्छादित बसावटें विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य में भी शामिल नहीं था।
- गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के आच्छादन को प्राथमिकता नहीं दिया गया था। वर्ष 2011–16 के दौरान किसी भी वा.का.यो. में पूर्ण रूप से लक्षित नहीं किया गया था। इसके अलावा, लक्षित बसावटों को भी आच्छादित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं लौह संदूषण से प्रभावित बसावटें प्रत्येक वर्ष में विद्यमान था (*परिशिष्ट-2.2.1(ii)*)।
- वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग केवल 25 से 39 प्रतिशत उपलब्ध जल स्रोतों के जल गुणवत्ता जाँच का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस प्रकार, वर्ष 2011–16 के दौरान किसी भी वर्ष में सभी जल स्रोतों के विश्वसनीयता को सुनिश्चित नहीं किया गया (*परिशिष्ट-2.2.1 (iii)*)। जिला प्रयोगशाला में मानव बल का अभाव एवं अवर प्रमंडलीय प्रयोगशाला के स्थापना में विफलता को कम लक्ष्य निर्धारित करने का कारण ठहराया गया।
- विभाग द्वारा कहा गया कि लो.स्वा. प्रमंडल द्वारा समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली में वा.का.यो. के लक्ष्य दर्ज की जाती है। हालांकि, नमूना-जाँचित प्रमंडलों के कार्य.अभि. द्वारा कहा गया कि बसावटों के आच्छादन का लक्ष्य प्रमंडलों द्वारा समर्पित नहीं किया जाता था। बावजूद, मुख्यालय द्वारा वही सूचित किया गया। इन विरोधाभासी दृढ़कथन से इंगित होता था कि लक्ष्य निर्धारण में प्रमंडल जो कि निम्न इकाई था, से इनपुट नहीं लिया जाता था।
- वार्षिक कार्य योजनाओं के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि पेयजल से आच्छादन की सुविधा हेतु शून्य से 50 प्रतिशत जनसंख्या वाले बसावटों (वर्ष 2012–13 को छोड़कर) जिन्हें पर्याप्त पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा था, को प्राथमिकता नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अनु.जाति एवं अनु.जनजाति बाहुल बसावटों को भी वर्ष 2011–16 के दौरान पेयजल सुविधा के आच्छादन को प्राथमिकता नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप, 50 प्रतिशत से कम जनसंख्या वाले 13 से 59 प्रतिशत बसावटों, अनु. जाति बहुल 16 से 44 प्रतिशत बसावटों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष 2011–16 के वा.का.यो. में लक्षित किया जा सका था (*परिशिष्ट-2.2.1(iv), 2.2.1(v) एवं 2.2.1(vi)*)।

इस प्रकार, निधि की उपलब्धता के बावजूद भी, विभाग प्राथमिकता क्रम के अनुसार जनसंख्या को योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य नहीं कर सका था। इसके अलावा, विभाग, ग्रा.ज.सु.यो., जि.ज.सु.यो. की तैयारी को सुनिश्चित नहीं किया था और रा.ग्रा.पे.ज.का. के कार्यान्वयन के लिए प्रमंडल को लक्ष्य निर्धारण में सम्मिलित करने में विफल रहा था। परिणामस्वरूप, जल आपूर्ति योजना के आयोजना बनाते समय उपभोक्ताओं

की वरीयता जल की सुग्राहयता, विश्वसनीयता, संवहनीयता, सुविधा एवं समता का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने बताया (नवम्बर 2016) कि भारत सरकार द्वारा निधि की कम विमुक्ति के कारण निधि का अभाव ही वा.का.यो. में मानक को पालन करने में विफलता का मुख्य कारण था। उत्तर तथ्यों से मेल नहीं खाते थे क्योंकि विभाग द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान 28 से 45 प्रतिशत तक उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अलावा, विभाग द्वारा सम्पूर्ण उपलब्ध निधि के उपयोग नहीं किए जाने, विलंब से प्रस्ताव समर्पित करने एवं राज्यांश मद में कम विमुक्ति के कारण भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त किया गया था।

### अनुशंसा

भारत सरकार को पंचायती राज संस्थानों/स्थानीय समुदायों को जमीनी स्तर से इनपुट प्राप्त करके ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करने हेतु सक्षम बनाना चाहिए।

#### 2.2.8 वित्तीय प्रबंधन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशिका के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (पे.ज. एवं स्व.म.) कार्यक्रम निधि<sup>14</sup> एवं सहायक निधि<sup>15</sup> विमुक्त करेगा। राज्य सरकार कार्यक्रम लेखे में आवश्यक आनुपातिक अंशदान करेगा भारत सरकार और राज्य सरकार तीनों घटकों यथा आच्छादन, गुणवत्ता एवं संचालन तथा रख-रखाव में से प्रत्येक के लिए 50 प्रतिशत अंशदान उपलब्ध कराता था। दूसरे तीन घटकों यथा संवहनीयता, सहायक गतिविधियाँ तथा जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम (ज.गु.अ.नि.का.) हेतु कुल निधि भारत सरकार उपलब्ध कराता था।

वर्ष 2011–16 के दौरान बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (बि.रा.ज. एवं स्व.मिशन) द्वारा कार्यक्रम निधि एवं सहायक निधि के लिए पृथक बैंक लेखा संधारित किया गया था। वर्ष 2011–16 के दौरान भारत सरकार के साथ बिहार सरकार द्वारा आवंटित, विमुक्त एवं उसके विरुद्ध व्यय का विवरण तालिका सं.–2.2.1 में दिया गया है:

तालिका सं.–2.2.1  
वर्ष 2011–16 के दौरान केन्द्रांश का विमुक्ति एवं व्यय

वर्ष	निधि का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	बी.एस.डब्ल्यू.एस.एम. के पास कुल उपलब्ध निधि	जिलों को विमुक्त राशि	व्यय	अंत शेष	(₹ करोड़ में)
2011-12	कार्यक्रम	313.48	7.14	314.89	635.51	440.8	364.22	271.29	
	सहायक	9.44	0.66	15.13	25.23	0	3.08	22.15	
	कुल	<b>322.92</b>	<b>7.80</b>	<b>330.02</b>	<b>660.74</b>	<b>440.80</b>	<b>367.30</b>	<b>293.44</b>	
2012-13	कार्यक्रम	264.15	4.44	220.83	489.42	349.18	283.50	205.92	
	सहायक	21.49	0.97	3.47	25.93	0	9.59	16.34	
	कुल	<b>285.64</b>	<b>5.41</b>	<b>224.30</b>	<b>515.35</b>	<b>349.18</b>	<b>293.09</b>	<b>222.26</b>	

<sup>14</sup> कार्यक्रम निधि में आच्छादन, जल गुणवत्ता, संवहनीयता, संचालन एवं रख-रखाव, रासायनिक/जीवाणु संदूषण के लिए कर्णकित निधि, आपदा एवं सुखाड़ विकास कार्यक्रम शामिल है।

<sup>15</sup> सहायक निधि में सूचना, शिक्षा एवं संचार (शि. एवं सं.), मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.), शोध एवं विकास (शो. एवं वि.), सूचना प्रबंधन प्रणाली (सू.प्र.प्र.), जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम (ज.गु.अ. एवं नि.) शामिल था।

वर्ष	निधि का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	बी.एस. डब्ल्यू. एस.एम. के पास कुल उपलब्ध निधि	जिलों को विमुक्त राशि	व्यय	अंत शेष
2013-14	कार्यक्रम	201.48	3.56	338.95	543.99	353.8	299.02	244.97
	सहायक	15.37	0.56	0	15.93	0	8.41	7.52
	कुल	<b>216.85</b>	<b>4.12</b>	<b>338.95</b>	<b>559.92</b>	<b>353.8</b>	<b>307.43</b>	<b>252.49</b>
2014-15	कार्यक्रम	241.41	4.99	321.55	567.95	426.35	375.38	192.57
	सहायक	6.96	0.27	18.94	26.17	0	6.52	19.65
	कुल	<b>248.37</b>	<b>5.26</b>	<b>340.49</b>	<b>594.12</b>	<b>426.35</b>	<b>381.9</b>	<b>212.22</b>
2015-16	कार्यक्रम	187.58	2.10	193.37	383.05	296.14	269.19	113.86
	सहायक	19.38	0.07	9.36	28.81	0	26.19	2.62
	कुल	<b>206.96</b>	<b>2.17</b>	<b>202.73</b>	<b>411.86</b>	<b>296.14</b>	<b>295.38</b>	<b>116.48</b>
	कुल योग		<b>24.76</b>	<b>1436.49</b>		<b>1866.27</b>	<b>1645.10</b>	

(स्रोत : अभियंता प्रमुख कार्यालय पटना द्वारा संग्रहित/उपलब्ध कराए गए ऑँकड़े)

आगे, बिहार सरकार द्वारा विमुक्त किए गए राज्यांश एवं व्यय का विवरण तालिका सं.-2.2.2 में दिया गया है।

### तालिका सं.-2.2.2 वर्ष 2011-16 के दौरान बिहार सरकार के अंश से विमुक्त एवं व्यय

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा विमुक्त राशि	राज्य द्वारा विमुक्त राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि (प्रतिशत)	(₹ करोड़ में) बचत/प्रत्यर्पण
2011-12	120.34	109.74 (91)	10.60
2012-13	223.99	160.20 (72)	63.79
2013-14	289.38	240.77 (83)	48.61
2014-15	387.91	310.82 (80)	77.09
2015-16	283.55	210.56 (74)	72.99
कुल	<b>1305.17</b>	<b>1032.09 (79)</b>	<b>273.08</b>

(स्रोत : अभियंता प्रमुख कार्यालय, पटना द्वारा संग्रहित/उपलब्ध कराए गए ऑँकड़े)

तालिका सं.-2.2.1 से इंगित होता था कि कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध बि.रा.ज. एवं स्व. मिशन द्वारा जिलों को ₹1,866.27 करोड़ विमुक्त किया गया। इसमें से, जिलों द्वारा केवल ₹1,645.10 करोड़ ही व्यय किया गया। इसी प्रकार, तालिका सं.-2.2.2 में दर्शित विवरण के अनुसार राज्य द्वारा वर्ष 2011-16 के दौरान विमुक्त की राशि ₹1,305.17 करोड़ के विरुद्ध कार्यकारी एजेंसियों द्वारा केवल ₹1,032.09 करोड़ (79 प्रतिशत) हीं व्यय किया जा सका था। बि.रा.ज. एवं स्व. मिशन के द्वारा कम निधि निर्गत किए जाने का कारण मुख्यतः 5,222 स्वीकृत पाईप जलापूर्ति योजनाओं में से 4,119 (79 प्रतिशत) को पूर्ण करने में बि.रा.ज. एवं स्व. मिशन. की विफलता थी।

विभाग लेखापरीक्षा आपत्तियों से सहमत (अक्टूबर 2016) था और कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारण, निधि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका था।

आगे, तालिका सं.-2.2.1 में कार्यक्रम एवं सहायक निधि के प्रारंभिक एवं अन्त शेष में भिन्नता पाया गया। यह कार्यक्रम एवं सहायक निधि के अंतर्गत वर्ष के दौरान अर्जित सूद को अगले वर्ष के प्रारंभिक शेष से घटाने के कारण था। हालांकि, इसे निधि के लेखे के प्रारंभिक शेष में जोड़ा जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप, अंतशेष ₹22.59 करोड़

से कम था। बि.रा.ज. एवं स्व. मिशन द्वारा संधारित योजना के लेखे में अशुद्धि वित्तीय प्रबंधन में कमी को दर्शाता था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा अनयिमितताओं को स्वीकार किया गया और बताया (नवम्बर 2016) गया कि इनका समाधान प्रक्रियाधीन था।

### 2.2.8.1 केन्द्रांश से राज्य को वंचित होना पड़ा

दिशानिर्देशिका विशिष्ट रूप से दर्शाता है कि कार्यक्रम निधि के तहत वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तक उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर द्वितीय किस्त विमुक्त किया जायेगा। सहायक निधि की विमुक्ति दो किस्तों में होना था एवं द्वितीय किस्त की विमुक्ति गतिविधि–वार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) के समर्पण पर आधारित था।

विलंब से प्रस्ताव समर्पित करने, राज्यांश का अल्प विमुक्त एवं बड़ी मात्रा में अव्यवित शेष के कारण राज्य को ₹278.20 करोड़ के केन्द्रांश से वंचित होना पड़ा।

केन्द्रांश के विमुक्ति संबंधित अभिलेखों के संवीक्षा दौरान पाया गया कि कार्यक्रम निधि में वर्ष 2012–13 दौरान आवंटित राशि ₹345.88 करोड़ के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा केवल ₹172.94 करोड़ विमुक्त किया गया। आगे, बि.रा.ज. एवं स्व. मिशन द्वारा विलम्ब से प्रस्ताव (फरवरी 2013) प्रस्तुत करने के कारण द्वितीय किस्त के ₹172.94 करोड़ विमुक्त नहीं किया था। अधिक प्रारंभिक शेष (₹6.46 करोड़), विलम्ब से निधि के प्रस्ताव का समर्पण (₹15.38 करोड़) एवं राज्यांश की कम विमुक्ति (₹34.03 करोड़) के कारण भारत सरकार द्वारा निधि के आवंटन को पुनरीक्षित करते हुए वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 के दौरान क्रमशः ₹19.58 करोड़ एवं ₹36.29 करोड़ की कटौती किया गया।

इसके अतिरिक्त, सहायक निधि के द्वितीय किस्त का ₹15.14 करोड़, ₹12.49 करोड़ और ₹21.76 करोड़ क्रमशः वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13 और वर्ष 2014–15 में भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्रस्ताव समर्पित नहीं करने के कारण विमुक्त नहीं किया गया। हालांकि, विभाग द्वारा वर्ष के पूर्व के प्रारंभिक शेष एवं वर्ष के दौरान प्राप्त निधि का व्यय मुख्यालय स्तर पर सूचना, शिक्षा तथा संचार, मानव संशाधन विकास, प्रशिक्षण इत्यादि सहायक गतिविधियों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011–16 के दौरान सहायक गतिविधियों के तहत निधि की विमुक्ति जिलों को नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2011–16 के दौरान, रा.ग्रा.पे.ज.का. के तहत जिला स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का निष्पादन नहीं किया गया था।

विलंब से प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के संबंध में विभाग द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2016) कि प्रमंडलों से व्यय विवरण प्राप्त होने में विलंब के कारण कभी–कभी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। इसके अलावा, विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि योजनाओं के प्रगति के अनुसार निधि विमुक्त की गई थी। विलंब के परिणामस्वरूप, वर्ष 2011–15 के दौरान राज्य केन्द्रांश के ₹278.20 करोड़ से वंचित रहा।

### अनुशंसा

विभाग को स्वीकृत आवंटित निधि को प्राप्त करने के लिए निधि के प्रस्ताव समर्पित करने में विलंब और उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने में विलंब से बचना चाहिए।

### 2.2.9 सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता

अप्रैल 2011 के अनुसार, बिहार में 1,07,642 बसावटों में से 18,427 बसावट जल गुणवत्ता से प्रभावित थे। गुणवत्ता प्रभावित जनसंख्या में कार्यान्वयन किए गए पेय

जलापूर्ति योजनाओं में पाई गई कमियों का विवरण अनुगामी कंडिकाओं में दिया गया है:

#### 2.2.9.1 आर्सेनिक प्रभावित बसावटें

भू-गर्भ पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक की अधिकता के परिणामस्वरूप आर्सेनिक प्रभावित चर्मरोग जैसे अशक्त एवं असाध्य बीमारी होता है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (के.भू.बोर्ड) द्वारा सुझाव (अक्टूबर 2010) दिया गया था कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त जल की उपलब्धता के लिए भू-जल को 60 मीटर से नीचे तक भेदन करना सबसे सुरक्षित उपाय हो सकता है। अप्रैल 2011 तक बिहार में, 14<sup>16</sup> जिलों के 1,111 बसावटों के 7,52,168 जनसंख्या आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित थे।

अपूर्ण योजनाओं एवं बसावटों का हैण्ड पम्प से आच्छादित नहीं होने के कारण आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान 323 बसावटों को आच्छादित करने के लिए आर्सेनिक निष्कासन उपचार इकाई युक्त चार नई बहु-ग्रामीण पाईप पेयजलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, विभाग द्वारा 1,376 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों के लिए 60 मीटर से गहरे 1,376 चापाकल, एक बसावट के लिए एक चापाकल की दर से, आच्छादित करने के लिए स्वीकृत किए गए थे।

नई योजनाओं के अलावा, 427 बसावटों को आच्छादित करने के लिए पाँच बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनायें और 150 बसावटों को आच्छादित करने के लिए आर्सेनिक निष्कासन उपचार इकाई युक्त 150 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनायें पूर्व से चालू (जैसे कि अप्रैल 2011 से पूर्व शुरू की गई पेयजलापूर्ति योजनायें) थी। प्रत्येक मिनी पाईप जलापूर्ति योजनायें 1,000 जनसंख्या के आच्छादन तथा चापाकल 200 जनसंख्या के आच्छादन के लिए थे। बिहार में आर्सेनिक प्रभावित बसावटों के आच्छादन के लिए वर्ष 2011–16 के दौरान पूर्व से चालू एवं स्वीकृत नई योजनाओं का विवरण तालिका सं.-2.2.3 में दर्शाया गया है :

**तालिका सं.-2.2.3  
आर्सेनिक प्रभावित बसावटों के आच्छादन हेतु योजनाओं की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अधिष्ठापित की जाने वाली इकाइयों की संख्या	आच्छादित की जाने वाली बसावटों की संख्या	प्राकक्लित राशि	व्यय	निर्मित इकाइयों की संख्या
<b>नया पेय जलापूर्ति योजना</b>						
आर्सेनिक उपचार इकाई के साथ बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	2012-13	2	145	362.14	2.59	0
	2013-14	2	178	329.59	16.00	0
		<b>कुल</b>	<b>4</b>	<b>323</b>	<b>691.73</b>	<b>18.59</b>
<b>चालू पेय जलापूर्ति योजना</b>						
सतही जल से बहु-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	2007-08 तथा 2010-11	5	427	630.81	321.88	0
सोलर मोटर पम्प आधारित आर्सेनिक निष्कासन इकाई	2009-10	150	150	67.63	37.81	57

<sup>16</sup> अररिया, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लक्खीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण, वैशाली

योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अधिष्ठापित की जाने वाली इकाइयों की संख्या	आच्छादित की जाने वाली बसावटों की संख्या	प्राककलित राशि	व्यय	निर्मित इकाइयों की संख्या
सहित मिनी पाईप जलापूर्ति योजना						
	कुल	155	577	698.44	359.69	57
<b>चापाकल</b>						
आर्सेनिक प्रभावित जिलों में चापाकलों का निर्माण	2012-13 2013-14	660 716	660 716	5.73 6.47	4.59 5.37	566 574
	कुल	1,376	1,376	12.20	9.96	1,140
	कुल योग	1,535	2,276	1,402.37	388.24	1,197

(स्रोत: अभियंता प्रमुख, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

तालिका सं.-2.2.3 से यह देखा गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान 57 इकाई मिनी पाईप जलापूर्ति योजनायें और 1,140 चापाकल क्रमशः ₹37.81 करोड़ एवं ₹9.96 करोड़ खर्च करने के पश्चात् पूर्ण किये गये थे। इस प्रकार, पूर्ण किए गए 57 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं से 57,000 जनसंख्या एवं 1,140 चापाकल से 2,28,000 जनसंख्या को आच्छादित किया गया था। सभी को सम्मिलित कर, वर्ष 2011–16 के दौरान, विभाग द्वारा आर्सेनिक प्रभावित बसावटों के 2,85,000 जनसंख्या को आच्छादित किया गया था, समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली वर्ष 2011–12 के ऑकड़ा के अनुसार, 4,67,186 जनसंख्या को जहरीले आर्सेनिक के खतरे पर छोड़ दिया गया था। उपरोक्त से यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2011–16 के दौरान केवल 323 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों को आच्छादित

पर्याप्त निधि के उपलब्धता के बावजूद भी विभाग आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा सका क्योंकि इनके द्वारा पर्याप्त योजना की स्वीकृति में विफलता एवं स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने में दृढ़ विश्वास की कमी थी।

(स्रोत: लो.स्वा. अभि.वि. बिहार सरकार के अभिलेखों का विश्लेषण )

करने के लिए चार नई बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृत की गई थी। ये सभी योजनाएँ मार्च 2016 तक अपूर्ण थीं। इसके अलावा, वे पूर्व से चालू 93 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना एवं पाँच बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना को पूर्ण करने में विफल रहा था। पाँच बहु-ग्रामीण पाईप.जला.यो. में से, तीन (मनेर, हाजीपुर एवं बक्सर) योजनाएँ वर्ष 2007–08 के दौरान स्वीकृत की गई थीं। यह दर्शाता था कि विभाग द्वारा आर्सेनिक प्रभावित बसावटों को पाईप.जला.यो. से आच्छादित करने के लिए प्राथमिकता का निर्धारण नहीं किया गया था। इसके बदले, विभाग प्रत्येक आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में पीने योग्य पानी के लिए एक चापाकल उपलब्ध कराकर आश्वस्त हो गया था। इस प्रकार, विभाग के उदासीन रवैया के कारण, आर्सेनिक प्रभावित बसावटों की जनसंख्या निरंतर आर्सेनिक जहर के खतरे पर है।

उपरोक्त तथ्य महावीर कैंसर इंस्टीच्यूट और शोध संस्थान, बिहार, पटना के शोध अध्ययन से सत्यापित होता था। वातावरण में आर्सेनिक पर छठे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, स्टॉकहोम, स्वीडन (19–23 जून 2016) की कार्यवाही के अनुसार महावीर कैंसर इंस्टीच्यूट और शोध संस्थान, बिहार, पटना के एक दल द्वारा बक्सर जिले के सिमरी एवं तिलक राय का हाता गाँवों का सर्वेक्षण (मार्च 2015) किया गया था। इन दो गाँवों

के सर्वेक्षण अध्ययन से वृहत् समस्यायें जैसे आर्सेनिकोसीस, हार्मोन का असंतुलन और कुछ कैंसर के मामले सामने आये। इस प्रकार, जनसंख्या खासकर 8–14 साल के बच्चे आर्सेनिक जहर के भयानक खतरे पर थे।



बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के तिलक राय के हाता गाँव के आर्सेनिक जहर से प्रभावित लोग बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा बताया (नवंबर 2016) गया कि 60 मीटर गहराई के बाद आर्सेनिक संदूषण नहीं पाये जाने के विचार के साथ इन गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में चापाकल को स्थापित कर छोटे अवधि के उपाय के रूप में उपयोग किया जा रहा था। जवाब लेखापरीक्षा आपत्तियों को पुष्ट करता था कि विभाग अभी भी आर्सेनिक प्रभावित बसावटों को आच्छादित करने के लिए चापाकल पर निर्भर था।

इस प्रकार, आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में आर्सेनिक मुक्त पीने की पानी की उपलब्धता का उद्देश्य ₹388.24 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी पूरा नहीं किया जा सका था।

### 2.2.9.2 फ्लोराईड प्रभावित बसावटें

पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराईड के कारण फ्लोरोसिस बीमारी होता है जो शरीर के विभिन्न उत्तक, अंग और तंत्रों को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति जो अत्यधिक फ्लोराईड के अंतर्ग्रहण के कारण दंत फ्लोरोसिस, अस्थि फ्लोरोसिस इत्यादि से पीड़ित हो सकता था। बिहार में, अप्रैल 2011 तक, 12 जिलों<sup>17</sup> के 3,338 बसावटों के 17,66,785 जनसंख्या फ्लोराईड संदूषण से प्रभावित था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि विभाग द्वारा 350 बसावटों को आच्छादित करने के लिए फ्लोराईड निष्कासन इकाई के साथ 350 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना को स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, 300 बसावटों को आच्छादित करने के लिए फ्लोराईड निष्कासन इकाई के साथ 300 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाएँ एवं एक बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना पूर्व से चालू (यथा अप्रैल 2011 से पूर्व शुरू की गई पेय जलापूर्ति योजनायें) थी। मिनी पाईप पेयजलापूर्ति योजना की प्रत्येक इकाई के साथ फ्लोराईड निष्कासन इकाई की स्वीकृति 1,000 जनसंख्या के आच्छादन वाले एक फ्लोराईड प्रभावित बसावट के लिए था। वर्ष 2011–16 के दौरान बिहार में फ्लोराईड प्रभावित बसावटों के आच्छादन के लिए पूर्व से चालू एवं नई स्वीकृत योजना का विवरण निम्न है :

<sup>17</sup> औरंगाबाद, बाँका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर और शेखपुरा।

**तालिका सं.-2.2.4**  
**फलोराईड प्रभावित बसावटों के आच्छादन हेतु योजनाओं की स्थिति**

(₹करोड़ में)

योजना का नाम	स्वीकृति की वर्ष	स्वीकृति की संख्या	निर्मित किये जाने वाले इकाइयों की संख्या	प्राक्कलित राशि	व्यय	निर्मित इकाइयों की संख्या
<b>नया</b>						
सोलर मोटर पम्प आधारित फलोराईड निष्कासन इकाई सहित मिनी पाईप जलापूर्ति योजना	2012-13	1	150	59.79	31.00	22
	2014-15	1	200	91.85	50.59	0
कुल		<b>2</b>	<b>350</b>	<b>151.64</b>	<b>81.59</b>	<b>22</b>
<b>चालू</b>						
सोलर मोटर पम्प आधारित फलोराईड निष्कासन इकाई सहित मिनी पाईप जलापूर्ति योजना	2009-10	2	300	135.36	46.85	94
खैरा एवं अन्य पाँच फलोराईड प्रभावित गाँवों हेतु बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	2010-11	1	1	32.33	13.72	0
कुल		<b>3</b>	<b>301</b>	<b>167.69</b>	<b>60.57</b>	<b>94</b>
कुल योग		<b>5</b>	<b>651</b>	<b>319.33</b>	<b>142.16</b>	<b>116</b>

(झोत: अभियंता प्रमुख, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचना)

**तालिका सं.-2.2.4** से यह देखा जा सकेगा कि वर्ष 2011-16 के दौरान विभाग द्वारा 17,66,785 जनसंख्या में से केवल 3,50,000 (20 प्रतिशत) को आच्छादित करने के लिए ही योजना स्वीकृत किया गया था। आगे, विभाग द्वारा वर्ष 2011-16 के दौरान 94 चालू मिनी पाईप.जला.यो. एवं 22 नई मिनी पाईप.जला.यो. को पूर्ण कर केवल 116 फलोराईड प्रभावित बसावटों के 1,16,000 जनसंख्या को ₹142.16 करोड़ व्यय करने के पश्चात आच्छादित किया जा सका था। परिणामस्वरूप, 16,50,785 फलोराईड प्रभावित जनसंख्या संदूषित जल पीने के लिए बाध्य था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा बताया (नवंबर 2016) गया कि इन गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को छोटे अवधि के उपाय के रूप में बिना फलोराईड निष्कासन इकाई के चापाकल को अधिष्ठापित किया गया था।

जवाब विभाग के उदासीनता को उजागर करता था कि बिना फलोराईड निष्कासन इकाई के चापाकल स्थापित कर यह मान लिया गया कि फलोराईड प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया गया।

इस प्रकार, वर्ष 2011-16 के दौरान विभाग द्वारा ₹142.16 करोड़ व्यय के बावजूद भी फलोराईड प्रभावित बसावटों के 16,50,785 जनसंख्या (93 प्रतिशत) को सुरक्षित एवं पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहा।


### 2.2.9.3 लौह प्रभावित बसावटें

लौह वस्त्र धोने की क्रिया में विघ्न डालता है, नल साज पर आपत्तिजनक धब्बा का प्रभाव छोड़ता है और स्वाद की समस्या भी पैदा करता है। बिहार में, अप्रैल 2011 तक, 15 जिलों<sup>18</sup> के 13,978 बसावट के 79,05,956 जनसंख्या लौह संदूषण से प्रभावित था।

विभाग द्वारा एक लौह प्रभावित बसावट के 1000 जनसंख्या को आच्छादित करने के लिए लौह पृथक्करण इकाई के साथ मिनी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गई थी। बिहार में वर्ष 2011–16 के दौरान लौह प्रभावित बसावटों को आच्छादित करने के लिए स्वीकृत की गई योजनाओं का विवरण चार्ट सं.-2.2.3 में दिया गया है:

चार्ट सं.-2.2.3

लौह प्रभावित बसावटों के आच्छादन के लिए योजनाओं की स्थिति



(स्रोत: अभियंता प्रमुख, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

योजनाओं के स्वीकृति एवं पूर्ण होनें में असफलता के कारण लौह प्रभावित बसावटों का आच्छादन नहीं हुआ।

चार्ट सं.-2.2.3 दर्शाता है कि वर्ष 2011–16 के दौरान अप्रैल 2011 तक 79,05,956 जनसंख्या में से केवल 3,50,000 जनसंख्या के आच्छादन हेतु विभाग द्वारा योजनाओं की स्वीकृति दी गई। यह मुख्यतः अनुपयुक्त योजनाओं और जमीनी स्तर के आँकड़ों को सम्मिलित करने में विफलता के कारण हुआ था। इसमें विभाग द्वारा ₹78.59 करोड़ व्यय करने के बावजूद मात्र 58 लौह प्रभावित बसावटों के 58,000 जनसंख्या को आच्छादित किया जा सका। परिणामस्वरूप, 78,47,956 लौह प्रभावित जनसंख्या अभी भी अनाच्छादित रह गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा बताया (नवंबर 2016) गया कि इन गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को छोटे अवधि के उपाय के रूप में बिना निष्कासन इकाई के चापाकल को अधिष्ठापित किया गया था।

<sup>18</sup> अररिया, बाँका, बेगुसराय, भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मध्यपुरा, मुंगेर, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा और सुपौल।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा छोटे-अवधि के उपाय के रूप में बिना उपचार इकाई के चापाकल स्थापित किया गया था और प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या पूरे वर्ष के दौरान स्वच्छ पानी की उपलब्धता से वंचित रहा।

इस प्रकार, वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग द्वारा सम्पूर्ण लौह प्रभावित बसावटों के लिए योजना की स्वीकृति नहीं किए जाने और स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण नहीं किए जाने के कारण लौह प्रभावित बसावटों के आच्छादन को सम्पादित नहीं किया जा सका था। परिणामस्वरूप, समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार 78,47,956 (99 प्रतिशत) लौह प्रभावित जनसंख्या ₹78.59 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद भी संदूषित जल पीने को बाध्य थे।

### 2.2.10 विद्यालयों एवं आँगनबाड़ियों का आच्छादन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य से परिलक्षित होता है कि सभी विद्यालयों एवं आँगनबाड़ियों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए। रा.ग्रा.पे.ज.का. के दिशानिर्देश में भी उल्लेख किया गया कि राज्य को ग्रामीण सरकारी विद्यालयों एवं आँगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल स्रोतों की संख्या एवं उपलब्धता के संबंध में राज्य शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से ऑकड़े लेकर संकलित करना था।

यह पाया गया कि विद्यालयों एवं आँगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या एवं उनमें पेयजल की उपलब्धता से संबंधित संकलित ऑकड़े न तो विभाग द्वारा राज्य स्तर पर न ही नमूना-जाँचित प्रमंडलों द्वारा जिला स्तर पर तैयार किये जा रहे थे। हालांकि, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (यू-डाईस ऑकड़े) के ऑकड़ों के अनुसार मार्च 2016 तक बिहार राज्य में कुल 70,813 विद्यालयों में से 4,482 (6.33 प्रतिशत) विद्यालय पेयजल स्रोत विहीन थे। इस प्रकार, योजना का उद्देश्य कि प्रत्येक विद्यालय में पेयजल स्रोत होना चाहिए, पूर्ण नहीं हो पाया।

आगे, पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2011–16 के दौरान विद्यालयों में 16,921 जलापूर्ति इकाइयों के अधिष्ठापन के लिए छ: योजनाओं को स्वीकृति दी, जिसमें से मार्च 2016 तक ₹90.99 करोड़ के व्यय के बाद 11,750 का अधिष्ठापन हुआ। आँगनबाड़ी के लिए विभाग ने वर्ष 2011–16 के दौरान बिहार के सभी जिलों के आँगनबाड़ी में 16,418 चापाकलों के अधिष्ठापन के लिए दो योजनाओं की स्वीकृति दी जिसमें से मार्च 2016 तक ₹62.07 करोड़ के व्यय के बाद 15,156 चापाकल अधिष्ठापित किए गए (परिशिष्ट-2.2.2)। नमूना-जाँचित प्रमंडलों में 5,306 जलापूर्ति इकाइयों में मात्र 3,529 इकाइयों का अधिष्ठापन ₹20.94 करोड़ का व्यय करके विद्यालयों में तथा 5,013 में से 4,368 चापाकलों को ₹16.62 करोड़ व्यय करके आँगनबाड़ी में अधिष्ठापन किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने बताया (नवंबर 2016) की वर्ष 2006 से चापाकलों के अधिष्ठापन का आदेश शिक्षा विभाग को हस्तगत कराया गया था। हालांकि, जवाब रा.ग्रा.पे.ज.का. के दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

### 2.2.11 जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन

वर्ष 2011–16 के दौरान पीने हेतु पर्याप्त सुरक्षित जल, खाना पकाने, एवं अन्य मूल घरेलु जरूरतों के लिए विभाग ने चापाकलों एवं पाईप जलापूर्ति योजनाएँ (पा.ज.यो.) जैसे कि बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना (बहु-ग्रामीण पाईप जला.यो.), एकल ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना (ए.ग्रा.पा.ज.यो.), मिनी पाईप जलापूर्ति योजना (मि.पा.ज.यो.) का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2011–16 के दौरान स्वीकृत योजनाओं के व्यौरा तालिका सं.-2.2.5 में दर्शायी गयी है:

**तालिका सं.-2.2.5**  
**वर्ष 2011–16 के दौरान स्वीकृत एवं पूर्ण योजनाओं की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

योजना का प्रकार	अधिष्ठापित किए जाने वाले इकाइयों की सं.	अधिष्ठापित किए गए इकाइयों की सं. (प्रतिशत)	अपूर्ण इकाइयों की सं. (प्रतिशत)	व्यय की गई राशि
<b>चालू योजनाएँ (1/4/2011 के पूर्व स्वीकृत योजनाएँ)</b>				
बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	06	0 (0)	06 (100)	335.60
एकल ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	156	130 (83)	26(17)	158.96
मिनी पाईप जलापूर्ति योजना (चालू)	2785	487 (17)	2298(83)	214.79
<b>कुल चालू पाईप जलापूर्ति योजना</b>	<b>2,947</b>	<b>617 (21)</b>	<b>2,330 (79)</b>	<b>709.35</b>
<b>नई योजना</b>				
बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	04	0 (0)	04(100)	18.59
एकल ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना (नई)	203	70 (34)	133(66)	293.47
ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना (पुनर्गठन)	160	80 (50)	80(50)	247.53
मिनी पाईप जलापूर्ति योजना (नया)	1908	336(18)	1572(82)	275.04
<b>कुल (नई पाईप जलापूर्ति योजना)</b>	<b>2275</b>	<b>486 (21)</b>	<b>1,789 (79)</b>	<b>834.63</b>
चापाकल	88,162	82,485(94)	5,677(6)	385.30
<b>कुल योग</b>	<b>93,384</b>	<b>83,588 (90)</b>	<b>9,796 (10)</b>	<b>1,929.28</b>

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपरोक्त तालिका सं.-2.2.5 से यह स्पष्ट था कि विभाग द्वारा 17 प्रतिशत पाईप जलापूर्ति योजना, 83 प्रतिशत मिनी पाईप जलापूर्ति योजना तथा 100 प्रतिशत बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना को मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं कराया जा सका था। इसके अतिरिक्त, नई पाईप जलापूर्ति योजना एवं मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के अपूर्ण रहने के विस्तार का प्रतिशतता मार्च 2016 तक 50 से 100 प्रतिशत के बीच था यद्यपि 165 पाईप जलापूर्ति योजना एवं 860 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के पूर्ण हाने की नियत तिथि समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार सभी को समिलित करते हुए 5,222 स्वीकृत पाईप जलापूर्ति योजनाओं में से 4,119 (79 प्रतिशत) अपूर्ण रहा। हालांकि, 94 प्रतिशत चापाकलों पूर्ण कराये गये थे।

पाईप जलापूर्ति योजना/मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के अपूर्ण होने का कारण प्रमुख रूप से कार्यावंटन में विलंब, भूमि उपलब्धता की सुनिश्चितता किए बिना निविदा का आमंत्रण, कार्य में कुंजी यंत्र-संयंत्र एवं मानव बल का निर्धारण नहीं किया जाना, स्थल का चुनाव, नियत समय में कार्य को पूर्ण करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण की कमी इत्यादि थे। कार्यक्रम के घटकवार कार्यान्वयन अनुगामी कंडिकाओं में वर्णित है:

### 2.2.11.1 पाईप जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित बसावटें

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का अहम प्रस्ताव था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति चापाकलों की जगह पाईप जलापूर्ति योजना के माध्यम से की जाए। समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑँकड़े के अनुसार अप्रैल 2011 तक 9.04 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या के लिए कुल 6.86 लाख क्रियाशील चापाकल थे। अतः, एक चापाकल से 200 जनसंख्या के आच्छादन के मानदंड के अनुसार राज्य के पास पूरी जनसंख्या के आच्छादन हेतु पर्याप्त चापाकल थे एवं अब इसे पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादन की जरूरत थी। आगे, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर मार्च 2016 तक राज्य में कुल 10.15 लाख चापाकल उपलब्ध थे और राज्य की 94 प्रतिशत जनसंख्या जल आपूर्ति के लिए चापाकल पर निर्भर थी। विभाग मार्च 2016 तक राज्य के केवल छ: प्रतिशत जनसंख्या को पाईप जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित कर सका था।

इसका मुख्य कारण विभाग द्वारा ग्रामीण बसावटों को पाईप जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011–16 (जनवरी 2017 तक) के दौरान आधारभूत ढाँचा को विकसित करने में विफल रहना था। इसके अलावा, तालिका सं.-2.2.5 से प्रकट हुआ कि विभाग 79 प्रतिशत स्वीकृत पाईप जलापूर्ति योजनाओं को भी पूर्ण करने में विफल रहा था। हालांकि, फरवरी 2016 में सरकार द्वारा प्रत्येक घर में एक नल की व्यवस्था को वर्ष 2020–21 तक उपलब्ध कराने का एक निर्णय लिया गया था। तदनुसार, विभाग द्वारा 21,300 टोलों/बसावटों को प्रत्येक घर को एक नल से आच्छादित करने के लिए ₹7439.25 करोड़ की एक योजना स्वीकृत (मार्च 2016) की। हालांकि, विभाग द्वारा नवम्बर 2016 तक केवल क्रमशः 145, 5,073 और 4,594 आर्सेनिक, फ्लोराईड और लौह संदूषित घरों में ही नल जल की व्यवस्था कर पाया था। आगे, विभाग ने गैर गुणवत्ता प्रभावित परिवारों के आच्छादन के लिए 845 ग्राम पंचायतों के हर घर के लिए एक नल संयोजन हेतु ₹543.61 करोड़ की एक योजना की स्वीकृति दी। योजना 14वें वित्त आयोग और 5वीं राज्य वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से कार्यान्वित किया जाना था। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग ने 3,54,640 परिवारों का पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादन का लक्ष्य तय किया। हालांकि, धन की अनुपलब्धता के कारण दिसम्बर 2016 तक राज्य के केवल छ: प्रतिशत जनसंख्या पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादित रही।


मुख्यमंत्री के सात निश्चयों (फरवरी 2016 में मंत्रिमंडल से स्वीकृति) में से एक निश्चय हर घर जल का नल शामिल था। यह योजना, आगामी पाँच वर्षों में बिहार के प्रत्येक नागरिक को साफ पेय जल पाईप से आपूर्ति के लक्ष्य को सुनिश्चित करता है। यह पूर्ण रूप से पेयजल के रूप में चापाकल तथा अन्य स्रोतों के रूप में लोगों के विश्वास को हटाना चाहती है। हालांकि, विभाग जनवरी 2017 तक ग्रामीण बसावटों को पाईप से जलापूर्ति योजना के ढाँचागत कार्य के विकास में विफल रहा। नतीजनतन्, प्रत्येक घर में एक नल संयोजन के निर्णय के तिथि से एक वर्ष बीत जाने के बाद भी दिसंबर 2016 तक कार्य प्रारंभ भी नहीं कराया जा सका। इसीलिए, बिहार सरकार द्वारा प्रतिबद्ध समय के भीतर ग्रामीण स्रोतों में पानी की आपूर्ति के लिए चापाकल पर निर्भरता कम करने तथा रा.ग्रा.पे.ज.का. के लक्ष्य के साथ हीं सरकार के सात निश्चयों की प्राप्ति के लिए कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि., बिहार सरकार के अभिलेखों का विश्लेषण)

संपूर्ण भारत के साथ—साथ आसपास के राज्यों के बसावटों का पाईप जल से आच्छादन की स्थिति चार्ट सं.—2.2.4 में दी गई हैः—

चार्ट सं.—2.2.4

### पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय औसत के साथ बिहार के पाईप जलापूर्ति की तुलना



चार्ट सं.—2.2.4 से यह स्पष्ट है कि मार्च 2016 तक बिहार में केवल 6% प्रतिशत जनसंख्या पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादित जनसंख्या की प्रतिशतता (मार्च 2016) सभी पड़ोसी राज्यों अर्थात् झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बिहार के आच्छादन से अधिक जो 11 से 35 के बीच में था।

बहिर्गमन सम्मेलन से दौरान, प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति जताई (नवम्बर 2016) और सरकार के सात निश्चय की प्रतिबद्धता को दोहराया जिसमें हर घर के लिए एक नल संयोजन प्रदान करना है।

इस प्रकार, विभाग दिसम्बर 2015 तक ग्रामीण बसावटों में पाईप जलापूर्ति योजना के माध्यम से आच्छादन को बढ़ावा देने की तैयारी करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, हर घर के लिए नल संयोजन प्रदान करने के निर्णय की तिथि से एक वर्ष बीत जाने के बाद दिसम्बर 2016 तक इस कार्य को शुरू भी नहीं किया जा सका। इसलिए बिहार सरकार को प्रतिबद्ध समय के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए चापाकल पर निर्भरता कम करने तथा रा.ग्रा.पे.ज.का. के लक्ष्यों के साथ ही सरकार के सात निश्चयों की प्राप्ति के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है।

पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को अनुगमी कंडिकाओं में दर्शाया गया हैः

### बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना

सभी दसों बहु-ग्रामीण पाईप जला.यो., ₹354.19 करोड़ के व्यय के बावजूद अपूर्ण थे।

राज्य में अप्रैल 2011 तक आर्सेनिक प्रभावित 427 एवं 7% फ्लोराईड प्रभावित बसावटों के आच्छादन हेतु कुल 7% बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना चालू थी। हालांकि, मार्च 2016 तक ₹335.60 करोड़ के व्यय के बावजूद कोई भी बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना पूर्ण नहीं हो सका था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग ने आर्सेनिक प्रभावित 323 बसावटों के आच्छादन हेतु चार नये बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी। जिसमें मात्र एक बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का

अधिष्ठापन प्रगति में था तथा इस पर ₹18.59 करोड़ का व्यय किया गया था। हालांकि, अन्य तीन को अभी शुरू किया जाना था (परिशिष्ट-2.2.3)। इस प्रकार, सभी 10 बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का अधिष्ठापन ₹354.19 करोड़ के व्यय के बाद भी अपूर्ण थे। इन बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में कमी को अनुगामी कंडिकाओं में वर्णित किया गया है:

### स्थल अधिग्रहण में विलंब

बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता (बि.लो.नि.ले.स.) के अनुसार निविदा प्रक्रिया की शुरूआत तभी की जानी चाहिए जब तक नीकी स्वीकृति का अनुमोदन एवं कार्य हेतु निधि का आवंटन कर दिया गया हो। वैसे मामले जहाँ कार्य के कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण आवश्यक हो, कार्य के निविदा प्रक्रिया के शुरूआत के पहले ही भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए।

मुख्यालय तथा नमूना-जाँचित प्रमण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग ने मनेर, कहलगाँव, पीरपैती, मटिहानी, बरौनी और बेगूसराय बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही कार्यों का निष्पादन शुरू किया गया (परिशिष्ट-2.2.4)। मनेर बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का शुरूआत पानी के स्रोत के रूप में गंगा नदी की सतह के पानी पर विचार करके तैयार की गई थी लेकिन आवश्यक भूमि की अनुपलब्धता के कारण इसे बदल कर भूगर्भीय जल स्रोत कर दिया गया। यह स्वीकृति के तिथि से आठ साल के बाद तक अपूर्ण रहा। इसके अलावा, कहलगाँव एवं पीरपैती प्रखण्ड के बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना तथा मटिहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखण्ड के बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना भी भूमि की उपलब्धता में दो से चार वर्षों के विलम्ब के कारण अपूर्ण था। हालांकि, पाईप को बिछाने, मास्टर एलिवेटेड सेवा जलाशयों, प्री. सेटलिंग टैंक इत्यादि पर ₹90.40 करोड़ का व्यय किया गया था।



पटना जिला के मनेर प्रखण्ड में खेतों में बिखरा हुआ पाईप



भागलपुर जिला के कहलगाँव एवं पीरपैती प्रखण्ड के बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में निर्माणाधीन मास्टर एलिवेटेड सेवा जलाशय

इसके अलावा, चार मे से तीन (भोजपुर जिला के शाहपुर तथा नेकनाम टोला एवं समस्तीपुर जिला के पटोरी, मोहीउद्दीनगर तथा मोहनपुर प्रखण्ड) नई बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाएँ भूमि की अनुपलब्धता के कारण अभी तक शुरू नहीं किए गए। अतः, मार्च 2016 तक ₹90.40 करोड़ के व्यय होने के बावजूद, दो चालू तथा एक नई बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना पूरा नहीं किया जा सका।

प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति जताई (नवम्बर 2016) तथा बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

## पूरे रूपांकण अवधि के लिए पानी के स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित किए बगैर कार्य का कार्यान्वयन

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए नियम पुस्तिका अनुबंधित करती है कि प्रणाली चयनित स्रोत के रूपांकण अवधि के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, यह जलवायु परिवर्तन और आसपास के गतिविधियों को अच्छी तरह से विचार करने के साथ स्रोत की धारा के प्रतिकूल को विचार करके तैयार करनी चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि तीन बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना (i) बक्सर (सिमरी), (ii) वैशाली (बिदुपुर, हाजीपुर, सहदेह बुजुर्ग तथा देसरी प्रखंड) और (iii) भागलपुर (सुल्तानगंज तथा नाथनगर प्रखंड) में जल की आवश्यकता को पूर्ण करने में चयनित स्रोतों को कार्य के शुरू करने के बाद बदल दिया गया था। प्रारंभ में इन सभी पाईप जलापूर्ति योजना में स्रोत बिन्दु के रूप में गंगा नदी से पानी लेने के लिए स्थायी जेटटी<sup>19</sup> के प्रावधान के साथ मंजूरी दी गई। बाद में, इनको गंगा नदी के स्रोत स्थल पर जल की व्यापक भिन्नता के कारण फ्लोटिंग जेटटी में बदल दिया गया।



फ्लोटिंग जेटटी के मॉडल आलेख

तैरते हुए जेटटी का अनुमानित चित्र

हालांकि, फ्लोटिंग जेटटी एक नई अवधारणा नहीं थी क्योंकि यह पहले से ही जमालपुर और मुंगेर पाईप जलापूर्ति योजना में अधिष्ठापन किया गया था। अतः, विभाग द्वारा दूरदर्शिता की कमी के कारण गंगा नदी के धारा परिवर्तन व्यवहार का मूल्यांकन नहीं करने के कारण आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में महत्वपूर्ण बहु-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की पूर्णता विफल रहा।



मुंगेर पाईप.जला.यो. का फ्लोटिंग जेटटी




जमालपुर पाईप.जला.यो. का फ्लोटिंग जेटटी

<sup>19</sup> जेटटी : एक लकड़ी अथवा पत्थर से बनी संरचना है जो पानी में समुद्र या झील के किनारे बनी हो तथा नाव से लोगों द्वारा चढ़ने-उतरने में इस्तेमाल किया जाता है।

इसके अलावा, बक्सर जिला के सिमरी बहु-ग्रामीण पार्श्वप जलापूर्ति योजना को वर्ष 2007–08 के दौरान स्वीकृत किया गया था, लेकिन दिसंबर 2016 तक केवल नेटवर्क वितरण प्रणाली का कार्य (94 प्रतिशत), प्री-सेटलिंग टैक (35 प्रतिशत) तथा एक जोनल एलिवेटेड सेवा जलाशय (86 प्रतिशत) का अधिष्ठापन हुआ। आगे, कार्य दिसंबर 2015 से बंद था। यह प्रखंड बुरी तरह से आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित था जैसा कि महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र बिहार, पटना द्वारा आर्सेनिकोसिस के मामले खोजे गए थे।

इसी तरह, वर्ष 2007–08 के दौरान बिदुपुर, हाजीपुर, सहदेह बुजुर्ग और देसरी प्रखंड का बहु-ग्रामीण पार्श्वप जलापूर्ति योजना भी स्वीकृत किया गया था। इस बहु-ग्रामीण पार्श्वप जलापूर्ति योजना के लिए फ्लोटिंग जेट्टी का दर अनुमोदित था लेकिन उनका कार्य अभी भी शुरू नहीं किया गया था। केवल वितरण लाईन का ही काम 95 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया। हालांकि, दिसंबर 2016 तक अन्य कार्यों को बंद कर दिया गया था। भागलपुर जिला के नाथनगर एवं सुल्तानगंज प्रखंड में पार्श्वप वितरण तथा अन्य कार्य प्रगति पर थे।



बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड से संबंधित पार्श्वप खेत में बिखरे हुए।

भागलपुर जिला के सुल्तानगंज एवं नाथनगर प्रखंड के बहु-ग्रामीण पार्श्वप.जल.यो. के निर्माणधीन एलीवेटेड सेवा जलाशय

पूर्ण रूपांकण अवधि हेतु जलापूर्ति योजना के लिए जल स्रोत की उपलब्धता का आकलन नहीं किया गया और ₹247.47 करोड़ के व्यय के बावजूद भी कार्य अपूर्ण रहा।

जैसा कि जल स्रोतों की उपलब्धता का मूल्यांकन पूर्ण रूपांकण अवधि तक सही रूप से नहीं किया गया तथा ₹247.47 करोड़ (**परिशिष्ट-2.2.5**) के व्यय के बाद तीन बहु-ग्रामीण पार्श्वप जलापूर्ति योजना में कार्यक्षेत्र तथा रूपांकण में बदलाव किया गया। हालांकि, उक्त बदलाव के दर (वैशाली जिला के बहु-ग्रामीण पार्श्वप जलापूर्ति योजना को छोड़ कर) की स्वीकृति तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से अनुमोदन भी नहीं ली गई थी। परिणामस्वरूप, किया गया व्यय निष्फल रहा तथा लक्षित बसावटों के व्यक्ति अभी भी सुरक्षित पेयजल से वंचित थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति (नवम्बर 2016) जताई और बताया कि गंगा नदी के घुमावदार प्रकृति पर विचार करते हुए, फ्लोटिंग जेट्टी एक बेहतर विकल्प था।

### 2.2.11.2 पाईप जलापूर्ति योजना

विभाग ने 363 पाईप जलापूर्ति योजना (203 नई इकाई: ₹371.48 करोड़ तथा 160 पुरानी इकाइयों का पुनर्गठन: ₹343.35 करोड़) की स्वीकृति (वर्ष 2011–16 के दौरान) दी थी। इनमें, मार्च 2016 तक 70 (34 प्रतिशत) नई इकाई तथा 80 (50 प्रतिशत) पुराने इकाइयों का पुनर्गठन ₹541 करोड़ का व्यय करते हुए पूर्ण किया गया था। नई इकाइयों के अलावा, अप्रैल 2011 तक 156 पाईप जलापूर्ति योजना इकाई का कार्य चालू (यथा पाईप जलापूर्ति योजना जो 1 अप्रैल 2011 से पहले ली गई) था, जिनमें, 130 पाईप जलापूर्ति इकाई को ₹158.96 करोड़ का व्यय करते हुए वर्ष 2011–16 के दौरान पूर्ण किया गया था। इस प्रकार, 519 इकाइयों में 239<sup>20</sup> इकाइयों ₹699.96 करोड़ के व्यय होने के बाद भी अपूर्ण थे। वर्ष 2011–16 की अवधि के लिए 12 नमूना—जाँचित प्रमंडलों में ₹154.20 करोड़ लागत की 89 इकाइयों (25 पूर्ण एवं 64 अपूर्ण) का नमूना जाँच किया गया। इन इकाइयों से संबंधित अभिलेखों के संवीक्षा के क्रम में, नियमों के पालन के कार्यान्वयन में विफलता, कार्य आवंटन में प्रक्रियागत विलंब तथा बिना विस्तृत प्राक्कलन के मामलों में भुगतान की सूचना पाई गई जो कि नीचे वर्णित है:

#### जनसंख्या का गलत आकलन

तीस वर्ष के पूर्ण रूपांकन अवधि हेतु अनुमानित जनसंख्या को अपेक्षित जल के माँग को पूर्ण नहीं किया जा सके।

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु जनसंख्या का रूपांकण नवीनतम जनगणना (2011) के जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए था। हालांकि, सात नमूना—जाँचित प्रमंडलों के 61 पाईप जलापूर्ति योजना इकाइयों के कार्यान्वयन में जनसंख्या का रूपांकण 2001 के जनगणना के आँकड़ों पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता (रूपांकण) ने विस्तृत योजना प्रतिवेदन को स्वीकृत करते समय त्रुटि के सुधार के लिए कोई भी पहल नहीं किया। परिणामस्वरूप, अनुमानित जनसंख्या के लिए 30 वर्ष के पूर्ण रूपांकन अवधि हेतु अपेक्षित जल के माँग को पूर्ण नहीं किया जा सके (*परिशिष्ट-2.2.6*)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने बताया (नवंबर 2016) कि विभागीय स्तर पर जनगणना के आँकड़े विलंब से प्राप्त करने के कारण 2001 के जनगणना के आधार पर प्राक्कलन बनाया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभागीय स्तर पर वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 के दौरान सभी योजनाओं के स्वीकृत किया गया था तथा उस समय जनगणना 2011 के आँकड़े पहले से ही उपलब्ध थे।

#### पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के प्रतिमानक को नहीं अपनाया जाना

12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार ग्रामीण जलापूर्ति के सेवा स्तर का रूपांकण प्रणाली 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन से बढ़ाकर 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन किया जाना था। हालांकि, वर्ष 2013–15 के दौरान आठ नमूना—जाँचित प्रमंडलों के पाईप.जलापूर्ति योजना के 63 इकाइयों में यह पाया गया कि इनका कार्यान्वयन केवल 40 या 46 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन सेवा स्तर के आधार पर किया गया था। परिणामस्वरूप, मार्च 2016 तक इन योजनाओं से आच्छादित बसावट 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन पेयजल के मानदंड से वंचित (*परिशिष्ट-2.2.7*) था।

विभाग ने अपने जवाब (अक्टूबर 2016) में बताया कि वर्ष 2013 के पूर्व एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना का डी.पी.आर. 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन पर रूपांकित किया गया था।

<sup>20</sup> नया: 133, पुराने पाईप जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन: 80 तथा चालू कार्य: 26

### **सेवा जलाशयों के रूपांकण माँग का गलत गणना**

एलीवेटेड सेवा जलाशयों की गणना कम क्षमता के लिए की गई थी, परिणामस्वरूप पूर्ण रूपांकण अवधि के माँग को हासिल नहीं किया जा सकता।

सेवा जलाशयों की क्षमता कुल रूपांकण माँग के आधा अर्थात् रूपांकण अवधि के 20 वर्ष के आधार पर किया जाना था। हालांकि, नौ नमूना-जाँचित प्रमंडलों के 71 पाईप जलापूर्ति योजना इकाइयों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि जलाशयों की क्षमता का गणना कुल रूपांकण माँग के 30 या 33 प्रतिशत के आधार पर किया गया था। एलीवेटेड सेवा जलाशय (ए.से.ज.) के कम क्षमता पर आकलन किया गया था। परिणामस्वरूप, आवश्यक रूपांकण माँग को पूर्ण रूपांकण अवधि तक हासिल नहीं किया जा सकेगा (*परिशिष्ट-2.2.8*)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने बताया (नवंबर 2016) कि इनको केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन के (के.लो.स्वा. एवं पर्या. अभि.स.) नियम पुस्तिका के अनुसार किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जलाशयों की क्षमता की गणना के लिए तैयार किये गये डी.पी.आर. (फरवरी 2013) नियम पुस्तिका के अनुरूप नहीं था।

### **जल वितरण प्रणाली में फेरुल का प्रावधान नहीं किया जाना**

जल वितरण प्रणाली में फेरुल के माध्यम से घरेलू संयोजन का प्रावधान किसी भी कार्य में नहीं किया गया था।

भारत सरकार के पेयजल एवं जलापूर्ति मंत्रालय के रणनीतिक योजना के अनुसार वर्ष 2017 तक कम से कम 35 प्रतिशत घरेलू परिवारों को उनके प्रांगण में सर्विस कनेक्शन एवं वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत परिवारों को सर्विस कनेक्शन उपलब्ध कराना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घरों में फेरुल<sup>21</sup> के माध्यम से पानी वितरण प्रणाली का प्रावधान किया जाना चाहिए था। नमूना-जाँचित नौ प्रमंडलों के 67 पाईप जलापूर्ति योजना इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि मुख्य अभियंता ने इन पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी थी लेकिन फेरुल के माध्यम से जल वितरण प्रणाली में घरेलू संयोजन का प्रावधान किसी भी कार्य में नहीं किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी से सहमति जताते हुए बताया (अक्टूबर 2016) कि योजनाओं में शुरू में फेरुल संयोजन का प्रावधान नहीं किया गया था। अब सरकार ने घरेलू संयोजन प्रदान करने का निर्णय लिया है।

### **कार्य के कार्यान्वयन में प्रक्रियागत विलंब**

जलापूर्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना पेयजल डी.पी.आर. तैयार करने हेतु प्रदत्त नियम पुस्तिका यह प्रावधान करता है कि एकल जलापूर्ति योजनाओं के रूपांकन, निविदा, निर्माण तथा पूर्ण / चालू करने में विनिर्दिष्ट एक से दो साल का समय लिया जाना चाहिए था। प्रस्तावित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि को इस उद्देश्य के लिए प्रथम दिवस के रूप में माना गया था।

बारह नमूना-जाँचित प्रमंडलों के 64 पाईप जलापूर्ति योजना इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्धाटित हुआ कि नमूना-जाँचित प्रमंडलों ने पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए एकरारनामा / कार्यादेश की तिथि से 12 महीने की अवधि प्रदान की। हालांकि, यह पाया गया कि तकनीकी स्वीकृति (रूपांकण) आठ से 522 दिनों के विलंब से जबकि निविदा का निष्पादन 32 से 364 दिनों के विलंब से किया गया। फलस्वरूप, कार्य आवंटन अर्थात् संवेदक को कार्य आदेश 217 दिनों तक के विलंब से दिया गया था (*परिशिष्ट-2.2.9*)। विलंब का मुख्य कारण प्रमंडलों द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के अनुमोदन के बाद प्राक्कलन की तैयारी में विलंब था। इसके अलावा, मुख्य अभियंता स्तर पर तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन के कारण भी विलंब हुआ। हालांकि, निविदा के निष्पादन में विलम्ब का कारण रथल चयन, पुनर्निविदा, स्थल विवाद इत्यादि था।

<sup>21</sup> पाईप परिच्छेद को एक भाग से दूसरे भाग में जोड़ने/बाँधने हेतु चूड़ीदार धातु।

इस प्रकार, पाईप जलापूर्ति योजना की 64 इकाइयों को नियत समय के अंदर पूर्ण नहीं कराया गया तथा ₹57.88 करोड़ के व्यय के बावजूद मार्च 2016 तक बसावटों को पाईप जलापूर्ति से वंचित किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन (नवंबर 2016) में प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. इस तथ्य से सहमत हुए तथा निकट भविष्य में इसे पालन करने का आश्वासन दिया।

#### प्राक्कलन की तैयारी में विफलता के कारण आधिक्य प्रावधान

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के डी.पी.आर. तैयार करने के नियम पुस्तिका में यह विनिर्दिष्ट था कि योजना के प्रत्येक घटक का विस्तृत प्राक्कलन के साथ-साथ रेखांकन एवं रूपांकण भी तैयार किया जाना चाहिए था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, 12 में से 11 नमूना-जाँचित प्रमंडलों (छपरा को छोड़कर) में यह पाया गया कि एलीवेटेड सेवा जलाशयों के अधिष्ठापन का विस्तृत प्राक्कलन नहीं बनाया गया था तथा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के डी.पी.आर. के साथ संलग्न किया गया था। इसके बजाय, परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) एवं डी.पी.आर. में इलीवेटेड सेवा जलाशयों का दर एकमुश्त आधार पर प्रदान किया गया था। नमूना-जाँचित प्रमंडलों के पाईप जलापूर्ति योजना के 32 इकाइयों में प्रावधानित इलीवेटेड सेवा जलाशयों के एकमुश्त दर का विश्लेषण लो.स्वा. प्रमंडल, छपरा के दरों से करने पर यह उद्घाटित हुआ कि पाईप जलापूर्ति योजना की 32 इकाइयों में ₹1.37 करोड़ का अधिक प्रावधान किया गया था जिसमें पाँच नमूना-जाँचित प्रमंडलों के 22 पाईप जलापूर्ति योजना पर ₹0.79 करोड़ का आधिक्य व्यय किया जा चुका था (परिशिष्ट-2.2.10)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी से सहमति (नवंबर 2016) व्यक्त की तथा कहा कि भविष्य में एलीवेटेड सेवा जलाशयों का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों पर किये जाने वाले कार्रवाई के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

#### 2.2.11.3 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना

राज्य में 1 अप्रैल 2011 को 2,785 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की इकाइयों का अधिष्ठापन चालू (अप्रैल 2011 से पूर्व स्वीकृत) था। इनमें से 487 इकाइयों (17 प्रतिशत) को ₹214.79 करोड़ के लागत पर पूर्ण किया जा चुका था तथा 2,298 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना मार्च 2016 तक अपूर्ण था (परिशिष्ट-2.2.11)। विभाग ने मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के 2,180 अपूर्ण इकाइयों, जिनकी लागत ₹392.73 करोड़ थी, को असंतोषजनक प्रगति तथा लंबे समय से कार्य कार्यान्वयन में विफलता के कारण विखंडित (मई 2014 से जनवरी 2015) कर दिया।

विभाग ने वर्ष 2011–16 के दौरान मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की 1,908 इकाइयों को स्वीकृत किया जिसमें मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की 1,184 इकाइयों की मई 2016 तक पूर्ण करने की नियत तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इन 1,184 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की इकाइयों में से विभाग ने ₹198.60 करोड़ की लागत पर मात्र 324 (27 प्रतिशत) को पूर्ण किया तथा शेष 860 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना अपूर्ण थी। इस प्रकार, 3,969 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना में से 3,158 मार्च 2016 तक अपूर्ण थी (परिशिष्ट- 2.2.12)।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011–16 के दौरान सभी नए मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के निविदा तथा कार्यादेश की स्वीकृति मुख्यालय स्तर पर निष्पादित किए गए थे लेकिन विभाग ने योजना का डी.पी.आर. लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) की मिनी पाईप जलापूर्ति योजना एक बहुत छोटी योजना थी जिसमें विस्तृत रेखांकन एवं रूपांकन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्थल के अवस्था के अनुरूप किया जाता था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि छोटी योजना के नाम पर बड़ी संख्या में योजनाओं का कार्यान्वयन इस अवधि में कराया गया था।

मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

#### **मुख्य यंत्र एवं संयंत्र तथा मुख्य कार्मिकों के आकलन के बिना कार्य का कार्यान्वयन**

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मुख्य अभियंता (शहरी), लो.स्वा.अभि.वि., पटना ने आठ नई मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन (जनवरी 2013 से नवंबर 2014) किया था। इन योजनाओं का कार्यादेश भी मुख्य अभियंता (शहरी), लो.स्वा.अभि.वि., पटना द्वारा दिया गया तथा बोली लगाने वाले को विनिर्दिष्ट लो.स्वा. प्रमंडलों के साथ एकरारनामा करने का निर्देश दिया गया।

निविदा दस्तावेजों तथा कार्यादेश के अभिलेखों के संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि मुख्य यंत्र एवं संयंत्र तथा मुख्य कार्मिकों का आकलन कार्य की मात्रा के अनुरूप नहीं किया गया था। विभाग ने सात से 12 जिलों में 80 से 281 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की इकाइयों के अधिष्ठापन के लिए समान रूप से चार मुख्य यंत्र एवं संयंत्र तथा 10 मुख्य कार्मिकों की (*परिशिष्ट 2.2.12*) आवश्यकता को निर्धारित किया। परिणामस्वरूप, 1,908 में से मात्र 336 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना को मार्च 2016 तक पूर्ण कराया जा सका, हालांकि, 1,184 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के पूर्ण होने का नियत समय पहले ही बीत चुका था। नमुना जाँचित प्रमंडलों के कार्य.अभि. ने भी कहा कि संवेदक के पास समय पर कार्य को कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त यंत्र एवं संयंत्र तथा मुख्य कार्मिक नहीं थे। यह दर्शाता था कि विभाग ने 1,908 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के अधिष्ठापन के लिए कार्यों की मात्रा के संदर्भ में वास्तविक यंत्र एवं संयंत्र तथा मुख्य कार्मिक की आवश्यकता का विश्लेषण नहीं किया था।

प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति (नवम्बर 2016) जताई तथा कार्यों को सौंपने के पहले जरूरत के अनुसार आवश्यकता का आकलन करने के लिए सुनिश्चित किया।

#### **स्थल उपलब्धता के बिना कार्य को सौंपा जाना**

बिहार लोक लेखा निर्माण संहिता (बि.लो.ले.नि.स.) के अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति तथा निधि के आवंटन के पश्चात् ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वैसे मामलों जहाँ भूमि अधिग्रहण कार्य के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो, उक्त कार्य में निविदा प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसे अग्रिम में ही पूर्ण किया जाना चाहिए।

1,908 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की इकाइयों के अभिलेखों के संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि मुख्य अभियंता (शहरी), लो.स्वा.अभि.वि., पटना ने कार्यादेश में सभी संबंधित का.अभि. को उनके जिलों में मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के अधिष्ठापन के लिए उपयुक्त स्थल सूची प्रदान करने का निर्देश दिया। यह दर्शाता था कि निविदा प्रक्रिया के शुरुआत से पूर्व इन योजनाओं का स्थल निर्धारण नहीं किया गया तथा भूमि उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना कार्य का आवंटन किया गया। परिणामस्वरूप, मार्च 2016 तक मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के 1,908 इकाइयों के विरुद्ध मात्र 1,614 के

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरू किया गया।

स्थल को संवेदक को सौंपा गया था (**परिशिष्ट 2.2.13**)। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, नमूना-जाँचित जिलों के का.अभि. ने भी कहा कि कार्य आवंटन के बाद स्थल का चयन को शुरू करना जो आगे भू-अर्जन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त नहीं होने के कारण विलंबित हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने कहा (नवंबर 2016) कि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी और मुख्य रूप से पुरे राज्य में भूमि की समस्या रहने के कारण कार्य अपूर्ण रहे।

इस प्रकार, विभाग 3,158 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की इकाइयों को पूर्ण कराने में विफल रहा तथा मार्च 2016 तक 31.58<sup>22</sup> लाख की जनसंख्या सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल से वंचित रहा। इनमें 7.19 लाख की जनसंख्या आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन संदूषण से प्रभावित थे। मिनी पाईप जलापूर्ति योजना पूर्ण नहीं किए जाने के कारण विभाग पेयजल हेतु चापाकलों पर निर्भरता को कम करने के लक्षित उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा।

## **2.2.12 संचालन एवं रख—रखाव**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) एवं स्थानीय समुदायों को अपने गाँवों में पीने के पानी के स्रोतों और प्रणालियों का प्रबंधन करने में सक्षमता माहौल और समर्थन प्रदान करना था। इसके लिए, स्थानीय समुदायों तथा पंचायती राज संस्थानों द्वारा गठित ग्रामीण जलापूर्ति संगठन को मौजूदा पेयजल की आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन, संचालन और रख—रखाव को हस्तांतरित किया जाना था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान नमूना-जाँचित जिलों में स्थानीय समुदायों एवं पंचायती राज संस्थानों को संचालन तथा रख—रखाव के लिए न तो निधि और न ही जलापूर्ति योजना को हस्तांतरित किया गया। पूछे जाने पर, नमूना-जाँचित प्रमंडलों के कार्य.अभि. ने बताया कि या तो ग्रामीण जलापूर्ति संगठन का गठन नहीं होने या अक्रियाशील होने के कारण जल आपूर्ति योजना का स्थानांतरण नहीं किया गया।

विभाग ने जवाब (अक्टूबर 2016) में कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति संगठन के स्थान पर प्रत्येक गाँव में 'लोक निर्माण समिति' गठित किया गया है तथा ये अपने गाँव में पेयजल जलापूर्ति के संचालन एवं रख—रखाव के लिए जिम्मेवार हैं। हालांकि, नमूना-जाँचित प्रमंडलों में इस तरह का कोई भी समिति क्रियाशील नहीं पाए गए।

इस प्रकार, पूर्ण योजनाओं का संचालन एवं रख—रखाव विभाग द्वारा स्वयं किया जा रहा था।

### **2.2.12.1 चापाकलों के संचालन एवं रख—रखाव की कमी के कारण बसावटों का आंशिक आच्छादित कोटी में स्लीप्ड बैक होना**

बिहार में, ग्रामीण समुदायों के मुख्य पेयजल स्रोत चापाकल हैं तथा ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 94 प्रतिशत को जल आपूर्ति करता है। हालांकि, विभाग ने चापाकलों का पर्याप्त संचालन एवं रख—रखाव नहीं किया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2011–16 के दौरान आंशिक आच्छादित कोटी में बसावटें स्लीप बैक हो गए। तालिका सं.—2.2.6 में दिए गए हैं :

<sup>22</sup>  $3158 \times 1000$  (एक मिनी पाईप जलापूर्ति योजना 1,000 की जनसंख्या के लिए)=31,58,000  
अर्थात् 31.58लाख

### तालिका सं.– 2.2.6

**वर्ष 2011–16 के दौरान क्रियाशील, निष्क्रिय चापाकलों एवं उनके संचालन एवं रख–रखाव की स्थिति**

वर्ष	सरकारी चापाकलों की संख्या प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के अनुसार	क्रियाशील चापाकलों की संख्या	निष्क्रिय चापाकलों की संख्या	वर्ष के दौरान मरम्मती एवं रख रखाव के लिए सुविचारित चापाकलों की संख्या			स्लीप्ड बैक बसावटें (सं. में)
				लक्ष्य	उपलब्धि (बैकलॉग सहित)	किया गया व्यय (₹करोड़ में)	
2011-12	8,46,309	6,86,169	1,60,140	1,24,929	1,66,991 (104)	21.18	569
2012-13	8,81,964	7,19,923	1,62,041	1,03,450	1,51,409 (93)	18.16	19,032
2013-14	9,31,582	7,70,353	1,61,229	1,09,780	1,30,768 (81)	14.08	30,063
2014-15	9,62,586	8,03,031	1,59,555	1,09,780	1,14,661 (72)	26.23	1,719
2015-16	10,15,340	8,45,664	1,69,676	1,09,384	1,08,461 (64)	10.26	1,701
कुल			<b>8,12,641</b>	<b>5,57,323</b>	<b>6,72,290 (83)</b>	<b>89.91</b>	<b>53,084</b>

(स्रोत: अभियंता प्रमुख, लो.स्वा.अभि.वि., पटना द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

(कोष्ठक के आँकड़े वर्ष के दौरान कुल अक्रियाशील चापाकलों के विरुद्ध प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाता है)

**तालिका सं.–2.2.6** से यह देखा जा सकता था कि विभाग ने सभी अक्रियाशील चापाकलों को संचालन एवं रख–रखाव हेतु नहीं लिया। वर्ष 2012–16 के दौरान मात्र 64 से 93 प्रतिशत चापाकलों का संचालन एवं रख–रखाव किया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2011–16 के दौरान 53,084 बसावटें जो पेयजल हेतु चापाकलों पर पूर्णतः आश्रित या आंशिक आच्छादित कोटि में स्लीप्ड बैक हो गए।

विभाग द्वारा बताया (अक्टूबर 2016) गया कि नियमित रूप से मामूली मरम्मत के लिए संचालन एवं रख–रखाव किया गया परंतु निष्क्रिय या अक्रियाशील चापाकलों के पुनःस्थापन या नए चापाकलों की स्थापना की जरूरत थी।

विभाग का जवाब इस तथ्य को पुष्ट करता था कि अक्रियाशील चापाकलों के मरम्मती में टाल–मटोल प्रवृत्ति के कारण पेयजल के मामलों में पूर्ण आच्छादित कोटि के बसावटों का आंशिक आच्छादन कोटि में स्लीप्ड बैक हुआ।

#### 2.2.12.2 पूर्ण मिनी पाईप जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रख–रखाव

वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग ने मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के 993 निर्मित इकाइयों के संचालन एवं रख–रखाव के लिए पाँच योजनाओं को स्वीकृत किया। इन कार्यों के निविदा तथा कार्य आवंटन का कार्य सितम्बर 2011 और नवम्बर 2015 के दौरान किया गया। विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर 993 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की इकाइओं के संचालन एवं रख–रखाव की स्वीकृति के विरुद्ध केवल 937 इकाइओं के स्थल को मार्च 2016 तक संवेदक को सौंपा गया था। हालांकि, मार्च 2016 तक मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के 367 इकाइयों के बिना किसी रख रखाव के छोड़ते हुए 626 इकाइयों का संचालन एवं रख–रखाव किया जा रहा था। विभाग द्वारा 367 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना जिनका रख–रखाव नहीं किया जा रहा था में 241 इकाई आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा लौह से प्रभावित बसावटें थे (परिशिष्ट–2.2.14)।

नमूना–जाँचित प्रमण्डलों में यह देखा गया कि चार स्वीकृतियों के तहत् (लौह संक्रमित बसावटों के मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रख–रखाव के स्वीकृति को छोड़कर) संवेदक संबंधित लो.स्वा. प्रमण्डल के का.अभि. से या तो एकरारनामा करने में विफल रहें या संचालन एवं रख–रखाव के कार्य को बंद कर दिया। इसे पूछें जाने पर, नमूना–जाँचित प्रमण्डलों के का.अभि. ने बताया कि जिला स्तर पर न तो संवेदक ने कार्यालय स्थापित किया न ही कोई भी प्रतिनिधि मौजूद था। अतः स्थानीय प्रतिनिधियों

मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की 367 इकाई का विभाग द्वारा संचालन एवं रख–रखाव नहीं किया गया जिनमें 241 इकाई आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं लौह प्रभावित बसावटों से संबंधित थे।

के अभाव में पूर्ण मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के रख-रखाव बुरी तरह से प्रभावित हुए।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने बताया (नवंबर 2016) कि इसे निकट भविष्य में संधारित किया जाएगा।

इस प्रकार, स्थानीय समुदायों विशेषकर गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को अपने स्वयं के पीने के पानी के स्रोतों और प्रणालियों के प्रबंधन को सक्षम बनाने के उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया।

### 2.2.13 योजनाओं के संवहनीय घटक

संवहनीय घटक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना था। गुणवत्ता प्रभावित बसावटों तथा केंद्रीय भू-जल बोर्ड (के.भू.जल.वो.) द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम भरा, अर्द्ध-जोखिम भरा तथा अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर संवहनीय संरचनाओं को लिया जाना चाहिए था।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने बिहार के आठ जिलों के 11<sup>23</sup> प्रखण्डों को अर्द्ध-जोखिम<sup>24</sup> भरा चिह्नित किया (मार्च 2011) था। हालांकि, समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली में संवहनीय घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि के अपलोड किये गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011–16 के दौरान इन आठ जिलों के 11 प्रखण्डों में कोई भी रिचार्ज संरचना का अधिष्ठापन नहीं कराया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने कहा (नवंबर 2016) कि इन संरचनाओं का कार्यान्वयन अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा था, एवं इन से संबंधित आँकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं थे। जवाब रा.ग्रा.पे.ज.का. के दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुरूप नहीं था।

इस प्रकार, विभाग ने दिशानिर्देशों के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अर्द्ध-जोखिम भरा क्षेत्रों में संवहनीय संरचना के अधिष्ठापन में संवहनीय घटक के निधि का उपयोग नहीं किया।

#### 2.2.13.1 चापाकल के माध्यम से स्थिरता

केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड द्वारा प्रकाशित (वर्ष 2013) भारत में भू-गर्भीय जल के कृत्रिम रिचार्ज के मास्टर योजना के अनुसार दो जिलों अर्थात् गया एवं जमुई को कृत्रिम रिचार्ज के लिए उपयुक्त क्षेत्र के रूप में चयन किया गया था। केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड ने इन क्षेत्रों में 277 परकोलेशन टैंक, 1,663 नाला बण्डंग तथा 118 रिचार्ज सॉफ्ट के रूप में कृत्रिम रिचार्ज संरचना के अधिष्ठापन का सुझाव दिया।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विभाग ने वर्ष 2011–16 के दौरान गया तथा जमुई जिलों में सुझाये गये कृत्रिम संरचनाओं की कोई योजना स्वीकृत नहीं किया था। इसके बावजूद, वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग ने स्रोत बिन्दु रिचार्जिंग प्रणाली के रूप में पुराने एवं निष्क्रिय चापाकलों के स्थान पर 59,198 चापाकलों के अधिष्ठापन के लिए तीन योजनाओं को स्वीकृत किया, जिसमें ₹262.90 करोड़ के व्यय के बाद 55,907 चापाकलों का अधिष्ठापन किया गया था। विभाग ने इन चापाकलों की स्वीकृति प्रति

<sup>23</sup> (i) बिरपुर (बैगूसराय), (ii) गया सदर (गया), (iii) कूर्था (अरवल), (iv) मसौढ़ी (पटना), (v) मसकौर (नवादा), (vi) मुसहड़ी (मुजफ्फरपुर), (vii) नगरनौसा (नालंदा), (viii) नाव कोठी (बैगूसराय), (ix) राजगीर (नालंदा), (x) संपतचक (पटना) और (xi) ताजपुर (समस्तीपुर)

<sup>24</sup> वैसा क्षेत्र जहां भूगर्भीय जल का विकास 70 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच में होता है तथा दीर्घावधि में जल स्तर मानक में महत्वपूर्ण अवनति मानसून पूर्व अथवा मानसून के बाद के अवधि में अभिलेखित किया जा चुका है को अर्द्ध-जोखिम भरा क्षेत्र कहा जाता है।

पंचायत दो या चार चापाकलों के अधिष्ठापन के आधार पर किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि, संवहनीय संरचना के नाम पर इन चापाकलों का अधिष्ठापन कराया गया लेकिन यह मुख्य रूप से बसावटों के आच्छादन के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार, व्यय अनियमित था।

नमूना—जाँचित प्रमण्डलों में यह भी पाया गया कि पुराने एवं निष्क्रिय चापाकलों के अप्रयुक्त सामग्री की बिक्री या बचे हुए सामग्रियों के निस्तारण से प्राप्त आय के लिए प्रमण्डलों द्वारा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने बताया कि बिहार के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी के कारण पुराने एवं निष्क्रिय चापाकलों के विरुद्ध नए चापाकलों को अधिष्ठापित किया गया।

जवाब स्वतः पुष्ट करता है कि विभाग स्वीकृतियों में दर्ज प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पुराने एवं निष्क्रिय चापाकलों के स्थान पर केवल नए चापाकलों का अधिष्ठापन किया।

### अनुसाराँ

**विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि:**

- राज्य में भू-गर्भ जल रिचार्ज से संबंधित जोखिम भरा, अर्द्ध-जोखिम भरा तथा अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों की पहचान हो।
- केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड के सिफारिश के अनुसार कृत्रिम रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण हो।

### 2.2.14 सहायक गतिविधियाँ

विभाग द्वारा सहायक गतिविधियों के रूप में गतिविधियाँ जैसे जल स्वच्छता एवं सहायक संगठन (ज.स्व. एवं स.संगठन) और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि.ज. एवं स्व.मिशन), सूचना प्रबंधन प्रणाली और अनुसंधान तथा विकास को सुदृढ़ीकरण कर किया जाना था।

#### 2.2.14.1 जल स्वच्छता तथा सहायक संगठन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों में सलाहकार नियुक्त कर ज.स्व. एवं स.संगठन एवं जि.ज. एवं स्व.मिशन को सुदृढ़ करने की जरूरत थी। यह पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.)/स्थानीय निकायों/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (ग्रा.ज. एवं स्व.स.) को ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों से संबंधित लक्षित सूचना, शिक्षा एवं प्रसार (आई.ई.सी.) और मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) गतिविधियों के साथ-साथ योजना, कार्यान्वयन तथा संचालन एवं रख-रखाव में सक्षम बनाने में मदद करता है। इसके अलावा, ग्रामीण जलापूर्ति संगठन तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रखंड संसाधन केंद्रों (बी.आर.सी.) को स्थापित किया जाना था।

पंचायती राज संस्थानों को अपने पेयजल स्रोतों को प्रबंधन हेतु सहायता एवं पर्यावरण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने हेतु विभाग द्वारा प्रमंडल स्तर पर सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नवम्बर 2010 में ज.स्व. एवं स.संगठन का गठन किया गया था। हालांकि, ज.स्व. एवं स.संगठन<sup>25</sup> और जि.ज.स्व. मिशन<sup>26</sup>, के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की स्वीकृति मार्च 2013 में प्रदान किया गया था। हालांकि, मानव संशाधन तथा विकास (एच.आर.डी.), सूचना, शिक्षा एवं प्रसार (आई.ई.सी.), अनुश्रवण एवं मूल्यांकण (एम. एण्ड ई.) तथा जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण (डब्ल्यू.क्यू.एम. एण्ड एस.) के लिए एक—एक सलाहकार की नियुक्ति जनवरी 2016 में की गई थी। नमूना—जाँचित प्रमण्डलों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन/जिला जल एवं स्वच्छता संगठन में सलाहकार को नियुक्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तर पर भी जल एवं स्वच्छता संगठन के साथ प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड संशाधन केन्द्र का गठन नहीं किया गया था।

प्रमंडल स्तर पर सलाहकार नियुक्त नहीं किए जाने के कारण, पंचायती राज संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को अपने पेयजल स्रोतों तथा प्रणालियों को अपने ग्रामों में प्रबंधन हेतु सहायता एवं पर्यावरण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने संबंधित कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन तथा रख—रखाव हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उनके पास का.अभि. से क.अभि. तक मानव बल थे।

विभाग को ज. एवं स्व.मिशन को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में सलाहकार नियुक्त करने की आवश्यकता थी जो दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया गया था।

#### 2.2.14.2 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के पेयजल आपूर्ति मंत्रालय द्वारा समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली को संधारित किया जा रहा था जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निगरानी का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए कर्मियों को डी.डी.डब्ल्यू.एस. द्वारा निर्धारित ऑकड़ों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत ऑकड़ों के आधार पर निधि को जारी किया जाता है।

समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली ऑकड़ों के संवीक्षा दौरान यह ज्ञात हुआ कि समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली में सही ऑकड़ों को अद्यतन नहीं किया गया था तथा प्रदत्त सूचनाओं से ये मेल नहीं खाते थे जैसा कि नीचे वर्णित है :

- इसके अतिरिक्त, समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों से यह पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान संवहनीयता संरचना के अधिष्ठापन का लक्ष्य 1,468 था। इसके विरुद्ध ₹64.94 करोड़ के व्यय के बाद 1,023 संरचनाओं का अधिष्ठापन दर्शाया गया। हालांकि, वर्ष 2011–16 के दौरान रा.स्त.यो.स्वी.स. द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सूचियों के संवीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान संवहनीय संरचनाओं से संबंधित योजनाओं को स्वीकृत नहीं किया गया था।
- समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2011 तक 7,52,186 लोग आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित थे। वर्ष 2011–16 के दौरान मार्च 2016 तक विभाग ने 4,67,186 जनसंख्या को अनाच्छादित छोड़ते हुए 2,85,000 आर्सेनिक संक्रमित जनसंख्या को आच्छादित किया था। हालांकि, मार्च 2016 तक

<sup>25</sup> निदेशक—1, सलाहकार आई.ई.सी.—1, एच.आर.डी.—1, एम.एण्ड.ई.—1, जल गुणवत्ता सलाहकार—1

<sup>26</sup> सलाहकार आई.ई.सी. एण्ड इक्वीटी—38, एम.एण्ड.ई. तथा प्र.सू.प्रणाली.—38, एच.आर.डी.—38, हाइड्रोजियोलिस्ट—38, सैनिटेसन एण्ड हाइजीन—38

ऑकड़ा समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली में मात्र 1,07,833 आर्सेनिक प्रभावित जनसंख्या को ही दर्शाया था।

- समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली ऑकड़ों के अनुसार अप्रैल 2011 तक 3,338 बसावटें ही फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित था। वर्ष 2011–16 के दौरान मार्च 2016 तक विभाग 3,222 बसावटों को छोड़ते हुए 116 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों का ही आच्छादन कर सका था। हालांकि, मार्च 2016 तक समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली ऑकड़ा के अनुसार केवल 1,093 बसावटों को फ्लोराइड प्रभावित दर्शाया गया था।
- इसी प्रकार, समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली ऑकड़ों के अनुसार 13,978 बसावटें लौह संदूषण से प्रभावित था यद्यपि वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग केवल 58 लौह प्रभावित बसावटों को आच्छादित कर सका था। परिणामस्वरूप, मार्च 2016 तक 13,920 लौह प्रभावित बसावटों अनाच्छादित रहा था। हालांकि, मार्च 2016 तक समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली ऑकड़ा के अनुसार मात्र 4,402 बसावटों को लौह प्रभावित दर्शाया था।

**कार्यक्रम कार्यान्वयन की अनुश्रवण के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों की विश्वसनीयता संदेहास्पद थी।**

इस प्रकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन की अनुश्रवण के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली ऑकड़ों की विश्वसनीयता संदेहास्पद थी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि अद्यतन प्रति वर्ष किया जाता था जो कि एक बोझिल प्रक्रिया थी तथा अद्यतन करने के लिए कुशल आई.टी. कार्मिकों की आवश्यकता थी। हालांकि, यह आश्वस्त किया गया था कि इसके लिए प्रयास किया जा रहा था।

### 2.2.14.3 अनुसंधान एवं विकास

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों में ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्रों में उभरते नए मुददों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (आर. एण्ड डी.) सुविधाओं की स्थापना करने को उल्लेखित करता है। तदनुसार, राज्य सरकार को पर्याप्त मानव-बल तथा बुनियादी सुविधाओं के साथ अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करना था।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि विभाग राज्य के लोगों के लिए कुशल जल वितरण और जल प्रबंधन की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएँ स्थापित करने के लिए कोई भी कार्य शुरू नहीं किया था। इस प्रकार, विभाग चालू जलापूर्ति योजना (बहु.ग्रामीण पाईप जला.यो.) के किसी भी उभरते चुनौतियों का समाधान करने में असफल रहा एवं योजनाओं में विलंब हो रहा था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने बताया (नवंबर 2016) कि भारत सरकार द्वारा सुझाए गए संरचनाओं को विभाग द्वारा लिया जा रहा था।

### 2.2.14.4 जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी (ज.गु.अनु एवं नि.) के मुद्दे पर जोर दिया जाना था। इसके लिए, राज्य को राज्य, जिला तथा अनुमंडल स्तर पर पेयजल जाँच प्रयोगशाला की स्थापना तथा उन्नयन के लिए रा.ग्रा.पे.ज.का. (ज.गु.अनु एवं नि.) के निधि का उपयोग करना था। नमूनों का शत् प्रतिशत जाँच जीवाणु के साथ ही रासायनिक और भौतिक दोनों मापदंडों को अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं में किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रयोगशाला द्वारा नियमित पूर्नसंत्यापन के अलावा 10 प्रतिशत नमूनों का जिला प्रयोगशालाओं से संत्यापन करना चाहिए था। रासायनिक एवं भौतिक मापदंडों के लिए, वर्ष में एक बार जाँच किया जाना चाहिए और जीवाणु मापदंडों के लिए, एक वर्ष में दो बार (मानसून

के पहले एवं बाद में) तथा पानी से संबंधित बीमारियों का पता लगाने पर जब जाँच वांछनीय हो। इसके अलावा, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी निधि से क्षेत्र परीक्षण किट (क्षेत्र परीक्षण किट) खरीदा जाना चाहिए तथा सभी ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) को सभी स्रोतों के जाँच के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।


अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं के अभाव, क्षेत्र परीक्षण किट प्रदान करने में असफलता एवं आवश्यक मानव बल की कमी के कारण प्रयोगशाला की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य स्तर (1) तथा जिला स्तर पर (38) पर जल जाँच प्रयोगशाला उपलब्ध थे। हालांकि, रा. स्तरीय यो.स्वी.स द्वारा 76 अनुमंडलों में जल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला के स्थापना एवं इनके पाँच वर्षों के संचालन एवं रख रखाव के लिए स्वीकृति प्रदान (जुलाई 2014) की गई थी। लेकिन इनका मार्च 2016 तक स्थापना नहीं किया गया था क्योंकि विभाग निविदा कार्य का निष्पादन विलंब से किया एवं एजेंसी को नवंबर 2016 में कार्य आवंटित किया गया।

इसलिए, वर्ष 2011–16 के दौरान जल स्रोतों की जाँच अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं के अभाव में जिला प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा रहा था। वर्षवार राज्य तथा जिला प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए जल परीक्षण का ब्यौरा नीचे चार्ट सं.-2.2.5 में दर्शाया गया है:

#### चार्ट सं.-2.2.5

राज्य एवं जिला प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित स्रोतों की संख्या से संबंधित विवरणी



चार्ट सं. 2.2.5 से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011–16 के दौरान जल स्रोतों का जाँच मात्र आठ से 16 प्रतिशत किया गया था यद्यपि जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी मद में ₹20.43 करोड़ का व्यय किया गया था। यह मुख्य रूप से अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं के स्थापना में विफलता तथा राज्य के जिला प्रयोगशालाओं में (38 स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रत्येक में 32 रसायनज्ञ तथा प्रयोगशाला सहायक) आवश्यक मानव बल की कमी के कारण था। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि पूर्व में प्रदान की गई क्षेत्र परीक्षण किट के परिणाम उत्साहजनक नहीं होने की वजह से ग्राम पंचायत को क्षेत्र परीक्षण किट प्रदान नहीं किया गया था।

अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं के अभाव, क्षेत्र परीक्षण किट वितरण करने में असफलता एवं आवश्यक मानव बल की कमी के कारण पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने बताया (नवम्बर 2016) कि अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य अभिकरणों को सोंपा गया था।

### अनुशंसाएँ

**विभाग को चाहिए कि:**

- सभी पेयजल स्रोतों के जाँच के लिए अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करें; तथा
- प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक मानव बल तथा अंतः संरचनाओं की उपलब्धता करें।

### 2.2.15 निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में हर ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना बनाने, तथा अन्य बुनियादी घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त सुरक्षित जल उपलब्ध कराना था जो कि अब तक अपूर्ण था। कार्यक्रम के असफलता का मुख्य कारण अपूर्ण योजना, कमज़ोर वित्तीय प्रबंधन एवं कार्यान्वयन में कमी था।

वर्ष 2011–16 के दौरान आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह संदूषण से प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया क्योंकि वे या तो स्वीकृत योजना से आच्छादित नहीं थे अथवा स्वीकृत योजना अपूर्ण थी। परिणामस्वरूप, ₹609 करोड़ व्यय के बावजूद 4.67 लाख आर्सेनिक, 16.51 लाख फ्लोराईड एवं 79.06 लाख लौह प्रभावित जनसंख्या सुरक्षित पेयजल से वंचित रहा।

वित्तीय वर्ष 2011–16 के दौरान किसी भी वर्ष में विभाग कुल आवंटित निधि का उपयोग नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, राज्य ₹278.20 करोड़ केन्द्रांश से वंचित रहा।

पूर्ण आच्छादित बसावटों की प्रतिशतता वर्ष 2011 में 69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016 में 54 प्रतिशत रह गई थी। इसका मुख्य कारण बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सेवा स्तर मानदण्ड में 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) बढ़ाने में विभाग की असफलता और अकार्यरत चापाकलों के रख-रखाव का अभाव था।

विभाग वर्ष 2011–16 के दौरान पाईप जलापूर्ति योजनाओं (पाईप.जला.यो.) के द्वारा बसावटों के आच्छादन हेतु बढ़ावा देने के लिए किसी रूपरेखा को विकसित नहीं किया। परिणामस्वरूप, बिहार पाईप जलापूर्ति से बसावटों के आच्छादन (छ: प्रतिशत) में पड़ोसी राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय औसत (41 प्रतिशत) से काफी पीछे है। परिणामस्वरूप, 94 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी चापाकलों पर निर्भर था।

हालांकि, ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु जनसंख्या का रूपांकन वर्ष 2011 के नवीनतम जनगणना के आधार पर प्राक्कलन तैयार कर किया जाना था जबकि छ: नमूना-जाँचित जिलों को मात्र 61 पाईप जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन में जनसंख्या का रूपांकन वर्ष 2001 के जनगणना के आधार पर किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग पूरे 30 वर्ष के रूपांकित अवधि हेतु प्रस्तावित जनसंख्या के लिए आवश्यक जल की मात्रा को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो सका। अतः निर्धारित समयावधि के अंतर्गत राज्य में जलापूर्ति हेतु रा.ग्रा.पे.ज.यो. के साथ-साथ सरकार के सात निश्चय के लक्ष्य की पूर्ति के लिए चापाकलों पर निर्भरता में कमी के लिए बिहार सरकार द्वारा ज्यादा सशक्त कदम की शुरूआत करने की आवश्यकता है।

विभाग द्वारा अनुमंडलीय स्तर पर जल जाँच प्रयोगशालाओं का निर्माण नहीं किया गया था। शत प्रतिशत स्रोत के एक बार रासायनिक एवं दो बार जीवाणु संदूषण के जाँच के प्रावधान के विरुद्ध मात्र आठ से 16 प्रतिशत कार्यरत स्रोतों के जल गुणवत्ता जाँच किया गया था। इस प्रकार, राज्य में अधिकांश बसावटों असुरक्षित जल पीने के लिए बाध्य थे।

निधि की उपलब्धता के बावजूद वार्षिक कार्य योजना में आंशिक आच्छादित, गुणवत्ता प्रभावित, अनु.जाति/अनु.जनजाति बहुल बसावटों एवं बारहवें पंचवर्षीय योजना के समयोचित को प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं की वरीयता, सुग्राह्यता, विश्वसनीयता, संवहनीयता, सुविधा एवं समता सुनिश्चित करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया था।

## ग्रामीण कार्य विभाग

### 2.3 मुख्यमंत्री ग्राम सङ्करण योजना

#### कार्यकारी सारांश

##### **परिचय**

बिहार सरकार द्वारा 500 से 999 जनसंख्या वाले (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) ऐसे छोटे सम्पर्कविहीन गाँवों को बारहमासी सम्पर्कता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सङ्करण योजना (एम.एम.जी.एस.वाई.) (जून 2006) की शुरूआत की गई थी, जिन्हें कम जनसंख्या की वजह से प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत नहीं लिया जा सका था। योजना का उद्देश्य आसपास के गाँवों या मुख्य शहरों/बाजार केन्द्रों में अब स्थित वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुँच के लिए ग्रामीण सङ्करण सम्पर्कता की मूल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना था। बिहार सरकार ने वर्ष 2012–13 से एम.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत कोई नया प्रस्ताव नहीं लेने का निर्णय (जनवरी 2013) लिया क्योंकि पी.एम.जी.एस.वाई अन्तर्गत सम्पर्कता लक्ष्य को घटाकर 500 एवं उससे अधिक जनसंख्या तक कर दिया गया था।

*(कांडिका-2.3.1)*

##### **योजना**

नमूना—जाँचित 10 जिलों में से तीन जिलों में प्रखंड स्तर पर व्यापक नई सम्पर्क प्राथमिकता सूची (सी.एन.सी.पी.एल.) नहीं बनाई गई थी। इसके अलावे, इस योजना के तहत अपात्र गाँवों को सम्पर्कता प्रदान की गई थी एवं 34 ऐसी सङ्करणों को निर्माण हेतु चयनित किया गया था जो सी.एन.सी.पी.एल. में सूचीबद्ध नहीं थे।

*(कांडिका-2.3.7.1, तथा 2.3.7.2)*

##### **वित्तीय प्रबंधन**

बिहार सरकार द्वारा आगे एम.एम.जी.एस.वाई. के अतर्गत नये प्रस्तावों को नहीं लिये जाने के निर्णय के फलस्वरूप, वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2015–16 में बजट आवंटन एवं निधियों की विमुक्ति को घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया गया। सङ्करण कार्य के कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् बिहार ग्रामीण सङ्करण विकास अभियान (बी.आर.आर.डी.ए.) द्वारा ₹178.76 करोड़ के सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

*(कांडिका-2.3.8 तथा 2.3.8.1)*

##### **योजना का कार्यान्वयन**

छ: सङ्करणों में संरेखण को अंतिम रूप देने और भूमि की उपलब्धता से पहले सर्वेक्षण एवं जाँच पड़ताल सुनिश्चित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप प्रारंभ किये गये सङ्करण कार्यों को परित्यक्त कर दिया गया। कार्यों को पूर्ण करने में आठ वर्षों तक का बिलम्ब हुआ। यद्यपि, वर्ष 2012–13 के बाद एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत नये पात्र गाँवों की स्वीकृत नहीं की गई थी, फिर भी संवेदकों द्वारा कार्यों को छोड़ देने एवं सङ्करण कार्यों के अपूर्णता के कारण पहले से चयनित 183 पात्र गाँवों को मार्च 2016 तक सम्पर्कता नहीं दी जा सकी।

*(कांडिका-2.3.9 तथा 2.3.9.1)*

### गुणवत्ता नियंत्रण एवं कार्यों को पर्यवेक्षण

निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था क्योंकि कार्य प्रमंडलों द्वारा सङ्क कार्यों की गुणवत्ता की जाँच नहीं की गई थी। इसके अलावे, किसी भी निर्मित सङ्क का डिस्ट्रीक्ट क्वालिटी मॉनिटर द्वारा निरीक्षण नहीं हुआ था एवं मार्च 2016 तक मोबाइल क्वालिटी मॉनिटरिंग इकाइयों के 25 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन लंबित था।

(कंडिकाएँ—2.3.10.1, 2.3.10.2 एवं 2.3.10.4)


#### 2.3.1 परिचय

ग्रामीण सङ्क सम्पर्कता एवं इसकी अनवरत उपलब्धता ग्रामीण विकास का एक मुख्य घटक है, क्योंकि आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है तथा कृषि आय में सतत वृद्धि एवं लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करता है। बिहार सरकार द्वारा 500 से 999 तक की जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) वाले सम्पर्कविहिन गाँवों को सम्पर्कता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क योजना (एम.एम.जी.एस.बाई.) शुरू की गयी (जून 2006)। बाद में, बिहार सरकार ने वर्ष 2012–13 से एम.एम.जी.एस.बाई. के अन्तर्गत कोई नया प्रस्ताव नहीं लेने का निर्णय लिया क्योंकि पी.एम.जी.एस.बाई अन्तर्गत सम्पर्कता लक्ष्य को घटाकर 500 एवं उससे अधिक जनसंख्या तक कर दिया गया था। अतः वर्ष 2014–15 एवं तत्पश्चात् केवल निर्मित सङ्कों के अनुरक्षण कार्य के लिए निधियाँ प्रदान की गई। मार्च 2016 तक, बिहार में एम.एम.जी.एस.बाई अंतर्गत 7341.49 किलोमीटर (कि.मी.) ग्रामीण सङ्कों का निर्माण किया गया था।

#### 2.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.विभाग), बिहार सरकार, बिहार ग्रामीण सङ्क विकास अभिकरण (बी.आर.आर.डी.ए.) के माध्यम से राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। मंत्रीजी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एम.एम.जी.एस.बाई. संचालन समिति (जि.सं.स.) है, जिसके सदस्य सचिव, जिला पदाधिकारी (जि.पदा.) है। समिति योजनाओं के चयन तथा समय—समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है। संगठनात्मक ढाँचा नीचे चार्ट सं.—2.3.1 में दिया गया है:

चार्ट सं.—2.3.1  
एम.एम.जी.एस.बाई के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढाँचा



(स्रोत—ग्रा.का.विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया सूचना)

### 2.3.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- योजना का आयोजन का उद्देश्य पात्र सम्पर्कविहिन गाँवों को बारहमासी एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने के लिए किया गया था;
- वित्तीय प्रबंधन निधियों के इस्टटम उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं कुशल था;
- सड़क कार्यों का कार्यान्वयन, मितव्ययिता के साथ, दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से किया गया था; तथा
- वर्तमान अनुश्रवण प्रणाली एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावशाली थे।

### 2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों की कसौटी पर आधारित थे:—

- प्रासांगिक अवधि के दौरान राज्य सरकार का बजट;
- एम.एम.जी.एस.वाई. की मार्गदर्शिका;
- रुरल रोड मैनुअल एवं इंडियन रोड कॉग्रेस (आर.आर.सी.) के विनिर्देशन विशिष्टियाँ;
- राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों/मार्गदर्शिकाएँ/परिपत्र;
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवधिक प्रतिवेदन/विवरणियाँ;
- डिस्ट्रीक क्वालिटि मॉनिटर एवं स्टेट क्वालिटि मॉनिटर के प्रतिवेदन; तथा
- बिहार लोक निर्माण विभागीय (बि.लो.नि.वि.) संहिता/बिहार लोक निर्माण लेखा (बि.लो.नि.ले.) संहिता/बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.)।

### 2.3.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

वर्ष 2011–16 की अवधि के लिए एम.एम.जी.एस.वाई. का निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से जुलाई 2016 के दौरान किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान ग्रा.का.विभाग, बी.आर.आर.डी. ए. एवं बिहार के 38 जिलों में से 10<sup>27</sup> जिलों के ग्रामीण कार्य प्रमंडलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया। जिलों का चयन, विगत पाँच वर्षों के व्यय की गणना के आधार पर प्रोबेबलिटी प्रोपोशनल टू साईज विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति द्वारा किया गया। आगे, सिम्पल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट (एस.आर.एस.डब्लू.ओ.आर.) पद्धति से प्रत्येक चयनित जिलों में 25 प्रतिशत, न्यूनतम 15 कार्य जिसमें अनुरक्षण भी सम्मिलित था, अर्थात् 531 सड़क कार्यों में से 161 का चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा पृच्छाओं पर प्रतिक्रिया, प्रश्नावलियों प्रपत्रों के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण सहित लाभुक सर्वेक्षण सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ लेखापरीक्षा के दौरान संग्रह किये गये ऑकड़ों एवं सूचनाओं के विश्लेषण पर आधारित थे।

<sup>27</sup>

कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मध्यपुरा, मधुबनी, नालंदा, पटना, रोहतास, सारण एवं सिवान

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारंभ में सचिव, ग्रा.का.विभाग, बिहार के साथ अप्रैल 2016 में एक अंतर्गमन सम्मेलन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड एवं कार्य प्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा की समाप्ति पर, दिसम्बर 2016 में सचिव, ग्रा.का.विभाग, बिहार के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दिये गये जवाबों/मंतव्यों को यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया।

### 2.3.6 पूर्व के निष्पादन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2006–09 की अवधि के लिए एम.एम.जी.एस.वाई. निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2009 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकाशित किया गया था। मुख्य कमियाँ यथा सङ्कोचों का गलत चयन, कार्यान्वयन में विलंब एवं गुणवत्ता नियंत्रणों में कमी, वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान भी मौजूद थी जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### 2.3.7 योजना

मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक जिला में प्रखंड स्तर पर 500 से 999 की जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) वाले संपर्कविहिन गाँवों की सूचियाँ तैयार की जानी थी। संपर्कविहीन गाँवों की सूची तैयार होने के बाद, सूची में से योजना के लिए लक्षित को चिन्हित किया जाना था। इस हेतु, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर ऐसे सभी गाँवों का प्रखंड एवं जिला स्तर पर व्यापक नई सम्पर्क प्राथमिकता सूची (सी.एन.सी.पी.एल.) तैयार की जानी थी:

- संपर्कविहीन बसावटों की जनसंख्या;
- कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत (पाँच से 75 प्रतिशत से अधिक)
- मैजूदा पक्की सड़क से संपर्कविहीन गाँवों की दूरी (एक कि.मी. से कम एवं चार कि.मी. से अधिक तक)

वे सभी गाँव जो विनिर्दिष्ट मानदंड के अन्तर्गत थे उन्हें सी.एन.सी.पी.एल में सामान्य प्राथमिकता क्रम में वर्गीकृत किया जाना था। जि.सं.स. द्वारा किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सी.एन.सी.पी.एल. से सर्वप्रथम लिये जाने वाले गाँवों को अंतिम रूप से चयनित किया जाना चाहिए था। जि.सं.स. द्वारा चयनित गाँवों के लिए सङ्कोचों की प्राथमिकता सूची से प्रत्येक जिला का वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) यह सुनिश्चित करते हुए तैयार किया जाना था कि चयनित परियोजनाओं की कुल लागत, प्रत्येक जिला के लिए कर्णाकित निधि की दोगुनी राशि के बराबर हो। जिला के लिए उपलब्ध एवं कर्णाकित निधि को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त वा.का.यो. से सङ्क कार्यों को प्रस्तावित किया जाना था।

हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सङ्क कार्यों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। कार्यों के चयन एवं योजना में कमियों के दृष्टांत की चर्चा नीचे की गई है:

#### 2.3.7.1 व्यापक नई सम्पर्क प्राथमिकता सूची का नहीं बनाया जाना/पालन किया जाना

योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार सी.एन.सी.पी.एल. में सूचीबद्ध गाँवों का चयन जि.सं.स. द्वारा किया जाना था। चयनित जिलों एवं बी.आर.आर.डी.ए. के अभिलेखों की जाँच

में पाया गया कि 10 नमूना–जाँचित जिलों में से तीन<sup>28</sup> जिलों में कार्याभिः, ग्रा.का.विभाग, कार्य प्रमंडल द्वारा प्रखंड स्तर पर सी.एन.सी.पी.एल. तैयार नहीं किया गया था तथा सङ्क कार्यों के लिए गाँवों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।

ग्रा.का.विभाग द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2016) एवं कहा गया कि ये सभी सङ्कों महत्वपूर्ण थी तथा जि.सं.स. द्वारा चयनित की गई थी एवं इन्हें राज्य कोर नेटवर्क में किसी भी तरह शामिल किया जाना था। जवाब दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि सङ्कों का चयन सी.एन.सी.पी.एल. से नहीं किया गया था।

### 2.3.7.2 सम्पर्कता प्रदान करने के लिए अपात्र गाँवों का चयन किया जाना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल ऐसे संपर्कविहीन गाँव योजनान्तर्गत सम्पर्कता हेतु पात्र थे जिसकी जनसंख्या 500 से 999 (2001 के जनगणना के आधार पर) थी तथा योग्यता के मानदंडों को पूरा करता था। आगे, एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत संपर्कविहीन गाँवों को एकल बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सङ्क कार्यों को लिया जाना था तथा जो गाँव पहले से बारहमासी सङ्कों से जुड़े हुए थे उनका चयन इस योजनान्तर्गत नहीं किया जाना था।

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि गाँवों के चयन के दौरान इन कसौटियों का पालन नहीं किया गया था, जो नीचे वर्णित है:

- चार जिलों में आठ सङ्कों के निर्माण पर ₹9.32 करोड़ का व्यय उन गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए किया गया था जो निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार इस योजनान्तर्गत सम्पर्कता के लिए योग्य नहीं थे। (*परिशिष्ट-2.3.1*)
- दिशानिर्देश के प्रावधानों के विपरीत, 10 नमूना–जाँचित जिलों में से चार में 34 सङ्क कार्यों को उन गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए चयनित किया गया था जो सी.एन.सी.पी.एल. में सूचीबद्ध नहीं थे तथा मार्च 2016 तक इनके कार्यान्वयन पर ₹43.22 करोड़ व्यय किया गया था। (*परिशिष्ट-2.3.2*)
- अपात्र गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए विभाग ने आठ सङ्क कार्यों पर ₹3.38 करोड़ व्यय किया (*परिशिष्ट-2.3.3*)। तीन नमूना–जाँचित जिलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान देखा गया कि छः सीमेंट कंक्रीट सङ्कों का (खगड़िया:—तीन सङ्कों, सारण:—दो सङ्कों तथा रोहतास:—एक सङ्क) निर्माण वैसे गाँवों में किया गया था जहाँ पहले से बारहमासी सङ्क सम्पर्कता थी। नालन्दा जिला में दो गाँव प्रपत्र 'क'<sup>29</sup> एवं 'ख'<sup>30</sup> दोनों में सूचीबद्ध थे। प्रपत्र 'क' में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि गाँव बारहमासी सङ्कों से जुड़े थे, इसके बाबजूद इन गाँवों को सी.एन.सी.पी.एल. में सूचीबद्ध किया गया एवं सङ्कों का निर्माण किया गया।
- एम.एम.जी.एस.वाई. अन्तर्गत सात सङ्कों का कार्यान्वयन वैसे गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए किया गया जो पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु पात्र थे। परिणामस्वरूप, इनमें से तीन सङ्कों पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत स्वीकृत सङ्कों की सूची से बाहर निकाल दिये गए एवं इन सङ्कों के निर्माण का लागत बिहार सरकार को वहन करना पड़ा। इस प्रकार, पी.एम.जी.एस.वाई. के पात्र

<sup>28</sup> कटिहार, मधेपुरा, एवं रोहतास

<sup>29</sup> प्रपत्र 'क' में ऐसे गाँव लेते हैं जिसमें पहले से ही बारहमासी सङ्क सम्पर्कता थी।

<sup>30</sup> प्रपत्र 'ख' में संपर्कविहीन गाँवों का नाम होता है।

सड़कों को एम.एम.जी.एस.वाई. में समिलित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय से राजकोष पर ₹8.36 करोड़ (**परिशिष्ट-2.3.4**), का परिहार्य भार पड़ा जिसका उपयोग अन्य सम्पर्कविहीन गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए किया जा सकता था।

ग्रा.का.विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि सड़कें माननीय मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में जि.सं.स. द्वारा चयनित थी एवं सभी एम.एल.ए., जिला परिषद् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस समिति के सदस्य थे, स्थानीय दृष्टिकोण से ये सभी सड़कें अत्यंत महत्वपूर्ण थीं।

तथापि, वास्तविकता यह है कि एम.एम.जी.एस.वाई. के दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों का पालन सड़क कार्यों के चयन के दौरान नहीं किया गया था।

### 2.3.8 वित्तीय प्रबंधन

राज्य सरकार को अपने स्वयं के बजट के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित करना था। सहायक अनुदान के रूप में बी.आर.आर.डी.ए. को निधियाँ उपलब्ध करायी जानी थीं। बी.आर.आर.डी.ए. द्वारा प्राप्त किये गये सहायक अनुदान को एक अलग बैंक खाता में रखना था तथा बी.आर.आर.डी.ए. द्वारा निर्गत प्राधिकार-पत्र के आधार पर कार्य प्रमंडलों के का.अभि. द्वारा निकासी किया जाना था। वर्ष 2011–16 के दौरान योजनान्तर्गत निधियों की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति तालिका सं.-2.3.1 में दी गई है:

**तालिका सं.-2.3.1**  
**वर्ष 2011–16 के दौरान निधियों की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति**

₹ करोड़ में							
वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	बजट आवंटन	बी.आर.आर.डी.ए. को निर्गत	विविध प्राप्ति	कुल राशि (2+4+5)	वर्ष के दौरान व्यय	अंतर्शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
2011–12	151.52	469.93	469.93	13.56	635.01	482.41	152.60
2012–13	152.6	707.01	587.00	18.32	757.92	561.47	196.45
2013–14	196.45	260.35	260.34	17.33	474.12	244.45	229.67
2014–15	229.67	17.91	16.91	15.47	262.05	84.73	177.32
2015–16	177.32	60.00	61.00*	4.51	242.83	25.1	217.73
<b>कुल</b>		<b>1515.2</b>	<b>1395.18</b>	<b>69.19</b>		<b>1398.16</b>	

\* ₹एक करोड़ को योजना निधि से सी.एन.सी. निधि में स्थानांतरित

(स्रोत—बी.आर.आर.डी.ए. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

जैसा कि तालिका सं.-2.3.1 में दर्शाया गया है, ग्रा.का.विभाग द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध ₹1,615.89 करोड़<sup>31</sup> की निधियों के विरुद्ध ₹1,398.16 करोड़ (87 प्रतिशत) व्यय किया गया। आगे, बिहार सरकार ने वर्ष 2012–13 से एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत कोई भी नया प्रस्ताव नहीं लेने का निर्णय लिया क्योंकि पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत सम्पर्कता लक्ष्य को 500 एवं उससे अधिक की जनसंख्या तक घटा दिया गया था। परिणामतः वर्ष 2011–12 की तुलना में, वर्ष 2015–16 में बजट आवंटन के साथ साथ बी.आर.आर.डी.ए. को निर्गत निधियाँ घटाकर 13 प्रतिशत कर दी गई थीं।

<sup>31</sup>

उपलब्ध निधि : ₹151.52 करोड़ + ₹1395.18 करोड़ + ₹69.19 करोड़

### 2.3.8.1 उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 अनुबंधित करता है कि अनुदान स्वीकृति पत्र की तिथि से एक वर्ष के अंदर सहायक अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित कर देना चाहिए।

बी.आर.आर.डी.ए. ने एक से चार वर्षों के विलम्ब से उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा किया।

अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि वर्ष 2011–14 के दौरान बिहार सरकार ने योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान के रूप में ₹1,312.27 करोड़ राशि बी.आर.आर.डी.ए. को दी थी। हालांकि, बी.आर.आर.डी.ए. द्वारा मार्च 2016 तक ₹178.76 करोड़ की अवशेष राशि को छोड़कर मात्र ₹1,133.52 करोड़ (86 प्रतिशत) का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था (परिशिष्ट–2.3.5)। आगे यह देखा गया कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में निर्धारित अवधि से एक से चार वर्ष की देरी हुई थी।

विभाग ने बताया कि वर्ष 2014–15 तक के अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया था एवं अवशेष राशि के विरुद्ध ₹78.98 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, अगस्त 2016 में समर्पित कर दिया गया।

हालांकि, उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने में हुए विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया।

### 2.3.8.2 अनुरक्षण कार्य हेतु निधियों का उपयोग नहीं किया जाना

अनुबंध को तामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बी.आर.आर.डी.ए. को निधि अनुरक्षण उपलब्ध कराना था। तालिका सं.–2.3.2 में वर्ष 2011–16 के दौरान अनुरक्षण अनुबंध के अनुसार, अनुरक्षण कार्य हेतु निधियों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं उपयोग को दर्शाया गया है:

तालिका सं.–2.3.2

#### अनुरक्षण कार्य हेतु निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में पूर्ण पथों की संख्या	वर्ष के दौरान अपेक्षित अनुरक्षण राशि (अनुरक्षण संविदा के आधार पर)	वर्ष के दौरान बी.आर.आर.डी.ए. में उपलब्ध निधि	वर्ष के दौरान संविदा अंतर्गत व्यय
2011-12	1,016	6.97	14.58	0.57
2012-13	1,412	11.25	14.57	1.88
2013-14	1,774	15.99	18.19	3.61
2014-15	2,174	20.07	32.86	12.80
2015-16	2,113	22.89	80.36	8.56
कुल	<b>8,489</b>	<b>77.17</b>	<b>160.56</b>	<b>27.42</b>

(स्रोत–बी.आर.आर.डी.ए. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)


तालिका सं.–2.3.2 से स्पष्ट है कि निधियों की उपलब्धता के बावजूद वर्ष 2011–16 की अवधि में अनुरक्षण अनुबंध के अनुसार अनुरक्षण कार्य हेतु अपेक्षित ₹77.17 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹27.42 करोड़ अर्थात् 35.53 प्रतिशत निधियों का ही उपयोग किया जा सका।

अतः, सङ्केतों के अनुरक्षण हेतु निधियों का उपयोग नहीं किया गया जिसका तात्पर्य है कि योजनान्तर्गत निर्मित सङ्केतों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, हालांकि अनुरक्षण की आवश्यकता थी, जैसा कि नमूना–जाँचित जिलों में पाया गया तथा कंडिका 2.3.9.6 में वर्णित है।

### 2.3.9 योजना का कार्यान्वयन

चूंकि बिहार सरकार द्वारा छोटे गाँवों को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने हेतु एम.एम.जी.एस.वाई शुरू किया गया था, सड़क कार्यों को अनुबंध की शर्तों में निर्धारित अवधि में पूर्ण किए जाना अपेक्षित था। बी.आर.आर.डी.ए. के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2006–12 की अवधि में राज्य में 2877 कार्य कार्यान्वयन हेतु लिए गए थे। उनमें से 2776 सड़क कार्य (96 प्रतिशत) पूर्ण हो गये थे (मार्च 2016 तक)। सरकारी जमीन का अभाव, स्थल पर बाढ़ से क्षति इत्यादि के फलस्वरूप 20 सड़कों का कार्य बीच में छोड़ दिया गया। हालांकि, भूमि विवाद, स्थानीय बाधा, संवेदकों द्वारा बिलम्ब आदि कारणों से 81 सड़कें अभी तक अपूर्ण थे (मार्च 2016)। यह भी देखा गया कि सड़कों के निर्माण में एक से तीन वर्ष से ज्यादा (आठ वर्षों तक) की देरी हुई थी। सड़कों को पूर्ण करने में हुए विलम्ब की अवधि को चार्ट सं.-2.3.2 में दिखाया गया है:

चार्ट सं.-2.3.2  
विलंबित सड़क कार्यों की संख्या



(स्रोत—बी.आर.आर.डी.ए. द्वारा प्रदत्त सूचना)

आगे, वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य में पात्र गाँवों को प्रदान की गई सम्पर्कता की स्थिति तालिका सं. 2.3.3 में दिया गया है :

तालिका सं.-2.3.3  
पात्र गाँवों का सम्पर्कता

वर्ष	योग्य स्वीकृत गाँवों की संख्या जो वर्ष के प्रारंभ में जुड़ हुये/पूर्ण नहीं थे	वर्ष के दौरान स्वीकृत नए योग्य गाँवों की संख्या	कुल योग्य गाँवों की संख्या जिन्हें संपर्कता प्रदान की जानी थी (2+3)	वर्ष के दौरान एम.एम.जी.एस.वाई. के माध्यम से जुड़े गाँवों की संख्या (प्रतिशत)	योग्य गाँवों की संख्या जो नहीं जुड़े थे (4–5)
1	2	3	4	5	6
2011-12	2,800	545	3,345	791 (24)	2,554
2012-13	2,554	0	2,554	1,046 (41)	1,508
2013-14	1,508	0	1,508	948 (63)	560
2014-15	560	0	560	291 (52)	269
2015-16	269	0	269	86 (32)	183

(स्रोत—बी.आर.आर.डी.ए. द्वारा प्रदत्त सूचना)

यह स्पष्ट था कि यद्यपि वर्ष 2012–13 के बाद नए पात्र गाँव स्वीकृत नहीं किये गये थे, मार्च 2016 तक पूर्व से चयनित 183 पात्र गाँवों को एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत

सम्पर्कता प्रदान नहीं की जा सकी थी। इनमें से चार गाँवों को पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सम्पर्कता प्रदान की गई। लेकिन शेष 179 गाँवों को सम्पर्कता प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि मार्च 2016 तक सड़क निर्माण कार्य या तो छोड़ दिया गया था या अपूर्ण थे। परियोजनाओं के पूर्ण करने में हुये विलम्ब के कारण छोटे गाँवों को जल्दी सम्पर्कता प्रदान करने की योजना का मुख्य उद्देश्य विफल रहा।

आगे यह देखा गया कि नमूना-जाँचित 10 जिलों में वर्ष 2011–16 के दौरान 531 कार्यों में से 507 (95 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो गये थे। इनमें से, 194 (38 प्रतिशत) सड़क निर्माण कार्य एक वर्ष तक के विलम्ब, 179 (35 प्रतिशत) सड़क निर्माण कार्य एक से तीन वर्षों तक के विलम्ब तथा 32 (छ: प्रतिशत) कार्य तीन वर्षों से अधिक एवं सात वर्षों तक के विलम्ब से पूर्ण किए गए थे।

ग्रा.का.विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि भूमि अतिक्रमण, सड़क सामग्रियों की कमी तथा परिवहन समस्याओं के कारण समय पर परियोजनाओं के पूर्ण होने में अवांछित विलम्ब हुआ।

जवाब तथ्यों के विपरीत था क्योंकि 29 नमूना-जाँचित कार्यों में स्थल उपलब्धता के वाबजूद निर्माण कार्यों में तीन से 62 महीने का विलम्ब हुआ। आगे, चार सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गलत तैयार किये जाने के कारण इन्हें कम लम्बाई में पूर्ण कर दिया गया था, जिसकी चर्चा आगे कंडिका सं. 2.3.9.2 में की गई है।

बी.आर.आर.डी.ए. के अभिलेखों तथा नमूना-जाँचित कार्यों में योजना के कार्यान्वयन में पायी गयी अनियमितताओं की चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गई है:

### 2.3.9.1 अपर्याप्त प्रारंभिक कार्य के कार्यों का परित्यक्त होना

रुरल रोड मैनुअल के खंड 1.5 के अनुसार, ग्रामीण सड़कों का संरेख (एलाइनमेंट) समुचित सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के पश्चात् गाड़ियों के मौजूदा निशान एवं अन्य संरेख को ध्यान में रखते हुये निर्धारण किया जाना चाहिए।

बी.आर.आर.डी.ए. के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सरकारी भूमि की अनुपलब्धता के कारण छ: सड़कों के निर्माण कार्य<sup>32</sup> को छोड़ दिया गया था। परिणामस्वरूप, ये सड़कें लक्षित आठ गाँवों तक नहीं पहुँची। इन निर्माण कार्यों का एकरारनामा मूल्य ₹4.61 करोड़ था जबकि मार्च 2016 में निर्माण कार्य छोड़े जाने तक इन कार्यों पर ₹1.89 करोड़ व्यय हो चुका था।

ग्रा.का.विभाग ने जवाब में बताया (नवम्बर 2016) कि ग्रामीण सड़कों के लिए तैयारी एवं सर्वेक्षण मैजूदा संरेखों पर आधारित थे एवं सड़कों के निर्माण के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा निजी जमीन का दावा करते हुये कार्य बंद करा दिया गया। यह भी बताया गया कि उचित स्थल सत्यापन के बिना डी.पी.आर. तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी।

### 2.3.9.2 सड़क की पूरी लम्बाई के लिए डी.पी.आर. तैयार नहीं किया जाना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, गाँवों/टोलों को तबतक संपर्कविहीन माना जाएगा, जब तक गाँवों या उनके सामुदायिक भवन तक बारहमासी सड़क न पहुँच जाय। तीन नमूना-जाँचित जिलों में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि चार सड़कों पर ₹3.89 करोड़ व्यय किए जाने के बाद भी, सड़के लक्षित गाँवों तक निर्मित नहीं की गई थी जैसा कि तालिका सं.-2.3.4 में वर्णित है:

<sup>32</sup>

बेगुसराय : 2, भागलपुर:1, गया: 1, लखीसराय:1, तथा शेखपुरा: 1

#### तालिका सं.-2.3.4

सड़कों की पूर्ण लंबाई के लिए डी.पी.आर. तैयार करने में विफलता

क्र. सं.	जिला (सड़क का नाम)	डी.पी.आर. के अनुसार लम्बाई (कि.मी. में)	अपेक्षित लम्बाई (कि.मी. में)	मार्च 2016 तक व्यय (₹ करोड़ में)
1	कटिहार (बैथेली से खेंरा पी.एम.जी.एस.वाई. रोड)	1.2	2.5	0.71
2	मधेपुरा (बी.एम. स्कूल से ईटवा)	2	2.4	0.89
3	मधेपुरा (ब्राटाईनी से चकफजुला)	4.15	4.7	1.23
4	नालंदा (डुमउरिया पुल से निमि-गवासपुर-सुल्तानपुर)	2	4	1.06
कुल				<b>3.89</b>

(स्रोत— नमूना—जाँचित प्रमण्डलों के अभिलेख)

जैसा कि तालिका सं.-2.3.4 में दर्शाया गया है, कि कार्य प्रमण्डलों के का.अभि. द्वारा इन सड़कों के लिए वास्तविक आवश्यकता से कम लंबाई के लिए डी.पी.आर. तैयार किया गया था।

दो सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिये गये फोटोग्राफ नीचे दिये गये हैं:



ग्रा.का.विभाग ने अपने जवाब में बताया (नवम्बर 2016) कि एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत बजट आवंटन जिलावार कर्णाकित थे। निधि की इस सीमा के कारण कुछ मामलों में सड़कों की लम्बाई कम कर दी गई थी तथा लक्षित बसावटों को सम्पर्कता प्रदान नहीं की जा सकी।

जवाब मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि मार्गदर्शिका के अनुसार संपर्कविहीन गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए निधियों की उपलब्धता पर विचार करते हुए सड़क कार्य लिया जाना था।

### 2.3.9.3 एकरारनामा निष्पादन में विलंब

राज्य सरकार के आदेशानुसार एम.एम.जी.एस.वाई अंतर्गत कार्य आवंटन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संवेदक के साथ एकरारनामा करने की सीमा निर्धारित थी। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 18 नमूना-जाँचित कार्यों में कार्य आवंटन के बाद 27 से 160 दिनों के विलंब से संवेदक के साथ एकरारनामा किया गया था। विस्तृत ब्यौरा तालिका सं-2.3.5 में दिया गया है:

#### तालिका सं.-2.3.5

#### एकरारनामा निष्पादन में विलंब

क्र.सं.	जिलों के नाम	सङ्कारों की संख्या	विलंब अंतराल (दिनों में)
1	कटिहार	5	61 से 160
2	नालंदा	4	27 से 74
3	सिवान	2	54 से 63
4	कैमूर	2	79 से 94
5	सारण	4	29 से 56
6	खगड़िया	1	64

(स्रोत-नमूना-जाँचित प्रमण्डलों के अभिलेख)

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (दिसम्बर 2016), सचिव, ग्रा.का.विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं विलंब को कम करने का वादा किया।

### 2.3.9.4 कार्यों में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति की कम वसूली

एकरारनामा (एफ-2) के शर्त के परिच्छेद 2 के अनुसार, ठेकेदार प्रतिदिन अपूर्ण कार्य के अनुमानित लागत के आधा प्रतिशत के बराबर क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि, खंड के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आगे, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के परिच्छेद 2 के अनुसार, यदि ठेकेदार संविदा में निर्धारित या समाप्ति भी विस्तारित तारीख तक या उससे पहले आवश्यक प्रगति बनाये रखने या कार्य पूर्ण करने एवं स्थल खाली करने में विफल रहता है, तो वह सहमत क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा, राशि की गणना प्रतिदिन के हिसाब से गणित प्रतिमाह की देरी के लिए दो प्रतिशत के दर से की जायेगी, बशर्ते कि इस शर्त के अधीन विलंब के लिए भुगतान की जाने वाली राशि कार्य के निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

चुने गये जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना-जाँचित दस जिलों में 32 कार्यों के पूर्ण होने में एक माह से सात वर्षों से अधिक तक का विलंब हुआ था तथा विभाग ने इनके संगत एकरारनामों में वर्णित शर्तों के अनुसार ₹5.50 करोड़ के क्षतिपूर्ति के विरुद्ध ₹4.09 करोड़ कम की वसूली की थी (परिशिष्ट 2.3.6)।

जवाब में ग्रा.का.विभाग ने बताया कि ठेकेदारों के विपत्र से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की गई थी तथा एकरारनामा के खंड के अनुसार क्षतिपूर्ति की कटौती के लिए पी.आई.यू. अर्थात् का.अभि. को निर्देश जारी किए गए थे।

### 2.3.9.5 विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नहीं किया जाना

श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 अनुबंधित करता है कि कार्यान्वयन प्राधिकारियों से निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रम सेस के रूप में कटौती करना है। तदनुसार, सभी विभागों के कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा ठेकेदार के विपत्रों से निर्धारित दरों पर श्रम उपकर की कटौती करना अपेक्षित था।

नमूना—जाँचित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कार्य प्रमंडलों के का. अभि. ने नौ नमूना—जाँचित जिलों के 47 कार्यों में श्रम उपकर की राशि ₹0.56 करोड़ की कटौती नहीं की थी एवं उस हद तक दायित्व का सृजन किया था (परिशिष्ट 2.3.7)।

जवाब में विभाग ने बताया कि श्रम उपकर की कटौती के लिए डी.पी.आर. में प्रावधान नहीं किए गए थे। इसलिए ठेकेदार के विपत्रों से इसकी कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार, अधिनियम के अनुसार डी.पी.आर. में श्रम उपकर की कटौती का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण सरकार के लिए दायित्व का सृजन हुआ।

### 2.3.9.6 एम.एम.जी.एस.वाई सड़कों में अनुरक्षण कार्य नहीं किया जाना

एकरानामा के अनुसार, इस योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य मूल निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद उसी संवेदक द्वारा किया जाना था जिसके द्वारा मूल निर्माण कार्य किया गया था।

यह देखा गया कि अनुबंध के अनुसार वर्ष 2011–16 के दौरान 649 सड़कों का अनुरक्षण कार्य किया जाना था, नमूना—जाँचित जिलों में इनमें से 508 सड़कों (78 प्रतिशत) का अनुरक्षण निधियों की उपलब्धता के बावजूद नहीं किया गया (परिशिष्ट-2.3.8)। इस प्रकार, कार्य प्रमंडलों द्वारा अनुबंध के अनुसार सड़कों का अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया।

नमूना—जाँचित जिलों में 30 सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखा गया कि इस योजनान्तर्गत निर्मित एवं पूर्ण किये गये सड़कों का ठीक से अनुरक्षण नहीं किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के क्रम में लिए गये फोटो सड़कों की खराब स्थिति की पुष्टि करते हैं:



(मधेपुरा जिला में सड़क "पुरेनी डुमरेल चौक से मकदमपुर तक" वर्ष 2008–09 में निर्मित जिसे वर्ष 2013–14 तक अनुरक्षण करना था, क्षतिग्रस्त अवस्था में था)

(राहतास जिला में "चण्डी में गोरारी-निरंजनपुर सड़क के पास पुल से किराहिन तक नवंबर 2012 में पूर्ण किया गया तथा नवंबर 2017 तक जिसका अनुरक्षण किया जाना था, क्षतिग्रस्त अवस्था में था)



विभाग ने बताया कि संवेदकों एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर कदम उठाये गये एवं वर्तमान में 54 प्रतिशत सड़कों के अनुरक्षण कार्य किए गए थे तथा शेष सड़कों में अनुरक्षण कार्य जारी थे।

### अनुशांसा

सरकार द्वारा सम्पर्क विहीन गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने एवं पूर्ण सड़कों के अनुरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए।

### 2.3.10 गुणवत्ता नियंत्रण एवं कार्यों के पर्यवेक्षण

एम.एम.जी.एस.वाई के दिशानिर्देशों में सड़कों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है, जिसके लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्य प्रमंडलों की थी। सभी कार्यों का पर्यवेक्षण प्रभावी ढंग से किया जाना था एवं गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों के आधार पर कार्यों के लिए भुगतान किया जाना था। एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण अनुश्रवण तंत्र भी दिशा-निर्देशों में विहित किया गया था, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

- प्रथम स्तर-1 संवेदक / कार्य प्रमंडल द्वारा गुणवत्ता परीक्षण किया जाना था।
- द्वितीय स्तर-2 कार्यों के निरीक्षण हेतु जिला स्तर पर डिस्ट्रीक्ट क्वालिटि मॉनिटर (डी.क्यू.एम.) का एक पैनल तैयार किया जाना था।
- तृतीय स्तर-3 स्टेट क्वालिटि मॉनिटर (एस.क्यू.एम.) में शामिल सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख / मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता तथा उप सचिव स्तर एवं इससे उपर के सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा एक स्वतंत्र गुणवत्ता अनुश्रवण किया जाना था।

निर्मित सड़कों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुश्रवण में पायी गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

#### 2.3.10.1 अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत निर्मित सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.–एस.पी. 20–2002) एवं रुरल रोड मैनुअल (आर.आर.एम)

के विनिर्देशन विशिष्टियों के अनुरूप होना चाहिए। आर.आर.एम अनुबंधित करता है कि प्रभारी—अभियंता द्वारा अनुमोदित स्थानों पर संवेदक, न्यूनतम आवश्यक यंत्रों (कैम्बर बोर्ड, चलनी सेट, कोर कटर एवं सहायक उपकरण, संतुलन तथा उन्नयन, नमी एवं क्षेत्र घनत्व के विश्लेषन करने के लिए ओवेन) सहित एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित करेगा तथा विनिर्दिष्ट अंतराल पर सभी आवश्यक जाँचों को करने के लिए आवश्यक कर्मियों को नियुक्त करेगा।

गुणवत्ता परीक्षण पथ के विभिन्न परतों के लिए (मिट्टी कार्य स्तर ई.डब्ल्यू 1 से 8 जाँच, सब बेस स्तर –एस.बी. 1 से 9 जाँच, बेस स्तर जी.बी. 1 से 6 जाँच, बिटुमिन स्तर–बी.एल. 1 से 14 जाँच, पक्का पथ—आर.पी. 1 से 9 जाँच) उनके अनुक्रम में संचालित किया जाना था तथा आँकड़ों को गुणवत्ता नियंत्रण जाँच के डाटा शीट में दर्ज करना था जैसा कि आर.आर.एम. में निर्धारित था।

सड़क कार्य के कार्यान्वयन के दौरान आवश्यक गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि नमूना—जाँचित कार्यों से संबंधित आवश्यक जाँचों का परिणाम युक्त गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों का डाटा शीट कार्य प्रमंडलों में उपलब्ध नहीं था। केवल मिट्टी, स्टोन एग्रीगेट्स, पी.सी.सी. क्यूब आदि से संबंधित जिला/क्षेत्रीय स्तर के प्रयोगशालाओं द्वारा दिये गये गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध थे, जिससे स्पष्ट था कि कार्यकुशलता के लिए आर.आर.एम. में निर्दिष्ट सभी आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण इन सड़क कार्यों के लिए कार्य प्रमंडलों के का. अभि. द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

जवाब में, विभाग द्वारा बताया गया (नवंबर 2016) कि मिट्टी, स्टोन मेटल, विटुमिन, कंक्रीट स्ट्रंगथ औफ क्यूब के संबंध में गुणवत्ता प्रतिवेदन जिला/क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त किये गये थे और सड़कों के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया था।

जवाब तथ्यों के विपरीत था क्योंकि मोबाईल गुणवत्ता अनुश्रवण इकाइयों (एम.क्यू.एम. यू.) द्वारा निरीक्षित 54 नमूना—जाँचित सड़कों में से 26 सड़कों में कर्म—कौशल जैसे कि कंपैक्शन, परतों की मोटाई, कैम्बर, सुपर एलिवेशन, जियोमेट्रिक्स आदि निर्धारित विशिष्टियों के स्तर की नहीं पाए गए जो पुष्टि करता था कि निर्माण कार्य के दौरान अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण नहीं किये गये थे।

### 2.3.10.2 गुणवत्ता अनुश्रवण के लिए डी.क्यू.एम. द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना अर्त्तगत कार्यान्वयन कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण की जाँच हेतु प्रत्येक जिलों में डी.क्यू.एम. का एक पैनल बनाया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना—जाँचित जिलों में कार्यान्वयन सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता अनुश्रवण के लिए डी.क्यू.एम. द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था।

ग्रा.का.विभाग ने स्वीकार किया (नवम्बर 2016) कि डी.क्यू.एम. का गठन नहीं किया जा सका था क्योंकि चयन एवं पैनल प्रक्रिया ससमय पूरी नहीं की जा सकी।

### 2.3.10.3 अपर्याप्त स्वतंत्र गुणवत्ता अनुश्रवण निरीक्षण

एम.एम.जी.एस.वाई. हेतु गुणवत्ता निगरानी एस.क्यू.एम. द्वारा स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी के रूप में संरचित है।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि बिहार सरकार द्वारा एस.क्यू.एम. के स्थान पर मोबाईल गुणवत्ता निगरानी इकाई (एम.क्यू.एम.यू.) को स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया गया था। नमूना—जाँचित जिलों में इस योजना के तहत वर्ष 2011–16 के दौरान 1,792 कार्य कराए गए थे। इनमें से एम.क्यू.एम.यू. का निरीक्षण मात्र 728 कार्यों में ही किया गया था, जिससे कि गुणवत्ता निगरानी की अपर्याप्तता स्पष्ट होती है। चूंकि इस योजना के लिए डी.क्यू.एम. द्वारा गुणवत्ता निगरानी नहीं किया गया था, शेष 1,064 कार्यों

में स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण जाँच नहीं की जा सकी। आगे, नमूना-जाँचित 161 में से मात्र 54 कार्यों में गुणवत्ता निगरानी किया गया था।


बी.आर.आर.डी.ए. द्वारा बताया गया कि पहले 15 एम.क्यू.एम.यू. को एस.क्यू.एम. का कार्य सौंपा गया था, हालांकि निरीक्षण की कमी को देखते हुए अब और 45 एस.क्यू.एम. को सड़क निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है। ग्रा.का.विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 64 एस.क्यू.एम. को सड़कों के निरीक्षण हेतु पैनलीकृत किया गया था एवं विभाग ने स्वतंत्र गुणवत्ता निरीक्षण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सेल की स्थापना की थी।

#### **2.3.10.4 एम.क्यू.एम.यू. निरीक्षण पर कृत कार्यवाई प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) लंबित**

राज्य सरकार का आदेश (वर्ष 2011) के अनुसार अच्छी गुणवत्ता एवं कर्म-कौशल सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिवेदनों की समीक्षा की जानी चाहिए।

चयनित जिलों में वर्ष 2011–16 के दौरान किए गए एम.क्यू.एम.यू. निरीक्षणों पर ए.टी.आर. लंबित रहने की स्थिति नीचे चार्ट सं.-2.3.3 में दिए गए हैं:

**चार्ट सं.-2.3.3  
लंबित ए.टी.आर. की स्थिति**



(स्रोत—बी.आर.आर.डी.ए. द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपरोक्त चार्ट सं.-2.3.3 से स्पष्ट था कि एम.क्यू.एम.यू. द्वारा किये गये निरीक्षणों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। यह भी पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान किये गये 310 निरीक्षणों में से 77 प्रतिवेदनों (25 प्रतिशत) के ए.टी.आर. मार्च 2016 तक लंबित थे।

ग्रा.का. विभाग द्वारा जवाब में बताया गया (नवम्बर 2016) कि मुख्यालय स्तर पर ए.टी.आर. के अनुपालन नियमित रूप से अनुश्रवण किए गए थे एवं सभी संबंधित का.अभि. को निर्देश दिए गए थे।

जवाब तथ्यों से विपरीत थे क्योंकि ए.टी.आर. एक से चार वर्षों की अवधि तक लंबित थे जो बिहार सरकार के अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण का घोतक था।

#### **2.3.10.5 अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख द्वारा अप्रर्याप्त निरीक्षण**

योजना के दिशानिर्देशानुसार कार्यकारी प्राधिकारियों यथा अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख द्वारा कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना था।

नमूना—जाँचित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 161 चयनित सड़कों में से सारण जिला के सोनपुर प्रखंड में एक सड़क 'हसिलापुर पंचायत अंतर्गत कस्तुरीचक डोमवापुल रेलवे लाईन तक' के अलावा कहीं भी कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

ग्रा.का. विभाग द्वारा (नवम्बर 2016) जवाब दिया गया कि पर्याप्त संख्या में एस.क्यू.एम. को पैनलीकृत किया गया था और अब निर्माणाधीन सड़कों तथा पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा था।

### अनुशंसा

राज्य सरकार को विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विविध स्तरों पर किये जाने वाले गुणवत्ता नियंत्रण की जांच के संबंध में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और गुणवत्ता नियंत्रण की जांच के दौरान बतायी गई त्रुटियों के सुधार के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

### 2.3.11 लाभार्थी सर्वेक्षण

एम.एम.जी.एस.वाई. के लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने चार नमूना—जाँचित जिलों<sup>33</sup> (12 सड़कों) में कार्य की स्थिति, गाँवों को सम्पर्कता, अनुरक्षण एवं सड़कों की स्थिति के बारे में जानने के लिए 279 ग्रामीणों से बातचीत की एवं उनकी प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया। 12 सड़कों में से सात निर्धारित जनसंख्या सीमा के अनुसार निर्मित किये गये थे जबकि इनमें से पाँच सड़कों संबंधित जिलों के सी.एन.सी.पी.एल. में सम्मिलित नहीं थे (परिशिष्ट-2.3.9)। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य पाये गये:

- बावन लोगों (19 प्रतिशत) ने बताया कि उनके गाँवों को बारहमासी सम्पर्कता नहीं मिली क्योंकि सड़कें उनके गाँव तक नहीं पहुँची।
- दो सौ छत्तीस लोगों (86 प्रतिशत) ने बताया कि सड़कों का अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया था एवं सड़कें खराब स्थिति में थीं।
- पचपन लोगों (20 प्रतिशत) ने बताया कि उनके गाँवों में सड़कों के निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

### 2.3.12 निष्कर्ष

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन संपर्कविहीन गाँवों के विश्वसनीय आँकड़ों के बिना किया गया था, क्योंकि 500 से 999 जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाले संपर्कविहीन गाँवों की व्यापक नई सम्पर्क प्राथमिकता सूची न तो तैयार की गई थी, और न ही उसका पालन किया गया था। परिणामस्वरूप, मार्च 2016 तक ₹1398.16 करोड़ के व्यय के बावजूद 183 गाँव संपर्कविहीन रह गये क्योंकि कार्य अपूर्ण थे या संवेदकों द्वारा छोड़ दिये गये थे। योजना के अन्तर्गत अपात्र गाँवों को भी सम्पर्कता प्रदान की गई।

दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित नहीं किया गया था एवं मोबाईल गुणवत्ता निगरानी इकाई के 25 प्रतिशत प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन मार्च 2016 तक लम्बित थे। यद्यपि, वर्ष 2014–15 तक निर्मित सड़कों में अनुरक्षण का कार्य किया जाना था, 78 प्रतिशत सड़कों में यह नहीं किया गया। राज्य में योजना का एक दशक पूर्ण होने के बावजूद भी 500 से 999 की जनसंख्या वाले सभी संपर्कविहीन गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने का इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

<sup>33</sup> मध्यप्रदेश: 3, नालन्दा: 3, पटना: 3 तथा सिवान: 3

## अध्याय III

# अनुपालन लेखापरीक्षा

## अध्याय-III

### अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकार के विभागों/योजनाओं उनके क्षेत्र संरचनाओं के साथ—साथ स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से संसाधन प्रबंधन में कमियाँ एवं नियमित्ता, औचित्य और मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में विफलताओं के कई उदाहरण उजागर हुए। इन्हें कंडिकाओं के रूप में व्यापक विषय शीर्ष के अधीन प्रस्तुत किया गया है। इन्हें आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

#### कृषि विभाग

##### 3.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन का लेखापरीक्षा

###### 3.1.1 परिचय

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) को बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिये एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। जिसे प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप क्षेत्र आधारित भिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से जिसमें अनुसंधान, तकनीक संवर्द्धन, विस्तार, कटाई पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन सम्मिलित है, प्राप्त किया जाना था। बाद में, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2014–15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) शुरू किया गया जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, पूर्वोत्तर एवं हिमालयीय राज्य बागवानी मिशन एवं केन्द्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड में चल रहे योजनाओं को एकीकृत किया गया था।

राज्य के 38 जिलों में से 23 जिलों<sup>34</sup> में एन.एच.एम. कार्यान्वित किया जा रहा था एवं मिशन की प्रमुख गतिविधियों में रोपण सामग्रियों का उत्पादन एवं वितरण, सब्जी बीज उत्पादन, नए बगीचों की स्थापना, जल स्रोतों का सृजन, संरक्षित खेती, जैविक खेती, एकीकृत कटाई—पश्च प्रबंधन एवं बाजार आधारभूत ढाँचे का निर्माण इत्यादि शामिल था।

वर्ष 2011–16 के दौरान एन.एच.एम. का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार एवं निदेशक, उद्यान—सह—मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाइटी (बी.एच.डी.एस.) एवं जिला स्तर पर 23 में से आठ<sup>35</sup> सहायक निदेशक उद्यान के अभिलेखों की नमूना—जाँच अप्रैल से अगस्त 2016 के दौरान की गयी थी।

###### 3.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

आम परिषद (जी.सी.) नीति निरूपण निकाय है जो मिशन को समग्र दिशा तथा परामर्श देती है और इसकी प्रगति तथा कार्य निष्पादन का अनुश्रवण एवं समीक्षा करती है। राष्ट्रीय स्तर की अधिशासी समिति (एन.एल.ई.सी.) मिशन के कार्यकलापों का निरीक्षण करती है तथा एन.एच.एम. के कार्य योजनाओं का अनुमोदन करती है। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस.एल.ई.सी.) संबंधित राज्यों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है जबकि जिला बागवानी विकास समिति (डी.एच.डी.सी.) परियोजना तैयार करने, जिले में मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है।

<sup>34</sup> अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली तथा पश्चिमी चम्पारण


<sup>35</sup> भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना तथा समस्तीपुर

राज्य में एस.एल.ई.सी. के कार्यों को लागू करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार बिहार बागवानी विकास सोसाइटी (बी.एच.डी.एस.) की स्थापना अक्टूबर 2005 में की गयी थी। यह राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। बी.एच.डी.एस. के निधि के स्रोत सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि, सदस्यों से प्राप्त अंशदान एवं शुल्क, संस्था द्वारा उपहार की वस्तुओं से उत्पन्न धनराशि की रकम अथवा इसके द्वारा प्राप्त अनुदान एवं दान तथा संस्था द्वारा किसी अन्य प्रकार या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त निधि शामिल हैं।

कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग, बिहार सरकार बी.एच.डी.एस. के अध्यक्ष हैं। एन.एच.एम. के कार्यान्वयन के लिए उत्तदरायी संगठनात्मक ढाँचा इस प्रकार है:

### चार्ट सं.-3.1.1

#### राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर एन.एच.एम. की संरचना एवं रचना



(स्रोत: मिशन निदेशक, बी.एच.डी.एस. के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

### 3.1.3 योजना

बिहार में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजना तैयार करने (जैसे परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना) का दायित्व बी.एच.डी.एस. को सौंपा गया था। तदनुसार, जिलों, उप-जिलों या जिलों के समूह में बागवानी उत्पादन, क्षमता एवं माँग का निर्धारण करने के लिए बी.एच.डी.एस. द्वारा आधार-रेखा सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन सुनिश्चित किया जाना था। हालांकि, राज्य में एन.एच.एम. की योजना तैयार करने में कई कमियाँ थीं जिसकी चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई हैं:

#### 3.1.3.1 आधार-रेखा सर्वेक्षण

एन.एच.एम. के दिशा-निर्देशों के अनुसार बी.एच.डी.एस. को बागवानी उत्पादन, सम्भाव्यता तथा माँग की स्थिति के निर्धारण हेतु जिला, उप-जिला अथवा जिलों के एक समूह में आधार-रेखा सर्वेक्षण तथा व्यवहार्यता अध्ययनों को आयोजित करना और तदनुसार सहायता प्रदान कर अनुकूल बनाना था।

बी.एच.डी.एस. के अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि बी.एच.डी.एस. द्वारा आधार-रेखा सर्वेक्षण तथा व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य वर्ष 2005–06 से नहीं किया गया था। इसके अलावा चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान सहायक निदेशक उद्यान (ए.डी.एच.) ने प्रतिवेदित किया था कि बी.एच.डी.एस. द्वारा आधार-रेखा सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के बारे में कोई अनुदेश जारी नहीं किया

गया था। बागवानी उत्पादन, उत्पादकता, सम्भाव्यता तथा मॉग का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता प्रतिवेदन मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2011–16 के दौरान तैयार किया गया था। हालांकि यह प्रतिवेदन जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों पर आधारित नहीं था। इस प्रकार, बी.एच.डी.एस. ने नमूना-जाँचित जिलों में बागवानी उत्पादन, सम्भाव्यता एवं मॉग का आकलन नहीं किया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016), के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने बताया कि वर्ष 2005–06 के दौरान आधार-रेखा सर्वेक्षण किया गया था। उक्त सर्वेक्षण तथा त्रैमासिक बैठकों में जानकारी प्राप्त कर, साथ ही साथ बागवानी फसलों के वर्षवार क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता प्रतिवेदन के आधार पर एन.एच.एम. के लिए सम्भाव्यता एवं मॉग का आकलन मुख्यालय स्तर पर किया गया था। इस प्रकार नमूना-जाँचित जिलों के आँकड़ों के अभाव में जिलों की वास्तविक सम्भाव्यता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

### 3.1.3.2 परिप्रेक्ष्य योजना/रणनीतिक योजना

एन.एच.एम./एम.आई.डी.एच. का संचालन संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित करता है कि राज्य में बागवानी के समग्र विकास के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए कार्य योजना विधिवत् परिकल्पित करते हुए परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना और रोड मैप राज्य तैयार करेगा। यह वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने का आधार होगा। राज्यों द्वारा निरूपित कार्यनीति तथा तरीके में स्पष्ट रूप से भूगोल तथा जलवायु पर सूचना, बागवानी विकास की सम्भाव्यता, भूमि की उपलब्धता तथा राज्य के प्रत्येक जिले में मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना शामिल होंगे।

बी.एच.डी.एस. के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि वर्ष 2011–16 के दौरान एन.एच.एम. के लिए परिप्रेक्ष्य योजना/रणनीतिक योजना तैयार नहीं की गयी थी। इसके अभाव में, बी.एच.डी.एस. के द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना एवं दूरदर्शिता का लाभ हेतु कोई दीर्घकालिक योजना या रणनीति तैयार नहीं की गयी थी।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने बताया कि एन.एच.एम. के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गयी थी लेकिन यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। परिप्रेक्ष्य योजना/रणनीतिक योजना के स्थान पर कृषि विभाग द्वारा कृषि रोड मैप–1 और कृषि रोड मैप–2 तैयार किया गया था। यह कृषि रोड मैप एन.एच.एम. दिशानिर्देश से व्यापक था, क्योंकि इसमें सभी 38 जिलों में कृषि के समग्र विकास को शामिल किया गया था। हालांकि रोड मैप में जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था क्योंकि भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि के आधार पर वर्षवार कार्य योजना तैयार की गई थी न कि परिप्रेक्ष्य योजना के आधार पर।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एन.एच.एम. के लिए भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम दर्शाते हुए विशिष्ट परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना अथवा रोड मैप दिशानिर्देश के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। आगे, एन.एच.एम. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित जिलावार कार्य योजना का उल्लेख कृषि रोड मैप में नहीं किया गया था।

### 3.1.3.3 वार्षिक कार्य योजना

वार्षिक कार्य योजना पिछले हस्तक्षेपों के परिणामों पर डाटा से समर्थित किए जाने की आवश्यकता थी जिसमें क्षेत्र विस्तार के ब्यौरे, राज्य की आवश्यकता के अनुसार जल स्रोतों के विकास, समेकित पोषण प्रबंधन/एकीकृत कीट प्रबंधन और जैविक खेती को आच्छादित किया गया हो। जिला स्तर की एजेंसियों को उनकी प्राथमिकता एवं क्षमता

को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना था तथा योजना को बी.एच.डी.एस. को प्रस्तुत करना था। इसके बदले में बी.एच.डी.एस. को राज्य के लिए एक समेकित प्रस्ताव तैयार करना था और इसे कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर की अधिशासी समिति (एन.एल.ई.सी.) के द्वारा विचार करने के लिए प्रस्तुत करना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बी.एच.डी.एस. ने वार्षिक कार्य योजना तैयार किया था जो भारत सरकार के द्वारा अनुमोदन किया गया था। चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि जिला स्तर की एजेंसियों ने अपनी प्राथमिकताओं और क्षमता को ध्यान में रखते हुए बी.एच.डी.एस. को वार्षिक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, वार्षिक कार्य योजना में वर्णित जिलों की प्राथमिकता एवं क्षमता विश्वसनीय जानकारी पर आधारित नहीं थी और बुनियादी ढाँचों का सृजन जिलों की आवश्यकता के आकलन के बगैर ही किया गया जैसा कि कंडिका 3.1.5.2, 3.1.5.4, 3.1.5.5 एवं 3.1.5.7 में चर्चा किया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने बताया कि त्रैमासिक बैठक में जिलों के प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आवंटन को ध्यान में रखते हुए जिलों के लिए वार्षिक कार्य योजना मुख्यालय स्तर पर तैयार किया गया था। आगे, यह बताया गया कि जिला कार्यालयों का कार्यकलाप बहुत कमज़ोर था, इसलिए यह कार्य ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि जिलों के वास्तविक प्राथमिकताओं और क्षमता के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

### अनुशंसा

राज्य में विकास के लिए प्राकृतिक क्षमता एवं तुलनात्मक लाभ वाले फसलों पर ध्यान देते हुए परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना तैयार की जानी चाहिए तथा जिला प्राधिकारियों के प्रस्तावों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।


### 3.1.4 वित्तीय प्रबन्धन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें भारत सरकार एवं राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 15 नवम्बर 2015 तक 85:15 एवं इसके बाद 60:40 था।

वर्ष 2011–16 के दौरान अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निधियों की आवश्यकता, केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में प्राप्त राशि एवं उनके विरुद्ध हुए व्यय की विवरणी चार्ट सं.– 3.1.2 में दर्शाया गया है:

### चार्ट सं.-3.1.2

**वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य में एन.एच.एम. के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की विमुक्ति एवं व्यय**  
**विवरीय वर्ष**




(स्रोत: मिशन निदेशक, बी.एच.डी.एस. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

चार्ट सं.-3.1.2 से स्पष्ट है कि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार ₹194.25 करोड़ के केन्द्रांश की आवश्यकता के विरुद्ध केवल ₹96.06 करोड़ विमुक्ति की गई थी। पिछली अवधि के दौरान योजना निधियों का अल्प उपयोग केन्द्रांश की कम विमुक्ति के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार, वर्ष 2011–16 के दौरान ₹98.19 करोड़ के केन्द्रांश से बिहार सरकार वंचित रह गई। आगे, नमूना-जाँचित जिलों में राशि की विमुक्ति एवं उनके व्यय की स्थिति नीचे चार्ट सं.-3.1.3 में दर्शाया गया है:

### चार्ट सं.-3.1.3

**वर्ष 2011–16 के दौरान चयनित जिलों में एन.एच.एम. के अंतर्गत राशि की विमुक्ति एवं व्यय**  
**विवरीय वर्ष**



(स्रोत: चयनित जिलों के ए.डी.एस. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने बताया कि अनुगामी किश्तों को प्राप्त करने के लिए अधिक कागजी कार्रवाई एवं भारत सरकार को विलम्ब से उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के कारण भारत सरकार द्वारा अनुगामी किश्त की विमुक्ति नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप निधि को विमुक्ति नहीं किया। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बी.एच.डी.एस. ने आवंटित राशि का भी उपयोग नहीं किया था।

यह भी देखा गया कि:

- वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य में उपलब्ध राशि के विरुद्ध बचत 29 एवं 52 प्रतिशत (**परिशिष्ट-3.1.1**) के बीच था, जबकि नमूना—जाँचित जिलों में यह 11 एवं 50 प्रतिशत के बीच था। निधि के उपयोग में असफलता के लिये यह तथ्य उत्तरदायी था कि अतिरिक्त राज्य टॉप—अप को बंद कर दिया गया था एवं सहायता राशि में कटौती के कारण किसान संरक्षित खेती<sup>36</sup> में रुचि नहीं ले रहे थे तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए कर्णाकित राशि का कम उपयोग किया गया था जैसा कि **कंडिका 3.1.5.2** एवं **3.1.5.11** में चर्चा की गई है।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने बताया कि क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड सब्सिडी के कारण परियोजना आधारित गतिविधियों के लिए वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी। इसके अलावा, राशि के कम उपयोग के लिए सहायक स्टॉफ की कमी भी एक कारण था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने ₹42.50 करोड़ के केन्द्रांश के विरुद्ध ₹17 करोड़ विमुक्ति किया। हालांकि, कोषागार से केवल ₹सात करोड़ की निकासी की गयी थी एवं ₹10 करोड़ की कोषागार से निकासी नहीं की जा सकी थी, क्योंकि निदेशक, उद्यान ने अनुदान की राशि के लिए वित्त विभाग से पूर्व स्वीकृति नहीं ली थी। हालांकि वर्ष 2014–15 के उपयोगिता प्रमाण—पत्र में इस राशि को अव्ययित शेष के रूप में दिखाया गया था। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में उस वर्ष के केन्द्रांश को समायोजित कर इस राशि की विमुक्ति की गई। फलस्वरूप बी.एच.डी.एस. वर्ष 2014–15 के ₹10 करोड़ के केन्द्रांश से वंचित रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति व्यक्त की।

- वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रांश की राशि फरवरी 2016 में प्राप्ति होने के कारण कोषागार से राशि की निकासी 31 मार्च 2016 को की गई थी। हालांकि इन्हें जुलाई 2016 तक कार्यान्वयन एजेंसियों को विमुक्ति नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.एम. के घटकों में केवल 42 प्रतिशत की भौतिक उपलब्धि प्राप्त की जा सकी।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने लेखा परीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं बताया कि वर्ष 2015–16 की राशि को पर्सनल लेजर एकाउंट (पी.एल.एकाउंट) में रखा गया था और इसे अब जिलों को विमुक्ति किया जा रहा था।

चयनित जिलों में योजना के वित्तीय प्रबन्धन में अन्य कमियों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है:

<sup>36</sup> संरक्षित खेती के अंतर्गत शेड नेट हाजस, ग्रीन हाजस, मलचिंग तथा प्लास्टिक टनल, चिडिया/ओला विरोधी नेट इत्यादि के निर्माण जैसी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

### 3.1.4.1 कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि की विमुक्ति

नमूना—जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बी.एच.डी.एस. द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹117.78 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध ₹70.96 करोड़ की विमुक्ति की गयी थी। हालांकि कुल विमुक्ति में से ₹18.42 करोड़ (यथा 26 प्रतिशत) की विमुक्ति संबंधित वित्तीय वर्षों के अंतिम महीनों में की गयी थी (*परिशिष्ट-3.1.2*)। राशि की विमुक्ति में विलम्ब से योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ और एन.एच.एम. के अन्तर्गत जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका। पूछे जाने पर नमूना—जाँचित जिलों के ए.डी.एच. ने भी लक्ष्य की कम उपलब्धि के लिए एक कारण राशि विमुक्ति में विलम्ब को बताया। आगे बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान, सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि इसका भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

#### अनुशंसा

**बी.एच.डी.एस.** को राशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि की विमुक्ति में विलम्ब से बचना चाहिए।

### 3.1.4.2 विभागीय अग्रिम

बिहार कोषागार संहिता (बी.टी.सी.) 2011 के नियम 318 में यह अनुबंधित है कि पिछले अग्रिमों को जब तक समायोजित नहीं कर लिया जाए तब तक अन्य विभागीय अग्रिम प्रदान नहीं करना चाहिए एवं विमुक्त अग्रिमों को आहरण के 12 महीने के अन्दर वसूली कर लेनी चाहिए।

नमूना—जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि बी.टी.सी. के प्रावधानों के विपरीत वर्ष 2011–15 के दौरान ₹21.96 लाख का जो अग्रिम पौधारोपण सामग्रियों के क्रय, नर्सरियों की सफाई तथा मजदूरों के मजदूरी भुगतान के लिए अधिकारी/अधिकारियों को प्रदान किया गया था, वह लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2016 तक) असमायोजित था। ए.डी.एच. द्वारा पिछले अग्रिमों के समायोजन के बिना आगे भी नियमित अंतराल पर अग्रिम प्रदान किए गए। इसके अलावा वर्ष 2011–16 की अवधि से संबंधित ₹1.01 करोड़ के अग्रिम को बिना समायोजन के ही व्यय दर्शाया गया (*परिशिष्ट 3.1.3*) था। चूँकि अग्रिमों को रोकड़बही में व्यय के रूप में दर्ज किया गया था, इन अग्रिमों के समायोजन का ए.डी.एच. द्वारा निगरानी नहीं किया गया था साथ ही भौतिक कार्य का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित नहीं किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि जिला प्राधिकारियों को अग्रिमों के वसूली/समायोजन के लिए निर्देश जारी किया जाएगा।

### 3.1.4.3 बैंक समाधान विवरणी को तैयार करना

बी.एच.डी.एस. के निर्देशानुसार (अगस्त 2014) सभी जिलों के ए.डी.एच. को प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही और बैंक अवशेष के अंतर के सामंजन के लिए बैंक समाधान विवरणी तैयार करना था।

चार चयनित जिलों के नमूना—जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया जा रहा था और 31 मार्च 2016 को रोकड़—बही और बैंक पास बुक में ₹10.91 लाख (कटिहार), ₹37.66 लाख (मुगेर), ₹32.86 लाख (मुजफ्फरपुर), और ₹6.81 लाख (नालंदा) का अन्तर था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि बैंक में अर्जित व्याज के कारण रोकड़—बही और बैंक पास बुक में अंतर था और आश्वासन दिया कि इस मामले पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा।

### 3.1.4.4 निधि का विचलन

एन.एच.एम. के अन्तर्गत सहायता विमुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृति आदेशों में वर्णित है कि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के घटकों पर ही राशि का उपयोग किया जाना चाहिए।

ए.डी.एच., पटना के अभिलेखों की नमूना—जाँच के दौरान यह देखा गया कि एन.एच.एम. की ₹98.94 लाख की राशि को नेशनल वेजिटेवल इनीशिएटिव (एन.वी.आई.) के खाते में विचलन कर डाला गया (फरवरी 2015) और एक वर्ष के पश्चात् मुख्यमंत्री बागवानी मिशन की राशि से ₹75 लाख एन.एच.एम. के खाते में जमा किया गया (मार्च 2016) एन.एच.एम. की राशि के विचलन के परिणामस्वरूप भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि कम हुई क्योंकि वर्ष 2014–15 के दौरान मात्र 49 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि हुई थी। ₹23.94 लाख की अवशेष राशि को एन.एच.एम. खाते में अक्टूबर 2016 तक जमा नहीं किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने बताया कि एन.वी.आई. योजना के लिए राशि की विमुक्ति ए.डी.एच. पटना को कर दी गयी थी (दिसम्बर 2016) तथा इसकी क्षतिपूर्ति कर ली जाएगी।

जवाब एन.एच.एम. के स्वीकृति आदेश के निर्देशों के अनुरूप नहीं था और इससे कुछ घटकों की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

### 3.1.5 मिशन कार्यक्रम का कार्यान्वयन


एन.एच.एम. के घटक जैसे बागान सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, सब्जी बीज उत्पादन, नए बगीचों की स्थापना, संरक्षित खेती, जैविक कृषि, जल स्रोतों का सृजन, एकीकृत कटाई—पश्च प्रबंधन तथा बाजार आधारभूत ढाँचे का निर्माण आदि का कार्यान्वयन राज्य में वर्ष 2011–16 के दौरान किया गया था।

राज्य में एन.एच.एम. घटकों के भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति नीचे चार्ट सं.-3.1.4 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं.-3.1.4

वर्ष 2011–16 के दौरान एन.एच.एम. के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति

विवरीय वर्ष



(स्रोत: मिशन निदेशक, बी.एच.डी.एस. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

चार्ट सं.-3.1.4 के विश्लेषण से पता चलता है कि भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत्ता 36 तथा 88 प्रतिशत के बीच जबकि वित्तीय उपलब्धियाँ 39 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी। बौद्धिक परिशिष्ट-3.1.4 में दिया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान विभाग ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निधि प्रवाह के अनुसार, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की गई है। यह भी कहा गया कि परियोजना आधारित कार्य कलाप के लिए निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि दर्ज नहीं की गई क्योंकि क्रेडिट लिंकड बैंक इंडेड अनुदान<sup>37</sup> में कठिनाइयाँ थीं।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों की अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:


### 3.1.5.1 नए बगीचों की स्थापना

एन.एच.एम. में बागवानी फसलों की उन्नत किस्मों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों का आच्छादन परिकल्पित था। कृषि हेतु सहायता अधिकतम चार हेक्टेयर प्रति लाभग्राही के क्षेत्रफल हेतु होगी जो तीन वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में फसलों की प्रकृति के अनुसार विभाजित होगी। दूसरे वर्ष हेतु सहायता नए बगीचों के 75 प्रतिशत जीवित रहने और तीसरे वर्ष हेतु सहायता 90 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने के अधीन होगी।

बी.एच.डी.एस. ने वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के दौरान बारहमासी फल बगीचों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया था। नमूना-जाँचित जिलों में पाया गया कि बी.एच.डी.एस. द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों से बिना माँग आकलन के ही लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

नमूना-जाँचित जिलों में अभिलेखों के संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बारहमासी फल बगीचों (यथा आम, लीची, अमरुद तथा आँवला) का भौतिक उपलब्धि, वृक्षारोपण के प्रथम वर्ष के पश्चात्, वर्ष 2011–16 के दौरान निर्धारित लक्ष्य का लगभग 83 प्रतिशत था जिसे चार्ट सं.-3.1..5 में नीचे दर्शाया गया है:

**चार्ट सं.-3.1.5**  
बारहमासी फल बगीचों के भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि



<sup>37</sup> इसका यह आशय है कि लाभार्थी को सहायता लेने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान से टर्म लोन लेना था। बैंक इन्डेड अनुदान का भुगतान लाभार्थी को, लोन अथवा संभाव्यता-सह-परियोजना प्रतिवेदन जैसा भी मामला हो, की शर्तों के अनुरूप परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर दिया जायेगा।

(स्रोत: नमूना—जाँचित जिलों का भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन)

चार्ट सं.—3.1.5 का विशलेषण दर्शाता है कि बारहमासी फल बगीचे का लक्ष्य 3,477.31 हेक्टेयर के विरुद्ध केवल 2,902.14 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किए गए थे जबकि वित्तीय लक्ष्य ₹6.88 करोड़ के विरुद्ध खर्च केवल ₹5.02 करोड़ किया जा सका था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने भारत सरकार द्वारा गैर परियोजना आधारित गतिविधि में कटौती को लक्ष्य से कम उपलब्धि के लिए जिम्मेदार बताया। जवाब लेखापरीक्षा कथन के अनुरूप नहीं था।


नमूना—जाँचित जिलों में अनुसूचित तीन साल के पश्चात् वृक्षारोपण की स्थिति, नए बगीचों के स्थापना में पाई गई कमियाँ तथा वृक्षारोपण के प्रभाव की स्थिति अनुवर्ती कंडिकाओं में बताई गई हैं:

#### बारहमासी फल बगीचों की उत्तरजीविता

वर्ष 2011–14 (जिस वृक्षारोपण पर तीन साल बीत चुका था) के दौरान बारहमासी फल बगीचों की उत्तरजीविता की स्थिति चार्ट सं.—3.1.6 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं.—3.1.6

नमूना—जाँचित जिलों में बारहमासी फल बगीचों के उत्तरजीविता की विवरणी



(बारहमासी फल में आम, लींची, अमलद तथा आँवला शामिल हैं)

(स्रोत: नमूना—जाँचित जिलों के ए.डी.एच. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

चार्ट सं.—3.1.6 से स्पष्ट है कि स्थापित उद्यान क्षेत्र का उत्तरजीविता काफी कम था क्योंकि निर्धारित उत्तरजीविता (90 प्रतिशत) 2,145.67 हेक्टेयर के विरुद्ध केवल 420.96 हेक्टेयर में प्राप्त की गई थी जो कुल स्थापित उद्यान क्षेत्र का केवल 19.6 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, केवल जीवित 19.6 प्रतिशत वृक्षारोपण के लिए भुगतान की गई अनुदान को ही पूरी तरह से न्यायसंगत माना जा सकता था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा उत्तरजीविता बहुत कम नहीं थी क्योंकि किसानों द्वारा तीसरे किस्त के लिए ए.डी.एच. को आवेदन समर्पित नहीं किया था तथा अधिकतर लाभुकों को तीसरे किस्त का भुगतान नहीं किया गया था। आगे, यह कहा गया कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय,

सबौर के छात्रों द्वारा एन.एच.एम. के अन्तर्गत स्थापित उद्यान क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया था तथा उत्तरजीविता संतोषजनक पाया गया था।

यह जबाब, नमूना-जाँचित जिलों के ए.डी.एच. द्वारा दिए गए जबाब (अप्रैल 2016 से अगस्त 2016) के विपरीत था जिसमें उद्घाटित किया गया था कि केंटीले तार वाले बाड़ की कमी तथा पशुओं एवं जंगली जानवरों द्वारा वृक्षारोपण को क्षति पहुँचाने के कारण बारहमासी फल-बागीचों का उत्तरजीविता कम था।

आगे, वित्तीय वर्ष 2011–13 के दौरान कार्यावित उद्यान सहित कृषि विकास योजनाओं का मूल्यांकन चन्द्रगुप्त इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, पटना द्वारा किया गया था (अक्टूबर 2013)। इस मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, अध्ययन के क्षेत्र के सभी जिलों (14 जिलों) में मृत्यु दर (50 प्रतिशत से अधिक) बहुत अधिक थी सिर्फ नालंदा तथा रोहतास जिलों में उत्तरजीविता 85 प्रतिशत थी। उच्च मृत्युदर के प्रमुख कारणों में, सिंचाई सुविधाओं की कमी, भटकने वाले मवेशियों द्वारा चराई तथा बाड़ की कमी आदि थे। यह लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है।

### **पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित करना**

एम.आई.डी.एच. के दिशानिर्देशों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाएं (पी.आर.आई.) अपनी विशेषज्ञता और उपलब्ध आधारभूत ढाँचा के अनुरूप कार्यक्रमों को उपयुक्त ढंग से लागू करने की प्रक्रिया में शामिल होंगी। एम.आई.डी.एच. को लागू करने की दिशा में निम्नलिखित संदर्भ में उनकी अहम भूमिका होगी:

- जिला पंचायतों के परामर्श से फसलों/मसालों और लाभान्वितों की पहचान;
- पंचायतों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रशिक्षण, विस्तार और जागरूकता; तथा
- एम.आई.डी.एच. के कार्यान्वयन की दिशा में पी.आर.आई. और ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित करना और संबंधित अधिकारियों को इसके निष्कर्षों की जानकारी देना।

हालांकि, नमूना-जाँचित सात जिलों<sup>38</sup> में अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि जिलों के पी.आर.आई. को फसलों की पहचान, प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन में शामिल नहीं किया गया था तथा बाद में कार्यान्वयन से सम्बन्धित जानकारी पी.आर.आई. से प्राप्त नहीं की गई थी।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा आश्वस्त किया कि पी.आर.आई. को फसलों के पहचान तथा घटकों के कार्यान्वयन में सहभागिता के लिए अनुरोध किया जाएगा।

### **स्थल का चयन**


बी.एच.डी.एस. के निर्देशानुसार (अगस्त 2014), किसानों से बागीचों की स्थापना के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किसानों की इच्छा, सिंचाई सुविधा की उपलब्धता तथा भूमि की प्रकृति को सुनिश्चित करने के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्र स्तर के कर्मियों द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए।

चार नमूना-जाँचित जिलों में अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि जिलों में वृक्षारोपण से पूर्व प्रस्तावित बगीचा स्थल का क्षेत्र सत्यापन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वृक्षारोपण के पूर्व स्थल पर सिंचाई सुविधा और उपयुक्त भूमि सुनिश्चित नहीं किया गया, अंतः वृक्षारोपण की उत्तरजीविता वृक्षारोपण के तीन वर्षों के पश्चात् प्रभावित हुई, जिसे चार्ट सं.-3.1.7 में दर्शाया गया है:

38

भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं समस्तीपुर

चार्ट सं. 3.1.7  
नमूना—जाँचित जिलों में वृक्षारोपण का उत्तरजीविता प्रतिशत्ता



(स्रोत: सम्बन्धित जिलों के ए.डी.एच. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि वृक्षारोपण स्थल का चयन किसानों द्वारा स्वयं किया गया था तथा जो अन्य मौसमी फसलों के लिए लाभदायक नहीं था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बी.एच.डी.एस. के निर्देशानुसार ए.डी.एच. द्वारा वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन किया जाना था।

### कलस्टर दृष्टिकोण

एन.एच.एम के दिशानिर्देश के अनुसार नए क्षेत्रों को अधिदेशित फसल के चिह्नित कलस्टरों में निकटवर्ती आधार पर लिया जाना चाहिए था तथा नए बागीचों को 10 हेक्टेयर ब्लाक से कम के पृथक खण्डों में नहीं बनाया जाना चाहिए।

छ:<sup>39</sup> नमूना—जाँचित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि वृक्षारोपण के लिए नए क्षेत्रों के चयन के दौरान दिशानिर्देश के अनुसार निर्धारित कलस्टर दृष्टिकोण का पालन नहीं कर भूमि के छोटे टुकड़ों का चयन किया गया था। इस प्रकार, कलस्टर में विभिन्न फसलों को विकसित करने का विचार विफल रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया गया।

### क्षेत्र विस्तार योजना का प्रभाव

बागवानी प्रक्षेत्र का समग्र विकास, बागवानी उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादकता में सुधार एन.एच.एम. का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के प्रारम्भ (जैसा कि वर्ष 2005–06) में तथा वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य में प्रमुख बागवानी फसलों का क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता चार्ट सं.-3.1.8 से 3.1.10 से दिया गया है:


<sup>39</sup>

भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर तथा समस्तीपुर

**चार्ट सं.-3.1.8**  
फसलों का प्रकार तथा कृषि का क्षेत्र (वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2011–16 के मध्य तुलना)




**चार्ट सं.-3.1.9**  
फसलों तथा उत्पादन का प्रकार (वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2011–16 के मध्य तुलना)



चार्ट सं.-3.1.10

फसलों के प्रकार तथा उत्पादकता (वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2011–16 के मध्य तुलना)



(स्रोत: मिशन निदेशक, बी.एच.डी.एस. द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना) (केवल एन.एच.एम. जिलों से संबंधित डाटा)

चार्ट सं.-3.1.8, 3.1.9 एवं 3.1.10 से स्पष्ट है कि वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2015–16 में सभी फसलों के आच्छादन में वृद्धि हुई थी। अमरुद, केला तथा आम का उत्पादन क्रमशः 122.56, 57.6 तथा 17.03 प्रतिशत बढ़ा था। हालांकि, लीची का उत्पादन 7.01 प्रतिशत कम हुआ था जबकि क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार, अमरुद, केला तथा आम का उत्पादकता में क्रमशः 102.24, 27.03 तथा 10.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा लीची की उत्पादकता में 19.24 प्रतिशत की कमी हुई।

उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले प्रमाणिक पौधशालाओं की कमी, बिना सर्वेक्षण के पौधारोपण स्थल का चयन जिसके फलस्वरूप अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का पौधों की उत्तरजीविता को प्रभावित किया जाना तथा मानव बल की कमी, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है, जिम्मेवार थे।


### 3.1.5.2 संरक्षित खेती

एन.एच.एम. का परिचालन दिशानिर्देश उत्पादकता बढ़ाने के लिए शेड नेट हाउस का निर्माण, प्राकृतिक वातावरण प्रणाली (पॉली हाउस), पक्षी/वृष्टि-रोधी जाली, मलचिंग तथा प्लास्टिक टनल जैसे कार्यकलापों का प्रोत्साहन को परिकल्पित करता है। नमूना-जाँचित जिलों में अभिलेखों के संवीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान 153 पॉली हाउस का निर्माण किया गया जैसा कि चार्ट सं.-3.1.11 में वर्णित किया गया है:

## चार्ट सं.-3.1.11

## चयनित जिलों में निर्मित पॉली हाउस का विवरण

विस्तीर्ण वर्ष



(स्रोत: नमूना-जाँचित जिलों के ए.डी.एच. द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

उपरोक्त चार्ट सं.-3.1.11 इंगित करता है कि निर्मित 153 पॉली हाउस में से 51 (33 प्रतिशत) कार्य नहीं कर रहे थे जबकि विभाग ने इसके निर्माण के लिए ₹3.45 करोड़ के अनुदान का भुगतान किया था। इस प्रकार, संरक्षित खेती के अन्तर्गत, पॉली हाउस जो कार्यरत नहीं हैं पर किया गया व्यय निष्फल हुआ और तथा संरक्षित खेती के अन्तर्गत पॉली हाउस के संस्थापन का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ।



## श्रीरामपुर खरजामा, चण्डी प्रखण्ड, नालन्दा में अकार्यरत पॉली हाउस

इसके अलावा, कार्यरत पॉली हाउस में बागवानी फसलों के उत्पादन से सम्बन्धित आँकड़े ए.डी.एच. के पास उपलब्ध नहीं थे।

पूछे जाने पर ए.डी.एच. ने जवाब दिया कि लाभुकों ने पॉली हाउस का रख-रखाव नहीं किया था तथा संरक्षित खेती में रुचि नहीं ली थी जिसके फलस्वरूप पॉली हाउस क्रियाशील नहीं थे।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि कुछ स्थानों पर पॉली हाउस अच्छी स्थिति में कार्य कर रहे थे। चूँकि बिहार में यह योजना नई थी, कुछ किसानों द्वारा पॉली हाउस को दो वर्षों तक कार्यशील रखा जा सका। किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये थे, हालांकि, कुछ किसानों ने पॉली हाउस के मरम्मति की दिशा में रुचि नहीं ली।

जवाब एन.एच.एम. के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि राज्य स्तरीय एजेंसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए उत्तरदायी थी।

### 3.1.5.3 बागान सामग्री का उत्पादन एवं वितरण

#### प्रमाणित नसरी

उत्पादन तथा अच्छी गुणवत्ता के बीज एवं बागान सामग्री का वितरण मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। एन.एच.एम. दिशानिर्देश उपबंधित करता है कि गुणवत्तापूर्ण बागान सामग्रियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु नए स्थापित नसरियों का प्रमाणीकरण राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से स्थापना के एक वर्ष के अन्दर प्राप्त किया जाना चाहिए।

बी.एच.डी.एस. के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2011–15 के दौरान 15 नसरियों की स्थापना ₹83.61 लाख की लागत से की गई थी लेकिन लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2016) तक इनमें से कोई भी प्रमाणित नहीं थे। नमूना–जाँचित जिलों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि:-

- जिलों में 61 प्रखण्ड नसरियों तथा संतति नसरियों में से 55 नसरियाँ अप्रमाणित थीं। आगे, बागान सामग्रियों का उत्पादन 10 नसरियों में किया जा रहा था तथा इनमें से पाँच नसरियाँ अप्रमाणित थीं। इस प्रकार, इन नसरियों से आपूर्ति किए गए बागान सामग्रियाँ, अपेक्षित गुणवत्ता की नहीं हो सकती है। बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान विभाग ने कहा कि ए.डी.एच. को नसरियों के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) से प्रमाणीकरण कराने हेतु निर्देश जारी किया गया था तथा मामले की आगे कार्रवाई की जायेगी। जवाब स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि एन.एच.बी. द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना से उद्घाटित हुआ कि चयनित जिलों से प्रमाणीकरण हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।
- बी.एच.डी.एस. द्वारा निर्गत (मार्च 2014) नसरियों के सुदृढ़ीकरण दिशानिर्देश के अनुसार प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी नसरियों में उत्पादित बागान सामग्रियों के लिए उत्पादन एवं भण्डार पंजी के निर्धारित प्रपत्र में संधारण हेतु जिम्मेदार होंगे। अभिलेखों के नमूना–जाँच में यह पाया गया कि भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर तथा समस्तीपुर जिलों में उत्पादन एवं भण्डार पंजी का संधारण नहीं किया गया था जबकि मुंगेर, नालन्दा तथा पटना जिलों में भण्डार पंजी का संधारण वर्ष 2015–16 से किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि नसरी अभिलेखों के संधारण हेतु सम्बन्धित ए.डी.एच. को निर्देश निर्गत किया जायेगा।


इस प्रकार, इन महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि बागान सामग्रियों का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, वितरण किया गया तथा शेष था।

#### बागान सामग्रियों का क्रय

बिहार वित्त (संशोधित) नियम, 2005 (बी.एफ.आर.) के अनुसार ₹25 लाख तक के प्राक्कलित समानों के क्रय के लिए सिमित निविदा पूछताछ किया जाना है।

अभिलेखों की संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि नमूना—जॉचित जिलों में बी.एफ.आर. के प्रावधान का पालन नहीं हुआ था। बी.एच.डी.एस. ने कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों तथा राज्य बागवानी मिशन के तकनीकी सलाहकारों से परामर्श कर बागान सामग्रियों के दर का प्राक्कलन किया था। तदनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियों को बी.एफ.आर. के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई करना था। यह अवलोकन किया गया था कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किए वर्ष 2013–16 के दौरान ₹1.64 करोड़ के बागान सामग्रियों का क्रय निजी नर्सरियों से अधिप्राप्ति किया गया था, जिसे चार्ट सं.—3.1.12 में दर्शाया गया है:

### चार्ट सं.-3.1.12



(झोत: संबंधित जिलों के ए.डी.एच. द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना)  
लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में सम्बन्धित जिलों के ए.डी.एच. ने कहा कि मुख्यालय द्वारा निर्धारित दर के आधार पर गत किसां गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव कृषि विभाग, बिहार सरकार, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि निजी नर्सरियों से अब पौधरोपण सामग्री का कुछ नहीं किया जा रहा था।

अनशंसा

एन.एच.एम. के अन्तर्गत स्थापित नर्सरियों से उत्पादित पौधरोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नर्सरियों के प्रमाणन के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

### 3.1.5.4 सब्जी बीज उत्पादन

बी.एच.डी.एस. ने सब्जी के बीजों यथा फूलगोभी, टमाटर, मिर्च, बैगन आदि के प्रसंस्करण के लिए जून 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान ₹4.72 करोड़ की लागत पर हाजीपुर (वैशाली), बरियारपुर (पटना) और बिहारशरीफ (नालंदा) में तीन बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की थी। स्थापना के 15 से 29 महीने भीतने के पश्चात् विभाग ने परिचालन के लिए इन्हें बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड<sup>40</sup> (बी.आर.बी.एन.एल.) को सौंपने का निर्णय लिया (दिसंबर 2014)।

40 बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड विभिन्न प्रकार के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में कम्पनी एकट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।

बी.एच.डी.एस. के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि इन तीन इकाइयों को बी.आर.बी.एन.एल. को हस्तांतरित नहीं किया गया था क्योंकि विभाग के साथ मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ये इकाइयाँ अपने स्थापना के समय से ही अकार्यरत रहीं।



(बिहारशारीफ, नालंदा का बीज प्रसंस्करण इकाई)

इस प्रकार, बीज के लिए बुनियादी ढाँचे स्थापित करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि सब्जी बीज का प्रसंस्करण नहीं किया जा सका और जिसके परिणामस्वरूप इन इकाइयों की स्थापना पर किया गया ₹4.72 करोड़ का व्यय अलाभकारी हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव कृषि विभाग, बिहार सरकार, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि बिहार सरकार एवं बी.आर.बी.एन.एल. के बीच एम.ओ.यू. का अभी तक अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण इन इकाइयों का हस्तांतरण बी.आर.बी.एन.एल. को नहीं किया गया था।

### 3.1.5.5 मॉडल फ्लोरीकल्वर सेन्टर का निर्माण

एक व्यवहार्य हरे और स्वस्थ उद्योग के रूप में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मानव संसाधनों के प्रभावी उपयोग, स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और प्रति इकाई क्षेत्र लाभांश को अधिकतम करने के लिये राशि ₹69.07 लाख की लागत से एक मॉडल फ्लोरीकल्वर सेन्टर (एम.एफ.सी.) भागनबिगहा, नालंदा में स्थापित (दिसम्बर 2011) किया गया था। आगे, एम.एफ.सी. को तीन वर्ष तक संचालन एवं रख-रखाव हेतु जनवरी 2012 में एक एजेंसी को प्रदान की गयी थी। एम.ओ.यू. के अनुसार, एजेंसी नीलामी घर के संचालन सहित एम.एफ.सी. की पूरी गतिविधि शुरू करने और बी.एच.डी.एस. के साथ अनुबंध राशि के रूप में प्रतिवर्ष ₹1.61 लाख जमा करने के लिए किया गया था।

ए.डी.एच., नालंदा के अधिकारी के साथ लेखापरीक्षा द्वारा एम.एफ.सी. के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2016) के दौरान यह पाया गया कि एजेंसी द्वारा एम.एफ.सी. का रख-रखाव नहीं किया गया था और सभी पॉली हाउस और निलामी घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। केन्द्र में कोई पौधा उत्पन्न नहीं किया गया था और न ही किसी स्टॉफ का पदस्थापन किया गया था, फिर भी राशि ₹69.07 लाख का व्यय एम.एफ.सी. पर किया गया था, जो व्यर्थ था।



पाँली हाउस

मॉडल फ्लोरीकल्चर सेंटर, भागनबिगहा, नालंदा



निलामी घर

हालांकि, एजेंसी द्वारा एम.ओ.यू. का पालन नहीं किये जाने के बावजूद विभाग द्वारा कोइ कार्रवाई नहीं की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि एम.एफ.सी. को क्रियाशील बनाने के लिए कार्रवाई किया जाएगा।

### 3.1.5.6 जल स्रोतों का सुजन

बागवानी फसलों में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु एन.एच.एम. के अंतर्गत जल स्रोतों के निर्माण के लिए फॉर्म तालाबों/जलाशयों को प्लास्टिक/आर.सी.सी. लाईनिंग के साथ करने पर सहायता दी जानी थी। सात नमूना—जाँचित जिलों<sup>41</sup> में एन.एच.एम. के अन्तर्गत कुल 84 तालाबों के निर्माण पर ₹71.65 लाख के अनुदान का भुगतान किया गया था।

तालाब के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि एन.एच.एम. के दिशानिर्देश का उल्लंघन करते हुए किसी भी तालाब का निर्माण प्लास्टिक/आर.सी.सी. सी. लाईनिंग के साथ नहीं किया गया था। अतः ए.डी.एच. द्वारा दिया गया अनुदान अनियमित था। आगे, प्लास्टिक/आर.सी.सी. लाईनिंग के अभाव में तालाबों का बांध क्षतिग्रस्त होने का जोखिम था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए कहा गया कि यह भविष्य में कार्यान्वित किया जाएगा।

### 3.1.5.7 एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन कोल्ड चेन क्षेत्र के तहत प्रदर्शन

कटाई पश्च प्रबंधन के अंतर्गत व्यवस्थापन, श्रेणी निर्धारण, पूर्व अनुकूलन, पैकेजिंग, अस्थायी भंडारण, परिवहन, वितरण, सुधार, पकाना और जहाँ जरूरी हो दीर्घकाल के लिए भण्डार इत्यादि गतिविधियाँ शामिल हैं। परियोजना उद्यमी प्रेरित और क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के आधार है।

बी.एच.डी.एस. के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि शीतगृह इकाइयों की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य में उत्पादन से संबंधित मूल्यांकन नहीं किया गया था। 283 शीतगृह (2011–16 के दौरान 19 शीतगृह निर्मित) राज्य के 23 एन.एच.एम. जिलों में उपलब्ध थे जिसकी भंडारण क्षमता वर्ष 2014–15 में 13.50 लाख मीट्रिक टन थी। इनमें से 100 शीतगृह इकाइयाँ (35 प्रतिशत) अकार्यशील/बंद/अर्द्धनिर्मित थे। शेष 183 शीतगृह कार्यशील थे जिसकी भंडारण क्षमता केवल 9.50 लाख मीट्रिक टन थी जो वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य में फल और सब्जी के उत्पादित मात्रा क्रमशः 30.79 लाख मीट्रिक टन और 130.67 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण प्रदान करने के लिए

<sup>41</sup> पूर्वी चम्पारण, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना एवं समस्तीपुर

अपर्याप्त थी। इस प्रकार, विभाग फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए शीतगृह संरचना के बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित करने में विफल रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा गया कि शीतगृहों की आवश्यकता बहुत अधिक थी। यह भी कहा गया कि ऋण पर व्याज के बोझ की वजह, बिजली की कम आपूर्ति और उच्च संचालन लागत के कारण कुछ शीतगृह को बंद कर दिया गया। परियोजना के लिए क्रेडिट लिंकड बैंक एंडेड सब्सिडी ऋण की मंजूरी में कठिनाई के कारण उद्यमी आगे नहीं आ रहे थे।

### 3.1.5.8 बागवानी उत्पाद के विपणन के लिए आधारभूत ढाँचा

कटाई पश्च सुविधा के अलावा, बाजार लिंकेज का सृजन कटाई पश्च फसल की हानि को कम करने में महत्वपूर्ण है। एन.एच.एम. के तहत “बाजार के बुनियादी ढाँचे के निर्माण का” एक घटक है जिसके अन्तर्गत सहायता, परियोजना आधारित और क्रेडिट लिंकड बैंक एंडेड सब्सिडी है।

नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों के संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि ग्रामीण बाजार, अपनी मंडी या प्रत्यक्ष बाजार जैसे आधारभूत ढाँचा वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये गये थे। बाजार के साथ सम्पर्क के अभाव में कटाई पश्च हानि हुई तथा किसानों को उपज को उचित मूल्य पर बेचने के लिए रोका गया।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि विपणन आधारित सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को उनके उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं मिलता है। एन.एच.एम. के तहत विपणन बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

### अनुशंसा

बी.एच.डी.एस. द्वारा राज्य में बागवानी उत्पादन के अनुरूप कटाई पश्च प्रबंधन के लिए ग्रामीण बाजारों तथा भंडारण सुविधाओं की स्थापना आदि पर जोर देना चाहिए।


### 3.1.5.9 जैविक खेती

बागवानी में जैविक खेती बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पर्यावरणीय तथा आर्थिक लाभों ने कई देशों का ध्यान आकर्षित किया है। जैविक रूप से उत्पादित उत्पादों की माँग और अधिक सत् विकास हेतु कृषि तथा व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान करता है। बारहमासी और गैर-बारहमासी फल-फसलों, सुगंधित पौधों, मसाले आदि हेतु जैविक खेती अपनाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान किया जाता है। जैविक खेती हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए कृषि आदानों में जैविक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए सेवा प्रदाता और प्रमाणन एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को प्रलेखन की लागत को पूरा करने के लिए एन.एच.एम. वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राज्य में बारहमासी और गैर-बारहमासी फल-फसलों, सुगंधित पौधों, मसाले और फूलों की जैविक खेती और जैविक प्रमाणीकरण अपनाने के क्षेत्र विस्तार की स्थिति चार्ट सं.-3.1.13 में दी गई है:

## चार्ट सं. 3.1.13

2011–16 के दौरान क्षेत्र विस्तार, जैविक खेती और जैविक प्रमाणीकरण अपनाने की स्थिति



(स्रोत: मिशन निदेशक, बी.एच.डी.एस. द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बारहमासी और गैर-बारहमासी फल-फसलों, सुगंधित पौधों, मसाले और फूलों के 20,171.58 हेक्टेयर के भौतिक उपलब्धि के विरुद्ध जैविक खेती अपनाने की भौतिक उपलब्धि 1,418.5 हेक्टेयर (7.03 प्रतिशत) थी, जबकि जैविक प्रमाणीकरण के भौतिक उपलब्धि शून्य था। इस प्रकार, वर्ष 2011–16 के दौरान बारहमासी और गैर-बारहमासी फल-फसलों, सुगंधित पौधों, मसाले और फूलों हेतु जैविक अपनाने तथा जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने में विफल रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जैविक खेती का लक्ष्य कम कर दिया गया और अब लक्ष्य कृषि निदेशालय से तय किया जा रहा था। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वर्ष 2014–15 और वर्ष 2015–16 के दौरान जैविक अपनाने और जैविक बागवानी उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए 2,000 हेक्टेयर का लक्ष्य अनुमोदित किया गया था। हालांकि, इस घटक के तहत उपलब्धि शून्य था। इस प्रकार, जैविक अपनाने और जैविक बागवानी उत्पादों के प्रमाणीकरण की दिशा में विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

### अनुशंसा

**बी.एच.डी.एस. द्वारा जैविक अंगीकरण के साथ-साथ बारहमासी तथा गैर-बारहमासी फलों, सुगंधित पौधों, मसालों तथा फूलों के प्रमाणीकरण के लिये अतिरिक्त प्रयास किया जाए।**

### 3.1.5.10 अनुश्रवण

#### वार्षिक आम बैठक और प्रबन्धन परिषद् की बैठक

बी.एच.डी.एस. का उप-नियम यह निर्धारित करता है कि वार्षिक प्रतिवेदन, सोसाइटी का अंकेक्षित लेखों के साथ अंकेक्षक की लेखाओं पर विवरणी, अंकेक्षकों की नियुक्ति, मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा बी.एच.डी.एस. के उप-नियम में संशोधन आदि पर विचार-विमर्श और अंगीकार करने के लिए वर्ष में कम-से-कम एक बार वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) आयोजित की जाएगी। दो लगातार ए.जी.एम. के बीच 18 कैलेण्डर माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

बी.एच.डी.एस. के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2005–06 में बी.एच.डी.एस. के गठन के बाद से केवल एक बार यथा, जुलाई 2013 में ए.जी.एम. आयोजित की गयी थी। इसके अलावा प्रबन्धन परिषद् की बैठक आमतौर पर प्रत्येक तिमाही में आयोजित किया जाना चाहिए था। हालांकि, वर्ष 2011–16 के दौरान केवल पाँच बैठक आयोजित की गयी थी।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने के लिए प्रयास किया जाएगा।

इस प्रकार, राज्य स्तर पर एन.एच.एम. के कार्यान्वयन योजनाओं का मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण पर्याप्त नहीं था।

#### डी.एच.डी.सी. का कार्य

एन.एच.एम. के दिशानिर्देश में प्रावधान है कि जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति (डी.एच.डी.सी.), मिशन के उद्देश्यों को आगे ले जाने के लिए परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।

यह देखा गया कि यद्यपि नमूना-जाँचित जिलों में डी.एच.डी.सी. गठित थी किन्तु भागलपुर और कटिहार को छोड़कर डी.एच.डी.सी. की नियमित बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। आगे, नमूना-जाँचित जिलों के ए.डी.एच. ने निर्धारित निरीक्षणों के लिए निरीक्षण टिप्पणी तैयार नहीं किया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि डी.एच.डी.सी. की नियमित बैठक आयोजित करने के लिए जिला प्राधिकारी उत्तरदायी थे तथा जिला प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये जाएंगे।

अतः जिलों की क्षमता एवं माँग के निर्धारण एवं कार्यान्वयन योजनाओं के अनुश्रवण में डी.एच.डी.सी. विफल रहा। परिमाणमस्वरूप, जिलों के लिए विभेदपूर्ण फसलों के योजना निरूपण और बागवानी उत्पादों के उचित भंडारण एवं विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा एन.एच.एम. के माध्यम से तैयार नहीं किया जा सका।

### 3.1.5.11 मानवशक्ति एवं अन्य मामले

#### मानवशक्ति की कमी

किसी संगठन के प्रभावी कार्यान्वयन, अपेक्षित मानवशक्ति की उपलब्धता तथा उपलब्ध मानवशक्ति के सही प्रबन्धन पर निर्भर करता है। एन.एच.एम. के कार्यान्वयन के लिए उद्यान निदेशालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी योजना के कार्यान्वयन में लगे हुए थे। डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्षेत्र सलाहकार एवं लेखाकार की सेवाओं को आउटसोर्स किया गया था। कृषि विभाग के कृषि समन्वयक संलग्न थे और प्रखण्ड स्तर पर क्षेत्र कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। राज्य के साथ-साथ चयनित जिलों में तकनीकी स्टॉफ यथा, उद्यान विभाग के क्षेत्र कार्यकर्ताओं की स्थिति चार्ट सं.-3.1.14 तथा 3.1.15 में दी गई है:

**चार्ट सं.-3.1.14**  
राज्य में मानवशक्ति का स्वीकृत एवं कार्यरत बल



(स्रोत: मिशन निदेशक, बी.एच.डी.एस. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

**चार्ट सं.-3.1.15**  
चयनित जिलों में मानवशक्ति का स्वीकृत एवं कार्यरत बल



(स्रोत: चयनित जिलों के ए.डी.एच. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने भी स्वीकार किया कि मानवशक्ति में कमी के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ रहा था।


### अनुशंसा

विभाग को अपेक्षित तकनीकी कार्यबल के नियुक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।  
विशेषाधिकार से वंचित वर्गों का अल्प प्रतिनिधित्व

बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (अ.जा.) के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (अनु.ज.जा.) के लिए एक प्रतिशत तथा महिला लाभुकों के लिए 30 प्रतिशत विशिष्ट रूप से वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इन श्रेणियों के सम्बन्ध में उपलब्धि सुनिश्चित किया जाना था।

नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों के संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि एन.एच.एम. के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में विशेषाधिकार के नीचे खण्डों को प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं किया गया था। नमूना जाँचित जिलों में अ.जा., अनु.ज.जा. तथा महिला वर्गों के वर्ष 2011–16 के दौरान उपलब्धि की स्थिति चार्ट सं.-3.1.16 में नीचे दी गई है:

**चार्ट सं.-3.1.16**  
अ.जा., अनु.ज.जा. तथा महिला वर्गों के वित्तीय उपलब्धि का प्रतिशतता



(झोत: चयनित जिलों के ए.डी.एच. द्वारा उपलब्धि कराई गई सूचना)

चार्ट सं.-3.1.16 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–16 के दौरान अ.जा., अनु.ज.जा. तथा महिला वर्गों से संबंधित उपलब्धि का प्रतिशत का विस्तार क्रमशः 5.35 से 8.06, 0.04 से 0.08 एवं 10.42 से 12.32 था।

बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने बताया कि अल्प भूमि स्वामित्व के कारण विशेषाधिकार से वंचित वर्गों से सम्बन्धित उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी।

### 3.1.6 निष्कर्ष

राज्य में परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी के बिना राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) को कार्यान्वयन किया। वार्षिक कार्य योजना में जिलों में अनेक फसलों के सामर्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी गई। इससे जिलों के विशिष्ट फसलों से सम्बन्धित योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

बी.एच.डी.एस. का वित्तीय प्रबन्धन कमज़ोर था क्योंकि योजना की राशि के कम उपयोग तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को विलम्ब से निधि विमुक्ति के फलस्वरूप ₹98.19 करोड़ का केन्द्रांश कम कर दिया गया था।

एन.एच.एम. निधि से स्थापित बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ सितम्बर 2013 से अकार्य थे। कटाई पश्च प्रबन्धन के अंतर्गत पहले जैसे-बागवानी उत्पादन का विपणन, भण्डार सुविधाओं की रचना और ग्रामीण बाजार आदि का विकास राज्य की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने लिए पर्याप्त नहीं थी। नए बागों के क्षेत्र विस्तार के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अनुदान की स्वीकृति बिना, वृक्षारोपण स्थल, कलस्टर टृट्टिकोण के अंगीकरण की आवश्यकता और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी की उपयुक्ता का आकलन किया गया था। वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य में जैविक खेती के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र विस्तार मात्र सात प्रतिशत था जो कि नाममात्र था, जबकि इस दौरान राज्य में जैविक प्रमाणीकरण का थोड़ा भी कार्य नहीं किया गया था।

## शिक्षा विभाग

### 3.2 मध्याह्न भोजन योजना के संचालन का लेखापरीक्षा


#### 3.2.1 परिचय

नामांकन में वृद्धि, प्रतिधारण एवं बच्चों की उपस्थिति तथा उनके पोषण स्तर में बढ़ौतरी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने प्राथमिक शिक्षा का पोषाहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) का शुभारंभ (अगस्त 1995) में किया। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ जनवरी 2005 में कक्षा I से V तक में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया गया था जिसे वर्ष 2008–09 से विस्तारित करके कक्षा VI से VIII तक में पढ़ने वालों बच्चों के लिए कर दिया गया। इस योजना में, तैयार किया हुआ भोजन कक्षा I से V तक में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कम–से–कम 450 किलो कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रति मील तथा कक्षा VI से VIII तक में पढ़ने वालों बच्चों के लिए 700 किलो कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रति मील और पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था।

मध्याह्न भोजन योजना राज्य के 68,935 विद्यालयों सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना<sup>42</sup> (एन.सी.एल.पी.) के 427 विद्यालयों में संचालित की जा रही है। इन विद्यालयों में, मार्च 2016 तक 1.39 करोड़ छात्रों ने मध्याह्न भोजन योजना का लाभ उठाया। चार्ट सं.-3.2.1 में व्यौरा दिया गया है:

**चार्ट सं.-3.2.1**

विद्यालयों की संख्या जहाँ बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान की जाती है  
(कुल 68,935 विद्यालय)



(स्रोत: मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

<sup>42</sup>


एन.सी.एल.पी. आवासीय विद्यालय श्रमिकों को शिक्षा प्रदान कर, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए खोला गया है।

### 3.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था चार्ट सं.-3.2.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं.-3.2.2

मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था



(झोतः मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

### 3.2.3 कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के संचालन का लेखापरीक्षा, मुख्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग (शि.वि.), मध्याह्न भोजन निदेशालय एवं बिहार राज्य मध्याह्न योजना समिति<sup>43</sup> (बी.आर.एम.बी.वाई.एस.), राज्य के 38 जिलों में से चयनित 11 जिलों के इकाइयों एवं नमूना-जाँचित जिलों के 135 चयनित विद्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच के द्वारा अप्रैल से अगस्त 2016 के बीच किया गया।

जिलों का चयन प्रोबैवलिटी प्रोपोर्शनेट टू साईज विदआउट रिप्लेसमेंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) पद्धति से किया गया है और विद्यालयों का सिंपल रैण्डम सेम्प्लिंग विद रिप्लेसमेंट (एस.आर.एस.डब्ल्यू.आर.) पद्धति के आधार पर चयनित किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों का जवाब, प्रोफार्मा और प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रह, 132 विद्यालयों<sup>44</sup> का संयुक्त भौतिक सत्यापन और 660 माता-पिता/बच्चों के साथ लाभार्थी सर्वेक्षण को शामिल किया गया।

<sup>43</sup> राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति का गठन (मई 2008) बिहार सरकार द्वारा किया गया है।

<sup>44</sup> शेष तीन विद्यालयों का दौरा बाढ़/भारी बारिश के कारण आने-जाने की समस्या के चलते नहीं किया जा सका।

### 3.2.4 योजना

इस योजना के मार्गदर्शिका (सितम्बर 2006) के अनुसार, विद्यालय स्तर पर संधारित सूचना के आधार पर और प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर सूचना एकत्रित कर राज्य द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार किया जाना चाहिए। जिला प्राधिकारियों द्वारा संबंधित प्रखण्डों के प्रखण्ड संसाधन सेवी से एकत्रित सूचना, जो विद्यालयों से एकत्रित की गई थी को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) में दर्ज किया गया। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में नामांकन के साथ मध्याह्न भोजन योजना का लाभ उठाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या, पिछले वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना का लाभ उठाने वाले बच्चों की औसत संख्या, विद्यालयों के लिए प्रत्याशित कार्य दिवसों की संख्या आदि जिलावार शामिल रहता है। केन्द्रीय सहायता की विमुक्ति के लिए राज्य द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (एम.ओ.एच.आर.डी.) के समक्ष रखा जाता है।

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वास्तविक नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप मध्याह्न भोजन के संचालन के द्वारा राज्य की आवश्यकताओं को ठीक से संबोधित नहीं किया जा सका।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि राज्य के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रतिबिवित संस्थानों की संख्या, नामांकन, आपूर्ति की गई भोजन की कुल संख्या और कार्य दिवसों की संख्या जिसमें मध्याह्न भोजन वितरित किये गये थे, जिलों के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अनुरूप नहीं थी। अंतर का कारण राज्य के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को राज्य द्वारा संकलित एम.आई.एस. ऑकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना था।

इस प्रकार, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय का वार्षिक कार्य योजना एवं बजट विश्वसनीय नहीं था और परिणामस्वरूप, मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के द्वारा राज्य की आवश्यकताओं को ठीक से संबोधित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, 33 से 57 प्रतिशत नामांकित बच्चे मध्याह्न भोजन योजना से वंचित रहे जिसकी चर्चा कंडिका-3.2.9.1 में की गई है।

### 3.2.5 मध्याह्न भोजन योजना का संचालन

आवंटित निधियों का समुचित उपयोग एवं अनाजों का प्रबंधन अर्थात् अनाजों के उठाव से लेकर कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने तक, का मध्याह्न भोजन के संचालन में मितव्याधिता लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। निधियों के उपयोग और खाद्यान्न प्रबंधन की कमियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

भारत सरकार को भेजे गये व्यय विवरणी के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2011–16 के दौरान ₹8,020.15 करोड़ (आरम्भिक शेष को सम्मिलित करते हुए केन्द्रांश ₹5,699.79 करोड़ और राज्यांश ₹2,320.36 करोड़) उपलब्ध था जिसमें से ₹7,853.56 करोड़ (98 प्रतिशत) राज्य के द्वारा व्यय के रूप में प्रतिवेदित (परिशिष्ट-3.2.1) किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि त्रैमासिक प्रतिवेदन (क्यू.पी.आर.) के आधार पर वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य का वास्तविक व्यय मात्र ₹6,182.13 करोड़ (77 प्रतिशत) था (परिशिष्ट-3.2.2)। इसके अलावे ₹2.00 करोड़ की राशि बी.आर.एम.बी.वाई.एस. द्वारा एल.पी.जी. कनेक्शन हेतु प्रदान की गई थी जो क्यू.पी.आर. में शामिल नहीं थी। इस प्रकार, राज्य द्वारा भारत सरकार को ₹1,669.43 करोड़ (21 प्रतिशत) का आधिक्य व्यय प्रतिवेदित किया गया जबकि मात्र 77 प्रतिशत मध्याह्न भोजन योजना निधियों को ही वर्ष 2011–16 के दौरान उपयोग किया जा सका था।

इसे पूछे जाने पर, निदेशक (मध्याह्न भोजन योजना), बिहार ने जवाब (दिसम्बर 2016) दिया कि व्यय विवरणी प्राप्ति और भुगतान के आधार पर तैयार किया गया था जिसमें लंबित दायित्व शामिल था जबकि क्यू.पी.आर., आय और व्यय के वास्तविक व्यय के

आधार पर तैयार किया गया था। फिर भी, जवाब भारत सरकार को प्रतिवेदित आधिक्य व्यय को संबोधित नहीं करता है।

### 3.2.5.1 मध्याह्न भोजन योजना निधियों पर अर्जित ब्याज

मध्याह्न भोजन योजना के मार्गदर्शिका में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण ब्याज की राशि मई 2016 तक बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति /निदेशालय/जिलों के बचत बैंक खाताओं में पड़ी हुई थी।

भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना निधियाँ शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को विमुक्त की गई थी तथा जिसे शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना को विमुक्त किया गया था। निधियों को निदेशालय स्तर पर सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा निकासी किया गया, जिसे बैंक ड्रॉफट के माध्यम से बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को प्रदान किया गया। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा निधियों को संबंधित जिलों में स्थानांतरित किया गया और जिलों द्वारा निधियों को विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया। निधियों को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति तथा जिलों द्वारा बचत बैंक खाते में रखे गये थे और इस पर ब्याज अर्जित हुआ था। जबकि मध्याह्न भोजन योजना निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग के संबंध में मध्याह्न भोजन योजना मार्गदार्शिका में कोई प्रावधान नहीं था। मध्याह्न भोजन निदेशालय/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति/जिलों के अभिलेखों के संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित हुए:

- मार्च 2016 तक, भारत सरकार/बिहार सरकार से प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना निधियों पर ₹50.83 करोड़ का ब्याज अर्जित हुआ और जिलों से वर्ष 2011–13 के दौरान बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को ₹17.27 करोड़ प्राप्त हुआ, जो वर्ष 2011–16 के दौरान बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के बचत बैंक (एस.बी.) खाते में पड़े थे। आगे यह भी पाया गया कि ब्याज की राशि को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के रोकड़–बही में मार्च 2016 तक नहीं लिया गया था।
- निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा वर्ष 2006–07 से वर्ष 2009–10 के दौरान ₹1120.61 करोड़ की निधि, ए.सी. विपत्रों पर निकासी की गई थी और डी.सी. विपत्रों को प्रस्तुत करने के बाद, शेष ₹462.78 करोड़ की राशि जून 2011 तक भारत सरकार/बिहार सरकार को वापस कर दी गई थी। लेकिन वर्ष 2006–10 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज ₹7.03 करोड़ (मार्च 2011), न तो भारत सरकार/बिहार सरकार को प्रतिवेदित किया गया था और न ही इसे वापस किया गया।
- 37 जिलों में (नमूना जाँचित जिलों सहित) अव्ययित मध्याह्न भोजन योजना निधियों पर अर्जित ब्याज ₹76.68 करोड़ की राशि बचत बैंक खातों में मई 2016 तक पड़ी हुई थी। फिर भी, इन मध्याह्न भोजन योजना निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग के संबंध में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को कोई निर्देश नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप, ब्याज की राशि न तो उपयोग की गई और न ही भारत सरकार/बिहार सरकार को वापस की गई।

चूँकि ब्याज की राशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शिका में कोई प्रावधान सन्निहित नहीं किया गया था, ₹75.13 करोड़ की ब्याज की राशि वर्ष 2006–07 से वर्ष 2015–16 तक बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के बचत खातों में पड़ी रही और मई 2016 तक ₹76.68 करोड़ जिलों के बचत खातों में पड़े थे।

विभाग के द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए जबाब (दिसम्बर 2016) दिया गया कि ब्याज की राशि रोकड़–बही में ले ली गई है। यह भी आगे बताया गया कि निदेशालय स्तर पर अर्जित की गई ब्याज की राशि का 60 प्रतिशत उपयोग मध्याह्न भोजन योजना आच्छादित विद्यालयों में एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा जिसके

लिए बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की आम सभा में निर्णय लिया गया था (जून 2016)। जबाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ब्याज की राशि के, जिसे लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में रोकड़—बही में लिया गया था, उपयोग का अनुमोदन भारत सरकार/बिहार सरकार से नहीं लिया गया था।

### 3.2.5.2 दायित्व का सृजन

मध्याह्न भोजन निदेशालय (मई 2011) के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्गत निदेशों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम, को खाद्यान्न के लिए भुगतान निर्धारित दर पर वैट सहित करना था।

औरंगाबाद एवं खगड़िया जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि संबंधित जिलों के जिला परियोजना पदाधिकारियों द्वारा ₹49.56 लाख<sup>45</sup> के वैट की राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम को न कर सीधे वाणिज्य कर विभाग को कर दिया गया था। हालांकि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने दावे के साथ वैट की राशि की भी माँग की गई एवं मामले का निपटारा अभी तक नहीं हुआ था। इसके कारण मध्याह्न भोजन निदेशालय पर ₹49.56 लाख के अतिरिक्त दायित्व का सृजन हुआ।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2016) कि वाणिज्य कर विभाग एवं भारतीय खाद्य निगम के साथ समन्वय स्थापित कर मामले का निपटारा किया जा रहा था।

### 3.2.5.3 खाद्यान्नों का आवंटन

भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का आवंटन कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) द्वारा कार्य दिवस के अनुसार निर्धारित वार्षिक लक्ष्य पर आधारित था। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को खाद्यान्न का आवंटन ट्रैमासिक आधार पर प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए प्रत्येक विद्यालय दिवस के लिए 100 ग्राम की दर से तथा मध्य विद्यालय के छात्रों के लिए प्रत्येक विद्यालय दिवस के लिए 150 ग्राम की दर से दिया गया था। राज्य खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न के उठाव के लिये नोडल एजेंसी था। प्रखण्ड संसाधन सेवी/ठेकेदार, राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाव करने के उपरांत खाद्यान्न को विद्यालयों तक आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी थे।

मध्याह्न भोजन निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि राज्य खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की कुल आवंटित मात्रा का उठाव करने में विफल रहा और जिसके परिणामस्वरूप, राज्य खाद्य निगम को आवंटित अवशेष खाद्यान्न की मात्रा व्यपगत हो गई। इसी प्रकार, नमूना—जाँचित जिलों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रखण्ड संसाधन सेवी/ठेकेदारों द्वारा राज्य खाद्य निगम से आवंटित खाद्यान्नों की पूरी मात्रा का उठाव नहीं किया गया था। राज्य खाद्य निगम द्वारा उठाव नहीं किए गये खाद्यान्नों की मात्रा तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य स्तर पर तथा नमूना—जाँचित जिलों में व्यपगत खाद्यान्न का वर्षवार विवरण तालिका सं.—3.2.1 एवं 3.2.2 में दर्शाया गया है:

राज्य खाद्य निगम से ठेकेदार/प्रखण्ड संसाधन सेवी द्वारा खाद्यान्नों के निर्दिष्ट मात्रा के उठाव में विफलता के कारण विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना के लिए अनाजों की कमी हुई एवं राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न के उठाव नहीं होने के कारण निधि का अवरोधन हुआ।

<sup>45</sup> औरंगाबाद: ₹43.67 लाख और खगड़िया: ₹5.89 लाख

### तालिका सं.-3.2.1

राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव में विफल रहने के कारण राज्य में व्यपगत खाद्यान्न की मात्रा

(मात्रा एम.टी. में)

वर्ष	आवंटित खाद्यान्न की मात्रा	भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न की मात्रा	व्यपगत खाद्यान्न की मात्रा (प्रतिशत)
2011-12	2,24,808.48	1,57,720.00	67,088.48(30)
2012-13	2,61,406.13	2,39,560.04	21,846.09(8)
2013-14	5,81,676.80	5,81,376.20	300.60
2014-15	3,74,708.70	3,11,193.10	63,515.60 (17)
2015-16	2,79,436.80	2,66,098.21	13,338.59 (5)
<b>कुल</b>	<b>17,22,036.91</b>	<b>15,55,947.55</b>	<b>1,66,089.36 (10)</b>

(स्रोत: मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

### तालिका सं.-3.2.2

नमूना-जाँचित जिलों में खाद्यान्न का आवंटन, उठाव एवं व्यपगत होना

(मात्रा एम.टी. में)

वर्ष	आवंटन	भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम का उठाव	भारतीय खाद्य निगम के पास व्यपगत (प्रतिशत)	प्रखण्ड संसाधन सेवी/ ठेकेदारके द्वारा राज्य खाद्य निगम से उठाव	राज्य खाद्य निगम के पास अवशेष
2011-12	68,012.76	59,789.59	8,223.17	56,622.13	3,167.46
2012-13	84,689.08	81,205.02	3,484.06	79,200.28	2,004.74
2013-14	99,417.25	98,274.87	1,142.38	97,808.02	466.85
2014-15	1,13,466.06	1,10,782.30	2,683.76	1,06,138.46	4,643.84
2015-16	89,606.53	86,471.97	3,134.56	85,916.82	555.15
<b>कुल</b>	<b>4,55,191.68</b>	<b>4,36,523.75</b>	<b>18,667.93(4)</b>	<b>4,25,685.71</b>	<b>10,838.04</b>

(स्रोत: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन कार्यालयों के द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका सं.-3.2.1 एवं 3.2.2 से, यह स्पष्ट था कि वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य स्तर पर राज्य खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्न के उठाव में विफल रहने के कारण आवंटित 1,66,089.36 एम.टी. (लगभग 10 प्रतिशत) खाद्यान्न व्यपगत हो गया जबकि नमूना-जाँचित जिलों में 18,673.93 एम.टी. आवंटित खाद्यान्न (लगभग चार प्रतिशत) व्यपगत हो गया। नमूना-जाँचित जिलों में, 4,36,523.75 एम.टी. में से, 10,838.04 एम.टी.

(2.5 प्रतिशत) खाद्यान्न मध्याह्न भोजन के प्रखण्ड संसाधन सेवी/ ठेकेदारों द्वारा उठाव नहीं किया गया था तथा राज्य खाद्यान्न निगम के पास पड़ा रहा, जबकि भारतीय खाद्य निगम को ₹6.37 करोड़<sup>46</sup> का भुगतान किया जा चुका था। राज्य खाद्य निगम के पास पड़े 10,834.04 एम.टी. खाद्यान्न में से 5,172.20 एम.टी. (48 प्रतिशत) खाद्यान्न का उठाव तीन वर्षों से अधिक तक भी नहीं किया गया था। इस प्रकार, नमूना-जाँचित जिलों में कुल आवंटित 4,55,191.68 एम.टी. खाद्यान्न का 6.5 प्रतिशत विद्यालयों को वितरित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, नमूना-जाँचित विद्यालयों में अनिवार्य संख्या से कम दिन मध्याह्न भोजन वितरित किये गये थे जिसका उल्लेख कंडिका-3.2.9.1 में किया गया है।

<sup>46</sup>

10,838.04 एम.टी. × ₹5,650 प्रति एम.टी. + 4 प्रतिशत वैट = ₹6,36,84,323

विभाग द्वारा जवाब (दिसम्बर 2016) दिया गया कि निदेशालय स्तर से जिलों में खाद्यान्न का उप आवंटन, पिछले कुछ महीनों के लाभान्वितों के औसत पर आधारित था। आवंटन प्राप्त होने एवं जिलों को इसे उप आवंटित करने के बाद खाद्यान्नों की कुछ मात्रा बच गई जिसे निदेशालय स्तर पर (भारतीय खाद्य निगम के पास) आकस्मिकता हेतु रखा गया था। आवश्यकता पड़ने पर तिमाही के दौरान अकास्मिकता में से खाद्यान्न का उप आवंटन किया जाता था अन्यथा यह भारतीय खाद्य निगम के पास व्यपगत होने के लिए बाध्य है। यह भी आगे कहा गया कि राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों के उठाव के बाद भण्डार निर्गत आदेश के अनुसार इसे प्रखण्ड संसाधन सेवी/ठेकेदारों द्वारा उठाव किया जाता था। यदि ठेकेदारों/प्रखण्ड संसाधन सेवी द्वारा भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न के अनुपलब्धता, मजदूरों के हड्डताल, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य स्थानीय कारणों के चलते खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता था तब उसे अगले तिमाही में नये भण्डार निर्गत आदेश के आधार पर उठाव किया जाता था। समस्तीपुर जिला में वर्ष 2016–17 के द्वितीय तिमाही का 97.7 एम.टी. अवशेष खाद्यान्न का समायोजन वर्ष 2016–17 के तृतीय तिमाही में किया गया है।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निदेशालय स्तर पर खाद्यान्न के उप–आवंटित होने के बाद भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न व्यपगत हुआ था। आगे, वर्ष 2011–16 से संबंधित 10,834.04 एम.टी. में से 4,018.16 एम.टी. खाद्यान्न, राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर के पास थे जबकि 97.7 एम.टी. खाद्यान्न वर्ष 2016–17 के तृतीय तिमाही में समायोजित कर लिया गया था, जो कि वर्ष 2016–17 से संबंधित थे।

इस प्रकार, ठेकेदारों/प्रखण्ड संसाधन सेवी द्वारा राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न की चिह्नित मात्रा के उठाव में विफलता के फलस्वरूप विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए खाद्यान्न की कमी रही और राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव नहीं होने के कारण राशि अवरुद्ध रही।

#### खाद्यान्न के उठाव में अनियमितता

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लखीसराय के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2012–13 के प्रथम तिमाही के दौरान राज्य खाद्य निगम, लखीसराय द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से 1,811.11 कर्वीटल खाद्यान्न का उठाव जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा उप–आवंटित किये बिना किया गया था। चूंकि खाद्यान्न को उप–आवंटित नहीं किया गया था, इसलिए ठेकेदार द्वारा इसे उठाव नहीं किया गया और जून 2012 से लेखापरीक्षा की तिथि तक यह राज्य खाद्य निगम के पास पड़ा रहा। हालांकि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1,811.11 कर्वीटल मध्याह्न भोजन योजना खाद्यान्न उठाव के विरुद्ध ₹10.64 लाख की राशि का दावा किया गया था। लेकिन जून 2016 तक ₹10.64 लाख की राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम को नहीं किया गया था और इस राशि का दावा लंबित विपत्र के रूप में वर्ष 2012 से किया जा रहा था।

इस प्रकार, जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा उप–आवंटित किये बिना राज्य खाद्य निगम द्वारा 1,811.11 कर्वीटल खाद्यान्न जून 2012 में उठाव करने के फलस्वरूप ₹10.64 लाख का अवरोधन एवं दायित्व का सृजन हुआ। जिला प्रशासन/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मध्याह्न भोजन खाद्यान्न के निपटारा हेतु जून 2016 तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था।

विभाग ने तथ्य को स्वीकारते हुये जबाब दिया (दिसम्बर 2016) कि जिला पदाधिकारी के आदेश के बिना राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न के उठाव के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम को भुगतान नहीं किया गया था और खाद्यान्न के उठाव के लिए राज्य खाद्य निगम तथा भारतीय खाद्य निगम उत्तरदायी थे।

हालांकि, इस मामला के सामाधान हेतु कार्रवाई अभी भी (दिसम्बर 2016) लंबित थी।

### 3.2.5.4 खाद्यान्न के बफर स्टॉक का अभाव

योजना दिशानिर्देश यह परिकल्पित करता है कि राज्य को अप्रत्याशित आकस्मिकताओं में मध्याह्न भोजन योजना में व्यवधान से बचने के लिए, प्रत्येक विद्यालय में कम—से—कम एक माह का बफर स्टॉक सुनिश्चित करना चाहिए।

नमूना जाँचित विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के द्वारा बफर स्टॉक के लिए आवंटन का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण किसी भी विद्यालय में एक माह का बफर स्टॉक नहीं रखा गया था। इस प्रकार, मध्याह्न भोजन में व्यवधान की संभावनाओं को दूर करने हेतु सुरक्षा के उपाय नहीं अपनाए गए थे।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2016) कि आवंटन आदेश के साथ एक माह का बफर स्टॉक का रखने हेतु निर्देश दिया गया था। इसके अलावे, अनुश्रवण के दौरान, जिलों को बफर स्टॉक रखने हेतु निर्देश दिये गये थे (अक्टूबर 2016)।

जवाब तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता था क्योंकि किसी भी विद्यालय के द्वारा एक भी माह का बफर स्टॉक नहीं रखा गया था।

### 3.2.5.5 खाद्यान्न की मात्रा सुनिश्चित नहीं किये गये

मध्याह्न भोजन निदेशालय के निदेशों के अनुसार, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को खाद्यान्न अच्छी तरह वजन करके ही लेना चाहिए। नमूना—जाँचित विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि, खाद्यान्न को वजन करके प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आगे, नमूना—जाँचित 12 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने लेखापरीक्षा प्रश्नावली के जवाब में यह प्रतिवेदित किया कि प्रत्येक बोरा में 50 कि.ग्रा. की जगह 40 से 49 कि.ग्रा. के बीच ही खाद्यान्न उपलब्ध होता था।

आगे, खाद्यान्न प्राप्ति एवं उपयोग की मात्रा, क्रय एवं उपयोग किये गये अन्य सामग्रियों एवं मध्याह्न भोजन दिये गये बच्चों की संख्या से संबंधित सूचनाएँ किसी भी नमूना—जाँचित विद्यालयों में सप्ताहिक/मासिक आधार पर प्रदर्शित नहीं किये गये थे यद्यपि दिशा—निर्देश के अन्तर्गत यह आवश्यक था। हालांकि, सभी नमूना जाँचित विद्यालयों में प्रतिदिन का भोज्य—तालिका प्रदर्शित किया गया था।

चूँकि वजन मापने के लिए मशीन विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे, अतः विद्यालय स्तर पर खाद्यान्नों की मात्रा सुनिश्चित नहीं हो रही थी एवं खाद्यान्न की अपर्याप्त मात्रा की प्राप्ति के कारण अंततः बच्चे लाभ से बचते थे। प्रधानाध्यापकों द्वारा खाद्यान्न की कम मात्रा प्राप्त करने को प्रतिवेदित करने से संबंधित कोई प्रावधान दिशा—निर्देश में नहीं था।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2016) कि खाद्यान्न को वजन करके विद्यालय को उपलब्ध कराने से संबंधित निर्देश जिलों को निर्गत किये गये थे (नवम्बर 2016)। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने निदेशक, मध्याह्न भोजन को निर्देश (नवम्बर 2016) दिया कि इन्टरैकिट वॉयस रिस्पांस सिस्टम<sup>47</sup> में इससे संबंधित प्रावधान किया जाय।

<sup>47</sup> विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मध्याह्न भोजन का प्रतिदिन रिपोर्ट देने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक इंटरैकिट वॉयस रिस्पांस सिस्टम प्रारम्भ किया गया।

## अनुशंसाएँ

- शिक्षा विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के दिशा निर्देश में बचत खाता पर अर्जित ब्याज के संबंध में प्रावधान को समाविष्ट करना चाहिए;
- शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित निधि निदेशालय /जिला प्राधिकारियों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना आच्छादित विद्यालयों को स्थानांतरित हो;
- मध्याह्न भोजन योजना निधि के अन्तर्गत बचत को कम करना चाहिए एवं प्राप्त ब्याज की राशि उचित तरीके से लेखाबद्ध करना चाहिए; और
- बफर स्टॉक बनाये रखने के लिए आवंटित खाद्यान्न की मात्रा भारतीय खाद्य निगम से समय पर उठाव करना चाहिए।

### 3.2.5.6 मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन

मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में दक्षता, राज्य में इसकी सफलता की कुंजी है। यह उपलब्ध आधारभूत संरचनाएँ, पाकविधि एवं भोजन की आपूर्ति, दिनों में आच्छादन, एवं उचित अनुश्रवण इत्यादि पर निर्भर करता है। मध्याह्न भोजन योजना के उक्त क्षेत्र में पायी गई कमियां आगामी अनुच्छेद में वर्णित किये जा रहे हैं :

#### निरीक्षण के दौरान आधिक्य उपस्थिति

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के आदेश के अनुसार (अक्टूबर 2013), विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यदि विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति पिछले एक सप्ताह के औसत उपस्थिति के मुकाबले कम पाया जाता है और यदि यह अंतर 10 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो अधिक उपस्थिति को जाली/अनियमित समझा जायेगा एवं पिछले तीन माह का खाद्यान्न एवं परिवर्तन मूल्य की राशि की वसूली की जायेगी।

नमूना-जाँचित जिलों के 1,188 निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा में यह पाया गया कि 323 मामलों (अर्थात् 10 प्रतिशत से अधिक) में निरीक्षण के दिन विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति, दर्ज उपस्थिति की तुलना में कम थी और वसूलनीय राशि की गणना ₹38.46 लाख की गयी थी (परिशिष्ट-3.2.3)।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बुनियादी ढाँचे के अपर्याप्त होने एवं मध्याह्न भोजन योजना के अपर्याप्त आच्छादन के कारण राज्य में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन प्रभावशाली नहीं था। सुधारात्मक उपायों को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित निगरानी नहीं की जा रही थी।

लेखापरीक्षा के दौरान 11 जिलों के 132 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पदाधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। यह पाया गया कि 132 विद्यालयों में कुल 36,968 बच्चों के नामांकन के विरुद्ध उपस्थिति पंजी में मात्र 20,099 (54 प्रतिशत) बच्चे ही उपस्थित थे जबकि निरीक्षण के समय मात्र 18,216 बच्चे (नामांकन का 49 प्रतिशत) ही भौतिक रूप से उपस्थित पाये गए। आगे, 49 विद्यालयों में निरीक्षण तिथि को, भौतिक रूप से 7,215 बच्चे उपस्थित पाये गए हालांकि संगत तिथियों को इनट्रेक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम में उपलब्ध सूचना के अनुसार 9,068 लाभार्थियों को परोसा जाना प्रतिवेदित किया गया था, जिसके फलस्वरूप मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1,853 मील (26 प्रतिशत) अधिक प्रतिवेदित थे। आगे, 17 नमूना-जाँचित विद्यालयों में निरीक्षण तिथियों को मध्याह्न भोजन नहीं तैयार किया गया था। इन 17 विद्यालयों में से दो विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा इनट्रेक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम में प्रतिवेदित किया गया कि 870 लाभार्थियों के बीच मध्याह्न भोजन वितरित किया गया था। आगे,

एक विद्यालय में सात दिनों तक मध्याह्न भोजन नहीं वितरित किया गया था, फिर भी मध्याह्न भोजन योजना पंजी में इसे वितरित दिखाया गया था।

विभाग ने निरीक्षण के समय विद्यालयों में कम उपस्थिति को स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2016) कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही थी। लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये अन्य मामलों में कोई जवाब नहीं दिया गया।

### 3.2.6 आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता

#### 3.2.6.1 रसोई—सह—भंडारगृह का निर्माण

बच्चों के बीच स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यकर और बना हुआ गर्म भोजन के वितरण, के साथ ही खाद्यान्न को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए बुनियादी ढाँचे की सुविधा जैसे—रसोई—सह—भंडारगृह (रसोईघर) मध्याह्न भोजन के उचित कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक घटक है। रसोईघर का नहीं होना या अपर्याप्त सुविधाओं का होना, बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे के साथ—साथ संभावित अग्नि दुर्घटना को भी आमंत्रण देता है। आगे, रसोईघर की छत किसी भी हालत में फूस या अन्य ज्वलनशील जैसे पुआल, बाँस एवं कृत्रिम सामग्री की नहीं होनी चाहिए।

चूँकि रसोईघर की स्वीकृति/निर्माण सभी मध्याह्न भोजन संचालित विद्यालयों में नहीं की गई थी, मध्याह्न भोजन अस्वास्थ्यकर स्थिति में खुले स्थानों, झोपड़ियों एवं बरामदों में तैयार किया जा रहा था।

मध्याह्न भोजन निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि मार्च 2016 तक राज्य में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित 71,288 विद्यालयों में से, एन.सी.एल.पी. के 668 केन्द्रों<sup>48</sup> को छोड़कर, मात्र 66,550 के लिए ही रसोईघर स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 52,456 रसोईघर का निर्माण हो सका था (मई 2016)। इस प्रकार, राज्य में 71,288 मध्याह्न भोजन आच्छादित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा 14,094 विद्यालयों में रसोईघर का निर्माण नहीं किया गया था जबकि, बिहार सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति थी। आगे, मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा शेष 4,738 विद्यालयों के लिए रसोईघर की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 18,832 मध्याह्न भोजन आच्छादित विद्यालय (26 प्रतिशत) बिना रसोईघर की सुविधा के थे।

आगे यह पाया गया कि नमूना—जाँचित जिलों में 22,874 विद्यालयों के लिए 22,874 रसोईघर की आवश्यकता थी। इनमें से 22,474 रसोईघर की स्वीकृति मार्च 2016 तक दी गई थी। विद्यालयों के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होने, गाँव में विवाद एवं अन्य स्थानीय समस्याओं के कारण 400 विद्यालयों के लिए रसोईघर की स्वीकृति नहीं दी गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि वर्ष 2012–14 के दौरान 3,329 रसोईघर स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से मार्च 2016 तक मात्र 2,091 रसोईघर (63 प्रतिशत) का ही निर्माण पूर्ण हो सका था, 575 इकाई निर्माणाधीन थे और 663 विद्यालयों में रसोई घर का निर्माण नहीं हुआ था। रसोईघर निर्माण में विलम्ब का मुख्य कारण सक्षम पदाधिकारी द्वारा विलम्ब से तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना, विलम्ब से निधि का स्थानांतरण, विलम्ब से मापी—पुस्तिका में माप लेना और निगरानी का अभाव था।

एक सौ बत्तीस विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 26 विद्यालयों में रसोईघर उपलब्ध नहीं थे और मध्याह्न भोजन योजना बरामदा, वर्गकक्ष, सामुदायिक भवन, आँगन, झोपड़ी एवं सीढ़ियों के नीचे तैयार किये जा रहे थे (परिशिष्ट—3.2.4)। छब्बीस विद्यालयों में से 22 विद्यालयों को रसोईघर उपलब्ध नहीं कराये गये थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं थी। यद्यपि शेष बचे हुए चार विद्यालयों में रसोईघर उपलब्ध थे, रसोईघर का आकार छोटा होने, रसोईघर में धुआँ,

<sup>48</sup> चूँकि एन.एल.सी.पी. आवासीय विद्यालय, एन.जी.ओ. के द्वारा संचालित किये जा रहे थे, रसोईघर की आवश्यकता नहीं थी।

क्षतिग्रस्त छत और आने-जाने की सुविधा के अभाव के कारण मध्याह्न भोजन तैयार नहीं किये जा रहे थे।



बिना पहुँच पथ के प्राथमिक विद्यालय रामनगर मठ, खानपुर, समस्तीपुर में रसोईघर का निर्माण तथा इसलिए फूस की छत वाले रसोईघर में मध्याह्न भोजन तैयार किया जा रहा था।



मध्य विद्यालय सिमरा, कुटुम्बा औरंगाबाद में रसोईघर छोटा होने के कारण मध्याह्न भोजन बरामदा में तैयार किया गया था।

प्रा.वि. बर्निंगघाट कन्या, मुशहरी, मुजफ्फरपुर में सीढ़ी के नीचे मध्याह्न भोजन तैयार किया गया था क्योंकि यहाँ रसोईघर उपलब्ध नहीं था।

सचिव, शिक्षा विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान आश्वस्त किया (नवम्बर 2016) कि शेष स्वीकृत रसोईघर के निर्माण को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि, 4,738 विद्यालयों में रसोईघर स्वीकृत नहीं करने के संबंध में कोई सफाई नहीं दी गई।

रसोईघर नहीं मुहैया कराये जाने के कारण, मध्याह्न भोजन खुले स्थानों, झोपड़ियों, बरामदा में अस्वास्थ्यकर ढंग से तैयार किये जा रहे थे। जवाब इस तथ्य का द्योतक कि रसोईघर विहीन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य के साथ समझौता किया गया था। इस संबंध में इस प्रसंग का उल्लेख करना आवश्यक है कि मध्याह्न भोजन से आच्छादित सारण जिला के मशरख में नवसृजित सरकारी प्राथमिक विद्यालय, गंडामन धर्मासती मैदान में रसोईघर के अभाव में एक दुखद घटना (जुलाई 2013) हुई थी, जिसमें 23 बच्चों की मृत्यु हुयी थी तथा 23 अन्य बच्चों के साथ एक रसोईया को अस्पताल में भर्ती किया गया था। विद्यालय में रसोईघर नहीं होने के कारण खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य सामग्री को प्रधानाध्यापक के घर रखा गया था। यह आरोप लगाया गया था कि भोजन तैयारी के दौरान खाद्य तेल का तरल कीटनाशक के साथ संदूषित होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना आच्छादित विद्यालय में बच्चों की मृत्यु हुई थी।

### 3.2.6.2 प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए प्लेट, गिलास और चटाई

योजना दिशानिर्देश के अनुसार, बुनियादी ढाँचा गतिविधियों के अन्तर्गत बच्चों को खाने के प्लेट के साथ गिलास उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। आगे, मध्याह्न भोजन योजना आच्छादित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को चटाई भी दी जानी चाहिए थी।

संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि यद्यपि भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश में विहित रहने के बावजूद बिहार सरकार वर्ष 2011–16 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों में प्लेट, गिलास एवं चटाई के क्रय करने के प्रावधान को वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में शामिल करने में असफल रही। यह पाया गया कि नमूना-जाँचित 60 विद्यालयों में प्लेट/गिलास उपलब्ध नहीं थे जबकि 72 नमूना-जाँचित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अपर्याप्त मात्रा में प्लेट/गिलास उपलब्ध थे। नमूना-जाँचित 108 विद्यालयों में चटाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी।



प्राथमिक विद्यालय, चकला मुशहदी, मानसी, खगड़िया में आर्दश मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर, जमुई में चटाई उपलब्ध कारण, बच्चों ने मध्याह्न भोजन अपने प्लेट में लिए।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2016) कि प्लेट की खरीद हेतु सभी जिलों को दिशानिर्देश जारी किए गए थे (जुलाई 2016) और निदेशक, मध्याह्न भोजन द्वारा प्राप्त इन्ट्रेकिट्व वॉयस रिस्पांस सिस्टम सूचना के अनुसार 29,545 विद्यालयों द्वारा प्लेट की खरीद (नवम्बर 2016) कर ली गयी थी।

हालांकि, 34,287 विद्यालयों के पास अभी तक प्लेट उपलब्ध नहीं थे वहीं 5,642 विद्यालयों ने इन्ट्रेकिट्व वॉयस रिस्पांस सिस्टम के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी।

### 3.2.6.3 धुआँरहित चूल्हा/एल.पी.जी. स्टोव

योजना दिशानिर्देश (2006) यह परिकल्पित करता है कि जहाँ तक संभव हो धुआँरहित चूल्हा का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षा के हित में लकड़ी को जलावन के रूप में उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि, धुआँरहित चूल्हा/एल.पी.जी. स्टोव के लिए प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड (प्रो.ए.बोर्ड) के समक्ष कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं रखा गया था। इस कारण भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को वर्ष 2011–16 के दौरान कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गई थी।

यद्यपि, यह देखा गया कि वर्ष 2014–16 के दौरान मात्र 4,648 विद्यालयों को मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा धुआँरहित चूल्हों की खरीद हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी थी। लेकिन, नमूना-जाँचित 132 विद्यालयों में से 117 में यह पाया गया कि धुआँरहित चूल्हों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके बदले में

विद्यालयों द्वारा जलावन की लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा था जो पर्यावरणीय हित के विरुद्ध था।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (दिसम्बर 2016) कि प्रथम चरण में 5,209 विद्यालयों को एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया था। वर्ष 2016–17 में 7,207 विद्यालयों में एल.पी.जी. सुविधा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था जिसके विरुद्ध 3,434 विद्यालयों को दिसम्बर 2016 तक कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया था।

### अनुशंसार्ह

#### मध्याह्न भोजन निदेशालय को:

- मध्याह्न भोजन आच्छादित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्लेट/ग्लास एवं चटाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए;
- मध्याह्न भोजन विद्यालयों में बच्चों को स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराने के लिए धुआँरहित रसोईघर सुनिश्चित करना चाहिए।

### 3.2.7 खाना बनाना एवं भोजन की आपूर्ति

#### 3.2.7.1 खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं पका हुआ भोजन

योजना दिशानिर्देश यह परिकल्पित करता है कि जिला पदाधिकारी (डी.एम.) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों एवं जिला पदाधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति गठित दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव कम—से—कम उचित औसत गुणवत्ता का हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सुझाव दिया कि राज्य/जिला को बच्चों के बीच वितरित भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्न की नमूना जाँच के लिए किसी संस्थान की नियुक्ति की जानी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव करते समय खाद्यान्न का एक नमूना संरक्षित रखा जाना चाहिए। आगे, मध्याह्न भोजन दिशानिर्देश के अनुसार पके हुए भोजन को बर्तन में ढक कर रखा जाना चाहिए।

राज्य के पास मध्याह्न भोजन खाद्यान्न की गुणवत्ता जाँच हेतु कोई संस्थान नहीं था जो आश्वस्त करे कि बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था।

नमूना—जाँचित 11 जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि मध्याह्न भोजन जिला कार्यालय में नमूना रखे जाने एवं उचित औसत गुणवत्ता के खाद्यान्न का उपयोग मध्याह्न भोजन योजना में किये जाने के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था। आगे, राज्य में खाद्यान्न की जाँच हेतु कोई भी संस्थान उपलब्ध नहीं था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण भोजन वितरण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ चयनित विद्यालयों में यह भी पाया गया कि भोजन को बॉस की टोकरियों में रखा गया था।



मध्य विद्यालय हरिजन खुटिया एवं प्रा.वि. चकला मुशहरी, मानसी प्रखण्ड, खगड़िया जिला में बॉस की टोकरी में रखा हुआ तैयार खाना।

इस प्रकार, मध्याह्न भोजन के लाभार्थी बिना आवश्यक जाँच के खाना खाने के लिए बाध्य थे।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2016) कि सभी जिलों को खाद्यान्नों का उचित औसत गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कम-से-कम तीन माह तक खाद्यान्नों का नमूना रखने हेतु निर्देश दिये गये थे (नवम्बर 2016)। आगे, राज्य में खाद्य जाँच करने हेतु कोई भी प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं था एवं जहानाबाद एवं पटना जिलों के पाँच प्रतिशत विद्यालयों में वर्ष 2016–17 से खाना की जाँच एस.जी.ए.ल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता से कराने के लिए निर्णय लिया गया था। आगे, चूंकि कलकत्ता स्थित प्रयोगशाला में खाना जाँच का शुल्क काफी ज्यादा था, माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया (जून 2016) कि खाना जाँच हेतु एक प्रयोगशाला राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर में स्थापित किया जा सकता है।

### 3.2.7.2 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मध्याह्न भोजन का संचालन

नमूना—जाँचित 11 में से 10 जिलों के शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन गैर सरकारी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराया गया था। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच जनवरी 2009 से अक्टूबर 2009 के बीच तीन वर्षों के लिए एकरारनामा कार्यान्वित किए गए थे, जिस बाद में विस्तारित किया गया (परिशिष्ट-3.2.5)। योजना के कार्यान्वयन के लिए, समय—समय पर लागू प्रतिमानकों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों को खाद्यान्न, परिवर्तन मूल्य एवं परिवहन लागत का भुगतान किया जाना था।

नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों के संवीक्षा में पाया गया कि पाँच जिलों में जहाँ एकरारनामा बंद कर दिए गए थे, आवंटित खाद्यान्न का उठाव, उपयोग एवं गैर सरकारी संगठनों के पास बचे शेष खाद्यान्न की स्थिति तालिका सं.-3.2.3 में दर्शायी गई थी:

#### तालिका सं.-3.2.3

##### गैर सरकारी संगठनों के साथ बंद एकरारनामों की विवरणी

(मात्रा किवंटल में)

जिला का नाम	एकरारनामा की तिथि	एकरारनामा बंद होने की तिथि	गैर सरकारी संगठनों को आवंटित खाद्यान्न	गैर सरकारी संगठनों द्वारा उठाव किया गया खाद्यान्न	गैर सरकारी संगठन द्वारा उपयोगित खाद्यान्न	शेष खाद्यान्न
गोपालगंज	10 जुलाई 2009	2 दिसम्बर 2011	अनुपलब्ध	2,511.58	2,743.61	(-)232.03
खगड़िया	6 अक्टूबर 2009	14 मार्च 2012	4,306.11	4,306.11	3,716.46	589.65
समस्तीपुर	6 जुलाई 2009	23 अगस्त 2011	16,683.00	16,683.00	10,874.24	5,808.77
सारण	19 जनवरी 2009	2 दिसम्बर 2011	42,137.86	39,450.60	17,393.07	22,057.53
सिवान	10 जुलाई 2009	2 दिसम्बर 2011	7,484.35	7,484.35	7,484.35	शून्य

(स्रोत: मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय एवं नमूना—जाँचित जिलों के डी.पी.ओ. द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका सं.-3.2.3 से यह स्पष्ट था कि:

- गोपालगंज जिला में, गैर सरकारी संगठन द्वारा अभिलेख में आवंटन से 232.03 किवंटल खाद्यान्न का अधिक उपयोग दिखाया गया था और एकरारनामा बंद होने के एक वर्ष के बाद, परिवर्तन मूल्य के रूप में ₹4.18 लाख का भुगतान उपयोग किए गए अधिक खाद्यान्न का स्रोत सुनिश्चित किए बगैर गैर सरकारी संगठन को कर दिया गया (दिसम्बर 2012) था। विभाग ने जवाब दिया

(दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गोपालगंज को गैर सरकारी संगठन से ₹4.18 लाख की वसूली करने का निर्देश दिया गया है।

- खगड़िया और सारण जिलों में पाया गया कि गैर सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराए गए 43,756.71 विवंटल खाद्यान्न के विरुद्ध 22,647.18 विवंटल खाद्यान्न एकरारनामा बंद होने के समय से ही उनके पास अनुपयोगित पड़ा हुआ था। आगे, संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा गैर सरकारी संगठनों के पास बचे हुए खाद्यान्न की वसूली या शेष खाद्यान्न के विरुद्ध राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा के द्वारा शेष खाद्यान्न के मूल्य की गणना की गई जो 6.93 करोड़<sup>49</sup> थी। विभाग के द्वारा जवाब दिया गया (दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को खाद्यान्न की राशि बाजार मूल्य पर वसूली करने हेतु निर्देश दिया गया है।
- समस्तीपुर जिला में, एकरारनामा बंद होने के समय (अगस्त 2011) ₹1.25 करोड़<sup>50</sup> मूल्य का 5,808.765 विवंटल खाद्यान्न गैर सरकारी संगठन के पास शेष था। यह पाया गया कि अनुपालन लेखापरीक्षा के आपत्ति के आलोक में यद्यपि गैर सरकारी संगठन से ₹40 लाख की वसूली हुई थी (मई 2015), ₹84.65 लाख की वसूली अभी भी शेष थी (दिसम्बर 2016)। विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा की आपत्ति के आलोक में अक्टूबर 2016 तक और ₹41.81 लाख की वसूली की गई और ₹18.76 लाख समायोजित की गई।

आगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नालंदा के विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदनों (मई 2010 से नवम्बर 2013) के अनुसार गैर सरकारी संगठन के द्वारा भोज्य तालिका के अनुसार खाना आपूर्ति नहीं की गई थी एवं निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न उपयोग में लाया गया था। रसोई घर की साफ—सफाई भी काफी खराब थी तथा बर्तन को बगैर धोए हुए गर्म खाना को स्थानान्तिरत किया जा रहा था। गैर सरकारी संगठन द्वारा आपूर्ति किए गए भोजन में पाई गई कमियाँ तालिका सं.-3.2.4 में दिया गया है:

#### तालिका सं.-3.2.4

##### तैयार भोजन के संदर्भ में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का मंतव्य

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	भोजन के संबंध में कथन
1	मध्य विद्यालय, मधरा	भोजन में कीड़े पाये गये (मई 2010)
2	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चैनपुर	तैयार भोजन खट्टा था (जुलाई 2010)
3	चण्डी प्रखण्ड के सभी विद्यालय	गंधयुक्त तैयार भोजन परोसा गया था (22 फरवरी 2012)
4	चण्डी प्रखण्ड के विद्यालय	भोजन में कीड़े पाये गये (सितम्बर 2012)

आगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नालंदा ने पाया (फरवरी 2012 एवं जुलाई 2012) कि गैर सरकारी संगठन का रामधाट स्थित केन्द्रीकृत रसोईघर बहुत गंदा था एवं काफी

<sup>49</sup> शेष खाद्यान्न के मूल्य की गणना राज्य खाद्य निगम की वसूली दर ₹3,062 प्रति विवंटल की दर से किया गया जो बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना द्वारा अगस्त 2015 में जारी किया गया था।

<sup>50</sup> 5,808.765 विवंटल x ₹2,146 (वर्ष 2011–12 के वसूली के लिए राज्य खाद्य निगम द्वारा जारी आधिक दर)

समय से साफ नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि तैयार भोजन अप्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा पैक किया जा रहा था एवं रसोईघर प्रभारी की अनुपस्थिति में गाड़ी में लोड किया जा रहा था। इन कमियों के बावजूद भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा गैर सरकारी संगठन के साथ एकरारनामा रद्द करने की सिफारिश नहीं की गई और निदेशक, मध्याह्न भोजन ने दो बार एकरारनामा विस्तार किया (जुलाई 2012 एवं जनवरी 2014)। इसी बीच मई 2013 में एक बड़ी घटना घटित हुई जिसमें 64 बच्चे बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती कराये गए। हालांकि, गैर सरकारी संगठन ने विस्तारित एकरारनामा अवधि व्यपगत होने के उपरांत बिना अवधि विस्तार के छ: माह से अधिक तक (10 जुलाई 2013 से 23 जनवरी 2014) भोजन आपूर्ति किया। एकरारनामा के अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति जनवरी 2014 में प्रदान की गई।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2016) कि गैर सरकारी संगठन के कार्यों के मूल्यांकन प्रतिवेदन उपस्थापित करने एवं डी.पी.ओ. नालन्दा के अनुशंसा के बाद अवधि विस्तार दिया गया था।

जबाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि एकरारनामा व्यपगत होने के उपरांत 10 जुलाई 2013 से 23 जनवरी 2014 तक गैर सरकारी संगठन द्वारा मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की गई एवं निदेशक, मध्याह्न भोजन द्वारा मई 2010 से नवम्बर 2013 के बीच एकरारनामा के विरुद्ध कई घटनाएँ घटित होने के बावजूद अवधि विस्तार दिया गया (24 जनवरी 2014)।

### 3.2.7.3 स्वास्थ्य जाँच

योजना का दिशानिर्देश यह परिकल्पित करता है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विशिष्ट तत्वों की कमी के आधार पर विटामिन ए के छ: मासिक खुराक, कीड़ा नाशक, आयरन और फोलिक एसिड का साप्ताहिक खुराक, जिंक और अन्य समुचित पूरक माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ सम्पूरित किया जाना चाहिए।

अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि नमूना जाँचित जिले (मुजफ्फरपुर एवं नालन्दा को छोड़कर) क्षेत्र विशिष्ट कमियों से अनभिज्ञ थे। इसके परिणामस्वरूप, विटामिन ए पूरक, आयरन एवं फोलिक एसिड पूरक का साप्ताहिक खुराक, जिंक एवं अन्य समुचित पूरक भी बच्चों को उपलब्ध नहीं कराये गये। आगे, कम भार वाले बच्चों, एनीमिया के मामले या अन्य कमियों से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव, शिक्षा विभाग ने इस मामले पर चिंता जाहिर किया और कहा (नवम्बर 2016) कि अधिप्राप्ति संबंधी मामलों के कारण राज्य में विटामिन ए एवं आयरन की गोलियों का वितरण प्रभावित हुआ था। हालांकि सूक्ष्म पोषक तत्व के कमी वाले क्षेत्र के संबंध में सूचना के अभाव के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

### 3.2.8 सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रावधान

मध्याह्न भोजन की मार्गदर्शिका में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना परिकल्पित था। यह पाया गया कि राज्य सरकार ने क्रमशः वर्ष 2010–11 (38 जिलों में) और वर्ष 2013–14 (33 जिलों में) के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया (अगस्त 2010 और सितम्बर 2013)। आगे के वर्षों में सूखा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए क्रार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) ने वर्ष 2011–12 के ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चों को 21 दिनों के लिए मध्याह्न भोजन अनुमोदित किया और ₹37.64 करोड़ का केन्द्रीय सहायता विमुक्त किया (मई 2011)।

अभिलेखों के संवीक्षा में हालांकि यह पाया गया, कि केन्द्रीय सहायता की निकासी (अक्टूबर 2011) के बावजूद वर्ष 2011–12 के ग्रीष्मावकाश के दौरान राज्य के सूखा

प्रभावित क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था। आगे, यद्यपि बिहार के 33 जिले वर्ष 2013–14 के दौरान सूखा प्रभावित घोषित किए गए थे, बिहार सरकार द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव वर्ष 2014–15 के वार्षिक कार्य योजना और बजट में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2011–12 और वर्ष 2014–15 के ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चे मध्याह्न भोजन से वंचित रह गए।

विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए जवाब दिया गया (दिसम्बर 2016) कि आवंटन मई 2011 में प्राप्त हुआ था एवं कठोर जलवायु दशा के कारण विद्यालय में ग्रीष्मावकाश 22 मई 2011 से प्रारम्भ हुआ था।

### 3.2.9 मध्याह्न भोजन का आच्छादन

#### 3.2.9.1 आच्छादन के दिनों की संख्या

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य विद्यालय में उपस्थित प्रत्येक छात्र को गर्म तैयार भोजन परोसना है ताकि उन्हें पर्याप्त पोषण मिल सके। प्रत्येक विद्यालय दिवस को मध्याह्न भोजन दिया जाना था। नामांकित छात्रों की संख्या एवं राज्य में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत उनके आच्छादन से संबंधित विवरण तालिका सं.-3.2.5 में दिया गया है:

तालिका सं.-3.2.5

#### वर्ष 2011–16 के दौरान नामांकन के विरुद्ध राज्य में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादन

वर्ष	कुल नामांकन (सं. करोड़ में)	कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड के द्वारा अनुमोदित लक्ष्य करोड़ में (नामांकन का प्रतिशत)	वितरित भोजन की संख्या (करोड़ में)	दिनों की संख्या जिसमें वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन दिया गया		औसत लाभार्थी (नामांकन का प्रतिशत)
				कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड के अनुसार लक्ष्य	दिनों की वास्तविक सं. (लक्ष्य का प्रतिशत)	
2011-12	2.06	1.57 (76)	162.49	254	184 (72)	0.88(43)
2012-13	2.01	1.01 (50)	202.48	230	180 (78)	1.12(56)
2013-14	1.99	1.29 (65)	264.54	230	203 (88)	1.30(65)
2014-15	2.04	1.34 (66)	258.63	245	197 (80)	1.31(64)
2015-16	2.06	1.36 (66)	265.58	245	192 (56)	1.38(67)

(स्रोत: मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका सं.-3.2.5 से यह स्पष्ट था कि लक्ष्य, नामांकित छात्रों की संख्या से कम था और 43 से 67 प्रतिशत नामांकित छात्र ही राज्य स्तरीय मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित हुए थे।

आगे, 132 विद्यालयों के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि मध्याह्न भोजन का वितरण योजनाबद्ध दिनों से कम किया गया था। विस्तृत व्यौरा तालिका सं. 3.2.6 में दिया गया है:

वर्ष 2011–16 के दौरान कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिनों तक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं किया गया था।

### तालिका सं.- 3.2.6

#### नमूना—जाँचित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन

वर्ष	योजना के अनुसार मध्याह्न भोजन वितरित किये जाने वाले दिनों की सं.	विद्यालयों की संख्या जिसमें भोजन वितरित किया गया						
		1—50 दिनों	51—100 दिनों	101—150 दिनों	151—200 दिनों	दो सौ दिनों से ज्यादा	उपलब्ध नहीं	कुल
2011-12	254	6	24	41	36	9	16	132
2012-13	230	0	5	37	43	31	16	132
2013-14	230	0	2	3	41	70	16	132
2014-15	245	0	1	6	47	62	16	132
2015-16	245	0	1	6	49	60	16	132

(स्रोत:- नमूना—जाँचित जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका सं.-3.2.6 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमशः 71 और 42 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन 151 दिनों से कम परोसा गया। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक भोजन के परोसे जाने में वृद्धि दर्ज की गयी, इसके बावजूद भी इस अवधि में केवल 60 (45 प्रतिशत) से 70 (53 प्रतिशत) विद्यालय ही ऐसे थे जिन्होंने 200 दिनों से ज्यादा भोजन वितरित किये।

विभाग ने जवाब (दिसम्बर 2016) दिया कि नामांकन के लक्ष्य का अनुमोदन कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड के द्वारा औसत लाभान्वित के आधार पर होता है। राज्य में अनुमोदित कार्यदिवस से कम दिन भोजन वितरण किये जाने का कारण, जिला प्रशासन द्वारा अत्यधिक ठण्ड/गर्मी के कारण विद्यालय को बंद किया जाना, पंचायत/विधान सभा/लोक सभा/चुनाव, शिक्षकों के स्थानांतरण के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण तथा एकल शिक्षक का होना था।

जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि वर्ष 2012-16 के दौरान भोजन वितरण का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया था जो कि कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित लक्ष्य का 56 से 88 प्रतिशत के बीच था।

#### 3.2.9.2 खाद्य सुरक्षा भत्ता का कार्यान्वयन

मानव संसाधन मंत्रालय अधिसूचना (सितम्बर 2015) और मध्याह्न भोजन योजना नियमावली 2015 के नियम 9 के अनुसार, अगर किसी विद्यालय में किसी भी विद्यालय दिन खाद्यान्न के अभाव, भोजन तैयार करने की लागत, ईंधन या रसोईया—सह—सहायक की अनुपस्थिति या कोई अन्य कारणों से मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता निम्न रूप से देय होगा :—

- बच्चों के हकदारी के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा; तथा
- राज्य में प्रचलित खाना पकाने की लागत

अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि मध्याह्न भोजन निदेशालय के तरफ से जिलों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का कोई भी दिशा निर्देश निर्गत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, किसी भी नमूना जाँचित विद्यालयों में जहाँ बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं उपलब्ध कराया गया था, किसी भी लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान नहीं किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव, शिक्षा विभाग (नवम्बर 2016) ने निदेशक, मध्याह्न भोजन को आदेश दिया कि विभाग से अनुमोदन के पश्चात् खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान हेतु निदेश निर्गत करें।

### 3.2.10 योजना के उद्देश्यों की उपलब्धि

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति के साथ–साथ बच्चों के पोषण स्तर वृद्धि करते हुए प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, करना है। राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के द्वारा प्राप्त उपलब्धि की निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गई है:


#### 3.2.10.1 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि/कमी

इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य नामांकन में वृद्धि करना, प्रतिधारण और बच्चों की उपस्थिति बनाये रखना था।

मध्याह्न भोजन निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2015–16 में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या में कमी आई जबकि राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या में मासूली वृद्धि हुई। राज्य में वर्ष 2011–16 के दौरान नामांकित छात्रों की स्थिति तालिका सं.–3.2.3 में दर्शायी गयी है:

तालिका सं.–3.2.3

नामांकित विद्यार्थियों की संख्या



मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन के बावजूद वर्ष 2011–16 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में कमी (छ: प्रतिशत) आई जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि (16 प्रतिशत) हुई।

(स्रोत: मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपरोक्त तालिका सं.–3.2.3 से, यह स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या में जो वर्ष 2011–12 में 1,53,15,571 थी, घटकर (छ: प्रतिशत की कमी) वर्ष 2015–16 में 1,44,57,156 हो गई, जबकि राज्य में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या जो वर्ष 2011–12 में 52,44,628 थी बढ़कर (16 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में 61,07,050 हो गई।

हालांकि, 74 नमूना-जाँचित विद्यालयों में वर्ष 2011-16 से संबंधित कक्षा एक के नामांकन एवं उपस्थिति पंजी की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 14,447 छात्रों के नामांकन के विरुद्ध उपस्थिति पंजी में 17,514 छात्रों को नामांकित दिखाया गया था। यह दर्शाता था कि वास्तिविक नामांकन की तुलना में नामांकित छात्रों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया था।

विभाग ने जवाब (दिसम्बर 2016) दिया कि निजी विद्यालयों के छात्रों का नामांकन भी सरकारी विद्यालयों में रहता है। इसलिए नामांकन में अन्तर देखा जाता है। यद्यपि, आपत्ति में उठाये गये बिन्दु पर विशिष्ट जवाब लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया।

### 3.2.11 उपस्थिति एवं प्रतिधारण

राज्य या जिला स्तर पर कक्षा छोड़ने वालों से संबंधित आँकड़े संधारित नहीं किये गये थे। हालांकि, इसे वर्ष 2011-16 के दौरान छात्रों के रुकने/छोड़ने की संख्या से राज्य के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना द्वारा दिये गये वर्गवार नामांकन के आँकड़ों से निकाला गया है। इसके अलावे, वर्ष 2011-16 में नमूना-जाँचित विद्यालयों में रुकने वाले/छोड़ने वालों की संख्या नमूना-जाँचित 104 विद्यालयों द्वारा दिये गये आँकड़ों से निकाला गया। वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य के साथ साथ जिलों के नमूना-जाँचित विद्यालयों में वर्गवार नामांकन एवं बच्चों की रुकने/छोड़ने से संबंधित स्थिति नीचे की तालिका सं.-3.2.7 और 3.2.8 में दर्शाया गया है:

#### तालिका सं.-3.2.7

#### वर्गवार नामांकित छात्रों की स्थिति

(राज्य सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों)

वर्ष	नामांकित छात्रों की संख्या				
	वर्ग I	वर्ग II	वर्ग III	वर्ग IV	वर्ग V
2011-12	<b>33,37,088</b>	32,52,715	32,61,529	31,19,354	28,56,801
2012-13	28,07,787	<b>28,21,391</b>	28,90,682	27,87,185	26,44,969
2013-14	29,35,570	28,12,829	<b>29,09,908</b>	28,61,408	27,43,140
2014-15	27,78,486	29,18,459	28,74,047	<b>28,70,113</b>	28,18,376
2015-16	31,24,270	29,46,717	30,94,855	29,49,737	<b>29,60,763</b>

(स्रोत:- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना द्वारा प्रदत्त सूचना)

**तालिका सं.-3.2.8**  
**वर्गवार नामांकित छात्रों की स्थिति**  
**(नमूना-जाँचित 104 विद्यालय)**

वर्ष	नामांकित छात्रों की संख्या				
	वर्ग I	वर्ग II	वर्ग III	वर्ग IV	वर्ग V
2011-12	<b>4,854</b>	4,838	4,794	4,483	3,990
2012-13	4,296	<b>4,083</b>	4,270	4,069	3,866
2013-14	4,381	4,234	<b>4,010</b>	4,091	3,880
2014-15	4,226	4,341	4,288	<b>3,996</b>	4,064
2015-16	4,726	4,330	4,423	4,309	<b>3,899</b>

(स्रोतः— नमूना-जाँचित विद्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

आगे, यह भी स्पष्ट था कि राज्य में वर्ष 2011–12 में कक्षा एक में नामांकित 33,37,088 बच्चों में से केवल 29,60,763 बच्चे ही वर्ष 2015–16 में कक्षा पाँच में रह सके। इसी तरह, नमूना-जाँचित विद्यालयों में वर्ष 2011–12 में कक्षा एक में नामांकित 4,854 छात्रों में से केवल 3,899 छात्र ही वर्ष 2015–16 में कक्षा पाँच में रह सके। यह इंगित करता था कि राज्य में 10 वर्षों से चल रहे मध्याह्न भोजन के बावजूद छात्रों को रोके रखने का दर खराब था।

**तालिका सं.-3.2.9**  
**राज्य के निजी विद्यालयों में नामांकित छात्रों की स्थिति**

वर्ष	नामांकित छात्रों की संख्या				
	वर्ग I	वर्ग II	वर्ग III	वर्ग IV	वर्ग V
2011-12	<b>5,739</b>	5,160	4,981	4,852	4,818
2012-13	17,664	<b>15,343</b>	15,061	15,278	15,427
2013-14	1,93,686	1,59,002	<b>1,47,474</b>	1,34,981	1,22,757
2014-15	2,76,549	2,29,244	2,09,618	<b>1,90,975</b>	1,74,489
2015-16	2,68,112	2,29,819	2,10,541	1,90,037	<b>1,77,237</b>

(स्रोतः— बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा प्रदत्त सूचना )

उपरोक्त तालिका सं.— 3.2.7, 3.2.8 और 3.2.9 से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के सरकारी/सरकारी सहायता प्रदत्त विद्यालयों में कक्षा I में नामांकित छात्रों की संख्या 33.37 लाख वर्ष (2011–12) से छः प्रतिशत घटकर 31.24 लाख (वर्ष 2015–16) रह गई। इसी प्रकार, 104 नमूना-जाँचित विद्यालयों में भी वर्ष 2011–12 की तुलना में, वर्ष 2015–16 में नामांकन में दो प्रतिशत की कमी देखी गई। हालांकि, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रदत्त ऑकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015–16 में राज्य के निजी विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या में वर्ष 2011–12 की तुलना में चालीस गुणा से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गयी थी।

विभाग ने जवाब में कहा (दिसम्बर 2016) कि कक्षा I से V तक के छात्रों का दो बार नामांकन होने के कारण अंतर दिखाया गया था।

इस प्रकार मध्याह्न भोजन के माध्यम से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति के मूल लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई।

### 3.2.12 अध्यापन एवं सीखने पर प्रतिकूल प्रभाव

योजना का दिशानिर्देश, 2006 यह विहित करता है कि शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में ऐसा कार्य नहीं सौंपना चाहिए जिससे कि अध्यापन एवं सीखने कि क्रिया में बाधा या हस्तक्षेप हो। शिक्षकों को केवल यह सुनिश्चित करने में लगाया जाना चाहिए कि अच्छी गुणवत्तायुक्त सम्पूर्ण आहार बच्चों को एकजुटता की भावना से स्वच्छतापूर्वक एवं उचित तरीके से परोसा जा रहा है, ताकि सम्पूर्ण प्रक्रिया 30–40 मिनट में पूर्ण हो सके।

हालांकि, नमूना जाँच के क्रम में 132 नमूना-जाँचित विद्यालयों में से 81 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि शिक्षक मध्याह्न भोजन का संचालन सक्रिय रूप से करते हैं। सैंतालीस प्रधानाध्यापकों द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि औसतन प्रतिदिन एक से चार घंटे का समय शिक्षण कार्य के अलावे अन्य कार्यों में बर्बाद हो जाता है। हालांकि, 34 प्रधानाध्यापकों द्वारा मध्याह्न भोजन में समय के खपत के संदर्भ में कुछ भी जाहिर नहीं किया।

इस प्रकार शिक्षकों के मध्याह्न भोजन कार्य में शामिल होने के कारण अध्यापन एवं सीखने के कारण प्रभावित हुआ।


विभाग ने जवाब में कहा (दिसम्बर, 2016) कि मध्याह्न भोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था और निरीक्षण के लिए विद्यालय शिक्षा समिति को शक्ति प्रदान की गई है। मध्याह्न भोजन तैयार करने एवं बच्चों को वितरित किये जाने का कार्य विद्यालय शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में रसोईया-सह-सहायक द्वारा किया जाना था।

### 3.2.13 लाभार्थी सर्वेक्षण

मध्याह्न भोजन योजना के लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा 132 नमूना-जाँचित विद्यालयों में 660 लाभार्थियों/अभिभावकों से यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि उनहें/उनके बच्चों को विभिन्न सुविधाएँ दी गई तथा उनकी प्रतिक्रिया को अभिलेखित किया गया। लाभार्थी सर्वेक्षण में जो तथ्य प्रकट हुए उसे नीचे तालिका सं.-3.2.4 में दर्शाया गया है:

### चार्ट सं.-3.2.4

#### लाभार्थी सर्वेक्षण का परिणाम



#### 3.2.14 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

##### 3.2.14.1 संचालन–सह–अनुश्रवण समिति की बैठकें

योजना मार्ग दर्शिका की परिकल्पना के अनुसार कार्यक्रम का कार्यान्वयन बेहतर तालमेल, अभिसरण तथा योजना की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने हेतु संचालन–सह–अनुश्रवण समिति का गठन राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाना था। राज्य स्तरीय संचालन–सह–अनुश्रवण समिति को प्रत्येक छमाही में कम–से–कम एक बैठक और जिला एवं ब्लॉक स्तरीय संचालन–सह–अनुश्रवण समिति को प्रत्येक तिमाही में एक बैठक करना था। प्रर्याप्त संख्या में जिला/प्रखण्ड स्तरीय बैठक को सुनिश्चित करने हेतु निदेशालय स्तर से निर्देश दिये गये थे (नवम्बर 2016)।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तर पर संचालन–सह–अनुश्रवण समिति की बैठक वर्ष 2011–112 एवं 2015–16 के दौरान प्रति वर्ष आवश्यक दो बैठकों के विरुद्ध एक बैठक की गई थी। नमूना–जाँचित जिलों और ब्लॉक स्तर पर बैठक आवश्यक मानदंड से काफी कम हुई थी। राज्य स्तरीय आयोजित बैठक एवं नमूना–जाँचित जिलों/प्रखण्ड स्तरीय आयोजित बैठकों की विवरणी तालिका सं.-3.2.10 में दी गई है:

### तालिका सं. 3.2.10

वर्ष 2011–16 के दौरान अनुश्रवण समिति के बैठक की आवश्यकता और आयोजित बैठक

वर्ष	राज्य स्तरीय		नमूना-जाँचित जिला		नमूना-जाँचित जिलों के प्रखंड	
	मानदंड के अनुसार आयोजित बैठक	वास्तविक रूप से आयोजित बैठक	मानदंड के अनुसार आयोजित बैठक	वास्तविक रूप से आयोजित बैठक	मानदंड के अनुसार आयोजित बैठक	वास्तविक रूप से आयोजित बैठक
2011-12	2	1	44	1	664	7
2012-13	2	2	44	4	664	68
2013-14	2	2	44	17	664	228
2014-15	2	2	44	9	664	245
2015-16	2	1	44	5	664	220
कुल	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>220</b>	<b>36</b>	<b>3320</b>	<b>768</b>

(स्रोत— मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका सं.—3.2.10 से यह स्पष्ट था कि मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए निर्धारित बैठक किसी भी स्तर पर आयोजित नहीं की गई थी।

विभाग ने जवाब (दिसम्बर 2016) दिया कि विगत दो वर्षों में राज्य में तीन चुनावों (लोक सभा, विधान सभा एवं पंचायत) का आयोजन हुआ था। अधिकारियों के चुनाव/प्राकृतिक आपदाओं में शामिल होने के कारण को निर्धारित संख्या में बैठकों का आयोजन नहीं हुआ था।

### 3.2.14.2 प्रखंड संसाधन सेवी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण

योजना मार्गदर्शिका के अनुसार प्रखण्ड संसाधन सेवी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक तीन महीने में 25 प्रतिशत विद्यालयों का भ्रमण किया जाना था और सभी विद्यालयों का भ्रमण साल में कम—से—कम एक बार किया जाना था। निरीक्षण प्रतिवेदन के निष्कर्षों को दस्तावेदित किया जाना था और बिना किसी विलम्ब के सुधारात्मक उपाय किये जाने थे।

नमूना-जाँचित जिलों के संवीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि निर्धारित संख्या में विद्यालयों में निरीक्षण नहीं किये गये थे, जैसा तालिका सं.—3.2.11 में दर्शाया गया है:

### तालिका सं.—3.2.11

प्रखंड संसाधन सेवी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण

वर्ष	किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या	किये गए निरीक्षणों की संख्या (प्रतिशत में)
2011-12	53,291	22,709 (43)
2012-13	53,307	36,057 (68)
2013-14	54,168	48,217 (89)
2014-15	54,162	40,278 (74)
2015-16	54,199	25,721 (47)

तालिका सं.—3.2.11 से यह स्पष्ट था कि वर्ष 2011–16 के दौरान किए गए निरीक्षण की संख्या, निर्धारित निरीक्षण की संख्या से बहुत ही कम थी।

विभाग ने जवाब (दिसम्बर 2016) में कहा कि निरीक्षणों की संख्या की गणना 365 दिन के आधार पर किया गया था हालांकि कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ने 245 दिन अनुमोदित किया था और वर्ष 2011–16 के दौरान 56 से 118 दिन अनुश्रवण किए गए थे।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि निदेशक मध्याह्न भोजन के द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार प्रखण्ड संसाधन सेवी द्वारा, कुल विद्यालय का 20 प्रतिशत या कम—से—कम 30 विद्यालय, जो भी ज्यादा हो का निरीक्षण करना अनिवार्य था, हालांकि मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक प्रखण्ड में कम—से—कम कुल विद्यालय का 25 प्रतिशत निरीक्षण किया जाना था।

### अनुशंसा

योजना के निर्बाध कार्यान्वयन और संचालन के लिए सभी स्तर पर विहित संचालन सह—अनुश्रवण समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए।

#### 3.2.15 निष्कर्ष

मध्याह्न भोजन योजना का वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वास्तविक नहीं था परिणामस्वरूप, राज्य की आवश्यकता को उचित ढंग से संबोधित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, 33 से 57 प्रतिशत नामांकित बच्चे मध्याह्न भोजन से वंचित रहे।

कई मामलों में, भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम के गोदामों से आवंटित खाद्यान्न, उठाव नहीं किये गये थे। इसलिए, नमूना जाँचित विद्यालयों में अनिवार्य संख्या से कम दिनों तक मध्याह्न भोजन का वितरण किया गया था।

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिये जाने हेतु आधारभूत संरचनाएँ पर्याप्त नहीं थे। छब्बीस प्रतिशत मध्याह्न भोजन आच्छादित विद्यालय रसोईघर सुविधा रहित थे एवं खाना विद्यालयों के वर्गकक्षों एवं गलियारों में तैयार किये जाते थे। रसोईघर की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने तथा मध्याह्न भोजन को खाद्य सामग्रियों को विद्यालय से बाहर रखे जाने के कारण जुलाई 2013 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गंडामन, धर्मासती मैदान, मसरक, सारण में घटित हुई।

मध्याह्न भोजन के जिला कार्यालयों में उचित औसत गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों उपयोग से संबंधित न तो अभिलेख संधारित थे और न ही राज्यों में बच्चों को दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के जाँच हेतु कोई संरक्षण उपलब्ध था। योजना का अपर्याप्त अनुश्रवण, योजना के कार्यान्वयन में एक मुख्य अवरोध था क्योंकि पर्याप्त संख्या में राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तर पर संचालन—सह—अनुश्रवण समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं। इसके अलावे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखण्ड संसाधन सेवी द्वारा में निर्धारित संख्या विद्यालयों में अनुश्रवण नहीं किया गया था।

## गृह (पुलिस) विभाग

### 3.3 "पुलिस बल आधुनिकीकरण" का लेखापरीक्षा


#### 3.3.1 परिचय

राज्य पुलिस बल की क्षमता निर्माण में वृद्धि के लिए वर्ष 1969-70 से पुलिस बल आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) योजना, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल के स्थापना और संचालन के विभिन्न पहलुओं में चिह्नित की गई कमियों को दूर करने के लिए सुरक्षित पुलिस स्टेशनों का निर्माण, सेना को आवश्यक स्तर की गतिशीलता, आधुनिक हथियार, संचार प्रणाली, अन्य उपकरण, फोरेंसिक उपकरण, प्रशिक्षण और पर्याप्त आवास के द्वारा अत्याधुनिक स्तर पर आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ करना है। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में समय-समय उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने तथा केंद्रीय बलों पर निर्भरता को कम करने के लिए राज्य पुलिस बल के संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना राज्य के 40 पुलिस जिलों, चार रेल पुलिस जिलों, 18 बिहार सैन्य पुलिस (बी.एम.पी.) इकाइयों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफ.एस.एल.) आदि में कार्यान्वित किया जा रहा था।

बिहार में, राज्य सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामलों में कई अवसरों पर केंद्रीय बलों पर निर्भर था और गृह (पुलिस) विभाग द्वारा राज्य में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए त्वरित कार्रवाई बल (रैप)/सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.)/केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को बार-बार (वर्ष 2011-16 में 47 बार कुल 377 दिनों के लिए) बुलाया गया था जिसे चार्ट सं. 3.3.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं.-3.3.1

वर्ष 2011-16 के दौरान केन्द्रीय बलों का इस्तेमाल



पूर्व में योजना की समीक्षा 2006 में की गई थी और निष्कर्ष मार्च 2006 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) में शामिल किए गए थे। नवंबर 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक लेखा समिति के समक्ष चर्चा के लिए लंबित थी। हालांकि, एम.पी.एफ. के


कार्यान्वयन में की गई प्रगति का आकलन करने के लिए, इस लेखापरीक्षा को आयोजित किया गया था।

### 3.3.2 संगठनात्मक संरचना

प्रधान सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, बिहार सरकार समग्र राज्य में एम.पी.एफ. के समग्र कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। आगे, एम.पी.एफ. के कार्यान्वयन के लिए विभाग से जिला स्तर तक के उत्तरदायी पदाधिकारियों को चार्ट सं.-3.3.2 में दिए गए हैं:

#### चार्ट सं.-3.3.2

पुलिस बल आधुनिकीकरण के संचालन के लिये संगठनात्मक संरचना



इसके अलावा, एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एस.एल.ई.सी.) राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पुलिस आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए था और निर्माण कार्य बी.पी.बी.सी.सी.<sup>51</sup> द्वारा निष्पादित किया जा रहा था।

### 3.3.3 लेखापरीक्षा की पद्धति एवं कार्यक्षेत्र

वर्ष 2011–16 की अवधि के लिए पुलिस बल आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा अप्रैल से जुलाई 2016 के दौरान प्रधान सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) और निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) के अंतर्गत कार्यालयों का नमूना जाँच किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान 40 जिला पुलिस कार्यालयों में से 10<sup>52</sup> (जिला पुलिस कार्यालयों का चयन प्रोबैवलिटि प्रोपोशन टू साईज विदआउट

<sup>51</sup> बी.पी.बी.सी.सी की स्थापना जून 1974 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राज्य के विभिन्न आवासीय एवं गैर-आवासीय पुलिस भवन के निर्माण हेतु किया गया था।

<sup>52</sup> बेगुसराय, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण एवं पटना।

रिप्लेसमेंट विधि के किया गया था), चार बिहार पुलिस बटालियन कार्यालयों<sup>53</sup>, एफ.एस.एल., पटना और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, नाथनगर, भागलपुर के कार्यालयों में कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेख जाँच किए गए। आगे, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से प्रश्नावली माध्यम से भवन निर्माण से संबंधित सिर्फ सूचना—संग्रह किया गया था।

लेखापरीक्षा पद्धति में दस्तावेज विश्लेषण, प्रश्नावली से सूचना संग्रह और संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल था।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पुलिस बल आधुनिकीकरण के लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को आगे के कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है:

#### 3.3.4 योजना

पुलिस आधुनिकीकरण के दिशानिर्देशों के सिफारिश के अनुसार एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार होना चाहिए था, जिसमें पाँच वर्षों के लिए अन्य पहलुओं के साथ साथ एक उपकरण अधिग्रहण योजना भी सन्निहित होनी चाहिए थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस बल के जरूरत को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.एंड डी.) के मानक के अनुसार एवं पुलिस बल आधुनिकीकरण के अंतर्गत विभिन्न घटकों में अंतराल की पहचान एवं विश्लेषण कर पूरा करना था। यह भी अनुशंसित था कि योजना बजट को पूरा करने के लिए एक विकेन्द्रीकृत, तथ्य आधारित योजना पर्याप्त लचीलेपन के साथ अपनाया जाना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर तक वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत करना था। इस हेतु पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) द्वारा जिलों से जानकारी लेने के बाद वा.का.यो. तैयार किया जाना था एवं एस.एल.ई.सी. में इसकी स्वीकृति हेतु गृह विभाग को प्रस्तुत करना था। एस.एल.ई.सी. से स्वीकृति मिलने के बाद, वा.का.यो. को अनुमोदन हेतु गृह मंत्रालय के पास भेजा जाना था।

- पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) और विभाग के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2012–16 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार किया गया एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था (अगस्त 2011)। हालांकि, प्रस्तुत की गयी परिप्रेक्ष्य योजना का अनुमोदन वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ और न ही आगे कोई पत्राचार विभाग और गृह मंत्रालय के बीच इसके अनुमोदन के संबंध में किया गया था।
- यह भी आगे पाया गया कि तैयार वा.का.यो. में अपनी इकाइयों (अर्थात् 40 जिला पुलिस कार्यालय, चार रेल पुलिस जिला कार्यालयों और चार बी.एम.पी. कार्यालयों आदि) की इनपुट उचित एकत्रीकरण के आधार पर नहीं था हालांकि 10 में से 7: चयनित जिलों द्वारा अपने वार्षिक आवश्यकता प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसके परिणामस्वरूप गतिशीलता, आधुनिक हथियार, एफ.एस.एल. में आवश्यकता के विरुद्ध कमी रह गई थी जिसे आगे की कंडिकाओं 3.3.6.2, 3.3.6.3 और 3.3.6.4 में चर्चा की गयी है।

इसके अलावा, वा.का.यो. की तैयारी एवं स्वीकृति में विभाग के साथ साथ एस.एल.ई.सी. स्तर पर भी देरी की गयी थी। परिणामस्वरूप, गृह मंत्रालय में अंतिम रूप से प्रस्तुत करने में देरी हुई। वर्ष 2011–16 के दौरान वा.का.यो. की प्रस्तुति एवं अनुमोदन विवरण तालिका सं.-3.3.1 में दिया गया है:

<sup>53</sup> बी.एम.पी.-5, पटना; बी.एम.पी.-6, मुजफ्फरपुर; बी.एम.पी.-8, बेगुसराय; बी.एम.पी.-13, दरभंगा

### तालिका सं.-3.3.1

#### विभिन्न स्तरों पर वा.का.यो. के प्रस्तुतीकरण में विलंब का ब्यौरा

वर्ष	विभाग को वा.का.यो. के वास्तविक प्रस्तुतीकरण की तिथि	एस.एल.ई.सी. के द्वारा स्वीकृति की तिथि	केन्द्रीय गृह मंत्रालय में भेजे जाने की तिथि	केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति की तिथि	केन्द्रीय गृह मंत्रालय में नियत तिथि (31 दिसंबर) से विलंब भेजने में (माह में)
2011-12	16/3/2011	13/4/2011	11/5/2011	2/01/2012	4
2012-13	25/4/2012	31/5/2012	13/6/2012	27/6/2012	6
2013-14	11/6/2013	26/6/2013	12/7/2013	5/8/2013	7
2014-15	26/5/2014	18/6/2014	25/6/2014	3/7/2014	6
2015-16	8/4/2015	15/5/2015	4/6/2015	30/6/2015	5

(स्रोत:-गृह (पुलिस) विभाग का अभिलेख)

उपरोक्त तालिका सं.-3.3.1 से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा वा.का.यो. के प्रस्तुत करने में देरी के कारण गृह मंत्रालय द्वारा इसके अनुमोदन में अत्यधिक देरी हुई। परिणामस्वरूप, विभाग को वर्ष के भीतर राशि व्यय करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और राशि अव्ययित रह गई, जिसकी चर्चा कंडिका 3.3.5 में की गयी है।

उपरोक्त तथ्य यह इंगित करता है कि योजना का निर्माण पुलिस बल आधुनिकीकरण के दिशानिर्देश में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार नहीं था और विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्य पुलिस बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को नहीं पहचान सका था। परिणामस्वरूप, पुलिस स्थापना के विभिन्न पहलू जैसे कार्यालय के भवन, गतिशीलता, एफ.एस.एल. और आधुनिक हथियार की चिह्नित केमियों को पूरा नहीं किया जा सका था। विभाग ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार (नवम्बर 2016) करते हुए लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई टिप्पणी नहीं किया।

पुनः बहिर्गमन सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, प्रधान सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इकाइयों की इनपुट के उचित एकीकरण के साथ वार्षिक योजना समय प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

#### अनुशंसा

विभाग को जिला स्तर की इकाइयों से जानकारी लेने के बाद यथार्थवादी ऑकेडों के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन कर वार्षिक योजना समय पर तैयार करना चाहिए।

#### 3.3.5 वित्तीय प्रबंधन

पुलिस बल आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच निधियों का अनुपात वर्ष 2011–12 में 75:25 था एवं इसके बाद वर्ष 2012–16 के प्रत्येक वर्ष के लिए 60:40 था। वार्षिक कार्य योजना का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद भारत सरकार माल की आपूर्ति (हथियारों और गोला बारूद के लिए) के लिए राज्य सरकारों और आयुध फैक्ट्री बोर्ड के लिए अपना हिस्सा जारी करती थी। निर्माण गतिविधि के लिए राशि सीधे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निर्गत किया जाता था। राज्य का हिस्सा (40 प्रतिशत) बजटीय प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता था।

योजना के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) के कार्यालय से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान योजना के अंतर्गत

अनुमोदित ₹473.26 करोड़ के विरुद्ध, केवल ₹261.48 करोड़ (55 प्रतिशत) प्राप्त किया गया था, जैसा की तालिका सं.-3.3.2 में दर्शाया गया है:

### तालिका सं.-3.3.2

#### वर्ष 2011–16 के दौरान प्राप्ति एवं उपयोग हुए राशि की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत योजना		वर्ष के प्रारम्भ में अव्ययित राशि	प्राप्त राशि			कुल उपलब्ध राशि	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत में अव्ययित राशि	
				केंद्रांश		कुल				
	केंद्रांश	राज्यांश		राशि	सामग्री	राज्यांश				
2011-12	45.97	11.49	82.74	24.80	3.70	11.49	39.99	122.72	25.26	97.47
2012-13	76.40	51.94	97.47	13.49	1.54	10.02	25.05	122.52	15.65	106.87
2013-14	79.29	52.86	106.87	51.31	4.68	34.21	90.20	197.07	33.92	163.15
2014-15	67.70	44.91	163.15	45.88	3.20	30.59	79.67	242.82	10.37	232.45
2015-16	25.62	17.08	232.45	23.12	3.45	0.00	26.57	259.02	67.79	191.23
कुल	<b>294.98</b>	<b>178.28</b>		<b>158.60</b>	<b>16.57</b>	<b>86.31</b>	<b>261.48</b>		<b>152.99</b>	

(स्रोत: – पुलिस महानिरीक्षक, प्रावधान द्वारा प्रदत्त सूचना)

#### तालिका सं.-3.3.2 के विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि:

- वर्ष 2011–16 के दौरान कुल स्वीकृत केंद्रीय आवंटन ₹294.98 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹175.17 करोड़ (59 प्रतिशत) प्राप्त किया गया था; और
- अधिप्राप्ति प्रक्रिया में हुए विलंब और असैनिक कार्यों की धीमी गति के कारण राज्य सरकार ने उपलब्ध राशि का व्यय नहीं किया।

राज्य सरकार द्वारा राशि के निर्गत में हुई देरी और उपलब्ध राशि के धीमी गति से उपयोग के कारण ₹119.82 करोड़ के केंद्रीय हिस्से की कम प्राप्ति हुई, जिसकी चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गयी है।

#### 3.3.5.1 समतुल्य राज्यांश जारी करने में विलंब

पुलिस बल आधुनिकीकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्रालय सामान्य रूप से दो-तीन किस्तों में विभिन्न राज्यों को धन प्रदान करता है और राज्य उक्त धनराशि के लिए समतुल्य राशि प्रदान करती है। राज्य द्वारा आनुपातिक राशि जारी नहीं किए जाने पर, केन्द्रीय सहायता राशि का शेष 50 प्रतिशत जारी नहीं होगा।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा केन्द्रीय हिस्से के प्राप्त होने के तीन महीने से तीन वर्ष के बाद राज्यांश निर्गत किया गया था जैसा कि तालिका सं.-3.3.3 में दर्शाया गया है:

### तालिका सं.-3.3.3

#### केन्द्रांश एवं राज्यांश की विमुक्ति

वर्ष	केन्द्रांश		राज्यांश की समतुल्य राशि		समतुल्य राशि के विमुक्ति में विलंब (अवधि माह में)
	राशि	विमुक्ति की तिथि	राशि	विमुक्ति की तिथि	
2011-12	24.27	2/1/2012	6.07	29/3/2012	03
			5.42	30/3/2012	03
2012-13	12.49	27/2/2013	9.35	14/2/2014	12
			1.00	26/3/2013	36
2013-14	51.31	18/12/2013	31.21	24/10/2014	10
			3.00	5/1/2016	25

वर्ष	केन्द्रांश		राज्यांश की समतुल्य राशि		समतुल्य राशि के विमुक्ति में विलंब (अवधि माह में)
	राशि	विमुक्ति की तिथि	राशि	विमुक्ति की तिथि	
2014-15	42.10	5/8/2014	28.07	4/1/2016	17
	3.78	17/3/2015	2.52	1/9/2015	06
2015-16	18.02	4/3/2016	विमुक्त नहीं		–
	5.10	16/3/2016	विमुक्त नहीं		–

(स्रोत: पुलिस महानिरीक्षक, प्रावधान द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका सं.-3.3.3 से, यह स्पष्ट था कि वर्ष 2012-13 का राज्यांश तीन वर्षों की अधिकतम देरी से निर्गत की गई थी। परिणामस्वरूप, केंद्रीय हिस्सेदारी का दूसरा/अंतिम किस्त प्राप्त नहीं हो सका था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव (नवंबर 2016) द्वारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में समतुल्य राशि की विमुक्ति समय पर सुनिश्चित किया जाएगा।

### 3.3.5.2 निधि के उपयोग में विलंब

भारत सरकार के अनुदेश (जनवरी 2012) अनुबंध करता है कि पुलिस बल आधुनिकीकरण के तहत किसी भी वित्तीय वर्ष में एक से अधिक वर्ष के अव्ययित शेष रहने पर केंद्र द्वारा राज्य सरकार को एम.पी.एफ. के अन्तर्गत संपूर्ण आवंटित राशि से वंचित कर दिया जायेगा।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2011-16 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक वर्ष के अव्ययित शेष राशि थे जिसे तालिका सं.-3.3.4 में दर्शाया गया है:

#### तालिका सं.-3.3.4

##### एक वर्ष से अधिक पुराने अव्ययित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्राप्त निधि	वर्तमान वित्तीय वर्ष के अधीन व्यय	अगले एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय	अगले दो वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय	अगले दो और अधिक वित्तीय वर्ष के बाद व्यय	अव्ययित शेष
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	39.99	0.00	7.59	13.89	10.34	8.17
2012-13	25.05	0.00	6.86	0.08	4.51	14.05
2013-14	90.20	0.00	6.05	19.93	0.00	64.22
2014-15	79.67	3.20	0.00	0.00	0.00	76.47
2015-16	26.57	3.45	0.00	0.00	0.00	23.12
कुल (प्रतिशत)	261.48	6.65 (2)	20.50 (8)	33.90 (13)	14.84 (6)	186.04 (71)

(स्रोत: पुलिस महानिरीक्षक के प्रावधान द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपरोक्त तालिका सं-3.3.4 से यह स्पष्ट था कि निधि का केवल 10 प्रतिशत उनके प्राप्ति के वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में जबकि 19 प्रतिशत हिस्सा अगले दो वित्तीय वर्षों में खर्च किए गये थे और 71 प्रतिशत निधि अव्ययित रहे। निधि अव्ययित रहने का कारण अधिप्राप्ति के लिए निविदा के निस्तारण में विलंब और निर्माण कार्य का धीमी प्रगति था। परिणामस्वरूप, अनुमोदित योजना में केन्द्र की राशि के हिस्सों में कटौती की गई थी। यह इंगित करता है, कि विभाग उपलब्ध निधियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं था।

जवाब में, विभाग ने कथन को स्वीकार (नवंबर 2016) किया तथा बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया गया कि धीरे-धीरे व्यय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

### 3.3.5.3 गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र का उपस्थापन

पुलिस बल आधुनिकीकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को विमुक्त निधि को अग्रिम माना जाना जाना चाहिए था एवं व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही व्यय माना था तथा अग्रिमों के समायोजन होने पर ही व्यय के रूप में भारित किया जाना था।

वर्ष 2014–15 तक के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि बिहार सरकार तथा बी.पी.बी.सी.सी. द्वारा प्रस्तुत व्यय आँकड़ों में अंतर था। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार योजना शीर्ष में ₹134.39 करोड़ अव्ययित निधि पड़ी रही जबकि बी.पी.बी.सी.सी. द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार यह राशि ₹146.25 करोड़ थी। व्यय के आँकड़ों का गलत चित्रण अपर्याप्त लेखा नियंत्रण का सूचक था।

विभाग ने जवाब दिया कि व्यवहार में विमुक्त निधि को व्यय के रूप में माना गया था और लेखापरीक्षा कथन के आलोक में यह बी.पी.बी.सी.सी. से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर आधारित होगा।

### अनुशंसा


**पूर्ण केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार आवंटित निधि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**

### 3.3.6 योजना के घटकों का कार्यान्वयन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पुलिस बल आधुनिकीकरण के सभी घटकों के सफल कार्यान्वयन के लिए असैनिक कार्य के द्वारा ढाँचागत भवनों, पुलिस स्टेशनों आदि के सुदृढ़ीकरण, सामग्री की अधिप्राप्ति और आपूर्ति के प्रभावी प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बी.पी.आर.एंड.डी. के मानदंडों के अनुसार, पूरी अधिप्राप्ति चक्र के लिए आवश्यक औसत समय सीमा आमतौर पर 12 से 18 महीनों को संकुचित करने की आवश्यकता थी। इसलिए, इस प्रक्रिया को समय से पूर्व शुरू किए जाने की आवश्यकता थी और अधिप्राप्ति के दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करना था कि परियोजना के लिए आवश्यक आपूर्ति, सही समय पर, सही मात्रा में सही गुणवत्ता का, सही जगह पर और सही कीमत पर उपलब्ध हो। पिछले कुछ वर्षों में, अधिप्राप्ति और वितरण में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा हो तो उनका लेखाबद्ध और विश्लेषण किया जाना चाहिए।

- इस योजना के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान कुल अनुमोदित योजना राशि ₹473.26 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹261.48 करोड़, गृह (पुलिस) विभाग द्वारा एम.पी.एफ. हेतु आवंटित किये गये थे। उसका कारण पर्याप्त मात्रा में बी.पी.बी.सी.सी. के पास अवशेष राशि की उपलब्धता तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब था। एम.पी.एफ. के राशि का उपयोग चार्ट स.-3.3.3 में दर्शाया गया है:

**चार्ट सं.-3.3.3**  
**घटकवार अनुमोदित आवंटन एवं व्यय**



(स्रोत: पुलिस महानिरीक्षक, प्रावधान द्वारा प्रदत्त सूचना)

चार्ट सं.-3.3.3 से यह देखा जा सकता है कि विभिन्न घटकों के अन्तर्गत अनुमोदित योजना के अनुसार अधिकतम व्यय हथियार की अधिप्राप्ति पर किया गया था, जबकि संचार साधन, होमगार्ड और एफ.एस.एल. (नक्सल और सीमा घटक वर्ष 2013–14 से योजना से बाहर हो गये थे) के तहत व्यय नगण्य था। विभाग ने अधिप्राप्ति के लिए कोई भी प्राथमिकता तंत्र तैयार नहीं किया था। परिणामस्वरूप, एम.पी.एफ. के अन्तर्गत राज्य पुलिस बलों को सुदृढ़ करने का अधिकतम लाभ विभाग को प्राप्त नहीं हो सका।

आगे, वर्ष 2011–16 के वार्षिक कार्य योजनाओं की संवीक्षा में दर्शित हुआ कि विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कुल 285<sup>54</sup> प्रकार के सामानों को अधिप्राप्ति हेतु अनुमोदित किया गया था। हालांकि, वर्ष 2011–16 की अवधि में केवल 124 प्रकार की मदों का ही अधिप्राप्ति किया गया था तथा आगे 22 प्रकार (सन्त्रिहत कुल सं. 166) के क्रय मदों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि क्रय प्रक्रिया में विलम्ब के कारण वस्तुओं का क्रय स्वीकृति वर्ष से एक से 12 वर्ष के विलंब से किया गया था। परिणामस्वरूप, वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित किए गए प्रति इकाई लागत के विरुद्ध न केवल ₹10.94 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (परिशिष्ट-3.3.1) था, बल्कि अधिप्राप्ति की जाने वाली मदों की मात्रा भी घटकर 166 से मात्र 115 रह गई। अधिप्राप्ति में विलंब का कारण मुख्य रूप से उपकरण के प्रदर्शन की शर्त, तकनीकी बोली की अस्वीकृति और भारतीय ट्रेड जर्नल (आई.टी.जे.) में विज्ञापन नहीं किया जाना आदि था। क्रय प्रक्रिया में अनियमिताओं के मामले से संबंधित घटकों की चर्चा अनुगामी कंडिकाओं 3.3.6.2 और 3.3.6.3 की गई है:

विलंब क्रय प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ₹10.94 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

<sup>54</sup>


नक्सल-40, बॉर्डर-10, शस्त्र-27, उपकरण-129, मोबिलिटी-29, विशेष शाखा-5, संचार-25, होम गार्ड-13 तथा एफ.एस.एल.-7

### 3.3.6.1 भवनों / पुलिस स्टेशनों और आवास का निर्माण

पुलिस बल आधुनिकीकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्माण क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। निर्माण के लिए प्रस्तावित अधिकतर भवनों में कर्मचारियों के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित पुलिस स्टेशन भवनों, बैरकों और कर्मचारियों के आवास जुड़े हुए थे। हालांकि, जून 2016 में आई.जी. (प्रोविजन) द्वारा उपलब्ध कराये गये ब्यौरे में पाया गया कि राज्य में 1,064 पुलिस स्टेशनों में केवल 499 (47 प्रतिशत) स्वयं के भवनों में चल रहे थे। राज्य में पुलिस स्टेशन की इमारतों की स्थिति चार्ट सं.-3.3.4 में दी गई है:

चार्ट सं.-3.3.4

राज्य में पुलिस स्टेशन भवनों की स्थिति



(स्रोत: –पुलिस महानिरीक्षक, प्रावधान द्वारा प्रदत्त सूचना)

₹249.33 करोड़ की लागत से निर्माण के लिए प्रस्तावित 218 इकाइयों (बिहार पुलिस स्टेशन, बैरक तथा भवन इत्यादि) में से केवल 77 इकाई (35 प्रतिशत) ₹31.07 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ तथा शेष 144 इकाइयों का निर्माण, कार्य की धीमी गति, निधि का विलंब से प्राप्ति, आवश्यक भूमि की कमी, निविदा प्रक्रिया के निष्पादन में विलंब इत्यादि के कारण नहीं हुआ था।


आई.जी. (प्रावधान) के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वार्षिक कार्य योजना (वर्ष 2011–16) के तहत 103 पुलिस स्टेशन का निर्माण (85 नक्सली पुलिस स्टेशन, 17 पुलिस स्टेशन और एक आउट पोस्ट) अनुमोदित था। हालांकि, मार्च 2016 तक 85 नक्सल पुलिस स्टेशन में से केवल 56 ही पूरा किया जा सका था। आगे यह भी देखा गया कि बी.पी.बी.सी.सी. द्वारा 218 पुलिस स्टेशन, बैरक और भवन आदि के निर्माण के लिए ₹249.33 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध मात्र ₹169.59 करोड़ प्राप्त किया गया था। लेकिन, बी.पी.बी.सी.सी. के द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान केवल ₹31.07 करोड़ (केवल 12 प्रतिशत) व्यय किये गये थे और केवल 77 कार्यों (केवल 35 प्रतिशत) जिसमें 56 नक्सली पुलिस थाने, 19 क्वार्टर, एक बैरक और एक जल बिंदु शामिल हैं, का निर्माण पूरा किया (परिशिष्ट 3.3.2) गया था। कार्यों के अधूरा रहने के मुख्य कारणों में काम की धीमी गति, राशि की विलंब से प्राप्ति, आवश्यक भूमि और पर्याप्त निधि की कमी, निविदा प्रक्रिया आदि को अंतिम रूप देने में विलंब आदि थे। इस प्रकार, भवनों के लिए प्राप्त धन का उपयोग बि.पु.भ.नि.नि. द्वारा नहीं किया गया, परिणामस्वरूप पुलिस बल के लिए बुनियादी ढाँचे का अभाव था।



सारण पुलिस जिला अंतर्गत डोरीगंज पुलिस स्टेशन जीर्ण-शीर्ण शेड में संचालित आगे, गृह मंत्रालय की समीक्षा समिति ने सभी पुलिस कर्मियों के लिए शत प्रतिशत आवास की सिफारिश की थी। अधीनस्थ स्टाफ क्वार्टर की आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति को चार्ट सं.-3.3.5 में दर्शाया गया है:

#### चार्ट सं.-3.3.5

#### स्टाफ क्वार्टर की उपलब्धता एवं आवश्यकता



(स्रोत: पुलिस महानिरीक्षक, प्रावधान द्वारा प्रदत्त सूचना)

चार्ट सं.-3.3.5 से, यह स्पष्ट था कि कार्यरत बल के अनुसार उच्च/निम्न अधीनस्थ श्रेणी के अधीन कमी क्रमशः 76 और 83 प्रतिशत था।

आगे, नौ चयनित पुलिस जिलों के 310 पुलिस स्टेशन में से केवल 152 अच्छी हालत के भवनों में चल रहे थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव ने बी.पी.बी.सी.सी. के संबंधित कर्मियों को कुशल कार्यान्वयन के साथ स्थिति में सुधार के निर्देश (नवंबर 2016) दिये।

### अनुशंसा

निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुलिस स्टेशनों, बैरकों और अन्य भवनों के निर्माण गति में तेजी लाया जाना चाहिए।

#### 3.3.6.2 पुलिस बल की गतिशीलता


गतिशीलता को पुलिस इकाई की पूरी शक्ति को एक बार में स्थानांतरित करने के लिए क्षमता के संदर्भ में मापा जाता है। यह सीधे पुलिस के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति के दौरान वास्तविक समय में त्वरित प्रतिक्रिया, लोगों की कीमती जान और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण तरीके से मदद करता है और इसके अतिरिक्त यह पुलिस के प्रदर्शन का एक विश्वसनीय सूचक है। आगे, भारत सरकार (मार्च 2009) ने राज्य सरकारों को अधिक संख्या में मोटर साइकिलों और कम पुलिस जीपों का अधिग्रहण करने की सलाह दी क्योंकि मोटर साइकिल बीट कांस्टेबल को मजबूती प्रदान करता है।

प्रस्तावित 2,160 वाहनों में से मात्र 531 वाहनों की अधिप्राप्ति की जा सकी थी।

आई.जी. (प्रावधान) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि यद्यपि वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2011–16 में 29 प्रकार के 2,160 वाहनों की खरीद के लिए प्रस्ताव किया गया था, परन्तु केवल सात प्रकार के 531 वाहनों की अधिप्राप्ति की गई (परिशिष्ट-3.3.3)। यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा प्रस्तावित 980 के विरुद्ध केवल 262 मोटरसाइकिल (27 प्रतिशत) की खरीद की गई थी। बी.पी.आर.एंड.डी. के मानदंडों के अनुसार राज्य में वाहनों की आवश्यकता और विभाग के पास वाहनों की वास्तविक स्थिति चार्ट सं.-3.3.6 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं.-3.3.6

वाहनों की आवश्यकता एवं वास्तविक स्थिति



(स्रोत: पुलिस महानिरीक्षक, प्रावधान द्वारा प्रदत्त सूचना)

आगे, दस पुलिस जिलों और चार बिहार सशत्र पुलिस के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वाहनों की कमी थी, इन कार्यालयों में 2,519 वाहनों की आवश्यकता के विरुद्ध, 1,701 वाहन (354 ऑफ सड़क वाहन को छोड़कर) उपलब्ध था (परिशिष्ट-3.3.4)।

पूछे जाने पर, विभाग द्वारा (नवंबर 2016) कहा गया कि पिछले वर्षों के अप्रयुक्त धनराशि के कारण केंद्रांश के विमुक्ति में कटौती हुई जिससे कम अधिप्राप्ति हुई। बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, मुख्य सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में स्थिति को बेहतर करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाया जाएगा।

दो दृष्टांत में विलंबित क्रय प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अतिरिक्त परिहार्य व्यय को निम्न रूप से दर्शाया गया है:

- चार एंटी लैंड मार्झन वाहन (ए.एल.एम.व्ही.) ₹72.40 लाख प्रति इकाई की दर से क्रय किया जाना था, जिसके लिए विभाग द्वारा संबंधित आयुध फैक्टरी द्वारा प्रस्तुत चालान के आधार पर ₹2.86 करोड़ (सितंबर 2010) स्वीकृत किया गया था। लेकिन विभाग द्वारा आयुध फैक्टरी या खुला निविदा आमंत्रण के माध्यम से अधिप्राप्ति किए जाने पर निर्णय लेने के लिए सितम्बर 2010 से मई 2014 अर्थात् तीन वर्ष की अवधि व्यतीत किया गया। हालांकि, खरीद प्रक्रिया के अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलंब के बाद, ये एंटी लैंड मार्झन वाहन ₹4.67 करोड़ खर्च करने के बाद उसी आयुध फैक्टरी जिसने पहला चालान प्रस्तुत किया था, से तीन वर्षों के बाद (वर्ष 2014–15) खरीदे गए थे। इस प्रकार, उचित निर्णय लेने में विलंब के कारण ₹1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया था।
- तीन टन क्षमता के पाँच क्रेन (वर्ष 2008–09 में प्रति ₹9.5 लाख की दर से दो और वर्ष 2011–12 में प्रति ₹15 लाख की दर से तीन) एम.पी.एफ. के तहत मंजूर की गई थी। हालांकि निविदा दस्तावेजों में बिना विशिष्टता को बदले और क्रय प्रक्रिया के दौरान किसी भी कारण का उल्लेख किए बिना केवल 850 किलोग्राम उठाने की क्षमता वाले दो क्रेन प्रत्येक ₹20.20 लाख की दर से (जून 2014) खरीदे गए थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की समीक्षा करने और भविष्य में उचित ध्यान रखने का निर्देश (नवंबर 2016) दिया।

### अनुशासन

पुलिस बल की गतिशीलता में सुधार करने के लिए बी.पी.आर. एण्ड डी. मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस स्टेशनों में वाहन प्रदान किया जाना चाहिए और खरीद प्रक्रिया में देरी को कम किया जाना चाहिए।

#### **3.3.6.3 आयुधनिक हथियार और उपकरण**

वर्ष 2011–16 के दौरान विभाग द्वारा अत्याधुनिक हथियारों की खरीद राज्य योजना और एम.पी.एफ. के माध्यम से की गयी थी। एम.पी.एफ. योजना के अंतर्गत, हथियारों की खरीद आयुध फैक्ट्री बोर्ड के माध्यम से की गयी थी, जिसके लिए केंद्रांश सीधे आयुध फैक्ट्री बोर्ड को स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत हथियारों की पृथक रूप से माँग का ऑकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड को ₹16.57 करोड़ का केंद्रांश विमुक्त करने के बावजूद एम.पी.एफ. के लिए हथियारों के अधिप्राप्ति की जानकारी लेखापरीक्षा में नहीं लगाया जा सका। हालांकि यह भी पाया गया की वर्ष 2007–15 की अवधि में ₹49.61 करोड़ के


अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण ₹1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण ₹1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय को

आयुध फैक्ट्री बोर्ड से अग्रिम राशि भुगतान किए जाने के पश्चात भी ₹49.61 करोड़ मूल्य के हथियार अप्राप्त थे।

अग्रिम राशि के भुगतान के बावजूद आयुध फैक्ट्री बोर्ड से हथियार प्राप्त नहीं किये गए थे।

आगे, आई.जी. (प्रावधान) के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि राज्य के पास हथियारों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। आवश्यकता और हथियारों की उपलब्धता चार्ट सं.-3.3.7 में दिया गया है:

**चार्ट सं.-3.3.7**  
आधुनिक हथियारों की आवश्यकता एवं उपलब्धता



(स्रोत: पुलिस महानिरीक्षक, प्रावधान द्वारा प्रदत्त सूचना)

चार्ट सं.-3.3.7 से स्पष्ट है कि आधुनिक हथियार की प्रत्येक श्रेणी अर्थात् इंसास राइफलों में 33 फीसदी, पिस्टौल में 42 प्रतिशत, कार्बाइन में 36 प्रतिशत और ए.के. 47 में 52 प्रतिशत की वास्तविक कमी थी।

आगे, यह अवलोकन किया गया कि दस चयनित पुलिस जिलों और चार बिहार सशत्र पुलिस में आधुनिक हथियारों की आवश्यकता के विरुद्ध उपलब्धता केवल 59 प्रतिशत था और गृह मंत्रालय (जनवरी 2012) द्वारा .303 राइफल के उपयोग से बाहर करने के निर्देश के बावजूद वे अभी भी उपयोग में थे और आधुनिक हथियार के विरुद्ध .303 राइफलों की उपलब्धता का अनुपात 46:54 था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य योजना और एम.पी.एफ. के तहत आधुनिक हथियार खरीद किए जा रहे थे और .303 राइफल का इस्तेमाल होम गार्ड द्वारा किया जा रहा था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.पी.एफ. निधियों की उपलब्धता के बावजूद आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतर कम नहीं किया जा सका था।

#### उपकरणों की खरीद पर अविवेकपूर्ण व्यय

दो उपकरणों (पोर्टेबल एक्स-रे स्कैनर मशीन और वीडियो स्पेक्ट्रल कम्परेटर) की खरीद से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन में पाई गई अनियमिताएँ नीचे वर्णित की गई हैं:

अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹1.16 करोड़ अतिरिक्त व्यय किया गया था।

- आई.जी. (प्रावधान) द्वारा 12 मशीनों के आवश्यकता के विरुद्ध केवल एक पोर्टेबल एक्स–रे स्कैनर मशीन ₹29.50 लाख की दर से निर्धारित प्रथम निविदा (मार्च 2011) के माध्यम से अधिप्राप्ति (जूलाई 2013) की गई थी और उसी उपकरण के लिए दूसरी निविदा दो महीने के बाद (जून 2011) में आमंत्रित किया गया था। हालांकि पहली निविदा की आपूर्ति आदेश के अनुसार, मशीनों की संख्या के आदेश में वृद्धि या कमी किया जा सकता था। आगे, बिना किसी कारण से दूसरी निविदा से कोई अधिप्राप्ति नहीं किया गया और तीसरी निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2011) किया गया। निविदा को ₹39.16 लाख की उच्च दर पर पहली निविदा से चयनित एजेंसी से संबंधित एजेंसी के साथ अंतिम रूप दिया गया (दिसम्बर 2011) और 12 पोर्टेबल एक्स–रे स्कैनर मशीन की खरीद (फरवरी 2014) की गई। इस प्रकार, विभाग द्वारा पहली निविदा में मशीन की मात्रा में क्रमिक वृद्धि की शर्त का उपयोग नहीं किया गया और तीसरी निविदा के उच्च दर पर संबंधित एजेंसी से निविदा को अंतिम रूप दिया गया। इस अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्परूप उच्च कीमतों पर अधिप्राप्ति को अंतिम रूप दिया गया और ₹1.16 करोड़<sup>55</sup> का गैर न्यायसंगत व्यय हुआ।
- बेसिक विडिओ स्पेक्ट्रल कम्परेटर, के लिए वर्ष 2007–08 में ₹15 लाख स्वीकृत की गई थी। मेसर्स शिवा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, दिल्ली के निविदा ₹34 लाख पर सभी करों सहित फरवरी 2011 में अंतिम रूप दिया गया था। फिर भी, फर्म द्वारा समझौते को कार्यान्वित करने के बजाय, उपकरण के मूल्य से अतिरिक्त बिक्री कर और कस्टम शुल्क छूट की मांग की गई। आगे, फर्म केवल कस्टम छूट प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के बाद उपकरण की आपूर्ति करने के लिए तैयार था। लेकिन विभाग द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। उपकरण की आपूर्ति नहीं करने के लिए फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई आरंभ करने के बजाय, विभाग द्वारा सितंबर 2013 में ₹59.75 लाख के उपकरण का क्रय किया गया था।

बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, प्रधान सचिव (नवंबर 2016) ने संबंधित अधिकारियों को मामले की समीक्षा करने का और भविष्य में इन्हें ध्यान रखने का निर्देश दिया था।

### अनुशंसा

#### आई.जी. (प्रावधान) को

- आवश्यकता के विरुद्ध उपलब्धता के अंतर को कम करने के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित हथियारों की प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- सभी खरीद निर्धारित समय में और आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए।

#### 3.3.6.4 फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला

फॉरेंसिक विज्ञान आपराधिक, सिविल, विनियामक और सामाजिक संदर्भ में कुशल और आवश्यक न्याय विधान बनाने में सक्षम है। राज्य में एक फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) और दो क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आर.एफ.एस.एल.) हैं।

<sup>55</sup> प्रथम निपटान किये गये निविदा की दर – ₹29.50 लाख प्रति मशीन, तीसरे निपटान किये गये निविदा का दर ₹39.16 लाख, अविवेकपूर्ण व्यय = (₹39.16 लाख – ₹29.50 लाख) × 12 इकाई = ₹115.92 लाख या ₹1.16 करोड़

एफ.एस.एल. को मजबूत बनाने के लिए निदेशक एफ.एस.एल. द्वारा वर्ष 2011–15 के दौरान कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था।

पटना में एफ.एस.एल. पुलिस बैरक में कार्य कर रहा था और एक आर.एफ.एस.एल. मुजफ्फरपुर में कार्य कर रहा था जबकि दूसरा को भागलपुर में अभी भी क्रियाशील किया जाना था। इसके अलावा, भारत सरकार ने आधुनिकीकरण योजना में एफ.एस.एल. एवं आर.एफ.एस.एल. को मजबूत करने के लिए उपयुक्त कोष आवंटन और उच्च तकनीकी उपकरणों के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने का निर्देश (सितम्बर 2012) दिया।

आई.जी. (प्रावधान) के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वार्षिक कार्य योजना में एफ.एस.एल. को समुचित महत्व नहीं दिया गया था और वर्ष 2011–15 के दौरान कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। बाद में वा.का.यो. के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में ₹4.06 करोड़ अनुमोदित किया गया जो उस वर्ष की अनुमोदित परिव्यय का केवल 10 प्रतिशत था। हालांकि वर्ष 2015–16 के दौरान उस निधि का भी व्यय नहीं किया गया था, क्योंकि केंद्रांश मार्च 2016 में प्राप्त किया गया था। एफ.एस.एल. सहित आर.एफ.एस.एल. की स्थिति के विश्लेषण के परिणामों का विवरण नीचे किया गया है:

### अप्रभावी शासी निकाय

गृह मंत्रालय राज्य के चार<sup>56</sup> जिलों में जिला मोबाइल फॉरेंसिक इकाई (डी.एम.एफ.यू.) की स्थापना के लिए ₹4.00 करोड़ आवंटित (मार्च 2010) किया और अक्टूबर 2011 में ₹1.64 करोड़ प्रदान किया था। गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को एक फॉरेंसिक विज्ञान शासी निकाय का गठन करना था और अगली किश्त प्राप्त करने के लिए हर छः महीने के बाद निधि का उपयोग समर्पित करना था। यह देखा गया कि उक्त निकाय जुलाई 2012 में गठित किया गया था और इस बीच में प्राप्त निधि बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को दिया गया (अक्टूबर 2011) था। हालांकि, शासी निकाय ने काम को आगे नहीं बढ़ाया और उक्त राशि अब भी लेखापरीक्षा तिथि (जुलाई 2016) तक निगम के पास था। गृह मंत्रालय को उपयोगिता पुष्टिकरण नहीं भेजे जाने के कारण, शेष निधि प्राप्त नहीं किए गए और कर्णाकित जिलों में डी.एम.एफ.यू. का निर्माण नहीं किया जा सका था।

जवाब में विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि इस मामले में तेजी लाने के लिए शासी निकाय की बैठक आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि भविष्य के योजना में इस घटक के अधीन उचित आवंटन किया जाएगा।

### उपकरणों की कमी

अपर महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने जुलाई 2014 में एफ.एस.एल. पटना में 39 प्रकार के आवश्यक उपकरण में 19 उपकरण की कमी का पता लगाया था (परिशिष्ट-3.3.5)। हालांकि, निधि की कमी के कारण उक्त उपकरण की अधिप्राप्ति लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया जा सका था। इसके अलावा, चार पॉलीग्राफ मशीन में दो पॉलीग्राफ मशीन वर्ष 2010–11 के बाद से निष्क्रिय पड़े थे क्योंकि निदेशक, एफ.एस.एल. पटना द्वारा प्रस्तुत दो पॉलीग्राफी मशीन की आवश्यकता के विरुद्ध आई.जी. (प्रावधान) द्वारा चार मशीन का क्रय किया गया एवं एफ.एस.एल. को उपलब्ध कराया गया था। निदेशक द्वारा यह भी बताया गया की मशीन का उपयोग अन्य अनुभाग के वैज्ञानिक द्वारा किया जा रहा था और पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

इसके अलावा, आर.एफ.एस.एल., नाथनगर, भागलपुर, में मोबाइल फॉरेंसिक वैन के अलावा कोई अन्य उपकरण उपलब्ध नहीं था और नवनिर्मित तीन मंजिला भवन, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

जवाब में, विभाग ने बताया (नवंबर 2016) कि विभिन्न हाई-टेक मशीनरी/ उपकरण की खरीद प्रक्रियाधीन था।

### **जनशक्ति की कमी**

एफ.एस.एल. में 314 कर्मियों की कुल स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 66 तैनात थे।

यह देखा गया था कि एफ.एस.एल. (आर.एफ.एस.एल. सहित) में विभिन्न पदों की 314 अधिकारियों/ कर्मियों की कुल स्वीकृत संख्या के विरुद्ध जनशक्ति की भारी कमी थी, केवल 66 अधिकारी/ कर्मचारी तैनात थे। पुनः, यह देखा गया कि हिस्टोपैथोलोजी, साइबर, पोलिग्राफी और डी.एन.ए. प्रभागों में अन्य प्रभागों के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर कार्य किया जा रहा था। हालांकि, इन प्रभाग में कोई नियुक्ति (मई 2016) नहीं की गई थी तथा केवल डी.एन.ए. प्रभाग के लिए पद स्वीकृत थे।

प्राप्त किए गए मामलों के विश्लेषण के लिए, एफ.एस.एल. के विभिन्न प्रभागों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं गया था। डी.एन.ए. प्रभाग में अप्रैल 2016 में विश्लेषण के लिए 103 मामले लंबित थे जिनमें 21 मामले तीन साल से अधिक पुराने थे। इसी तरह, बैलिस्टिक प्रभाग में टेस्ट फायर्ड शैल/बुलेट की अनुपलब्धता के कारण अगस्त 2013 के बाद से मामले लंबित थे। आगे, विष विज्ञान प्रभाग में विसेरा कटर का पद रिक्त रहने के कारण 443 विसेरा प्रर्दशन के लिए लंबित थे।



एफ.एस.एल., पटना के छत पर खुले में बेतरतीब ढंग से रखा गया वेसेरा के सेंपल

इस प्रकार, विभिन्न परीक्षणों का लम्बित रहना संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में देरी और जाँच पूरा करने में बाधक था।

अपने जवाब में, विभाग ने आवश्यक जनशक्ति की कमी को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2016) कि भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था।

### **अनुशंसा**

एफ.एस.एल. को उपकरण, जनशक्ति मामले में मजबूत किया जाना चाहिए और अपराध के वैज्ञानिक जाँच में सहायता करने के लिए राज्य स्तर पर प्रस्तावित रूप में आर.एफ.एस.एल., डी.एम.एफ.यू. की स्थापना की जानी चाहिए।

#### **3.3.6.5 प्रशिक्षण**

किसी भी पुलिस बल के लिए प्रशिक्षण उनके पेशेवर और शारीरिक कौशल के सम्यक विकास और नियमित उन्नयन तथा उनके अपने कर्तव्यों को कार्यान्वयन करने की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बी.पी.आर.एंड.डी. मानदंडों के अनुसार, प्रशिक्षण सहाय्य उपकरण जैसे, जिम उपकरण, फायरिंग टारगेट, ग्लोबल पोजीशनिंग

पाँच चयनित पुलिस जिला कार्यालय और सी.टी.एस. नाथनगर में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण नहीं पाए गए।

सिस्टम, स्मार्ट बोर्ड, ड्राइविंग सिम्युलेटर, अपराध दृश्य जाँच किट, संचार प्रणाली, फॉरेंसिक किट चिह्नित किए गए थे, जो प्रत्येक केंद्र पर उपलब्ध होना चाहिए था।

पाँच चयनित जिला पुलिस कार्यालयों (यानी—बेतिया, छपरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना) और सी.टी.एस., नाथनगर में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि इनके प्रशिक्षण केंद्रों पर कोई उपकरण उपलब्ध नहीं था। सी.टी.एस. नाथनगर के 12 कमरों में से केवल पाँच कमरे कक्षाओं के रूप में इस्तेमाल किये जा रहे थे और शेष कमरे कानून प्रशिक्षक/बी.पी.ए. प्रशिक्षुओं के आवास के लिए इस्तेमाल किये जा रहे थे। पुनः सी.टी.एस. नाथनगर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि, तीन फॉयरिंग सिमुलेटर के बावजूद एक ही फॉयरिंग हथियार की उपलब्धता के कारण एक समय में केवल एक सिम्युलेटर का उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार, दो फॉयरिंग हथियारों की कमी के कारण तीन सिमुलेटर की पूर्ण क्षमता का एक समय में उपयोग नहीं किया जा सका था और दो सिमुलेटर निष्क्रिय थे। इन तथ्यों से स्पष्ट था कि राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध नहीं था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया कि भविष्य के योजना में प्रशिक्षण घटक के लिए समुचित विचार किया जाएगा।

### 3.3.7 निगरानी और पर्यवेक्षण

किसी भी कार्यक्रम की सफलता में निगरानी और पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का एस.एल.ई.सी. द्वारा निगरानी रखी जानी थी।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कि योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एस.एल.ई.सी. द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान आवश्यक 60 बैठकों के विरुद्ध केवल 11 बैठक की गई थी। परिणामस्वरूप, राशि की उपलब्धता के बावजूद ऊपर चर्चा की गई निर्माण, खरीद और योजना के अन्य पहलुओं में कार्य विलंबित थे। इसके अलावा, किसी भी आंतरिक/बाहरी एजेंसियों द्वारा योजना का मूल्यांकन नहीं कराया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, प्रधान सचिव ने अनुसूचित एस.एल.ई.सी. बैठक की आवश्यकता को स्वीकार किया (नवंबर 2016) और जोर देकर कहा कि दोनों स्तर पर यानि पुलिस मुख्यालय और बि.पु.भ.नि.नि. में सुधार की आवश्यकता है।

#### 3.3.7.1 सृजित संपत्ति का वार्षिक भौतिक सत्यापन

आगे, राशि का उचित उपयोग के लिए, यह आवश्यक है कि सृजित संपत्तियाँ न केवल उनके नियत उद्देश्य हेतु उपयोग होना चाहिए बल्कि इनका निर्धारित और भौतिक सत्यापन भी समय—समय पर किया जाना चाहिए।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अचल संपत्ति पंजी संधारित नहीं था और एम.पी.एफ. के तहत तैयार की गई संपत्तियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन कभी नहीं किया गया था। एम.पी.एफ. के तहत तैयार की गई संपत्तियों के अवस्था और कार्यशीलता के संबंध में कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप, अप्रयुक्त संपत्तियाँ नीचे दिए गए नमूना—जाँचित जिलों में अलक्षित और बेकार पड़ा रह गया :—

- योजना के अंतर्गत, वर्ष 2011–12 में 53 सेट सी.टी.वी. कैमरा एल.सी.डी. के साथ (लागत ₹3.11 करोड़) खरीदे गए थे और अलग—अलग इकाइयों को उपलब्ध कराई की गई थी। हालांकि, नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि आठ जिलों के 11 जिला इकाइयों में से नौ इकाइयों (बैगूसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, बी.एम.पी.—6, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और नालंदा) में सी.टी.टी.

वी. कैमरों का अधिष्ठापन नहीं किया गया था और यह संबंधित भंडार में रखा हुआ था।

- बम दस्ते द्वारा प्रयुक्त उपकरण यानी बम सूट और नन-लिनीयर जंक्शन डिटेक्टर क्रमशः अगस्त 2012 और अक्टूबर 2015 में भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के इकाइयों में उपलब्ध कराये गए थे। लेकिन प्रचलन के लिए प्रशिक्षण की कमी के कारण, उपकरण निष्क्रिय पड़ा था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सृजित संपत्तियों का जिला स्तर पर उचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ भौतिक परिसंपत्ति पंजी के रखरखाव और वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए प्रधान सचिव ने निर्देश दिए (नवंबर 2016)।

### अनुशंसा

- पुलिस बल आधुनिकीकरण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एस.एल.ई.सी. और विभाग दोनों स्तर पर प्रभावी निगरानी व्यवस्था किया जाना चाहिए।
- विभाग द्वारा अर्जित संपत्ति का उपयोग सुनिश्चित करने के साथ वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- निर्धारित प्रारूप में परिसंपत्ति पंजी संधारित रखा जाना चाहिए।

#### 3.3.8 निष्कर्ष

पिछले चार और आधा दशक से पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित रहने के बावजूद, वर्तमान में भी राज्य, कानून और व्यवस्था के लिए केन्द्रीय बलों पर निर्भर था। यह स्थिति वार्षिक कार्य योजना की तैयारी में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य पुलिस बल कि आवश्यकता को चिह्नित एवं मूल्यांकित न कर पाने के कारण था। इसके अलावा वा.का.यो. जिलों से प्राप्त इनपुट पर भी आधारित नहीं था।

आगे, विभाग द्वारा एम.पी.एफ. निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बलों के लिए इमारतों और वाहनों की कमी थी। पर्याप्त मात्रा में आधुनिक हथियार भी उपलब्ध नहीं थे।

योजना के फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला घटक उपेक्षित बने रहे, क्योंकि वर्ष 2011–16 के दौरान उनमें सुधार के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराया गया था और दो वर्षों से पुराने मामले विश्लेषण के लिए लंबित थे।

अधिप्राप्ति प्रक्रिया भी विवेकहीन/देरी के निर्णय से प्रभावित रहा। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वर्ष 2011–16 के दौरान एस.एल.ई.सी. का आवश्यक 60 बैठकों के विरुद्ध केवल 11 बैठक हुई।

इस प्रकार, राज्य सरकार को पुलिस बल आधुनिकीकरण के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की समीक्षा और कमियों को दूर करने के लिए एक समयबद्ध रणनीति विकसित करने की जरूरत थी।

## शिक्षा विभाग

### 3.4 माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

#### 3.4.1 परिचय

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ग IX से XII में पढ़ने वाले बच्चों को समाविष्ट करता है (अर्थात् वर्ग IX एवं X का गठन माध्यमिक स्तर जबकि वर्ग XI एवं XII उच्च माध्यमिक स्तर को निर्दिष्ट करता है)। इस कार्यालय द्वारा मार्च से अगस्त 2010 तक 'माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम' पर वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 अवधि का निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया था तथा 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), बिहार सरकार में शामिल किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई सभी पाँच अनुशंसाएँ शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार्य किये गये थे। ये अनुशंसाएँ निम्न प्रकार थे:

- छात्र संख्या, मूलभूत सुविधा और मानवबल से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ों पर सामरिक दीर्घकालिक योजना तथा विस्तृत वार्षिक योजना सुनिश्चित करने हेतु विभाग को योजना पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए;
- वित्त पोषण एवं वित्तीय प्रबन्धन कार्यक्रम के अनुरूप उचित और प्रासंगिक होना चाहिए;
- आवश्यक मूलभूत सुविधा, विषयवार शिक्षक और शिक्षण में मददगार सामग्री विद्यालयों को दी जानी चाहिए;
- कम्प्यूटर एवं व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए; और
- एक प्रभावी अनुश्रवण पद्धति को जगह दी जानी चाहिए एवं समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।


शिक्षा विभाग द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के स्वीकृति अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के प्रगति को आँकने के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी।

#### 3.4.2 अनुवर्ती लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी अन्य पदाधिकारियों का ब्यौरा चार्ट सं.-3.4.1 में दिया गया है:-

## चार्ट सं.—3.4.1

## माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु उत्तरदायी पदाधिकारी



(स्रोत: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय )

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक (डी.एस.ई.) एवं बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद<sup>57</sup> (बी.एम.एस.पी.) के अभिलेखों का जाँच किया गया। जिला स्तर पर, 38 जिलों में से 10<sup>58</sup> जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (लेखा एवं योजना, स्थापना एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक) के अभिलेखों का जाँच किया गया। नमूना—जाँच हेतु लिए गए जिले वही थे जो कि पूर्व के निष्पादन लेखापरीक्षा में लिए गए थे। इसके अतिरिक्त, 1,667 माध्यमिक विद्यालयों में से 78 (**परिशिष्ट—3.4.1**) का (प्रत्येक जिला के पाँच प्रतिशत विद्यालयों का चयन सिम्पल रैम्ड सैम्प्ल विदाउट रिप्लेसमेंट विधि से किया गया था) भी नमूना जाँच, चयनित जिलों में किया गया था।

### 3.4.3 विभाग द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं का अनुपालन

निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति अनुगामी कंडिकाओं में दिया गया है:

<sup>57</sup> बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे एवं कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली संस्था है।

<sup>58</sup> बेगुसराय, भागलपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सारण एवं वैशाली

### 3.4.3.1 सामरिक दीर्घकालिक योजना तथा वार्षिक योजना तैयार करना

**स्वीकृत अनुशंसा 1:-** छात्र संख्या, मूलभूत सुविधा और मानवबल से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ों पर सामरिक दीर्घकालिक योजना तथा विस्तृत वार्षिक योजना सुनिश्चित करने हेतु विभाग को योजना पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए


#### परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजना तैयार करना

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (बी.एम.एस.पी.) की सहायता से शिक्षा विभाग, द्वारा वर्ष 2009-22 की अवधि के लिए माध्यमिक शिक्षा का परिप्रेक्ष्य योजना तैयार (2009) किया गया। योजना की रूपरेखा, माध्यमिक शिक्षा प्रबन्धन सूचना पद्धति (सेमिस) वर्ष 2007-08 के डाटा के विश्लेषण के आधार पर अंगीकृत किया गया था। आगे, यह भी पाया गया कि वर्ष 2011-12 से बी.एम.एस.पी. द्वारा एस.ई.एम.आई.एस. एवं शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना पद्धति (यू-डी.आई.एस.ई.) के डाटा के आधार पर वार्षिक योजना तैयार किया जा रहा था।

यद्यपि, वर्ष 2015-16 की अवधि के यू-डाईस आँकड़ों एवं नमूना-जाँचित जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़ों के विश्लेषण में यह उद्धारित हुआ कि दोनों स्रोतों के आँकड़े एक दूसरे से भिन्न थे जैसा कि चार्ट सं.-3.4.2 में दर्शाया गया है:-

चार्ट सं.-3.4.2

#### यू-डाईस के आँकड़ों तथा नमूना-जाँचित जिलों के आँकड़ों में विसंगति



(स्रोत: बी.एम.एस.पी. एवं जिलों से प्रदत्त आँकड़े)

**चार्ट सं.-3.4.2** यह इंगित करता है कि यू-डाईस एवं नमूना-जाँचित जिला कार्यालयों के ऑकड़ों में 16,344 छात्रों, 322 शिक्षकों तथा 1,333 वर्ग कक्षों का अन्तर था।

जवाब में, सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) गया कि यू-डाईस ऑकड़ा कैपचर प्रपत्र के संकलन कार्य में कुछ गलती की वजह से यू-डाईस डेटा बेस में अन्तर था। आगे यह भी कहा गया कि विद्यालयों के ऑकड़ों को आधार नंबर से लिंक कर दुबारा जाँच लिया जायेगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि वार्षिक योजना अभी भी विश्वसनीय ऑकड़ों के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

#### **परिप्रेक्ष्य योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ**

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए परिप्रेक्ष्य योजना में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। परिप्रेक्ष्य योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्यों तथा उसके उपलब्धियों की चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गई हैं:

#### **भौतिक सुविधाओं तथा कर्मचारियों की उपलब्धता**

परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) मानदण्डों में निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाओं, कर्मचारियों और आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 2017 तक, राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाना था। तदनुसार, छात्र/शिक्षक अनुपात 30:1, छात्र/वर्ग कक्ष अनुपात 30:1, पर्याप्त एवं पूरी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर कक्षों तथा पुस्तकालयों की सुनिश्चितता वर्ष 2017 तक सभी विद्यालयों में की जानी थी।

यद्यपि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य स्तर पर छात्र/शिक्षक अनुपात एवं छात्र/वर्ग कक्ष अनुपात क्रमशः 75:1 तथा 94:1 था, जबकि 16 प्रतिशत विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था थी। पुस्तकालय सुविधा केवल 26 प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध था (मार्च 2016)।

#### **माध्यमिक विद्यालयों तक पहुँच**

परिप्रेक्ष्य योजना वर्ष 2015 तक 16 वर्ष तक के सभी बालिकाओं एवं बालकों के लिए, माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता एवं पहुँच निर्धारित करता था। हालांकि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2015-16 में राज्य में 16-17 आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या (34.71 लाख बालिकाओं एवं बालकों का) के विरुद्ध, 5.44 लाख बालिकाओं एवं बालकों ने उच्च माध्यमिक शिक्षा<sup>59</sup> के लिए नामांकन कराया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा कहा (नवम्बर 2016) गया कि 200 मॉडल विद्यालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया था परन्तु इन विद्यालयों का परिचालन, भारत सरकार द्वारा परिचालन की नीतियों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण नहीं किया जा सका था। लक्ष्य प्राप्ति की कमी के अन्य कारणों में निधि की कमी थी।

लक्षिय मूल्यों (वर्षवार) तथा उसके विरुद्ध मुख्य घटकों की उपलब्धियाँ 31 मार्च 2016 तक, जैसा कि तालिका सं.-3.4.1 में इंगित किया गया था:-

<sup>59</sup> आर.एम.एस.ए. मैनुअल के अनुसार, माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों की सामान्य आयु वर्ग 14-15 जबकि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए 16-17 है।

### तालिका सं.-3.4.1

#### लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्र. सं.	परिणाम संकेतक	आधार लाइन	लक्ष्य			उपलब्धियाँ 2015-16 तक	अभियुक्तियाँ
		2007-08	2011-12	2016-17			
1	सभी ग्राम पंचायत को माध्यमिक विद्यालयों से आच्छादित करना (प्रतिशत में)	75	90	100	65	35 प्रतिशत ग्राम पंचायत में अभी तक माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाना था।	
2	मॉडल विद्यालय: 2012 तक 200	कोई नहीं	230	अनुपलब्ध	0	लक्ष्य प्राप्ति में प्रगति नहीं	
3	शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंड (ई.बी.बी.) में मध्य विद्यालयों का उन्नयन	कोई नहीं	1,500	6,000	3,185	वर्ष 2011-12 का लक्ष्य प्राप्त	
5	ई.बी.बी.. के माध्यमिक विद्यालयों में बालिका छात्रावास	कोई नहीं	100	0	100	स्वीकृत 292 में से 100 बालिका छात्रावास निर्मित एवं कार्यरत तथा 192 बालिका छात्रावास निर्माणाधीन	
6	समग्र नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)	30.2	42.4	64	77	लक्ष्य प्राप्त	
7	मध्य से माध्यमिक के बीच संक्रमण दर (प्रतिशत में)	83	92	95	84	यद्यपि वर्ष 2011-12 में 92 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाना था जो प्राप्त नहीं था	
8	माध्यमिक स्तर पर अवधारण (जीवित रहने का दर) (प्रतिशत में)	95	99	99	100	लक्ष्य प्राप्त	
9	माध्यमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में कमी किया जाना (प्रतिशत में)	5	2.50	1	0	लक्ष्य प्राप्त	

(स्रोत: वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 एवं बी.एम.एस.पी. द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

**तालिका सं.-3.4.1** से देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था, जिस कारण 35 प्रतिशत ग्राम पंचायत माध्यमिक विद्यालय से समाविष्ट किया जाना था, 192 बालिका छात्रावास निर्माणाधीन थे इत्यादि।

इस प्रकार, यह पूर्ववर्ती कंडिका से स्पष्ट था कि यद्यपि विभाग द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार किया गया था, परन्तु योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था तथा इसके परिणामस्वरूप, माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु परिकल्पित लक्ष्य पूरा नहीं किया गया था।

#### 3.4.3.2 वित्तीय प्रबन्धन

**स्वीकृत अनुशंसा 2:- वित्त पोषण एवं वित्तीय प्रबन्धन कार्यक्रम के अनुरूप उचित और प्रासारिक होना चाहिए।**


#### बजट शीर्ष के अंतर्गत बचत

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि विभाग द्वारा तैयार किया गया बजट अवास्तविक था जो कि वित्तीय वर्ष 2005-10 के दौरान योजना शीर्ष में 51 प्रतिशत बचत तथा गैर योजना शीर्ष में 15 प्रतिशत बचत से स्पष्ट था।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2011-16 अवधि के दौरान विभाग द्वारा अपने वित्तीय प्रबन्धन में सुधार नहीं किया जा सका था। विवरणी चार्ट सं.-3.4.3 में दी गई है।

### चार्ट सं.-3.4.3

#### बजट प्रावधान एवं व्यय



(स्रोत: डी.एस.ई. द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

विभाग के योजना एवं गैर-योजना शीर्ष दोनों में छ: और 33 प्रतिशत के बीच का बचत पाया गया। जैसा कि बजट के घटक<sup>60</sup> जिलों के वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं थे, योजना एवं गैर योजना शीर्ष में बचतें हुई थीं तथा आवंटित निधि का उपयोग किया जाना शेष था। इसके अतिरिक्त, योजना शीर्ष में नये विद्यालय भवनों एवं अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण के प्रगति में विलम्ब के फलस्वरूप बचते हुई थी। ठीक इसी प्रकार से, नमूना-जाँचित जिलों में योजना एवं गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः दो से 34 प्रतिशत तथा पाँच से 12 प्रतिशत बचतें पाई गई थीं (परिशिष्ट-3.4.2)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव, शिक्षा विभाग, द्वारा आश्वस्त (नवम्बर 2016) किया गया कि अनुगामी वर्षों में स्थिति में सुधार का प्रयास किया जायेगा।

#### व्यय का मिलान

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार, विभाग के लेखा में संधारित व्यय राशि का मिलान राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा संधारित व्यय राशि से प्रत्येक माह के आधार पर कराया जाय। यदि किसी कारण से प्रत्येक माह यह मिलान न हो पाये तो नियंत्री पदाधिकारी को एक सहायक की प्रतिनियुक्ति इस कार्य

<sup>60</sup> साइकिल योजना, पोशाक योजना, नेपकिन योजना, प्रोत्साहन योजना एवं स्थापना का गैर-योजना शीर्ष

हेतु प्रत्येक तीसरे माह के उपरांत तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में की जानी चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के लेखों से नहीं किया जा रहा था। दोनों कार्यालयों के लेखों के बीच ₹ 11,445 करोड़, ₹ 11,552 करोड़ तथा ₹ 14,298 करोड़ का अंतर क्रमशः वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के दौरान था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव, शिक्षा विभाग, द्वारा कहा (नवम्बर 2016) गया कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के लेखों से प्राप्तियों एवं व्यय के मिलान हेतु एक अभियान शुरू किया जाएगा। इस प्रकार, अनुशंसा स्वीकार किए जाने के बावजूद, विभाग द्वारा वित्त पोषण एवं वित्तीय प्रबन्धन से संबंधित मुद्दों में सुधार हेतु कदम उठाया जाना अभी भी बाकी था।

### 3.4.3.3 विद्यालय में मूलभूत सुविधा, विषयवार शिक्षक और शिक्षण में मददगार सामग्री

**स्वीकृत अनुसंशा 3:- आवश्यक मूलभूत सुविधा, विषयवार शिक्षक और शिक्षण में मददगार सामग्री को विद्यालयों में दी जानी चाहिए।**

विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत को माध्यमिक विद्यालय से समाविष्ट करने का निर्णय (जुलाई 2013) लिया गया। इस उद्देश्य के लिए, कुछ मध्य विद्यालयों को भी माध्यमिक शिक्षा हेतु उत्क्रमित किये जाने थे एवं इन्हें आवश्यक आधारभूत संरचना (आठ वर्ग कक्ष सहित 15 कमरे) एवं शिक्षकों (कम-से-कम ४: माध्यमिक फ़िक्षकों) से सुसज्जित करना था।

बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अभिलेखों की संवीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि राज्य में नामांकित 5226 माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या वर्ष 2015-16 (28.88 लाख छात्रों) में वर्ष 2009-10 (16.16 लाख छात्रों) में नामांकित छात्रों की तुलना में 79 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी (मार्च 2016 तक) हुई थी। हालांकि, यह पाया गया कि 8,429 ग्राम पंचायतों में से 2,939 में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं था और वर्ष 2009-16 के दौरान केवल 2,289 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया था (परिशिष्ट-3.4.3)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव, शिक्षा विभाग, द्वारा कहा (नवम्बर 2016) गया कि मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु पहचान किए जाने का कार्य पूरा हो चुका है एवं क्रमवार कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा भविष्य में स्थिति में सुधार किया जायेगा।


#### विद्यालय में आधारभूत संरचना की उपलब्धता

आर.एम.एस.ए. के वर्णित मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम चार वर्ग कक्षों (अर्थात् प्रत्येक 30 छात्र के लिए एक वर्ग कक्ष) प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय को छोड़कर होना चाहिए। छात्र विद्यालय में पर्याप्त आधारभूत संरचना के अभाव में उचित शैक्षणिक सुविधाओं तथा वातावरण से वंचित थे।

नमूना-जाँचित जिलों में निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुवर्ती लेखापरीक्षा के बीच आधारभूत संरचना का तुलनात्मक व्यौरा चार्ट सं.-3.4.4 में दर्शाया गया है।

### चार्ट सं.—3.4.4

#### नमूना—जाँचित जिलों/विद्यालयों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता




(स्रोत: नमूना—जाँचित विद्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

चार्ट सं.—3.4.4 से स्पष्ट था कि नमूना—जाँचित जिलों में आधारभूत सुविधाओं जैसे वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, बिजली, बालक एवं बालिकाओं के लिए शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधाओं में सुधार किए गए थे वहीं निष्पादन लेखापरीक्षा की तुलना में कम्प्यूटर कक्ष, खेल कक्ष और प्रधानाध्यापक कक्ष की कमी में आगे प्रतिशत रूप में बढ़ोत्तरी हुई थी। यह भी देखा गया छात्रों के लिए प्रसाधनों की सुविधा में बढ़ोत्तरी विद्यालयों में हुए थे। आधारभूत सुविधाओं में कमी का मुख्य कारण निर्माण कार्य की प्रगति का धीमा होना था क्योंकि 1,153 नये विद्यालय के भवनों के निर्माण कार्यों में से 455 उत्क्रमित विद्यालयों में ही पूर्ण हुए थे। इसी प्रकार, 5,279 अतिरिक्त वर्ग कक्षों का निर्माण कार्य वर्ष 2010–12 के दौरान प्रारम्भ किए गए थे हालांकि, अभी तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ था।

आगे, नमूना—जाँचित 10 जिलों में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि छात्र वर्ग कक्ष का अनुपात समग्र रूप से 161:1 था जो कि 88:1 एवं 269:1 के बीच था (**परिशिष्ट—3.4.4**)। हालांकि, नमूना—जाँचित 78 माध्यमिक विद्यालयों में समग्र रूप से छात्र वर्ग कक्ष का अनुपात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में क्रमशः 155:1 तथा 51:1 था। पूर्व के निष्पादन लेखापरीक्षा में परिलक्षित तथा नमूना—जाँचित 78 विद्यालयों में पाये गये कक्षाओं की उपलब्धता की तुलना किए जाने पर उद्घाटित हुआ कि 17 विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं के लिए वर्ग कक्ष उपलब्ध नहीं थे, जबकि शेष 61 नमूना—जाँचित विद्यालयों में छात्र वर्गकक्ष का अनुपात कायम नहीं रखा गया था जो कि चार्ट सं.—3.4.5 में दर्शाया गया है:

**चार्ट सं.-3.4.5**  
**वर्ग IX एवं X में वर्ग कक्ष-छात्र अनुपात**



(स्रोत: नमूना-जाँचित विद्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचना) (एन.ए.=उपलब्ध नहीं)

चार्ट सं.-3.4.5 से इंगित हुआ कि वर्गकक्ष छात्राओं के अनुपात में गिरावट आया था क्योंकि उच्च वर्गकक्ष छात्राओं का अनुपात 151 से 408 पाया गया था। पूर्व के निष्पादन लेखापरीक्षा के 17 प्रतिशत के विरुद्ध 31 प्रतिशत विद्यालयों में पाया गया था। हालांकि, निम्न वर्ग कक्ष छात्राओं का अनुपात 70 से 150 पाया गया था जो कि पूर्व के निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रतिवेदित 41 प्रतिशत के विरुद्ध 27 प्रतिशत विद्यालयों में पाया गया था।

आगे, नमूना-जाँचित 10 जिलों के 757 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि उनके उन्नयन आधारभूत संरचना एवं मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना किया गया था। यह देखा गया कि 757 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में से 531 में आवश्यक भवन नहीं थे एवं 364 विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालय शिक्षक नहीं थे (परिशिष्ट-3.4.5)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव, शिक्षा विभाग, द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (नवम्बर 2016) गया कि स्थिति मुख्य रूप से निधि की कमी के कारण था जो कि आगे भारत सरकार से प्राप्त निधि से हो सकता है।

इस प्रकार, विभाग द्वारा अनुशंसा केवल आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया था।

#### **शिक्षकों की उपलब्धता**

पूर्व के निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुसार, राज्य में 22 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी थी जबकि शिक्षक छात्र अनुपात 241 नमूना-जाँचित विद्यालयों में से 97 में 1:60 तथा 1:350 के बीच में था। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत विषयवार शिक्षकों की संख्या में भी कमी जारी थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि राज्य में माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी वर्ष 2015–16 के अंत तक बढ़कर 68<sup>61</sup> प्रतिशत तक हो गई थी एवं नमूना—जाँचित 10 जिलों में यह 69 प्रतिशत तथा 57 प्रतिशत क्रमशः माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में थी। हालांकि, विषयवार शिक्षकों की कमी (कम—से—कम प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक) 10 नमूना—जाँचित जिलों में से आठ<sup>62</sup> में 10 से 62 प्रतिशत के बीच था। आगे, 78 नमूना—जाँचित विद्यालयों की संवीक्षा में पाया गया कि छ: विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालय शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किया गया था जबकि शेष 72 विद्यालयों में वर्ष 2015–16 के दौरान शिक्षक छात्र अनुपात एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता में गिरावट दर्ज की गई थी जैसा कि तालिका सं.—3.

**4.2 एवं चार्ट सं.—3.4.6 में दर्शाया गया है:-**

**तालिका सं.—3.4.2  
शिक्षक छात्र अनुपात में तुलना**

ब्योरा	नमूना—जाँचित विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में छात्रों के लिए एक शिक्षक की उपलब्धता (प्रतिशत)			
		1 से 30	31 से 60	61 से 200	201 से 350
नमूना—जाँचित विद्यालयों—31 मार्च 2010	241	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	91(38)	6(2)
नमूना—जाँचित विद्यालयों—31 मार्च 2016	78	10(13)	13(17)	44(56)	5(6)
परिवर्तन (प्रतिशत)				(+) 18	(+) 4

(स्रोत: नमूना—जाँचित विद्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

**तालिका सं.—3.4.2** इंगित करता है कि शिक्षक छात्र अनुपात 61 से 200, 56 प्रतिशत में तथा 201 से 350, छ: प्रतिशत नमूना—जाँचित विद्यालयों में पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा की तुलना में क्रमशः 38 एवं दो प्रतिशत के विरुद्ध था।

<sup>61</sup> कुल शिक्षकों की आवश्यकता = 96,283 (वर्ष 2015–16 में वर्ग IX एवं X में नामांकित कुल छात्रों को 30 छात्रों से विभाजन, अर्थात्  $28,88,496 / 30 = 96,283$ ) शिक्षकों की कमी = 65,846 (शिक्षकों कुल आवश्यकता घटाव उपलब्ध शिक्षक, अर्थात्  $96,283 - 30,437 = 65,846$ ) शिक्षकों की कमी प्रतिशत में =  $65,846 \times 100 / 96,283 = 68.39$  अर्थात् 68 प्रतिशत

<sup>62</sup> बैगुसराय, भागलपुर, कटिहार, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली (प्रत्येक विद्यालय में अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, विज्ञान और समाज अध्ययन में कम—से—कम एक माध्यमिक शिक्षक)

### चार्ट सं.-3.4.6 विषयवार माध्यमिक शिक्षकों की कमी

विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता



(स्रोत: नमूना-जाँचित विद्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

**चार्ट सं.-3.4.6** इंगित करता है कि विषयवार माध्यमिक शिक्षकों की कमी पूर्व प्रतिवेदन की तुलना में, समाज अध्ययन शिक्षकों को छोड़कर, पाँच से 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेखापरीक्षा विश्लेषण में माध्यमिक शिक्षकों की कमी का मुख्य कारण आवश्यक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रक्रियात्मक विलम्ब था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव, शिक्षा विभाग, द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि शिक्षकों की कमी को कम करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को तैनाती की जाएगी।

#### कौशल उन्नयन

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक है। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 2009–2017 परिप्रेक्ष्य फ्रेमवर्क योजना के अनुसार, व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण पद्धति के नये तकनीक हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक वर्ष सात दिनों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

नमूना-जाँचित जिलों में निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुसार, कटिहार जिले के 316 शिक्षकों को छोड़कर किसी भी शिक्षक को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। हालांकि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि “सेवाकालीन प्रशिक्षण” वर्ष 2015–16 के दौरान केवल सात प्रतिशत से 39 प्रतिशत शिक्षकों को 10 नमूना-जाँचित जिलों में दिया गया था (**परिशिष्ट-3.4.6**)।

सचिव, शिक्षा विभाग, द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन पर बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सहमति व्यक्त करते हुए कहा (नवम्बर 2016) गया कि निधि की अनुपलब्धता के कारण सभी शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका।

### 3.4.3.4 व्यावसायिक और कम्प्यूटर शिक्षा

**स्वीकृत अनुशंसा 4:- कम्प्यूटर एवं व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।**

लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा कहा गया कि केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अतिरिक्त 200 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे थे तथा बुट<sup>63</sup> मॉडल के तहत 832 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान किया जा रहा था। इस संबंध में वर्तमान स्थिति की चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गई है:

#### व्यावसायिक शिक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुसार, राज्य के 2,938 माध्यमिक विद्यालयों में से 91 में वर्षीय न्यावसायिक कोर्स प्रदान किए जा रहे थे। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुल माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 31 मार्च 2016 को 2,938 से 5,226 बढ़ोत्तरी हो गया था जबकि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे विद्यालयों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई थी। यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर, बी.एम.एस.पी. द्वारा कहा गया कि विद्यालयों में निधि की अनुपलब्धता के कारण व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ नहीं किए जा सके थे।

#### कम्प्यूटर शिक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुसार, 241 नमूना-जाँचित विद्यालयों में से 53 में वर्ष 2008–10 के दौरान कम्प्यूटर स्थापित थे जबकि केवल 31 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक उपलब्ध थे। हालांकि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जाँचित 10 जिलों में वर्ष 2011–15 के दौरान कम्प्यूटर शिक्षा 1,667 विद्यालयों में से 494 में प्रारम्भ किए गए थे, निम्न कारणों से मार्च 2016 (**परिशिष्ट-3.4.7**) के अंत तक यह केवल 210 विद्यालयों में परिचालन में थे:

- बुट मॉडल के अंतर्गत, कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण संबंधित 276 विद्यालयों को आउट सोर्सिंग ऐजेन्सी द्वारा सौंप दिए गए थे, लेकिन कम्प्यूटर शिक्षक की अनुपलब्धता के कारण 261 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान नहीं किये जा सके थे।
- पाँच चयनित जिलों<sup>64</sup> के 23 विद्यालयों में, कम्प्यूटर चोरी की सूचना प्रतिवेदित की गई थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव, शिक्षा विभाग, द्वारा कहा गया (नवम्बर 2016) कि कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय मामला है, तथा मामले का अन्वेषण किया जायेगा एवं भविष्य में स्थिति में सुधार किए जायेंगे।

<sup>63</sup> बुट मॉडल—बिल्ट ऑन ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर मॉडल

<sup>64</sup> बैगूसराय (3), मुजफ्फरपुर (5), नालंदा (3), समस्तीपुर (7) एवं वैशाली (5)

### 3.4.3.5 अनुश्रवण पद्धति

**स्वीकृत अनुसंशा 5:-** एक प्रभावी अनुश्रवण पद्धति को जगह दी जानी चाहिए, इसके लिए प्रतिवेदन का मूल्यांकन एवं ससमय सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

वर्ष 2010 के दौरान किये गये गए निष्पादन लेखापरीक्षा में यह उदघाटित हुआ कि प्रशासनिक एवं वित्तीय निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं किए गए थे। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा किसी भी नमूना-जाँचित जिलों में प्रशासनिक एवं वित्तीय निरीक्षण वर्ष 2011–15 के दौरान नहीं किए गए थे। वर्ष 2015–16 में 1,667 विद्यालयों में से केवल 58 में निरीक्षण जिले के अधिकारियों द्वारा किए गए थे। वर्ष 2011–14 के दौरान जिले के अधिकारियों द्वारा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था (परिशिष्ट-3.4.8)।

जवाब में, सचिव, शिक्षा विभाग, द्वारा कहा गया (नवम्बर 2016) कि माध्यमिक विद्यालयों के प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली का विकास अग्रिम चरण में है।

### 3.4.4 निष्कर्ष

मार्च 2010 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) में प्रतिवेदित ‘माध्यमिक शिक्षा योजना’ के निष्पादन लेखापरीक्षा के स्वीकृत अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी कदम शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया।

शिक्षा विभाग न तो माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना में सुधार किया न ही वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन लागू किया। परिणामतः 22 प्रतिशत नमूना-जाँचित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा हेतु वर्गकक्ष नहीं थे एवं छ: से 33 प्रतिशत प्रावधानित बजट बिना खर्च किये रह गए।

विभाग ने किसी भी माध्यमिक विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा शुरू करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। नमूना-जाँचित जिलों में कम्प्यूटर शिक्षा 1667 विद्यालयों में से केवल 210 विद्यालयों में उपलब्ध कराया गया था।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण पद्धति विभाग द्वारा अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका था क्योंकि नमूना-जाँचित जिलों में वर्ष 2011–14 के दौरान जिले के अधिकारियों द्वारा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था जबकि वर्ष 2015–16 के दौरान केवल तीन प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण किया गया था।

इसके अलावा, विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के अपने संकल्प को क्रियान्वित नहीं किया गया।

### 3.5 कपटपूर्ण भुगतान/दुर्विनियोजन हानियाँ

#### स्वास्थ्य विभाग

##### 3.5.1 कपटपूर्ण निकासी

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों, असैनिक शल्य चिकित्सकों और कोषागारों द्वारा अनुश्रवण के अभाव, लापरवाही एवं विहित नियमों के अनुपालन एवं नियंत्रण में विफलता ने ₹1.66 करोड़ की अवैध निकासियों को सहायतित किया। इसके अलावा, ₹9.03 करोड़ के व्यय के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) का नियम 452 सहपठित नियम 34 यह अनुबंधित करता है कि सरकारी धन को खर्च के लिए जिम्मेवार प्रत्येक पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त वित्तीय लेन-देनों के लिए उचित लेखे विवरणी के साथ संधारित की गई है। इसके अलावा, प्रत्येक सरकारी सेवक कपटपूर्ण अथवा अपने पक्ष की लापरवाही के कारण सरकार को हुई हानि के लिए वैयक्तिक रूप से जिम्मेवार होंगे। बिहार कोषागार संहिता (बि.को.सं.) 2011 का नियम 110 (ब) यह अनुबंधित करता है कि कोषागार द्वारा यथोचित रूप से पारित विपत्र को भुगतान की सूचना के साथ बैंक को भेज दिया जाएगा, जिसे प्राप्तकर्ता के उचित निर्वहन पर भुगतान कर दिया जाएगा।

तीन<sup>65</sup> प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.) एवं अनुमंडलीय अस्पताल (अनु.अस.), पालीगंज के अभिलेखों के नमूना-जाँच में उद्घाटित (जनवरी 2016, मार्च 2016 एवं जून 2016) हुआ कि संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (नि. एवं व्य.पदा.), असैनिक शल्य चिकित्सकों (असै.श.चि.) तथा कोषागार पदाधिकारियों (को.पदा.) की लापरवाही (**परिशिष्ट 3.5.1**) से निम्नलिखित कपटपूर्ण निकासियाँ सहायतित हुईः

- वेतन, बकाया वेतन, समूह बीमा (स.बी.), मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (मृ.स.से.उपा.) अवकाश नकदीकरण, सामान्य भविष्य निधि (स.भ.नि.) से अग्रिम/अंतिम निकासी इत्यादि से संबंधित ₹1.66 करोड़<sup>66</sup> की राशि को 91 विपत्रों के माध्यम से संबंधित कर्मियों के अलावे 18 अन्य व्यक्तियों के खातों में संबंधित नि. एवं व्य.पदा. द्वारा स्थानांतरित कर दिए गए थे (**परिशिष्ट 3.5.2**)।
- संबंधित नि. एवं व्य.पदा. द्वारा फरवरी 2010 से जनवरी 2015 के मध्य वेतन, बकाये वेतन, मजदूरी, औपर्बंधित पेंशन आदि से संबंधित कोषागार से निकासी की गई राशि ₹3.26 करोड़<sup>67</sup> की जानकारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी (**परिशिष्ट 3.5.3**)। इस राशि के पूर्ण अथवा आंशिक दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार<sup>68</sup> नहीं किया जा सकता।

<sup>65</sup> अतिरिक्त प्रा.स्वा.के. के साथ बोधगया (चेरकी तथा खजवठी), पालीगंज (पटना) तथा सहदेह बुर्जुग (वैशाली)

<sup>66</sup> ₹43.80 लाख (प्रा.स्वा.के. पालीगंज), परिशिष्ट-3.5.2 (i); ₹1.56 लाख (अनु.अस. पालीगंज), परिशिष्ट-3.5.2 (ii); ₹29.32 लाख (प्रा.स्वा.के. सहदेह बुर्जुग), परिशिष्ट-3.5.2 (iii); ₹91.76 लाख (प्रा.स्वा.के. बोधगया), परिशिष्ट-3.5.2 (iv)

<sup>67</sup> ₹2.83 लाख (प्रा.स्वा.के. अनु.अस. पालीगंज), परिशिष्ट-3.5.3 (i); ₹3.23 करोड़ (प्रा.स्वा.के. बोधगया), परिशिष्ट-3.5.3 (ii)

<sup>68</sup> प्रा.स्वा.के. बोधगया में ₹4.73 करोड़ अभिलेखित नहीं था। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा कोषागार से ₹1.50 करोड़ का स्क्रीन शॉट प्राप्त किया गया जिसमें ₹1.29 करोड़ (86 प्रतिशत) की कपटपूर्ण निकासी की गई। जिसमें से ₹91.76 लाख लेखापरीक्षा के द्वारा खोजा गया जिसे परिशिष्ट 3.5.2 (iv) में शामिल किया गया जबकि शेष राशि ₹37.54 लाख को पूर्व में विभाग द्वारा खोजा गया था।

- अभिलेखों में ₹5.77 करोड़<sup>69</sup> के व्यय के संबंध में साक्ष्य यथा अभिश्रव, वेतन नामावलियाँ आदि नहीं पाए गए थे। (परिशिष्ट 3.5.4)

इसे इंगित किए जाने पर विभाग<sup>70</sup> ने निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई एवं अगस्त 2016) कि प्रा.स्वा.के., बोधगया में किए गए कपट के संबंध में जून 2016 में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। सहदेह बुजुर्ग के नि. एवं व्य.पदा.<sup>71</sup> जिनके विरुद्ध विभागीय जाँच विचाराधीन था, को छोड़कर अन्य सभी संबंधित नि.एवं व्य.पदा. को निलंबित कर दिया गया था(अगस्त 2016)। अन्य जुड़े कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की गई है (जून 2016)। शल्य चिकित्सक, गया एवं पटना को संबंधित कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेश (अगस्त 2016) दिया गया। आगे, यह बताया गया कि अपराध अन्वेषण इकाई (अप.अन्वे.इ.) या आर्थिक अपराध इकाई (आ.अप.इ.) द्वारा अन्वेषण कराये जाने हेतु पालीगंज से संबंधित मामले को गृह विभाग के संज्ञान में लाया गया (जुलाई 2016) था।

इस प्रकार, संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों, असैनिक शल्य चिकित्सकों, कोषागारों द्वारा अनुश्रवण के अभाव, लापरवाही एवं विहित नियमों के अनुपालन एवं नियंत्रण में विफलता ने ₹1.66 करोड़<sup>72</sup> की अवैध निकासियों को सहायतित किया। इसके अलावा, ₹9.03 करोड़<sup>73</sup> के व्यय के साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं थे। विभाग द्वारा प्रा.स्वा.केन्द्र. में इसी प्रकार के कपटपूर्ण निकासी के मामले पाया जाना क्रमागत विफलता एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाते हैं।

## ग्रामीण विकास विभाग

### 3.5.2 सरकारी राशि का दुर्विनियोजन

आंतरिक नियंत्रण की कमी के साथ—साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व जिला प्रशासन की ओर से वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में की गयी लापरवाही के फलस्वरूप ₹81.57 लाख की सरकारी राशि का दुर्विनियोजन हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 34 यह उल्लेखित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पूर्णतः एवं स्पष्टतः जानकारी होनी चाहिए कि उनकी ओर से की गयी कपट अथवा लापरवाही से सरकार को हुई किसी भी प्रकार की हानि के लिए उन्हें ही व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी माना जाएगा व किसी अन्य कर्मचारी की तरफ से भी की गई कपट अथवा लापरवाही के फलस्वरूप हानि में वह उस हद तक व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी माना जाएगा जिस हद तक उसकी कार्रवाई अथवा लापरवाही प्रकट हो।

प्रखण्ड व अंचल कार्यालय, पतरघाट, जिला सहरसा के बाढ़ राहत विमुक्ति से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2013) एवं अनुवर्ती लेखापरीक्षा (जनवरी—जून 2015 एवं जनवरी 2016) में यह उद्घाटित हुआ कि अंचल अधिकारी (अ.अ.), पतरघाट जो प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.पदा.) के प्रभार में भी थे, के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग (आ.प्र.वि.), बिहार सरकार (बि.स.) के निर्देशों (अगस्त 2007 तथा सितंबर 2008)

<sup>69</sup> प्रा.स्वा.के. बोधगया, ₹15.68 लाख, ₹3.71 लाख, ₹5.58 करोड़, परिशिष्ट-3.5.4 (i,ii,iii)

<sup>70</sup> विशेष कार्य पर अधिकारी (प्रा.स्वा.के. पालीगंज तथा प्रा.स्वा.के. सहदेह बुजुर्ग के संबंध में), अतिरिक्त सचिव (प्रा.स्वा.के. बोधगया के संबंध में)

<sup>71</sup> डॉ. विनोद कुमार वर्मा, डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ. उदय नारायण सिन्हा तथा डॉ. उमेश कुमार वर्मा (बोधगया), डॉ. चन्द्रदीप कुमार, डॉ. अर्जुन प्रसाद साहु (पालीगंज)

<sup>72</sup> ₹2.98 करोड़ (प्रा.स्वा.के. तथा अनु.अस., पालीगंज), ₹0.11 करोड़ (प्रा.स्वा.के. सहदेह बुजुर्ग) और ₹1.13 करोड़ (प्रा.स्वा.के. बोधगया)

<sup>73</sup> ₹3.26 करोड़ + ₹5.77 करोड़

के आलोक में ₹2,250<sup>74</sup> नकद प्रति परिवार की दर से बाढ़ पीड़ितों को राहत—केन्द्रों<sup>75</sup> पर राशि वितरण करवाने हेतु प्रखण्ड के नाजिर<sup>76</sup> को निर्देश दिया था (सितंबर 2008)। इस प्रयोजनार्थ, ₹6.92 करोड़<sup>77</sup> की राशि नाजिर को उपलब्ध कराई (सितंबर 2008 से फरवरी 2009) गई। इनमें से ₹6.20 करोड़ की राशि का भुगतान 13 सरकारी पदाधिकारियों व दो निजी पक्षों को सितंबर 2008 से जून 2009 के दौरान किया गया (परिशिष्ट-3.5.5)। नाजिर तथा व्यक्तियों जिन्हें उक्त राशि उपलब्ध करायी गई थी, के द्वारा मात्र ₹6.10 करोड़<sup>78</sup> का समायोजन विपत्र जमा किया गया एवं उन्हें अक्टूबर 2009 से दिसंबर 2015 के दौरान समायोजित कर लिया गया। आगे, बाढ़ राहत से संबंधित कोई भी विपत्र प्र.वि.पदा. व अ.आ. कार्यालय में समायोजन हेतु न ही प्रेषित किये थे और न ही लंबित थे। इस प्रकार, ₹81.57 लाख<sup>79</sup> की राशि नाजिर एवं 13 सरकारी पदाधिकारियों में से सात जिन्हें राहत वितरण हेतु राशि प्रदान की गई थी के पास रहा।

उक्त मामले को लेखापरीक्षा द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, (ग्रा.वि.वि.) की जानकारी (फरवरी 2015) में लाया गया। सचिव, ग्रा.वि.वि. द्वारा निर्देशित (जून 2015) किए जाने पर जिलाधिकारी ने मामले की जाँच हेतु एक समिति का गठन (जून 2015) किया। समिति ने पाया (अक्टूबर 2015) कि बाढ़ राहत के लिए धन की निकासी व व्यय से संबंधित लेखाओं के संधारण में गंभीर अनियमितताएँ बरती गई थी तथा इसके लिए प्र.वि.पदा. को जिम्मेवार ठहराया गया था। समिति ने आगे तत्कालीन नाजिर से ₹34.05 लाख तथा ₹60.34 लाख उन व्यक्तियों से जिन्हें तत्कालीन नाजिर द्वारा राशि का भुगतान किया गया था, से वसूलने की अनुशंसा की। तदनुसार, नाजिर के पास लंबित ₹12.81 लाख की राशि का समायोजन (दिसम्बर 2015) कर लिया गया था। प्र.वि.पदा. ने सात दोषी सरकारी पदाधिकारियों को राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत (जनवरी 2016) किया। लेकिन, राशि वसूली नहीं की जा सकी (जूलाई 2016)। सचिव, ग्रा.वि.वि. ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया (नवम्बर 2016) कि वे मामले को उच्च प्राथमिकता दें। यद्यपि, अग्रिम दिए जाने के छः वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी राशि लंबित रहा (नवम्बर 2016)।

इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण में कमी के साथ—साथ प्र.वि.पदा. एवं जिला प्रशासन की ओर से वित्तीय नियमावली के सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में की गयी लापरवाही के फलस्वरूप ₹81.57 लाख की सरकारी राशि का दुर्विनियोजन हुआ।

<sup>74</sup> ₹1000 वस्त्रों के लिए, ₹1000 बर्टन/घरेलु सामान तथा ₹250 नकद सहायता

<sup>75</sup> मध्य विद्यालय पतरघट; कोसी निरीक्षण भवन, पस्तपार; मध्य विद्यालय, सबेसा (धबोली पूर्व); मध्य विद्यालय किशनपुरहाट; पैक्स सहकारिता भवन जमहर; मध्य विद्यालय, कपसिया; मध्य विद्यालय, गोलमा पश्चिमी; मध्य विद्यालय, पामा

<sup>76</sup> श्री राजेश कुमार वर्मा

<sup>77</sup> प्रखण्ड द्वारा संधारित झंदिरा आवास योजना (झंआयो.) व विधायक निधि योजना की राशि विचलन द्वारा ₹2.64 करोड़ एवं अंचल कार्यालय के आपदा प्रबंधन खाता से ₹2.68 करोड़ नकद एवं ₹1.60 करोड़ चेक द्वारा

<sup>78</sup> ₹5.60 करोड़ (15 व्यक्तियों), ₹0.50 करोड़ (नाजिर)

<sup>79</sup> ₹21.23 लाख (नाजिर), ₹60.34 लाख (15 व्यक्तियों में से 7 व्यक्ति)

## पर्यावरण एवं वन विभाग तथा जल संसाधन विभाग

### 3.5.3 नदी तट में वन / भूमि की हानि

**नदी तट में वन/भूमि के कटाव के विरुद्ध समय उपाय नहीं होने तथा पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की लापरवाही के कारण लगभग ₹621.47 करोड़ की लागत की वन एवं भूमि संपदा का कटाव हुआ।**

भारत सरकार ने व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत 898.937 वर्ग किलोमीटर में वाल्मीकी व्याघ्र रिजर्व (वा.व्या.रि.) का गठन (मार्च 1994) किया। बिहार में वर्ष 1994 तक व्याघ्र परियोजना का प्रबंधन बिहार राज्य वन विकास निगम के द्वारा तथा इसके बाद से पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार (बि.स.) के द्वारा किया जाता है। व्याघ्र परियोजना निदेशालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तकनीकी दिशा-निर्देश, बजटीय सहयोग, समन्वय, अनुश्रवण तथा परियोजना मूल्यांकन के लिए जिम्मेवार है। आगे, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2006 की धारा 38 (V) यह अनुबंधित करता है कि व्याघ्र रिजर्व की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार व्याघ्र संरक्षण योजना के साथ कर्मचारी-वर्ग विकास तथा तैनाती योजना तैयार करेगा तथा बाधों के जीवित जनसंख्या आबादी सह-शिकारियों तथा शिकार जानवर के लिए प्राकृतिक शिकारी परिस्थितिक चक्र में बिना तोड़-मरोड़ के स्थल विशिष्ट आवास इनपुट उपलब्ध कराएगा।

प्रमंडलीय वन पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकी व्याघ्र सुरक्षा परियोजना प्रमंडल-II, बेतिया (प्र.वन.पदा.) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित (मई 2015) हुआ कि वाल्मीकी व्याघ्र रिजर्व के उत्तर पश्चिम कोने के वन क्षेत्र का क्षरण 20 वर्षों से हो रहा था, जिसका प्रभाव मदनपुर क्षेत्र के भूमि-भाग के बड़े क्षेत्र, वन एवं जंगली जीवन पर पड़ रहा था। आगे, गंडक नदी के पश्चिमी तट पर रिटेनिंग वॉल के साथ 12 स्पर<sup>80</sup> का निर्माण सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, जिसके कारण नदी की धारा पूरब की ओर मुड़ गई। परंतु, जल संसाधन विभाग (जल.सं.वि.) द्वारा नदी के पूर्वी भाग में समान स्थायी संरचना के निर्माण की असफलता के परिणामस्वरूप भूमि का कटाव तथा वन भूमि का क्षरण हुआ। इस तरह से एक तात्कालिक कदम के रूप में प्रमंडलीय वन पदाधिकारी (प्र.वन.पदा.) ने अधीक्षण अभियंता (अधी.अभि.) शीर्ष कार्य अंचल, वाल्मीकीनगर तथा कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिम नहर प्रमंडल, वाल्मीकीनगर को स्पर, रिटेनिंग वॉल का निर्माण तथा तार जाली संरचना के निर्माण कर कटाव को रोकने के लिए निवेदन (अगस्त 2015) किया। प्र.वन.पदा. ने मुख्य वन संरक्षक को भी विस्तृत कार्य योजना सौपा (अक्टूबर 2005)। फिर भी वन संरक्षक के द्वारा वर्ष 2012 तक कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। प्र.वन.पदा. तथा मुख्य वन संरक्षक, वा.व्या.रि. के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2016 तक 1078 हेक्टेयर वनभूमि का कटाव हो चुका था। 1078 हेक्टेयर वन क्षेत्र तथा क्षडित भूमि अप्रैल 2013, मई 2013 तथा दिसम्बर 2016) की कुल लागत क्रमशः ₹562.18 करोड़<sup>81</sup> तथा ₹59.29 करोड़<sup>82</sup> थी।

<sup>80</sup> स्पर—यह एक रैखीक संरचना है जो कि चैनल में उभार के रूप में रहती है जिसका प्रयोजन धारा की दिशा में बदलाव, जिसमें निष्केप समिलित है या तट के किनारे धारा की गति को कम करना होता है।

<sup>81</sup> क्षडित क्षेत्र का वानस्पतिक घनत्व 0.7 था एवं इसलिए यह सघन वनक्षेत्र की श्रेणी में था। इसके लिए प्रति हेक्टेयर शुद्ध वर्तमान मूल्य ₹10.43 लाख निर्धारित था। चूँकि यह क्षेत्र वन रिजर्व के अंतर्गत था, इस क्षेत्र का दर निर्धारित प्रति हेक्टेयर शुद्ध वर्तमान मूल्य का पाँच गुणा था। इसलिए, 1078 हेक्टेयर क्षडित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य 1078 हेक्टेयर × ₹10.43 लाख × 5 = ₹562.18 करोड़ था।

<sup>82</sup> 1078 हेक्टेयर क्षडित भूमि की कुल लागत ₹550000 की दर से ₹59.29 करोड़ था।

इसे इंगित किये जाने पर, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग (जल.सं.वि.) ने जवाब दिया (जून 2016 तथा अगस्त 2016) कि मु.अभि., जल.सं.वि. वाल्मीकीनगर को समस्या के स्थायी समाधान के लिए स्थल निरीक्षण के उपरांत एक कार्यकारी योजना बनाने हेतु निर्देशित (नवम्बर 2012) किया गया था। कटाव निरोधी कार्य के लिए तीन बार निविदा भी आमंत्रित किया गया था किन्तु तकनीकी कारणों से इसे रद्द कर दिया गया। अंततः, विभागीय निविदा समिति ने बाढ़ वर्ष 2016 के दौरान स्थल को बाढ़ निरोधी कार्य द्वारा सुरक्षित करने का निश्चय किया। स्थल की स्थिति को देखते हुये बाढ़ अवधि 2016 में क्षरण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जायेगें। यद्यपि, अभी तक (अगस्त 2016) वनक्षेत्र के कटाव को रोकने हेतु कोई भी प्रभावशाली कदम जल.सं.वि. द्वारा नहीं उठाया गया था।

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जवाब (नवम्बर 2016) दिया गया कि वन–संरक्षक–सह–निर्देशक, वाल्मीकी व्याघ्र रिजर्व, बेतिया द्वारा मु.अभि., जल.सं.वि. को वृहत् एवं अत्यंत तकनीकी कटाव–निरोधी कार्य प्रारंभ करने हेतु निवेदन किया गया था क्योंकि जल.सं.वि. को मानसून अवधि के दौरान नदी में जल प्रवाह की प्रकृति एवं सीमा की जानकारी थी। यह भी सूचित किया गया कि जल.सं.वि. ने गंडक नदी के अनुप्रवाह में 3700 मीटर में कटाव निरोधी योजना बनाया जो वन भूमि के अग्रेतर कटाव को रोकेगा।

इस प्रकार, समायोचित कटाव निरोधी कदम के अभाव तथा पर्यावरण एवं वन विभाग की लापरवाही के फलस्वरूप ₹621.47 करोड़ मूल्य के वन एवं भू–संपदा का क्षरण हुआ। जल.सं.वि. द्वारा किसी स्थायी संरचना को नहीं बनाने के फलस्वरूप वाल्मीकी व्याघ्र रिजर्व की वन एवं भू–संपदा आगे के लिए भी कटाव से असुरक्षित रहा।

### उद्योग विभाग

#### 3.5.4 ब्याज की हानि

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के विपरीत आधारभूत विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा ₹308.96 करोड़ की राशि को 161 दिनों तक राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता से बाहर रखा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹5.45 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

उद्योग विभाग, बिहार सरकार (बि.स.) का संकल्प (मार्च 2011) अनुबंधित करता है कि आधारभूत विकास प्राधिकरण (आ.वि.प्राधि.) को भूमि के अधिग्रहण और निष्पादन हेतु निधि का नियंत्रण तथा प्रबंधन करना चाहिए। आ.वि.प्राधि. द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं निष्पादन हेतु जिला प्रशासन को स्थानान्तरित की जाने वाली राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत बैंक खाता में रखना चाहिए और प्राप्त ब्याज, निधि का अभिन्न अंग होना चाहिए।

कार्यालय, जिला पदाधिकारी (जि.पदा.), भागलपुर के अभिलेखों के नमूना–जाँच में यह उद्घाटित (मई 2015) हुआ कि आ.वि.प्राधि. ने वित्तीय वर्ष 2010–15 के दौरान भागलपुर जिले के पीरपेती में थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए 1179.08 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर को ₹821.68 करोड़<sup>83</sup> की राशि विमुक्त किया। ₹210.36 करोड़<sup>84</sup> की राशि भूमि अधिग्रहण हेतु उपयोग की गई तथा ₹302.36 करोड़ आगे भूमि अधिग्रहण हेतु जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी (जि.भू.अ.अधि.) को स्थानान्तरित की गई। शेष ₹308.96 करोड़ की राशि डिमांड ड्राफ्ट (डि.ड्रा.)

<sup>83</sup> ₹50.00 करोड़ (दिसम्बर 2010); ₹160.36 करोड़ (मार्च 2011); ₹308.96 करोड़ (जनवरी 2014); ₹302.36 करोड़ (जनवरी 2015)

<sup>84</sup> ₹50.00 करोड़ (अगस्त 2014); ₹160.36 करोड़ (अगस्त 2014)

के रूप में आ.वि.प्राधि. के पास 21 दिनों<sup>85</sup> तक तथा जि.पदा. भागलपुर के पास 66 दिनों<sup>86</sup> तक निष्क्रिय पड़ा रहा।

उद्योग विभाग के निदेश के बाबजूद कि आ.वि.प्रा. द्वारा जिला प्रशासन को स्थानांतरित राशि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखा जाए, जि.पदा. भागलपुर द्वारा डि.ड्रा. को बचत बैंक खाता में जमा नहीं किया गया था क्योंकि वित्त विभाग ने जि.पदा. भागलपुर को कोषागार के निजी जमा खाता (नि.ज.खा.) में राशि को जमा करने का निर्देश (मई 2012 तथा मार्च 2014) दिया था। जि.पदा. ने वित्त विभाग के निर्देश का पालन किया तथा डि.ड्रा. को निजी जमा खाता में जमा किया (24 मार्च 2014) जिससे कोई ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा था यद्यपि, वित्त विभाग ने बाद में निर्देश दिया (जून 2014) कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत बैंक खाता में ही जमा किया जाए। इस प्रकार बिहार सरकार के दो विभागों के मतभिन्नता के चलते निर्णय लेने में विलंब के कारण दिनांक 27/12/2013 से 05/06/2014 (161 दिनों<sup>87</sup>) तक राशि को बचत बैंक खाता से बाहर रखा गया, परिणामस्वरूप ₹5.45 करोड़<sup>88</sup> की ब्याज की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर जिला नजारत उप-समाहर्ता, भागलपुर तथा जि.पदा. भागलपुर ने स्वीकार (जुलाई 2016) किया कि दो विभागों के अलग-अलग निर्देशों के कारण जमा करने में विलंब हुआ। उद्योग विभाग भी जि.पदा. भागलपुर के जवाब से सहमत था (अगस्त 2016)।

### पर्यावरण एवं वन विभाग

#### 3.5.5 सरकार को हानि

आवश्यकता का आकलन किये बिना पॉपलर पौधों की अधिप्राप्ति, आयोजना में कमी तथा बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान के बिना अधिप्राप्ति के फलस्वरूप सरकार को ₹ चार करोड़ की हानि हुई।

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005, का नियम 126, यह परिकल्पित करता है कि प्रत्येक प्राधिकारी जिसे लोकहित में सामग्री अधिप्राप्ति का वित्तीय अधिकार सौपा गया है, को लोक अधिप्राप्ति से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता एवं पारदर्शिता लाने की जवाबदेही एवं उत्तरदायित्वता होनी चाहिए। सामानों की ढुलाई लागत को बचाने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक क्रय की मात्रा से भी बचना चाहिए तथा अधिप्राप्ति प्राधिकारी को यह संतुष्ट हो लेना चाहिए कि चयनित प्रस्ताव पर्याप्त रूप से आवश्यकता के सभी पहलु को पूरा करता है।

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा द्वारा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) पंचकुला, हरियाणा की लेखापरीक्षा के आधार पर प्राप्त सूचना (अक्टूबर 2015) तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.), बिहार, पटना के अभिलेखों की नमूना-जाँच में उद्घाटित हुआ (मार्च एवं अप्रैल 2016) कि एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के अंतर्गत किसानों, जमीन मालिकों एवं उद्योगपतियों को उन्हें अपनी जमीन पर पौधारोपण हेतु पॉपलर का पौधा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना था। इस उद्देश्य हेतु, पर्यावरण एवं वन विभाग (विभाग) ने वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 के लिए हरियाणा सरकार से 25 लाख पौधों की अधिप्राप्ति हेतु ₹6.25 करोड़<sup>89</sup> की प्रशासनिक अनुमोदन (जनवरी 2013) प्रदान

<sup>85</sup> 27/12/2013 से 16/01/2014 तक आ.नि.प्राधि. के अनुरोध के बाबजूद भी जि.पदा. भागलपुर ने डि.ड्रा. को प्राप्त किये जाने की व्यवस्था नहीं की।

<sup>86</sup> 17/01/2014 से 23/03/2014 तक

<sup>87</sup> 21 दिनों (आ.वि.प्रा.) + 66 दिनों (जि.पदा. भागलपुर) + 74 दिनों (नि.ज.खा.) = 161 दिनों  
जिला प्रशासन के चलते हानि ( $308.96 \times 4 \times 21/365)/100 + (308.96 \times 4 \times 66/365)/100$

+ ( $308.96 \times 4 \times 74/365)/100 = ₹0.71$  करोड़ + ₹2.23 करोड़ + ₹2.51 करोड़ = ₹5.45 करोड़  
सूद की गणना चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से की गई है

<sup>88</sup> ₹1.875 करोड़ (वर्ष 2012–13) तथा ₹4.375 करोड़ (वर्ष 2013–14)

की। जिसे बाद में संशोधित (फरवरी 2014) कर ₹11.63 करोड़ कर दिया गया, जिससे वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 के दौरान 48.376 लाख<sup>90</sup> पौधों की अधिप्राप्ति की जानी थी। वन विभाग, बिहार ने 28.376 लाख पौधे (जनवरी 2014) मु.व.स., हरियाणा से अधिप्राप्त किया एवं ₹15 प्रति पौधा की दर से (मार्च 2013 से मार्च 2014) ₹4.26 करोड़ का भुगतान किया। विभाग ने आगे मु.व.स., हरियाणा से शेष 20 लाख पौधों की अधिप्राप्ति हेतु ₹चार करोड़<sup>91</sup> का अग्रिम प्रदान किया।

बाद में, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अ.प्र.मु.व.स.), बिहार ने निर्णय लिया (नवम्बर 2014) कि विभाग स्वयं पर्याप्त संख्या में पौधों को विकसित करने में सक्षम<sup>92</sup> था तथा हरियाणा से पौधों की अधिप्राप्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार पटना ने तदनुसार मु.व.स., हरियाणा को सूचित (नवम्बर 2014) किया। मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा ने कहा (नवम्बर 2014, जनवरी 2015 एवं मार्च 2015) कि बिहार सरकार के आदेश पर 20 लाख पौधों को उगाया गया एवं ये सभी आपूर्ति किये जाने हेतु तैयार थे और नर्सरियों से उठाव के लिए आग्रह भी किया गया था। यह भी सूचित किया गया था कि राशि की वापसी संभव नहीं थी क्योंकि फरवरी 2015 के बाद पौधों के हानि का खतरा था। उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग, हरियाणा सरकार भविष्य में बिहार के लिए पौधे नहीं उगायेगा।

मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा ने आगे सूचित (अगस्त 2016) किया कि सभी पॉपलर के पौधे या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं एवं इसलिए ₹ चार करोड़ जिसमें खर्च नहीं की गई शेष राशि ₹92.48 लाख शामिल है को वन विभाग, बिहार को लौटाया नहीं जायेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार ने जवाब (जुलाई 2016) दिया कि इस संबंध में भुगतान की गई राशि हरियाणा द्वारा वापस नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि चूंकि पौधा उगाने की उत्तरजीविता बिहार में पर्याप्त थी, इन पौधों को हरियाणा से प्राप्त नहीं किया गया। विभाग, भी प्र.मु.व.स., बिहार के जवाब से सहमत (नवम्बर 2016) था।

जवाब इंगित करता है कि विभाग उपलब्धता का आकलन करने तथा पौधों की आवश्यकता एवं तदनुसार अधिप्राप्ति की आयोजना बनाने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹चार करोड़ की हानि हुई।

### 3.6 अधिक भुगतान/निष्फल व्यय

#### स्वास्थ्य विभाग

##### 3.6.1 आधिक्य एवं परिहार्य भुगतान

दर अनुबंधों की शर्तों को लागू किए जाने में विफलता एवं स्थानिक निविदा द्वारा किए जा रहे क्रयों में जाँच –शुल्कों के प्रावधानों के नहीं रहने के कारण ₹ 1.46 करोड़ का आधिक्य एवं परिहार्य भुगतान हुआ।

राज्य स्वास्थ्य समिति (रा.स्वा.स.), बिहार ने दिनांक 27 अगस्त 2011 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए बिहार के 38 जिलों में अनुमोदित दवाओं की आपूर्ति के लिए

<sup>90</sup> वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 28.376 लाख पौधा ₹21.25 प्रति पौधा की दर से (पौधा की कीमत ₹15 तथा परिवहन शुल्क ₹6.25) तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 20 लाख पौधा ₹28 प्रति पौधा की दर से (पौधा की कीमत ₹20 एवं परिवहन शुल्क ₹8.00)

<sup>91</sup> बी.डी. सं. 958881 दिनांक 15.03.2014; राशि ₹2 करोड़; बी.डी. सं.–963307 दिनांक 21.08.2014 राशि ₹1 करोड़;

<sup>92</sup> वर्ष 2013–14 के दौरान पौधा की उत्तरजीविता के आधार पर (55 प्रतिशत), 60 प्रतिशत पौधा वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त करने का आंकलित किया गया था लेकिन वर्ष 2014–15 के दौरान पौधा की उत्तरजीविता वास्तव में 74.658 प्रतिशत था जो कि उम्मीद से परे थे।

विभिन्न कंपनियों के साथ दर—अनुबंध निष्पादित (अगस्त 2011<sup>93</sup> एवं अक्टूबर 2012<sup>94</sup>) किया। दर अनुबंधों के अनुसार, विपत्रों सें जाँच शुल्क के रूप में सकल विपत्र राशि का दो प्रतिशत, ब्रिकी कर को छोड़कर कटौती किया जाना चाहिए था। सचिव, स्वास्थ्य—सह—कार्यपालक निदेशक, रा.स्वा.स. ने भी चिकित्सकीय महाविद्यालय एवं अस्पतालों के अधीक्षकों को जाँच—शुल्क हेतु विपत्र राशि के दो प्रतिशत की कटौती करने एवं राशि को रा.स्वा.स. के बैंक खातों में जमा करने का निर्देश<sup>95</sup> (दिसंबर 2013) जारी किया था।

छ<sup>96</sup>: चिकित्सकीय महाविद्यालय एवं अस्पतालों (चि.महा.एवं.अस.) की संवीक्षा ने उजागर किया (जनवरी 2015 से अगस्त 2016) कि वर्ष 2011 से वर्ष 2014 के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से ₹35.94 करोड़ की दवाओं का मूल्य वर्धित कर (वैट) रहित, क्रय किया गया था। दर अनुबंधों में प्रावधान के बावजूद आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों से दो प्रतिशत की दर से जाँच शुल्क ₹71.89 लाख की राशि की कटौती नहीं की गयी थी, जिससे आपूर्तिकर्ताओं को उस हद तक अधिक भुगतान हुआ। (*परिशिष्ट 3.6.1*)

आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2011 से वर्ष 2015 के दौरान उपरोक्त चिकित्सकीय महाविद्यालय एवं अस्पतालों ने स्थानिक निविदाओं के माध्यम से मूल्य वर्धित कर (वैट) रहित कुल ₹36.84 करोड़ की दवाओं का क्रय किया था। हालांकि, स्थानिक निविदाओं द्वारा किये गये क्रयों के दर अनुबंधों में संबंधित चिकित्सकीय महाविद्यालय एवं अस्पतालों द्वारा समान प्रावधान शामिल नहीं किये जाने के कारण दो प्रतिशत की दर से जाँच शुल्क ₹73.69 लाख की राशि की कटौती नहीं की जा सकी, जिससे उस हद तक का परिहार्य भुगतान हुआ। (*परिशिष्ट 3.6.2*)

स्वास्थ्य विभाग<sup>97</sup> ने जबाब दिया (सितंबर 2016 एवं नवम्बर 2016) कि छ.<sup>98</sup> चिकित्सकीय महाविद्यालय एवं अस्पतालों के अधीक्षकों को सभी संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से दो प्रतिशत जाँच शुल्क की वसूली करने एवं संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने का निर्देश दिया (अगस्त 2016) गया था एवं जाँच शुल्क प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत वसूली करने हेतु निदेशित किया किया गया था।

इस प्रकार, दर अनुबंधों की शर्तों के उल्लंघन एवं स्थानिक निविदा के माध्यम से क्रय किए जाने में जाँच शुल्क की कटौती संबंधी शर्त को शामिल नहीं करने की लापरवाही के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 के दौरान ₹1.46 करोड़ का आधिक्य एवं परिहार्य भुगतान हुआ।

<sup>93</sup> चक्र VIII यह 27/08/2011 से 31/03/2013 के दौरान प्रभावी था।

<sup>94</sup> चक्र IX, यह 01/10/2012 से 31/03/2014 के दौरान प्रभावी था।

<sup>95</sup> चक्र VIII से संबंधित

<sup>96</sup> पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पी.एम.सी.एच.), पटना; श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एस.के.एम.सी.एच.), मुजफ्फरपुर; दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डी.एम.सी.एच.), दरभंगा नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एन.एम.सी.एच.), पटना; अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (ए.एन.एम.सी.एच.), गया; जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जे.एल.एन.एम.सी.एच.), भागलपुर

<sup>97</sup> डी.एम.सी.एच., पी.एम.सी.एच. एवं एस.के.एम.सी.एच., के संदर्भ में विशेष कार्य पदाधिकारी; ए.एन.एम.सी.एच., जे.एल.एन.एम.सी.एच. एवं एन.एम.एम.सी.एच. के संदर्भ में सचिव

<sup>98</sup> ए.एन.एम.एम.सी.एच., डी.एम.सी.एच., जे.एल.एन.एम.सी.एच., एन.एम.सी.एच., पी.एम.सी.एच. तथा एस.के.एम.सी.एच.

### 3.7 परिहार्य / निष्कल व्यय

#### जल संसाधन विभाग

##### 3.7.1 परिहार्य व्यय

उच्च क्षमता संबंध से आवासीय कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति के निर्णय तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थिर निम्न क्षमता दरों से वसूली के परिणामस्वरूप ₹22.11 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) के नियम 9 यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो लोक निधियों से व्यय करता है या व्यय प्राधिकृत करते हैं, को वित्तीय औचित्यता के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होने चाहिए एवं लोक राशि से व्यय करने के संदर्भ में उसी तरह सतर्कता बरतनी चाहिए जो कि एक व्यक्ति साधारण तौर पर अपने राशि को खर्च करने के दौरान जो बुद्धिमत्ता अपनाता है।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2015) एवं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल (प्रमण्डल), वीरपुर (का.अभि.सिं.यां.प्र.) के अनुवर्ती लेखापरीक्षा (नवम्बर 2016) में उद्घाटित हुआ कि प्रमण्डल द्वारा कोशी बैराज तथा बीरपुर एवं भीमनगर के आवासीय कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति हेतु उच्च क्षमता (उ.क्ष.) संबंध लिया गया था (अगस्त 1971)। यद्यपि, प्रमण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनी हेतु भी उ.क्ष. संबंध की व्यवस्था की गई थी, प्रत्येक आवास से निम्न क्षमता (नि.क्ष.) दर से विद्युत प्लाइंट के आधार पर वसूली कि गई, जिसका दर लागत से कम था। मामला, जल संसाधन विभाग (विभाग) के ध्यान (फरवरी 2010) में निरीक्षण प्रतिवेदन के द्वारा लाया गया परंतु सुधारात्मक उपाय नहीं अपनाये गये थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि (फरवरी 2015), प्रमण्डल द्वारा वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 (जुलाई 2016 तक) के दौरान विद्युत खर्च ₹4.23 से ₹5.70 प्रति यूनिट उ.क्ष. की दर से भुगतान किया गया, जबकि इन्होनें कॉलोनी से निम्न क्षमता (नि.क्ष.) की दर<sup>99</sup> ₹2.00 से ₹3.70 प्रति यूनिट से वसूली की। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल 2011 से जुलाई 2016 तक प्रमण्डल ने कॉलोनी से ₹0.99 करोड़ विद्युत शुल्क वसूली के विरुद्ध ₹23.10 करोड़ का भुगतान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.) को किया। इसके परिणामस्वरूप ₹22.11 करोड़<sup>100</sup> का परिहार्य व्यय हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग के संयुक्त सचिव ने जवाब (सितम्बर 2016) दिया कि वर्ष 1971 में 500 के.भी.ए. के उ.क्ष. संबंध के लिए बांध कार्यशिविर एवं आवासीय कॉलोनी हेतु बि.रा.वि.बो. के साथ एक एकरानामा कार्यान्वित किया गया था। कई प्रयासों के बावजूद, बि.रा.वि.बो. के द्वारा सिर्फ एक उ.क्ष. संबंध जारी रखा गया था। उन्होने यह भी कहा कि इस प्रत्याशा में कि बि.रा.वि.बो. द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को नि.क्ष. दर के संबंध एवं आवासीय कर्वाटर हेतु अलग मीटर उपलब्ध कराया जाएगा, उपभोक्ता से नि.क्ष. दर से विद्युत मूल्य वसूली की प्रणाली विकसित की गई थी।

इस प्रकार, उ.क्ष. संबंध से आवासीय कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति के निर्णय परंतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के नि.क्ष. दर से शुल्क की वसूली के परिणामस्वरूप ₹22.11 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

<sup>99</sup> विभागीय कर्मचारी से ₹2 प्रति यूनिट की दर से, दूसरे विभागीय कर्मचारी से ₹3.40 प्रति यूनिट की दर से तथा ₹3.70 प्रति यूनिट कार्यालय भवन से जो कि कर्वाटर और कार्यालयों के विद्युत बिंदु के आधार पर सुनिश्चित की गई

<sup>100</sup> ₹23.10 करोड़ – ₹0.99 करोड़ = ₹22.11 करोड़

### 3.7.2 निष्फल व्यय

भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य की शुरुआत एवं बीच में रुकावट के परिणामस्वरूप अधूरे कार्य पर ₹14.13 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, साथ ही योजना के अन्तर्गत अभीष्ट लाभ से भी वंचित रहे।

बिहार लोक निर्माण कार्य लेखा (बि.लो.नि.का.ले.) संहिता में सम्मिलित मंत्रिमंडल सचिवालय तथा समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) के कंडिका 7.5 के अनुसार निविदा प्रक्रिया की शुरुआत तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त तथा कार्य हेतु निधि आवंटन के पश्चात् ही करना चाहिए। उन मामलों में जहाँ कार्य के कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, वहाँ उसे निविदा प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरी किया जाना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल (बा.नि.प्र.) संख्या-2, खगड़िया के अभिलेखों की नमूना-जाँच (अगस्त 2013) एवं अनुवर्ती लेखापरीक्षा (जुन 2015, अप्रैल 2016 तथा नवम्बर 2016) में उद्घाटित हुआ कि खगड़िया शहर सुरक्षा योजना अंतर्गत चन्हा नदी के दायें तटबंध से बगरस जलद्वार से प्रारंभ करके (धारा के प्रतिकूल) एवं संतोष जलद्वार के अंत तक (प्रवाह की ओर) 10.4 किमी. से 38.2 किमी. तक मिट्टी के तटबंध का निर्माण कार्य किया जाना था। इस कार्य हेतु जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) द्वारा ₹13.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (जुन 2008) एवं मुख्य अभियंता, ज.सं.वि., समस्तीपुर द्वारा ₹12.83 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (सितम्बर 2008) प्रदान की गई थी। इस कार्य हेतु संवेदकों के साथ कुल अनुबंधित मूल्य ₹11.85 करोड़ के नौ एकरारनामों का कार्यान्वयन (नवम्बर 2008 से मार्च 2013) किया गया। संवेदकों द्वारा अधिग्रहित भूमि पर लगभग 70 प्रतिशत मिट्टी कार्य का कार्यान्वयन किया गया जिसके लिए मार्च 2015 तक ₹9.69 करोड़ का भुगतान किया गया (*परिशिष्ट 3.7.1*)। ग्रामीणों द्वारा अवरोध तथा भू-अधिग्रहण प्रक्रिया समाप्ति के कारण कार्य पूर्णत नहीं किया गया। ज.सं.वि. को कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त 80.54 एकड़ (संशोधित 90.293 एकड़) भूमि अधिग्रहित करना था। कार्यपालक अभियंता ने ₹29.41 करोड़<sup>101</sup> का संशोधित प्राक्कलन (फरवरी 2012) तैयार किया। जिसमें स्थलास्थिति तथा जनता की माँग के अनुरूप तटबंध के ग्रामीण इलाकों में वारिश के पानी की निकासी के लिए भूमि अधिग्रहण तथा नौ बाढ़ निरोधी जलद्वार संरचनाकों के निर्माण के लिए मात्र ₹4.56 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 2012)। जलद्वार संरचनाओं के निर्माण के लिए कुल एकरारित मूल्य ₹3.83 करोड़ के पाँच एकरारनामा का कार्यान्वयन (दिसम्बर 2012) किया गया। जलद्वार संरचनाओं का कार्य ₹3.67 करोड़ के लागत से पूर्ण किया गया (*परिशिष्ट 3.7.2*)। आगे, जलद्वार से संबंधित यांत्रिक कार्य पर ₹76.58 लाख की राशि खर्च की गई। इस प्रकार, कुल ₹14.13 करोड़<sup>102</sup> का व्यय अधूरे तटबंध के निर्माण तथा संबंधित यांत्रिक कार्य सहीत नौ जलद्वार संरचनाओं पर किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा बा.नि.प्र. के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अप्रैल 2016) में उद्घाटित हुआ कि भूमि विवाद के कारण 25.60 किमी. और 29.45 किमी. के बीच तटबंध का निमोन नहीं किया गया था। वर्षा के कारण निर्मित तटबंध भी कई जगहों पर कट गये थे।

<sup>101</sup> प्रारंभिक ₹0.02 करोड़, भूमि ₹10.54 करोड़, जलद्वार संरचना ₹4.66 करोड़, मिट्टी कार्य ₹14.10 करोड़, विविध ₹0.07 करोड़, आवागमन ₹0.02 करोड़

<sup>102</sup> ₹9.69 करोड़ + ₹3.67 करोड़ + ₹0.77 करोड़ = ₹14.13 करोड़



खगड़िया शहर सुरक्षा के अंतर्गत 29.20 किमी. का अनिर्मित भाग

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संयुक्त सचिव, ज.सं.वि. ने कंडिका के तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जवाब (अगस्त 2016) दिया कि भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रियाधीन था। भूमि अधिग्रहण के बाद, शेष 30 प्रतिशत कार्य समाप्त कर लिया जायेगा। ज.सं.वि. का जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि अवरोध मुक्त भूमि की उपलब्धता के बिना कार्य आरंभ किया गया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में भी उद्घाटित हुआ कि बरसात के कटाव के कारण तटबंध के निर्मित भाग का कटाव कई जगहों पर हो गये थे। हालांकि, जलद्वार संरचनाओं एवं अधूरे तटबंध के निर्माण के बाद खगड़िया शहर में भयकर बाढ़ नहीं आई, फिर भी तटबंध के अपूर्ण निर्माण कार्य के कारण बाढ़ का खतरा अभी भी मौजूद है।

इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य की शुरूआत एवं बीच में रुकावट के परिणामस्वरूप अधूरे कार्य पर ₹14.13 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। समय बीतने के साथ तथा प्रकृति के प्रकोप के कारण पूर्ण अपरदन की सभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो संपूर्ण निरर्थक व्यय को प्रस्तुत करता है।

#### पथ निर्माण विभाग

##### 3.7.3 पथ कार्य हेतु राजकोष पर अतिरिक्त भार

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व कार्य आवंटन के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा वित्तीय मूल्य के ऊपरी सीमा से अधिक के एकरारनामा के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹3.24 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा जिसके विरुद्ध विभाग ने संवेदक को ₹2.34 करोड़ का भुगतान पूर्व में ही कर दिया था।

बिहार लोक निर्माण विभाग (बि.लो.नि.वि.) संहिता का नियम 121 यह अनुबंधित करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन, परियोजना की मंजूरी का प्रतीक है तथा इसको तकनीकी अनुमोदन (त.अनु.) के रूप में लेना चाहिए जिसे प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अनु.) देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्र.अनु. के बाद, कार्य के वास्तविक शुरूआत से पूर्व विस्तृत प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) लेना आवश्यक है।

आगे, मॉडल बीडिंग दस्तावेज<sup>103</sup> के बीडर्स के अनुदेश का उपबंध 27.5 यह अनुबंधित करता है कि प्रारम्भिक परिशोधन (प्रा.परि.), आवधिक अनुरक्षण (आ.अनु.), लघु सुधार (ल.सु.) तथा साधारण अनुरक्षण (सा.अनु.) कार्य की कीमत सभी कर तथा उपकर सम्मिलित करते हुये प्रा.परि., आ.अनु., ल.सु. तथा सा.अनु. के प्राक्कलित मूल्य से 10

<sup>103</sup> दीर्घकालीन उत्पादन तथा निष्पादन पर आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविदा (ओ.पी.आर. एम.सी.) हेतु पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), बिहार सरकार (बि.स.) का मानक निविदा दस्तावेज।

प्रतिशत के ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं होने की स्थिति में निविदा को रद्द कर देना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल (प.प्र.), दरभंगा के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2014) तथा अनुवर्ती लेखापरीक्षा (नवम्बर 2016) में उद्घाटित हुआ कि मुख्य अभियंता<sup>104</sup> द्वारा 15 पथों<sup>105</sup> के प्रा.परि., आ.अनु., ल.सु. तथा सा.अनु. हेतु ₹38.04 करोड़ का तकनीकी अनुमोदन (अगस्त 2013) प्रदान किया गया था और बाद में पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा इतनी ही राशि का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया (सितम्बर 2013)। संवेदक<sup>106</sup> के साथ ₹41.73 करोड़ (समस्त एकरारित राशि ₹42.54 करोड़) का एकरारनामा कार्यान्वित किया गया (दिसम्बर 2013)। बाद में, तकनीकी स्वीकृति अगस्त 2014 में प्रदान किया गया था, लेकिन इसे ₹34.99 करोड़ की राशि तक सीमित कर दिया गया। तकनीकी स्वीकृति में निर्दिष्ट प्राक्कलित मूल्य के आधार पर निकाली गई ऊपरी सीमा ₹38.49 करोड़ थी जबकि प्रा.परि., आ.अनु., ल.सु. तथा सा.अनु. के लिए एकरारित मूल्य ₹41.73 करोड़ था, जो कि ऊपरी सीमा से ₹3.24 करोड़<sup>107</sup> अधिक था। चूंकि संवेदक को अक्टूबर 2016 तक ₹30.19 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था, अनुपातिक रूप से राजकोष पर अतिरिक्त भार ₹2.34 करोड़<sup>108</sup> का पड़ा।

मुख्य अभियंता ने जवाब (सितम्बर 2016) दिया कि प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति के पूर्व ही एकरारनामा कार्यान्वित किया गया था। वि.लो.नि.वि. संहिता के अनुसार सामान्यतः प्रशासनिक अनुमोदन प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसके बाद, तकनीकी स्वीकृति विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर प्रदान किया जाता है एवं इसके आधार पर परिमाण विपत्र अनुमोदित किया जाता है और निविदा आमंत्रित की जाती है। इस विशिष्ट मामले में निविदा का आमंत्रण विस्तृत तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन के आधार पर किया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा अनुमोदन के बाद एकरारनामा किया गया था। उनके द्वारा आगे कहा गया कि आमंत्रित निविदा के आधार पर किये गये एकरारनामा के अनुसार कार्य का कार्यान्वयन किया जा रहा था। तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन पर आधारित एकरारनामा में बदलाव नहीं हो सकता था, इसलिए तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन के आलोक में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं था। जवाब स्वयं ही लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करता है।

इस प्रकार, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व कार्य आवंटन करने के प.नि.वि. के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा ऊपरी सीमा से अधिक मूल्य पर एकरारनामा किये जाने के परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹3.24 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा संवेदक को ₹2.34 करोड़ का भुगतान (अक्टूबर 2016) किया जा चुका था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016), स्मार-पत्र निर्गत किये गये (जुलाई 2016 तथा अगस्त 2016) लेकिन जवाब अप्राप्त थे।

<sup>104</sup> मुख्य अभियंता (सी.), उत्तर बिहार स्कंध, दरभंगा

<sup>105</sup> ऐकेज नं. 14 के तहत/ओ.पी.आर.एम.सी./दरभंगा

<sup>106</sup> मेरसर्स दुर्गा टावर प्राइवेट लिमिटेड, मध्यबनी

<sup>107</sup> ₹ 41.73 करोड़ – ₹ 38.49 करोड़ = ₹ 3.24 करोड़

<sup>108</sup> अनुपातिक भुगतान = (सा.अनु.+प्रा.परि.+आ.अनु.+ल.सु.) का अभी तक का भुगतान/ (सा.

अनु.+प्रा.परि.+आ.अनु.+ल.सु.) का अनुबंध मूल्य × अतिरिक्त भार ₹30.19 करोड़/₹41.73

करोड़ × ₹3.24 करोड़ = ₹2.34 करोड़

## लघु जल संसाधन विभाग

### 3.7.4 पाईन सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार पर निष्फल व्यय

तकनीकी सलाहकार समिति तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा बिना उचित सर्वेक्षण, आयोजना एवं स्थल निरीक्षण के त्रुटिपूर्ण डिजाईन की अनुशंसा के परिणामस्वरूप पाईन सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार पर ₹ 2.33 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

अल्प वृष्टि तथा कमजोर मानसून के कारण गया जिले के मोहनपुर प्रखंड में सिंचाई प्रभावित थी। अहार पाईन, क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य स्रोत होने के कारण, लघु जल संसाधन विभाग (ल.ज.सं.वि.) ने पाईन में नदी के पानी का बहाव सुनिश्चित कर 1600 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने हेतु मोहाने अहार पाईन<sup>109</sup> सिंचाई प्रणाली के व्यापक पुनरुद्धार के लिए ₹2.13 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (सितम्बर 2011) प्रदान की।

कार्य हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.परि.प्रति.) लघु सिंचाई प्रमंडल (ल.सि.प्र.), गया द्वारा तैयार किया गया तथा तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) द्वारा अनुमोदित किया गया था। त.स.स. के दिशा-निर्देश (अगस्त 2011) के आलोक में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग (मु.अभि., ल.ज.सं.वि.) द्वारा इस कार्य हेतु ₹2.13 करोड़ (सितम्बर 2011) की तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) प्रदान की गई। संवेदक<sup>110</sup> के साथ ₹1.98 करोड़ का एक एकरारनामा कार्यान्वित (दिसम्बर 2011) किया गया एवं कार्य संपन्न होने की निर्धारित तिथि मार्च 2012 थी।

अभिलेखों के संवीक्षा (फरवरी 2015) एवं कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), ल.सि.प्र. के अनुवर्ती लेखापरीक्षा (नवम्बर 2016) के दौरान उद्घाटित हुआ कि कार्य समाप्त होने (अगस्त 2012) के बाद भी नदी का जल पाईन में प्रवाहित नहीं हुआ। अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया (अ.अभि., ल.सि.अं.) (अगस्त 2012) के संरचनात्मक खामियों<sup>111</sup> को इसके लिए उत्तरदायी माना। अ.अभि., ल.सि.अं. ने यह भी बताया (अगस्त 2012) कि संरचना अनुचित एवं पूर्णतः अनुपयोगी था। अ.अभि. ने पानी के बहाव को पाईन में सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त उपायों की अनुशंसा<sup>112</sup> की, जिसे प्राककलन को संशोधिन कर कार्यान्वित किया गया एवं वर्तमान संवेदक के साथ ₹33.26 लाख का एक अनुपूरक एकरारनामा (फरवरी 2013) कार्यान्वित किया गया। इस कार्य की समाप्ति (मार्च 2013) तथा ₹2.33 करोड़ खर्च करने के उपरांत भी लक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।

<sup>109</sup> पाईन एक चैनल है जो कि नदी या पानी के दूसरे स्रोतों को कृषि क्षेत्र से जोड़ती है। इसका उपयोग सिंचाई उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

<sup>110</sup> मेसर्स कमलेश कुमार, गया

<sup>111</sup> पाईन के आंशिक बिंदु पर धारा के प्रतिकूल बोलबर पिचिंग से नोज के निर्माण के कारण पाईन में नदीजल के प्रवाह का अवरोध हुआ

<sup>112</sup> (i) पाईन को धारा के प्रतिकूल से धारा के प्रवाह तक लेवल को सभी शाखाओं तक जारी रखना एवं निश्चित स्तर तक पाईन की खुदाई सुनिश्चित करना। (ii) धारा के प्रतिकूल बनाये गये नोज को तुरंत हटाने तथा धारा के प्रवाह के तरफ के नोज को विस्तारित करना। (iii) ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस योजना के तहत बनाये गये आर.सी.सी. ब्रिज में रिटर्न बॉल, बिंग बॉल का निर्माण (IV) तथा यह सुनिश्चित करना कि चेन 140 के बीच निर्मित क्रास रेगुलेटर तथा पाईन तटबंध का संपर्क है।



गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के मोहाने नदी पाईन में पानी का बहाव नहीं हो रहा है।

मुख्य अभियंता, ल.ज.स.वि. ने स्थल का भ्रमण किया (जुलाई 2014) एवं पानी के प्रवाह को सुगम बनाने हेतु रॉक-फिल बांध के निर्माण की अनुशंसा की। विभागीय उच्च स्तरीय दल द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया गया (सितम्बर 2014) तथा मु.अभि. द्वारा दिये गये सुझाव की ही अनुशंसा की। फिर भी, अगस्त 2016 तक कोई कार्यान्वित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, का.अभि. ल.सि.प्र. ने कहा (अप्रैल 2016) कि वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं वर्तमान दिनों में भी बहुत कम बारिश के कारण नदी में पानी का स्तर काफी कम था। इसलिए पाईन में पानी का प्रवाह नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा, पाईन की सतह को ग्रामीणों द्वारा टैकटरों एवं मवेशियों के आवागमन हेतु भर दिया गया था। तथापि का.अभि. ने स्वीकार किया कि पाईन में जल का कोई प्रवाह नहीं हुआ एवं इसलिए सिंचाई क्षमता का कोई भी सृजन नहीं हुआ। उन्होंने आगे सूचित (अगस्त 2016) किया कि पाईन के प्रवेश बिन्दु पर गाद जमा था एवं नदी इससे दूर प्रवाहित हो रही थी।

इस प्रकार, तकनिकी सलाहकार समिति तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा बिना उचित सर्वेक्षण, आयोजना एवं स्थल निरीक्षण के त्रुटिपूर्ण डिजाईन की अनुशंसा के परिणामस्वरूप पाईन सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार पर ₹2.33 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2016), स्मार—पत्र निर्गत किये गये (जुलाई 2016, अगस्त 2016 एवं अक्टूबर 2016) लेकिन, जवाब अभी भी अप्राप्त थे।

### 3.7.5 परिहार्य व्यय

मुख्य अभियंता के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी द्वारा प्राथमिक एकरारनामा में पूर्व में समिलित मद के लिये अधिक दर पर अनुपूरक एकरारनामा के कार्यान्वयन के फलस्वरूप ₹1.92 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार लोक निर्माण विभाग (बि.लो.नि.वि.) संहिता का नियम 182अ अनुबंध करता है कि परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) में शामिल नहीं किये गये कार्य की मद को अतिरिक्त मद के रूप में माना जायेगा। अतिरिक्त मद के लिए, हमेशा एक अनुपूरक एकरारनामा होना चाहिए तथा उसका दर किसी भी अवस्था में प्राथमिक एकरारनामा में उल्लेखित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी (का.अभि., ल.सि.प्रम.) के अभिलेखों के संवीक्षा के दौरान दो मामलों में प्रकटित (जुन 2015) हुआ कि:

- पचास लिफ्ट सिंचाई योजना से संबंधित पुर्नस्थापन एवं पुर्ननिर्माण कार्य<sup>113</sup> का परिमाण विपत्र का.अभि., ल.सि.प्रम., मधुबनी द्वारा ₹10.30 करोड़ पर अनुमोदित (अक्टूबर 2011) की गई थी। एक अभिकरण<sup>114</sup> के साथ ₹10.19 करोड़ का एकरारनामा<sup>115</sup> (जनवरी 2012) कार्यान्वित किया गया था। बाद में, सामग्री की दर में वृद्धि के कारण मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग (उत्तर), मुजफ्फरपुर (मु.अभि., ल.ज.सं.वि. मुज.) द्वारा प्राक्कलन को ₹11.33 करोड़ (अक्टूबर 2013) हेतु संसोधित किया गया एवं एक पूरक एकरारनामा कार्यान्वित करने का आदेश (अक्टूबर 2013) दिया गया। प्रमंडलीय लेखाकार के आपत्ति (नवम्बर 2013) के बावजूद का.अभि. द्वारा उसी अभिकरण (नवम्बर 2013) के साथ ₹94.42 लाख का अनुपूरक एकरारनामा किया गया, जिससे एकरारित मूल्य बढ़कर ₹11.14 करोड़ हो गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वि.लो.नि.वि. संहिता के प्रावधानों के विपरीत पूरक एकरारनामा में सम्मिलित दस मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा में सम्मिलित उसी मदों से अधिक था। कार्य के उन्हीं मदों हेतु अधिक दर पर अभिकरण को ₹10.13 करोड़ का भुगतान (मार्च 2014 तक) किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹1.67 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (*परिशिष्ट-3.7.3*)। चूंकि अभिकरण ने कार्य समाप्त नहीं किया था, आगे कोई भुगतान नहीं किया गया था (सितम्बर 2016)। यद्यपि, अभिकरण ने एकरारित मूल्य की बची राशि के भुगतान के लिए माननीय उच्च न्यायलय, पटना से आग्रह (दिसम्बर 2015) किया था।

- ग्यारह लिफ्ट सिंचाई योजना से संबंधित पुर्नस्थापन एवं पुर्ननिर्माण कार्य<sup>116</sup> हेतु परिमाण विपत्र को का.अभि., ल.सि.प्रम., मधुबनी द्वारा ₹2.63 करोड़ पर अनुमोदित (मार्च 2013) की गई थी। एक अभिकरण<sup>117</sup> के साथ ₹2.59 करोड़ के लिए एकरारनामा<sup>118</sup> कार्यान्वित किया गया (मई 2013)। बाद में, मु.अभि. द्वारा सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण प्राक्कलन को संसोधित कर ₹2.95 करोड़ (मई 2013) कर दिया गया। तदनुसार, उसी अभिकरण के साथ ₹28.46 लाख का अनुपूरक एकरारनामा (जून 2013) किया गया, जिसके फलस्वरूप कुल एकरारित मूल्य ₹2.87 करोड़ हो गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बि.लो.नि.वि. संहिता के प्रावधान के विपरीत अनुपूरक एकरारनामा में सम्मिलित ग्यारह मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा में सम्मिलित उसी मदों से अधिक था। अभिकरण को ₹1.86 करोड़ (सितम्बर 2015 तक) भुगतान किया गया, जिसमें उन्हीं मदों के लिए अधिक दरों पर भुगतान शामिल था, के फलस्वरूप ₹0.25 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ। (*परिशिष्ट 3.7.4*)

इसे इंगित किये जाने पर, मु.अभि., ल.ज.सं.वि., मुजफ्फरपुर. ने जवाब दिया (जनवरी 2016) कि संसोधित प्राक्कलन को तत्कालीन मुख्य अभियंता के द्वारा स्वीकृति दी गई थी।

<sup>113</sup> बिहार सरकार द्वारा सितम्बर 2011 में ₹9.55 करोड़ हेतु प्रशासनिक अनुमोदन तथा अक्टूबर 2011 में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग (उत्तर), मुजफ्फरपुर द्वारा ₹10.75 करोड़ हेतु तकनीकी स्वीकृति।

<sup>114</sup> मालती सिंह, जोगियारा, दरभंगा।

<sup>115</sup> एकरारनामा संख्या 01 एस.बी.डी./2011–12, परिमाण विपत्र दर से 1.11 प्रतिशत नीचे।

<sup>116</sup> फरवरी 2013 में ₹2.65 करोड़ के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति तथा मार्च 2013 में ₹2.72 करोड़ के लिए मु.अ., ल.ज.सं.वि. मुज. द्वारा तकनीकी स्वीकृति।

<sup>117</sup> एकरारनामा संख्या 01 एस.बी.डी./2013–14, परिमाण विपत्र के दर से 1.51 प्रतिशत नीचे।

<sup>118</sup> मेसर्स फूलदेव नारायण सिंह बिल्टक प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरपुर

इस प्रकार, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के विपरीत मुख्य अभियंता के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता द्वारा उन्हीं मदों के लिए जो कि प्राथमिक एकरारनामा में सम्मिलित थे को अधिक दर पर अनुपूरक एकरारनामा कार्यान्वित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.92 करोड़<sup>119</sup> का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2016), स्मार-पत्र निर्गत (जुलाई 2016) किया गया लेकिन जवाब अप्राप्त थे।

### 3.8 असमायोजित अग्रिम

#### शिक्षा विभाग

##### 3.8.1 असमायोजित अग्रिम

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानो के पालन में विफलता, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण का अभाव, कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं अक्रियाशीलता के कारण 115 व्यक्तियों के विरुद्ध ₹1.88 करोड़ की असमायोजित अग्रिम एक से 44 वर्षों की अवधि तक पड़ी रही।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (बि.रा.वि.अधि.), 1976 की धारा 15 सहपाठित धारा 23 यह अनुबंधित करता है कि रजिस्ट्रार, सिंडिकेट के सचिव के रूप में कार्य करेंगे, जो विश्वविद्यालय की निधियों का धारण, नियंत्रण एवं प्रबंधन करेंगे। आगे, सुसंगत धारा 123 यह वर्णित करता है कि वित्तीय सलाहकार की यह जिम्मेवारी होगी कि वह देखें कि विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामले अधिनियम, अध्यादेश, सांविधि, विश्वविद्यालय अध्यादेश, इनके अन्तर्गत तैयार किये गये विनियमन एवं नियमों के अनुसार निपटाए जायें।

संवीक्षा में अग्रिमों के असमायोजन से संबंधित निम्नलिखित मामले उद्घाटित हुए:

- वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय (वी.कुँ.सिं.वि.), आरा के अभिलेखों से उद्घाटित (नवंबर 2015) हुआ कि फरवरी 1994 से दिसंबर 2014 के दौरान परीक्षा निधि से 79 व्यक्तियों को विभिन्न उद्देश्यों<sup>120</sup> हेतु ₹1.52 करोड़ के अग्रिम प्रदान किए गए थे। यह पाया गया कि पूर्व की अग्रिमों के समायोजन किये बिना ही बार-बार अग्रिम प्रदान की गयी थी (परिशिष्ट-3.8.1) तथा ये अग्रिम अगस्त 2016 तक असमायोजित थी। आगे, संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 13 व्यक्तियों के विरुद्ध ₹60.85 लाख (40 प्रतिशत) की अग्रिम एक से पाँच वर्षों से अधिक तक असमायोजित थी तथा 66 व्यक्तियों द्वारा ली गयी ₹91.08 लाख (60 प्रतिशत) की अग्रिम पाँच से 22 वर्षों से अधिक तक असमायोजित थी। संवीक्षा में यह भी उद्घाटित हुआ कि चार व्यक्ति मृत थे, 19 सेवानिवृत्त हो चुके थे, 54 वी.कुँ.सिं.वि. के क्षेत्राधिकार से परे विश्वविद्यालयों/कार्यालयों में कार्यरत थे और शेष दो वी.कुँ.सिं.वि. में कार्यरत थे तथा उनके विरुद्ध क्रमशः ₹4.61 लाख, ₹39.91 लाख, ₹95.85 लाख और ₹11.56 लाख अग्रिम की राशियाँ लंबित थी (परिशिष्ट-3.8.2)।
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (ल.ना.मि.वि.), दरभंगा के अभिलेखों (दिसंबर 2014) एवं अनुवर्ती लेखापरीक्षा (अप्रैल 2016) में उद्घाटित हुआ कि वर्ष 1972 से अक्टुबर 2009 के दौरान परीक्षा उद्देश्यों के लिए 36 व्यक्तियों को ₹0.36 करोड़ की अग्रिम राशि प्रदान की गयी थी (परिशिष्ट-3.8.3)। परंतु, ये अग्रिम अगस्त 2016

<sup>119</sup> ₹1.67 करोड़ + ₹0.25 करोड़

<sup>120</sup> पेपर सेटिंग, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, प्रैविटकल/मौखिक परीक्षा, परीक्षा केन्द्र व्यय, परीक्षा हेतु पारिश्रमिक, आकस्मिक व्यय आदि।

तक असमायोजित थी। इनमें से ₹1.44 लाख (चार प्रतिशत) की अग्रिम दो व्यक्तियों के पास पाँच से 10 वर्षों की अवधि तक असमायोजित थी तथा शेष अग्रिम ₹34.71 लाख (96 प्रतिशत) 34 व्यक्तियों के पास 15 वर्षों से 44 वर्षों की अवधि तक असमायोजित थी। संवीक्षा में आगे उद्घाटित हुआ कि इनमें से 34 व्यक्ति मृत हो चुके थे तथा दो सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिनके विरुद्ध क्रमशः ₹28.78 लाख और ₹7.38 लाख की अग्रिम लंबित थी (परिशिष्ट-3.8.4)।

इसे इंगित किए जाने पर रजिस्ट्रार, बी.कूँ.सि.वि., आरा ने जवाब दिया (सितम्बर 2016) कि दोषी कर्मियों को एक माह के अंदर लंबित राशि को जमा करने हेतु पत्र निर्गत किए जा चुके थे (अगस्त 2016), विफलता की दशा में राशि की वसूली जो सेवानिवृत्त हो चुके थे अथवा जो विश्वविद्यालय से बाहर कार्यरत थे, के पेंशन राहत की राशि से कर ली जाएगी। निर्धारित समय के अंदर समायोजन नहीं होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार, ल.ना.मि.वि., दरभंगा ने कहा (अगस्त 2016) कि अद्यतन तिथि तक न तो कोई समायोजन या कोई वसूली की गयी थी और न ही वह संभाव्य थी क्योंकि संबंधित व्यक्ति जीवित नहीं थे।

इस प्रकार, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के पालन में विफलता, वी.कूँ.सि.वि. एवं ल.ना.मि.वि. के प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण का अभाव, कमज़ोर, आंतरिक नियंत्रण एवं अक्रियाशीलता के कारण 115 व्यक्तियों के विरुद्ध ₹1.88 करोड़ की असमायोजित अग्रिम एक से 44 वर्षों की अवधि तक पड़ी रही।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2016); स्मार–पत्र निर्गत किया गया (जुलाई 2016) लेकिन जवाब अभी भी अप्राप्त थे।

पटना

दिनांक: 22 फरवरी 2017

(धर्मेंद्र कुमार)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 23 फरवरी 2017

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

**परिशिष्ट**

**परिशिष्ट-1.1**

(संदर्भ: कंडिका-1.7 पृष्ठ-4)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य प्रक्षेत्र			सामाजिक प्रक्षेत्र			आर्थिक प्रक्षेत्र		
	नि.प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि	नि.प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि	नि.प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि
2008-09	125	424	590.27	458	2,984	3,632.73	340	1,914	2,595.77
2009-10	91	389	369.99	550	3,093	6,201.28	358	1,832	2,762.16
2010-11	85	317	553.97	485	2,551	7,859.03	261	1,311	4,919.77
2011-12	3	15	10.12	83	571	7,133.31	83	543	12,004.32
2012-13	51	398	3,016.66	441	2,696	31,845.00	98	709	7,332.26
2013-14	155	1,158	1,613.84	551	3,326	16,023.01	169	1,191	16,851.54
2014-15	151	799	5,508.79	530	3,547	12,148.60	223	1,476	25,015.57
2015-16	86	421	501.95	241	1,399	6,123.63	95	648	6,944.01
<b>कुल</b>	<b>747</b>	<b>3,921</b>	<b>12,165.59</b>	<b>3,339</b>	<b>20,167</b>	<b>90,966.59</b>	<b>1,627</b>	<b>9,624</b>	<b>78,425.40</b>

(झोत: इस कर्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

### परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका-1.7 पृष्ठ-4)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं का विभिन्न प्रकारों के अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

वर्ष	नि.प्र. की संख्या	लेखापरीक्षा में पाए गए धोखाधड़ी/ दुर्विनियोजन/ गबन/ हानि	लेखापरीक्षा में पाए गए वस्तुली एवं अधिक भुगतान	संविदासक दायित्वों का उल्लंघन एवं सर्वेदकों को अनुचित लाभ	परिहार्य/अधिकाई व्यय	व्यर्थ/निरर्थक व्यय	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किए गए व्यय	एक योजना से दूसरे या एक शीर्ष से दूसरे में निधियों का विचलन	निधियों के व्यपन होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का एक साथ आहरण	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिबंध लगा दिए गए वस्तुओं या विशेष प्रकृति की वस्तुओं पर व्यय	निधियों के व्यपन होने से बचने के लिए वारस्तविक जरूरत से अधिक मंडार/ गोदाम का क्रय	धन का निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवराधन	निष्क्रिय कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान	उपकरणों की अधिष्ठापना में देरी/निष्क्रिय उपकरण और तत्संबंधी परिणाम	उद्देश्यों की गैर उपलब्धि/निष्कल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएँ
2008-09	923	119	330	108	86	319	38	222	3	4	12	330	17	5	218	3,511	5,322
2009-10	999	154	297	164	141	314	48	234	3	3	1	293	25	21	313	3,303	5,314
2010-11	831	57	315	66	84	216	19	164	1	6	16	243	19	17	247	2,709	4,179
2011-12	169	9	62	51	20	53	6	26	2	0	4	70	5	2	78	741	1,129
2012-13	590	21	197	85	206	184	52	128	8	28	9	287	25	36	224	2,313	3,803
2013-14	875	105	215	145	235	292	43	119	14	76	14	444	34	41	328	3,570	5,675
2014-15	904	129	371	217	189	251	33	113	12	8	13	464	11	32	314	3,665	5,822
2015-16	422	52	165	81	120	125	19	59	6	3	4	163	5	5	175	1,486	2,468
<b>कुल</b>	<b>5,713</b>	<b>646</b>	<b>1,952</b>	<b>917</b>	<b>1,081</b>	<b>1,754</b>	<b>258</b>	<b>1,065</b>	<b>49</b>	<b>128</b>	<b>73</b>	<b>2,294</b>	<b>141</b>	<b>159</b>	<b>1,897</b>	<b>21,298</b>	<b>33,712</b>

(आटे:- इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

## परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कंडिका-1.11 पृष्ठ-6)

## राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखापरीक्षा सौचें जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लेखों का प्रस्तुतिकरण		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	टिप्पणी
			लेखों का वर्ष	दिनांक			
1	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थाई	2012-13	2/8/2014	2012-13	24/4/2015	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
			2013-14	29/2/2016			1. लेखों की देरी से प्राप्ति तथा तदुपरांत पू.ले.प्र. के प्रक्रिया में विलंब के कारण पू.ले.प्र. को समय पर निर्गत नहीं किया गया। 2. वर्ष 2013-14 के पू.ले.प्र. को अनुमोदन हेतु दिनांक 18/10/2016 को मुख्यालय भेजा गया। 3. बी.एस.एल.एस.ए. के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा वर्ष 2016-17 के तीसरी तिमाही में लिया जायेगा।
			2014-15	30/6/2016			
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2015-16	2009-10	3/4/2014	2008-09	27/8/2014	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
			2010-11	3/4/2014			1. पू.ले.प्र. की प्रस्तुतीकरण की तिथि के संबंध में पत्राचार सचिव, न.वि. एवं आ.वि. तथा बि.रा.आ.वो. के प्रबंध निदेशक के साथ पत्र संख्या एल.ए.-।/एस.एस.-।/पू.ले.प्र.सं. 488 (13-14) 380, 381 दिनांक 9/3/2016 के द्वारा किया गया है। 2. वर्ष 2011-12 तक बि.रा.आ.वो. की लेखापरीक्षा नवम्बर से दिसम्बर 2015 के दौरान किया गया। यद्यपि, पू.ले.प्र. की अनुमोदन की प्रक्रिया 29/7/2016 को बि.रा.आ. के शासकीय निकाय द्वारा 2009-10 के वार्षिक लेखों की अनुमोदन के बाद प्रारंभ किया जा सका। प्रारूप पू.ले.प्र. (2009-12) के पुनरीक्षण प्रक्रियारत है।
			2011-12	3/4/2014			
3	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बार्ड, पटना	2009-10	2009-10	12/9/2013	2009-10	21/4/2014	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2012-13	2013-14	21/6/2016	2011-12	20/10/2015	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
5	बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	2014-15	2011-12 2012-13 2013-14	24/9/2012 13/7/2015 13/7/2015	2011-12	9/2/2016	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया
							1. मुख्यालय के पत्रांक सं. 755/सी.आर./बिहार/पू.ले.प्र./ए.बी./बी.ए.यू.एस. /20/12-13/60-2016 दिनांक 8/6/2016 के आलोक में इसके पूर्व, पू.ले.प्र. की अवधि 2012-13 एवं 2013-14 के लिए मुख्यालय से अनुमोदन हेतु पत्रांक सं. ई.एस.-।/15-16 पू.ले.प्र. /12-13 बी.ए.यू./18/16-17 तथा ई.एस.-।/15-16 पू.ले.प्र./13-14/बी.ए.यू./19/16-17 दिनांक 19/4/2016 को भेजा गया था। पू.ले.प. जाँच सूची की आवश्यकता की प्रतिपुर्ति तथा मुख्यालय के दिशानिर्देश के आधार पर संशोधित पू.ले.प्र. 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि का पुनः मुख्यालय अनुमोदन हेतु पत्रांक सं. ई.एस.-।/2016-17/455 दिनांक 1/8/2016 भेजा गया है।

(झोत: इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन)

**परिशिष्ट-2.1.1**

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9; पृष्ठ-19)

**(i) नमूना-जाँचित जिलों में सामान्य अवयव के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन (भारत सरकार+ बिहार सरकार)	व्यय (भारत सरकार + बिहार सरकार) (आवंटन की प्रतिशतता)	कम व्यय (प्रतिशतता)
2011-12	55.04	50.34 (91)	4.70 (9)
2012-13	99.44	89.62 (90)	9.82 (10)
2013-14	95.35	83.88 (88)	11.47 (12)
2014-15	84.26	76.15 (90)	8.11 (10)
2015-16	110.79	89.29 (81)	21.5 (19)
कुल	<b>444.88</b>	<b>389.28 (88)</b>	<b>55.60 (12)</b>

**(ii) नमूना-जाँचित जिलों में पूरक पोषण कार्यक्रम अवयव के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन (भारत सरकार+ बिहार सरकार)	व्यय (भारत सरकार + बिहार सरकार/ आवंटन की प्रतिशतता)	कम व्यय (प्रतिशत)
2011-12	193.70	136.53 (70)	57.17 (30)
2012-13	246.03	221.14 (90)	24.89 (10)
2013-14	430.36	347.60 (81)	82.76 (19)
2014-15	347.16	332.92 (96)	14.24 (4)
2015-16	311.87	295.81 (95)	16.06 (5)
कुल	<b>1,529.12</b>	<b>1,334.00 (87)</b>	<b>195.12 (13)</b>

## परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.3-पृष्ठ 19)

पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) एवं सामान्य अवयव के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि के उपयोग को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष		विमुक्त राशि		कुल निधि		व्यय		अन्त शेष	
	एस.एन.पी.	सामान्य	एस.एन.पी.	सामान्य	एस.एन.पी.	सामान्य	एस.एन.पी.	सामान्य	एस.एन.पी.	सामान्य
2011-12	<b>54.55</b>	(-)30.94	354.53	457.64	409.08	426.70	386.09	434.33	22.99	(-)7.63
2012-13	22.99	(-)7.63	465.32	606.95	488.31	599.32	468.27	540.10	20.04	59.22
2013-14	<b>20.04</b>	<b>59.22</b>	510.23	482.84	530.27	542.06	648.28	548.76	(-)118.01	(-)6.70
2014-15	(-)118.01	(-)6.70	538.75	610.40	420.73	603.70	609.79	523.29	(-)189.05	80.41
2015-16	(-)189.05	<b>80.41</b>	659.94	276.54	470.89	356.95	545.74	349.43	(-)74.85	7.52
<b>कुल</b>			<b>2,528.77</b>	<b>2,434.37</b>			<b>2,658.17</b>	<b>2,395.91</b>		

(स्रोत: निदेशालय द्वारा भारत सरकार को समर्पित की गई उपयोगिता प्रमाण-पत्र)

### परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भ: कंडिका: 2.1.11.1; पृष्ठ-29)

राज्य में गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) के अन्तर्गत खाद्यान्न के आवंटन एवं उपयोगिता को दर्शाती विवरणी  
(मात्रा एम.टी. में)

वर्ष	मद	बिहार सरकार द्वारा माँग		भारत सरकार द्वारा आवंटन	निदेशालय द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों को पुनर्आवंटन		उपयोगित मात्रा	प्रत्यर्पित मात्रा (भारत सरकार द्वारा आवंटित मात्रा का प्रतिशत)
		आँगनबाड़ी केन्द्र	मात्रा		आँगनबाड़ी केन्द्र	मात्रा		
2011-12	चावल	3,437	54,169	2,406	3,437	2,406	1,789	617 (26)
	गेहूँ		425		96	3,437	96	71
2012-13	चावल	33,302	92,813	92,813	3,437	9,624	6,707	86,106 (93)
	गेहूँ		3,725		3,725	3,437	386	3,433 (92)
2013-14	चावल	44,748	1,24,914	1,16,890	33,054	92,754	74,333	42,557 (36)
	गेहूँ				931		97	838 (90)
2014-15	चावल	44,748	1,24,914	1,24,915	33,054	92,754	65,864	59,051 (47)
2015-16	चावल	33,054	1,28,739	1,18,207	33,054	91,436	22,181	96,026 (81)
योग	चावल		5,25,549	4,55,231		2,88,974	1,70,874	2,84,357 (62)
	गेहूँ		4,150	4,752		579	456	4,296(90)

व्यपगत/प्रत्यर्पित मात्रा का दर निर्धारण

मद	मात्रा (एम. टी. में)	दर प्रति एम. टी. (₹ में)	मूल्य (₹करोड़ में)
चावल	2,84,357	5,650	160.66
गेहूँ	4,296	4,150	1.78
योग			162.44

## परिशिष्ट-2.1.4

(संदर्भ: कंडिका: 2.1.11.1; पृष्ठ-30)

गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) के अन्तर्गत नमूना-जाँचित जिलों में चावल की अधिप्राप्ति को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल	
1.	सहरसा	चावल की खपत (विवंटल में)	15,264	21,057	40,565	39,768	31,517	1,48,171	
		दर प्रति विवंटल	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000		
		कुल राशि	228.96	315.86	608.48	795.36	630.34	2,578.99	
2.	किशनगंज	चावल की खपत (विवंटल में)	11,260	14,054	24,344	18,035	18,772	86,465	
		दर प्रति विवंटल	1,500	1,500	1,500	2,100	2,100		
		कुल राशि	168.90	210.81	365.16	378.74	394.21	1,517.82	
3.	नालंदा	चावल की खपत (विवंटल में)	37,760	52,053	49,341	59,017	51,185	2,49,356	
		दर प्रति विवंटल	1,500	1,500	2,100	2,100	2,100		
		कुल राशि	566.40	780.80	1,036.16	1,239.36	1,074.89	4,697.60	
4.	गोपालगंज	चावल की खपत (विवंटल में)	उपलब्ध नहीं	33,825	63,917	50,304	52,785	2,00,831	
		दर प्रति विवंटल	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000		
		कुल राशि	उपलब्ध नहीं	507.38	958.76	1,006.08	1,055.70	3,527.91	
5.	बक्सर	चावल की खपत (विवंटल में)	उपलब्ध नहीं	22,507	38,507	34,746	26,462	1,22,222	
		दर प्रति विवंटल	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675		
		कुल राशि	उपलब्ध नहीं	376.99	644.99	582.00	443.24	2,047.22	
6.	पूर्वी चम्पारण	चावल की खपत (विवंटल में)	70,018	85,084	1,05,367	97,698	85,054	4,43,221	
		दर प्रति विवंटल	1,500	1,500	1,900	1,900	1,900		
		कुल राशि	1,050.27	1,276.26	2,001.97	1,856.26	1,616.036	7,800.79	
7.	पश्चिम चम्पारण	चावल की खपत (विवंटल में)	56,202	54,359	79,289	75,587	69,205	3,34,642	
		दर प्रति विवंटल	1,500	1,500	1,900	1,900	1,900		
		कुल राशि	843.03	815.39	1,506.49	1,436.15	1,314.90	5,915.95	
सकल योग		चावल की खपत (विवंटल में)	1,90,504	2,82,939	4,01,330	3,75,155	3,34,980	15,84,908	
		बाजार दर पर कुल भुगतान की गई राशि	2,857.56	4,283.47	7,122.01	7,293.94	6,529.30	2,808.63	
		बी.पी.एल. दर पर भुगतान की गई राशि (@ ₹ 6.22 प्रति किलो	1,184.93	1,759.88	2,496.27	2,333.46	2,083.58	9,858.13	
		अधिक भुगतान की गई राशि	1,672.63	2,523.59	4,625.73	4,960.48	4,445.72	18,228.15	

### परिशिष्ट 2.1.5

(संदर्भ: कंडिका: 2.1.12; पृष्ठ-35)  
राज्य में प्रशिक्षण प्रदान करने की विवरणी

#### (i) जॉब प्रशिक्षण

पद का नाम	31 मार्च 2011 को अप्रशिक्षित	वर्ष 2011-16 के दौरान नियुक्त/नव चयनित	अप्रशिक्षित कर्मियों की कुल संख्या	2011-16 के दौरान प्रशिक्षित	31 मार्च 2016 तक अप्रशिक्षित
सी.डी.पी.ओ.	167	0	167	0	167
पर्यवेक्षिका	0	1,695	1,695	501	1,194
आँगनबाड़ी सेविका	13,910	23,676	37,586	22,522	15,064

#### (ii) रिफेसर प्रशिक्षण

अवधि	पर्यवेक्षिका		आँगनबाड़ी सेविका		आँगनबाड़ी सहायिका	
	कार्यरत बल	प्रशिक्षित (प्रतिशत)	कार्यरत बल	प्रशिक्षित (प्रतिशत)	कार्यरत बल	प्रशिक्षित (प्रतिशत)
2011-12	2,634	440 (17)	81,766	14,996 (18)	80,677	11,995 (15)
2012-13	2,833	0	69,889	19,675 (28)	68,569	14,786 (22)
2013-14	2,833	0	69,889	20,699 (30)	68,569	16,383 (24)
2014-15	2,882	0	83,202	22,050 (27)	78,369	11,875 (15)
2015-16	2,499	75 (3)	86,752	15,567 (18)	77,315	15,591 (20)

#### (iii) इडंक्शन प्रशिक्षण

अवधि	पर्यवेक्षिका		आँगनबाड़ी सेविका		आँगनबाड़ी सहायिका	
	नव चयनित	प्रशिक्षित	नव चयनित	प्रशिक्षित	नव चयनित	प्रशिक्षित
2011-12	1,695	0	400	0	0	0
2012-13	0	0	17,411	0	0	0
2013-14	0	0	990	0	729	0
2014-15	0	0	1,483	0	1,070	0
2015-16	0	0	3,392	0	976	0
कुल	1,695	0	23,676	0	2,775	0

## परिशिष्ट-2.1.6

(संदर्भ: कॉडिका : 2.1.12.1; पृष्ठ-35)

## ऑँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण में कमी को दर्शाती विवरणी

प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	वर्ष	महीनों में भुगतान	आयोजित प्रशिक्षण (दिनों में)	मानक के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जाना था	मानक के अनुसार प्रशिक्षण अयोजित नहीं किया गया
1	2	3	4	5	6
प्राकृतिक आरोग्यश्राम, राजगीर, नालन्दा	2011-12	12	124	348	224
	2012-13	12	172	348	176
	2013-14	12	198	348	150
	2014-15	12	153	300	147
	2015-16	12	144	300	156
सम विकास समिति, इस्लामपुर, नालन्दा	2011-12	12	261	348	87
	2012-13	12	208	348	140
	2013-14	12	268	348	80
	2014-15	12	204	300	96
ग्रामीण कल्याण प्रतिष्ठान, रामचन्द्रपुर, नालन्दा	2011-12	12	104	348	244
	2012-13	12	206	348	142
	2013-14	12	222	348	126
	2014-15	12	152	300	148
पब्लिक वेलफेयर सोसायटी, टेढ़ागाछ, किशनगंज	2011-12	12	93	348	255
	2012-13	12	60	348	288
नारी कल्याण संस्थान, गोपालगंज	2/2014 से 12/2014	11	168	275	107
महिला ग्राम श्री, गोपालगंज	2/2014 से 12/2014	11	173	275	102
ऑल राउण्ड डेवलेपमेंट सोसाइटी, मोतिहारी	2011-12	6	0	174	174
अखिल भारतीय विवाह केन्द्र, मोतिहारी	2011-12	12	93	348	255
	2012-13	12	59	348	289
	2013-14	12	139	348	209
	2014-15	12	129	300	171
	2015-16	12	205	300	95
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ योगा रिसर्च, पश्चिम चम्पारण	2012-13	10	180	290	110
	2013-14	12	223	348	125
	2014-15	12	271	300	29
	2015-16	5	68	125	57
अधिसूचित क्षेत्र शिक्षा विकास समिति, पश्चिम चम्पारण	2012-13	3	44	87	43
	2013-14	12	103	348	245
	2014-15	10	120	250	130
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, सहरसा	2011-12	12	215	348	133
	2012-13	12	198	348	150
	2013-14	12	223	348	125
	2014-15	12	255	300	45
महिला ग्राम श्री, बक्सर	2011-12	12	232	348	116
	2012-13	12	191	348	157
	2013-14	12	234	348	114
	2014-15	12	220	300	80

**परिशिष्ट-2.1.7**

(संदर्भ: कंडिका 2.1.12.2; पृष्ठ-36)

स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत् बल की स्थिति की विवरणी

पदों के नाम	राज्य			नमूना-जाँचित जिले		
	स्वीकृत बल	उपलब्ध मानव बल	रिक्त (प्रतिशतता)	स्वीकृत बल	उपलब्ध मानव बल	रिक्त (प्रतिशतता)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	544	458	86 (16)	149	104	45(30)
महिला पर्यवेक्षिका	3,288	2,499	789 (24)	867	704	163(19)
आँगनबाड़ी सेविका	91,677	86,752	4,925 (5)	25,319	23,640	1,679(7)
आँगनबाड़ी सहायिका	86,237	77,315	8,922 (10)	23,280	21,642	1,638(7)

(झोत: निदेशालय एवं नमूना-जाँचित जिलों के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

## परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.2.7.2; पृष्ठ-46)

वार्षिक कार्य योजना में लक्ष्य निर्धारण करने की विवरणी

## (i) बसावटों के आच्छादन हेतु लक्ष्य निर्धारण

वर्ष	बसावटों की संख्या	पूर्ण आच्छादित बसावट	आंशिक आच्छादित बसावट			
			1 अप्रैल के अनुसार	लक्ष्य (प्रतिशत में)	उपलब्धि	स्लीप्ड बैक
2011-12	1,07,642	74,378	14,837	5,922 (40)	4,445	569
2012-13	1,07,641	82,203	10,859	8,915 (82)	5,909	19,032
2013-14	1,07,639	72,875	24,178	3,283 (14)	3,189	30,063
2014-15	1,07,639	50,203	50,838	8,437 (17)	8,173	1,719
2015-16	1,10,140	59,862	46,759	5,612 (12)	4,639	1,701

## (ii) गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के आच्छादन हेतु लक्ष्य निर्धारण

वर्ष	आर्सेनिक			फ्लोरार्इड			आयरन		
	वर्ष के 1 अप्रैल के अनुसार	लक्ष्य (प्रतिशत में)	उपलब्धि	वर्ष के 1 अप्रैल के अनुसार	लक्ष्य	उपलब्धि	वर्ष के 1 अप्रैल के अनुसार	लक्ष्य	उपलब्धि
2011-12	1,111	213 (19)	169	3,338	803 (24)	685	13,978	5,464 (39)	3,095
2012-13	1,004	786 (78)	194	2,698	1,507 (56)	771	10,877	3,807 (35)	2,830
2013-14	727	716 (98)	383	1,504	911 (61)	633	8,355	3,473 (42)	3,186
2014-15	357	320 (90)	262	893	563 (63)	381	5,348	3,041 (57)	2,561
2015-16	66	54 (82)	32	498	353 (71)	149	2,955	1,474 (50)	1,330

## (iii) पेयजल स्रोतों का जल गुणवत्ता जाँच

वर्ष	जल स्रोतों की सं.	प्रयोगशाला में जल गुणवत्ता जाँच का लक्ष्य	प्रतिशतता
2011-12	2,87,838	91,200 (38 जिलों हेतु 200 नमूना प्रति माह प्रति प्रयोगशाला)	32
2012-13	3,61,793	91,200	25
2013-14	3,87,457	1,36,800	35
2014-15	3,87,457	1,50,000	39
2015-16	4,10,239	1,36,000	33

(iv) 0 से 50 प्रतिशत आच्छादित जनसंख्या वाले बसावट

(संख्या में)

वर्ष	कुल बसावटों की संख्या	गुणवत्ता रहित बसावटों के लक्ष्यों का व्यौरा									
		शून्य से अधिक एवं 25 प्रतिशत से कम आच्छादित वाले बसावटों की संख्या	25 प्रतिशत एवं उससे अधीक तथा 50 प्रतिशत से कम आच्छादित बसावटों की संख्या	1 अप्रैल के अनुसार	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य का प्रतिशतता	1 अप्रैल के अनुसार	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य का प्रतिशतता
2011-12	1,07,642	1,708	1,007	639	59	3,538	1,719	1,314	49		
2012-13	1,07,642	1,155	1,042	684	90	2,396	1,962	1,352	82		
2013-14	1,07,640	5,129	642	618	13	5,981	1,022	1,004	17		
2014-15	1,07,640	7,775	2,257	2,188	29	9,926	1,577	1,546	16		
2015-16	1,10,140	9,078	1,281	1,976	14	7,839	1,018	870	13		

(v) अनुसूचित जाति बाहुल्य बसावट

(संख्या में)

अनुसूचित जाति बाहुल्य बसावटों की संख्या						
वर्ष	1 अप्रैल के अनुसार	पूर्ण आच्छादित	आंशिक आच्छादित	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य की प्रतिशतता
2011-12	23,520	16,709	6,811	3,227	2,029	47
2012-13	23,520	18,152	5,368	2,904	2,008	54
2013-14	23,520	16,146	7,374	2,905	2,621	39
2014-15	9,039	4,602	4,437	932	880	21
2015-16	9,473	5,295	4,178	767	650	18

(vi) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसावट

(संख्या में)

वर्ष	1 अप्रैल के अनुसार	पूर्ण आच्छादित	आंशिक आच्छादित	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य की प्रतिशतता
2011-12	1,952	1,202	750	233	185	31
2012-13	1,952	1,355	597	264	183	44
2013-14	1,952	1,457	495	194	177	39
2014-15	1,766	811	955	152	133	16
2015-16	1,832	863	969	171	123	18

**परिशिष्ट-2.2.2**

( संदर्भः कांडिका 2.2.10; पृष्ठ-55)

वर्ष 2011–16 के दौरान विद्यालयों एवं आँगनबाड़ियों के आच्छादन हेतु योजनाओं के स्वीकृति से संबंधित विवरणी

विद्यालय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति संख्या / दिनांक	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत राशि	उपलब्धि	व्यय
1.	विद्यालय में प्रवाहमान जल के साथ टंकी	3685 11/11/2011	500	555.00	496	485.91
2.	विद्यालय में प्रवाहमान जल के साथ टंकी	2790 26/10/2012	1,100	1,355.31	1,089	1,052.22
3.	पूराने एवं बंद परे नलकूप के स्थान पर नए हैंड पम्प	2789 26/10/2012	3,000	1,118.12	2,751	896.98
4.	विद्यालय में प्रवाहमान जल के साथ टंकी	243 28/1/2015	6,631	7,949.24	2,015	3,630.85
5.	विद्यालय में प्रवाहमान जल के साथ टंकी	1539 4/8/2014	1,100	1,355.31	1,015	1,025.24
6.	विद्यालय में नए हैंड पम्प	928 28/5/2014	4,590	2,476.54	4,384	2,007.30
	कुल		<b>16,921</b>	<b>14,809.52</b>	<b>11,750</b>	<b>9,098.50</b>

आँगनबाड़ी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रशासनिक स्वीकृति संख्या / दिनांक	लक्ष्य	राशि	उपलब्धि	राशि
1	3383/10/10/2011	9,374	4,177.80	8,995	4,024.03
2	2597/25/9/2012	7,044	2,796.83	6,161	2,183.31
	कुल	<b>16,418</b>	<b>6,974.63</b>	<b>15,156</b>	<b>6,207.34</b>

नमूना जाँचित प्रमंडलों में विद्यालयों एवं आँगनबाड़ियों की स्थिति

(₹ लाख में)

प्रमंडलों का नाम	विद्यालय			आँगनबाड़ी		
	लक्ष्य	उपलब्धि	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि	व्यय
भागलपुर पूर्व	455	387	292.78	781	690	304.82
भागलपुर पश्चिम	200	169	127.78	550	510	234.7
छपरा	437	266	189.48	344	337	125.26
दरभंगा	672	506	258.9	488	477	179.01
जमुई	439	365	263.72	323	318	103.74
जहानाबाद	143	125	55.64	405	293	114.82
पटना पूर्व	470	247	114.34	270	46	53.11
पटना पश्चिम	833	582	322.97	283	272	108.99
सासाराम	263	235	153.12	476	436	145.33
सुपौल	498	91	59.93	257	257	84.51
बेतिया	543	297	133.93	318	279	62.73
वैशाली	353	259	120.98	518	453	144.79
कुल	<b>5,306</b>	<b>3,529</b>	<b>2,093.57</b>	<b>5,013</b>	<b>4,368</b>	<b>1,661.81</b>

**परिशिष्ट-2.2.3**  
**( संदर्भ कंडिका 2.2.11.1; पृष्ठ-59)**  
**बहु-ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना की स्थिति**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	प्राककलित राशि	एकरारनामा सं/वर्ष	कार्य शुरू करने की तिथि / कार्य समाप्ति की नियत तिथि	व्ययित राशि	स्थिति
	चालू						
1	मुंगेर जिला के फ्लोराईंड प्रभावित खैरा तथा छः निकटवर्ती गाँवों/टोलों में	2010-11	3,229.50	28 एफ.2/ 2010-11 एस.बी.डी.1/ 2016-17	19/1/2011 31/3/2014 6/4/2016 5/12/2016	1,372.25	प्रगति में
2	आर्सेनिक प्रभावित कहलगाँव एवं पीरपैंती प्रखंडों के 141 गाँवों/टोलों में	2010-11	21,967.42	एस.बी.डी. 1/ 2015-16	14/8/2015 13/2/2018	2,742.19	भूमि अनुपलब्धता के कारण विलंब से शुरू।
3	आर्सेनिक प्रभावित सुल्तानगंज और नाथनगर प्रखंडों के 86 गाँवों/टोलों में	2010-11	8,060.28	15 एफ.2/ 2012-13	12/11/2012 11/5/2015	3,726.07	फ्लोटिंग जेट्टी के दर का अनुमोदन नहीं होने से अपूर्ण।
4	आर्सेनिक प्रभावित मनेर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के 25 गाँवों/टोलों में	2007-08	7,554.00	5 एफ.2/ 2009-10	21/5/2009 20/5/2011	4,698.37	भूमि अनुपलब्धता के कारण विलंब से कार्यान्वयन
5	आर्सेनिक प्रभावित सिमरी (बक्सर) के 130 गाँवों/टोलों हेतु	2007-08	11,257.00	एस.बी.डी. 1/ 2009-10	21/5/2009 30/11/2011	8,234.61	फ्लोटिंग जेट्टी के दर का अनुमोदन नहीं होने से अपूर्ण।
6	वैशाली जिला के आर्सेनिक प्रभावित विदुपुर, हाजीपुर, सहुदई बुजुर्ग, दसरी प्रखंड के 45 गाँव /टोलों हेतु	2007-08	14,242.00	1 एफ.2/ 2009-10	22/5/2009 7/6/2012 (जून 2015)	12,786.80	फ्लोटिंग जेट्टी के दर का अनुमोदन नहीं होने से अपूर्ण।
	कुल		<b>66,310.20</b>			<b>33,560.29</b>	
	नई						
7	शाहपुर (भोजपुर) के 75 बसावटों/ग्रामों में बहुग्रामीण (आर्सेनिक) जलापूर्ति योजना	2012-13	22,384.92	21 एकड़ जमीन हेतु सी.ई. (शहरी) द्वारा जिला उपायुक्त को पत्र (अगस्त 2015) लिखा गया।		0.00	भूमि अनुपलब्धता के कारण अभी तक शुरू नहीं।
8	नेकनाम टोला (भोजपुर) में 70 बसावट/गाँवों में बहुग्रामीण (आर्सेनिक) जलापूर्ति योजना	2012-13	13,829.40	एकरारनामा नहीं।		258.83	भूमि अनुपलब्धता के कारण अभी तक शुरू नहीं।
9	आर्सेनिक प्रभावित मठिहानी, बरोनी एवं बेगुसराय प्रखंडों के 111 गाँवों/टोलों हेतु (नया)	2013-14	19,178.00	एस.बी.डी. 5/ 2014-15	21/2/2015 20/8/2017	1,600.00	भूमि अनुपलब्धता के कारण विलंब से कार्यान्वयन
10	समस्तीपुर (आर्सेनिक) में 67 बसावटों/गाँवों पटोरी, मोहददीनगर और मोहनपुर प्रखंड (आर्सेनिक) हेतु	2013-14	13,780.56	स्थल चयन नहीं किया गया था।		0.00	भूमि अनुपलब्धता के कारण अभी तक शुरू नहीं।
	कुल		<b>69,172.88</b>			<b>1,858.83</b>	
	सकल योग		<b>1,35,483.08</b>			<b>35,419.12</b>	

**परिशिष्ट-2.2.4**

( संदर्भ कांडिका 2.2.11.1; पृष्ठ-59)

**भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण अपूर्ण बहु-ग्रामीण पार्इप जलापूर्ति योजनाओं का व्यौरा**

क्र. सं	बहु-ग्रामीण पार्इप जलापूर्ति योजना का नाम	योजनाओं की स्वीकृत का वर्ष (पूर्ण करने की अवधि)	एकरारित लागत (₹ करोड़ में)	व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	अभियुक्तियाँ
1	आर्सेनिक प्रभावित मनेर एवं निकटवर्ती 25 गाँवों/टोलों का क्षेत्र (चालू)	2007-08 (तीन वर्ष)	62.00	46.98	आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया
2	कहलगाँव एवं पीरपैती प्रखंड के आर्सेनिक प्रभावित 141 गाँवों/बसावटों (चालू)	2010-11 (तीन वर्ष)	198.89	27.42	चार वर्षों के विलंब से भूमि उपलब्ध कराया गया
3	मठीहानी, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखंड के आर्सेनिक प्रभावित 111 गाँवों/टोलों (नया)	2013-14 (तीन वर्ष)	196.99	16.00	दो वर्षों के विलंब से भूमि उपलब्ध कराया गया
<b>कुल</b>				<b>90.40</b>	

(झोत : नमूना जाँचित प्रमंडलों एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

**परिशिष्ट-2.2.5**

( संदर्भ कांडिका 2.2.11.1; पृष्ठ-61)

**कुल रूपांकन अवधि में जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर कार्य के किर्यान्वित करने के कारण अपूर्ण बहु-ग्रामीण पार्इप जलापूर्ति योजनाओं का विवरण**

क्र. सं.	बहु-ग्रामीण पार्इप जलापूर्ति योजनाओं का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य प्रारंभ करने की तिथि/कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)
1	बक्सर जिला के सिमरी में आर्सेनिक प्रभावित 130 गाँवों/टोलों में	2007-08	21/5/2009 30/11/2011	82.35
2	वैशाली जिला के बिदूपुर, हाजीपुर, सहदेह बुजुर्ग देसरी प्रखंड के आर्सेनिक प्रभावित 45 ग्रामों/टोलों में	2007-08	22/5/2009 07/6/2012 (विस्तारित अवधि जून 2015)	127.86
3	भागलपुर जिला के सुल्तानगंज एवं नाथनगर प्रखंड के आर्सेनिक प्रभावित 86 गाँवों/टोलों में	2010-11	12/11/2012 11/5/2015	37.26
<b>कुल</b>				<b>247.47</b>

(झोत : नमूना जाँचित प्रमंडलों एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

### परिशिष्ट-2.2.6

(संदर्भ कांडिका 2.2.11.2; पृष्ठ-62)

वर्ष 2001 के जनसंख्या के आधार पर ली गई योजनाओं से संबंधित विवरणी

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम
1	भागलपुर पश्चिम	भिरखुर्द ग्रा. पाईप जला. योजना
2	भागलपुर पश्चिम	दराधि ग्रा. पाईप जला. योजना
3	भागलपुर पश्चिम	हरपुर ग्रा. पाईप जला. योजना
4	भागलपुर पश्चिम	करैला ग्रा. पाईप जला. योजना
5	भागलपुर पश्चिम	पुरैनी ग्रा. पाईप जला. योजना
6	भागलपुर पश्चिम	सजौर ग्रा. पाईप जला. योजना
7	बेतिया	बैरिया पूर्णगठन ग्रा. पाईप जला. योजना
8	बेतिया	चौतरवा ग्रा. पाईप जला. योजना
9	बेतिया	मछरगावॉ ग्रा. पाईप जला. योजना
10	बेतिया	सरिसवा ग्रा. पाईप जला. योजना
11	बेतिया	साठी ग्रा. पाईप जला. योजना
12	बेतिया	कौल्हुआ चौतरवा ग्रा. पाईप जला. योजना
13	सासाराम	बभनौल ग्रा. पाईप जला. योजना
14	सासाराम	बभनी ग्रा. पाईप जला. योजना
15	सासाराम	बराहरी ग्रा. पाईप जला. योजना
16	सासाराम	बरावं ग्रा. पाईप जला. योजना
17	सासाराम	बस्तीपुर ग्रा. पाईप जला. योजना
18	सासाराम	गारा-पडितपुरा ग्रा. पाईप जला. योजना
19	सासाराम	घुसियाखुर्द पंचायत ग्रा. पाईप जला. योजना
20	सासाराम	धूसिया ग्रा. पाईप जला. योजना
21	सासाराम	कदवॉ ग्रा. पाईप जला. योजना
22	सासाराम	करुप ग्रा. पाईप जला. योजना
23	सासाराम	खैरा ग्रा. पाईप जला. योजना
24	सासाराम	कुछिला ग्रा. पाईप जला. योजना
25	सासाराम	नोनहर ग्रा. पाईप जला. योजना
26	सासाराम	सदोखर ग्रा. पाईप जला. योजना
27	सासाराम	समिहटा ग्रा. पाईप जला. योजना
28	भागलपुर पूर्व	धनोरा ग्रा. पाईप जला. योजना
29	भागलपुर पूर्व	जगतपुर ग्रा. पाईप जला. योजना
30	भागलपुर पूर्व	जयरामपुर ग्रा. पाईप जला. योजना
31	भागलपुर पूर्व	लैलख ग्रा. पाईप जला. योजना
32	भागलपुर पूर्व	महेश मुंडा ग्रा. पाईप जला. योजना
33	भागलपुर पूर्व	मारवा ग्रा. पाईप जला. योजना
34	भागलपुर पूर्व	नदियावा ग्रा. पाईप जला. योजना
35	भागलपुर पूर्व	साहुपरबत्ता ग्रा. पाईप जला. योजना
36	भागलपुर पूर्व	सियॉ ग्रा. पाईप जला. योजना
37	भागलपुर पूर्व	उदयरामपुर कोदवार ग्रा. पाईप जला. योजना
38	जमुई	गिद्धौर ग्रा. पाईप जला. योजना
39	छपरा	बेला ग्रा. पाईप जला. योजना
40	छपरा	भजौना ग्रा. पाईप जला. योजना
41	छपरा	चिरांद ग्रा. पाईप जला. योजना
42	छपरा	गंडामन ग्रा. पाईप जला. योजना
43	छपरा	गौरा ग्रा. पाईप जला. योजना
44	छपरा	हराजी ग्रा. पाईप जला. योजना
45	छपरा	कसमर ग्रा. पाईप जला. योजना
46	छपरा	खैरा ग्रा. पाईप जला. योजना
47	छपरा	कोदईबाग ग्रा. पाईप जला. योजना

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम
48	छपरा	मसरख पूर्व ग्रा. पाईप जला. योजना
49	छपरा	मसरख पश्चिम ग्रा. पाईप जला. योजना
50	छपरा	नैनी ग्रा. पाईप जला. योजना
51	छपरा	नरहरपुर ग्रा. पाईप जला. योजना
52	छपरा	नयागाँव ग्रा. पाईप जला. योजना
53	छपरा	पतेढा ग्रा. पाईप जला. योजना
54	छपरा	इनई ग्रा. पाईप जला. योजना
55	छपरा	शाहपुर ग्रा. पाईप जला. योजना
56	छपरा	सिलहौरी ग्रा. पाईप जला. योजना
57	छपरा	टेकनिवास ग्रा. पाईप जला. योजना
58	दरभंगा	बहेरी ग्रा. पाईप जला. योजना
59	दरभंगा	कोलहन्ता पतोरी ग्रा. पाईप जला. योजना
60	दरभंगा	रैयाम ग्रा. पाईप जला. योजना
61	दरभंगा	सुपौल ग्रा. पाईप जला. योजना

### परिशिष्ट-2.2.7

(संदर्भ कांडिका 2.2.11.2; पृष्ठ-62)

40 या 46 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) के आधार पर ली गई योजनाओं से संबंधित विवरणी

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	सर्विस लेवल पर बनाई गई योजना
1	भागलपुर पश्चिम	भिरखुर्द ग्रा. पाईप जला. योजना	40
2	भागलपुर पश्चिम	दराधि ग्रा. पाईप जला. योजना	40
3	भागलपुर पश्चिम	हरपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	40
4	भागलपुर पश्चिम	करैला ग्रा. पाईप जला. योजना	40
5	भागलपुर पश्चिम	पुरैनी ग्रा. पाईप जला. योजना	40
6	भागलपुर पश्चिम	सजौर ग्रा. पाईप जला. योजना	40
7	जहानाबाद	नेआवाँ पुर्नगढ़न ग्रा. पाईप जला. योजना	40
8	सासाराम	बभनौल ग्रा. पाईप जला. योजना	30
9	सासाराम	बभनी ग्रा. पाईप जला. योजना	40
10	सासाराम	बरहरी ग्रा. पाईप जला. योजना	40
11	ससाराम	बरावे ग्रा. पाईप जला. योजना	40
12	ससाराम	गारा पंडितपुरा ग्रा. पाईप जला. योजना	40
13	ससाराम	घुसियाखुर्द ग्रा. पाईप जला. योजना	40
14	ससाराम	घुसिया ग्रा. पाईप जला. योजना	40
15	ससाराम	कदवाँ ग्रा. पाईप जला. योजना	40
16	ससाराम	करूप ग्रा. पाईप जला. योजना	40
17	ससाराम	खैरा ग्रा. पाईप जला. योजना	40
18	ससाराम	कुछिला ग्रा. पाईप जला. योजना	40
19	ससाराम	नोनहर ग्रा. पाईप जला. योजना	40
20	ससाराम	सदोखर ग्रा. पाईप जला. योजना	40
21	भागलपुर पूर्व	धनौरा ग्रा. पाईप जला. योजना	40
22	भागलपुर पूर्व	जगतपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	40
23	भागलपुर पूर्व	जयरामपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	40
24	भागलपुर पूर्व	लैलख ग्रा. पाईप जला. योजना	40
25	भागलपुर पूर्व	महेश मुंडा ग्रा. पाईप जला. योजना	40
26	भागलपुर पूर्व	मरवाँ ग्रा. पाईप जला. योजना	40
27	भागलपुर पूर्व	नदियावाँ ग्रा. पाईप जला. योजना	40
28	भागलपुर पूर्व	साहूपरबत्ता ग्रा. पाईप जला. योजना	40
29	भागलपुर पूर्व	सियाँ ग्रा. पाईप जला. योजना	40
30	भागलपुर पूर्व	उदयरामपुर कोदवार ग्रा. पाईप जला. योजना	40
31	छपरा	बेला ग्रा. पाईप जला. योजना	40
32	छपरा	चिरांद ग्रा. पाईप जला. योजना	40
33	छपरा	हराजी ग्रा. पाईप जला. योजना	40
34	छपरा	कसमर ग्रा. पाईप जला. योजना	40
35	छपरा	मसरख पूर्व ग्रा. पाईप जला. योजना	40
36	छपरा	मसरख पश्चिम ग्रा. पाईप जला. योजना	40
37	छपरा	नैनी ग्रा. पाईप जला. योजना	40
38	छपरा	नयागाँव ग्रा. पाईप जला. योजना	40
39	छपरा	इनई ग्रा. पाईप जला. योजना	40
40	छपरा	शाहपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	40
41	छपरा	टेकनिवास ग्रा. पाईप जला. योजना	40
42	बेतिया	बैतिया पुर्नगढ़न ग्रा. पाईप जला. योजना	46
43	बेतिया	चौतरखा ग्रा. पाईप जला. योजना	46
44	बेतिया	मछरगाँवा ग्रा. पाईप जला. योजना	46
45	बेतिया	सरिसिवा ग्रा. पाईप जला. योजना	46
46	बेतिया	साठी ग्रा. पाईप जला. योजना	46

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	सर्विस लेवल पर बनाई गई योजना
47	बेतिया	कोलहुआ चोतरवा ग्रा. पाईप जला. योजना	46
48	ससाराम	बस्तीपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	46
49	ससाराम	दारानगर ग्रा. पाईप जला. योजना	46
50	ससाराम	समिहाता ग्रा. पाईप जला. योजना	46
51	सुपौल	बरैल ग्रा. पाईप जला. योजना	46
52	छपरा	गौरा ग्रा. पाईप जला. योजना	46
53	छपरा	खैरा ग्रा. पाईप जला. योजना	46
54	छपरा	कोदईबाग ग्रा. पाईप जला. योजना	46
55	छपरा	नरहरयुर ग्रा. पाईप जला. योजना	46
56	छपरा	पटेढा ग्रा. पाईप जला. योजना	46
57	छपरा	सिलहौरी ग्रा. पाईप जला. योजना	46
58	दरभंगा	बहेरी ग्रा. पाईप जला. योजना	40
59	दरभंगा	कोलहन्टा पटोरी ग्रा. पाईप जला. योजना	46
60	दरभंगा	रैयाम ग्रा. पाईप जला. योजना	46
61	दरभंगा	सुपौल ग्रा. पाईप जला. योजना	40
62	दरभंगा	कुशेश्वर स्थान ग्रा. पाईप जला. योजना	46
63	दरभंगा	लदारी ग्रा. पाईप जला. योजना	40

### परिशिष्ट-2.2.8

**(संदर्भ कंडिका 2.2.11.2; पृष्ठ-63)**

**कुल रूपांकण माँग के 50 प्रतिशत से कम पर आँकी गई जलाशयों की क्षमता से संबंधित विवरणी**

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कुल माँग की प्रतिशतता पर आँकी गई जलाशयों की क्षमता
1	भागलपुर पश्चिम	भिरखुर्द ग्रा. पाईप जला. योजना	39
2	भागलपुर पश्चिम	दराधि ग्रा. पाईप जला. योजना	33
3	भागलपुर पश्चिम	हरपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	32
4	भागलपुर पश्चिम	करैला ग्रा. पाईप जला. योजना	36
5	भागलपुर पश्चिम	पुरैनी ग्रा. पाईप जला. योजना	24
6	भागलपुर पश्चिम	सजौर ग्रा. पाईप जला. योजना	38
7	जहानाबाद	इमलिया ग्रा. पाईप जला. योजना	33
8	जहानाबाद	केउर ग्रा. पाईप जला. योजना	30
9	जहानाबाद	लटनपट्टी ग्रा. पाईप जला. योजना	33
10	जहानाबाद	मुबारकपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	33
11	जहानाबाद	नोआवॉ पूर्नगढ़न ग्रा. पाईप जला. योजना	33
12	जहानाबाद	तेतरिया ग्रा. पाईप जला. योजना	33
13	बेतिया	बैरिया पूर्नगढ़न ग्रा. पाईप जला. योजना	33
14	बेतिया	चौतरवा ग्रा. पाईप जला. योजना	33
15	बेतिया	मछरगँवा ग्रा. पाईप जला. योजना	33
16	बेतिया	सरिसवा ग्रा. पाईप जला. योजना	33
17	बेतिया	साठी ग्रा. पाईप जला. योजना	33
18	बेतिया	कोल्हुआ चोतरवा ग्रा. पाईप जला. योजना	33
19	सासाराम	बभनौल ग्रा. पाईप जला. योजना	30
20	सासाराम	बभनी ग्रा. पाईप जला. योजना	30
21	सासाराम	बरहरी ग्रा. पाईप जला. योजना	30
22	सासाराम	बरावॉ ग्रा. पाईप जला. योजना	30
23	सासाराम	बस्तीपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	33
24	सासाराम	दारानगर ग्रा. पाईप जला. योजना	33
25	सासाराम	गारा पंडितपुरा ग्रा. पाईप जला. योजना	30
26	सासाराम	घूसियाखुर्द पंचायत ग्रा. पाईप जला. योजना	30
27	सासाराम	धूसिया ग्रा. पाईप जला. योजना	30
28	सासाराम	कदवॉ ग्रा. पाईप जला. योजना	30
29	सासाराम	करूप ग्रा. पाईप जला. योजना	30
30	सासाराम	खेरा ग्रा. पाईप जला. योजना	30
31	सासाराम	कुछिला ग्रा. पाईप जला. योजना	30
32	ससाराम	नोनहर ग्रा. पाईप जला. योजना	30
33	ससाराम	सदोखर ग्रा. पाईप जला. योजना	30
34	ससाराम	समिहता ग्रा. पाईप जला. योजना	33
35	भागलपुर पूर्व	धनौरा ग्रा. पाईप जला. योजना	32
36	भागलपुर पूर्व	जगतपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	32
37	भागलपुर पूर्व	जयरामपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	36
38	भागलपुर पूर्व	लैलख ग्रा. पाईप जला. योजना	45
39	भागलपुर पूर्व	महेश मूँडा ग्रा. पाईप जला. योजना	36
40	भागलपुर पूर्व	मारवा ग्रा. पाईप जला. योजना	49
41	भागलपुर पूर्व	नदियॉवा ग्रा. पाईप जला. योजना	45
42	भागलपुर पूर्व	साहुपरबत्ता ग्रा. पाईप जला. योजना	37
43	भागलपुर पूर्व	सियाँ ग्रा. पाईप जला. योजना	31
44	भागलपुर पूर्व	उदयरामपुर कोदवार ग्रा. पाईप जला. योजना	34
45	सुपौल	बैल ग्रा. पाईप जला. योजना	36

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कुल मॉग की प्रतिशतता पर आँकी गई जलाशयों की क्षमता
46	जमुई	गिर्द्वार ग्रा. पाईप जला. योजना	48
47	जमुई	खैरा ग्रा. पाईप जला. योजना	36
48	छपरा	बेला ग्रा. पाईप जला. योजना	30
49	छपरा	भजौना ग्रा. पाईप जला. योजना	30
50	छपरा	चिरांद ग्रा. पाईप जला. योजना	30
51	छपरा	गंडामन ग्रा. पाईप जला. योजना	30
52	छपरा	गौरा ग्रा. पाईप जला. योजना	30
53	छपरा	हराजी ग्रा. पाईप जला. योजना	30
54	छपरा	कसमर ग्रा. पाईप जला. योजना	30
55	छपरा	खैरा ग्रा. पाईप जला. योजना	30
56	छपरा	कोदाइबाग ग्रा. पाईप जला. योजना	30
57	छपरा	मसरख पूर्व ग्रा. पाईप जला. योजना	30
58	छपरा	नैनी ग्रा. पाईप जला. योजना	30
59	छपरा	नरहरपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	30
60	छपरा	नयागाँव ग्रा. पाईप जला. योजना	30
61	छपरा	पटेढा ग्रा. पाईप जला. योजना	30
62	छपरा	इनई ग्रा. पाईप जला. योजना	30
63	छपरा	शाहपुर ग्रा. पाईप जला. योजना	30
64	छपरा	सिलहौरी ग्रा. पाईप जला. योजना	30
65	छपरा	टेकनिवास ग्रा. पाईप जला. योजना	30
66	दरभंगा	बहेरी ग्रा. पाईप जला. योजना	30
67	दरभंगा	कोलहंटा पटोरी ग्रा. पाईप जला. योजना	33
68	दरभंगा	रैयाम ग्रा. पाईप जला. योजना	33
69	दरभंगा	सुपौल ग्रा. पाईप जला. योजना	30
70	दरभंगा	कुशेश्वर स्थान ग्रा. पाईप जला. योजना	30
71	दरभंगा	लदारी ग्रा. पाईप जला. योजना	30

**परिशिष्ट-2.2.9**  
**(संदर्भ कांडिका 2.2.11.2; पृष्ठ-63)**  
**पाईप जलापूर्ति योजना के कार्य आदेश देने में प्रक्रियागत विलंब से संबंधित विवरणी**

(₹लाख में)

क्र.सं.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	तकनीकी स्वीकृति की तिथि (प्र.स्वी.से तक.स्वी. में विलंब)	निविदा निस्तारण की तिथि (तकनीकी स्वी. से विलंब)	कार्यदेश की तिथि (निविदा निस्तारण से विलंब)	व्यय
1	बेतिया	चौतरवा	13/6/2013	23/8/2013 (72 दिन)	28/9/2013 (37 दिन)	4/3/2014 (158 दिन)	91.40
2	बेतिया	बैरिया	9/5/2013	18/6/2013 (41 दिन)	27/9/2013 (102 दिन)	27/11/2013 (62 दिन)	136.16
3	भागलपुर पूर्व	साहुपरबत्ता	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	3/9/2014 (208 दिन)	3/11/2014 (62 दिन)	181.53
4	भागलपुर पूर्व	मारवाँ	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	14/7/2014 (157 दिन)	25/7/2014 (12 दिन)	195.00
5	भागलपुर पूर्व	जगतपुर	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	18/9/2014 (223 दिन)	9/10/2014 (22 दिन)	127.00
6	भागलपुर पश्चिम	हरपुर	27/12/2013	5/2/2014 (41 दिन)	3/6/2014 (119 दिन)	5/1/2015 (217 दिन)	84.93
7	भागलपुर पश्चिम	सजौर	27/12/2013	5/2/2014 (41 दिन)	29/5/14 (114 दिन)	5/7/14 (38 दिन)	176.00
8	छपरा	नरहरपुर	27/12/2013	12/6/2014 (168 दिन)	12/11/2014 (154 दिन)	26/12/2014 (45 दिन)	109.12
9	हाजीपुर	धरहरा	27/12/2013	21/1/2014 (26 दिन)	31/5/2014 (131 दिन)	4/7/2014 (35 दिन)	131.96
10	जहानाबाद	बोमई	9/6/2014	25/8/2014 (78 दिन)	10/10/2014 (47 दिन)	8/11/2014 (30 दिन)	53.71
11	जहानाबाद	लटनपट्टी	9/6/2014	31/7/2014 (53 दिन)	10/10/2014 (72 दिन)	24/10/2014 (15 दिन)	9.00
12	जहानाबाद	अफजलपुर	9/6/2014	31/7/2014 (53 दिन)	12/11/2014 (105 दिन)	12/11/2014 (0 दिन)	4.53
13	जहानाबाद	कोउर	8/1/2015	22/1/2015 (15 दिन)	25/5/15 (124 दिन)	4/6/2015 (11 दिन)	162.00
14	पटना पूर्व	परसामा	13/6/2013	1/8/2013 (50 दिन)	30/7/2014 (364 दिन)	16/8/2014 (18 दिन)	63.74
15	सासाराम	बम्नौल	13/6/2013	2/8/2013 (51 दिन)	30/9/2013 (60 दिन)	16/12/2013 (78 दिन)	108.85
16	भागलपुर पश्चिम	दराधि	27/12/2013	24/1/2014 (29 दिन)	3/7/2014 (161 दिन)	6/7/2014 (4 दिन)	51.00
17	भागलपुर पश्चिम	मघली हथियौक	27/12/2013	13/1/2014 (18 दिन)	19/8/2014 (219 दिन)	30/9/2014 (43 दिन)	16.49
18	भागलपुर पूर्व	लैलख	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	18/10/2014 (253 दिन)	13/11/2014 (27 दिन)	151.29
19	भागलपुर पूर्व	धनौरा	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	19/8/2014 (193 दिन)	18/10/2014 (61 दिन)	8.36
20	भागलपुर पूर्व	नदियामा	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	18/10/2014 (253 दिन)	13/11/2014 (27 दिन)	155.30
21	भागलपुर पूर्व	जयरामपुर	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	25/9/2014 (230 दिन)	18/10/2014 (24 दिन)	153.50

क्र.सं.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	तकनीकी स्वीकृति की तिथि (प्र.स्वी.से तक.स्वी. में विलंब)	निविदा निस्तारण की तिथि (तकनीकी स्वी. से विलंब)	कार्यादेश की तिथि (निविदा निस्तारण से विलंब)	व्यय
22	भागलपुर पूर्व	सियाँ	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	18/10/2014 (253 दिन)	13/11/2014 (27 दिन)	129.00
23	भागलपुर पूर्व	उदयरामपुर कोदवा	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	18/10/2014 (253 दिन)	13/11/2014 (27 दिन)	125.82
24	भागलपुर पूर्व	महेश मुंडा	27/12/2013	8/2/2014 (44 दिन)	7/7/2014 (150 दिन)	25/7/2014 (19 दिन)	97.60
25	भागलपुर पश्चिम	करेला	13/6/2013	1/8/2013 (50 दिन)	5/2/2014 (189 दिन)	21/2/2014 (17 दिन)	53.58
26	भागलपुर पश्चिम	सोनूडीह	27/12/2013	13/1/2014 (18 दिन)	28/8/2014 (228 दिन)	30/9/2014 (34 दिन)	0.00
27	भागलपुर पश्चिम	पुरैनी	27/12/2013	26/2/2014 (62 दिन)	27/5/2014 (91 दिन)	5/6/2014 (10 दिन)	230.78
28	छपरा	शाहपुर	9/5/2013	21/6/2013 (44 दिन)	20/8/2013 (61 दिन)	27/9/2013 (39 दिन)	44.35
29	जमुई	गिर्द्धौर	28/1/2015	18/3/2015 (50 दिन)	22/8/2015 (158 दिन)	12/11/2015 (83 दिन)	4.64
30	जहानाबाद	नोन्ही	27/12/2013	30/4/2014 (125 दिन)	5/2/2015 (282 दिन)	23/3/2015 (47 दिन)	10.89
31	जहानाबाद	बैना	27/12/2013	30/4/2014 (125 दिन)	5/2/2015 (282 दिन)	23/3/2015 (47 दिन)	22.99
32	जहानाबाद	तेतरिया	9/6/2014	31/7/2014 (53 दिन)	18/9/2014 (50 दिन)	7/10/2014 (20 दिन)	5.41
33	जहानाबाद	इमलिया	9/6/2014	31/7/2014 (53 दिन)	25/6/2015 (330 दिन)	7/7/2015 (13 दिन)	9.22
34	जहानाबाद	मुबारकपुर	9/6/2014	31/7/2014 (53 दिन)	10/9/2014 (42 दिन)	30/9/2014 (20 दिन)	3.71
35	जहानाबाद	तेजबिगहा	8/1/2015	22/1/2015 (15 दिन)	12/3/2015 (50 दिन)	24/3/2015 (13 दिन)	18.00
36	जहानाबाद	हाटी	8/1/2015	22/1/2015 (15 दिन)	12/3/2015 (50 दिन)	24/3/2015 (13 दिन)	26.75
37	जहानाबाद	नरमा इमादपुर	8/1/2015	22/1/2015 (15 दिन)	20/8/2015 (211 दिन)	2/9/2015 (14 दिन)	73.75
38	पटना पूर्व	अगवानपुर	27/12/2013	1/6/2015 (522 दिन)	5/9/2015 (97 दिन)	7/9/2015 (3 दिन)	147.84
39	पटना पूर्व	रामपुर झुमरा	27/12/2013	25/2/2014 (61 दिन)	27/10/2014 (245 दिन)	15/11/2014 (20 दिन)	280.90
40	पटना पूर्व	हरदास बिगहा	8/1/2015	1/6/2015 (145 दिन)	5/9/2015 (97 दिन)	7/9/2015 (3 दिन)	88.10
41	पटना पश्चिम	कल्याणचक	9/5/2013	16/5/2013 (8 दिन)	26/6/2013 (42 दिन)	19/7/2013 (24 दिन)	161.09
42	सासाराम	समहुता	13/6/2013	2/8/2013 (51 दिन)	30/9/2013 (60 दिन)	20/11/2013 (52 दिन)	59.95
43	सासाराम	बभनी	27/12/2013	20/5/2014 (145 दिन)	14/10/2014 (148 दिन)	28/10/2014 (15 दिन)	40.54
44	सासाराम	बरावँ	27/12/2013	31/5/2014 (156 दिन)	5/11/2014 (159 दिन)	4/12/2014 (30 दिन)	69.98
45	सासाराम	कदवॉ	27/12/2013	31/5/2014 (156 दिन)	1/11/2014 (155 दिन)	11/12/2014 (41 दिन)	59.92

क्र.सं.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	तकनीकी स्वीकृति की तिथि (प्र.स्वी.से तक.स्वी. में विलंब)	निविदा निस्तारण की तिथि (तकनीकी स्वी. से विलंब)	कार्यादेश की तिथि (निविदा निस्तारण से विलंब)	व्यय
46	सासाराम	नोनहर	27/12/2013	20/5/2014 (145 दिन)	5/11/2014 (170 दिन)	21/11/2014 (17 दिन)	162.33
47	सासाराम	दारानगर	27/12/2013	5/8/2014 (222 दिन)	22/11/2014 (110 दिन)	6/12/2014 (15 दिन)	99.72
48	सासाराम	धूसिया खुर्द	27/12/2013	20/5/2014 (145 दिन)	30/8/2014 (103 दिन)	19/9/2014 (21 दिन)	107.07
49	सासाराम	करुप	9/5/2013	16/5/2013 (8 दिन)	12/9/2013 (120 दिन)	3/1/2014 (114 दिन)	46.79
50	सासाराम	खैरा	9/5/2013	18/5/2013 (10 दिन)	24/6/2013 (38 दिन)	29/7/2013 (36 दिन)	93.15
51	सासाराम	धुसिया	9/5/2013	18/5/2013 (10 दिन)	3/7/2013 (47 दिन)	2/8/2013 (31 दिन)	82.03
52	सासाराम	सदोखर	13/6/2013	2/8/2013 (51 दिन)	9/1/2014 (161 दिन)	4/3/2014 (55 दिन)	150.70
53	सुपौल	बरैल	27/12/2013	9/4/2014 (104 दिन)	26/11/2014 (232 दिन)	13/12/2014 (18 दिन)	30.02
54	भागलपुर पश्चिम	भिरखूर्द	27/12/2013	24/1/2014 (29 दिन)	29/5/2014 (126 दिन)	19/7/2014 (52 दिन)	108.70
55	छपरा	हराजी	13/6/2013	6/9/2013 (86 दिन)	6/1/2014 (123 दिन)	4/2/2014 (30 दिन)	0.00
56	छपरा	कस्मर	13/6/2013	6/9/2013 (86 दिन)	6/1/2014 (123 दिन)	5/2/2014 (31 दिन)	44.44
57	छपरा	इनई	9/5/2013	21/6/2013 (44 दिन)	20/8/2013 (61 दिन)	27/9/2013 (39 दिन)	104.03
58	जमुई	खेरा	28/1/2015	18/3/2015 (50 दिन)	20/11/2015 (248 दिन)	11/1/2016 (53 दिन)	65.00
59	जहानाबाद	भेलवार	27/12/2013	30/4/2014 (125 दिन)	27/9/2014 (151 दिन)	11/10/2014 (15 दिन)	66.66
60	जहानाबाद	कांको	9/5/2013	18/5/2013 (10 दिन)	18/6/2013 (32 दिन)	19/7/2013 (32 दिन)	96.88
61	जहानाबाद	सरईया बाजार	9/5/2013	18/5/2013 (10 दिन)	26/6/2013 (40 दिन)	8/7/2013 (13 दिन)	132.12
62	जहानाबाद	नौआवा	9/5/2013	18/5/2013 (10 दिन)	28/6/2013 (42 दिन)	8/7/2013 (11 दिन)	122.41
63	दरभंगा	कोलहन्टा पटोरी	13/6/2013	2/7/2013 (20 दिन)	4/10/2013 (95 दिन)	4/10/2013 (0 दिन)	202.78
64	दरभंगा	कुशेश्वर स्थान	27/12/2013	4/1/2014 (9 दिन)	4/3/2014 (60 दिन)	4/3/2014 (0 दिन)	137.88
न्यूनतम सीमा				8 दिन	32 दिन	0 दिन	5,788.39
अधिकतम सीमा				522 दिन	364 दिन	217 दिन	

## परिशिष्ट-2.2.10

( संदर्भ कांडिका 2.2.11.2; पृष्ठ-64 )

उच्च स्तरीय जलाशयों के दर में भिन्नता से संबंधित विवरणी

(₹लाख में)

प्रमंडल का नाम	क्र. सं.	योजना का नाम	जलाशय की क्षमता (गैलन में)	प्रमंडल द्वारा प्रदान की गई जलाशय की लागत	लो.स्वा.प्र., छपरा द्वारा प्रदान की गई जलाशय की लागत	प्राककलित राशि में अंतर	प्रमंडल द्वारा ई.एस.आर. पर की गई अधिक भुगतान की राशि
भागलपुर पश्चिम	1	करैला	50,000	30.00	24.24	5.76	0.00
भागलपुर पश्चिम	2	सजौर	50,000	30.00	24.24	5.76	5.18
जहानाबाद	3	केउर	50,000	30.00	24.24	5.76	3.74
बेतिया	4	बैरिया पूर्णगठन ग्रा.पा.ज.यो.	50,000	30.00	24.24	5.76	3.17
बेतिया	5	चौतरवा ग्रा.पा.ज.यो.	40,000	25.00	20.20	4.80	1.44
बेतिया	6	मछरगावँ ग्रा.पा.ज.यो.	50,000	30.00	24.24	5.76	5.76
बेतिया	7	सरिसवा ग्रा.पा.ज.यो.	40,000	25.00	20.20	4.80	4.80
बेतिया	8	साठी ग्रा.पा.ज.यो.	60,000	32.00	31.00	1.00	0.88
बेतिया	9	कोल्हुआ चौतरवा ग्रा.पा.ज.यो.	50,000	30.00	24.24	5.76	4.61
भागलपुर पूर्व	10	धनौरा ग्रा.पा.ज.यो.	60,000	32.00	31.00	1.00	0
भागलपुर पूर्व	11	लैलख ग्रा.पा.ज.यो.	40,000	25.00	20.20	4.80	0
भागलपुर पूर्व	12	नदियावँ ग्रा.पा.ज.यो.	40,000	25.00	20.20	4.80	0
भागलपुर पूर्व	13	सियाँ ग्रा.पा.ज.यो.	60,000	32.00	31.00	1.00	0
भागलपुर पूर्व	14	उदयरामपुर कोदवार	60,000	32.00	31.00	1.00	0
सासाराम	15	समुहटा (15 वर्षी)	50,000	30.00	24.24	5.76	0
सासाराम	16	कुछिला	50,000	30.00	24.24	5.76	6.72
सासाराम	17	बम्नोल	50,000	30.00	24.24	5.76	5.88
सासाराम	18	बरावँ	60,000	32.00	31.00	1.00	0.27
सासाराम	19	गारा	40,000	25.00	20.20	4.80	3.92
सासाराम	20	कदवा	40,000	25.00	20.20	4.80	1.68
सासाराम	21	नोनहर	40,000	25.00	20.20	4.80	0.00
सासाराम	22	धारानगर	50,000	30.00	24.24	5.76	4.61
सासाराम	23	घुसियाखुर्द	40,000	25.00	20.20	4.80	0
सासाराम	24	खैरा (पूर्णगठन)	40,000	25.00	20.20	4.80	3.12
सासाराम	25	घुसिया (पूर्णगठन)	50,000	30.00	24.24	5.76	5.71
सासाराम	26	सदोखर (पूर्णगठन)	60,000	32.00	31.00	1.00	0.00
सासाराम	27	बस्तीपुर (पूर्णगठन)	50,000	30.00	24.24	5.76	6.39
दरभंगा	28	लदारी (पूर्णगठन)	40,000	28.00	20.20	7.80	6.13
दरभंगा	29	कोलहंता पटोरी (पूर्णगठन)	60,000	32.00	31.00	1.00	0.66
दरभंगा	30	बहेरी (पूर्णगठन)	60,000	32.00	31.00	1.00	1.00
दरभंगा	31	सुपौल (पूर्णगठन)	1,00,000	45.00	40.40	4.60	1.77
दरभंगा	32	कुशेश्वर स्थान (पूर्णगठन)	1,00,000	45.00	40.40	4.60	1.28
					कुल	137.32	78.72

### परिशिष्ट-2.2.11

(संदर्भः कांडिका 2.2.11.3; पृष्ठ-64)

चालू मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	इकाइयों की सं. (जिला)	एकरारित मूल्य	व्यय	भौतिक उपलब्धि	अपूर्ण इकाई की लागत	विखंडन की तिथि	
							पूर्ण	अपूर्ण		
<b>चालू</b>										
1	सुखाग्रस्त जिलों में मिनी पाईप.जला.यो. (एस.पी.एम.एल.)	2009-10	30/9/2011	1,500 (26)	220.00	51.96	115	1,385	203.13	13/5/14
2	सुखाग्रस्त जिलों में मिनी पाईप.जला.यो. (पूंज लॉयड)	2009-10	31/3/2011	400 (26)	79.57	41.40	145	255	50.73	29/1/2015
3	सोलर मोटर पम्प आधारित मिनी पाईप जला.यो. (विशवा)	2010-11	9/1/2012	270 (12)	41.53	21.78	29	241	37.07	20/10/2014
4	आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में मिनी.पाईप. जला.यो. (पूंज लॉयड)	2009-10	31/3/2011	150 (13)	51.07	37.81	57	93	31.66	29/1/2015
5	फलोराईड प्रभावित बसावटों में मिनी.पाईप. जला.यो. (पूंज लॉयड)	2009-10	30/3/2011	100 (6)	34.05	15.58	36	64	21.79	29/1/2015
6	फलोराईड प्रभावित बसावटों में मिनी.पाईप. जला.यो. (पूंज लॉयड)	2009-10	31/3/2011	200 (11)	68.10	31.27	58	142	48.35	29/1/2015
		कुल		<b>2,620</b>		<b>199.80</b>	<b>440</b>	<b>2,180</b>	<b>392.73</b>	-----
7	सोलर मोटर पम्प आधारित मिनी पाईप जला.यो. (डी.एन.ए.)	2010-11	31/3/2014	165 (12)	27.82	14.99	47	118	-----	-----
		कुल		<b>165</b>		<b>14.99</b>	<b>47</b>	<b>118</b>		
		सकल योग		<b>2,785</b>		<b>214.79</b>	<b>487</b>	<b>2,298</b>		

## परिशिष्ट-2.2.12

(संदर्भ कांडिका 2.2.11.3; पृष्ठ-64,65)

नई मिनी पार्इप जलापूर्ति योजना में कुंजी यंत्र एवं संयंत्र और मुख्य व्यक्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	एन.आई.टी.की तिथि	प्रारंभ होने की तिथि / पूर्ण होने की नियत तिथि	इकाइयों की संख्या (जिला)	प्राक्कलित राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धि	मुख्य यंत्र एवं संयंत्र	मुख्य कर्मियों
	नया								
1	आई.ए.पी. जिलों में मिनी. पार्इप.जला.यो. (स्पैन)	31/1/2013	25/7/2013 24/1/2014	150 (11)	12.87	10.59	146	7	4
2	अनु.जाति / अनु.जनजाति बाहुल्य बसावटों में मिनी. पार्इप.जला.यो. (534)	-----	-----		107.81	78.43	98	-----	-----
	इन्टरजेन ए.वी.एन	25/6/2014	16/9/2014 15/9/2015	159 (11)				4	10
	सूर्या इन्टरनेशनल	7/7/2015	4/12/2015 3/12/2016	80 (7)				4	10
	टचस्टोन	28/8/2013	24/3/2014 23/9/2015	211 (12)				4	10
	वेदिस	23/5/2013	11/11/2013 10/11/2014	84 (8)				4	10
3	फलोराइंड प्रभावित बसावटों में मिनी.पार्इप.जला.यो. (एनवायरोटेक)	23/5/2013	27/9/2013 26/3/2015	150 (8)	59.79	31.00	22	4	10
4	लौह प्रभावित बसावटों में मिनी.पार्इप.जला.यो. (मेम्बरेन फिल्टर)	6/2/2014	18/6/2014 17/12/2015	150 (9)	45.72	36.78	35	4	10
5	लौह प्रभावित बसावटों में मिनी.पार्इप.जला.यो. (मेम्बरेन फिल्टर)	17/9/2014	17/11/2014 16/5/2016	200 (9)	74.57	41.80	23	4	10
	कुल			1184		198.60	324		
6	आई.ए.पी. जिलों में मिनी. पार्इप.जला.यो. (ब्राइट सोलर)	20/11/2014	4/12/2015 3/3/2017	281 (11)	22.75	3.67	0	4	10
7	अनु.जाति / अनु.जनजाति आच्छादित बसावटों में मिनी.पार्इप.जला.यो. 534(243)				122.77	22.18	12		
	प्रिमियर सोलर	21/11/2014	17/8/2015 16/8/2016	84 (8)				4	10
	एन्टरजेन एनर्जी	21/11/2014	24/7/2015 23/1/2017	159 (11)				4	10
8	फलोराइंड प्रभावित बसावटों में मिनी.पार्इप.जला.यो. (वाया इन्फरास्ट्रक्चर)	7/11/2014	5/8/2015 4/2/2017	200 (11)	91.85	50.59	0	4	10
	कुल			724		76.44	12		
	सकल योग			1908		275.04	336		

### परिशिष्ट-2.2.13

(संदर्भ कंडिका 2.2.11.3; पृष्ठ-66)

नई मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण में हस्तगत स्थल से संबंधित विस्तृत विवरणी

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि/ पूर्ण होने की नियत तिथि	इकाइयों की संख्या (जिला)	नियत होने की निर्धारित तिथि के अंदर हस्तगत किये गये स्थल	नियत होने की निर्धारित तिथि के बाद हस्तगत किये गये स्थल	कुल हस्तगत किये गये स्थल
1	आई.ए.पी. जिलों में मिनी. पाईप.जला.यो. (स्पैन)	25/7/2013 24/1/2014	150 (11)	147	3	150
2	अनु.जाति / अनु.जनजाति बाहुल्य बसावटों में मिनी. पाईप.जला.यो.					
	इन्टरजेन ए.वी.एन.	16/9/2014 15/9/2015	159 (11)	133	0	133
	सूर्या इन्टरनेशनल	16/11/2015	80 (7)	27	0	27
	टचस्टोन	24/3/2014 23/9/2015	211 (12)	203	8	211
	वेदिस	11/11/2013 10/11/2014	84 (8)	52	29	81
3	फ्लोराईड प्रभावित बसावटों में मिनी.पाईप.जला.यो. (एनवायरोटेक)	27/9/2013 26/3/2015	150 (8)	141	0	141
4	लौह प्रभावित बसावटों में मिनी.पाईप.जला.यो. (मेम्बरेन फिल्टर)	18/6/2014 17/12/2015	150 (9)	150	0	150
5	लौह प्रभावित बसावटों में मिनी.पाईप.जला.यो. (मेम्बरेन फिल्टर)	17/11/2014 16/5/2016	200 (9)	175	0	175
	<b>कुल</b>		<b>1,184</b>	<b>1,028</b>	<b>40</b>	<b>1,068</b>
6	आई.ए.पी. जिलों में मिनी. पाईप.जला.यो. (ब्राईट सोलर)	4/12/2015 3/3/2017	281 (11)	142	0	142
7	प्रिमीयर सोलर	17/8/2015 16/8/2016	84 (8)	83	0	83
	एन्टरजेन एनर्जी	24/7/2015 23/1/2017	159 (11)	153	0	153
8	फ्लोराईड प्रभावित बसावटों में मिनी.पाईप.जला.यो. (वाया इन्फरास्ट्रक्चर)	5/8/2015 4/2/2017	200 (11)	168	0	168
	<b>कुल</b>		<b>724</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>546</b>
	<b>सकल योग</b>		<b>1,908</b>	<b>1,574</b>	<b>40</b>	<b>1,614</b>

## परिशिष्ट-2.2.14

( संदर्भः कांडिका 2.2.12.2; पृष्ठ-67 )

वर्ष 2011–16 के दौरान संचालन एवं रख—रखाव योजनाओं से संबंधित विवरणी

योजना का नाम	स्थीकृत वर्ष	किये गये व्यय (रुक्कोड़ में)	भौतिक लक्ष्य	उपलब्ध कराये गये स्थलों की सं.	कार्यरत स्थल	अकार्यरत स्थलों की सं.	अभ्युक्तियाँ
आर्सेनिक एवं फ्लोरोराइड उपचार संयंत्र के साथ 50 मिनी पाईप जला.यो. का रख—रखाव (संबद्ध प्रमंडलों की संख्या—15)	2011-12	4.48	50	48	19	31	गया प्रमंडल के दो स्थलों पर बोरवेल असफल
आर्सेनिक एवं फ्लोरोराइड उपचार संयंत्र के साथ 97 मिनी पाईप जला.यो. का रख—रखाव (संबद्ध प्रमंडलों की संख्या—10)	2012-13	4.55	97	97	56	41	गया के तीन स्थलों पर बोरवेल असफल
लौह निष्कासन उपचार संयंत्र के साथ 501 मिनी पाईप जला.यो. का रख—रखाव (संबद्ध प्रमंडलों की संख्या—09)	2013-14	14.89	501	490	462	39	-
सुखा प्रभावित क्षेत्रों सोलर पम्प के साथ 170 मिनी पाईप जला.यो. का रख—रखाव (संबद्ध प्रमंडलों की संख्या—26)	2015-16	0.00	170	156	44	126	-
आर्सेनिक एवं फ्लोरोराइड उपचार संयंत्र के साथ 175 मिनी पाईप जला.यो. का रख रखाव (संबद्ध प्रमंडलों की संख्या—21)	2015-16	0.00	175	146	45	130	21 प्रमंडलों में से 12 प्रमंडलों में संचालन एवं रख—रखाव कार्य नहीं किया जा रहा था।
कुल		23.92	993	937	626	367	

**परिशिष्ट-2.3.1**  
**(संदर्भ: कांडिका-2.3.7.2; पृष्ठ-79)**  
**सम्पर्कता प्रदान करने के लिए अयोग्य गाँवों के चयन की विवरणी**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एकरारित मूल्य	मार्च 2016 तक व्यय	सम्पर्कता प्रदान किये गये गाँव का नाम	योग्यता मानदंड के अनुसार गाँव को प्राप्त अंक
1	खगड़िया	दुमरी पुल से हल्का बासा	3.67	3.51	हल्का बासा	65
2	खगड़िया	अल्लाली हथवाँ आर.ई.ओ. सड़क से छरापट्टी	0.76	0.74	छरापट्टी	57
3	नालन्दा	सरमेरा प्रखंड अन्तर्गत गोपालबाद-कोतरा सड़क से रुपसपुर गाँव / 2008-09	0.59	0.52	रुपसपुर	57
4	नालन्दा	अस्थावाँ में महानन्दपुर गाँव से फतेहपुर / 2008-09	0.47	0.47	फतेहपुर	67
5	नालन्दा	कुम्हारी-सरबहदी सड़क से पिपरापर गाँव, प्रखंड-अस्थावाँ / 2008-09	0.40	0.40	पिपरापर	57
6	नालन्दा	बिंद अलिपुर सड़क से सोनसिकारा	0.37	0.36	सोनसिकारा	64
7	पटना	खरन्त पोवन से जगदीशपुर सड़क	0.97	0.88	जगदीशपुर	66
8	सिवान	दुधा से बसंतपुर भाया लौकीपुर सड़क का नि./सु.	2.71	2.44	लौकीपुर बसंतपुर	68
कुल			<b>9.94</b>	<b>9.32</b>		

(आंकड़े : नमूना-जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

## परिशिष्ट-2.3.2

(संदर्भ: कंडिका-2.3.7.2 ; पृष्ठ-79)

सी.एन.सी.पी.एल. से बाहर रखे गए क्रियान्वित सङ्कों से संबंधित विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जिला	सङ्क कार्यों की संख्या	कुल एकरारित मूल्य	मार्च 2016 तक कुल व्यय
1	कैमूर	8	10.72	9.15
2	मधुबनी	5	13.26	12.60
3	पटना	10	12.65	11.55
4	सारण	11	11.38	9.92
योग		34	48.01	43.22

(झोत : नमूना-जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

### परिशिष्ट-2.3.3

(संदर्भ: कंडिका-2.3.7.2; पृष्ठ-79)

#### अस्वीकार्य सङ्क परियोजनाओं का चयन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	एकरारित मूल्य	मार्च 2016 तक व्यय	बरहमासी सम्पर्कता वाले गाँव का नाम
1	खगड़िया	आर.ई.ओ. चुकती-मानसी सङ्क से भाया धरमचक गाँव एवं रजाजान ग्राम- एन.एच.-31 पर रजाजान ढाला पी.सी.सी. सङ्क	0.45	0.29	0.27	रजाजान एवं धरमचक
2	खगड़िया	खगड़िया प्रखंड अन्तर्गत लभगौन पंचायत में खगड़िया बखरी पी.डब्लू.डी. सङ्क से मरिजद आवाम ब्रह्म स्थान होते हुए गोपी टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य	0.9	0.57	0.40	इस्माइलपुर एवं गोपी टोला
3	खगड़िया	गोगरी प्रखंड अन्तर्गत काली चकला गाँव से दीना चकला गाँव तक सङ्क निर्माण	0.8	0.38	0.37	दीना चकला
4	नालन्दा	ग्रा. कासिमपुर शोभा बीघा सौंजना सङ्क से जटिया	1.5	0.80	0.78	शोभाबीघा
5	नालन्दा	मीना बाजार सिलाव सङ्क के गोसैन आहर के नहर से सुरही ग्राम	1.5	0.92	0.81	सुरही
6	रोहतास	ग्राम खुद्धनू में तिलकधारी पासवान के घर से रामाशीश सिंह के घर तक पथ निर्माण	0.5	0.23	0.22	खुद्धनू
7	सारण	गरखा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पिरौना मेनावर से मध्य विद्यालय पिरौना तक पी. सी.सी. सङ्क	0.55	0.30	0.28	पिरौना
8	सारण	सोनपुर प्रखंड में हासिलपुर पंचायत अन्तर्गत कस्तुरीचक डोम्बा पुल रेलवे लाइन तक	0.765	0.49	0.25	हासिलपुर
कुल					<b>3.38</b>	

(झोत : नमूना-जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

## परिशिष्ट—2.3.4

(संदर्भ: कांडिका-2.3.7.2 ; पृष्ठ-80)

मु.मं.ग्रा.स.यो. अन्तर्गत सङ्कों के निर्माण के कारण राज्य पर परिहार्य भार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	सङ्कों की संख्या	एकरारितमूल्य	मार्च 2016 तक व्यय	अभियुक्ति
1	कैमूर	चाँद धरौली सङ्क से भेवर ग्राम भाया सिहोरिया पंचायत भवन	0.94	0.84	1219 की जनसंख्या वाला भेवर गाँव को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सङ्क लिया गया था।
2	खगड़िया	पश्चिमी जमालपुर के गुलमोश टोला भाया ब्रह्मण टोला से कुर्मी टोला, गौरैया स्थान के अंतर्गत सङ्क निर्माण	1.02	0.99	5200 की जनसंख्या वाले जमालपुर गाँव को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सङ्क लिया गया था
3	खगड़िया	जमीन्दारी बाँध पनसलवा चौराहा से देघौन डीह तक भाया राउन टोला धोबियाही टोला, महादलित टोला सङ्क का निर्माण	2.80	2.52	7200 की जनसंख्या वाला देघौनडीह गाँव को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सङ्क लिया गया था
4	मुजफ्फरपुर	सघारी प्राथमिक विद्यालय से दिघरा एन.एच.-28 भाया दिघरा रेलवे गुमटी सङ्क का सुधार	1.23	1.19	पी.एम.जी.एस.वाई. अन्तर्गत पैकेज सं. बी.आर.-23 आर. -044 / 2008-09 के रूप में स्वीकृत किया गया एवं छोड़ दिया गया था।
5	पटना	नदौल देवरिया से चकिया सङ्क	0.98	0.55	पी.एम.जी.एस.वाई. अन्तर्गत पैकेज सं. बी.आर.-26 आर. -241 / 2008-09 के रूप में स्वीकृत किया गया एवं छोड़ दिया गया था।
6	सारण	ग्राम मैकी में एन.एच.-102 से गरखा प्रखंड होते हुए गणेश सिंह के घर होते हुए श्री अजीत सिंह के घर तक	0.50	0.46	3034 की जनसंख्या वाला मैकी ग्राम को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सङ्क लिया गया था।
7	पश्चिमी चम्पारण	बभनौली से बेतिया मैनातर सङ्क	1.81	1.81	प्र.मं.ग्रा.स.यो. अन्तर्गत पैकेज सं. बी.आर.-37 आर. -196 / 2008-09 के रूप में स्वीकृत किया गया एवं छोड़ दिया गया था।
कुल			<b>9.28</b>	<b>8.36</b>	

(भौत : नमूना-जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख )

**परिशिष्ट—2.3.5**  
**(संदर्भ: कंडिका—2.3.8.1; पृष्ठ—81)**  
**उपयोगिता प्रमाण—पत्र के प्रस्तुतीकरण को दर्शाती विवरणी**

₹ करोड़ में

क्र. सं.	अनुदान स्वीकृति पत्र सं./ तिथि	सहायता अनुदान की राशि	उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	उपयोगिता प्रमाण—पत्र में उपयोगिता दर्शायी गई राशि	शेष राशि
1	4/5/5/2011	99.00	16/10/2015	99.00	0
2	56/9/8/2011	96.00	16/10/2015	96.00	0
3	131/25/11/2011	105.00	16/10/2015	105.00	0
4	185/6/1/2012	100.00	16/10/2015	100.00	0
5	291/15/3/2012	69.93	16/10/2015	69.93	0
6	15/24/4/2012	198.00	13/10/2015	198.00	0
7	92/7/8/2012	127.00	13/10/2015	127.00	0
8	199/6/12/2012	175.00	13/10/2015	175.00	0
9	3505/25/3/2013	87.00	13/10/2015	87.00	0
10	12/20/4/2013	112.35	30/10/2015	76.59	35.76
11	79/7/8/2013	108.95	30/10/2015	0	108.95
12	147/7/8/2013	34.05	30/10/2015	0	34.05
कुल		<b>1,312.28</b>		<b>1,133.52</b>	<b>178.76</b>

स्रोत : बी.आर.आर.डी.ए. का अभिलेख

**परिशिष्ट—2.3.6**  
**(संदर्भ: कांडिका—2.3.9.4 ; पृष्ठ—85)**  
**विलंब से पूर्ण कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति की कम वसूली**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	सङ्कर कार्यों की संख्या	एकरारित मूल्य/प्राक्कलित लागत	विलंब (माह में)	एकरारनामा के अनुसार वसूलनीय क्षतिपूर्ति	क्षतिपूर्ति की वसूली	क्षतिपूर्ति की कम वसूली
1	कैमूर	6	631.70	2 से 26	63.17	19.02	44.15
2	कटिहार	2	585.79	9 से 16	58.58	11.46	47.12
3	खगड़िया	2	429.94	11 से 37	43.00	7.96	35.04
4	मधेपुरा	9	1,741.30	1 से 88	174.12	49.04	125.08
5	मधुबनी	3	788.46	12 से 23	78.85	22.21	56.64
6	नालन्दा	1	162.33	34	16.23	6.55	9.68
7	पटना	4	710.85	5 से 23	71.09	19.09	52.00
8	रोहतास	2	102.38	7 से 10	10.24	0.14	10.10
9	सारण	2	224.90	6 से 13	22.49	3.82	18.67
10	सिवान	1	119.84	22	11.98	1.02	10.96
<b>कुल</b>		<b>32</b>	<b>5,497.49</b>		<b>549.75</b>	<b>140.31</b>	<b>409.44</b>

(आंकड़े : नमूना—जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

**परिशिष्ट-2.3.7**

(संदर्भ: कंडिका-2.3.9.5 ; पृष्ठ-86)

श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई राशि को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	सङ्क कार्यों की संख्या	व्यय	कटौती नहीं की गई श्रम उपकर की राशि
1	कैमूर	3	578.03	5.78
2	कटिहार	1	141.72	1.42
3	खगड़िया	3	548.89	5.49
4	मधेपुरा	6	994.46	9.95
5	मधुबनी	1	247.13	2.47
6	नालन्दा	5	489.48	4.89
7	पटना	6	580.54	5.81
8	रोहतास	10	580.35	5.80
9	सारण	9	913.50	9.14
10	सिवान	3	478.06	4.78
कुल		<b>47</b>	<b>5,552.16</b>	<b>55.53</b>

(झोत : नमूना-जाँचित प्रमंडलों के अभिलेख)

## परिशिष्ट—2.3.8

(संदर्भ: कांडिका—2.3.9.6 ; पृष्ठ—86)

वर्ष 2011–16 के दौरान एम.एम.जी.एस.वाई. सड़कों का अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	जिला का नाम	पूर्ण सड़कों की संख्या जहाँ अनुरक्षण कार्य लंबित था	एकरारनामा के अनुसार अनुरक्षण कार्य किये गये सड़कों की संख्या	सड़कों की संख्या जहाँ अनुरक्षण कार्य बाकी था
1	कैमूर	52	1	51
2	खगड़िया	52	18	34
3	मधेपुरा	45	0	45
4	मधुबन्नी	95	0	95
5	पटना	178	23	155
6	रोहतास	106	35	71
7	सारण	70	30	40
8	सिवान	51	34	17
<b>कुल</b>		<b>649</b>	<b>141</b>	<b>508</b>

(झोत : नमूना—जाँचित प्रमंडलों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

**परिशिष्ट—2.3.9**  
**(संदर्भ: कंडिका—2.3.11 ; पृष्ठ—90)**  
**लाभार्थी सर्वेक्षण किये गये 12 सङ्कों के ब्यौरा को दर्शाती विवरणी**

जिला का नाम	कार्य का नाम	एकरारनामा सं/ वर्ष	एकरारित मूल्य (₹ करोड़ में)	ब्याय (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	क्या जनसंख्या सीमा के अन्दर शामिल है	सी.एन.सी.पी.एल. की स्थिति	अनुरक्षण कार्य लंबित रहने की अवधि	अनुरक्षण की स्थिति
पटना	चण्डासी फतुहा मुख्य सङ्को से तुकोडीह सङ्क	15 एफ 2/ 12-13	0.88	0.75	25/9/2012	15/11/2014	सुनिश्चित करने योग्य नहीं	सी.एन.सी.पी.एल. में शामिल नहीं	11/2014 से 11/2019	अनुरक्षण नहीं किया गया
	सन्दलपुर कसारी पथ से अनियो सङ्क	16 एफ 2/ 12-13	0.80	0.73	25/9/2012	5/9/2013	हाँ	सी.एन.सी.पी.एल. में शामिल	9/2013 से 9/2018	अनुरक्षण नहीं किया गया
	दूगरी सुल्तानपुर सुरक्षा बाँध से अवदलपुर	14 एफ 2/ 12-13	0.41	0.38	25/9/2012	5/3/2014	सुनिश्चित करने योग्य नहीं	सी.एन.सी.पी.एल. में शामिल नहीं	3/2014 से 3/2019	अनुरक्षण नहीं किया गया
मध्यपुरा	पी.डब्ल्यू.डी. सङ्क भागवत मध्य विद्यालय से इटवा सङ्क	26 एफ 2/ 10-11	0.99	0.89	5/1/2011	30/3/2013	सुनिश्चित करने योग्य नहीं	सी.एन.सी.पी.एल. तैयार नहीं किया गया	3/2013 से 3/2018	अनुरक्षण नहीं किया गया
	पी.डब्ल्यू.डी. रजनी से गोथ मिलिक सङ्क	6 एफ 2/ 09-10	1.33	1.23	26/2/2010	5/6/2011	सुनिश्चित करने योग्य नहीं	सी.एन.सी.पी.एल. तैयार नहीं किया गया था	6/2011 से 6/2016	अनुरक्षण नहीं किया गया
	बरतेनी एन.एच. 106 से चकफैजुला	22 एफ 2/ 07-08	1.33	1.23	26/10/2007	20/6/2011	सुनिश्चित करने योग्य नहीं	सी.एन.सी.पी.एल. तैयार नहीं किया गया था	6/2011 से 6/2016	अनुरक्षण नहीं किया गया
नालन्दा	परियोना पक्का सङ्क से कुब्रबीधा नूरसराय नारी पथ भाया महादेव बीधा, हरिहर बीधा	10 एस.बी.डी./ 10-11	2.20	1.97	15/7/2010	14/7/2011	हाँ	सी.एन.सी.पी.एल. में शामिल	7/2011 से 7/2016	अनुरक्षण नहीं किया गया
	दुमरी गाँव के उत्तर के पुल से निमीपुर गवसपुर-सुल्तानपुर सङ्क का निर्माण	11 एफ 2/ 11-12	1.16	1.06	30/9/2011	14/11/2012	हाँ	सी.एन.सी.पी.एल. में शामिल	11/2012 से 11/2017	अनुरक्षण किया गया
	चेरो नगरनौसा पी.एम.जी.एस.वार्ड. सङ्क से हिरदन बीधा	27 एफ 2/ 11-12	0.33	0.30	18/2/2012	10/7/2013	हाँ	सी.एन.सी.पी.एल. में शामिल	7/2013 से 7/2018	अनुरक्षण किया गया
सीवान	गुथनी मैरवा पथ से खप्जतोर	5 एफ 2/ 11-12	0.92	0.81	17/1/2012	16/10/2012	हाँ	सी.एन.सी.पी.एल. में शामिल	10/2012 से 10/2017	अनुरक्षण नहीं किया गया
	शेखपुर-नवलपुर सङ्क	37 एस.बी.डी./ 15-16	2.76	0.46	9/3/2015	चालू	हाँ	सी.एन.सी.पी.एल. में शामिल	बाकी नहीं	
	गुथनी सोहगरा पथ से बोकुलारी	38 एफ 2/ 11-12	1.42	1.31	10/2/2011	3/6/2012	हाँ	सी.एन.सी.पी.एल. में शामिल	6/2012 से 6/2017	तीसरे वर्ष का अनुरक्षण नहीं किया गया

## परिशिष्ट-3.1.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1.4; पृष्ठ-96)

वर्ष 2011-16 के दौरान अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, केन्द्रांश एवं राज्यांश की विमुक्ति, विविध आय एवं ब्याज, व्यय एवं बचत को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.)			उपलब्ध निधि								वास्तविक व्यय			बचत		
				आरम्भिक शेष		प्राप्त निधि		विविध आय एवं ब्याज		वर्ष के दौरान उपलब्ध निधि							
	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल (प्रतिशत)		
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8	9	10	11 (5+6+7+8+9+10)	12	13	14 (12+13)	15	16	17 (15+ 16)	
2011-12	34.00	6.00	40.00	20.89	0.00	20.00	3.00	0.89	4.77	49.55	32.12	3.00	35.12	9.66	4.77	14.43 (29)	
2012-13	46.75	8.25	55.00	9.66	4.77	35.06	6.19	1.14	0.00	56.82	26.71	7.54	34.25	19.16	3.42	22.58 (40)	
2013-14	42.50	7.50	50.00	19.16	3.42	20.00	11.29	0.88	0.10	54.85	23.75	3.07	26.82	16.28	11.74	28.02 (51)	
2014-15	42.50	7.50	50.00	16.28	11.74	7.00	10.93	0.69	0.89	47.53	20.28	3.58	23.86	3.69	19.98	23.67 (50)	
2015-16	28.50	19.00	47.50	3.69	19.98	14.00	11.53	0.00	0.00	49.20	13.19	10.53	23.72	4.50	20.98	25.48 (52)	
कुल	194.25	48.25	242.50			96.06	42.94	3.60	5.76		116.05	27.72	143.77	53.29	60.89	114.18	

(झोत: मिशन निदेशक, बी.एच.डी.एस. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

### परिशिष्ट-3.1.2

(संदर्भ कंडिका 3.1.4.1; पृष्ठ-97)

वर्ष 2011–16 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि की विलंबित विमुक्ति की विवरणी  
(₹ करोड़ में)

जिला का नाम	कुल विमुक्त निधि	मार्च में विमुक्त की गई निधि	मार्च में विमुक्त निधि की प्रतिशतता
भागलपुर	6.68	1.33	19.96
पूर्वी चम्पारण	6.37	1.08	16.96
कटिहार	8.35	2.08	24.91
मुंगेर	3.07	0.13	4.38
मुजफ्फरपुर	4.78	2.42	50.58
नालंदा	10.65	3.67	34.47
पटना	22.88	7.01	30.64
समस्तीपुर	8.18	0.70	8.54
<b>कुल</b>	<b>70.96</b>	<b>18.42</b>	<b>25.96</b>

(झोल: नमूना—जाँचित जिलों के ए.डी.एच. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

**परिशिष्ट-3.1.3**  
**(संदर्भ कांडिका 3.1.4.2; पृष्ठ-97)**  
**विभागीय अग्रिम का ब्यौरा**

(₹ लाख में)

जिला का नाम	वर्ष	असमायोजित अग्रिम की राशि	असमायोजित अग्रिम को अंतिम व्यय के रूप में दर्ज की गयी राशि
1	2	3	4
मुजफ्फरपुर	2011-12	0.35	0.35
कुल		<b>0.35</b>	<b>0.35</b>
मुजफ्फरपुर	2012-13	1.47	1.47
कुल		<b>1.47</b>	<b>1.47</b>
भागलपुर	2013-14	4.00	4.00
मुंगेर		1.55	1.55
मुजफ्फरपुर		0.35	0.35
पटना		1.74	0.00
कुल		<b>7.64</b>	<b>5.90</b>
भागलपुर	2014-15	5.97	5.97
पूर्वी चम्पारण		1.00	1.00
मुंगेर		0.56	0.56
मुजफ्फरपुर		0.79	0.79
पटना		4.18	0.00
कुल		<b>12.5</b>	<b>8.32</b>
भागलपुर	2015-16		21.88
पूर्वी चम्पारण			33.64
मुंगेर			7.64
मुजफ्फरपुर			6.43
नालंदा			10.54
समस्तीपुर			4.40
कुल			<b>84.53</b>
सकल योग (अ)		<b>21.96</b>	<b>100.57</b>

(स्रोत: नमूना-जाँचित जिलों के ए.डी.एच. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

### परिशिष्ट -3.1.4

(संदर्भ: कांडिका 3.1.5; पृष्ठ-99)

वर्ष 2011–16 के दौरान एन.एच.एम. के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्र. सं.	अवयवों के नाम	भौतिक			वित्तीय (₹ करोड़ में)		भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि का प्रतिशत
		इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	बागान का बुनियादी ढाँचा एवं विकास	हे.	1,235	918.5	5.40	2.53	74
	हाइटेक नर्सरी/छोटे नर्सरी/बीज का बुनियादी ढाँचा	सं.	25	22	8.03	1.59	88
2	नये बगीचों की स्थापना	हे.	52,336	42,735.4	63.42	50.93	82
	मशरूम इकाइयाँ	सं.	46	14	4.84	2.76	30
3	कैनोपी प्रबंधन सहित जीर्ण पौधों का पुनरुद्धार/प्रतिस्थापन	हे.	2,850	2,664.7	4.34	4.01	93
4	जल स्रोतों का सृजन	सं.	200	90.62	1.20	0.54	45
5	संरक्षित खेती	वर्ग. मी.	15,43,000	11,25,913	28.78	17.25	73
6	सुनिश्चित कृषि विकास केंद्रों के जरिए सुनिश्चित कृषि विकास एवं विस्तार	सं..	1	0	0.17	0.00	0
7	समेकित पोषण प्रबंधन (आई.एन.एम.)/समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) का विकास	हे.	5,600	3,845.5	0.87	0.44	69
	रोग पूर्वानुमान इकाई/पौधा स्वास्थ्य चिकित्सालय	सं.	8	4	2.03	0.48	50
8	जैविक खेती	हे.	9,500	1,418.5	4.70	0.60	15
	वर्मी खाद इकाई (स्थायी संरचना/वर्मी बेड)	सं.	3,059	3,113	2.48	2.63	102
9	बुनियादी ढाँचा समेत बेहतर कृषि कार्यों (जी.ए.पी.) का प्रमाणीकरण	हे.	500	0	0.25	0.00	0
10	सेंटर ऑफ एक्सेलेंस	सं.	6	2	24.92	6.07	33
11	मधुमक्खी पालन के द्वारा परागण को बढ़ाना	सं.	93,600	85,637	12.99	9.92	91
12	बागवानी यंत्रीकरण	सं.	396	278	2.63	1.97	70
13	प्रदर्शन/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के जरिए तकनीक का प्रचार-प्रसार (एफ.एल.डी.)	हे.	138	118.06	11.28	8.57	86
14	मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.)	सं.	12,804	4,509	3.43	1.73	35
15	समेकित पश्च फसल प्रबंधन	सं.	630	473	31.98	16.75	75
16	विपणन ढाँचे की स्थापना	सं.	153	66	9.61	4.03	43

(स्त्रोत: मिशन निदेशक, बी.एच.डी.एस. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना )

**परिशिष्ट-3.2.1**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.2.5, पृष्ठ-117)**  
**मध्याह्न भोजन निधि का आवंटन / विमुक्ति, व्यय एवं अवशेष**

वर्ष	आरंभिक शेष		बजट आवंटन/विमुक्ति		कुल निधि			व्यय			शेष			<b>(₹ करोड़ में)</b> कुल शेष (प्रतिशत में)
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	
2011-12	210.54	129.47	788.37	302.40	998.91	431.87	1,430.78	947.67	398.66	1,346.33	51.24	33.21	84.45	84.45 (6)
2012-13	51.24	33.21	998.90	395.39	1,050.14	428.60	1,478.74	842.51	353.41	1,195.92	207.63	75.19	282.82 (19)	
2013-14	207.63	75.19	1,139.80	400.33	1,347.43	475.52	1,822.95	1,254.51	460.28	1,714.79	92.92	15.24	108.16	108.16 (6)
2014-15	92.92	15.24	1,362.07	365.41	1,454.99	380.65	1,835.64	1,406.47	368.47	1,774.94	48.52	12.18	60.7	60.70 (3)
2015-16	48.52	12.18	1,200.11	727.36	1,248.63	739.54	1,988.17	1,144.26	677.32	1,821.58	104.37	62.22	166.59	166.59 (8)
<b>कुल</b>			<b>5,489.25</b>	<b>2,190.89</b>				<b>5,595.42</b>	<b>2,258.14</b>	<b>7,853.56</b>				

(स्रोत: मध्याह्न भोजन निदे गालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट-3.2.2**  
**(संदर्भ: कांडिका 3.2.5, पृष्ठ-117)**  
**मध्याह्न भोजन निधि का घटक-वार व्यय**

(₹ लाख में)

वर्ष	त्रैमासिक	घटक						कुल
		खाद्यान्न	खाना बनाने की लागत	रसोईया—सह—सहायक	एम.एम.ई. एवं परिवहन	रसोईघर शेड	रसोईघर युक्ति	
2011-12	प्रथम	0.00	12,061.17	5,507.49	493.91	0.00	0.00	18,062.57
	द्वितीय	410.35	13,832.52	5,507.49	689.82	0.00	0.00	20,440.18
	तृतीय	5,769.65	11,206.56	5,507.49	698.93	0.00	0.00	23,182.63
	चतुर्थ	2,621.99	15,807.94	1,835.83	490.68	0.00	0.00	20,756.44
कुल		<b>8,801.99</b>	<b>52,908.19</b>	<b>18,358.30</b>	<b>2,373.34</b>	<b>6,779.84</b>	<b>0.00</b>	<b>89,221.66</b>
2012-13	प्रथम	344.85	12,301.02	3,671.66	738.60	0.00	0.00	17,056.13
	द्वितीय	3,053.74	20,006.38	4,550.25	733.33	0.00	0.00	28,343.70
	तृतीय	1,226.05	17,528.66	4,629.35	944.45	0.00	0.00	24,328.51
	चतुर्थ	5,549.83	21,388.50	4,607.05	1,032.27	0.00	0.00	32,577.65
कुल		<b>10,174.47</b>	<b>71,224.56</b>	<b>17,458.31</b>	<b>3,448.65</b>	<b>5,772.39</b>	<b>1,788.00</b>	<b>1,09,866.38</b>
2013-14	प्रथम	1,085.41	19,670.75	4,376.00	720.96	0.00	0.00	25,853.12
	द्वितीय	1,383.10	28,284.39	5,050.20	1,242.45	0.00	0.00	35,960.14
	तृतीय	1,465.80	25,730.57	4,754.05	1,169.66	0.00	0.00	33,120.08
	चतुर्थ	899.04	26,007.91	3,909.83	785.42	0.00	0.00	32,148.30
कुल		<b>4,833.35</b>	<b>99,693.62</b>	<b>18,090.08</b>	<b>3,918.49</b>	<b>432.36</b>	<b>1,664.70</b>	<b>1,28,632.60</b>
2014-15	प्रथम	1,992.42	19,688.45	3,566.96	1,184.28	0.00	0.00	26,432.11
	द्वितीय	1,471.58	29,984.26	4,665.78	1,245.80	0.00	0.00	37,367.42
	तृतीय	4,472.05	26,813.86	8,154.80	1,338.69	0.00	0.00	40,779.40
	चतुर्थ	2,387.25	27,998.78	6,712.48	1,153.70	0.00	0.00	38,252.21
कुल		<b>10,323.30</b>	<b>1,04,485.35</b>	<b>23,100.02</b>	<b>4,922.47</b>	<b>0.00</b>	<b>324.75</b>	<b>1,43,155.89</b>
2015-16	प्रथम	2,246.48	14,064.93	2,351.02	1,145.82	0.00	0.00	19,808.25
	द्वितीय	597.26	38,019.80	8,240.14	521.36	0.00	0.00	47,378.56
	तृतीय	2,582.43	29,029.31	6,457.93	1,225.83	0.00	0.00	39,295.50
	चतुर्थ	1,662.94	33,356.29	4,851.28	984.14	0.00	0.00	40,854.65
कुल		<b>7,089.11</b>	<b>1,14,470.33</b>	<b>21,900.37</b>	<b>3,877.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,47,336.96</b>
सकल कुल		<b>41,222.22</b>	<b>4,42,782.05</b>	<b>98,907.08</b>	<b>18,540.10</b>	<b>12,984.59</b>	<b>3,777.45</b>	<b>6,18,213.49</b>

**परिशिष्ट—3.2.3**  
**(संदर्भ: कडिका 3.2.5.6; पृष्ठ—123)**  
**कम उपस्थिति के लिये वसूलनीय राशि**

क्र. सं.	जिला का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जहाँ आधिक्य उपस्थिति थी	लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई वसूलनीय राशि (₹लाख में)
1.	औरंगाबाद	45	4	0.54
2.	सारण	104	14	1.42
3.	गया	150	61	9.44
4.	गोपालगंज	75	34	3.88
5.	जमुई	135	13	1.53
6.	खगड़िया	66	21	2.94
7.	लकड़ीसराय	133	21	1.97
8.	मुजफ्फरपुर	65	17	1.24
9.	समस्तीपुर	203	108	13.45
10.	सीवान	61	6	0.30
11.	नालन्दा	151	24	1.75
कुल		<b>1188</b>	<b>323</b>	<b>38.46</b>

(स्रोत: नमूना—जाँचित डी.पी.ओ. के द्वारा प्राप्त सूचना)

**परिशिष्ट—3.2.4**  
**(संदर्भ: कडिका 3.2.6.1; पृष्ठ—124)**

**विद्यालयों की सूची जहाँ रसोईघर में मध्याह्न भोजन तैयार नहीं किया गया था**

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	मध्याह्न भोजन योजनातैयार किया गया था	अभ्युक्तियाँ
1	औरंगाबाद	कुटुम्बा	प्रा.वि. सीमरी	वर्ग कक्ष	रसोईघर अनुपलब्ध
2	औरंगाबाद	कुटुम्बा	म.वि. सीमरा	बराम्दा	छोटा रसोईघर
3	गया	खिजरसराय	म.वि. गौहरपुर	ऑगन	रसोईघर में धुआँ के कारण
4	गया	खिजरसराय	प्रा.वि. चतहर	ऑगन	रसोईघर अनुपलब्ध
5	गया	खिजरसराय	म.वि. लालगंज	खुले में	छत रहित रसोईघर
6	गया	बोधगया	प्रा.वि. बंशीबिंगहा	वर्ग कक्ष	रसोईघर अनुपलब्ध
7	गया	बोधगया	म.वि. मंझोली	वर्ग कक्ष	रसोईघर अनुपलब्ध
8	गया	बोधगया	प्रा.वि. जयप्रकाशनगर	वर्ग कक्ष	रसोईघर अनुपलब्ध
9	गया	बोधगया	प्रा.वि. प्रमोदनगर	वर्ग कक्ष	रसोईघर अनुपलब्ध
10	गया	खिजरसराय	प्रा.वि. महेशिया	समुदायिक भवन में विद्यालय चल रहा था	रसोईघर अनुपलब्ध
11	गया	गुरुआ	प्रा.वि. फेसरा	समुदायिक भवन में विद्यालय चल रहा था	रसोईघर अनुपलब्ध
12	गोपालगंज	सिध्वलिया	रा.प्रा.वि.बरहिमा उर्दू	वर्ग कक्ष	रसोईघर अनुपलब्ध
13	गोपालगंज	सिध्वलिया	प्रा.वि. बन्जरिया	वर्ग कक्ष	रसोईघर अनुपलब्ध
14	गोपालगंज	गोपालगंज	डी.ए.वी.म.वि. गोपालगंज	बराम्दा	रसोईघर अनुपलब्ध
15	गोपालगंज	सिध्वलिया	नव प्रा.वि. भुमिहारी मरिजद टोला लोहिजरा	बराम्दा	रसोईघर अनुपलब्ध
16	मुजफ्फरपुर	मु आहरी	प्रा.वि. बर्निंगधाट	सीढ़ी के नीचे	रसोईघर अनुपलब्ध
17	मुजफ्फरपुर	मु आहरी	उर्दू म.वि. चक अबदुल वाहिद	बराम्दा	रसोईघर अनुपलब्ध
18	मुजफ्फरपुर	मु आहरी	प्रा.वि. कन्हौली विष्णुदत्त	बराम्दा	रसोईघर अनुपलब्ध
19	मुजफ्फरपुर	मु आहरी	प्रा.वि. बालुधाट	बराम्दा	रसोईघर अनुपलब्ध
20	मुजफ्फरपुर	मु आहरी	प्राथमिक शिक्षक शिक्षण संबद्ध विद्यालय चन्दवारा	बराम्दा	रसोईघर अनुपलब्ध
21	समस्तीपुर	खानपुर	रा.प्रा.वि. टेंगराहा	वर्ग कक्ष	रसोईघर अनुपलब्ध
22	समस्तीपुर	सिंधिया	प्रा.वि. सुम्मा हरिजन	वर्ग कक्ष	रसोईघर अनुपलब्ध
23	समस्तीपुर	खानपुर	रा.प्रा.वि. रामनगर मठ	झोपड़ी	बिना पहुँच पथ के रसोईघर
24	समस्तीपुर	सरायरंजन	प्रा.वि. मकतव नौआचक	बराम्दा	रसोईघर अनुपलब्ध
25	समस्तीपुर	खानपुर	प्रा.वि. भवानीपुर	बराम्दा	रसोईघर अनुपलब्ध
26	सिवान	लकड़ी नवीगंज	नव प्रा.वि. भरवानडुमरी नहरपर	बराम्दा	रसोईघर अनुपलब्ध

**परिशिष्ट—3.2.5**  
**(संदर्भ: कडिका 3.2.7.2; पृष्ठ—128)**  
**नमूना—जाँचित जिलों में मध्याह्न भोजन में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों  
का विवरण**

जिला	गैर-सरकारी संस्था का नाम	एकरारनामा की तिथि	एकरारनामा बंद करने की तिथि
औरंगाबाद	रिवार्ड्स	6 जूलाई 2009	जारी
गया	एकता शक्ति फाउण्डेशन	16 जनवरी 2009	जारी
गोपालगंज	स्त्री शक्ति	10 जूलाई 2009	2 दिसम्बर 2011
जमुई	दयावती शैक्षिक एवं चैरिटेवल सोसाइटी	15 जूलाई 2009	जारी
खगड़िया	आकृति	6 अक्टूबर 2009	14 मार्च 2012
मुजफ्फरपुर	जन चेतना जागृति एवं शैक्षणिक विकास मंच	12 जनवरी 2009	26 दिसम्बर 2011
नालन्दा	एकता शक्ति फाउण्डेशन	10 जूलाई 2009	जारी
समस्तीपुर	नव प्रयास	6 जूलाई 2009	23 अगस्त 2011
सारण	स्त्री शक्ति	19 जनवरी 2009	2 दिसम्बर 2011
सिवान	स्त्री शक्ति	10 जूलाई 2009	2 दिसम्बर 2011

(स्रोत: नमूना—जाँचित डी.पी.ओ. के द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट-3.3.1**  
**(संदर्भ: कॉडिका-3.3.6; पृष्ठ-147)**  
**उपकरणों की अधिप्राप्ति में आधिक्य व्यय की विवरणी**

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	क्रय वर्ष	मदों के नाम	वास्तविक खर्च		वार्षिक कार्य योजना के अनुसार स्वीकृत		क्रय किए गए मात्रा के अनुसार स्वीकृत राशि	(₹ लाख में) आधिक्य व्यय
				मात्रा	राशि	मात्रा	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7*5)	10(6-9)
1	2011-12	2014-15	एक्सप्लोसिव डिटेक्टर लिविंग एवं वैपर के साथ	3	107.51	10	220.00	66.00	41.51
2	2008-09/ 2011-12	2014-15	क्रेन (3 टनर)	2	40.40	5	54.00	21.60	18.80
3	2011-12	2014-15	हैण्ड ग्रेनेड सिमुलेटर	1	9.76	2	17.00	8.50	1.26
4	2010-11	2014-15	एंटी लैंड माइन वेहिकल्स	2	231.00	4	285.60	142.80	88.20
5	2009-10	2013-14	वाटर केनन	5	265.01	5	150.00	150.00	115.01
6	2011-12	2013-14	बीपी एलएमभी हार्ड टॉप	24	933.22	22	836.00	912.00	21.22
7	2006-07	2013-14	बॉम्ब सूट	2	17.00	2	6.70	6.70	10.30
8	2008-09	2013-14	पोर्टेबल एक्स-रे मशीन डेवेलेपर के साथ	1	29.50	5	17.25	3.45	26.05
9	2011-12	2013-14	एच.एच.एम.डी.	18	4.07	35	4.20	2.16	1.91
10	2007-08	2013-14	बॉम्ब ब्लैकेट	6	7.50	2	0.50	1.50	6.00
11	2008-09	2013-14	एक्स-रे स्केनर विज़ुअल सर्च लाईट के साथ	4	118.00	2	51.70	103.40	14.60
12	2011-12	2013-14	ऑपरेशनल कीट बीडी यूनिट के लिये	10	248.89	15	257.35	171.57	77.32
13	2007-08/ 2008-09	2013-14	पोर्टेबल एक्स-रे स्केनर डेवेलपर के साथ	12	469.89	6	20.70	41.40	428.49
14	2011-12	2013-14	एक्सप्लोसिव डिटेक्टर लिविंग एवं वैपर के साथ	3	107.51	10	220.00	66.00	41.51
15	2000-01	2012-13	लीटज लार्ज कम्प्युरिजन माइक्रोस्कोप	1	110.12	1	40.00	40.00	70.12
16	2007-08	2012-13	विडियो स्पेक्ट्रल कॉम्प्युरेटर (बेसिक)	1	59.75	1	15.00	15.00	44.75
17	2010-11	2012-13	डीप सर्च मेटल डिटेक्टर	6	10.86	5	1.25	1.50	9.36
18	2007-08	2012-13	फिक्स्ड डीएफएमडी	2	3.50	19	1.90	0.20	3.30
19	2008-09	2012-13	बॉम्ब सूट	4	30.00	4	24.00	24.00	6.00
20	2009-10	2012-13	वाटर केनन	2	106.00	5	150.00	60.00	46.00
21	2008-09	2011-12	बॉम्ब ब्लैकेट	5	5.60	4	0.50	0.63	4.97
22	2000-01	2013-14	वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम	2	18.78	2	1.00	1.00	17.78
कुल				115	2,933.85	166	2,374.65	1,839.40	1,094.45

(ज्ञोत: आई.जी. प्रावधान के द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑँकड़े)

### परिशिष्ट-3.3.2

(संदर्भ: कंडिका-3.3.6.1; पृष्ठ-148)

एम.पी.एफ. के तहत् वर्ष 2011-16 के दौरान निर्माण कार्य का वित्तीय विवरणी

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि	प्राप्त निधि	पूर्ण कार्य	वास्तविक व्यय
2011-12	97	13.85	13.85	57	9.77
2012-13	1	0.05	0.05	0	0
2013-14	102	156.72	85.52	20	21.30
2014-15	18	78.71	70.17	0	0
2015-16	0	0	0	0	0
<b>कुल</b>	<b>218</b>	<b>249.33</b>	<b>169.59</b>	<b>77</b>	<b>31.07</b>

(झोत: बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े)

### परिशिष्ट-3.3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.3.6.2; पृष्ठ-150)

वार्षिक कार्य योजना के संबंध में वर्ष 2011-16 के दौरान कम अधिप्राप्ति

क्र. सं.	घटक— गतिशीलता	योजना	क्रय
	गाड़ी का नाम	गाड़ी की संख्या	गाड़ी की संख्या
1	एम्बुलेंस (दो स्ट्रेचर)	2	0
2	एम्बुलेंस	3	0
3	एम्बुलेंस छोटा	38	0
4	एंटी लैंड माईन्स वेहिकल	25	0
5	बीपी एलएमभी हार्डटॉप	66	24
6	बड़ा बस	114	0
7	बस 52 सीटर	9	0
8	एचएमभी 32 सीटर	20	0
9	मोटर बोट डीजल इंजिन के साथ	2	0
10	क्रैन 10 टनर	5	0
11	क्रैन 3 टनर	3	2
12	फोरेंसिक लैब वेहिकल	10	0
13	एलएमभी	25	0
14	एलएमभी सघन हाइवे के लिये	14	26
15	एलएमभी टूरिस्ट पोलिसिंग के लिये	12	27
16	एलएमभी हार्डटॉप	46	0
17	एलएमभी हार्डटॉप (बोलेरो/सुमो)	203	0
18	एलएमभी हार्डटॉप (स्कार्पियों)	12	0
19	एलएमभी सॉफ्टटॉप	253	142
20	मिनी बस	49	0
21	मिनी ट्रक	106	0
22	मिनी ब्रज वेहिकल	45	0
23	मोटर साईकिल	980	262
24	प्रिजनर्स वैन	34	0
25	रिकोभरी वैन	2	0
26	एचएमभी तृप्त कैरियर	55	48
27	ट्रक 3 टनर	10	0
28	ट्रक 5 टनर	7	0
29	वाटर केनन	10	0
	<b>कुल</b>	<b>2,160</b>	<b>531</b>

(झोत: आई जी प्रावधान के द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े)

**परिशिष्ट-3.3.4**  
**(संदर्भ: कंडिका-3.3.6.2; पृष्ठ-151)**  
**नमूना-जाँचित जिलों में वाहनों की स्थिति**

क्र. सं.	इकाई का नाम		कुल वाहन					
			भारी	मध्यम	हल्का	मोटरसाइकिल	एस.पी.भी.	कुल
1	वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर	आवश्यकता	9	20	72	116	14	231
		होल्डिंग	5	8	85	64	14	176
		ऑफ रोड	0	1	20	19	2	42
		वास्तविक ऑन रोड	5	7	65	45	12	134
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	12.50	23.53	29.69	14.29	23.86
2	पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय	आवश्यकता	9	20	72	116	0	217
		होल्डिंग	7	7	73	64	0	151
		ऑफ रोड	0	1	3	20	0	24
		वास्तविक ऑन रोड	7	6	70	44	0	127
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	14.29	4.11	31.25	0.00	15.89
3	पुलिस अधीक्षक, छपरा	आवश्यकता	9	20	47	116	14	206
		होल्डिंग	4	3	62	59	10	138
		ऑफ रोड	0	1	8	1	3	13
		वास्तविक ऑन रोड	4	2	54	58	7	125
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	33.33	12.90	1.69	30.00	9.42
4	वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा	आवश्यकता	9	17	71	118	-	215
		होल्डिंग	7	3	89	46	14	159
		ऑफ रोड	1	0	18	22	4	45
		वास्तविक ऑन रोड	6	3	71	24	10	114
		ऑफ रोड प्रतिशत	14.29	0.00	20.22	47.83	28.57	28.30
5	पुलिस अधीक्षक, नालंदा	आवश्यकता	4	14	97	125	6	246
		होल्डिंग	4	11	79	91	5	190
		ऑफ रोड	0	1	4	25	0	30
		वास्तविक ऑन रोड	4	10	75	66	5	160
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	9.09	5.06	27.47	0.00	15.79
6	पुलिस अधीक्षक, मधुबनी	आवश्यकता	9	20	72	116	0	217
		होल्डिंग	2	10	96	53	0	161
		ऑफ रोड	1	5	18	13	0	37
		वास्तविक ऑन रोड	1	5	78	40	0	124
		ऑफ रोड प्रतिशत	50.00	50.00	18.75	24.53	0.00	22.98
7	पुलिस अधीक्षक, बेतिया	आवश्यकता	10	17	64	94	0	185
		होल्डिंग	7	6	84	56	7	160
		ऑफ रोड	0	4	32	11	2	49
		वास्तविक ऑन रोड	7	2	52	45	5	111
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	66.67	38.10	19.64	28.57	30.63
8	वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर	आवश्यकता	7	17	79	118	0	221
		होल्डिंग	7	7	110	27	7	158
		ऑफ रोड	0	1	11	1	0	13
		वास्तविक ऑन रोड	7	6	99	26	7	145
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	14.29	10.00	3.70	0.00	8.23
9	पुलिस अधीक्षक, भगुआ	आवश्यकता	9	19	48	53	0	129
		होल्डिंग	7	10	72	87	0	176
		ऑफ रोड	0	1	8	10	0	19
		वास्तविक ऑन रोड	7	9	64	77	0	157
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	10.00	11.11	11.49	0.00	10.80

क्र. सं.	इकाई का नाम		कुल वाहन						
			भारी	मध्यम	हल्का	मोटरसाइकिल	एस.पी.भी.	कुल	
10	वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना	आवश्यकता	9	23	164	236	0	432	
		हॉल्डिंग	13	37	215	199	0	464	
		ऑफ रोड	0	3	40	27	0	70	
		वास्तविक ऑन रोड	13	34	175	172	0	394	
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	8.11	18.60	13.57	0.00	15.09	
11	वी.एम.पी.-5, पटना	आवश्यकता	29	8	13	5	0	55	
		हॉल्डिंग	4	12	22	4	0	42	
		ऑफ रोड	2	0	6	0	0	8	
		वास्तविक ऑन रोड	2	12	16	4	0	34	
		ऑफ रोड प्रतिशत	50.00	0.00	27.27	0.00	0.00	19.05	
12	वी.एम.पी.-6, मुजफ्फरपुर	आवश्यकता	29	8	13	5	0	55	
		हॉल्डिंग	1	8	15	7	0	31	
		ऑफ रोड	0	0	1	0	0	1	
		वास्तविक ऑन रोड	1	8	14	7	0	30	
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	3.23	
13	बी.एम.पी.-8, बेगूसराय	आवश्यकता	29	8	13	5	0	55	
		हॉल्डिंग	2	9	11	4	0	26	
		ऑफ रोड	0	0	3	0	0	3	
		वास्तविक ऑन रोड	2	9	8	4	0	23	
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	0.00	27.27	0.00	0.00	11.54	
14	बी.एम.पी.-13, दरभंगा	आवश्यकता	29	8	13	5	0	55	
		हॉल्डिंग	6	4	11	2	0	23	
		ऑफ रोड	0	0	0	0	0	0	
		वास्तविक ऑन रोड	6	4	11	2	0	23	
		ऑफ रोड प्रतिशत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल		आवश्यकता	200	219	838	1228	34	2519	
		हॉल्डिंग	76	135	1024	763	57	2055	
		ऑफ रोड	4	18	172	149	11	354	
		वास्तविक ऑन रोड	72	117	852	614	46	1701	
		ऑफ रोड प्रतिशत	5.26	13.33	16.80	19.53	19.30	17.23	

(स्रोत: आई.जी. प्रोवीजन के द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑकड़े)

**परिशिष्ट—3.3.5**  
**(संदर्भ: कंडिका—3.3.6.4; पृष्ठ—154)**  
**एफ.एस.एल. पटना में उपकरण की उपलब्धता**

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपलब्धता (हाँ / नहीं)
1	डीएनए सेक्वेंसर	हाँ
2	पीसीआर मशीन	हाँ
3	गैस क्रोमोटोग्राफ	नहीं
4	गैस क्रोमोटोग्राफ मास्पेक्टोमीटर	हाँ
5	गैस क्रोमोटोग्राफ हेड स्पेस	नहीं
6	विडियो स्पेक्ट्रल कॉम्प्यूटर	हाँ
7	कम्प्रेशन माइक्रोस्कोप	हाँ
8	इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप	नहीं
9	कम्पाउंड माइक्रोस्कोप	नहीं
10	स्टीरियो माइक्रोस्कोप	हाँ
11	अल्ट्रा वायलेट विसुअल स्पेक्ट्रोमीटर	हाँ
12	रमण स्पेक्ट्रोमीटर	नहीं
13	अल्ट्रा लो टेम्परेचर कैबिनेट	नहीं
14	वायस स्पेक्ट्रोग्राफ	हाँ
15	पोलीग्राफ	हाँ
16	ईएसडीए	नहीं
17	एफएसीटीएस एएफआईएस सिस्टम	नहीं
18	इच्चेस्टिगेशन कीटस	हाँ
19	एक्सआरएफ उपकरण	हाँ
20	एटोमिक अक्सोप्रैशन स्पेक्ट्रोमीटर	नहीं
21	सेंट्रीफ्युजेज	हाँ
22	रेफ्रिजेरेटेड सेंट्रीफ्युजेज	नहीं
23	एसएलआर कैमरा	नहीं
24	विडियो कैमरा	नहीं
25	रेप्रोवाइट इकाई	नहीं
26	बुलेट रिकोवरी बॉक्स	नहीं
27	एचपीएलसी उपकरण	नहीं
28	एचपीटीएलसी उपकरण	नहीं
29	फोरेंसिक लैब वेहिकल्स	हाँ
30	इलेक्ट्रोफोरेसिस सेट	हाँ
31	तरंतुला	हाँ
32	यूएफइडी अल्टीमेट	हाँ
33	वाटर व्यूरीफिकेशन सिस्टम	हाँ
34	इयान क्रोमेटोग्राफ	हाँ
35	यू.भी. लैम्प	हाँ
36	स्टेरो माइक्रोस्कोप	नहीं
37	एनलाइन प्याएंट अपरेटर्स	नहीं
38	काम्पोक्रिलेट फमिंग चेंबर	नहीं
39	वाटर बाथ इलेक्ट्रोनिक मशीन	हाँ

(झोत: एफ.एस.एल. के द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े)

## परिशिष्ट-3.4.1

( संदर्भः कंडिका-3.4.2; पृष्ठ-159)

10 जिलों में चयनित 78 माध्यमिक विद्यालयों के नाम

क्र. सं.	जिलों के नाम	विद्यालयों के नाम
1	बेगूसराय	उत्क्रमित उच्च विद्यालय दरियापुर, मटिहानी
		प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बदलापुर, मटिहानी, बागदोभ
		प्रोजेक्ट आर.एन.एस. बालिका उच्च विद्यालय, गरपुरा, दुन्ही
		उत्क्रमित उच्च विद्यालय कोरियामा, गरपुरा
		आर.के.टी.एन. उच्च विद्यालय, साहेबपुर कमाल, फुलमलिक
		आर.के. उच्च विद्यालय परमानन्दपुर, बलिया, बरबीगही
2	भागलपुर	उत्क्रमित उच्च विद्यालय केशवे, बरौनी
		आर.डी.पी. उच्च विद्यालय दुबौली, पीरपेंती
		नन्द कुमार उच्च विद्यालय, नवगछिया, नगरा
		उ.म.वि. मधौरापुर, नारायणपुर, मथुरापुर
		म.वि. रॉयपुर, नारायणपुर
		उत्क्रमित उच्च विद्यालय रंगरा चौक
		म.वि. अगरपुर, गोराडीह
		उत्क्रमित उच्च विद्यालय तरछा, गोराडीह
		पी.एस. सोनुडीह, गोराडीह
3	कटिहार	लोकनाथ उच्च विद्यालय, जगदीशपुर
		सम्पत राजदेवी बालिका उच्च विद्यालय कुरसेला, जरलाही
		उत्क्रमित उच्च विद्यालय रामपुर, कोरहा
		उत्क्रमित उच्च विद्यालय बठैली, कटिहार
		उच्च विद्यालय कटिहार, वार्ड सं.-1
		राजेन्द्र उच्च विद्यालय धनपारा, मनसाही, चितौरिया
		प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय आजम नगर, सलमरी
4	मुजफ्फरपुर	उत्क्रमित उच्च विद्यालय चिल्हापारा, बलरामपुर, शरीफ नगर
		उ.ज.वि. कोडरीया, मीनापुर
		उ.ज.वि. गवसरा मुसरा, मारवॉन
		एच.के. उच्च विद्यालय, गोपालपुर, सकरा
		दिनेश्वर उ.वि. राजेपुर लखना, साहेबगंज
		उ.ज.वि. मेहसी, सकरा
		आर.एस.एस. उच्च विद्यालय विशनपुर-बाधनागरी, सकरा
		सी.के. उच्च विद्यालय, कामतौल, मुजफ्फरपुर, कुरहनी
		कृष्ण विभूति प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय कुरहनी
		राजकीयकृत शिव नन्दन उच्च विद्यालय मुरौल, हरसिंगपुर लॉटन
5	नालंदा	उ.ज.वि. घरभारा, बोचहा, देवगन
		एन.एस. उच्च विद्यालय विष्णुपुर, इस्लामपुर, रानीपुर
		हरीबाग उ.वि. डेकवाहा सरैया, इस्लामपुर
		उच्च विद्यालय सीवडीह, हरनौत
		म.वि. अकबरपुर, हिलसा
		राम लाल उच्च विद्यालय, खापुरा, नगरनौसा
		एन.ई.एफ.टी. बलिदान स्मारक उच्च विद्यालय, बेन, मुराँवा
		आर.जी.एल. उच्च विद्यालय छबिलापुर, विहारशरीफ, गोरियापार
		बिहार टॉउन उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ
		उच्च विद्यालय, बिन्द
		नेहु उच्च विद्यालय, परसडीहा, नगरनौसा, भूतहाखार

		उ.उ.वि. बुधवारा गोविन्द सिंह उच्च विद्यालय टेलारी, रोह उत्क्रमित उच्च विद्यालय ऑकाउराह, पकरीवरॉव उ.उ.वि. धामुचक, रजौली श्री महावीर उच्च विद्यालय साम्बे, वारसलीगंज (न.)
6	नवादा	कोशी आदर्श उच्च विद्यालय, महीसी, महीसरहो स्टेट सबसिडाईज उच्च विद्यालय, नवहट्टा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, नवहट्टा महन्थ सरयुग दास उच्च विद्यालय, सत्तार कटैया, मेहना
7	सहरसा	पी.आर.एच.एस. कर्पुरीग्राम, समस्तीपुर, नगरपालिका एरिया उच्च विद्यालय, हरपुर सिंहिया जगत सिंह पुर, समस्तीपुर किशन उच्च विद्यालय मोरसंड, पूसा आर.कै.जी. बालिका उच्च विद्यालय वैनी, पूसा एम.आर.आर. उच्च विद्यालय, नरघोथी, सरायरंजन लड्डू लाल उच्च विद्यालय सिरसी, विभूतिपुर उ.उ. विद्यालय मालपुर, दलसिंगसराय, मधीपुर उ.म. विद्यालय कामरॉव, दलसिंगसराय आर.कै.डी.एच. विद्यालय कल्याणपुर, मालीनगर
8	समस्तीपुर	उत्क्रमित उ.वि., डुमरी, मॉझी उत्क्रमित उ.वि., मिर्जापुर, मुरारपुर, लहलादपुर एम.आर.एस.डी. उच्च विद्यालय नरॉव, गरखा ईश्वरी उच्च विद्यालय, गरखा, श्रीपाल बंसत उत्क्रमित.+2 मुबारकपुर, मोरहॉवड़ा उ.वि. कपिल देव, सिसई, बानीपुर उ.वि.+2 सारण एकैडमी, छपरा सदर, दहियॉवा +2 विश्वेश्वर सेमिनरी, छपरा सदर, दहियॉवा उ.वि. रघुनाथ जगन्नाथ, विशभरपुर, दरियापुर
9	सारण	उ.उ. विद्यालय पातेपुर, रसुलपुर गोनी उच्च विद्यालय कृष्णवारा, पातेपुर वाई.एस. उच्च विद्यालय, हरपुर, महुआ वैशाली विद्यालय, महुआ, मुकुन्दपुर गोरख नाथ सूर्य देव उच्च विद्यालय, बैकुण्ठपुर, राजापाकर उच्च विद्यालय बखरी दोआ, चेहराकला राजकीयकृत राजगृही उच्च विद्यालय, प्रेमराज (वैशाली), गरौल, भगवानपुर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, गरौल, भगवानपुर
10	वैशाली	कुल 78 माध्यमिक विद्यालय

**परिशिष्ट-3.4.2**

(संदर्भ: कंडिका-3.4.3.2; पृष्ठ-163)

नमूना—जाँचित जिलों में प्राप्त निधि एवं उसके विरुद्ध व्यय की विवरणी

वर्ष	प्राप्त राशि		व्यय		बचत / प्रत्यर्पण		बचत / प्रत्यर्पण प्रतिशत में	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
2011-12	151.74	85.28	145.27	81.23	6.47	4.05	4	5
2012-13	171.04	152.80	154.69	140.87	16.35	11.93	10	8
2013-14	149.34	313.90	140.16	277.24	9.18	36.66	6	12
2014-15	225.96	524.37	221.17	469.01	4.79	55.36	2	11
2015-16	362.14	666.42	239.95	605.58	122.19	60.84	34	9

(स्रोत: डी.पी.ओ. के द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट-3.4.3**

(संदर्भ: कंडिका-3.4.3.3; पृष्ठ-164)

कुल माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को दर्शाती विवरणी

वर्ष	अस्तित्व वाले विद्यालयों की संख्या	वर्ष के दौरान मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित विद्यालय	राज्य में उपलब्ध कुल माध्यमिक विद्यालय
2009-10	2,937	344	3,281
2010-11	3,281	443	3,724
2011-12	3,724	210	3,934
2012-13	3,934	0	3,934
2013-14	3,934	1,292	5,226
2014-15	5,226	0	5,226
2015-16	5,226	0	5,226

(स्रोत: बी.एम.एस.पी. द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट-3.4.4**

(संदर्भ: कंडिका-3.4.3.3; पृष्ठ-165)

नमूना-जाँचित जिलों में छात्रों की संख्या पर उपलब्ध एक वर्ग कक्ष/शिक्षक से संबंधित विवरणी

जिलों के नाम	31 मार्च 2016 को कुल छात्रों की संख्या		शिक्षकों की संख्या		छात्र-शिक्षक अनुपात		वर्ग IX एवं X के लिए कुल वर्ग कक्षाओं की संख्या	IX एवं X के लिए छात्र-वर्गकक्षों का अनुपात
	वर्ग IX एवं X	वर्ग XI एवं XII	वर्ग IX एवं X	वर्ग XI एवं XII	वर्ग IX एवं X	वर्ग XI एवं XII		
बेगूसराय	81,411	65,602	831	192	98:1	342:1	695	117:1
भागलपुर	75,710	8,535	1,194	383	63:1	22:1	856	88:1
कटिहार	72,127	11,571	583	152	124:1	76:1	333	217:1
मुजफ्फरपुर	1,31,015	4,664	1,184	324	111:1	14:1	714	183:1
नालन्दा	1,01,802	20,151	1,476	89	69:1	226:1	813	125:1
नवादा	73,699	26,263	571	290	129:1	91:1	352	209:1
सहरसा	48,943	3,910	481	105	102:1	37:1	253	193:1
समस्तीपुर	1,26,146	16,695	1,152	478	110:1	35:1	811	156:1
सारण	1,36,828	27,800	1,280	433	107:1	64:1	509	269:1
वैशाली	1,08,964	10,339	1,100	380	99:1	27:1	608	179:1
कुल	<b>9,56,645</b>	<b>1,95,530</b>	<b>9,852</b>	<b>2,826</b>			<b>5,944</b>	
समग्र	<b>9,56,645</b>	<b>1,95,530</b>	<b>9,852</b>	<b>2,826</b>	<b>97:1</b>	<b>69:1</b>	<b>5,944</b>	<b>161:1</b>

(झोत: डी.पी.ओ. द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट-3.4.5**

( संदर्भ कंडिका-3.4.3.3; पृष्ठ-166)

माध्यमिक विद्यालय के रूप में उल्कमित विद्यालयों में आधारभूत संरचना एवं मानव बल की उपलब्धता से संबंधित विवरणी

जिलों के नाम	माध्यमिक विद्यालय			
	उल्कमित विद्यालयों की संख्या	भवनहीन विद्यालयों की संख्या	शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जिसमें छात्रों का नामांकन नहीं है।
बेगूसराय	63	19	14	11
भागलपुर	74	56	4	2
कटिहार	85	21	62	0
मुजफ्फरपुर	115	76	78	14
नालन्दा	62	44	33	14
नवादा	53	53	26	3
सहरसा	60	57	48	30
समस्तीपुर	126	105	75	73
सारण	54	47	17	5
वैशाली	65	53	7	7
<b>कुल</b>	<b>757</b>	<b>531</b>	<b>364</b>	<b>159</b>

(ज्ञातः डी.पी.ओ. द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट-3.4.6**

( संदर्भ कंडिका-3.4.3.3; पृष्ठ-168)

नमूना-जाँचित विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की संख्या (सेवा-कालीन प्रशिक्षण)

क्र.सं.	जिलों के नाम	शिक्षकों की उपलब्धता	सेवाकालीन प्रशिक्षण					
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	बेगूसराय	1,023	0	199	0	0	223	422
2	भागलपुर	1,577	40	68	305	72	284	769
3	कटिहार	735	0	0	0	0	176	176
4	मुजफ्फरपुर	1,508	0	0	42	91	375	508
5	नालन्दा	1,565	0	0	510	35	375	920
6	नवादा	861	0	0	270	0	302	572
7	सहरसा	586	0	0	0	74	229	303
8	समस्तीपुर	1,630	72	137	482	78	331	1,100
9	सारण	1,713	0	0	143	334	273	750
10	वैशाली	1,480	0	40	160	110	107	417
<b>कुल</b>		<b>12,678</b>	<b>112</b>	<b>444</b>	<b>1,912</b>	<b>794</b>	<b>2,675</b>	<b>5,937</b>
								<b>21</b>

(ज्ञातः डी.पी.ओ. द्वारा प्रदत्त सूचना)

### परिशिष्ट-3.4.7

(संदर्भ कंडिका-3.4.3.4; पृष्ठ-169)

नमूना-जाँचित जिलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या

जिलों के नाम	उपलब्ध विद्यालयों की संख्या	व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या	बुट मॉडल के तहत कम्प्यूटर शिक्षा हेतु चयनित विद्यालयों की संख्या	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान नहीं करने वाले विद्यालयों की संख्या			31 मार्च 2016 को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या		
				कम्प्यूटर की चौरी	कम्प्यूटर एवं उपकरण विद्यालयों का हस्तांतरित परन्तु कम्प्यूटर शिक्षक अनुपलब्ध	कुल	आउटसोसिंग एजेन्सी द्वारा	विद्यालयों द्वारा स्वयं	कुल
बेगूसराय	147	2	31	3	28	31	-	-	-
भागलपुर	176	-	74	-	36	36	38	-	38
कटिहार	142	3	34	-	6	6	20	8	28
मुजफ्फरपुर	222	-	84	5	46	51	33	-	33
नालन्दा	193	-	25	3	22	25	-	-	-
नवादा	119	-	18	-	17	17	-	1	1
सहरसा	106	-	-	-	-	-	-	-	-
समस्तीपुर	227	2	101	7	60	67	29	5	34
सारण	180	-	72	-	23	23	49	-	49
वैशाली	155	-	55	5	23	28	26	1	27
<b>कुल</b>	<b>1,667</b>	<b>7</b>	<b>494</b>	<b>23</b>	<b>261</b>	<b>284</b>	<b>195</b>	<b>15</b>	<b>210</b>

(झोत: डी.पी.ओ. द्वारा प्रदत्त सूचना)

### परिशिष्ट-3.4.8

(संदर्भ कंडिका-3.4.3.5; पृष्ठ-170)

राज्य, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की संख्या को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	जिलों के नाम	उपलब्ध विद्यालयों की संख्या	राज्य स्तरीय पदाधिकारी						जिला स्तरीय पदाधिकारी					
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	बेगूसराय	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	भागलपुर	176	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	5
3	कटिहार	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	मुजफ्फरपुर	222	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
5	नालन्दा	193	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	10
6	नवादा	119	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	17
7	सहरसा	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
8	समस्तीपुर	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सारण	180	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
10	वैशाली	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
<b>कुल</b>	<b>1,667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

(झोत: डी.पी.ओ. द्वारा प्रदत्त सूचना) (उ.न.-उपलब्ध नहीं)

## परिशिष्ट-3.5.1

(संदर्भ: कंडिका-3.5.1; पृष्ठ-171)

नि. एवं व्य.पदा., अ.श.चि., बैंकों, को.पदा. तथा जि.भ.नि.पदा. के लापरवाही को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	लापरवाही किनके द्वारा	नियम का उल्लंघन	लापरवाही की विवरणी
1	प्रा.स्वा.के., बोधगया, प्रा.स्वा. के./अनु.अस्. पालीगंज, प्रा.स्वा. के.सहदेव बुजुर्ग के नि.एवं व्य.पदा.	संकल्प सं. 5616 दिनांक 3/6/2013	कम्प्रीहेसिव ट्रेजरी मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम (सी.टी.एम.आई.एस.) पर ऑनलाइन इन्ट्री का युजर आई.डी. तथा पासवर्ड संदेशवाहक/अन्य को उपलब्ध कराया गया था। इस तक पहुँच ने सिस्टम को जोखिम पर रखा और कपटपूर्ण निकासी हुई।
2	प्रा.स्वा. के., बोधगया, सहदेव बुजुर्ग, प्रा.स्वा. के./अनु.अस्. पालीगंज, के नि. एवं व्य.पदा.	बि.वि.नि. का नियम 474 (i)	कोषागार अभिश्रव स्लिप के संग्रहण हेतु व्यवस्था नहीं की गई थी। नियम को लागू करने में असफलता के कारण आंतरिक नियंत्रण कमजोर हुआ, जिससे निकासी का अनुश्रवण नहीं किया जा सका।
3	प्रा.स्वा.के., बोधगया, प्रा.स्वा.के./अनु.अस्. पालीगंज के नि. एवं व्य.पदा.,	बि.को.सं. का नियम 369	60 मामलों में ₹2.30 करोड़ भ.नि.नि. अग्रिम भुगतान किये जाने के बाद भी भुगतान प्रमाण-पत्रसमर्पित नहीं किये गये थे। नि. एवं व्य.पदा. भुगतान प्रमाण-पत्र के अभाव में जि. भ.नि.पदा., सा.भ.नि. अग्रिम के निकासी के उपर नियंत्रण नहीं रख सके। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 27 मामलों में (₹179.72 लाख) व्यक्तिगत सा.भ.नि. खातों में ऋणात्मक शेष थे।
	प्रा.स्वा.के., बोधगया, प्रा.स्वा.के./अनु.अस्. पालीगंज, प्रा.स्वा. केन्द्र, सहदेव बुजुर्ग के नि. एवं व्य.पदा.	बि.को.सं. का नियम 104,106	कोषागार संदेशवाहक पंजी (को.सं.प.) विधिवत तरीके से संधारित नहीं किया गया था क्योंकि आखिरी इन्दराज के बाद संख्या तथा कोषागार को प्रस्तुत विपत्र की राशि अकित कर प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया था। इससे अतिरिक्त, विपत्रों/राशियों के इन्दराज का क्षेत्र खुला रहा। इसके साथ ही, को.सं.प., सहदेव बुजुर्ग पृष्ठ सं. 867401 गायब था जिसे वरीय प्राधिकारियों को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।
4	प्रा.स्वा. के./अनु.अस्. पालीगंज के नि. एवं व्य.पदा.	बि.को.सं. का नियम 368	सा.भ.नि. अग्रिम में पूर्ण की मंजूरी संख्या, जिसमें बाद की तिथि अंकित थी/दो बार एक ही सा.भ.नि. अग्रिम की मंजूरी संख्या का उल्लेख किया गया। लेकिन तिथि अलग—अलग थी। यह कपट का मामला हो सकता है क्योंकि इसे नि. एवं व्य.पदा. द्वारा अपने जवाब में पुष्टि की गई कि यह उनके हस्ताक्षर से निर्गत नहीं था।
5	प्रा.स्वा. के./अनु.अस्. पालीगंज, प्रा.स्वा. के., बोधगया के नि. एवं व्य.पदा.	---	विपत्रों पर कर्मचारियों का गलत खाता संख्या का उल्लेख (43 में से 32)/विपत्र पर कर्मचारियों के खाता संख्या का उल्लेख नहीं (43 में से दो), नामों को व्हाइटनर से मिटाकर तथा अन्य नामों को पुनः विपत्र पर लिखना। (43 में से चार) इससे विभिन्न लोगों के खातों में संबंधित व्यक्तियों के खातों को छोड़कर राशि का स्थानांतरित किया गया। नि. एवं व्य.पदा. द्वारा कहा गया कि ये विपत्र उनके हस्ताक्षर से निर्गत नहीं किये गये थे। नि. एवं व्य.पदा. का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि की निकासी संबंधित नि. एवं व्य.पदा. कोड से की गई थी। इसके अलावे, हस्ताक्षर से संबंधित कोई विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। एक ही हस्ताक्षर से विपत्र संख्या दो बार प्रस्तुत की गई थी। इससे यह आशय है कि डुप्लिकेट विपत्रों को प्रोसेस, पारित तथा भुगतान किया गया। नि. एवं व्य.पदा. द्वारा कहा गया कि ये विपत्र उनके हस्ताक्षर से निर्गत नहीं किये गये थे। नि. एवं व्य.पदा. के जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि का निकासी संबंधित नि. एवं व्य.पदा. कोड से की गई थी। नि. एवं व्य.पदा. (डॉ. उमेश कुमार वर्मा) द्वारा श्रीमति इन्दू कुमारी तथा अन्य के बकाया को निकासी कर अपने खाते में स्थानांतरित कर लिया गया। इस प्रकार राशि को दुर्विनियोजित की गई। लेखापरीक्षा अवलोकन को नि. एवं व्य.पदा. द्वारा स्वीकार किया गया प्राथमिकी दर्ज किया गया है।
6	को.पदा. गया तथा को.पदा., वैशाली	बि.को.सं. का नियम 106	को.सं.प. पर नि. एवं व्य.पदा. के हस्ताक्षर के बिना ही विपत्र को प्राप्त और पारित किया गया था। यह को.पदा. की लापरवाही एवं प्रणाली में निहित जोखिम को दर्शाता है। को.पदा., वैशाली के मामले में बिना कोषागार संदेशवाहक के नाम के विपत्र प्राप्त और पारित किये गये। (उदाहरण—को.सं.प. का पृष्ठ सं. 867402 से 867425)
7	प्रा.स्वा. के., पालीगंज के नि. एवं व्य.पदा., को.पदा. दानापुर	बि.को.सं. 2011 के नियम 67, 68, 110, 118 तथा 119 बि.वि.नि. का नियम 474 (i)	अनु.अस्. पालीगंज का नि. एवं व्य.पदा. संहिता कोड पर तीन विपत्र जिसका टोकन संख्या (2014/05/00148, 149, 953) था पर निकासी की गई थी लेकिन सभी मोहर एवं हस्ताक्षर प्रा.स्वा.के. प्रभारी के थे। यह नि. एवं व्य.पदा. एवं को.पदा. की लापरवाही को दिखाता है। धन को इन जिलों से कपटपूर्ण आहरित किया गया था।
8	एस.बी.आई. दानापुर तथा गया मुख्य	आर.बी.आई. का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (नेफट) प्रणाली का कंडिका 3 (यू)	एस.बी.आई. दानापुर तथा गया के द्वारा उन खातों संख्या में राशि स्थानांतरित की गई जो कि विपत्र पर अंकित नाम से किसी अन्य व्यक्ति का खाता था। साथ ही, एस.बी.आई. दानापुर द्वारा उन मामलों में भी किसी अन्य खाते में राशि स्थानांतरित की जहाँ नामों के विरुद्ध विपत्र पर कोई खाता संख्या उल्लेखित नहीं था। अतः, राशि को दुर्विनियोजित किया गया था। एस.बी.आई., गया का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। एस.बी.आई. दानापुर ने कहा (जून 2016) कि बैंक द्वारा सरकारी बैंकिंग लेन-देन, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् को.पदा. तथा नि. एवं व्य.पदा. के द्वारा प्रदत्त अधिदेश के आलोक में की जाती है। हमारा कार्य विपत्र तथा क्रेडिट वाउचर की

क्र. सं.	लापरवाही किनके द्वारा	नियम का उल्लंघन	लापरवाही की विवरणी
		(ii) तथा 6 (i) (ई) प्रणाली प्रक्रियारत दिशानिर्देश 2011, वि.को.सं. 2011 का नियम 110(ब)	संवीक्षा करना तथा मिलान करना नहीं था क्योंकि यह केवल अपने उत्तरदायितव से बचने हेतु था क्योंकि इनके द्वारा कोई भी क्रेडिट स्लिप उपलब्ध नहीं कराया गया था। हस्ताक्षर केवल डॉ. शिव लाल चौधरी, नि. एवं व्य. पदा. (उस अवधि के लेन-देन से है जो कंडिका में शामिल नहीं है।) का लेखापरीक्षा का उपलब्ध कराया गया था। आगे, वि.को.सं. 2011 के नियम 110 (ब) के अनुसार बैंक द्वारा विपत्र में अंकित नाम तथा क्रेडिट वारउचर का मिलान किया जाना था।
9	एस.बी.आई., गया मुख्य	वि.को.सं. 2011 का नियम 110 (ब)	कोषागार द्वारा तीन वैसे क्रेडिट स्लिप उपलब्ध कराये गये जो कि सी.टी.एम.आई.एस. आंकड़ों में उपलब्ध नहीं था। क्रेडिट स्लिप बैंक में सी.टी.एम.आई.एस. में नि. एवं व्य.पदा. द्वारा इन्द्राज करने तथा को.पदा. द्वारा पारित करने आता है। बिना सी.टी.एम.आई.एस. में इन्द्राज किये बैंक में क्रेडिट स्लिप की मौजूदगी बैंक तथा नि. एवं व्य. पदा. की मिली भगत को दर्शाता है। एस.बी.आई., गया का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।
10	जि.भ.नि.पदा., गया तथा पटना	ई.—सा.भ.नि. का प्रणाली आवश्यकता विशिष्टीकरण (एस.आर.एस.)	जि.भ.नि.पदा., गया तथा पटना द्वारा सा.भ.नि. खातों के शेष से ज्यादा निकासी के सा.भ.नि. के अस्थाई अग्रिमों के मामले नहीं उठाये गये तथा वेतन विपत्रों से सा.भ.नि. अग्रिमों के किस्तों की वसूली नहीं की गई। जिसने आधिक्य निकासी को सहायतित किया। इसके अलावे, जि.भ.नि. पदा. पटना द्वारा एक ही पत्र सं. को तुलन पत्र पर दो/तीन अंशदाताओं हेतु अलग—अलग तिथि को अंकित किया गया था। जिससे 37 जाली बकाया स्लिप बनाने में सहायतित हुआ और कपटपूर्ण निकासी की गई। जि.भ.नि.पदा. ने कहा (जून 2016) कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जो कि सा.भ.नि. में अंशदान तथा निकासी को प्रतिवेदित कर सके। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सी.टी.एम.आई. एस. के जरिये डेमो सा.भ.नि. अनुसूची में अंशदान अग्रिम तथा वसूली लेखापरीक्षा के सामने प्रदर्शित किया गया था।
11	असैनिक शल्य चिकित्सक, गया, पटना तथा वैशाली	वि.वि.नि. का नियम 475	माह के दौरान वास्तविक निकासी से संबंधित प्रतिवेदन नहीं भेजने हेतु नि. एवं व्य.पदा. को स्मारित नहीं कर पाये। जिससे असैनिक—शल्य—चिकित्सक का व्यय के ऊपर कमज़ोर नियंत्रण था। असैनिक—शल्य—चिकित्सक द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रा.स्वा.के. से वास्तविक निकासी का मासिक प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ था तथा लेखापरीक्षा के आपत्ति और निर्देशों के आलोक में उनके नियंत्रण के सभी नि.व. व्य. पदा. को निर्गत किये गये थे। असैनिक—शल्य—चिकित्सक द्वारा वर्ष 2011–14 के दौरान आधिक्य आंवटन दिया गया। जिससे वास्तविक आंवटन वास्तविक लोगों को भुगतान हुआ तथा आधिक्य आंवटन कपटपूर्ण तरीके से निकासी कर ली गई। असैनिक—शल्य—चिकित्सक द्वारा कहा गया कि अक्टूबर 2009 से जून 2014 के दौरान का आंवटन से संबंधित मांग—पत्र तथा तत्कालीन आंवटन लिपिक का जवाब, इस संदर्भ में अभिलेखों में नहीं था। इस प्रकार, तत्कालीन असैनिक शल्य—चिकित्सक, प्रधान लिपिक तथा संबंधित लिपिक को वर्णन करने हेतु कहा गया (जून 2016)।
		वि.वि.नि. का नियम 31 (1)	गबन का प्रतिवेदन वित्त विभाग तथा महालेखाकार को नहीं भेजा गया था।

## परिशिष्ट-3.5.2

(संदर्भ : कंडिका-3.5.1; पृष्ठ-171)

## (i) आहरित राशि परंतु कपटपूर्ण तरीके से दूसरो के खातों में जमा की गई राशि को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि (लाख में)	विपत्र का ब्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया
1	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-035	शिव शंकर (बी.एच.डब्ल्यू.)	1.52	जी.आई.एस.	211/13-14	सुमन कांत सिन्हा एस.बी.आई.-30762404980
2	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-034	मुक्ती सिन्हा (ए.एन.एम.)	6.65	औपबंधिक (मृ.स.से.उपा.)	106/14-15	सुमन कांत सिन्हा एस.बी.आई.-30762404980
3	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-034	मालती देवी (ए.एन.एम.)	6.55	औपबंधिक (मृ.स.से.उपा.)	123/14-15	सुमन कांत सिन्हा एस.बी.आई.-30762404980
4	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-034	मालती देवी (ए.एन.एम.)	4.41	अवकाश नगदीकरण	134/14-15	सुमन कांत सिन्हा एस.बी.आई.-30762404980
5	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-034	मुक्ती सिन्हा (ए.एन.एम.)	4.48	अवकाश नगदीकरण	135/14-15	सुमन कांत सिन्हा एस.बी.आई.-30762404980
6	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-035	रामाकान्त तिवारी (बी.एच.डब्ल्यू.)	6.26	सा.भ.नि. से अंतिम निकासी	193/14-15	राजू प्रसाद एस.बी.आई.-33955970478
7	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-035	शिव शंकर	4.69	मृ.स.से.उपा.	212/13-14	प्रिया श्रीवास्तव एस.बी.आई.-32256013147
8	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-035	शिव शंकर	4.65	मृ.स.से.उपा.		गायत्री सिन्हा एस.बी.आई.-10796249490
9	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-035	रामाकान्त तिवारी (बी.एच.डब्ल्यू.)	4.59	मृ.स.से.उपा.	238/13-14	सुमन कांत सिन्हा एस.बी.आई.-30762404980
कुल				43.80		8 विपत्र	

## (ii) आहरित राशि परंतु कपटपूर्ण तरीके से दूसरो के खातों में जमा की गई राशि को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि (लाख में)	विपत्र का ब्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया
1	अनु.अ., पालीगंज	एच.ई.ए.-046	डॉ. रेनुका सक्सेना	1.30	अवकाश नगदीकरण	65/14-15	सुमन कांत सिन्हा एस.बी.आई.-30762404980
2	अनु.अ., पालीगंज	एच.ई.ए.-046	एम.ओ. इन्चार्ज पालीगंज	0.26	सी.एन.सी.	88/13-14	सुमन कांत सिन्हा एस.बी.आई.-30762404980
कुल				1.56		2 विपत्र	

(iii) आहरित राशि परंतु कपटपूर्ण तरीके से दूसरों के खातों में जमा की गई राशि को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि (₹ लाख में)	विपत्र का व्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया
1	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्णता अभिप्रमाणित	0.61	सी.एन.सी.	188/13-14	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
2	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	वीणा कुमारी	1.95	सा.भ.नि. -अंतिम	189/13-14	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
3	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	वीणा कुमारी	0.06	विस्तृत बकाया विपत्र	14/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
4	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	लगन देव राय	0.11	विस्तृत बकाया विपत्र	19/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
5	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	मंजू कुमारी-II	2.34	विस्तृत बकाया विपत्र	44/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
6	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	सुशीला कुमारा	0.09	विस्तृत बकाया विपत्र	65/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
7	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	शाशि कला	0.07	विस्तृत बकाया विपत्र	68/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
8	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	मंजू कुमारी-II	2.09	विस्तृत बकाया विपत्र	72/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
9	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	नूतन मिश्रा	0.95	विस्तृत बकाया विपत्र	73/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
10	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	कुमारी आशा	0.16	विस्तृत बकाया विपत्र	76/ 14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
11	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	नूतन मिश्रा	1.03	विस्तृत बकाया विपत्र	92/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
12	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	सुमित्रा कुमारी	1.31	विस्तृत बकाया विपत्र	108/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
13	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	सुमित्रा देवी	0.21	विस्तृत बकाया विपत्र	109/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
14	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	डॉ. एस. केशरी	1.12	विस्तृत बकाया विपत्र	120/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
15	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	डॉ. एस. केशरी	1.09	विस्तृत बकाया विपत्र	121/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि (₹ लाख में)	विपत्र का व्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया
16	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	डॉ. एस.के. रंजन	0.24	विस्तृत बकाया विपत्र	122/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
17	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	सुमित्रा कुमारी	0.19	विस्तृत बकाया विपत्र	124/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
18	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	सुमित्रा कुमारी	0.36	विस्तृत बकाया विपत्र	129/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
19	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	डॉ. एस. केशरी	1.09	विस्तृत बकाया विपत्र	137/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
20	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	डॉ. एस. केशरी	0.17	विस्तृत बकाया विपत्र	139/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
21	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	जे.पी. सिन्हा	0.30	विस्तृत बकाया विपत्र	142/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
22	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	डॉ. सवीता सिंह	0.90	सी.एन.सी.	154/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
23	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	मंजू कुमारी-।	0.79	विस्तृत बकाया विपत्र	155/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
24	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	मंजू कुमारी-॥	0.40	विस्तृत बकाया विपत्र	156/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
25	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	सुमित्रा कुमारी	0.36	विस्तृत बकाया विपत्र	159/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
26	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	सुशीला कुमारा	0.20	विस्तृत बकाया विपत्र	165/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
27	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.95	सी.एन.सी.	183/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
28	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.15	सी.एन.सी.	184/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
29	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.46	सी.एन.सी.	185/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
30	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	सुमित्रा कुमारी	1.31	विस्तृत बकाया विपत्र	37/15-16	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
31	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	नूतन मिश्रा	0.45	विस्तृत बकाया विपत्र	61/15-16	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि (₹ लाख में)	विपत्र का व्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया
32	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	नूतन मिश्रा	0.23	विस्तृत बकाया विपत्र	72/15-16	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
33	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	मंजू कुमारी-II	2.09	विस्तृत बकाया विपत्र	81/15-16	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
34	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.09	सी.एन.सी.	145/13-14	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
35	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.03	सी.एन.सी.	172/13-14	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
36	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.01	सी.एन.सी.	173/13-14	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
37	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.05	सी.एन.सी.	184/13-14	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
38	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	वीणा कुमारी	0.60	सा.भ.नि.- अंतिम	10/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
39	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	मंजू कुमारी	0.24	वेतन विपत्र	45/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
40	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.05	सी.एन.सी.	59/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
41	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.01	सी.एन.सी.	71/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
42	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	नूतन मिश्रा	0.77	विस्तृत बकाया विपत्र	81/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
43	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	नूतन मिश्रा	0.08	विस्तृत बकाया विपत्र	130/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
44	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	सुशीला कुमारी	1.08	विस्तृत बकाया विपत्र	133/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
45	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.22	सी.एन.सी.	170/14-15	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040
46	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.05	सी.एन.सी.	60/15-16	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.- 11042063040

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि (₹ लाख में)	विपत्र का व्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया
47	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	पूर्ण अभिप्रमाणित	0.26	सी.एन.सी.	61/15-16	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.— 11042063040
48	प्रा.स्वा.के., सहदेह बुजुर्ग	एच.ई.ए.-017	भरत प्रसाद सिंह	1.95	जी.आई.एस.	82/15-16	अवधेश सिंह, एस.बी.आई. खाता सं.— 11042063040
कुल				<b>29.32</b>		<b>48 विपत्र</b>	

(iv) आहरित राशि परंतु कपटपूर्ण तरीके से दूसरे के खातों में जमा की गई राशि को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि ( $\text{₹}$ लाख में)	विपत्र का ब्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया
1	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	राम लखन पासवान	1.48	बकाया	121/11-12	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
2	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	शकुंतला देवी	2.86	बकाया	170/11-12	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
3	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	निर्मला कुमारी	2.14	बकाया	100/11-12	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
4	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	नीरु लता चन्द्रदेव	3.12	अवकाश नगदीकरण	139/12-13	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
5	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	शकुंतला देवी	3.44	अवकाश नगदीकरण	37/12-13	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
6	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	सी.एन.सी.	2.00	पूर्ण अभिप्रामाणित आकस्मिकता	156/11-12	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
7	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	डॉ यू.एन. सिन्हा	0.68	वेतन	29/12-13	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
8	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	सी.एन.सी.	4.56	पूर्ण अभिप्रामाणित आकस्मिकता	147/12-13	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
9	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	निर्मला कुमारी एवं अन्य	0.47	बकाया	99/11-12	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
10	अ.प्रा.स्वा. के., चैरकी, गया	एच.ई.ए.-025	डॉ यू.के. वर्मा तथा सुषमा वर्मा	0.35	वेतन	36/12-13	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
11	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	डॉ विनोद कुमार वर्मा	0.24	वेतन	49/12-13	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
12	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	चन्द्रावती वर्मा एवं अन्य	2.35	बकाया	80/12-13	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
13	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	इन्दू कुमारी एवं अन्य	0.70	बकाया	114/12-13	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
14	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	रीता रानी और शकुंतला देवी	2.26	बकाया	16/12-13	मुकेश कुमार सिंह, एस.बी.आई. -31526689718
15	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	रीता रानी	1.01	वेतन	65/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि (₹ लाख में)	विपत्र का ब्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया
16	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	रीता रानी	1.01	वेतन	70/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
17	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	रीता रानी	1.01	वेतन	95/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
18	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	इन्दू कुमारी एवं अन्य	4.92	बकाया	107/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
19	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	बसंत राम एवं अन्य	2.63	बकाया	108/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
20	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	इन्दू कुमारी एवं अन्य	4.92	बकाया	116/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
21	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	रीता रानी	1.06	वेतन	133/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
22	प्रा.स्वा. के., बोधगया प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	अशोक कुमार एवं अन्य	5.26	बकाया	125/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
23	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	रीता कुमारी एवं अन्य	5.15	बकाया	139/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
24	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	अशोक कुमार एवं अन्य	2.63	बकाया	109/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
25	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	इन्दू कुमारी एवं अन्य	8.09	बकाया	117/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
26	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	रीता कुमारी एवं अन्य	4.00	वेतन विपत्र	67/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
27	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	नरेश राम एवं अन्य	0.29	वेतन विपत्र	71/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
28	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	अमरेन्द्र कुमार एवं अन्य	1.59	बकाया	84/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
29	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	चन्द्रवती वर्मा एवं अन्य	2.53	बकाया	80/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989
30	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	नरेश राम एवं अन्य	0.75	वेतन एन.जी.	88/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि (₹ लाख में)	विपत्र का ब्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया		
31	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	इन्दु कुमारी एवं अन्य	0.88	बकाया	114/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989		
32	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	रीता कुमारी एवं अन्य	4.00	वेतन	67/12-13	शिमल देवी, एस.बी.आई. -32409249989		
				<b>51.73</b>					
33	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	इन्दु कुमारी एवं अन्य	2.84	बकाया	163/12-13	उमेश कुमार वर्मा, एस.बी.आई. -10381026509		
				<b>2.84</b>					
34	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	महेश कुमार और मुकेश कुमार सिंह	0.35	वेतन	28(41)/12-13	अविनाश कुमार सिन्हा, एस.बी.आई. -11160139798		
35	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	एम.के. सिंह को शामिल करके	0.37	वेतन	98/12-13	अविनाश कुमार सिन्हा, एस.बी.आई. -11160139798		
				<b>0.72</b>					
36	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	नरेश राम एवं अन्य	0.18	वेतन	71/12-13	बबन राम, एस.बी.आई. -11160117389		
				<b>0.18</b>					
37	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	सावित्री देवी	0.55	बकाया	163(183)/12-13	डॉ. उदय नारायण सिन्हा, एस.बी.आई. -10533956806		
38	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	सुरेश प्रसाद सिंह	0.71	बकाया	66/12-13	डॉ. उदय नारायण सिन्हा, एस.बी.आई. -10533956806		
				<b>1.26</b>					
39	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	आशा सिंह एवं अन्य	5.04		110/11-12	डॉ. विनोद कुमार वर्मा एस.बी.आई. -11159905407		
				<b>5.04</b>					
40	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	चन्द्रवती वर्मा एवं अन्य	0.27	बकाया	80/12-13	कपीला कुमारी, एस.बी.आई. -11467857735		
				<b>0.27</b>					
41	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	चन्द्रवती वर्मा एवं अन्य	0.26	बकाया	80/12-13	कुसुमवती सिन्हा, एस.बी.आई. -11467867936		
				<b>0.26</b>					
42	अति.प्रा.स्वा. के., चेरकी, गया	एच.ई.ए.-025	डॉ. यू.के. वर्मा और सुषमा वर्मा	0.24	वेतन	36/12-13	मिथिलेश प्रसाद, एस.बी.आई. -11160107529		

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ कोड	राशि से संबंधित कर्मियों का नाम	आहरित राशि (₹ लाख में)	विपत्र का ब्यौरा	हस्तलिखित विपत्र संख्या	व्यक्ति के नाम एवं खाता संख्या जिनके खाते में राशि कपटपूर्ण रूप से जमा किया गया
43	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	चन्द्रवती वर्मा एवं अन्य	1.75	बकाया	80/12-13	मिथिलेश प्रसाद, एस.बी.आई. -11160107529
				<b>1.99</b>			
44	अति.प्रा.स्वा. के., चेरकी, गया	एच.ई.ए.-025	डॉ यू.के. वर्मा और सुशमा वर्मा	0.23	वेतन	36/12-13	राजीव कुमार अखोरी, एस.बी.आई. -11160090091
				<b>0.23</b>			
45	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	डॉ विनोद कुमार वर्मा	0.27	वेतन	49/12-13	रामलखन पासवान, एस.बी.आई. -11160232324
				<b>0.27</b>			
46	प्रा.स्वा. के., बोधगया	एच.ई.ए.-016	चन्द्रवती वर्मा एवं अन्य	0.32	बकाया	80/12-13	सावित्री देवी, एस.बी.आई. -11160158869
				<b>0.32</b>			
		कुल		<b>91.76</b>		33 विपत्र	
		सकल योग	परिशिष्ट 3.2 (i) से (iv)	<b>166.44</b>		91 विपत्र	

**परिशिष्ट-3.5.3**  
**(संदर्भ : कंडिका-3.5.1; पृष्ठ-171)**

**(i) कोषागार से आहरित राशि जिसे ज्ञात नहीं किया जा सका को दर्शाती विवरणी**

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	डी.डी.ओ. कोड	टी.डी.नं./दिनांक	आहरित राशि (₹लाख में)	विपत्र का ब्यौरा	विपत्र संख्या
1	प्रा.स्वा.के., पालीगंज	एच.ई.ए.-004	33/2/8/2013	0.58	वेतन विपत्र	49/13-14
2	अनु.अ., पालीगंज	एच.ई.ए.-046	47/16/8/2013	1.22	बकाया विपत्र	22/13-14
3	अनु.अ., पालीगंज	एच.ई.ए.-046	43/16/8/2013	0.44	बकाया विपत्र	23/13-14
4	अनु.अ., पालीगंज	एच.ई.ए.-046	45/16/8/2013	0.32	बकाया विपत्र	30/13-14
5	अनु.अ., पालीगंज	एच.ई.ए.-046	130/27/8/2013	0.01	बकाया विपत्र	32/13-14
6	अनु.अ., पालीगंज	एच.ई.ए.-046	79/19/2/2014	0.26	मजदूरी	56/13-14
			कुल	<b>2.83</b>		

नोट:- बैंक द्वारा स्थानान्तरित राशि की विवरणी उपलब्ध कराई गई जिसमें न्यायसंगत सूचना सन्तुष्टि नहीं थी। इसलिए, क्रेडिट स्लिप की माँग की गई लेकिन क्षेत्रीय प्रबंधक के निर्देश के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

## (ii) कोषागार से आहरित राशि जिसे ज्ञात नहीं किया जा सका को दर्शाती विवरणी

											(राशि ₹ लाख में)
क्र. सं.	इकाई का नाम	डी.डी.ओ. कोड	गया कोषागार के व्यय प्रतिवेदन के अनुसार आहरित कुल राशि	रोकड़-बही में दशाई गई राशि	वेतन नामावली/बैंक क विवरणी द्वारा भुगतान लेकिन रोकड़-बही में इन्द्राज नहीं किया गया	रोकड़-बही/ वेतन नामावली/बैंक सलाह (बैं.स.) में राशि का पता नहीं चला	क्रेडिट स्लिप एवं क्रेडिट स्लिप विवरणी बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया (राशि/टोक नो की सं.)	कोषागार द्वारा उपलब्ध स्क्रीन सॉट (राशि/टोक नो की सं.)	अंतिम राशि जिनका पता नहीं चला	स्तंभ 9 में से कपटपूर्ण तरीके से निकासी की गई राशि	अभिवितयाँ
1	2	3	4	5	6	7= 4-5-6	8	9	10=7-9	11	12
1	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	1,136.58	551.55	170.16	414.87	201.97 (133)	149.52 (68)	265.35	129.39	बकाय वेतन, औपबंधिक पेशन, फरवरी 2010 से जनवरी 2015 की अवधि का सा.भ.नि. से संबंधित राशि
2	अति.प्रा.स्वा.के., चेरकी गया	एच.ई.ए. 025	188.97	131.18	0	57.79	0.82 (1)	0	57.79	0	
		कुल	<b>1,325.55</b>	<b>682.73</b>	<b>170.16</b>	<b>472.66</b>	<b>202.79</b>	<b>149.52</b>	<b>323.14</b>	<b>129.39</b>	

**परिशिष्ट—3.5.4**  
**(संदर्भ : कांडिका—3.5.1; पृष्ठ—172)**

**(i) आहरित विपत्र एवं रोकड़—बही में वितरित दर्शायी गई लेकिन अभिश्रव/वेतन नामावली का साक्ष्य अभिलेख में न होने को दर्शाती विवरणी**

क्र. सं.	इकाई का नाम	नि.व्य.पदा. कोड	टोकन	टी.व्ही.संख्या	टी.व्ही. दिनांक	मुख्य शीर्ष	कुल राशि (₹लाख में)	हस्तालिखित विपत्र संख्या	रोकड़—बही में दिनांक (पृष्ठ सं.)
1	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2011/08/3664	P22100012	1/9/2011	2210	0.09	57	1/9/2011 (4)
2	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2011/08/3665	P22100016	1/9/2011	2210	0.09	58	1/9/2011(4)
3	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2011/09/3937	P22100026	2/10/2011	2210	0.09	78	29/9/2011(8)
4	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2011/11/1445	P22100199	19/11/2011	2210	0.09	86	18/11/2011(13)
5	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2011/12/1866	P22100225	20/12/2011	2210	0.10	107	17/12/2011(16)
6	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2011/12/3813	P22100342	30/12/2011	2210	13.23	112	29/12/2011(18)
7	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2012/01/1190	P22100194	13/1/2012	2210	1.10	111	12/1/2012(20)
8	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2012/01/1194	P22100193	13/1/2012	2210	0.10	119	12/1/2012(20)
9	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2012/03/1764	P22100265	20/3/2012	2210	0.10	140	15/3/2012(25)
10	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2012/03/3607	P22100393	24/3/2012	2210	0.10	155	22/3/2012(28)
11	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2012/03/6841	P22100717	30/3/2012	2210	0.26	165	28/3/2012(30)
12	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2012/07/3156	P22100072	9/8/2012	2210	0.11	36	18/7/2012(40)
13	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2012/10/1898	P22100270	19/10/2012	2210	0.11	59	5/9/2012(38)
14	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	2012/10/2858	P22100337	20/10/2012	2210	0.11	43	18/8/2012(43)
कुल						<b>15.68</b>			

**(ii) आकस्मिकता पंजी के अनुसार लेकिन बिना अभिश्रव के भुगतान को दर्शाती विवरणी**

क्र.सं.	इकाई का नाम	नि.व्य.पदा. कोड	विपत्र सं.	राशि (₹लाख में)	विवरणी	भुगतान की तिथि	भुगतान न होने की साक्ष्य (₹लाख में)	आकस्मिकता पंजी की पृष्ठ सं.
1	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	125/12-13	1.28	व्यवसायिक	4/3/2013	1.28	8
2	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	134/12-13	5.77	व्यवसायिक	16/3/2013	0.62	10
3	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	135/12-13	1.81	व्यवसायिक	16/3/2013	1.81	11
कुल						<b>3.71</b>		

नोट:- आकस्मिकता पंजी, 28/05/2012 से पूर्व अवधि का उपलब्ध नहीं था।

## (iii) बिना साक्ष्य को भुगतान के दर्शाती विवरणी

(राशि रुलाख में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	डी.डी.ओ. कोड	वेतन, डी.ए., जी.आई., सा.भ.नि. इत्यादि भुगतान की तरह दिखाया गया	बिना साक्ष्य का वेतन, डी.ए., जी.आई., सा.भ.नि. इत्यादि भुगतान की तरह दिखाया गया	बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई क्रेडिट स्लिप का विवरणी (राशि / सं.)	कोषागार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्क्रीन सॉट (राशि / टोकनों की सं.)	भुगतान जिसका साक्ष्य अंततः उपलब्ध नहीं था
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
1	प्रा.स्वा.के., बोधगया	एच.ई.ए. 016	461.47	399.62	22.77 (23)	3.26 (04)	396.36
2	अ.प्रा.स्वा.के. चेरकी गया	एच.ई.ए. 025	140.38	46.45	शून्य	0	46.45
3	अति.प्रा.स्वा.के. खजवती गया	एच.ई.ए. 092	164.34	115.00	66.68 (98)	0	115.00
कुल			766.19	561.07	89.45	3.26	557.81

## परिशिष्ट-3.5.5

(संदर्भ : कंडिका-3.5.2; पृष्ठ-173)

बाढ़ राहत कार्य हेतु कर्मचारियों/निजी ऐजेंसी को दिये गये अग्रिम के साथ समायोजन एवं शेष को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम/पदनाम/निजी ऐजेंसी	अग्रिम की अवधि	अग्रिम भुगतान की राशि	समायोजन	शेष
				(रुलाख में)	
1	श्री इन्देश्वर दास, पंचायत सचिव (पं.स.)	20/9/2008 से 7/10/2008	49.92	46.64	3.28
2	श्री गणेशी प्रसाद यादव/राजस्व कर्मचारी (रा.क.)	21/9/2008 से 22/10/2008	61.30	61.30	0.00
3	श्री योगेन्द्र राम /रा.क.	21/9/2008 से 7/10/2008	44.80	44.80	0.00
4	श्री ध्यानी राम/पं.स.	22/9/2008 से 6/10/2008	45.75	45.75	0.00
5	श्री चन्द्रदेव प्रसाद यादव/रा.क.	26/9/2008 से 6/10/2008	60.30	58.03	2.27
6	श्री वीपिन कुमार, प.स./रा.क.	28/9/2008 से 19/11/2008	78.33	77.47	0.86
7	श्री पूनम कामत/पं.स.	28/9/2008 से 10/8/2008	59.25	59.25	0.00
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव/पं.स.	30/9/2008 से 8/10/2008	92.60	44.98	47.62
9	श्री जय नारायण यादव/पं.स.	2/10/2008 से 8/10/2008	44.00	44.00	0.00
10	श्री यदूनन्दन यादव/पं.स.	2/10/2008 से 13/11/2008	63.36	59.15	4.21
11	श्री रणविजय यादव	7/10/2008 से 5/1/2009	6.25	4.25	2.00
12	श्रीमति जानकी कुमारी/महिला विस्तार पदाधिकारी (एल.ई.ओ.)	17/9/2008	0.10	0.00	0.10
13	श्री रूपक कुमार/मॉडिजिटल स्टूडियों	28/9/2008 से 21/6/2009	9.10	9.10	0.00
14	श्री घयानेश्वर प्रसाद यादव/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरक	31/12/2008 से 5/1/2009	5.00	5.00	0.00
15	श्री राम प्रसाद मुखिया/सहायक	13/10/2008	0.11	0.11	0.00
कुल			620.17	559.83	60.34

**परिशिष्ट-3.6.1**

(संदर्भ : कांडिका-3.6.1; पृष्ठ-178)

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2013-14 के अवधि के दौरान औषधियों के क्रय पर आधिक्य भुगतान को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	अवधि	कुल इनवाईस राशि	वैट की कम कटौती की गई राशि	शुद्ध राशि का भुगतान	औषधि के परीक्षण हेतु कटौती राशि (2 प्रतिशत )
1	पी.एम.सी.एच. पटना (एस.एच.एस.बी.)	2011-12 एवं 2012-13	351.06	12.87	338.19	-----
		2013-14	1388.72	60.48	1328.24	-----
			कुल		1666.43	33.33
2	एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर (एस.एच.एस.बी.)	2011-12	248.44	10.26	238.18	-----
		2012-13	398.56	16.26	382.30	-----
		2013-14	487.37	21.03	466.34	-----
			कुल		1086.82	21.74
3	डी.एम.सी.एच., दरभंगा (एस.एच.एस.बी.)	चक्र-VII	2012-13	225.03	10.83	214.20
			2013-14	91.54	4.34	87.20
				कुल	301.40	6.03
		चक्र-XI	2012-13	33.48	1.59	31.89
			2013-14	93.55	4.45	89.10
				कुल	120.99	2.42
4	एन.एम.सी.एच., पटना (एस.एच.एस.बी.)	2011-12	116.53	10.13	106.40	-----
		2012-13	129.51	4.91	124.60	-----
		2013-14	71.08	3.14	67.94	-----
			कुल		298.94	5.98
5	ए.एन.एम.एम.सी.एच., गया (एस.एच.एस.बी.)	2013-14	43.24	2.06	41.18	-----
			कुल		41.18	0.82
6	जे.एल.एन.एम.सी.एच., भागलपुर (एस.एच.एस.बी.)	2011-12	50.32	0.75	49.57	-----
		2012-13	16.33	0.58	15.75	-----
		2013-14	13.81	0.66	13.15	-----
			कुल		78.47	1.57
सकल योग					3594.23	71.89

## परिशिष्ट-3.6.2

(संदर्भ : कंडिका-3.6.1; पृष्ठ-178)

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के अवधि के दौरान औषधियों के क्रय पर परिहार्य भुगतान को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	अवधि	कुल इनवाईस राशि	वैट की कम कटौती की गई राशि	शुद्ध राशि का भुगतान	औषधि के परीक्षण हेतु कटौती राशि (2 प्रतिशत)
1	पी.एम.सी.एच., पटना (स्थानीय क्रय)	2011-12 एवं 2012-13	1722.32	54.70	1667.62	-----
		2013-14	1294.22	44.84	1249.38	-----
		<b>कुल</b>		<b>2917.00</b>	<b>58.34</b>	
2	एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर (स्थानीय क्रय)	2011-12	2.28	0.12	2.16	-----
		2012-13	0.88	0.04	0.84	-----
		2013-14	12.46	0.57	11.89	-----
		<b>कुल</b>		<b>14.89</b>	<b>0.30</b>	
3	डी.एम.सी.एच., दरभंगा (स्थानीय क्रय)	2012-13 एवं 2013-14	84.84	3.97	80.87	-----
		<b>कुल</b>		<b>80.87</b>	<b>1.62</b>	
4	एन.एम.सी.एच., पटना; (स्थानीय क्रय)	2011-12	159.51	7.04	152.47	-----
		2012-13	195.24	8.85	186.39	-----
		2013-14	136.33	6.57	129.76	-----
		2014-15	93.58	3.94	89.64	-----
		<b>कुल</b>		<b>558.26</b>	<b>11.16</b>	
5	जे.एल.एन.एम.सी.एच., भागलपुर (स्थानीय क्रय)	2014-15	118.92	5.66	113.26	-----
		<b>कुल</b>		<b>113.26</b>	<b>2.27</b>	
सकल योग				<b>3684.28</b>	<b>73.69</b>	

**परिशिष्ट-3.7.1**

(संदर्भ : कंडिका-3.7.2; पृष्ठ-180)

(i) “बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (बा.नि.प्र.), खगड़िया सं.-2 के अधीन चन्हा नदी के दाहिने किनारे पर मिटटी तटबंध” का एकरारनामा एवं भुगतान को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	एकरारनामा सं. (महीना / वर्ष)	विस्तार (किमी. में)	ऐजेंसी का नाम	एकरारनामा मूल्य (रुलाख में)	ठेकेदार को भुगतान की गई राशि (रुलाख में)	चालू विपत्र सं./दिनांक
1	10-एफ2/2008-09 (11/2008)	10.4-16.0	मेसर्स आर.के. कंस्ट्रक्शन, बेगुसराय	136.99	133.16	11वीं 29/3/2014
2	13-एफ2/2008-09 (12/2008)	16.0-19.4	गीता प्रसाद सिंह एवं कॉर्पोरेट व्हाइटेट लिमिटेड, बेगुसराय	88.09	95.47	10वीं 26/2/2015
3	11-एफ2/2008-09 (11/2008)	19.4-22.8	मेसर्स देवेन्ड्र सिंह, नालंदा	108.53	65.67	5वीं 19/1/2012
4	08-एफ2/2008-09 (11/2008 and 3/2010)	22.8-25.6	इश्वर एवं कॉर्पोरेट कॉन्स्ट्रक्ट प्राइवेट लिमिटेड, बेगुसराय	155.99	151.51	8वीं एवं अंतिम 27/3/2010
5	12-एफ2/2008-09 (11/2008)	25.6-28.4	बिरमपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, बिहारशरीफ (नालंदा)	122.91	0	कार्य नहीं किया गया
6	15-एफ2/2008-09 (1/2009)	28.4-32.2	मेसर्स धनपत कुमार जैन, खगड़िया	142.48	124.67	8वां एवं अंतिम 31/1/2015
7	14-एफ2/2008-09 (12/2008)	32.2-35.2	न्यू नालंदा नलकूप बोरिंग एवं अभियांत्रिकी कार्य, बिहारशरीफ (नालंदा)	175.56	175.30	8वीं 14/3/2015
8	09-एफ2/2008-09 (11/2008)	35.2-38.2	यू नालंदा नलकूप बोरिंग एवं अभियांत्रिकी कार्य, बिहारशरीफ (नालंदा)	195.46	180.34	10वीं 26/2/2015
9	71-एफ2/2012-13 (3/2013)	19.4-22.8	मेसर्स अरुण प्रसाद, भागलपुर	58.53	42.53	तीसरा 24/3/2014
कुल				1,184.54	968.65	

## परिशिष्ट-3.7.2

(संदर्भ : कंडिका-3.7.2; पृष्ठ-180)

**बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (बा.नि.प्र.), खगड़िया सं.-2 के अंतर्गत चन्हा नदी के दाहिने किनारे पर नौ बाढ़ प्रतिरोधक जलद्वार संरचना के निर्माण पर एकरानामा एवं भुगतान को दर्शाती विवरणी**

क्र.सं.	स्लूइस को सं.	एकरानामा सं. (महीना / वर्ष)	स्ट्रैच (किमी. में)	ऐरेजेसी का नाम	एकरानामा मूल्य (₹लाख में)	संवेदक को भुगतान की गई राशि (₹लाख में)	चालू विपत्र सं.	दिनांक
1	2	23-एफ2/2012-13 (12/2012)	13.30 एवं 13.60	कृष्णा कुमार सिंह, खगड़िया	82.52	79.03	पाँचवा एवं अंतिम	28/2/2014
2	2	08-एफ2/2012-13 (12/2012)	16.81 एवं 18.67	मेसर्स विनोद कुमार, खगड़िया	86.09	82.15	पाँचवा एवं अंतिम	28/2/2014
3	2	19-एफ2/2012-13 (12/2012)	21.92 एवं 23.16	मेसर्स विनोद कुमार, खगड़िया	85.53	79.86	पाँचवा एवं अंतिम	27/2/2014
4	2	18-एफ2/2012-13 (12/2012)	26.42 एवं 29.20	मेसर्स धनपत कुमार जैन, खगड़िया	83.04	80.46	छठा एवं अंतिम	25/3/2014
5	1	32-एफ2/2012-13 (12/2012)	36.0	मनोज सिंह, पश्चिम चंपारण	45.75	45.12	पाँचवा एवं अंतिम	20/3/2015
<b>कुल</b>	<b>9</b>				<b>382.93</b>	<b>366.62</b>		

**परिशिष्ट—3.7.3**

(संदर्भ : कंडिका—3.7.5; पृष्ठ—185)

**50 लिपट सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार और नवीकरण में परिहार्य व्यय को दर्शाती विस्तृत विवरणी**

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	मद सं. (मूल एकरासनामा)	मूल एकरासनामा में मद का नाम	मद सं. (अनुपूरक एकरासनामा)	मूल एकरासनामा का दर	अनुपूरक एकरासनामा का दर	दर का अन्तर ( च – ड.)	इकाई	नवे लेखा विपत्र तक किये गये कार्य का उच्च दर (मापी पुस्त के अनुसार)	परिहार्य व्यय (छ × ज) / 100000	
क	ख	ग		घ	ड.	च	छ	ज	झ	ज
1	36	5458—1971 300 मि.मी. व्यास के साथ कॉलर एन.पी.1 आर.सी.सी. ह्यूम पाईप की आपूर्ति	36	298.87	520.65	221.78	एम.	25,592.50	56.76	
2	38 (a)	माल की ढुलाई, सीमेंट-लीड 10 कि.मी.	38 (ए)	207.00	226.60	19.60	एम.टी.	661.08	0.13	
	(b)	ईंटें-स्थानीय लोड के आधार पर 8 कि.मी.	(बी)	784.00	853.60	69.60	हजार	1,051.62	0.73	
	(c)	स्थानीय बालू-लीड 3 कि.मी.	(सी)	179.50	216.60	37.10	एम. <sup>3</sup>	9,408.14	3.49	
	(d)	क्यूल बालू क्यूल से कार्य स्थल-लीड 180 कि.मी.	(डी)	2,126.30	2,557.43	431.13	एम. <sup>3</sup>	1,790.55	7.72	
	(e)	पथर चिप्स—पथर मेटल जमालपुर से कार्य स्थल लीड 220 कि.मी.	(ई)	2,571.40	3,086.53	515.13	एम. <sup>3</sup>	981.59	5.06	
	(f)	टी.एम.टी.सी. बार 500 (6 मि.मी., 8मि.मी., व्यास) लीड 10 कि.मी.	(एफ)	207.00	226.60	19.60	एम. <sup>3</sup>	65.63	0.01	
	(g)	एन.पी.2 ह्यूम पाईप 300 मि.मी. व्यास लीड 10 कि.मी.	(जी)	27.60	30.21	2.61	एम.	25,592.50	0.67	
3	40	एल.एस. विशिष्टियों के मानक के अनुरूप बना, 6" व्यास (150 मि.मी.) का जी.आई. चेक वाल्व/द्रुतगामी वाल्व की आपूर्ति, जुड़ाई एवं प्रतिष्ठापन।	40	1,500.00	6,480.00	4,980.00	प्रत्येक	41.00	2.04	
4	42	900 मि.मी. व्यास, 8 मि.मी. व्यास से बना, 1500 मि.मी. उच्च एम.एस. उचाल टैंक, 3 निर्गमन में 2 अधोलंब से 600 झुका हुआ और एक 150 मि.मी. का ईकलेट सीआई ऑठ जिसका बाहरी व्यास 275 मि.मी. आपूर्ति, फिटिंग एवं प्रतिष्ठापन सभी कर एवं कार्य स्थल तक की ढुलाई सहित।	42	62,700.00	1,19,382.00	56,682.00	प्रत्येक	41.00	23.24	
5	43	आई.एस. विशिष्टियों के अनुरूप मानक का बना, (वजनी) 6" व्यास के एम.एस. /जी. आई. पाईप की आपूर्ति, फिटिंग एवं प्रतिष्ठापन सभी कर एवं कार्य स्थल तक की ढुलाई सहित।	43	1,200.00	1,873.60	673.60	एम.	3,712.24	25.01	

क्र. सं.	मद सं. (मूल एकरारनामा)	मूल एकरारनामा में मद का नाम	मद सं. (अनुपूरक एकरारनामा)	मूल एकरारनामा का दर	अनुपूरक एकरारनामा का दर	दर का अन्तर ( च - ड.)	इकाई	नवें लेखा विपत्र तक किये गये कार्य का उच्च दर (मापी पुस्त के अनुसार)	परिहार्य व्यय (छ × ज) / 100000
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ज
6	46	आई.एस. विशिष्टियों के अनुरूप मानक बना, (वजनी) 6" (150मि.मी.) एम.एस. टी की आपूर्ति, फिटिंग एवं प्रतिष्ठापन सभी कर एवं कार्य स्थल तक की ढुलाई सहित।	46	2,388.00	2,828.00	440.00	प्रत्येक	41	0.18
7	50	आई.एस. विशिष्टियों के अनुरूप आवश्यक मानक का बनावट, अलग-अलग व्यास एवं आकार/माप का नट एवं पेंच की आपूर्ति, फिटिंग एवं प्रतिष्ठापन सभी कर एवं कार्य स्थल तक की ढुलाई सहित।	49	60.00	200.00	140.00	कि.ग्रा.	1950	2.73
8	52	25 अश्व शक्ति के विद्युत मोटर पम्प सेट बेस प्लेट की फिकिसंग सहित 36 मीटर लिफ्ट के लिए बेस प्लेट विशेष डिजाइन के एकल चरण पंप सिर के साथ सेट, मोटर पंप चालू करने सहित, उपयुक्त लेवल और सरेखण में सतही बोल्ट एवं पेंच से कसना सभी कर एवं सामग्री कार्य स्थल तक की ढुलाई सहित सभी कार्य प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार पूर्ण 150 मि.मी. X 150 मि.मी. सेल्फ प्राइमिंग खिंचवा एवं वितरण के लिए तीन फेज संयोजित पंप 3 इंडेक्स मोटर एस.पी. 61 के साथ 25 सी.ए. 190 सहित मानक निर्माता का मोटर पंप यथा किलोस्कर, क्राम्पटन ग्रीब्स आदि का अधिष्ठापन।	51	14,9800.00	1,83,260.00	33,460.00	प्रत्येक	41	13.72
9	59	3'10" x 2'6" x 0'1" दो बेलटन के लकड़ी का पैनल बोर्ड पेटिंग सहित आवश्यक व्यवस्था के साथ नट बोल्ट सहित दिवाल में लगाने हेतु आपूर्ति, फिकिसंग एवं लगाई सभी कर सहित प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार पूर्ण कार्य।	58	1,010.00	2,000.00	990.00	प्रत्येक	39	0.39
10	63	प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं निदेश के अनुसार अनुशसित गुणवत्ता का आपूर्ति, फिटिंग एवं लगाई सभी कर सहित।		66,818.00	1,08,562.00	41,744.00	प्रत्येक	39	16.28
	63 (1)	63 के. भी. ए. ट्रान्सफार्मर	62(1)						
	63 (2)	पी. एस. सी. पोल 200 किलोग्राम	62(2)	2,695.00	5,045.00	23,50.00	प्रत्येक	449	10.55
	63 (3)	जे. आई. तार 8 की संख्या में	62(3)	48,000.00	60,000.00	12,000.00	एम.टी.	0.68	0.08
कुल									168.79
1.11 प्रतिशत से कम									1.87
सकल कुल									166.92

**परिशिष्ट-3.7.4**

(संदर्भ : कंडिका-3.7.5; पृष्ठ-185)

**11 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार और नवीकरण में परिहार्य व्यय का विस्तृत विवरणी**

(राशि ₹लाख में)

क्रम संख्या	मद सं0 (मूल एकरारनामा)	मूल एकरारनामा में मद का नाम	मद सं. (अनुपूरक एकरारनामा)	मूल एकरारनामा का दर	अनुपूरक एकरारनामा का दर	दर का अन्तर (च - ड.)	यूनिट	आठवें लेखा बिल तक किये गये कार्य का उच्च दर (मापी पुस्त के अनुसार)	परिहार्य व्यय (छ× झ)/ 100000
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ज
1	35	प्रत्येक कार्य में नींव खाईयों में भराई या खाईयों में मिट्टी (रँक को छोड़कर) से वापस भराई, कुर्सी, नींव का किनारे का परत से 20 सेमी. से अधिक नहीं आदि। गहराई में, 50 मी. तक लीड रैमिंग और पानी द्वारा प्रत्येक अवसाद को संचित किया हुआ और 1.5 मी. ऊपर तक उठाव जो अभियंता निरिक्षण विशिष्टियों और निर्देशानुसार सभी पूर्ण कार्य।	35	53.1	58.3	5.2	एम.3	8661.3	0.45
2	36	टी के लिए आई.एस. 5458-1971 300 मि.मी. व्यास (अध्याय-11 कोड 53-1703) के अनुसार कॉलर के साथ एन.पी.2 आर.सी.सी. ह्यूम पाईप की आपूर्ति	36	275	520.65	245.65	प्रति मीटर	2,032.5	4.99
3	37	150 मि.मी. व्यास आई.एस 5458-1971 के अनुसार एन.पी.2 आर.सी.सी. ह्यूम पाईप की आपूर्ति	37	159	320	161	प्रति मीटर	0	0
4	41	आई.एस. विशिष्टियों के मानक बना 6" व्यास (150 मि.मी.) का जी.आई. चेक वाल्व/दुलगामी वाल्व की आपूर्ति, फिटिंग एवं प्रतिष्ठापन।	41	1,500	6,480	4,980	प्रत्येक	9	0.45
5	43	900 मि.मी. व्यास, 8 मि.मी. व्यास से बना 1500 मि.मी. उच्च एम.एस. उच्चल टैंक, 3 निर्गमन में 2 अधोलंब से 600 झुका हुआ और एक 150 मि.मी. का इकलेट सी.आई. ओठ जिसका बाहरी व्यास 275 मि.मी. आपूर्ति, फिटिंग एवं प्रतिष्ठापन सभी कर एवं कार्य स्थल तक की दुलाई सहित।	43	62,700	1,19,382	56,682	प्रत्येक	9	5.1
6	44	आई.एस. विशिष्टियों के अनुरूप मानक का बना (वजनी) 6" व्यास के एम.एस. /जी.आई. पाईप की आपूर्ति, जुड़ाई एवं प्रतिष्ठापन सभी कर एवं कार्य स्थल तक की दुलाई सहित।	44	1,200	1,873.6	673.6	एम.	413.78	2.79
7	47	आई.एस. विशिष्टियों के अनुरूप मानक बना (वजनी) 6" (150मि.मी.) एम.एस. टी की आपूर्ति, फिटिंग एवं प्रतिष्ठापन सभी कर एवं कार्य स्थल तक की दुलाई सहित।	47	2,388	2,828	440	प्रत्येक	9	0.04
8	51	आई.एस. विशिष्टियों के अनुरूपण आवश्यक मानक का बना अलग-अलग व्यास एवं आकार/माप का नट एवं पेंच की आपूर्ति, फिटिंग एवं प्रतिष्ठापन सभी कर एवं कार्य स्थल तक की दुलाई सहित।	51	60	200	140	कि.ग्रा.	450	0.63

क्रम सं०	मद सं० (मूल एकरारनामा)	मूल एकरारनामा में मद का नाम	मद सं. (अनुपूरक एकरारनामा)	मूल एकरारनामा का दर	अनुपूरक एकरारनामा का दर	दर का अन्तर (च - ड.)	यूनिट	आठवें लेखा बिल तक किये गये कार्य का उच्च दर (मापी पुस्त के अनुसार)	परिहार्य व्यय ( छx झ) / 100000
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	अ
9	53	25 अश्व शक्ति के विद्युत मोटर पम्प सेट बेस प्लेट की फिकिसंग सहित 36 मीटर लीफ्ट के लिए बेस प्लेट विशेष डिजाइन के एकल चरण पंप सिर के साथ सेट, मोटर पंप चालू करने सहित, उपयुक्त लेवल और संरेखण में सतही बोल्ट एवं पेंच से कसना सभी कर एवं सामग्री कार्य स्थल तक की ढुलाई सहित सभी कार्य प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार पूर्ण 150 मि.मी. X150 मि.मी. सेल्फ प्राईमिंग चिंचवा एवं वितरण के लिए तीन फेज संयोजित पंप 3 इंडेक्स मोटर एस.पी. 61 के साथ 25 सी.ए. 190 सहित मानक निर्माता का मोटर पंप यथा किलोस्कर, काम्पटन ग्रीब्स आदि का अधिष्ठापन।	53	1,49,800	1,83,260	33,460	प्रत्येक	9	3.01
10	60	3'10" x 2'6" x 0'1 दो बेलटन के लकड़ी का पैनल बोर्ड पेटिंग सहित आवश्यक व्यवस्था के साथ नट बोल्ट सहित दिवाल में लगाने हेतु आपूर्ति, फिटिंग एवं लगाई सभी कर सहित प्रभारी आभियंता के निदेशानुसार पूर्ण कार्य।	60	1,010	2,000	990	प्रत्येक	9	0.09
11	64	प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं निदेश के अनुसार अनुशंसित गुणवत्ता का आपूर्ति, फिटिंग एवं लगाई सभी कर सहित	64	66,818	1,08,562	41,744	प्रत्येक	9	3.76
	64 (1)	63 के. भी. ए. ट्रान्सफार्मर	64 (1)						
	64(2)	पी.एस.सी. पोल 200 किलोग्राम	64(2)	2,695	5,045	2,350	प्रत्येक	154	3.62
	64(3)	जी. आई. टार 8 की संख्या में	64(3)	48,000	60,000	12,000	प्रति एम. टी.	0.18	0.02
कुल									24.95
1.51 प्रतिशत से कम									0.38
सकल योग									24.57

**परिशिष्ट—3.8.1**  
**(संदर्भ : कांडिका—3.8.1; पृष्ठ—186)**

**(i) लंबित अग्रिमों की विवरणी (वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा)**

31/8/2016 तक )

क्र. सं.	व्यक्ति/विभाग का नाम	पदनाम/जहाँ पदस्थापित है	अग्रिम स्वीकृति की तिथि/अवधि	प्रयोजन (पूर्व अग्रिम के समायोजन के बिना दी गई अग्रिमों की सं.)	राशि (₹लाख में)	स्थिति (विश्वविद्यालय के पेंशन अनुभाग द्वारा प्रतिवेदित)
1.	स्वर्गीय एस.ए. इमाम	परीक्षा नियंत्रक/वी.कुँ.सिं. वि. आरा	2/2/1994 से 13/1/1996	गोपनीय मुद्रण एवं आकस्मिकता व्यय (15)	3.41	मृत
2.	मुहम्मद नेयाज अहमद	जिल्दसाज, संविदात्मक कर्मचारी/वी.कुँ.सिं.वि. आरा	10/8/2009	बंधन सामग्रियों का क्रय (1)	0.03	वह अनुबंध पर थे एवं विश्वविद्यालय छोड़ दिया था।
3.	श्री राम लखन प्रसाद	बिजली मिस्त्री/वी.कुँ.सिं. वि., आरा	8/1/2007	जनरेटर की मरम्मत (1)	0.11	सेवानिवृत्त
4.	डॉ. ए.डी.एन. सिंह	एच.ओ.डी., मनोविज्ञान का पी.जी. विभाग/वी.कुँ.सिं. वि. आरा	26/4/2004	स्नातकोत्तर प्रयोगिक परीक्षा (1)	0.10	सेवानिवृत्त
5.	डॉ. विनोद कुमार सिंह	एच.ओ.डी., अर्थशास्त्र का पी.जी. विभाग/वी.कुँ.सिं. वि. आरा	23/8/2011	पूर्व स्नातकोत्तर एवं अंतिम प्रयोगिक परीक्षा (जी.डी.) 2011 (1)	0.28	सेवानिवृत्त
6.	श्री विमल प्रसाद सिंह	एस.ओ./रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम	26/8/1996	शिक्षकों की पदोन्नति भुगतान (1)	0.15	सेवानिवृत्त
7.	एस.डी.ओ., आरा	-	3/12/2008 से 12/1/2013	बी.एड. परीक्षा हेतु पुलिस की पारिश्रमिक (5)	0.62	अभिश्रव आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया।
8.	डॉ. सुरेन्द्र नारायण सिंह	प्राचार्य/महाराजा कॉलेज, आरा	25/6/1996 से 20/12/1996	सारणीकरण और मूल्यांकन (11)	2.38	सेवानिवृत्त
9.	डॉ राम बिहारी सिंह	प्राचार्य/ए.एस. कॉलेज, विक्रमगंज	5/3/2008 से 28/4/2010	केन्द्र पर व्यय (5)	4.15	सेवानिवृत्त
10.	डॉ. शिव शंकर सिंह	प्राचार्य/महाराजा कॉलेज,आरा	5/3/2008 से 25/1/2013	केन्द्र पर व्यय मूल्यांकन	5.72	सेवानिवृत्त
11.	डॉ. कृष्ण मुरारी प्रसाद	प्राचार्य/पी.सी. कॉलेज,बक्सर	5/3/2008 से 11/12/2014	केन्द्र पर व्यय (24)	5.24	सेवानिवृत्त
12.	डॉ. धर्मराज सिंह	प्राचार्य/शेरशाह कॉलेज,सासाराम	2/6/2007 से 25/7/2012	केन्द्र पर व्यय (17)	9.26	कार्यरत
13.	प्राचार्य	प्राचार्य/बी.एड.विभाग/वी.कुँ.सिं.वि., आरा	10/12/2007 से 2/3/2013	बी.एड. प्रायोगिक परीक्षा (5)	2.30	कार्यरत
14.	डॉ. रामजी राय	विशेष अधिकारी परीक्षा/एच.ओ.डी.,प्राकृत विभाग	7/4/1999 से 11/12/2014	गोपनीय मुद्रण, स्नातकोत्तर मौखिक परीक्षा संचालक (6)	3.20	सेवानिवृत्त
कुल					36.95	

(ii)लंबित अग्रिमों की विवरणी जो वी.कुँ.सिं.वि. द्वारा पटना विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मियों को दिया गया

(31/08/2016 तक)

क्र. सं.	व्यक्ति / विभाग का नाम	पदनाम / जहाँ पदस्थापित है	अग्रिम स्वीकृति की तिथि / अवधि	प्रयोजन (पूर्व अग्रिम के समायोजन के बिना दी गई अग्रिमों की स.)	राशि (₹ लाख में)	स्थिति (विश्वविद्यालय के पेशन अनुभाग द्वारा प्रतिवेदित)
1	डॉ दिनेश प्रसाद सिंह	एच.ओ.डी. हिन्दी, बी.एन. कॉलेज, पटना	13/10/2003	डी.-II परीक्षा 2013 के पेपर सेटिंग (1)	0.36	सेवानिवृत्त
2	डॉ ललन सिंह	पटना साइंस कॉलेज, पटना	20/7/2006	डी-III 2006 का मूल्यांकन (1)	0.54	पता नहीं चल सका
3	डॉ के.एन. पासवान	निदेशक, प.वि., पटना	14/11/2003 21/1/2004 19/2/2004 7/5/2004	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (4)	1.62	कार्यरत
4	प्रोफेसर एल.एल. बी. शरण	प्राचार्य, लॉ कॉलेज, पटना	14/11/2003	एल.एल.बी. परीक्षा 2001 का मूल्यांकन (1)	0.31	मृत
5	डॉ कामेश्वर पंडित	प.वि., पटना	22/3/2007	पी.जी. परीक्षा 2007 की पेपर सेटिंग (1)	0.18	कार्यरत
6	डॉ बी.के. लाल	प.वि., पटना	12/6/2006	पेपर सेटिंग (1)	0.15	कार्यरत
7	डॉ एम.ओ. सिद्धकी	वनस्पति विज्ञान विभाग, प. वि., पटना	16/2/2008	मूल्यांकन प्री. पी.एच.डी. टेस्ट-2007 (1)	0.09	मृत
8	आर.के. मंडल	वनस्पतिविज्ञान का पी.जी. विभाग, प.वि., पटना	23/12/2003	पेपर सेटिंग (1)	0.36	कार्यरत
9	डॉ शशांक भुषण लाल	वणिज्य विभाग, प.वि.. पटना	26/5/2008	बी.बी.ए. परीक्षा 2008 का मूल्यांकन (1)	0.11	कार्यरत
कुल					<b>3.72</b>	

(iii) लंबित अग्रिमों की विवरणी जो वी.कूँ.सिं.वि. द्वारा मगध विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मियों को दिया गया

**(31/8/2016 तक)**

क्र.सं.	व्यक्ति / विभाग का नाम	पदनाम / जहाँ पदस्थापित है	अग्रिम स्वीकृति की तिथि / अवधि	प्रयोजन (पूर्व अग्रिम के समायोजन के बिना दी गई अग्रिमों की सं.)	राशि (₹ लाख में)	स्थिति (विश्वविद्यालय के पेंशन अनुभाग द्वारा प्रतिवेदित)		
1	डॉ गनौरी प्रसाद	जीवविज्ञान विभाग, जे.डी. महिला कॉलेज, पटना	20/3/2006	पेपर सेटिंग (1)	0.16	कार्यरत		
2	डॉ पी.एन. सिंह	ए.एन. कॉलेज पटना	24/7/2006	डी-III परीक्षा 2006 का मूल्यांकन (2)	3.03	सेवानिवृत्त		
3	डॉ डी.एन. मिश्रा		5/9/2006					
4	डॉ आशा सिंह	प्राचार्य, जे.डी. महिला कॉलेज, पटना	24/10/2005	पेपर सेटिंग एवं एल.एल.बी. का मूल्यांकन (4)	2.97	-		
			7/10/2006					
			27/11/2006					
			9/5/2007					
5	डॉ राम नरेश सिंह	प्राचार्य, टी.पी.एस. कॉलेज, पटना	25/5/2006	मूल्यांकन (3)	6.49	सेवानिवृत्त		
			20/6/2007					
			6/7/2007					
			16/5/2005					
			31/5/2006					
			28/2/2007					
6	डॉ बी.के. दूबे	पी.जी.वाणिज्य विभाग, म.वि., बोधगया	26/12/2008	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (6)	4.34	सेवानिवृत्त		
			5/6/2009					
			2/7/2009					
			25/7/2006					
			23/8/2006					
			6/10/2006					
			12/1/2007					
7	डॉ जवाहर लाल	वाणिज्य कॉलेज, बी.डी. इवनिंग कॉलेज, पटना	2/2/2007	पेपर सेटिंग (7)	1.44	कार्यरत		
			11/4/2007					
			15/9/2007					
			25/10/2005					
			5/2/2006					
			16/2/2006					
			20/3/2006					
			13/4/2006					
			24/7/2006					
			11/1/2007					
8	प्रोफेसर पी.एन. सिंह (सेवानिवृत्त)	रसायन विभाग, ए.एन. कॉलेज, पटना	2/2/2007	पेपर सेटिंग (10)	2.02	कार्यरत		
			9/5/2007					
			29/12/2009					
			22/2/2010					
				बी. एड. प्रवेश परीक्षा 2009 का मूल्यांकन (1)	0.49	सेवानिवृत्त		

क्र.सं.	व्यक्ति / विभाग का नाम	पदनाम / जहाँ पदस्थापित है	अग्रिम स्वीकृति की तिथि / अवधि	प्रयोजन (पूर्व अग्रिम के समायोजन के बिना दी गई अग्रिमों की स.)	राशि (₹ लाख में)	स्थिति (विश्वविद्यालय के पेंशन अनुभाग द्वारा प्रतिवेदित)
9	डॉ रंजन कुमार शर्मा	वाणिज्य विभाग, बी.डी. इवनिंग कॉलेज, पटना	10/4/2007	पेपर सेटिंग पी.जी. परीक्षा 2007 (1)	0.16	कार्यरत
10	डॉ इमतीयाज हसन	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य कॉलेज, पटना	26/6/2010	पेपर सेटिंग (1)	0.26	कार्यरत
11	प्रोफेसर एम.पी. सिंह	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य कॉलेज, पटना	23/6/2010	पेपर सेटिंग (4)	12.24	कार्यरत
			17/5/2010			
			20/6/2010			
			26/10/2010			
12	डॉ हरेन्द्र प्रसाद सिंह	प्राकृत विभाग, बी.डी. इवनिंग कॉलेज, पटना	23/8/2006	पेपर सेटिंग (1)	0.72	-
13	डॉ नरेन्द्र सिंह	भौतिकी विभाग, गया कॉलेज, गया	9/1/2009	पेपर सेटिंग (2)	0.05	सेवानिवृत्त
			18/2/2009			
14	डॉ सीता राम सिंह	प्राचार्य, ए.एन. कॉलेज, पटना	30/9/2004	पेपर सेटिंग (2)	0.91	सेवानिवृत्त
			23/8/2005			
15	डॉ सुशील कुमार सिंह	ए.आई. एवं ए.एस. का पी.जी. विभाग, म.वि.. बोधगया	12/6/2006	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (3)	0.29	कार्यरत
			22/3/2007			
			7/6/2007			
16	डॉ कंचन सिंह	हिन्दी विभाग, वाणिज्य कॉलेज, पटना	25/10/2005	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (5)	1.98	कार्यरत
			20/3/2006			
			13/4/2006			
			27/11/2006			
			29/12/2009			
17	डॉ बी.के. सिंह	जीवविज्ञान विभाग, म.वि., बोधगया	27/11/2006	पी.जी. अंतिम परीक्षा 2006 का मूल्यांकन (1)	0.69	कार्यरत
18	डॉ रघीर सिंह	ए.एन. कॉलेज, पटना	20/4/2006	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (5)	1.29	सेवानिवृत्त
			7/10/2006			
			18/8/2006			
			4/3/2007			
			28/5/2009			
19	डॉ अरविन्द कुमार	इतिहास विभाग, बी.डी. इवनिंग कॉलेज, पटना	4/7/2007	पुनः परीक्षा का मूल्यांकन (1)	0.10	कार्यरत
20	अनिल कुमार सिंह	तर्पेंडू.उच्च शिक्षा संस्थान, पटना	18/2/2009	मूल्यांकन (3)	1.28	उपलब्ध नहीं
			26/10/2010			
			22/2/2011			
21	प्रोफेसर बीरेन्द्र कुमार सिंह	निदेशक, पाटलिपुत्र संस्थान पटना	22/1/2010	बी.सी.ए., एम.सी.ए. और एम.बी.ए. परीक्षा का मूल्यांकन (2)	0.79	उपलब्ध नहीं
			10/2/2010			

क्र.सं.	व्यक्ति / विभाग का नाम	पदनाम / जहाँ पदस्थापित है	अग्रिम स्वीकृति की तिथि / अवधि	प्रयोजन (पूर्व अग्रिम के समायोजन के बिना दी गई अग्रिमों की स.)	राशि ( <sup>₹</sup> लाख में)	स्थिति (विश्वविद्यालय के पेंशन अनुभाग द्वारा प्रतिवेदित)
22	प्रोफेसर वीरेन्द्र कुमार सिंह	रसायन विभाग, ए.एन. कॉलेज, पटना	22/2/2010	बी. एड. परीक्षा 2009 का मूल्यांकन (1)	0.18	विश्वविद्यालय में इस नाम का कोई प्रोफेसर उपलब्ध नहीं
23	एस.एस. गुप्ता	वाणिज्य विभाग, म.वि., बोधगया	8/3/2007	बी.सी.ए. I, III, V का मूल्यांकन, सेम परीक्षा 2006 (1)	0.22	कार्यरत
24	डॉ सुरेश प्रसाद	प्राचार्य, वाणिज्य कॉलेज पटना	23/8/2005	मूल्यांकन (1)	0.80	मृत्यु पेंशन का भुगतान कर दिया गया
25	डॉ पी.आर. सिंह	राजनीतिक विज्ञान विभाग, ए.एन. कॉलेज पटना	13/10/2012 11/2/2013	पेपर सेटिंग (2)	0.54	कार्यरत
26	डॉ दिनेश प्रसाद सिंह	हिन्दी विभाग, वाणिज्य कॉलेज, पटना	24/7/2013	मूल्यांकन (1)	4.16	कार्यरत
			कुल		<b>47.60</b>	

(iv) लंबित अग्रिमों की विवरणी जो वी.कुं.सि.वि. द्वारा बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मियों को दिया गया

(31/8/2016 तक)

क्र.सं.	व्यक्ति/विभाग का नाम	पदनाम/जहाँ पदस्थापित है	अग्रिम स्थीरति की तिथि/अवधि	प्रयोजन (पूर्व अग्रिम के समायोजन के बिना दी गई अग्रिमों की स.)	राशि (लाख में)	स्थिति (विश्वविद्यालय के पेशन अनुभाग द्वारा प्रतिवेदित)
1	डॉ अवधेश कुमार	सर्जरी विभाग एस. के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर	31/3/2010	एम.बी.बी.एस. पेपर सेटिंग (1)	0.05	संबंधित नहीं
2	प्रोफेसर ए.पी. मिश्रा	जीवविज्ञान पी.जी. विभाग	28/4/2004	पी.जी. परीक्षा 2001 और जीवविज्ञान का मूल्यांकन (1)	0.55	सेवानिवृत्त
3	डॉ विनोद प्रसाद सिंह 1	बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर	28/4/2004	डी-I,II,III परीक्षा 2003 का मूल्यांकन (1)	1.07	सेवानिवृत्त
4	डॉ ब्रजेश कुमार सिंह	बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर	13/4/2006	डी-III परीक्षा 2006 पेपर सेटिंग (1)	0.09	कार्यरत
5	डॉ अशोक कुमार श्रीवास्तव	रसायन विभाग बी.आर.ए.बी.यू.	15/7/2008	मूल्यांकन एवं पूर्व पी.जी. एवं अंतिम परीक्षा 2008 (1)	0.07	कार्यरत
6	डॉ सी.पी. शुक्ला	विभागाध्यक्ष वनस्पतीविज्ञान बी.आर.ए.बी.यू.	10/4/2007	पेपर सेटिंग (1)	0.16	उपलब्ध नहीं
7	डॉ प्रमोद कुमार सिन्हा	आर.एन. कॉलेज हाजीपुर	22/11/2006	एल.एल.बी.-III परीक्षा 2006 (1)	0.40	आर.एन. कॉलेज हाजीपुर में उपस्थित नहीं है।
8	डॉ ई. मोहम्मद अंशारी	पारसी का पी.जी. विभाग, बी.आर.ए.बी.यू.	5/5/2007	पेपर सेटिंग (1)	0.03	कार्यरत
9	डॉ महेश राय	आर.एन. कॉलेज, हाजीपुर	26/5/2008	बी.सी.ए. और जैव-तकनीकी परीक्षा 2008 का मूल्यांकन (1)	0.46	कार्यरत
10	डॉ जी.के. ठाकूर	एस.के.एम.सी.एच. मुजफ्फरपुर	5/6/2009	पारा मेडिकल परीक्षा 2008 का मूल्यांकन (1)	0.03	संबंधित नहीं
11	प्रोफेसर कमला कुमारी	दर्शनशास्त्र विभाग बी.आर.ए.बी.यू.	29/12/2009 12/1/2010 22/2/2010	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (3)	1.66	कार्यरत
12	प्रोफेसर हरी नारायण पाण्डे	दर्शनशास्त्र विभाग बी.आर.ए.बी.यू.	13/12/2009 12/1/2010	पेपर सेटिंग (2)	0.92	कार्यरत
13	प्रोफेसर बीरेन्द्र कुमार सिंह	इतिहास का पी.जी., विभाग, बी.आर.ए.बी.यू.	9/8/2012 11/10/2012	मूल्यांकन (2)	14.00	कार्यरत
कुल					<b>19.49</b>	

(v) लंबित अग्रिमों की विवरणी जो वी.कू.सिं.वि. द्वारा राज्य के बाहर के शिक्षण कर्मी एवं प्राइवेट पार्टी को दिया गया

(31/8/ 2016 तक)

क्र. सं.	व्यक्ति/विभाग का नाम	पदनाम/जहाँ पदस्थापित है	अग्रिम स्वीकृति की तिथि/अवधि	प्रयोजन (पूर्व अग्रिम के समायोजन के बिना दी गई अग्रिमों की स.)	राशि (₹लाख में)	स्थिति
1	डॉ पी. कुमार पीयूस	पी.आर. रेलवे कॉलेज	20/3/2006	पेपर सेटिंग डी-II परीक्षा 2006 (1)	0.14	उपलब्ध नहीं
2	डॉ सुधाकर सिंह	हिन्दी का पी.जी.विभाग, बी.एच.यू. वाराणसी	10/10/2007	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (7)	2.18	उपलब्ध नहीं
			4/1/2008			
			7/2/2008			
			16/2/2008			
			9/4/2009			
			12/10/2009			
			3/10/2013			
3	श्री विनोद विहारी सिन्हा	लॉ कॉलेज, बी.एच.यू., वाराणसी	14/11/2008	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (5)	6.48	उपलब्ध नहीं
			5/5/2009			
			25/5/2009			
			3/7/2009			
			12/10/2009			
4	डॉ अर्चना सिंह	वाराणसी	5/1/2007	बी. एड. परीक्षा 2006 का मूल्यांकन (2)	0.81	उपलब्ध नहीं
			28/3/2007			
5	डॉ अभय कुमार सिंह	भौतिक विभाग बी.एच.यू., वाराणसी	15/7/2008	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (6)	0.39	उपलब्ध नहीं
			2/3/2009			
			9/11/2009			
			9/1/2009			
			9/4/2009			
			3/7/2009			
6	श्री बी.डी. सिंह	बी. एड. विभाग बी.एच.यू., वाराणसी	24/9/2008	बी.एड. परीक्षा 2008 का मूल्यांकन (1)	0.08	उपलब्ध नहीं
7	डॉ पी.एन. सिंह	एम.जी. काशी विद्यालयीठ वाराणसी	15/7/2008	पी.जी. परीक्षा 2008 का मूल्यांकन (1)	0.11	उपलब्ध नहीं
8	डॉ श्री सिंह	भौतिक विभाग बी.एच.यू., वाराणसी	22/3/2007	पेपर सेटिंग (1)	0.16	उपलब्ध नहीं
9	श्री विनोद विहारी सिन्हा	लॉ कॉलेज बी.एच.यू., वाराणसी	2/5/2009	मूल्यांकन (4)	6.44	उपलब्ध नहीं
			19/5/2009			
			3/7/2009			
			12/10/2009			
10	डॉ अरविन्द अर्चाया	प्राणीविज्ञान विभाग बी.एच.यू., वाराणसी	21/12/2010	पेपर सेटिंग (3)	0.76	उपलब्ध नहीं
			19/9/2011			
			3/1/2012			
11	डॉ अनिल महतो	परीक्षा, नियंत्रक, आर.यू. राँची	18/5/2007	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (5)	12.54	उपलब्ध नहीं
			7/6/2007			
			25/4/2009			
			2/7/2009			
			18/7/2009			

क्र. सं.	व्यक्ति/विभाग का नाम	पदनाम/जहाँ पदस्थापित है	अग्रिम स्वीकृति की तिथि/अवधि	प्रयोजन (पूर्व अग्रिम के समायोजन के बिना दी गई अग्रिमों की स.)	राशि (₹लाख में)	स्थिति
12	डॉ प्रभात कुमार सिंह	राँची विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग, राँची	12/3/2008	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (8)	12.00	उपलब्ध नहीं
			5/2/2009			
			18/7/2009			
			6/10/2010			
			13/5/2011			
			22/9/2011			
			11/11/2011			
			3/12/2012			
13	डॉ अमित कुमार	सी.आई.टी. राँची	13/10/2012	एल.एल.बी. परीक्षा 2012 का मूल्यांकन (1)	0.87	उपलब्ध नहीं
14	डॉ रेनू कुमारी	राँची मेडिकल कॉलेज, राँची	13/5/2011	पेपर सेटिंग (1)	0.03	उपलब्ध नहीं
15	विद्या प्रिन्चर पटना	—	13/7/2006	मूल्यांकन एवं पेपर सेटिंग (1)	0.15	उपलब्ध नहीं
16	शवित इलेक्ट्रॉनिक इंडिया पटना	—	4/3/2003	ई.पी.ए.बी.एक्स. टेलीफोन मशीन के लिए आपूर्ति एवं फिटिंग (1)	0.28	उपलब्ध नहीं
17	मेसर्स आई.टी. क्षेत्र, पटना	—	25/1/2008	टॉवर का क्रय (1)	0.75	उपलब्ध नहीं
			27/5/2008			
कुल					44.17	

व्यक्तियों/संबंधित का कुल सं = 14+9+26+13+17 = 79

कुल सम्मिलित राशि = ₹36.95 लाख + ₹3.72 लाख + ₹47.60 लाख + ₹19.49 लाख + ₹44.17 लाख = ₹151.93 लाख

**परिशिष्ट-3.8.2**

(संदर्भ : कंडिका-3.8.1; पृष्ठ-186)

वी.कुँ.सि.वि. द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के उम्र के विश्लेषण को दर्शाती विवरणी

(31/8/2016 तक)

क्र. सं.	वर्गीकरण	उम्र-वार मामला का विश्लेषण (वर्षों में)						उम्र-वार असमायोजित अग्रिम का विश्लेषण (राशि ₹लाख में)					
		1 से 5	5 से 10	10 से 15	15 से 20	20 से अधिक	कुल मामले	1 से 5	5 से 10	10 से 15	15 से 20	20 से अधिक	कुल राशि
1	मृत (वी.कुँ.सि.वि.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3.41	3.41
2	मृत (वी.कुँ.सि.वि. के बाहर)	-	1	2	-	-	3	-	0.09	1.11	-	-	1.20
3	सेवानिवृत्त (वी.कुँ.सि.वि.)	3	3	1	1	1	9	14.16	4.54	0.10	2.38	0.15	21.33
4	सेवानिवृत्त (वी.कुँ.सि.वि. के बाहर)	-	6	4	-	-	10	-	15.69	2.89	-	-	18.58
5	अन्य (वी.कुँ.सि.वि.)	2	-	-	-	-	2	11.56	-	-	-	-	11.56
6	अन्य (वी.कुँ.सि.वि. के बाहर)	8	36	10	-	-	54	35.13	56.51	4.21	-	-	95.85
	कुल	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>60.85</b>	<b>76.83</b>	<b>8.31</b>	<b>2.38</b>	<b>3.56</b>	<b>151.93</b>
	प्रतिशत विश्लेषण	<b>16.46</b>	<b>58.23</b>	<b>21.52</b>	<b>1.27</b>	<b>2.53</b>	<b>100</b>	<b>40.05</b>	<b>50.57</b>	<b>5.47</b>	<b>1.57</b>	<b>2.34</b>	<b>100</b>

**परिशिष्ट—3.8.3**  
**(संदर्भ : कंडिका—3.8.1; पृष्ठ—186)**

**लंबित अग्रिमों की विवरण (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा)**  
**(31/8/2016 तक)**

क्र.सं.	व्यक्ति/विभाग का नाम	पदनाम/जहाँ पदस्थापित है	अग्रिम स्वीकृति की तिथि/अवधि	अग्रिम का उद्देश्य	राशि ( <sup>₹</sup> लाख में)	व्यक्ति की स्थिति जिसे अग्रिम दिया गया अर्थात् चाहे (सेवा/सेवानिवृत्त/मृत)
1.	अब्दूल गफुर	प्राचार्य, डी.एस. कॉलेज कटिहार	1972 से सेवानिवृत्त तक/मृत	परीक्षा	0.12	मृत
2.	ए. बोस	प्राचार्य, महिला कॉलेज, समस्तीपुर	5/7/1980	परीक्षा	0.02	मृत
3.	ऐतमान गुरुंग	केयरदकर	1/4/1987 से 30/3/1988	परीक्षा	0.01	मृत
4.	अखिलेश्वर प्रसाद सिंह	प्राचार्य, जी.डी. कॉलेज, बेगुसराय	18/6/1979 से 19/7/1979	परीक्षा	0.10	मृत
5.	भगवान प्रसाद सिन्हा	प्राचार्य, बी.एस.एस. कॉलेज, सुपौल	3/6/1975 से 7/1/1976	परीक्षा	0.03	मृत
6.	बिष्णु देव झा	ठेकेदार	18/9/1975	-----	0.04	मृत
7.	बुच्छ इकमती	चरासी	14/2/1976 से 22/10/1984	परीक्षा	0.02	मृत
8.	बुधु यादव	चपरासी	27/5/1975 से 11/10/1980	परीक्षा	0.001	मृत
9.	डॉ. ए.बी. प्रसाद	प्रोफ. एवं वनस्पति विभाग के एच.ओ.डी.	23/2/1982 से 8/3/1986	परीक्षा	1.25	मृत
10.	डॉ. एच.एन. यादव	प्राचार्य, डी.एम.सी.एच., दरभंगा	4/7/1986 से 1/12/1990	परीक्षा	1.44	मृत
11.	डॉ. पी. मिश्रा	प्राचार्य, एम.के. कॉलेज लेहरीयासराय	12/11/1982 से 3/3/1983	परीक्षा	0.03	मृत
12.	डॉ. सचिदानन्द झा	गणित विभाग के एच.ओ.डी.	9/7/1980 से 14/6/1988	परीक्षा	1.25	मृत
13.	डॉ. शकिलूर रहमान	पूर्व—वी.सी.	22/2/1988	-	0.10	मृत
14.	डॉ. वाई. ठाकुर	रसायन विभाग के प्रमुख	14/2/1980 से 31/5/1990	परीक्षा	2.11	मृत
15.	द्वारिका कांत चौधरी	पूर्व—एफ.ओ. (पूर्व लेखापरीक्षक कार्यालय महालेखाकार, बिहार)	6/3/1984	परीक्षा	0.003	मृत
16.	गजेन्द्र प्रसाद सिंह	मशीन मैन	6/4/1977 से 6/10/2009	-	0.19	मृत
17.	एच.कै. लाल	रजिस्टार का पी.ए.	15/11/1982 से 14/6/1988	-	0.39	मृत
18.	इन्द्रा मोहन झा	पुस्तकालय सहायक	25/10/2000	परीक्षा	0.09	सेवानिवृत्त
19.	राजेन्द्र झा	प्रशास्त्र पदाधिकारी	1972 से सेवानिवृत्त तक/मृत 1972 से सेवानिवृत्त तक/मृत	परीक्षा	7.29	सेवानिवृत्त

20.	सीता राम	सहायक	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	6.10	मृत
21.	जावीद इकबाल	-----	28/6/1978 से 24/3/1979	परीक्षा	0.0006	मृत
22.	डॉ इन्द्र देव शर्मा	प्राचार्य, आर.एन.ए.आर. कॉलेज समस्तीपुर	1972 to 2016	परीक्षा	1.30	मृत
23.	दिनेश मिश्रा	सहायक, के.बी.जे.एच.ए. कॉलेज कटिहार	16/3/2003 से 16/10/09	परीक्षा	1.25	मृत
24.	डॉ महावीर प्रसाद यादव	प्राचार्य, टी.पी. कॉलेजन मधेपुरा	1/4/1975 से 30/3/88	परीक्षा	1.00	मृत
25.	कन्हैया साफी	प्रशास्या पदाधिकारी	12/6/1980 से 9/7/1984	परीक्षा	4.32	मृत
26.	स्व. लालमानी फलहारी	व्याख्याता, एम.एल.एस.एम. कॉलेज	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	1.00	मृत
27.	स्व. भवेश झा	सहायक	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	1.85	मृत
28.	आर.के. चौधरी	प्राचार्य, पी.जी. प्राणि विज्ञान	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	1.42	मृत
29.	एस.एम.ए. हक	पूर्व निजी सचिव	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	0.95	मृत
30.	राम चन्द्रा प्रसाद	बी.आर.बी. कॉलेज, समस्तीपुर	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	0.93	मृत
31.	नित्यान्द प्रसाद सिंह	प्राचार्य, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	0.49	मृत
32.	राम मुरती सिंह	परीक्षा नियंत्रक	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	0.48	मृत
33.	एम.सी. गोवील	प्राचार्य, सी.एम. कॉलेज, दरभंगा	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	0.43	मृत
34.	वाचस्पति ठाकुर	अर्थशास्त्र विभाग के एच.ओ.डी.	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	0.06	मृत
35.	चेतकर झा	पूर्व वी.सी.	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	0.05	मृत
36.	महेन्द्र ठाकुर	पूर्व रजिस्टर	1972 से सेवानिवृत्ति तक / मृत	परीक्षा	0.04	मृत
कुल					36.1546	

## परिशिष्ट-3.8.4

(संदर्भ: कंडिका-3.8.1; पृष्ठ-187)

ल.ना.मि.वि. के द्वारा प्रदत्त अग्रिमो के उम्र के विश्लेषण को दर्शाती विवरणी

(31/8/2016 तक)

क्र. सं.	वर्गीकरण	उम्र-वार मामला का विश्लेषण (वर्षों में)						उम्र-वार असमायोजित अग्रिम का विश्लेषण (राशि ₹लाख में )					
		1 से 5	5 से 10	10 से 15	15 से 20	20 से अधिक	कुल मामला	1 से 5	5 से 10	10 से 15	15 से 20	20 से अधिक	कुल राशि
1	मृतक	-	2	-	-	32	34	-	1.44	-	-	27.3346	28.7746
2	सेवानिवृत्त	-	-	-	1	1	2	-	-	-	0.09	7.29	7.38
	कुल	0	2	0	1	33	36	0	1.44	0	0.09	34.6246	36.1546
	प्रतिशत	0	5.56	0	2.78	91.67	100	0	3.98	0	0.25	95.77	100

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.ag.bih.nic.in](http://www.ag.bih.nic.in)